SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का मार्च 2024 को समाप्त अवधि हेतु प्रतिवेदन

संघ सरकार

आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

2026 की प्रतिवेदन सं. 11

(अनुपालन लेखापरीक्षा- सिविल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का मार्च 2024 को समाप्त अवधि हेतु प्रतिवेदन

संघ सरकार

आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

2026 की प्रतिवेदन सं. 11

(अनुपालन लेखापरीक्षा- सिविल)

विषय वस्तु

अध्याय/ पैराग्राफ	विषय	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	v
	कार्यकारी सार	vii
अध्याय-I	**प्रस्तावना**	
1.1	इस रिपोर्ट के बारे में	1
1.2	लेखापरीक्षा का प्राधिकार	1
1.3	लेखापरीक्षा की योजना और संचालन	2
1.4	बजट और व्यय	3
1.5	उपयोगिता प्रमाण पत्र	6
1.6	केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) द्वारा लेखा प्रस्तुत करने में विलंब	7
1.7	संसद के समक्ष सीएबी के लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रस्तुति में विलंब	8
1.8	सीएबी के वार्षिक लेखाओं के प्रमाणीकरण के परिणाम	9
1.9	लंबित एटीएन की स्थिति	10
1.10	मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफ़ों पर मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रिया	10
अध्याय-II	**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**	
	आलाप्पुझा कयर क्लस्टर डेवलपमेंट सोसायटी	
2.1	उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली और परियोजना परिसंपत्तियों में वित्तीय हितों की सुरक्षा में विफलता	11

अध्याय/ पैराग्राफ	विषय	पृष्ठ संख्या
	भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण एजेंसी, चेन्नई	
2.2	सार्वजनिक धन का दुरुपयोग	14
	स्पाइसेस बोर्ड, कोच्चि	
2.3	बिजली शुल्क पर परिहार्य व्यय	16
	फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान, चेन्नई	
2.4	एफडीडीआई, चेन्नई में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग	18
अध्याय-III	**आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय**	
	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	
3.1	वितरण कंपनियों को अनियमित रूप से भुगतान किए गए ₹6.91 करोड़ की वसूली न होना	22
3.2	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर ₹58.17 लाख की वसूली	23
3.3	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में दरों की सूची का विश्लेषण	26
3.4	सीपीडब्ल्यूडी द्वारा दिल्ली में परियोजनाओं का प्रबंधन और कार्यान्वयन	43
	दिल्ली विकास प्राधिकरण	
3.5	आवासों की योजना, निर्माण एवं आवंटन	76
अध्याय-IV	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**	
	कयर बोर्ड	
4.1	कयर उद्योग के विकास के लिए कयर बोर्ड की गतिविधियाँ	144
अध्याय-V	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय**	
5.1	विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	167

अध्याय/ पैराग्राफ	विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय-VI	**वस्त्र मंत्रालय**	
6.1	संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना	216
अध्याय-VII	**पर्यटन मंत्रालय**	
7.1	कौशल विकास कार्यक्रम न चलाए जाने के कारण धनराशि का अवरुद्ध होना	252
7.2	पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना	254
	अनुलग्नक-I से XXXIV	267-437

प्राक्कथन

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में केंद्र सरकार के आर्थिक और सेवा मंत्रालयों/विभागों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए परीक्षण लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और साथ ही वे जो पहले के वर्षों में ध्यान में आए लेकिन पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में रिपोर्ट नहीं किए जा सके। जहां भी आवश्यक समझा गया, 2023-24 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

I परिचय

1. इस प्रतिवेदन में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकारियों द्वारा आर्थिक और सेवा मंत्रालयों/विभागों तथा उनके केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं और अभिलेखों की नमूना जांच के परिणामस्वरूप पाए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं।

2. प्रतिवेदन में छः मंत्रालयों से संबंधित 14 लेखापरीक्षा पैराग्राफ हैं। लेखापरीक्षा पैराग्राफ के मसौदे को संबंधित मंत्रालयों को भेजा गया था, जिससे उन्हें छः सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्येक मामले में अपना उत्तर /टिप्पणी देने का अवसर मिला।

3. इस प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफ भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों और उनके केंद्रीय स्वायत्त निकायों से संबंधित हैं:

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	पैराग्राफ की संख्या
1.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	4
2.	आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय	5
3.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	1
4.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1
5.	वस्त्र मंत्रालय	1
6.	पर्यटन मंत्रालय	2
कुल		**14**

II प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफों के मुख्य बिन्दु नीचे दिए गए हैं:

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

आलाप्पुझा कयर क्लस्टर डेवलपमेंट सोसायटी

आलाप्पुझा कयर क्लस्टर डेवलपमेंट सोसाइटी (एसीसीडीएस) का गठन केरल में कॉयर क्लस्टर के लिए औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) को लागू करने के लिए एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के रूप में किया गया था।

एसीसीडीएस द्वारा उप-एसपीवी के साथ समझौता में प्रवेश करते समय आईआईयूएस दिशानिर्देशों के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप उप-एसपीवी से ₹1.69 करोड़ के उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली नहीं हुई और ₹5.45 करोड़ की अनुदान राशि से प्राप्त परिसंपत्तियों में भारत सरकार और एसीसीडीएस के वित्तीय हितों को नुकसान पहुंचा।

(पैरा 2.1)

भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद् और निर्यात निरीक्षण एजेंसी, चेन्नई

निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए), चेन्नई की स्थापना विभिन्न खाद्य वस्तुओं के निर्यात के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 7 के तहत की गई थी।

ईआईए चेन्नई के बैंक स्टेटमेंट के साथ बैंक भुगतान वाउचर की तुलना से पता चला कि चेक निजी पार्टियों के पक्ष में जारी किए गए थे, जबकि ईआईए चेन्नई द्वारा इन निजी पार्टियों से कोई सामान या सेवाएं प्राप्त नहीं की गई थीं। इसके परिणामस्वरूप ₹21.41 करोड़ के सार्वजनिक धनराशि का गलत इस्तेमाल हुआ।

(पैरा 2.2)

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्चि

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्चि ने मसालों और मसाला उत्पादों की कटाई के बाद और प्रसंस्करण संचालन के लिए सामान्य मूलभूत ढांचा सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश भर में आठ मसाला पार्क स्थापित किए हैं।

इन मसाला पार्कों में विद्युत के लिए उच्च अनुबंध मांग अधिक निर्धारित करने और औसत विद्युत कारक को न बनाए रखने के कारण, स्पाइसेस बोर्ड ने कम विद्युत कारक के लिए जुर्माना सहित ₹2.41 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(पैरा 2.3)

फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान, चेन्नई

कार्यकारी निदेशक (ईडी), जो 26 सितंबर 2022 से 17 फरवरी 2023 के दौरान प्रतिनियुक्ति पर फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान चेन्नई में कार्यरत थे, ने फर्जी बिलों और जाली हवाई टिकटों के माध्यम से किए गए प्रतिपूर्ति दावों को मंजूरी दी। इन धोखाधड़ी और

अनुचित दावों के अलावा, अनधिकृत खरीद और बिना बिल वाले दावों को भी ईडी द्वारा अनुमोदित किया गया। अनुबंध कर्मचारियों द्वारा लिए गए अग्रिमों को ईडी के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया, जिनका निपटान अभी लंबित है। इन अनियमितताओं के परिणामस्वरूप ईडी को ₹7.69 लाख का अनुचित लाभ हुआ।

(पैरा 2.4)

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संस्थानों को विद्युत शुल्क के भुगतान में छूट के संवैधानिक प्रावधान के बावजूद, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) की गाजियाबाद इलेक्ट्रिकल डिवीजन ने मई 2011 से नवंबर 2019 की अवधि में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (यानी, डिस्कॉम) को ₹6.91 करोड़ के विद्युत शुल्क का भुगतान किया। लेखापरीक्षा (सितंबर 2022) द्वारा इंगित किए जाने पर, मंत्रालय अब डिस्कॉम के साथ मामले पर कार्यवाही कर रहा है ताकि या तो किए गए अतिरिक्त भुगतान का रिफंड प्राप्त किया जा सके या इसे आगामी विद्युत बिलों में समायोजित किया जा सके।

(पैरा 3.1)

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने कुल तीन मामलों में: कार्यान्वित किए गए लेकिन मापे न गए काम के लिए संविदाकार को अग्रिम भुगतान, सुरक्षित-अग्रिम-भुगतान और डी-एस्केलेशन राशि की वसूली के दौरान संबंधित संविदात्मक प्रावधानों का पालन नहीं किया। लेखापरीक्षा (मार्च, 2022) द्वारा इंगित किए जाने पर, सीपीडब्ल्यूडी ने ब्याज राशि सहित ₹58.17 लाख की वसूली की।

(पैरा 3.2)

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में दरों की सूची का विश्लेषण

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा निर्माण कार्यों और रखरखाव कार्यों की विस्तृत लागत का अनुमान लगाने के लिए दरों की अनुसूची (एसओआर) का उपयोग किया जाता है। यह विभिन्न निर्माण गतिविधियों और निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के लिए मानकीकृत दरें प्रदान करता है। सीपीडब्लूडी की क्षेत्रीय इकाइयों से सामग्री, श्रम और मशीनरी की बुनियादी दरें प्राप्त करने के बाद, सीपीडब्लूडी कार्य के विभिन्न मदों के लिए दरें तैयार करता है। हालांकि सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल में उल्लेख किया

गया है कि प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग एसओआर उस क्षेत्र द्वारा लागू करने के लिए तैयार किया जाना है, लेकिन व्यवहार में दिल्ली क्षेत्र के एसओआर यानी डीएसआर का उपयोग अन्य सभी क्षेत्रों द्वारा उस क्षेत्र के लागत-सूचकांक के अनुसार परिशोधित करके किया जाता है। इस कारण, डीएसआर का बहुत महत्व है क्योंकि इसका उपयोग पूरे भारत में न केवल सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है, बल्कि कई विभागों, संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा भी किया जाता है। सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल में दो वर्ष में एक बार एसओआर के परिशोधन/अद्यतन का प्रावधान है।

एसओआर इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के कार्यों की अनुमानित लागत के आधार पर, सीपीडब्ल्यूडी ने मंत्रालय को 2020-21, 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए क्रमशः ₹2,027.33 करोड़, ₹3,100.57 करोड़ और ₹4,314.08 करोड़ के बजट अनुमान भेजे। इसमें शामिल सरकारी धन की विशाल राशि को देखते हुए यह अनिवार्य हो जाता है कि बजट अनुमानों की गणना के लिए मापदंड सटीक और विश्वसनीय हों।

डीएसआर को तीन व्यापक श्रेणियों अर्थात् सिविल, इलेक्ट्रिकल और बागवानी में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, वर्तमान अध्ययन में, लेखापरीक्षा ने केवल डीएसआर (सिविल) 2021 की ही समीक्षा की है।

डीएसआर 2021 के परिशोधन/अद्यतन की लेखापरीक्षा का उद्देश्य सार्वजनिक कार्यों की लागत का अनुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली दरों की पारदर्शिता, सटीकता और विश्वसनीयता का आकलन करना था। संक्षेप में प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार थे:

- सीपीडब्ल्यूडी ने 01 अप्रैल 2021 को या उससे ठीक पहले के आधार दरों के संग्रह के लिए बाजार सर्वेक्षण नहीं किया। इसके अलावा, एसओआर में शामिल कार्य मदों की दरों की प्रतिस्पर्धात्मकता का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि एक क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई दरों की तुलना अन्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई दरों से नहीं की जा सकी।

  (पैरा 3.3.4.1)

- सीपीडब्ल्यूडी ने क्षेत्रवार एसओआर तैयार नहीं किया और सीपीडब्ल्यूडी के सभी क्षेत्र उस क्षेत्र के लागत-सूचकांक के अनुसार परिशोधित डीएसआर का उपयोग कर रहे थे।

  (पैरा 3.3.4.2)

- सीपीडब्ल्यूडी ने जीएसटी को छोड़कर सकल राशि पर संविदाकार के लाभ और ओवर्हेड (सीपी एंड ओएच) की गणना करने के बजाय जीएसटी घटक सहित सकल राशि पर लाभ और ओवर्हेड (सीपी एंड ओएच) की गणना की। इससे परियोजना की समग्र अनुमानित लागत में 1.83/2.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि जीएसटी की दर क्रमशः 12/18 प्रतिशत थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीपीडब्ल्यूडी ने परियोजना की लागत का अधिक अनुमान लगाया था और 1 जुलाई, 2017 से 31 जुलाई, 2024 की अवधि में मंत्रालय से ₹513 करोड़ के अतिरिक्त बजटीय धन प्राप्त किया था।

(पैरा 3.3.4.4)

- क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई दरों और डीएसआर में अपनाई गई दरों के बीच विसंगतियाँ थीं।

(पैरा 3.3.4.6)

- सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल में कार्यों के निष्पादन हेतु 25 प्रतिशत श्रम घटक की सीमा तय की गई है | इसके मुकाबले अनुमानों में श्रम घटक 32.43 प्रतिशत से 56.81 प्रतिशत के बीच पाए गए | हालांकि, श्रम के लिए वास्तविक भुगतान अनुमानित लागत के 7.45 प्रतिशत से 23.91 प्रतिशत तक था।

(पैरा 3.3.4.7)

अनुशंसाएँ:

1) सीपीडब्ल्यूडी को बाजार सर्वेक्षण करने के बाद एसओआर में उल्लिखित दरों का अद्यतन/परिशोधन करना चाहिए और समीक्षा एवं लेखापरीक्षा के लिए उचित अभिलेखों को रखना चाहिए।

2) सीपीडब्ल्यूडी को दिल्ली की दरों की अनुसूची को संबंधित क्षेत्र के लागत सूचकांक के साथ गुणा करने के बाद अपनाने के बजाय जैसा कि सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल में निर्धारित है, दरों की क्षेत्रवार अनुसूची तैयार करनी चाहिए।

3) कार्य के अनुमानों में वास्तविक श्रम घटक को डीएसआर के अनुसार आवश्यकता के उचित मूल्यांकन के बाद प्राप्त किया जाना चाहिए और तदनुसार श्रम की निगरानी की जानी चहिए|

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली में परियोजनाओं का प्रबंधन और कार्यान्वयन

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) का एक सम्बद्ध कार्यालय है और भारत सरकार का मुख्य इंजीनियरिंग संगठन और तकनीकी सलाहकार है। सीपीडब्ल्यूडी निर्माण और रखरखाव के कार्य करता है। निर्माण कार्य में नए कार्य, पुनर्वास और भूकंपीय सुदृढ़ीकरण कार्य शामिल है, जिसका खर्च कैपिटल मद से किया जाता है।

सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कार्यान्वित निर्माण कार्यों में आवासीय भवन, कार्यालय भवन, स्कूल, अस्पताल, राजमार्ग और फ्लाईओवर आदि शामिल हैं। निर्माण कार्य के क्रियान्वयन के दो चरण होते हैं: (क) पूर्व-निर्माण चरण - इस चरण में की जाने वाली गतिविधियां कार्यों के नियोजन से जुड़ी होती हैं और इसमें प्रारंभिक योजना की तैयारी, अनुमान की तैयारी और कार्यों के क्रियान्वयन के लिए संविदाकार का चयन शामिल होता है। (ख) निर्माण चरण - इस चरण में की जाने वाली गतिविधियां कार्यों के क्रियान्वयन से जुड़ी होती हैं और इसमें ग्राहक द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा विस्तृत अनुमान पर तकनीकी मंजूरी और सीपीडब्ल्यूडी को धन की उपलब्धता यानी ग्राहक द्वारा कार्य हेतु धन जारी करना शामिल है।

लेखापरीक्षा के दायरे में दिल्ली क्षेत्र में 2018-19 से 2020-21 के दौरान सीपीडब्ल्यूडी द्वारा शुरू की गई 34 परियोजनाओं में से नौ चयनित परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्यों की जांच शामिल है। नमूने में चार पूर्ण कार्य और पांच निर्माणाधीन कार्य शामिल हैं और मौद्रिक भागीदारी के संदर्भ में, नमूने में पूर्ण कार्य का 85.15 प्रतिशत और निर्माणाधीन कार्य का 26.64 प्रतिशत है, जो कुल कार्य का 30.47 प्रतिशत है।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य कुशल योजना तंत्र, निर्माण गतिविधियों के कुशल निष्पादन और प्रभावी निगरानी तंत्र का आकलन करना है। संक्षेप में लेखापरीक्षा की प्रमुख टिप्पणियाँ निम्नानुसार थीं:

- नियोजन एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जो निर्णय लेने और सीमित संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायता करता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनुचित अनुमानों के कारण, ऐसे कई उदाहरण थे जहां करारनामे की मदें स्वीकार्य सीमा से अधिक विचलित हो गईं या कार्यों की मदें जो पूरी तरह से नई थीं और करारनामे की मात्रा की अनुसूची में उल्लिखित मदों के अतिरिक्त थीं, उनका निष्पादन किया। सीपीडब्ल्यूडी ने संविदाकारों को प्रचलित बाजार दर पर भुगतान किया था, जिसके कारण ₹44.28 करोड़ (₹12.79 करोड़ + ₹31.49 करोड़) का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैरा 3.4.5.1)

- कार्यों के निष्पादन के दौरान, नौ चयनित कार्यों में से चार में तकनीकी प्रतिनिधि की नियुक्ति न करने के मामले देखे गए। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, सीपीडब्ल्यूडी ने दो संविदाकारों से ₹15.90 लाख का जुर्माना वसूला और शेष दो कार्यों में, लेखापरीक्षा ने करारनामे से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए यह अनुमान लगाया कि दो संविदाकारों से ₹6.21 करोड़ की राशि का जुर्माना वसूलने की अवशयकता है । दो कार्यों के संविदाकारों को मूल्य वृद्धि के कारण अधिक भुगतान करने के मामले देखे गए। चयनित कार्यों में निर्माण गतिविधियों में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के उपयोग से संबंधित पर्यावरण कानूनों का अनुपालन न करने के उदाहरण भी देखे गए।

(पैरा 3.4.5.2)

- कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल में विभिन्न उपायों को निर्धारित किया गया है जैसे कि सामग्री का परीक्षण, उच्च अधिकारियों और गुणवत्ता आश्वासन विंग द्वारा आवधिक निरीक्षण, तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण और विभिन्न रजिस्टरों और अभिलेखों को तैयार रखना। माप पुस्तिका, बाधा रजिस्टर, साइट पर सामग्री रजिस्टर, साइट ऑर्डर बुक, निरीक्षण रजिस्टर और सैद्धांतिक खपत विवरण की तैयारी जैसे रिकॉर्ड के रखरखाव में सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। इसके अलावा, एक चयनित परियोजना में तीसरे पक्ष की गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी को लगभग 20 महीने की देरी के बाद नियुक्त किया गया था।

(पैरा 3.4.5.3)

अनुशंसाएँ

1) सीपीडब्ल्यूडी को योजना के चरण में ही निर्माण स्थल की वास्तविक स्थिति, ग्राहक की आवश्यकता आदि को ध्यान में रखते हुए अनुमत सीमा से अधिक विचलन पर अतिरिक्त व्यय से बचने के लिए कार्य के अनुमान तैयार करने के लिए तंत्र को मजबूत करने पर विचार करना चाहिए।

2) सीपीडब्लूडी मैनुअल/संविदा की सामान्य शर्तों के उन प्रावधानों का अनुपालन जो तकनीकी प्रतिनिधियों की नियुक्ति से संबंधित हैं सुनिश्चित किया जाना चहिए ताकि कार्य के सभी चरणों के दौरान साइट पर कार्य के उचित पर्यवेक्षण के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

3) संविदा की सामान्य शर्तों के प्रावधानों के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी परिपत्रों/आदेशों का भी सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए ताकि किसी भी अधिक भुगतान से बचा जा सके।

4) सीपीडब्ल्यूडी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संविदाकार द्वारा जान-माल के नुकसान या क्षति को कम करने के लिए बीमा पॉलिसी प्रस्तुत करने के संबंध में करारनामे के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए।

5) रिकॉर्ड जैसे कि माप पुस्तक, बाधा रजिस्टर, साइट पर सामग्री और सीमेंट रजिस्टर, साइट ऑर्डर बुक और निरीक्षण रजिस्टर के उचित रखरखाव के लिए सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के प्रावधानों का अनुपालन कार्य के निष्पादन के दौरान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सीपीडब्ल्यूडी को कार्यों की उचित निगरानी के लिए तीसरे पक्ष की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवासों की योजना, निर्माण एवं आवंटन

राष्ट्रीय राजधानी, एक केंद्र शासित प्रदेश और 1.68 करोड़ (जनगणना 2011) की आबादी वाले दिल्ली को अपनी बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए संरचित और सतत विकास की आवश्यकता है। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अधीन गठित आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) दिल्ली के शहरी विकास का मार्गदर्शन करने वाली मास्टर योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। ये मास्टर प्लान 20 साल की अवधि के लिए तैयार किए गए हैं, जो

भूमि उपयोग, अवसंरचना, आवास और सार्वजनिक सेवाओं के लिए एक रोडमैप प्रदान करते हैं। अब तक, ऐसे तीन मास्टर प्लान, 1962, 2001 और 2021 के लिए, दिल्ली के नियोजित विकास का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार किए गए हैं। दिल्ली के लिए मास्टर प्लान (एमपीडी) 2021 में 2.3 करोड़ की आबादी का अनुमान लगाया गया है और 24 लाख अतिरिक्त आवास इकाइयों (डीयू) की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसके समाधान के लिए सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से आवास विकास को प्राथमिकता दी गई। वर्ष 2017 से 2022 के दौरान, डीडीए ने विभिन्न आर्थिक स्तर को लक्षित करते हुए 10 आवास योजनाओं की शुरुआत की, जो बिक्री या किराया-खरीद तंत्र के माध्यम से संपत्तियों का निपटान करती हैं।

लेखापरीक्षा के दायरे में 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवासों की योजना, निर्माण और आबंटन से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया गया था। इस अवधि के दौरान, कुल 12 परियोजनाएं पूर्ण हुई और 11 परियोजनाएं चल रही थीं, जिनमें से, लेखापरीक्षा ने तीन पूर्ण और तीन चल रही परियोजनाओं का चयन किया है, जिन्हें क्रमशः, ₹8,625.93 करोड़ और ₹ 1,718.99 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय मंजूरी (एए एंड ईएस) है। चयनित परियोजनाओं में पूर्ण परियोजनाओं का एए एंड ईएस 82.25 प्रतिशत तथा चालू परियोजनाओं के लिए 27.28 प्रतिशत था।

आवास हेतु योजना

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अनुसार, डीडीए का मुख्य कार्य दिल्ली का नियोजित विकास सुनिश्चित करना है। आवास के संबंध में नियोजित विकास मास्टर प्लान, जोनल प्लान और लेआउट प्लान के माध्यम से किया जाता है जो कार्यों के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। योजना विभाग इन योजनाओं को तैयार करता है, जिसमें भूमि उपयोग वितरण शामिल है, जबकि आवास और शहरी परियोजना विंग समूह आवास के लिए वास्तुकला डिजाइन को संभालता है। जोनल डेवलपमेंट प्लान, मास्टर प्लान और लेआउट प्लान के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एमपीडी 2021 और जोनल डेवलपमेंट प्लान (जेडडीपी) की तैयारी में देरी हुई। डीडीए ने एमपीडी 2021 के अनुरूप विकसित किए जाने वाले डीयू की संख्या के संबंध में अपने आंतरिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए तथा एमपीडी 2021 के कार्यान्वयन में शामिल संबंधित एजेंसियों के साथ निगरानी और समन्वय भी नहीं किया। डीडीए ने विभिन्न आवास परियोजनाओं

को अंतिम रूप देने और कार्यान्वित करने से पहले न तो सार्वजनिक आवश्यकताओं का आकलन किया और न ही बाजार अध्ययन किया। दोषपूर्ण योजना एवं विकास, उपयोगकर्ता परामर्श या मांग सर्वेक्षण के अभाव के कारण, डीडीए सार्वजनिक आवश्यकताओं और चिंताओं को संबोधित नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप फ्लैटों का निरस्तीकरण, समर्पण तथा निस्तारण नहीं किया जा सका। एमपीडी 2021 में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए डीयू के क्षेत्र पर विकास नियंत्रण मानदंडों को निर्धारित करने में विसंगति थी। दोषपूर्ण योजना के कारण लगभग 1.31 हेक्टेयर से 2.22 हेक्टेयर तक भूमि का अतिक्रमण हुआ। इस समय के दौरान, अंतिम रूप से निष्पादित होने से पहले डिजाइन को चार बार परिशोधित किया गया था। अधिकतम भूमि उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवास इकाइयों का न्यूनतम घनत्व निर्धारित नहीं किया गया था।

(पैरा 3.5.7- क)

आवासों का निर्माण

डीडीए की आवासीय आवास परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य विभिन्न श्रेणियों- जैसे एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी और ईडब्ल्यूएस के भवनों के लिए किए गए थे; जिसमें विद्युतीकरण,सड़के, पार्क आदि जैसे आंतरिक विकास कार्य भी शामिल थे। निर्माण-पूर्व चरणों के दौरान, निविदा में डाली गई अनुमानित लागत की गलत गणना और मूल्यांकन प्रक्रिया में अनियमितता के उदाहरण देखे गए। निर्माण चरण के दौरान, दो स्थानों पर, आवश्यक परिवर्तनों के कारण, 616 डीयू के निर्माण के स्थान पर, डीडीए ने भूतल पर निरर्थक (होलो) इकाइयों का निर्माण किया और संविदाकार को ₹42.82 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया। कार्य के निष्पादन के दौरान योग्य और अनुभवी तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा हेतु कोई रिकॉर्ड प्रदान नहीं किया गया था। संविदाकारों को भुगतान में अनियमितताएं पाईं गईं, जिनमें ग्रीन टैक्स पर्यावरण मुआवजा शुल्क की अनियमित प्रतिपूर्ति और क्लॉज 10 सीए और 10 सीसी के तहत वृद्धि के लिए अतिरिक्त भुगतान शामिल था।

(पैरा 3.5.7- ख)

आवासों की कीमत और बिक्री

आवास योजनाओं के माध्यम से आम जनता को बिक्री के लिए रखे गए फ्लैटों की निपटान लागत विभिन्न घटकों अर्थात निर्माण की लागत, ग्रिड शुल्क, विभागीय शुल्क, निर्माण के

दौरान ब्याज, एक मुश्त रखरखाव शुल्क, भूमि लागत (भूमि कारक सहित), अधिभार आदि पर विचार करके प्राप्त की जाती है। भूमि की लागत एमओएचयूए द्वारा अनुमोदित पूर्व-निर्धारित दरों (पीडीआर) द्वारा निर्धारित की जाती है, जबकि निर्माण की लागत की गणना प्लिंथ एरिया रेट (पीएआर) के आधार पर की जाती है। पीडीआर की गणना की समीक्षा करते हुए, लेखापरीक्षा के दौरान, दर्ज किए गए भूमि क्षेत्र में विसंगतिया एवं भूमि बिक्री से जारी राजस्व, विभिन्न गुणकों के अनुप्रयोग व लागत लाभ विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले राजस्व प्राप्ति के उपचार में असंगतता पाई गई। डीडीए लगातार किसी भी वित्तीय मानदंड या उद्देश्य के आधार पर ध्यान दिए बिना ही पीडीआर को सालाना 10 प्रतिशत बढ़ा रहा है। लंबित रिफंड मामले देखे गये, जहां कुछ रिफंड आठ साल पुराने भी थे।

(पैरा 3.5.7- ग)

आवासों का आबंटन

लेखापरीक्षा की अवधि अर्थात 2017-18 से 2021-22 के दौरान, डीडीए ने विभिन्न इलाकों में विभिन्न श्रेणी के आवासों/फ्लैटों के निपटान के लिए 10 आवास योजनाएं शुरू की। पुरानी योजनाओं में फ्लैटों के समर्पण/निरस्त करने के कारणों का समाधान किए बिना विभिन्न आवास योजनाओं में पुरानी इन्वेंट्री को बिक्री के लिए रखा गया था। योजना के तहत दिए जाने वाले फ्लैटों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना आवास योजनाओं की शुरुआत की गई थी। डीडीए वर्ष 2017 से शुरू की गई 10 आवास योजनाओं में पेश किए गए अधिकांश फ्लैटों को बेचने में सक्षम नहीं रहा। 31 मार्च, 2024 तक डीडीए के पास कुल 39,904 फ्लैट खाली पड़े थे, जिनमें से 38,576 फ्लैट (96.7 प्रतिशत) एलआईजी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट थे, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे एलआईजी/ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की लगभग ₹4,983 करोड़ की निपटान लागत राशि अवरुद्ध हो गई। डीडीए ₹78.39 करोड़ के न्यूनतम राजस्व वाले पार्किंग गैरेज की बिक्री नहीं कर सका। जिन फ्लैटों को शुरू में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के रूप में डिजाइन किया गया था, उन्हें आवास योजना 2014 और 2017 एवं विशेष आवास योजना 2021 में एलआईजी/एक बेडरूम फ्लैटों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिनमें से अधिकांश फ्लैट बिना बिके रह गए, क्योंकि आबंटियों द्वारा विभिन्न कारणों, जैसे एलआईजी श्रेणी हेतु निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप छोटे आकार, दूरस्थ क्षेत्रों में फ्लैटों का स्थित होना तथा आधारभूत अवसंरचना की अपर्याप्त उपलब्धता आदि के कारण, फ्लैटों को वापस/निरस्त कर दिया गया। संपत्तियों में अनधिकृत वाणिज्यिक गतिविधियां भी देखी गई।

(पैरा 3.5.7- घ)

आंतरिक नियंत्रण और निगरानी

आंतरिक नियंत्रण प्रबंधन द्वारा अपनाई गई नीतियों और प्रक्रियाओं के आधार पर इकाई के उद्देश्य प्राप्त करने में प्रबंधन की सहायता करते हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांच वर्षों के अंतराल पर निर्धारित समीक्षा बैठकों की तुलना में, 16 वर्षों की अवधि के दौरान केवल एक मध्यावधि समीक्षा की गई। प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) की अनुपस्थिति के कारण, डीडीए के उच्च प्रबंधन को प्रमुख मुद्दों से नियमित रूप से अवगत नहीं कराया गया और त्वरित नीतिगत निर्णय नहीं लिए जा सके। डीडीए के विभिन्न विभागों, अन्य सेवा प्रदाता एजेंसियों तथा सरकारी एजेंसियों के बीच उचित समन्वय का अभाव था। डीडीए द्वारा अपने स्वयं के नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी तीसरे पक्ष की गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी की सेवाएं नहीं ली गई थीं। आवास विभाग में अभिलेखों का अनुचित रखरखाव देखा गया। आंतरिक/बाह्य लेखापरीक्षा में उठाए गए मुद्दों का अनुपालन न करना।

(पैरा 3.5.7- च)

अनुशंसाएँ:

1. निर्धारित अवधि के अनुसार दिल्ली के मास्टर प्लान की नियमित रूप से निगरानी की जाए।

2. डीडीए अतिक्रमण को रोकने और क्षेत्र को अनधिकृत उपयोग से बचाने के लिए एक भूमि सुरक्षा प्रणाली निर्धारित और लागू करे। डीडीए समयबद्ध तरीके से निर्धारित उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू करे।

3. डीडीए दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करे और यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करे कि दिल्ली में विकास नियोजित ढांचे के अनुरूप हो।

4. दिल्ली में दुर्लभ भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम घनत्व तय किया जाए।

5. अनुमानों को उचित स्थल सत्यापन, तकनीकी अध्ययन और विकास योजना की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए।

6. डीडीए कार्य के सभी चरणों के दौरान स्थल पर कार्य के उचित पर्यवेक्षण के लिए तकनीकी प्रतिनिधियों की नियुक्तियों से संबंधित सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल/अनुबंध की सामान्य शर्तों आदि के प्रावधानों का संविदाकार द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करे।

7. डीडीए संविदाकार द्वारा अनुबंधों के प्रावधानों के साथ-साथ एस्केलेशन/ग्रीन टैक्स आदि के लिए भुगतान से संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी परिपत्र/आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करे, ताकि किसी भी अधिक भुगतान से बचा जा सके।

8. भूमि की पूर्व-निर्धारित दर की गणना के लिए लागत लाभ विश्लेषण का संचालन करते समय, भूमि की बिक्री से लागत, भूमि का क्षेत्र, राजस्व प्राप्तियों आदि के सभी तत्वों का उचित मूल्यांकन किया जाए ताकि भूमि स्टॉक से भूमि की बिक्री और संबंधित बिक्री प्राप्ति का समायोजन सुनिश्चित किया जा सके।

9. डीडीए निर्धारित समय के भीतर वापस किए गए फ्लैटों के असफल आवेदकों और मालिकों को लंबित रिफंड मामलों को निपटाने का प्रयास कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए, आवेदकों से वैकल्पिक संपर्क संख्या/ईमेल आईडी और अद्यतन पता प्राप्त किया जाए।

10. उपभोक्ता के लिए उचित लागत सुनिश्चित करने के लिए डीडीए द्वारा अपनाई गई लागत पद्धति, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के ओवरहेड्स की चार्जिंग भी शामिल है, की समीक्षा की जाए।

11. डीडीए पहले की आवासीय योजनाओं में जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के बाद आबंटन के लिए पुराने फ्लैटों को फिर से शुरू करना सुनिश्चित कर सकता है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि नई आवास योजनाओं में आवासों के निर्माण/शुभारंभ के दौरान भी इसी तरह की समस्याओं का समाधान किया जाए।

12. डीडीए यह सुनिश्चित करे कि ईडब्ल्यूएस आवास के लिए आरक्षित निधि का उपयोग विशेष रूप से ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के निर्माण के लिए किया जाए न कि किसी अन्य प्रकार के फ्लैटों के लिए।

13. डीडीए खाली गैरेज का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करे और अनधिकृत वाणिज्यिक गतिविधियों को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण करे।

14. डीडीए को सभी निर्धारित अभिलेखों को बनाए रखना चाहिए और उनकी पूर्णता, सटीकता, समय पर अद्यतन और उचित रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए। सभी विवरणों

और वर्तमान स्थिति के साथ फ्लैटों का एक व्यापक डेटाबेस भी बनाए रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, अभिलेखों के महत्व, उम्र और मात्रा को ध्यान में रखते हुए, डीडीए को अपने अभिलेखों के डिजिटलीकरण को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए।

15. डीडीए अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ अपने स्वयं के विभागों के साथ समन्वय और सहयोग के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करे । एक प्रभावी तंत्र भी विकसित किया जाए जहां डीडीए और अन्य सरकारी एजेंसियों के बीच सभी लंबित मुद्दों का निपटारा किया जाता है।

16. डीडीए को आवास गतिविधियों की प्रभावी आंतरिक निगरानी के लिए प्रभावी प्रबंधन सूचना प्रणाली को लागू करने की आवश्यकता है और आंतरिक लेखापरीक्षा तथा अन्य लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए जोखिम क्षेत्रों पर भी कार्य करना चाहिए।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

कयर उद्योग के विकास के लिए कयर बोर्ड की गतिविधियाँ

कयर बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना 1954 में भारत सरकार (जीओआई) द्वारा कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (अधिनियम) के तहत कयर उद्योग के विकास के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि में स्थित है और इसके सात क्षेत्रीय कार्यालय, पाँच उप-क्षेत्रीय कार्यालय, दो प्रशिक्षण संस्थान और 30 शोरूम देश भर में फैले हुए हैं।

लेखापरीक्षा में बोर्ड की गतिविधियों में विभिन्न कमियां पाई गईं, जैसे कि राष्ट्रीय कयर नीति और राष्ट्रीय कयर मिशन को अंतिम रूप न दिया जाना तथा बोर्ड के पास कयर उद्योग का अद्यतन डाटाबेस न होना। बोर्ड की घरेलू बाजार संवर्धन और निर्यात बाजार संवर्धन गतिविधियों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू व्यापार शो में भागीदारी से प्राप्त परिणामों और आउटपुट की निगरानी नहीं की गई और व्यापार आयोजनों में भागीदारी में दिशानिर्देशों/नियमों का उल्लंघन हुआ। बोर्ड के शोरूमों ने लक्षित बिक्री का केवल 40 प्रतिशत ही हासिल किया और 2018-23 के दौरान घाटे में रहे। अपात्र इकाइयों को ₹4.52 करोड़ की प्रदर्शन आधारित बाजार विकास सहायता जारी की गई।

बोर्ड नौ अनुसंधान परियोजनाएं पूरी नहीं कर सका तथा 13 पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का व्यवसायीकरण नहीं कर सका। बोर्ड द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केन्द्रों ने टिकाऊ बुनियादी

ढांचे और उत्पाद विकास के लिए अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं किए। दिशानिर्देशों के अनुसार कयर क्षेत्र में एसएफयूआरटीआई और पीएमईजीपी जैसी भारत सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई।

(पैरा 4.1)

अनुशंसाएँ:

1) मंत्रालय प्रशासन और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए बोर्ड का पुनर्गठन करे और बोर्ड रणनीतिक दिशा-निर्देश प्रदान करने, कयर उद्योग का सर्वेक्षण पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कयर नीति को अंतिम रूप दे।

2) घरेलू व्यापार मेलों में भागीदारी/आयोजन के लिए दिशानिर्देशों और सामान्य वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और मजबूत किया जाए।

3) बोर्ड शोरूमों को कयर उत्पादों की आपूर्ति करने वाली कयर उद्योग इकाइयों की संख्या बढ़ाने के लिए पहल करे तथा शोरूमों की बिक्री में सुधार के लिए विपणन रणनीति का अनुपालन सुनिश्चित करे।

4) बोर्ड अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित करे ताकि परियोजनाओं का समय पर पूरा होना और उनका व्यावसायीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

5) बोर्ड यह सुनिश्चित करे कि क्लस्टर प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए और भूमि की व्यवस्था कर ली जाए। बोर्ड परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना और मूल्यांकन अध्ययन भी करे ।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (ई-पीएमयूवाई)

प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक डी-डुप्लीकेशन सुनिश्चित करने तथा प्रति परिवार एकाधिक एलपीजी कनेक्शनों को रोकने के लिए महिला लाभार्थियों को परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की आधार संख्या उपलब्ध कराना अनिवार्य था। 2016 और 2021 में एमओपीएनजी द्वारा इस आदेश को सुदृढ़ करने के बावजूद, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने केवल एक

सदस्य के आधार को जोड़कर एमओपीएनजी के निर्देशों से विचलन किया (मार्च 2018), जिससे डी-डुप्लीकेशन कमजोर हुआ और डुप्लिकेट और अयोग्य एलपीजी कनेक्शन का जोखिम बढ़ गया। लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि 4.28 करोड़ (87 प्रतिशत) एलपीजी कनेक्शन पूरे परिवार के आधार से जोड़े बिना जारी किए गए थे, जिससे डी-डुप्लीकेशन का दायरा सीमित हो गया।

(पैरा 5.1.8.1.1)

2019 की सीएजी प्रतिवेदन संख्या 14 में बताया गया है कि पीएमयूवाई योजना के तहत 42.3 प्रतिशत एलपीजी कनेक्शन केवल लाभार्थी के आधार पर जारी किए गए थे। परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का आधार विवरण एकत्र करने की सिफारिशों के बावजूद, तेल विपणन कंपनियों ने केवल एक अतिरिक्त आधार जोड़कर आंशिक रूप से इसका अनुपालन किया। परिणामस्वरूप, 2.14 करोड़ (89.12 प्रतिशत) कनेक्शन अपर्याप्त रूप से डी-डुप्लीकेट रह गये। अनुवर्ती लेखापरीक्षा से पता चला कि न्यूनतम अतिरिक्त आधार सीडिंग से भी 2,60,483 डुप्लिकेट कनेक्शनों की पहचान हो गई।

(पैरा 5.1.8.1.3)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिल्ली में जारी किए गए 33,749 (46 प्रतिशत) एलपीजी कनेक्शनों में, आधार विवरण केवल लाभार्थी या एक अतिरिक्त पारिवारिक सदस्य के लिए ही जोड़ा गया था, जबकि राशन कार्डों में परिवार के सदस्यों की संख्या 3 से 16 दर्शाई गई थी, जिससे आधार जोड़ने की प्रक्रिया सीमित हो गई और डी-डुप्लीकेशन की प्रक्रिया कमजोर हो गई।

(पैरा 5.1.8.2.1)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन स्तरीय डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया अर्थात इंट्रा-ओएमसी, इंटर ओएमसी और एनआईसी स्तर, जिसमें आधार संख्या, राशन कार्ड संख्या, बैंक खाता संख्या और एएचएल टीआईएन जैसे कई मापदंडों को डी-डुप्लीकेट किया गया था, के बावजूद ओएमसी द्वारा आधार पर 1.64 लाख डुप्लिकेट एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए। इसके अलावा, एचपीसीएल ने समान 14,894 मोबाइल नंबरों पर 29,796 एलपीजी कनेक्शन जारी किए।

(पैरा 5.1.8.3.1 एवं 5.1.8.3.2)

योजना के दिशा-निर्देशों में मौजूदा एलपीजी कनेक्शन वाले परिवारों की महिलाओं को पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शन जारी करने पर स्पष्ट रूप से रोक लगाई गई है। हालांकि, ओएमसी के डी-डुप्लीकेशन डेटा से पता चला कि 5,50,446 पीएमयूवाई कनेक्शन उन लाभार्थियों को जारी किए गए थे जिनके परिवारों के पास पहले से ही गैर-पीएमयूवाई कनेक्शन थे, जो डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया में कमियों को उजागर करता है। अयोग्य पीएमयूवाई कनेक्शनों को रद्द करने के बजाय, ओएमसी ने पीएमयूवाई दिशानिर्देशों से हटकर अपनी स्वयं की कार्यप्रणाली तैयार की और ऐसे कनेक्शनों को नियमित कर दिया तथा पुराने गैर-पीएमयूवाई कनेक्शनों को अवरुद्ध कर दिया।

(पैरा 5.1.8.3.3)

पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए केवल महिलाएं ही पात्र होने के बावजूद, लेखापरीक्षा ने एचपीसीएल और बीपीसीएल के सॉफ्टवेयर में लिंग सत्यापन नियंत्रण में अप्रभाविता देखी, जिसके परिणामस्वरूप 2,141 एलपीजी कनेक्शन पुरुषों को जारी किए गए। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए दिए गए राशन कार्ड नंबर निर्धारित मानकों के अनुसार सत्यापित नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप 5.18 करोड़ में से 1,46,272 एलपीजी कनेक्शन अमान्य राशन कार्ड के आधार पर जारी किए गए। इसी प्रकार, अप्रभावी सत्यापन के कारण, पांच राज्यों में एएवाई लाभार्थियों के लिए विशेष रूप से निर्धारित 2,61,169 एलपीजी कनेक्शन गैर-एएवाई राशन कार्ड धारक व्यक्तियों को जारी कर दिए गए।

(पैरा 5.1.8.4.1, 5.1.8.4.2 & 5.1.8.4.3)

यद्यपि योजना के दिशा-निर्देशों में यह अनिवार्य किया गया है कि एलपीजी कनेक्शन को महिला लाभार्थी के स्वयं के बैंक खाते से जोड़ा जाए, परन्तु लेखापरीक्षा में 5.09 लाख मामले (1.80%) ऐसे पाए गए, जहां लाभार्थियों के नाम संबंधित बैंक खाते के नाम से मेल नहीं खाते थे। सब्सिडी हस्तांतरण आंकड़ों के आगे विश्लेषण से पता चला कि 57.49 लाख लाभार्थियों की सब्सिडी लंबित थी। इसके अतिरिक्त, दो वर्षों से अधिक समय तक हस्तांतरण न होने के कारण ₹209.40 करोड़ की सब्सिडी समाप्त हो गई, जिससे लाभार्थी अपने हक की सहायता से वंचित हो गए।

(पैरा 5.1.8.5.1 एवं 5.1.8.5.3)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एलपीजी रिफिल वितरण के लिए निर्दिष्ट अधिकतम सात दिनों की अवधि के विपरीत, 243.19 लाख रिफिल में से 49.50 लाख रिफिल 30 दिनों से अधिक की देरी से वितरित किए गए। लेखापरीक्षा में खपत के 1,62,247 मामले भी पाए गए, जिनमें रिफिल की खपत 15 रिफिल की निर्धारित वार्षिक सीमा से अधिक थी।

(पैरा 5.1.8.7 एवं 5.1.8.8.3)

पीपीएसी पीएमयूवाई दावों की पुष्टि करने और प्रतिपूर्ति की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है। लेखापरीक्षा ने इसकी भूमिका में महत्वपूर्ण कमियां देखी क्योंकि पीपीएसी की डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया संपूर्ण एलपीजी डाटाबेस के बजाय पीएमयूवाई/ई-पीएमयूवाई कनेक्शन तक सीमित थी। यद्यपि पीपीएसी ने 4.07 लाख डुप्लिकेट कनेक्शनों की पहचान की और ₹65.10 करोड़ अस्वीकृत कर दिए, लेकिन इनमें से केवल 3,315 कनेक्शन ही ओएमसी द्वारा समाप्त किए गए।

(पैरा 5.1.8.9.1)

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने अप्रैल से जून 2020 तक (बाद में दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया) पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए मुफ्त एलपीजी सिलेंडर की घोषणा की, जिसमें 8.02 करोड़ लाभार्थियों के लिए ₹13,500 करोड़ का अनुमानित वित्तीय प्रभाव था। तेल विपणन कंपनियों को रिफिल की पूरी लागत लाभार्थियों के बैंक खातों में अग्रिम रूप से हस्तांतरित करनी थी, तथा दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त तौर-तरीके अपनाने थे। हालाँकि, इस योजना में लाभार्थियों द्वारा रिफिल बुक न कराने की स्थिति में अग्रिम राशि की वसूली का प्रावधान नहीं था। परिणामस्वरूप, दिसंबर 2020 तक अग्रिम भुगतान के रूप में ₹366.66 करोड़ अप्रयुक्त रह गए, जो योजना के कार्यान्वयन ढांचे में कमी को दर्शाता है।

(पैरा 5.1.8.9.2)

अनुशंसाएँ:

1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तेल विपणन कंपनियों को निर्देश दे सकता है कि वे परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के आधार नंबरों को अनिवार्य रूप से जोड़ना सुनिश्चित करें। अपर्याप्त आधार से जोड़ने वाले कनेक्शनों की पूर्वव्यापी समीक्षा करके अपात्र या दोहरे लाभार्थियों

की पहचान की जा सकती है, और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

2) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तेल विपणन कंपनियों को निर्देश दे सकता है कि वे अपने एलपीजी डेटाबेस को राज्य/एनआईसी राशन कार्ड डेटाबेस के साथ एकीकृत करें ताकि योजना दिशानिर्देशों के अनुसार परिवार संरचना का वास्तविक समय पर सत्यापन किया जा सके।

3) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तेल विपणन कंपनियों को निर्देश दे कि वे तेल विपणन कंपनियों के बीच निर्बाध प्रति-सत्यापन के लिए डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया को मजबूत करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी आधार-जुड़े एलपीजी कनेक्शनों को वास्तविक समय में छांटा जाए और डुप्लीकेशन के लिए चिह्नित किया जाए।

4) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तेल विपणन कंपनियों को राशन कार्ड तरीके, सामान्य इनपुट नियंत्रण आदि जैसी योजना पद्धतियों के अनुरूप आईटी नियंत्रण और सॉफ्टवेयर सत्यापन को मजबूत करने का निर्देश दे ताकि अपात्र एलपीजी कनेक्शन जारी होने से रोका जा सके। तेल विपणन कंपनियां लाभार्थियों के नामांकन के समय राशन कार्ड के वास्तविक समय सत्यापन के लिए राज्य सरकार के डेटाबेस के साथ एकीकरण की संभावना तलाशे और अवैध प्रविष्टियों का स्वतः पता लगाने की व्यवस्था भी लागू करे।

5) तेल विपणन कंपनियां पूर्व-स्थापना निरीक्षण रिपोर्ट और स्थापना प्रमाण-पत्र की अनुपलब्धता के लिए डेटाबेस की समीक्षा करे और जिन घरों में ये दस्तावेज अनुपलब्ध हैं, वहां निःशुल्क सुरक्षा निरीक्षण करे ।

6) मानदंडों के सख्त अनुपालन द्वारा सेवा वितरण में गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है।

7) मंत्रालय पीपीएसी को योजना के उद्देश्यों और उसकी ज़िम्मेदारियों और डुप्लिकेट एलपीजी कनेक्शनों से प्राप्त अनुचित लाभ की वसूली के बारे में संवेदनशील करे। इसके अलावा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सब्सिडी लीकेज से बचने और लाभार्थियों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए, पीपीएसी द्वारा चिह्नित प्रत्येक कनेक्शन पर की गई कार्रवाई की पुष्टि करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को निर्देश दे।

8) मंत्रालय डीबीटीएल के अंतर्गत एलपीजी रिफिल पर पीएमयूवाई लाभार्थियों को अर्जित सब्सिडी से अप्राप्य पीएमजीकेवाई अग्रिम को समायोजित करने के लिए एक तंत्र पर विचार और विकास करे ।

वस्त्र मंत्रालय

संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

वस्त्र मंत्रालय की संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) की 2016-17 से 2023-24 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा से निम्नलिखित बातें उजागर हुईं:

- यद्यपि योजना के दिशा-निर्देशों में योजना के कार्यान्वयन से संबंधित संपूर्ण कार्यप्रवाह को आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से करने की परिकल्पना की गई थी, लेकिन संयुक्त निरीक्षण के बाद सब्सिडी के दावों को हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और भौतिक फाइल) पर संसाधित किया गया, जिससे पता चला कि योजना अभी तक पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं हुई है।

(पैरा 6.1.4.1)

- व्यय वित्त समिति की सिफारिश के बावजूद टीयूएफएस के पिछले संस्करणों के प्रति प्रतिबद्ध देनदारियों का समाधान नहीं किया जा सका।

(पैरा 6.1.4.2)

- जनवरी 2025 तक टीयूएफएस के पिछले संस्करणों के तहत कुल 8,453 चल रहे मामलों में से केवल छः प्रतिशत का ही मंत्रालय द्वारा निपटारा किया गया था। जिन मामलों में बैंकों ने निर्धारित दस्तावेज अपलोड किए थे, उनमें से केवल 42 प्रतिशत में ही संयुक्त निरीक्षण पूरा किया जा सका।

(पैरा 6.1.4.3)

- दावों के निपटान के सभी चरणों में देरी हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा देरी आवेदकों द्वारा संयुक्त निरीक्षण के लिए अनुरोध करने, संयुक्त निरीक्षण करने और चालान जारी करने में लगने वाले समय के कारण हुई। चालान जारी होने के बाद सब्सिडी जारी करने में भी 31 प्रतिशत मामलों में औसतन 54 दिनों का विलंब पाया गया।

(पैरा 6.1.4.4)

- टीयूएफएस पर पिछली सीएजी रिपोर्ट (वर्ष 2015 की संख्या 52) के प्रस्तुत होने के लगभग नौ वर्ष बीत जाने के बाद भी, कुल 571 मामलों में से 144 मामलों (25 प्रतिशत)

में लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई राशि (₹111.02 करोड़) में से केवल ₹28.80 करोड़ (26 प्रतिशत) की वसूली हो सकी।

(पैरा 6.1.4.6)

- एटीयूएफएस के अंतर्गत, ₹5,151 करोड़ के कुल प्रावधान के सापेक्ष ₹2,094 करोड़ (41 प्रतिशत) की सब्सिडी जारी की गई। 2016-17 और 2019-20 के बीच शुरुआती चार वर्षों में एटीयूएफएस की गति धीमी रही क्योंकि इस अवधि के दौरान केवल ₹220 करोड़ की सब्सिडी जारी की गई, जो आठ वर्षों की अवधि में जारी कुल सब्सिडी का 10.51 प्रतिशत थी।

(पैरा 6.1.5.1)

- मार्च 2024 तक, नौ वर्षों की अवधि में 8,820 आवेदनों के निपटारे के परिणामस्वरूप निवेश का लक्ष्य केवल 48 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ था। इसके अलावा, मार्च 2024 तक रोज़गार सृजन का लक्ष्य केवल 24 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ।

(पैरा 6.1.5.2)

- आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर के 14,389 विशिष्ट पहचान संख्याओं (यूआईडी) के डेटा के लेखापरीक्षा विश्लेषण में कई विसंगतियां सामने आईं, जैसे कि यूआईडी सृजन की तिथि सावधि ऋण की स्वीकृति की तिथि से पहले होना, संयुक्त निरीक्षण अनुरोध की तिथि सावधि ऋण की स्वीकृति की तिथि से पहले होना, अनुरोध से पहले संयुक्त निरीक्षण किया जाना, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का संयुक्त निरीक्षण करने की तिथि से पहले अपलोड किया जाना, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड किए बिना चालान अपलोड करना, तथा चालान की तिथि से पहले सब्सिडी जारी करना।

(पैरा 6.1.6.3)

अनुशंसाएँ:

1) मंत्रालय पूर्ववर्ती टीयूएफएस के योग्य मामलों के प्रति प्रतिबद्ध देयताओं का शीघ्रता से आकलन करे तथा आगे की जटिलताओं से बचने के लिए समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करे।

2) मंत्रालय योजना कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण में हुए अत्यधिक विलम्ब के कारणों का विश्लेषण करे तथा लंबित दावों के निस्तारण में तीव्रता लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे।

3) मंत्रालय योजना के अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति न होने के कारणों की पहचान करे तथा रोजगार और निवेश के लक्षित स्तर को अधिकतम सीमा तक प्राप्त करने के लिए लंबित मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे।

4) मंत्रालय सब्सिडी का खंडवार विश्लेषण करे और परिधान जैसे उच्च रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रों में सब्सिडी के कम प्रवाह के कारणों की पहचान करे तथा उचित कार्रवाई करे।

5) व्यापार सुगमता के उद्देश्य को प्राप्त करने और सब्सिडी जारी करने में अनावश्यक विलम्ब से बचने के लिए मंत्रालय आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर में आवश्यक सुधार/संशोधन करने पर विचार करे। मंत्रालय लेखापरीक्षा द्वारा इंगित आंकड़ों में विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुधार भी सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त, जब भी असंगत आंकड़े दर्ज किए जाएँ, तो सॉफ्ट अलर्ट जारी करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

पर्यटन मंत्रालय

पर्यटन मंत्रालय ने 'हुनर से रोजगार तक' कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को ₹1.35 करोड़ की धनराशि जारी की। तथापि, न तो प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए गए/संचालित किए गए, न ही अव्ययित राशि वापस की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.20 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध हो गई तथा ₹1.43 करोड़ के ब्याज की हानि भी हुई।

(पैरा 7.1)

पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना

पर्यटन मंत्रालय द्वारा 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' योजना के अंतर्गत स्वीकृत चयनित परियोजनाओं के अभिलेखों की जांच से निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

- मंत्रालय ने दो अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत एक ही झील (डल झील) पर दो ध्वनि एवं प्रकाश शो को मंजूरी दी। पहले से स्वीकृत शो का स्थान जुलाई 2018 में बदलकर निगीन झील कर दिया गया, जबकि अगस्त 2017 तक 60 प्रतिशत धनराशि के उपयोग के साथ 80 प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल कर ली गई थी। तथापि, डल झील से निगीन झील तक सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की मंजूरी की आवश्यकता थी, जो प्राप्त नहीं हो सकी, जिसके परिणामस्वरूप मंत्रालय द्वारा परियोजना को बंद कर दिया गया। इस प्रकार, परियोजना पर किया गया ₹3.08 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय व्यर्थ हो गया।

- 'दीव किले में ध्वनि एवं प्रकाश शो' परियोजना के लिए स्वीकृति आदेश के अनुसार, परियोजना को आठ महीने के भीतर अर्थात अक्टूबर 2015 तक चालू किया जाना था। हालाँकि, यह परियोजना दो साल के विलंब के बाद अक्टूबर 2017 में आईटीडीसी द्वारा पूरी की गई। इसके अलावा, परियोजना के पूरा होने के बाद, दीव प्रशासन फरवरी 2019 तक शो की गुणवत्ता और प्रदर्शन के संबंध में आईटीडीसी को बार-बार अपनी टिप्पणियां बताता रहा। इसके परिणामस्वरूप शो को दीव प्रशासन को सौंपने में विलंब हुआ। इसके अलावा, दीव प्रशासन ने प्रतिबद्धता दी थी कि वह शो के पूरा होने के बाद इसका प्रबंधन और संचालन करेगा। हालाँकि, दीव प्रशासन द्वारा शो को अपने अधीन लेने (अगस्त 2021) के तुरंत बाद, इसमें तकनीकी खराबी आ गई, प्रोजेक्टर क्षतिग्रस्त हो गया और जून 2022 से इसका संचालन बंद हो गया। इसके परिणामस्वरूप परियोजना पर ₹4.89 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।
- पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण (तिरुवनंतपुरम) गोल्फ क्लब, केरल में गोल्फ कोर्स के उन्नयन के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी (मार्च 2017)। हालाँकि, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह परियोजना योजना के अंतर्गत सहायता के लिए स्वीकार्य नहीं थी। अप्रैल 2023 में मंत्रालय ने परियोजना को बंद करने का निर्णय लिया और भारतीय खेल प्राधिकरण को ब्याज सहित जमा धनराशि वापस करने को कहा। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा ₹1.69 करोड़ की शेष राशि तथा ₹47.37 लाख का ब्याज अभी तक वापस नहीं किया गया है।
- कार्यान्वयन एजेंसी, अर्थात भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आईटीडीसी) ने पाँच परियोजनाओं से संबंधित ₹17.72 करोड़ की अव्ययित राशि केंद्रीय नोडल एजेंसी के बैंक खाते में जमा कर दी (दिसंबर 2022)। हालाँकि, सामान्य वित्त नियम, 2017 के नियम 230(8) का उल्लंघन करते हुए, आईटीडीसी द्वारा अव्ययित राशि पर ₹2.10 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया।

(पैरा 7.2)

अध्याय-I: प्रस्तावना

1.1 इस रिपोर्ट के बारे में

अनुपालन लेखापरीक्षा से तात्पर्य लेखापरीक्षित संस्थाओं के व्यय, प्राप्तियों, परिसंपत्तियों और देनदारियों से संबंधित लेन-देन की जांच से है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या भारत के संविधान के प्रावधानों और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी लागू विधियों, नियमों, विनियमों, आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है और साथ ही इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेक और प्रभावशीलता का निर्धारण किया जा सके।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की ओर से अनुमोदित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की जाती है। ये मानक वे मानदंड निर्धारित करते हैं जिनका लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा के संचालन में पालन करने की अपेक्षा की जाती है तथा अननुपालन के व्यक्तिगत मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षित संस्थाओं के वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में मौजूद कमजोरियों पर रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष/टिप्पणियां कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा ऐसी नीतियां और प्रक्रियाएं तैयार करने में सक्षम बनाने योग्य होनी चाहिए, जिनसे संगठनों के प्रबंधन में सुधार हो सके और इस प्रकार बेहतर शासन में योगदान मिल सके।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा की योजना और सीमा को समझाने के अलावा, **अनुलग्नक-I** में सूचीबद्ध आर्थिक और सेवा मंत्रालयों/विभागों[1] के व्यय और उनके वित्तीय प्रबंधन का संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करता है। अध्याय II से VII में आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों/विभागों तथा उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न निष्कर्ष/अभ्युक्तियाँ प्रस्तुत की गई हैं।

1.2 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा और संसद को रिपोर्ट करने का अधिकार क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971

[1] ***सीएजी कार्यालय के वाणिज्यिक विंग के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत।***

(अधिनियम) से प्राप्त होता है। सीएजी अधिनियम की धारा[2] 13 और धारा[3] 17 के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा करता है।

संसद द्वारा बनाई गई विधि के अंतर्गत या उसके द्वारा स्थापित निकायों, जिनमें सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं, को अधिनियम की धारा[4] 19(2) के अंतर्गत वैधानिक रूप से लेखापरीक्षा के लिए लिया जाता है। अधिनियम की धारा[5] 20(1) के अंतर्गत जनहित में अन्य संगठनों (निगमों या सोसायटियों) की लेखापरीक्षा का कार्य सीएजी को सौंपा जा सकता है। इसके अलावा, निकाय या प्राधिकरण, जो भारत की समेकित निधि से अनुदान/ऋण द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित होते हैं, उनका लेखापरीक्षण अधिनियम की धारा[6] 14(1) के प्रावधानों के अंतर्गत सीएजी द्वारा किया जाता है।

आर्थिक और सेवा मंत्रालयों के अंतर्गत स्वायत्त निकाय, जिनकी अधिनियम की धारा 19(2) और 20(1) के अंतर्गत सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है, **अनुलग्नक-II** में सूचीबद्ध हैं।

1.3 लेखापरीक्षा की योजना और संचालन

अनुपालन लेखापरीक्षा, सीएजी द्वारा प्रख्यापित लेखापरीक्षा मानकों में प्रतिपादित सिद्धांतों और प्रथाओं के अनुसार की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया, समग्र रूप से मंत्रालय/विभाग तथा उसके अंतर्गत आने वाली प्रत्येक इकाई के जोखिम के आकलन के साथ शुरू होती है, जो किए गए व्यय, उसकी गतिविधियों की गंभीरता/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रणों के आकलन तथा हितधारकों की चिंताओं पर आधारित होती है। इस अभ्यास में पिछले

---

[2] (i) भारत की संचित निधि से सभी व्यय, (ii) आकस्मिकता निधि और सार्वजनिक लेखों से संबंधित सभी लेनदेन और (iii) सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ और हानि खाते, बैलेंस शीट और अन्य सहायक लेखों की लेखापरीक्षा।

[3] संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों और स्टॉक के लेखों का लेखापरीक्षण और उसके बारे में रिपोर्ट।

[4] संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित निगमों (जो कंपनियां नहीं हैं) के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों का पालन और प्रयोग उसके द्वारा संबंधित विधियों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

[5] जहां किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के तहत या उसके द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को नहीं सौंपी गई है, वहां यदि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है, तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा करेगा।

[6] जहां किसी निकाय या प्राधिकरण को भारत या किसी राज्य या विधान सभा वाले किसी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से अनुदान या ऋण द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है, वहां नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, निकाय या प्राधिकरण पर लागू किसी समय प्रवृत्त कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उस निकाय या प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा करेगा और अपने द्वारा लेखापरीक्षित प्राप्तियों और व्यय पर रिपोर्ट करेगा।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर भी विचार किया जाता है। इस जोखिम मूल्यांकन के आधार पर, लेखापरीक्षा की आवृत्ति और सीमा तय की जाती है। इसके बाद ऐसे जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है। चयनित/नियोजित इकाइयों की लेखापरीक्षा पूरी होने के बाद, लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाली निरीक्षण रिपोर्टें इकाइयों के प्रमुखों को जारी की जाती हैं। इकाइयों से अनुरोध किया जाता है कि वे निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के एक माह के भीतर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उत्तर प्रस्तुत करें। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, तो लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटारा कर दिया जाता है या अनुपालन के लिए आगे की कार्रवाई की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण रिपोर्टों से उत्पन्न महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के प्रमुखों को उनकी टिप्पणियों के लिए मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफ के रूप में अलग से जारी की जाती हैं और सीएजी की रिपोर्टों में शामिल करने के लिए संसाधित की जाती हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती हैं।

1.4 बजट और व्यय

आर्थिक और सेवा मंत्रालयों/विभागों (जहां भी लागू हो) के संबंध में रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 और पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान बजट और व्यय[7] की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका 1.1 में दी गई है।

तालिका 1.1: आर्थिक और सेवा मंत्रालयों/विभागों का बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

	वर्ष	बजट (अनुदान/ विनियोजन)	वास्तविक व्यय	खर्च न किया गया अप्रयुक्त बजट	अप्रयुक्त *बजट का प्रतिशत*
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय					
रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग	**2023-24**	**677.66**	**578.87**	**98.79**	**14.58**
	2022-23	209.01	143.96	65.05	31.12
नागरिक उड्डयन मंत्रालय	**2023-24**	**3,798.56**	**2,757.40**	**1,041.16**	**27.41**
	2022-23	10,677.03	9,321.53	1,355.50	12.70
कोयला मंत्रालय	**2023-24**	**642.32**	**604.95**	**37.37**	**5.82**
	2022-23	547.89	497.06	50.83	9.27
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय					
वाणिज्य विभाग	**2023-24**	**6,059.46**	**6,032.80**	**26.65**	**0.44**
	2022-23	7,198.02	7,081.02	117.00	1.63

[7] *संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे।*

	वर्ष	बजट (अनुदान/ विनियोजन)	वास्तविक व्यय	खर्च न किया गया अप्रयुक्त बजट	*अप्रयुक्त बजट का प्रतिशत*
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	**2023-24**	**8,211.33**	**6,362.06**	**1,849.27**	**22.52**
	2022-23	8,646.79	5,956.15	2,690.64	31.12
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	**2023-24**	**776.19**	**610.79**	**165.40**	**21.31**
	2022-23	753.03	588.69	164.34	21.82
वित्त मंत्रालय					
वित्तीय सेवा विभाग	**2023-24**	**12,681.88**	**12,557.56**	**124.32**	**0.98**
	2022-23	7,436.92	3,337.71	4,099.21	55.12
निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग	**2023-24**	**94.92**	**53.53**	**41.39**	**43.61**
	2022-23	290.42	178.89	111.53	38.40
सार्वजनिक उद्यम विभाग	**2023-24**	**34.75**	**30.65**	**4.10**	**11.80**
	2022-23	183.00	181.18	1.82	0.99
भारी उद्योग मंत्रालय	**2023-24**	**6,415.85**	**4,913.27**	**1,502.58**	**23.42**
	2022-23	3,306.03	2,712.54	593.49	17.95
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय	**2023-24**	**80,922.82**	**72,527.31**	**8,395.51**	**10.37**
	2022-23	79,013.09	77,616.68	1,396.41	1.77
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	**2023-24**	**22,138.01**	**22,094.17**	**43.84**	**0.20**
	2022-23	23,728.23	23,583.89	144.34	0.61
खान मंत्रालय	**2023-24**	**3,133.04**	**3,119.07**	**13.97**	**0.45**
	2022-23	1,759.95	1,745.09	14.86	0.84
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	**2023-24**	**50,224.59**	**17,267.96**	**32,956.63**	**65.62**
	2022-23	34,443.56	30,912.71	3,530.85	10.25
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	**2023-24**	**2,921.56**	**2,789.77**	**131.79**	**4.51**
	2022-23	2,352.26	2,130.33	221.93	9.43
विद्युत मंत्रालय	**2023-24**	**23,779.02**	**19,648.58**	**4,130.44**	**17.37**
	2022-23	18,444.25	10,233.55	8,210.70	44.52

	वर्ष	बजट (अनुदान/ विनियोजन)	वास्तविक व्यय	खर्च न किया गया अप्रयुक्त बजट	*अप्रयुक्त बजट का प्रतिशत*
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	**2023-24**	**3,44,827.06**	**3,44,267.84**	**559.22**	**0.16**
	2022-23	4,32,581.08	4,28,995.09	3,585.99	0.83
इस्पात मंत्रालय	**2023-24**	**70.16**	**51.87**	**18.29**	**26.07**
	2022-23	57.72	46.04	11.68	20.24
वस्त्र मंत्रालय	**2023-24**	**4,389.41**	**3,059.22**	**1,330.19**	**30.30**
	2022-23	12,388.69	3,379.22	9,009.47	72.72
पर्यटन मंत्रालय	**2023-24**	**2,400.00**	**810.14**	**1,589.86**	**66.24**
	2022-23	2,405.27	708.52	1,696.75	70.54
योग	**2023-24**	**5,74,198.59**	**5,20,137.81**	**54,060.78**	**9.41**
	2022-23	6,46,422.24	6,09,349.85	37,072.39	5.73

(स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए भारत सरकार के विनियोग लेखे)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- 2023-24 के दौरान भारत सरकार के उपरोक्त मंत्रालयों/विभागों का कुल व्यय ₹5,20,137.81 करोड़ था, जबकि 2022-23 में यह ₹6,09,349.85 करोड़ था, अर्थात ₹89,212.04 करोड़ (14.64 प्रतिशत) की कमी।

- 2023-24 के दौरान मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए योग ₹5,20,137.81 करोड़ के व्यय में से, 66.19 प्रतिशत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया, इसके बाद आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय (13.94 प्रतिशत) और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (4.24 प्रतिशत) का स्थान रहा।

- नौ मंत्रालयों/विभागों में 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान वास्तविक व्यय में कमी आई, जबकि 11 मंत्रालयों/विभागों ने पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 के दौरान वास्तविक व्यय में वृद्धि दर्ज की। पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक व्यय में अधिकतम वृद्धि रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (302.10 प्रतिशत) द्वारा दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक व्यय में अधिकतम कमी सार्वजनिक उद्यम विभाग (83.08 प्रतिशत) द्वारा दर्ज की गई।

- 2023-24 के दौरान ₹5,74,198.59 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के संदर्भ में, मंत्रालयों/विभागों के पास ₹54,060.78 करोड़ का समग्र अप्रयुक्त बजट था, जो कुल अनुदान/विनियोग का 9.41 प्रतिशत था, जबकि 2022-23 के दौरान अप्रयुक्त बजट 5.73 प्रतिशत था।

1.5 उपयोगिता प्रमाण पत्र

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, सांविधिक निकायों/संगठनों को जारी अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र, संबंधित निकायों/संगठनों द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 12 महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। 13 मंत्रालयों/विभागों द्वारा मार्च 2023 तक जारी अनुदानों के संबंध में ₹30,895.62 करोड़ की राशि से जुड़े 9,804 बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति (मार्च 2024 तक) को दर्शाने वाला मंत्रालय/विभागवार विवरण, जो अनुदान जारी किए जाने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 12 महीने बाद भी बकाया है, **अनुलग्नक-III** में दिया गया है। बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की आयु-वार स्थिति नीचे तालिका 1.2 में संक्षेपित है:

तालिका 1.2: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों (उ. प्र.) की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्षों की संख्या में विलंब की सीमा	31 मार्च 2024 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	
	संख्या	राशि
0-1 वर्ष	1,699	5,661.15
1-5 वर्ष [8]	3,622	9,128.86
5 वर्ष से ऊपर[9]	4,597	16,146.52
योग	**9,918**	**30,936.53**

₹30,936.53 करोड़ के उपरोक्त 9,918 उपयोग प्रमाणपत्रों के संबंध में कोई आश्वासन नहीं प्राप्त किया जा सका कि राशि वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए व्यय की गई थी जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा स्वीकृत/अधिकृत किया गया था। उपयोग प्रमाण-पत्रों के लंबित रहने की अधिकता से धन के दुरुपयोग और धोखाधड़ी का खतरा बना रहता है।

---

[8] *वित्तीय सेवाएँ विभाग ने 2020-21 से 2022-23 तक के लिए बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विवरण वर्षवार की बजाय एक साथ उपलब्ध कराया है, इसलिए इसमें विलंब की अवधि 1-5 वर्ष मानी गई है।*

[9] *आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 2022-23 तक बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों का ब्यौरा वर्षवार की बजाय एक साथ उपलब्ध कराया है, इसलिए विलंब की सीमा को '5 वर्ष से अधिक' के अंतर्गत लिया गया है।*

बकाया उपयोग प्रमाण पत्र मुख्यतः आठ मंत्रालयों/विभागों से संबंधित हैं। ये बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की कुल संख्या का 97.83 प्रतिशत है, जिसका मूल्य कुल बकाया राशि का 99.20 प्रतिशत है। 31 मार्च 2024 तक आठ मंत्रालयों/विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण धन मूल्य वाले बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की स्थिति नीचे तालिका 1.3 में दी गई है:

तालिका 1.3: 31 मार्च 2024 तक बकाया उपयोग प्रमाणपत्र

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	मंत्रालय/विभाग	मार्च[10] 2024 तक	
		संख्या	राशि
1.	आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय	1,808	16,039.28
2.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	1,128	9,783.35
3.	वित्तीय सेवाएँ विभाग	4	2,305.78
4.	भारी उद्योग मंत्रालय	104	1,600.48
5.	वस्त्र मंत्रालय	6,552	302.87
6.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	32	278.20
7.	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	33	262.52
8.	वाणिज्य विभाग	42	116.28
	योग	**9,703**	**30,688.76**

1.6 केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) द्वारा लेखा प्रस्तुत करने में विलंब

सदन के पटल पर रखे गए पत्रों की समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट (1975-76) में अनुशंसा की थी कि प्रत्येक स्वायत्त निकाय (एबी) को लेखा वर्ष (वित्तीय वर्ष) की समाप्ति के तीन महीने के भीतर अपने लेखाओं को अंतिम रूप देना/तैयार करना चाहिए और उन्हें लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। यह सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 237 में भी निर्धारित है। नीचे दी गई तालिका 1.4 सीएबी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए लेखे प्रस्तुत करने में विलंब को दर्शाती है:

[10] *मार्च 2023 तक जारी अनुदानों के लिए*

तालिका 1.4: सीएबी द्वारा वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए लेखे प्रस्तुत करने में विलंब

	विलंब की अवधि			
	1 महीने तक	1-3 महीने	3-6 महीने	6 महीने से अधिक
2022-23 में सीएबी की संख्या	15	10	7	4
2023-24 में सीएबी की संख्या	16	10	6	4

जिन सीएबी के वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लेखाओं में विलंब हुआ[11] है, उनका विवरण **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए लेखा प्रस्तुत करने में अधिकतम विलंब राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (390 दिन) और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (231 दिन) के मामले में देखा गया, जबकि वर्ष 2023-24 के लिए ये विलंब वस्त्र समिति (271 दिन) और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (229 दिन) में देखा गया ।

1.7 संसद के समक्ष सीएबी के लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रस्तुति में देरी

समिति ने यह भी अनुशंसा की कि स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष के 31 दिसम्बर तक संसद के समक्ष प्रस्तुत किये जाएं।

जिन सीएबी ने वर्ष 2023-24 के लिए अपने लेखापरीक्षित लेखाओं को संसद के किसी एक या दोनों सदनों (मार्च 2025 तक) के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, उनका उल्लेख तालिका 1.5 में किया गया है:

तालिका 1.5: सीएबी जिनके वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए लेखापरीक्षित लेखे जारी किए गए लेकिन संसद में प्रस्तुत नहीं किए गए

सीएबी का नाम	
2022-23	**2023-24**
1. राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड	1. निर्यात निरीक्षण परिषद
2. राष्ट्रीय जूट बोर्ड	2. राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश

[11] *स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा के निर्देशों की नियमावली के अनुसार, स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लिए लेखापरीक्षा हेतु वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने की तिथि आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून है, जबकि प्रमुख बंदरगाह ट्रस्टों के लिए यह तिथि 10 जून है।*

सीएबी का नाम	
2022-23	**2023-24**
3. रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, दिल्ली	3. दबावग्रस्त परिसंपत्ति स्थिरीकरण कोष
4. रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, चंडीगढ़	4. भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण
	5. राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड
	6. दिल्ली विकास प्राधिकरण
	7. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
	8. रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, चंडीगढ़
	9. रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, दिल्ली
	10. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड
	11. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
	12. नाविक भविष्य निधि संगठन
	13. केंद्रीय रेशम बोर्ड

इसके अलावा, क्रमशः 27 और 14 सीएबी ऐसे थे जिनके वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लेखापरीक्षित लेखे नियत तिथि के बाद संसद में प्रस्तुत किए गए। विवरण **अनुलग्नक-V** में दिया गया है।

1.8 सीएबी के वार्षिक लेखाओं के प्रमाणीकरण के परिणाम

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षित सीएबी के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टें, प्रमाणित अंतिम लेखाओं के साथ संलग्न की जाती हैं, जिन्हें संबंधित मंत्रालयों द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाना होता है। वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए सीएबी के वित्तीय विवरणों पर जारी कुछ महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ **अनुलग्नक-VI** में दी गई हैं। वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए सीएबी के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण कमियां नीचे उल्लिखित हैं:

(क) 2022-23 और 2023-24 में क्रमशः 14 और 13 सीएबी में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई **(अनुलग्नक-VII)**;

(ख) 2022-23 और 2023-24 में क्रमशः 16 और 17 सीएबी में अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया **(अनुलग्नक-VIII)**;

(ग) 2022-23 और 2023-24 में क्रमशः छः और नौ सीएबी में इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया **(अनुलग्नक-IX)**;

(घ) 2022-23 और 2023-24 में क्रमशः 16 और 13 सीएबी में ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का लेखांकन बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर नहीं किया गया था **(अनुलग्नक-X)**;

(ङ) लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप क्रमशः 2022-23 और 2023-24 में पांच और छः सीएबी के लेखाओं को संशोधित किया गया **(अनुलग्नक-XI)**।

1.9 लंबित कृत कार्रवाई नोट (एटीएन) की स्थिति

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अपनी 105वीं रिपोर्ट (दसवीं लोकसभा-1995-96) में, जो 17 अगस्त 1995 को संसद में प्रस्तुत की गई थी, अनुशंसा की थी कि सीएजी की रिपोर्टों के सभी पैराग्राफों पर कार्रवाई नोट (एटीएन) 31 मार्च 1996 से शुरू होकर लेखापरीक्षा रिपोर्टों को सदन के पटल पर रखने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के माध्यम से समिति को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इसके बाद, व्यय विभाग के अंतर्गत एक निगरानी प्रकोष्ठ बनाया गया, जिसे सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जांचे गए एटीएन के समन्वय और संग्रहण का कार्य सौंपा गया तथा उन्हें संसद में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार महीने की निर्धारित अवधि के भीतर पीएसी को भेजना था।

सीएजी की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट संघ सरकार (सिविल-आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय) में शामिल पैराग्राफों पर एटीएन की स्थिति की समीक्षा से पता चला कि 18 एटीएन प्राप्त हुए थे और आठ मंत्रालयों/विभागों के साथ पत्राचार के विभिन्न चरणों में थे (मार्च 2025)। बकाया एटीएन का विवरण **अनुलग्नक-XII** में दर्शाया गया है।

1.10 मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफ़ों पर मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रिया

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने पीएसी की सिफारिशों पर जून 1960 में सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किए कि वे सीएजी की रिपोर्ट में शामिल करने के लिए प्रस्तावित मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर छः सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजें। मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफ संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजे जाते हैं, तथा उनका ध्यान लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर आकर्षित किया जाता है तथा उनसे निर्धारित समयावधि के भीतर अपना उत्तर भेजने का अनुरोध किया जाता है। इस रिपोर्ट में 14 लेखापरीक्षा पैराग्राफ हैं। प्राप्त प्रतिक्रियाओं को रिपोर्ट में यथायोग्य शामिल कर लिया गया है (जून 2025) **।**

अध्याय-II : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

आलाप्पुझा कयर क्लस्टर डेवलपमेंट सोसायटी

2.1 उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली और परियोजना परिसंपत्तियों में वित्तीय हितों की सुरक्षा में विफलता

केरल में कयर क्लस्टर के लिए औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) को लागू करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) होने के नाते आलाप्पुझा कयर क्लस्टर डेवलपमेंट सोसायटी (एसीसीडीएस) ने उप-विशेष प्रयोजन वाहन को अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने में योजना अनुमोदन की शर्तों का उल्लंघन किया। इसके परिणामस्वरूप उप-विशेष प्रयोजन वाहन से ₹1.69 करोड़ के उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली नहीं हो सकी और भारत सरकार और एसीसीडीएस के ₹5.45 करोड़ की सरकारी सहायता से अर्जित परिसंपत्तियों के वित्तीय हितों को नुकसान पहुंचा।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने (2003) औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) शुरू की, जिसका उद्देश्य अवसंरचना विकास के लिए उद्योग में क्लस्टर एसोसिएशन द्वारा गठित विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) को सहायता प्रदान करके उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना था। परियोजना लागत के 75 प्रतिशत के एकमुश्त अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की गई, जिसकी अधिकतम सीमा ₹50 करोड़ थी।

आलाप्पुझा कयर क्लस्टर डेवलपमेंट सोसाइटी[12] (एसीसीडीएस) का गठन (दिसंबर 2004) आईआईयूएस के अंतर्गत विशेष प्रयोजन माध्यम के रूप में आलाप्पुझा कयर क्लस्टर, केरल परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किया गया था, जिसकी कुल लागत ₹56.80 करोड़ थी और जिसमे केंद्रीय सरकार से ₹42.60 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ था।

परियोजना लागत को बाद में संशोधित कर (फरवरी 2020) ₹42.60 करोड़ के केंद्रीय अनुदान में कोई परिवर्तन किए बिना ₹60.54 करोड़ कर दिया गया। भारत सरकार ने 2004-05 से 2019-20 के दौरान आईआईयूएस के अंतर्गत एसीसीडीएस को ₹42.17 करोड़[13] प्रदान किए। एसीसीडीएस ने 137 उप-एसपीवी[14] को ₹60.28 करोड़ की बुनियादी संरचना प्रदान की, जिसमें सरकारी सहायता और उप-एसपीवी के फंड का योगदान शामिल था। तथापि, लेखापरीक्षा ने

[12] *एसीसीडीएस, एलेप्पी में निर्यातोन्मुख उत्पादन क्षेत्र में कयर उद्योग का सबसे बड़ा संघ है।*

[13] *इसमें अप्रयुक्त अनुदान पर अर्जित ब्याज भी शामिल है।*

[14] *उप-एसपीवी (लाभार्थी) वे संगठन हैं जिनके माध्यम से एसपीवी आईआईयूएस को क्रियान्वित करता है।*

एसीसीडीएस, केरल द्वारा आलाप्पुझा कयर क्लस्टर, केरल परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित आईआईयूएस की शर्तों और नियमों का उल्लंघन पाया, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

क. उप-विशेष प्रयोजन माध्यम से उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रहण न करना

अनुमोदित आईआईयूएस के अनुसार, एसपीवी प्रत्येक उप-परियोजना के कार्यान्वयन से पहले समय-साझाकरण, उपयोगकर्ता शुल्क और अन्य परिचालन मापदंडों की कार्यप्रणाली पर निर्णय लेगा।

लेखापरीक्षा ने अनुमोदित आईआईयूएस की शर्तों एवं नियमों के अनुसार उप-विशेष प्रयोजन माध्यम से वसूले जाने वाले उपयोगकर्ता शुल्क की समीक्षा की। यह पाया गया कि एसीसीडीएस ने 28 उप-विशेष प्रयोजन माध्यम से ₹0.70 करोड़[15] का उपयोगकर्ता शुल्क वसूल नहीं किया, जिसका कारण या तो समझौता न होना था या समझौते में उपयोगकर्ता शुल्क संबंधी खंड का न होना था। इसके अलावा, उपयोगकर्ता शुल्क खंड के साथ समझौता करने वाले 71 उप-विशेष प्रयोजन माध्यम द्वारा ₹0.99 करोड़ की उपयोगकर्ता शुल्क राशि का भुगतान नहीं किया गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2023) कि आईआईयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार, उप- विशेष प्रयोजन माध्यम से उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र किया जाएगा। हालाँकि, एसीसीडीएस ने उपयोगकर्ता शुल्क वसूल नहीं किया। प्रबंधन ने कहा कि प्रारंभिक चरण में उपयोगकर्ता शुल्क संबंधी प्रावधान समझौते में शामिल नहीं थे। समझौते में उपयोगकर्ता शुल्क से संबंधित खंड को शामिल न करने की बात निदेशक मंडल के ध्यान में तब आई जब लेखापरीक्षा[16] द्वारा इस ओर ध्यान दिलाया गया। उस समय तक सभी कताई इकाइयां पूर्ण रूप से स्थापित कर लाभार्थियों को सौंप दी गयी थीं। कताई इकाइयां उन महिलाओं को प्रदान की गईं जो कयर उद्योग में जमीनी स्तर पर काम करती थीं और ज्यादातर बीपीएल श्रेणी से थीं। इसलिए, उन इकाइयों को उपयोगकर्ता शुल्क से छूट देने का निर्णय लिया गया। अन्य मामलों में, प्रबंधन ने उप-एसपीवी के साथ संशोधित समझौते करने तथा उपयोगकर्ता शुल्क की बकाया राशि वसूलने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2024) कि आकार और वित्तीय स्थिति के आधार पर, एसीसीडीएस ने सभी उप-विशेष प्रयोजन माध्यम को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। एसीसीडीएस ने जमीनी स्तर पर कयर यार्न स्पिनरों को किसी भी उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान से पूरी तरह छूट देने का निर्णय लिया। लघु उद्योगों के लिए, एसीसीडीएस ने इकाइयों को आवंटित कुल अनुदान का एक

---

[15] एसीसीडीएस के निदेशक मंडल ने (16 अक्टूबर 2018) बुनियादी ढांचे के लिए अनुदान के एक प्रतिशत की दर से उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का निर्णय लिया।

[16] 2014-17 की अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

प्रतिशत उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का निर्णय लिया। प्रमुख उप- विशेष प्रयोजन माध्यम के लिए, उत्पादों की विपणन क्षमता के आधार पर उपयोगकर्ता शुल्क तय किए गए थे। एसीसीडीएस ने कुछ चूककर्ताओं से राशि वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई की है।

प्रबंधन और मंत्रालय के उत्तर से लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति की पुष्टि होती है। हालाँकि, उप- विशेष प्रयोजन माध्यम को जारी किए गए नोटिस और की गई वसूली का विवरण उत्तर के साथ उपलब्ध नहीं कराया गया।

ख. अनुमोदित योजना में निर्धारित नियमों और शर्तों का अनुपालन न करना

आईआईयूएस की अनुमोदित शर्तों के अनुसार, सरकारी सहायता से अर्जित परिसंपत्तियों को सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए निपटाया, भारग्रस्त या उपयोग नहीं किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने आईआईयूएस के अंतर्गत वित्तपोषित उप-एसपीवी की एक परियोजना में उपरोक्त शर्त का अननुपालन पाया। एसीसीडीएस ने (मई 2011) अल्लाप्पी फाइबर टफ्ट (पी) लिमिटेड (एएफटीपीएल) के लिए ₹7.20 करोड़ की लागत से एक पीवीसी टफ्टेड यूनिट (पीवीसीटीयू) की स्थापना की, जिसमें ₹5.45 करोड़ का आईआईयूएस अनुदान शामिल था। एसीसीडीएस और एएफटीपीएल के बीच हुए समझौते (जुलाई 2008) में यह निर्धारित किया गया था कि एएफटीपीएल आईआईयूएस दिशानिर्देशों का पालन करेगा। हालांकि, एसीसीडीएस ने एएफटीपीएल को एसीसीडीएस की लिखित सहमति से किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान के पास परियोजना के अंतर्गत अर्जित परिसंपत्तियों को बंधक रखने, सौंपने या उन पर प्रथम प्रभार देने की अनुमति दी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एएफटीपीएल ने अनुदान से निर्मित परिसंपत्तियों को सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना गिरवी रख दिया (अगस्त 2010), जो कि एसीसीडीएस, केरल द्वारा अलप्पुझा कयर क्लस्टर, केरल परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित आईआईयूएस की शर्तों और नियमों के अनुरूप नहीं था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2023) और स्वीकार किया कि एएफटीपीएल ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है। इसलिए, एसीसीडीएस ने मई 2022 के दौरान एएफटीपीएल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2024) कि यद्यपि एएफटीपीएल के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था, एसीसीडीएस के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक (मई 2024) में महसूस किया कि हितधारक के विरुद्ध मामला दर्ज करना एक कार्यशील क्लस्टर के हित में नहीं होगा। एसीसीडीएस ने मुद्दों

को सुलझाने के लिए आपसी समझौते पर पहुंचने के लिए एएफटीपीएल के साथ पहले ही चर्चा शुरू कर दी है।

प्रबंधन और मंत्रालय के उत्तर में एसीसीडीएस द्वारा राजकोष के हितों की रक्षा करने में विफलता तथा 11 वर्षों के विलंब के बाद भी मुद्दे का समाधान न करने का औचित्य प्रदान नहीं किया गया।

इस प्रकार, आईआईयूएस शर्तों के अनुसार अनुबंध में प्रासंगिक धाराओं को शामिल करने और उन्हें लागू करने में एसीसीडीएस की विफलता के परिणामस्वरूप ₹1.69 करोड़ के उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली नहीं हो सकी और ₹5.45 करोड़ के अनुदान से निर्मित परियोजना परिसंपत्तियों में सरकार और एसीसीडीएस के वित्तीय हितों को नुकसान पहुंचा।

भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण एजेंसी, चेन्नई

2.2 सार्वजनिक धन का दुरुपयोग

निर्यात निरीक्षण एजेंसी, चेन्नई में आंतरिक जांच और नियंत्रण की कमी के परिणामस्वरूप ₹21.41 करोड़ की सार्वजनिक धनराशि का दुर्विनियोजन हुआ।

भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी), निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (अधिनियम) के अंतर्गत एक शीर्ष निकाय है, जिसकी स्थापना गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण के माध्यम से निर्यात व्यापार के विकास के लिए किए जाने वाले उपायों और उससे संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, दिल्ली और चेन्नई सहित पांच स्थानों में निर्यात निरीक्षण एजेंसियां (ईआईए) स्थापित की थीं। ईआईए मुख्य रूप से विभिन्न खाद्य वस्तुओं जैसे मछली और मत्स्य उत्पाद, डेयरी उत्पाद, शहद, अंडा उत्पाद, मांस और मांस उत्पाद, पोल्ट्री मांस उत्पाद, पशु आवरण, जिलेटिन, ओसीन और कुचल हड्डियों और फ़ीड योजक और पूर्व-मिश्रण के निर्यात के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं, जबकि अन्य खाद्य और गैर-खाद्य उत्पादों को स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणित किया जाता है।

ईआईए चेन्नई (मई 2023) की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि ₹21.41 करोड़ की राशि के विभिन्न बैंक भुगतान वाउचर[17] (बीपीवी) इसके शाखा कार्यालय, विशाखापत्तनम के लिए लैब उपकरण की खरीद और केंद्रीय कोष (ईआईसी, नई दिल्ली) को वापसी जैसी वस्तुओं और सेवाओं

[17] एक ऐसा दस्तावेज़ जिसका उपयोग व्यवसाय द्वारा बैंक के माध्यम से किए गए भुगतान को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है।

की प्राप्ति के भुगतान के रूप में लेखांकित किये गए थे। तथापि, बैंक स्टेटमेंट में भुगतान विवरणों की तुलना करने पर पाया गया कि चेक/डिमांड ड्राफ्ट निजी पार्टियों के पक्ष में जारी किए गए थे, हालांकि ईआईए चेन्नई को इन निजी पार्टियों से कोई सामान या सेवा प्राप्त नहीं हुई थी। ये चेक/डिमांड ड्राफ्ट निजी पार्टियों द्वारा भुनाए गए (फरवरी से नवंबर 2019 तक)।

इस प्रकार, ईआईए चेन्नई से संबंधित ₹21.41 करोड़ की धनराशि को **अनुलग्नक-XIII** में दिए गए विवरण के अनुसार निजी पक्षों को हस्तांतरित कर दिया गया।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2023) कि एक पूर्व उप निदेशक (वित्तीय अनियमितताओं के अन्य मामलों के संबंध में जून 2022 में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त) पर निजी पार्टियों को धन हस्तांतरित करने में शामिल होने का आरोप है। इसके अलावा, एक उप निदेशक भी प्रशासनिक अनियमितताओं के मामले में अनुशासनात्मक जांच का सामना कर रहे हैं। ईआईसी/ईआईए के पाँच कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया गया। मंत्रालय ने आगे बताया कि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं से बचने के लिए, ईआईसी/ईआईए में वित्तीय प्रणाली की समीक्षा के लिए एक पेशेवर टीम नियुक्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रबंधन ने निजी पक्षों को धनराशि हस्तांतरण को स्वीकार किया और उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि निजी पक्षों को राशि वापस करने की सलाह दी गई थी और तदनुसार ₹1.47 करोड़ की राशि वसूल की गई है। इसके अलावा, सीबीआई, चेन्नई के शाखा प्रमुख और पुलिस अधीक्षक के पास एक नई शिकायत दर्ज की गई (4 अगस्त 2023)।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि सभी धोखाधड़ी वाले लेन-देन और मामलों में सभी संबंधित लोगों की संलिप्तता का पता लगाने और राशि वसूलने के लिए सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई गई है।

प्रबंधन और मंत्रालय के उत्तर से पुष्टि होती है कि ईआईए चेन्नई के उच्च अधिकारियों ने दुरभिसंधि करके ₹21.41 करोड़ का सार्वजनिक धन दुर्विनियोजित कर दिया, जिसमें से ₹19.94 करोड़ अभी भी निजी पक्षों से वसूल किया जाना बाकी है।

इस प्रकार, निर्यात निरीक्षण एजेंसी, चेन्नई में आंतरिक जांच और नियंत्रण की कमी के परिणामस्वरूप ₹21.41 करोड़ के सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुआ।

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्चि

2.3 बिजली शुल्क पर परिहार्य व्यय

स्पाइसेस पार्क में उच्च अनुबंध मांग के निर्धारण और न्यूनतम औसत पावर फैक्टर को बनाए न रखने के कारण स्पाइसेस बोर्ड को ₹2.41 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा जारी राज्य विशिष्ट टैरिफ नीति के अनुसार, किसी विशेष माह के लिए विद्युत खपत की बिलिंग मांग, उस माह के दौरान अनुबंधित मांग का निर्दिष्ट प्रतिशत[18], या दर्ज मांग जो भी अधिक हो, होगी। इसके अलावा, यदि उपभोक्ता निर्धारित सीमा से कम औसत पावर फैक्टर (एपीएफ) बनाए रखने में विफल रहता है, तो क्षतिपूर्ति शुल्क (जुर्माना) लगाया जाएगा।

स्पाइसेस बोर्ड[19] (बोर्ड) के आठ स्पाइसेस पार्क हैं जो शिवगंगा, गुंटूर, गुना, जोधपुर, छिंदवाड़ा, कोटा, रायबरेली और पुट्टाडी में स्थित हैं। ये पार्क मसालों और मसाला उत्पादों की कटाई के बाद और प्रसंस्करण कार्यों के लिए सामान्य बुनियादी सुविधाएं[20] प्रदान करते हैं। लेखापरीक्षा में सामान्य अवसंरचना सुविधाओं से संबंधित स्पाइसेस पार्कों के बिजली बिलों की समीक्षा की गई। यह पाया गया कि बिलिंग माँग अनुबंधित माँग से काफ़ी कम थी। इसके अलावा, ये स्पाइसेस पार्क एपीएफ का रखरखाव नहीं कर रहे थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रायबरेली[21] को छोड़कर सभी स्पाइसेस पार्कों में प्रसंस्करण/भंडारण सुविधाओं से संबंधित प्रचालकों[22] के साथ समझौते किए गए थे। समझौतों के अनुसार बिजली का खर्च संचालकों के साथ साझा[23] किया गया। लेखापरीक्षा ने बोर्ड द्वारा विद्युत बिलों से संबंधित उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की भी समीक्षा की, जिसमें जनवरी 2017 से मार्च 2024 तक की अवधि के लिए अनुबंधित मांग, दर्ज मांग, भुगतान की गई बिलिंग मांग, कम पावर फैक्टर के

---

[18] आंध्र प्रदेश– 80 प्रतिशत, केरल– 75 प्रतिशत, मध्य प्रदेश– 90 प्रतिशत, राजस्थान– 75 प्रतिशत, तमिलनाडु – 90 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश– 75 प्रतिशत।

[19] मसाला बोर्ड का गठन 26 फरवरी 1987 को मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 (1986 की संख्या 10) के तहत तत्कालीन इलायची बोर्ड (1968) और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद (1960) के विलय से किया गया था।

[20] प्रसंस्करण सुविधाएं, गोदाम, सड़कें, जल आपूर्ति प्रणाली, अपशिष्ट उपचार संयंत्र, आदि।

[21] रायबरेली मसाला पार्क में प्रसंस्करण/भंडारण सुविधाएं पट्टे पर नहीं दी गईं।

[22] पुट्टाडी, शिवगंगा, गुंटूर, गुना, जोधपुर, छिंदवाड़ा और कोटा में मसाला पार्क के संचालक

[23] मसाला बोर्ड ने पट्टे पर दी गई प्रसंस्करण/भंडारण सुविधाओं के लिए अलग से बिजली मीटर लगाए और पट्टेदारों पर लागू बिजली शुल्क की गणना संबंधित राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्रस्तुत बिल राशि के आधार पर की गई।

लिए भुगतान की गई जुर्माने की राशि और ऑपरेटर द्वारा साझा किए गए विद्युत व्यय का विवरण शामिल था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वास्तविक खपत की तुलना में उच्च अनुबंध मांग के निर्धारण और जनवरी 2017 से मार्च 2024 की अवधि के लिए निर्धारित पावर फैक्टर का रखरखाव न कर पाने पर जुर्माना के कारण बोर्ड द्वारा बिजली व्यय के अपने हिस्से के अनुसार ₹2.41 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया था, जैसा कि **अनुलग्नक-XIV** में विवरण दिया गया है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (दिसंबर 2023) कि:

(i) गुना, छिंदवाड़ा, गुंटूर, रायबरेली, शिवगंगा और जोधपुर के मामले में, अनुबंधित मांग कम कर दी गई है। पीएफ मूल्य सीमा के भीतर बनाए रखने के लिए एपीएफसी पैनल को सुधारने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ii) गुंटूर के मामले में, एचटी कनेक्शन के लिए ऑपरेटर से विशेष शुल्क लिया जाएगा तथा बोर्ड द्वारा अन्य सामान्य सुविधाओं के लिए अलग से 30 केवीए एलटी कनेक्शन लिया गया है।

(iii) पार्कों के संचालकों द्वारा निर्धारित शुल्क (अनुबंध मांग) सहित विद्युत शुल्क साझा किया गया है।

(iv) बोर्ड ने वास्तविक खपत के साथ-साथ विद्युत वितरण कंपनी द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा के अनुसार, जहां भी संभव हो, अनुबंध मांग को कम करने के लिए पहले ही कार्रवाई की है। बोर्ड ने स्पाइसेस पार्कों के प्रभारी अधिकारियों को पत्र जारी कर वास्तविक खपत मांग और बिजली बिलों में पीएफ भिन्नताओं की नियमित निगरानी करने तथा तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

मंत्रालय ने प्रबंधन के विचारों का समर्थन करते हुए उत्तर दिया (जून 2024) कि:

(i) रायबरेली में कम पावर फैक्टर के लिए कोई जुर्माना नहीं था और जोधपुर और कोटा के मामले में, क्रमशः नवंबर 2023 और जुलाई 2020 के बाद कम पावर फैक्टर के लिए कोई जुर्माना नहीं था।

(ii) पुट्टडी और छिंदवाड़ा के मामले में, ऑपरेटर/पट्टेदार संपूर्ण विद्युत शुल्क का भुगतान कर रहा है।

(iii) गुना, शिवगंगा, जोधपुर और रायबरेली के मामले में बोर्ड ने अनुबंध मांग को कम कर दिया है।

मंत्रालय/प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि:

(i) अनुबंध मांग में कमी के बावजूद, मार्च 2024 को समाप्त पिछले छः महीनों के दौरान जोधपुर, रायबरेली और गुना में बिलिंग मांग दर्ज मांग से औसतन 81.67, 22.08 और 16.83 केवीए अधिक रही।

(ii) राज्य विद्युत बोर्डों के अनुसार एचटी कनेक्शन के लिए न्यूनतम अनुबंध मांग 50 से 70 केवीए[24] तक थी। हालाँकि, शिवगंगा को छोड़कर, मसाला पार्कों की अनुबंध मांग 100 से 550 केवीए के बीच थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद शिवगंगा मसाला पार्क की अनुबंध मांग को 200 केवीए से घटाकर 65 केवीए कर दिया गया (सितंबर 2023)।

(iii) अनुबंध मांग को निर्धारित/संशोधित करते समय, बोर्ड ने इन पार्कों में खपत होने वाली बिजली पर विचार नहीं किया, जिससे बिजली शुल्क पर अतिरिक्त व्यय नियंत्रित करने में मदद मिल सकती थी।

(iv) हालांकि बोर्ड को रायबरेली, जोधपुर और कोटा के मामले में कम पावर फैक्टर के लिए जुर्माना नहीं देना पड़ रहा था, फिर भी उच्च अनुबंध मांग (मार्च 2024) के कारण उसे अतिरिक्त व्यय करना पड़ रहा था।

(v) यद्यपि छिंदवाड़ा का ऑपरेटर बिजली शुल्क पूरी तरह से चुका रहा था, फिर भी बोर्ड को उच्च अनुबंध मांग के साथ-साथ मार्च 2022 तक कम पावर फैक्टर के लिए जुर्माने के कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

इस प्रकार, स्पाइसेस पार्कों में उच्च अनुबंध मांग को निर्धारित करने और एपीएफ को बनाए न रखने के कारण, बोर्ड को कम पावर फैक्टर के लिए जुर्माना सहित ₹2.41 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

फुटवियर डिज़ाइन और विकास संस्थान, चेन्नई

2.4 एफडीडीआई, चेन्नई में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग

फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई), चेन्नई के कार्यकारी निदेशक (ईडी) ने फर्जी बिलों, जाली हवाई टिकटों के माध्यम से दावा की गई प्रतिपूर्ति को मंजूरी दी। इन धोखाधड़ीपूर्ण और अनुचित दावों के अलावा, अनधिकृत खरीद और बिना बिल के दावों को भी ईडी

[24] *आंध्र प्रदेश - 70 केवीए (गुंटूर), मध्य प्रदेश - 50 केवीए (गुना और छिंदवाड़ा), राजस्थान - 50 केवीए (जोधपुर और कोटा), तमिलनाडु - 63 केवीए (शिवगंगा) और उत्तर प्रदेश - 56 केवीए (रायबरेली)।*

द्वारा अनुमोदित किया गया। संविदा कर्मचारियों द्वारा लिए गए अग्रिम धन को ईडी के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया, जिनका निपटान लंबित है। इन अनियमितताओं के परिणामस्वरूप ईडी को ₹ 7.69 लाख का अनुचित लाभ हुआ।

फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान[25] (एफडीडीआई), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, जो फुटवियर उत्पादों, चमड़ा उत्पादों, खुदरा एवं फैशन माल तथा फैशन डिजाइन क्षेत्रों के विकास एवं वृद्धि के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। एफडीडीआई के देश भर में 12 प्रशिक्षण परिसर हैं। प्रत्येक परिसर का नेतृत्व एक कार्यकारी निदेशक (ईडी) करता है। 26 सितंबर 2022 से 17 फरवरी 2023 के दौरान, भारतीय वन सेवा, केरल कैडर के एक अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यकारी निदेशक के रूप में चेन्नई के कांचीपुरम स्थित एफडीडीआई के चेन्नई परिसर में शामिल हुए।

एफडीडीआई, चेन्नई में लेखापरीक्षा (अप्रैल 2023) के दौरान, एफडीडीआई चेन्नई में विभिन्न अनियमितताएं/भ्रष्ट प्रथाएं देखी गईं, जिनका सारांश नीचे दिया गया है:

- **फर्जी/नकली बिल**

व्यय की प्रतिपूर्ति से संबंधित बिलों की जांच से पता चला कि अक्टूबर 2022 के दौरान ईडी को प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत किए गए ₹2,74,668 के बिल वास्तविक नहीं थे क्योंकि इन बिलों में उल्लिखित जीएसटीआईएन नंबर अमान्य पाया गया था, बिल में दर्ज वाहन का पंजीकरण नंबर वाहन पोर्टल में नहीं मिला और एचएसएन कोड उपलब्ध नहीं था।

- **जाली हवाई टिकट**

स्थानांतरण और यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति के लिए ईडी द्वारा प्रस्तुत हवाई टिकटों की जांच से पता चला कि ईडी ने ₹91,163 की हवाई टिकटों की जालसाजी[26] करके एयरलाइनों को भुगतान की गई वास्तविक राशि से अधिक राशि का दावा किया था। ईडी ने अपने दाम्पत्य साथी के लिए भी दावा किया था जो प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं था।

- **खर्चों का धोखाधड़ीपूर्ण दावा**

एफडीडीआई चेन्नई ने ईडी के आवास के लिए ₹50,000 मूल्य का गद्दा और लकड़ी का खाट खरीदा (अक्टूबर 2022), जिसका भुगतान सीधे विक्रेता को किया गया। हालाँकि, यह देखा गया कि ईडी

---

[25] *इसका मुख्यालय नोएडा में है तथा देश भर में इसके 12 प्रशिक्षण परिसर हैं।*

[26] *टिकट का आधार किराया संशोधित कर बढ़ाया गया।*

ने उन्हीं बिलों को प्रस्तुत करके ₹50,000 की प्रतिपूर्ति का दावा किया और प्राप्त किया (21 अक्टूबर 2022), जिनके लिए विक्रेता को पहले ही भुगतान किया जा चुका था।

- **अनुचित प्रतिपूर्ति**

खाना पकाने के सामान/बर्तनों की खरीद पर व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत किए गए ₹44,770 मूल्य के क्रय बिल एफडीडीआई या एफडीडीआई कर्मचारियों के नाम पर नहीं थे, बल्कि इसकी प्रतिपूर्ति एक अनुबंध कर्मचारी के नाम पर की गई थी। प्राप्त प्रतिपूर्ति को अनुबंध कर्मचारी द्वारा ईडी को हस्तांतरित कर दिया गया।

- **बिल/दस्तावेज गुम होना**

एफडीडीआई बैंक खाते से ईडी के व्यक्तिगत बैंक खाते में ₹24,931 की राशि स्थानांतरित की गई (15 अक्टूबर 2022)। हालाँकि, संबंधित वाउचर और सहायक दस्तावेज, जिसमें यह बताया गया था कि किस उद्देश्य से धन हस्तांतरण किया गया था, गायब पाए गए।

- **अनाधिकृत खरीदारी**

ईडी द्वारा एफडीडीआई के मुख्यालय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बिना जलपान, फर्नीचर की खरीद और कार्यालय व्यय पर ₹91,743 का व्यय किया गया।

- **निपटान न किए गए अग्रिम**

एफडीडीआई बैंक खाते से एफडीडीआई अनुबंध कर्मचारियों के व्यक्तिगत बैंक खातों में अग्रिम के रूप में कुल ₹2,00,000 की धनराशि हस्तांतरित की गई। हस्तांतरित कुल धनराशि में से ₹1,91,852 उसी दिन ईडी के व्यक्तिगत बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिए गए थे। अग्रिम राशि का भुगतान आज तक (मई 2023) नहीं किया गया।

इस प्रकार, 26 सितंबर से 27 अक्टूबर 2022 की अवधि[27] के दौरान, ईडी को ₹7,69,127 की राशि का अनुचित लाभ प्राप्त हुआ। उपरोक्त मामलों से एफडीडीआई, चेन्नई में आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक जांच का अभाव पता चला। एफडीडीआई, चेन्नई में वित्तीय मामलों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अपर्याप्तता को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा समय-समय पर[28] मंत्रालय और एफडीडीआई को जारी की गई अपनी पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) के

[27] *जब ईडी ने संविदा कर्मचारियों से अधिकृत हस्ताक्षर शक्तियां अपने हाथ में ले लीं*

[28] *वर्ष 2023-24, 2022-23, 2021-22, 2020-21, 2019-20, 2018-19, 2017-18 के लिए एसएआर*

माध्यम से इंगित किया गया है। हालाँकि, मंत्रालय और एफडीडीआई द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (जुलाई 2023/अगस्त 2023) में सहमति व्यक्त की कि ईडी द्वारा किए गए विभिन्न वित्तीय लेनदेन धोखाधड़ी और बिना अनुमोदन के किए गए थे। इसमें यह भी कहा गया है कि अनियमितताओं की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की गई है (नवंबर 2022)। समिति की रिपोर्ट आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मंत्रालय को भेजी गई (दिसंबर 2022)। इसमें आगे कहा गया है कि महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी का एक पद सृजित किया जाएगा जो एफडीडीआई के वित्तीय मामलों की देखभाल के लिए लेखा और वित्त का प्रमुख होगा। मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि शिकायत की पुष्टि के लिए एक लेखापरीक्षा टीम गठित की गई थी और उसने एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की (मार्च 2023)। मंत्रालय ने (सितंबर 2023) ईडी के मूल कैडर से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। यह भी बताया गया कि एफडीडीआई ने बेहतर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जैसे कि विधिवत अनुमोदित शक्तियों का प्रत्यायोजन और लेखा मैनुअल का कार्यान्वयन तथा आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति।

प्रबंधन और मंत्रालय के उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का समर्थन करते हैं। हालाँकि, एफडीडीआई/मंत्रालय द्वारा ईडी के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, एफडीडीआई ने लेखा मैनुअल और शक्तियों के प्रत्यायोजन को लागू किया, जो स्पष्ट रूप से एफडीडीआई में इन मैनुअलों के अभाव को इंगित करता है।

इस प्रकार, एफडीडीआई में मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अभाव के परिणामस्वरूप ₹7,69,127 तक की सार्वजनिक धनराशि का दुरुपयोग हुआ है।

अध्याय-III : आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

3.1 वितरण कंपनियों को अनियमित रूप से भुगतान किए गए ₹6.91 करोड़ की वसूली न होना

केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों को बिजली शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी। हालाँकि, सीपीडब्लूडी ने इस छूट का लाभ नहीं उठाया, जिसके परिणामस्वरूप डिस्कॉम को ₹6.91 करोड़ का अनावश्यक भुगतान करना पड़ा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 287 में 'बिजली पर करों से छूट' के संबंध में प्रावधान है कि जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, किसी राज्य का कोई कानून बिजली (चाहे वह सरकार या अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पादित हो) के उपभोग या बिक्री पर कर नहीं लगाएगा या लगाने को प्राधिकृत नहीं करेगा, जिसका उपभोग भारत सरकार द्वारा किया जाता हो या जिसे उस सरकार द्वारा उपभोग के लिए भारत सरकार को बेचा जाता हो। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 (अधिनियम) की खण्ड 3(5) में प्रावधान है कि केन्द्र सरकार द्वारा उपभोग की गई या केन्द्र सरकार द्वारा उपभोग के लिए बेची गई विद्युत पर कोई विद्युत शुल्क[29] नहीं लगाया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यपालक अभियंता, सीपीडब्ल्यूडी गाजियाबाद विद्युत प्रभाग, उत्तर प्रदेश ने मई 2011 से नवंबर 2019[30] की अवधि के दौरान सीपीडब्ल्यूडी, हिंडन एयरफील्ड इकाई को बिजली की आपूर्ति के एवज में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) द्वारा उठाए गए बिजली बिलों (₹6.91 करोड़ के बिजली शुल्क सहित) का भुगतान किया था। केन्द्र सरकार का प्रतिष्ठान होने के कारण इस प्रभाग को विद्युत शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त थी। तथापि, अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत छूट का लाभ न लेने के परिणामस्वरूप विद्युत शुल्क के रूप में ₹6.91 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ, जो कि परिहार्य था।

[29] विद्युत शुल्क एक प्रकार का कर है जो राज्य सरकारों द्वारा बिजली की खपत पर लगाया जाता है। यह एक अतिरिक्त शुल्क है जिसका भुगतान उपभोक्ता को करना होता है।

[30] जुलाई 2011, मार्च 2012, अप्रैल 2012, जून 2012, जनवरी से मार्च 2014, मई 2014, नवंबर 2014 और सितंबर 2018 के बिलों को छोड़कर, क्योंकि बिल लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (सितंबर 2022), मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2024) कि विद्युत शुल्क मद के अंतर्गत पीवीवीएनएल को किए गए अतिरिक्त भुगतान को विद्युत बिल में वसूल/समायोजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पीवीवीएनएल बोर्ड ने सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है कि उक्त अतिरिक्त राशि को वापस/समायोजित किया जाना है।

3.2 लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर ₹58.17 लाख की वसूली

सीपीडब्ल्यूडी में कमजोर नियंत्रण-तंत्र के परिणामस्वरूप संविदाकारों को अधिक भुगतान किया गया और तत्पश्चात लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर ₹58.17 लाख की वसूली की गई।

जीएफआर 2017 के नियम 26 (iv) के अनुसार, अपने नियंत्रण में रखे हुए धन के संबंध में एक नियंत्रण-अधिकारी का कर्तव्य और उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय कार्यवाही में त्रुटियों और अनियमितताओं की रोकथाम, पता लगाने और सार्वजनिक धन की बर्बादी और हानि से बचाने के लिए उसके विभाग में पर्याप्त नियंत्रण तंत्र काम कर रहे हों ।

तीन मूर्ति परियोजना प्रभाग, सीपीडब्ल्यूडी की लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईं:

1. **संविदाकार से अग्रिम भुगतान की कम वसूली/समायोजन:** केंद्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता के पैरा 10.2.23 में कहा गया है कि प्रभागीय अधिकारी/कार्यपालक अभियंता को अधीक्षण अभियंता को मासिक विवरण प्रस्तुत करना है, जिसमें मापन-न-किए-हुए-परंतु- निष्पादित कार्य के लिए संविदाकार को दिए गए अग्रिम भुगतान का ब्यौरा दिया जाना चाहिए, ताकि अग्रिम भुगतान के निपटान पर नजर रखी जा सके। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 'विद्युत उपस्थान, ईटीपी/एसटीपी, अंडर ग्राउंड टैंक, आंतरिक सड़कें और डायाफ्राम दीवार सहित आरसीसी फ्रेम संरचना के निर्माण' के कार्य में, डिवीजन ने मापन-न-किए-हुए-परंतु- निष्पादित कार्य के लिए ₹3.38 करोड़[31] की राशि को दो अग्रिम भुगतान बिलों द्वारा संविदाकार के पक्ष में पारित किया था (जुलाई 2019 और दिसंबर 2019)। अग्रिम बिलों से वैधानिक करों और कटौतियों को

[31] *₹1.73 करोड़ + ₹1.65 करोड़ = ₹3.38 करोड़*

घटाने[32] के बाद, प्रभाग ने संविदाकार को इन दोनों बिलों में कुल ₹3.00 करोड़ की निवल-राशि का भुगतान किया। हालाँकि, इन दोनों अग्रिम भुगतनों को समायोजित करते समय, प्रभाग ने अग्रिम भुगतान की सकल राशि अर्थात ₹3.38 करोड़ के बजाय केवल ₹3.00 करोड़ की ही वसूली की। परिणामस्वरूप, संविदाकार से कुल ₹0.38 करोड़ की राशि कम वसूली गई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (मार्च 2022), सीपीडब्ल्यूडी द्वारा संविदाकार से तुरंत ₹48.28 लाख (₹9.64 लाख ब्याज सहित ₹38.64 लाख) की वसूली की गई।

मंत्रालय/सीपीडब्ल्यूडी ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (जून 2024/दिसंबर 2022) और कहा कि गलत समायोजन अनजाने में किया गया था, और उसने संविदाकार से कुल ₹48.28 लाख की वसूली कर ली है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय को एक परामर्श जारी किया जा रहा है कि वे एक विशेष अग्रिम भुगतान रजिस्टर बनाएँ जिसमें सकल अग्रिम भुगतान, वैधानिक कटौतियाँ, निवल भुगतान के लिए अलग-अलग कॉलम हों तथा अधीक्षण अभियंता स्तर पर इसका तिमाही सत्यापन किया जाए।

2. **साइट पर रखी सामग्री के एवज में सुरक्षित-अग्रिम-भुगतान की अतिरिक्त अदायगी:** 04 सितम्बर 2017 को परिशोधित संविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) 2014 के खंड 10 बी में कहा गया है कि कार्य में प्रयुक्त होने वाली सुरक्षित-अग्रिम-भुगतान हेतु पात्र सामग्रियों के निर्धारित मूल्य का 75 प्रतिशत तक सुरक्षित -अग्रिम-भुगतान के रूप में संविदाकार को दिया जा सकता है| लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रभाग ने दो कार्यों[33] में सामग्री के निर्धारित मूल्य के 75 प्रतिशत के स्थान पर 90 प्रतिशत की दर से सुरक्षित -अग्रिम-भुगतान की अदायगी की। परिणामस्वरूप, सामग्रियों के मूल्यांकित मूल्य का 15 प्रतिशत जो कि ₹95.94 लाख[34] होता है, का अत्यधिक भुगतान किया गया।

   लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (मार्च 2022) इसकी वसूली संविदाकारों के बाद के चलित खाते बिल में से की गई।

---

[32] सुरक्षा जमा, आयकर, सीजीएसटी, एसजीएसटी और श्रम उपकर

[33] (i) 'इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, ईटीपी/एसटीपी, अंडर ग्राउंड टैंक, आंतरिक सड़कें और डायाफ्राम दीवार सहित आरसीसी फ्रेम संरचना का निर्माण' और (ii) सिविल फिनिशिंग और अग्रभाग कार्य आदि।

[34] ₹59.21 लाख + ₹36.73 लाख =₹95.94 लाख ।

मंत्रालय/सीपीडब्ल्यूडी ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (जून 2024/दिसंबर 2022) और कहा कि सितंबर 2017 के परिशोधन को अनजाने में नजरअंदाज कर दिया गया था और प्रारंभिक कुछ बिलों में 90 प्रतिशत की दर से सुरक्षित -अग्रिम-भुगतान की अदायगी की गई। प्रभाग ने संविदाकारों से अंतर-राशि पर ₹3.65 लाख[35] का ब्याज वसूल किया (मार्च और दिसंबर 2022)। मंत्रालय ने आगे कहा कि करार में निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक अद्यतन/परिशोधित जीसीसी को सम्मिलित करने के लिए एक परामर्श जारी किया गया है।

3. **डी-एस्केलेशन/नकारात्मक मूल्य वृद्धि राशि की वसूली में विलंब:** सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियम पुस्तिका 2019 के खंड 9 (i) में कहा गया है कि कार्य के बड़े हिस्से में उपयोग की जाने वाली महंगी सामग्रियों की कीमतों में भिन्नता के कारण कार्य की लागत में समायोजन अनुमत करने के लिए खण्ड 10 सीए लागू होगा। इसके अलावा, खंड 10(vi) (ए), कहता है कि प्रत्येक तीन महीने के अंत में वृद्धि या डी-एस्केलेशन के विवरण तैयार किए जाने हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि 'बाहरी विकास और लाइटिंग वर्क्स' के कार्य में, प्रभाग ने जुलाई 2020 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान हुए डी-एस्केलेशन पर कोई त्रैमासिक विवरण तैयार नहीं किया था। तिमाही डी-एस्केलेशन विवरण तैयार न होने के कारण, संविदाकार से ₹5.03 लाख की राशि की वसूली समय पर नहीं की जा सकी।

   लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (मार्च 2022), इसकी वसूली (दिसंबर 2022) संविदाकारों के बाद के रनिंग-अकाउंट-बिल में की गई।

   मंत्रालय/सीपीडब्ल्यूडी ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (जून 2024/दिसंबर 2022) और कहा कि प्रभाग ने संविदाकार से ₹1.11 लाख के ब्याज के साथ ₹5.13 लाख की परिशोधित राशि की वसूली की है| मंत्रालय ने आगे कहा कि आर-ए बिलों में प्रमाण पत्र देने के लिए एक परामर्श जारी किया गया है कि, करार की शर्तों के अनुसार अब तक वृद्धि/डी-एस्केलेशन की भुगतान/वसूली की गई है।

इस प्रकार संविदाकार को मापे न गए कार्य के लिए अग्रिम भुगतान, सुरक्षित-अग्रिम-भुगतान एवं डि-ऐस्केलेशन राशि की वसूली करते समय उपर्लिखित तीनों मामलों में मौजूदा

[35] *₹0.82 लाख + ₹2.83 लाख =₹3.65 लाख*

नियमों का पालन नहीं किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इन त्रुटियों का पता चला; फलतः सीपीडब्ल्यूडी द्वारा ₹58.17 लाख[36] की वसूली की गई।

3.3 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में दरों की सूची का विश्लेषण

3.3.1 परिचय

दरों की अनुसूची (एसओआर) का उपयोग केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए निर्माण कार्यों और अनुरक्षण कार्यों की प्रारंभिक लागत और विस्तृत लागत का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इस अनुमानित लागत के आधार पर, निविदा जारी करके प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त किया जाता है और बाद में, सबसे कम बोली लगाने वाला चयनित किया जाता है। सीपीडब्ल्यूडी इसकी क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा बाजार से प्राप्त की गई सामग्री, श्रम और मशीनरी की बुनियादी दरें प्राप्त करने के बाद कार्य के विभिन्न मदों के लिए दरें तैयार करता है।

हालांकि सीपीडब्ल्यूडी नियम-पुस्तिका में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक क्षेत्र के लिए उस क्षेत्र द्वारा प्रयोज्यता हेतु अलग-अलग एसओआर तैयार किया जाना है, लेकिन वास्तविकता में, दिल्ली क्षेत्र के एसओआर यानी डीएसआर का उपयोग अन्य सभी क्षेत्रों द्वारा उस क्षेत्र में विद्यमान संबंधित लागत सूचकांक के साथ आशोधित करके किया जाता है। इस प्रकार, डीएसआर बहुत महत्व रखता है क्योंकि इसका उपयोग न केवल सीपीडब्ल्यूडी द्वारा बल्कि कई विभागों, संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वास्तुकारों और निर्माताओं द्वारा भी पूरे भारत में किया जाता है।

दिल्ली दरों की अनुसूची (डीएसआर) पहली बार 1931 में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसके बाद कई[37] परिशोधन/प्रकाशन हुए। यह विभिन्न निर्माण गतिविधियों और सामग्रियों के लिए मानकीकृत दरें प्रदान करता है, जिनका प्रयोग निर्माण कार्यों में किया जाता है। श्रमिक की मजदूरी और सामग्री की कीमतों में परिवर्तन, नई निर्माण प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों को स्वीकारने के कारण एसओआर का परिशोधन आवश्यक हो जाता है। सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियम-पुस्तिका के पैरा 3.1.9 में दो वर्ष में एक बार एसओआर के परिशोधन/अद्यतन का प्रावधान है।

डीएसआर 2019 को जुलाई 2021 में परिशोधित/अद्यतित किया गया था। डीएसआर को तीन व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है अर्थात सिविल, इलेक्ट्रिकल और बागवानी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने डीएसआर (सिविल) की समीक्षा की है जिसमें 200 नए सिविल मद कार्य

---

[36] *₹48.28 लाख + ₹3.65 लाख + ₹6.24 लाख = ₹58.17 लाख*

[37] *डीएसआर को 1977, 1981, 1985, 1989, 1993, 1997, 2002, 2007, 2010 (पुनर्मुद्रण), 2012, 2013, 2014, 2016 और 2019 में परिशोधित किया गया था*

जोड़े गए थे। परिणामस्वरूप, सिविल मद कार्य की योग संख्या बढ़कर 3,070 हो गई थी, जिसमें सामग्री की ढुलाई, मिट्टी का काम, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, चिनाई का काम आदि जैसे मद सम्मिलित हैं।

3.3.2 एसओआर के परिशोधन की प्रक्रिया

हालांकि, सीपीडब्ल्यूडी नियम-पुस्तिका एसओआर को अद्यतित करने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करती है, लेकिन डीएसआर 2021 की तैयारी के लिए अवलोकन/अनुसरण की गई प्रक्रिया संक्षेप में नीचे दी गई है:

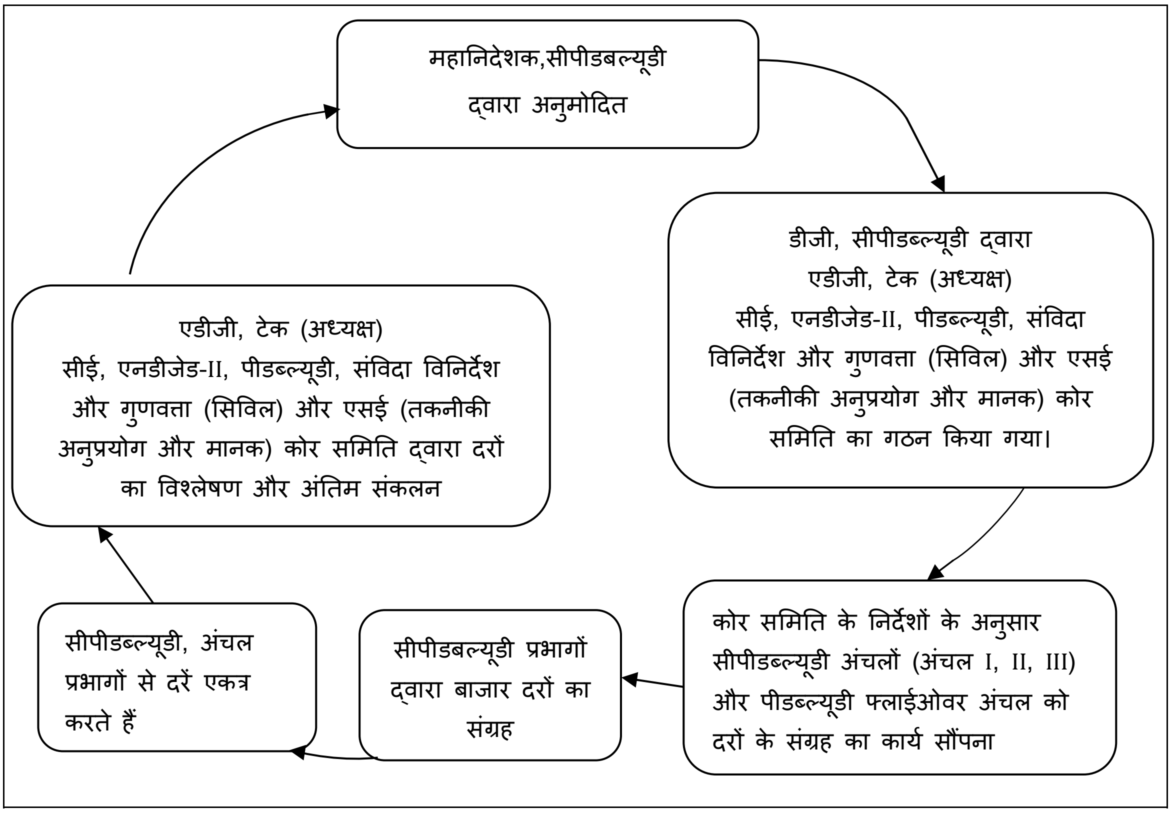

चार्ट 3.1: डीएसआर 2021 के संकलन के लिए आधार दरों के संग्रह के हेतु प्रवाह चार्ट

डीएसआर 2021 की तैयारी की प्रक्रिया, डीएसआर 2019 के परिशोधन के लिए डीजी, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अनुमोदित एक कार्यालय ज्ञापन जारी करने के साथ शुरू हुई। इसके बाद, एक बैठक बुलाई गई (मई 2021), जिसमें यह निर्णय लिया गया कि डीएसआर 2019 को, मौजूदा मदों का संशोधन करके, हटा कर या नए मदों और दरों को जोड़कर परिशोधित किया जाएगा। डीएसआर 2021 की तैयारी की प्रगति के अनुवीक्षण के लिए, अपर महानिदेशक (तकनीकी) की अध्यक्षता में एक कोर समिति का गठन किया गया। आधार दरों के संग्रह के लिए, एसओआर के सभी मदों को चार भागों में विभाजित किया गया और

प्रत्येक भाग को सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी के चार क्षेत्रों अर्थात् दिल्ली क्षेत्र में स्थित क्रमशः सीपीडब्ल्यूडी अंचल-**I**, सीपीडब्ल्यूडी अंचल-**II**, सीपीडब्ल्यूडी अंचल-**III** और पीडब्ल्यूडी फ्लाईओवर अंचल को सौंपा गया। सीपीडब्ल्यूडी के प्रभागों से अनुरोध किया गया कि प्रस्तावित संशोधन 01 अप्रैल 2021 या उससे ठीक पहले की वर्तमान दरों को दर्शाएँ। डीएसआर तैयार करने के लिए श्रमिक दरें, दिल्ली सरकार या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (मुख्य श्रम आयुक्त का कार्यालय), नई दिल्ली द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी, जो भी अधिक हो, से ली गईं थीं।

एक बार सभी दरें एकत्र हो जाने के बाद, सीपीडब्ल्यूडी मुख्यालय में तकनीकी अनुप्रयोग और मानक इकाई / संविदा विनिर्देश और गुणवत्ता आश्वासन (टीएएस/सीएसक्यू) अनुभाग ने डीएसआर के परिशोधन/संकलन का कार्य किया।

3.3.3 वित्तीय प्रभाव

विभिन्न प्रकार के कार्यों की अनुमानित लागत के आधार पर सीपीडब्ल्यूडी, मंत्रालय को बजट अनुमान अग्रेषित करता है, इसलिए एसओआर विशेष महत्व रखता है। 2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए सीपीडब्ल्यूडी का बजट अनुमान क्रमशः ₹2,027.33 करोड़, ₹3,100.57 करोड़ और ₹4,314.08 करोड़ था। सरकारी धन की भारी मात्रा को देखते हुए, यह अनिवार्य हो जाता है कि बजट अनुमानों की गणना के लिए मानदंड सटीक और विश्वसनीय हों।

सटीक और विश्वसनीय अनुमान के महत्व को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि यदि एसओआर वस्तुओं की दरें बाजार में विद्यमान दरों से अधिक हैं, तो परियोजना की अनुमानित लागत बढ़ जाती है और यह स्थिति संविदाकार को अनुचित लाभ की संभावना से भरी हो सकती है।

इसके अलावा, विचलन मदों[38] और अतिरिक्त मदों की दरों के विश्लेषण के संबंध में एसओआर का प्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव है क्योंकि डीएसआर में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, वस्तुओं की दर की गणना की जाती है। मद दर का अनुमान लगाने की प्रक्रिया में खामी के कारण वित्तीय प्रभाव पैरा 3.3.4.4 में विस्तृत है, जहां विचलित वस्तुओं और अतिरिक्त वस्तुओं

[38] *करार की शर्तों द्वारा निर्धारित सीमा से परे।*

की दर की गणना की प्रक्रिया बढ़ी हुई कीमत की ओर ले जाती है, जो संविदाकारों के लिए अनुचित लाभ की संभावना पैदा कर सकती है।

परिशोधित/अद्यतित डीएसआर 2021 की लेखापरीक्षा का उद्देश्य सार्वजनिक कार्यों की लागत का अनुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली दरों की पारदर्शिता, सटीकता और विश्वसनीयता का निर्धारण करना है। इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष बाद के अनुच्छेदों में विस्तृत हैं:

3.3.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.3.4.1 आधार दरों के संग्रह की कार्यप्रणाली में विसंगति

सीपीडब्ल्यूडी ने डीएसआर की वस्तुओं को चार भागों में विभाजित किया और वर्तमान दरों के लिए एक हिस्से को एक क्षेत्र को सौंप दिया। इसके अलावा, 01 अप्रैल 2021 को या उससे ठीक पहले के बाजार दरों को निर्धारित करने हेतु सर्वेक्षण पश्चात एसओआर तैयार किया जाना था।

हालांकि, यह पाया गया कि परिशोधित/अद्यतित डीएसआर 2021 में, पिछले डीएसआर की 2,172 वस्तुओं[39] में से, 912 वस्तुओं (42 प्रतिशत) में आधार दरें अपरिवर्तित रहीं और 252 वस्तुओं (11.60 प्रतिशत) में स्वीकृत आधार दरें कम कर दी गईं थीं। कुल वस्तुओं में से 999 वस्तुओं (46 प्रतिशत) में आधार दरों को ऊर्ध्वमुखी परिशोधित किया गया था। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने आधार दरों के संग्रह की कार्यप्रणाली में निम्नलिखित विसंगतियां पाईं:

(i) **आधार दरों के संग्रह के लिए बाजार सर्वेक्षण का संचालन न करना:** के.लो.नि. वि. ने दिनांक 10 मई 2021 के पत्र के माध्यम से निर्देश दिया था कि सामग्री की बाजार दरें आदि 1 अप्रैल 2021 को या उससे ठीक पहले की हों और अन्य जानकारी एकत्र एवं प्रस्तुत की जानी चाहिए। हालांकि, 01 अप्रैल 2021 को या उससे पहले अंचल द्वारा बाजार सर्वेक्षण संचालित नहीं किए गए। आगे यह पाया गया कि अंचलों ने जिन दरों को आगे भेजा, वे उन दरों तक कैसे पहुंचीं, इसका कोई प्रमाण वे नहीं दे सकीं। इस प्रकार, बाजार सर्वेक्षण नहीं किए जाने और प्रभागों द्वारा प्रस्तुत

[39] मद विभिन्न वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जैसे सामग्री, श्रम, मशीनरी के किराया शुल्क और गाड़ी शुल्क जो काम में उपयोग किए जाते हैं। 2,172= (2,402 डीएसआर 2021 की वस्तुएं- 239 नई वस्तुएं+9 हटाई गईं वस्तुएं)।

दरों के पक्ष में अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किए जाने से, डीएसआर 2021 में सम्मिलित दरों की सत्यता का पता लेखापरीक्षा द्वारा नहीं लगाया जा सका ।

(ii) **प्रभागों से प्रतिस्पर्धी दरों का संग्रहण नहीं किया जाना:** एसओआर में कार्य की वस्तुओं को चार भागों में विभाजित किया गया था और क्रमशः चार अंचलों को सौंपा गया था। एक अंचल द्वारा प्रदान की जाने वाली दरों की तुलना अन्य अंचल द्वारा प्रदान की जाने वाली दरों से नहीं की जा सकती थी क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों को दी गई सूचियां पारस्परिक रूप से अनन्य थीं। इस प्रकार, एसओआर में शामिल कार्य की वस्तुओं की दरों की प्रतिस्पर्धात्मकता का पता नहीं लगाया जा सकता था।

इस प्रकार, आधार दरों के संग्रह के लिए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत कार्यप्रणाली यथार्थवादी नहीं थी। इस तथ्य को इस आँकड़े से और बल मिलता है कि जनवरी 2022 से जनवरी 2023 की अवधि के दौरान, 5,011 कार्यों में से, 4,666 कार्य (93 प्रतिशत) ऐसे दिए गए जिनमे निविदा-लागत अनुमानित-लागत से कम थी। ध्यातव्य है कि अनुमानित-लागत डीएसआर 2021 के आधार पर तैयार की गई थी। विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 3.1: वे कार्य जहां प्रदत्त निविदा अनुमानित लागत से कम थी

अनुमानित लागत से कम में प्रदत्त निविदाओं की सीमा (प्रतिशत में)	निविदाओं की संख्या	कुल मामलों के सापेक्ष में निविदा की प्रतिशतता (5,011 कार्यों में से)
0-20	1,420	28.34
21-40	1,393	27.80
41-60	1,359	27.12
61-80	478	9.54
81-100	16	0.32
कुल	**4,666**	**93.12**

(स्रोत: के लो नि वि)

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने अपने उत्तर (जून 2024) में बताया कि बाजार से दरों का संग्रह एक निरंतर प्रक्रिया है जो प्रत्येक निविदा के लिए उचित विवरण देने हेतु पूरे वर्ष होती रहती है और उस स्थिति में बाजार दरों के संग्रह के लिए विशिष्ट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं होती है जब प्रभाग कार्यालय नियमित रूप से दरों को अद्यतित कर रहे होते हैं। संबंधित मुख्य अभियंताओं ने विचार-विमर्श और उनके

अधीन कार्यरत कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रस्तुत की गई बाजार दरों से संतुष्ट होने के उपरांत, उन्हें सौंपे गए सामग्री कोड के लिए बाजार दरों को संविदा विनिर्देश और गुणवत्ता आश्वासन अनुभाग (सीएसक्यू) को डीएसआर में दरों को अद्यतित करने हेतु प्रस्तुत किया है।

एसओआर के आधार पर तैयार की गई अनुमानित लागत से कम में सौंपी गयी संविदाओं के संबंध में, संभावित कारण हैं **(i)** कार्यों की मांग-और-आपूर्ति, **(ii)** अप्रयुक्त मशीनरी का उपयोग, **(iii)** अभिकरणो के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता, **(iv)** सौंपे गए कार्य की मात्रा, **(v)** पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा का स्तर, **(vi)** आरक्षित संसाधन (श्रम, सामग्री, तकनीकी श्रम शक्ति), **(vii)** उच्च श्रेणी में सूचीयन के लिए संविदाकारों की इच्छा **(viii)** कार्य का प्रकार और स्थान **(ix)** पूर्व अनुभव **(x)** निर्मित वस्तुओं की उपलब्धता **(xi)** क्रेडिट सुविधा की उपलब्धता और कई अन्य ऐसे कारण। आगे यह कहा गया कि, डीएसआर वस्तुओं की समीक्षा तब की जाती है जब सीएसक्यू द्वारा कोई विसंगति पायी जाती है या क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा सीएसक्यू के ध्यान में लाया जाता है या जब कोई अन्य उपयोगकर्ता सीएसक्यू को इंगित करता है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, केवल निविदाओं में संविदाकारों द्वारा उद्धृत कम दरों के आधार पर एसओआर वस्तुओं की परिशुद्धता के लिए किसी विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि सीपीडब्ल्यूडी के दिनांक 10 मई 2021 के पत्र के अनुसार, 01 अप्रैल 2021 को या उससे ठीक पहले की अवधि की दरें यथावत प्रदान की जानी थीं। हालांकि, मंत्रालय/सीपीडब्ल्यूडी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान नहीं किया कि क्या मुख्य अभियन्ताओं द्वारा भेजी गई बाजार दरें 01 अप्रैल 2021 को या उससे ठीक पहले की अवधि से संबंधित हैं। यह आगे कहा गया है कि उचित विवरण तैयार करना एक नियमित और वर्ष भर चलने वाली प्रक्रिया है जबकि डीएसआर की तैयारी/अद्यतन एक गहन अभ्यास है जिसमें बाजार सर्वेक्षण के माध्यम से कार्य की वस्तुओं का विस्तृत अध्ययन सम्मिलित है। इसके अलावा, दरों की प्रतिस्पर्धी तुलना हेतु, प्रत्येक अंचल से सभी वस्तुओं की दरें प्राप्त नहीं करने के लिए मंत्रालय/सीपीडब्ल्यूडी ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। यह एक मॉडल डीएसआर प्राप्त करने के लिए किया जाना था जो सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भविष्य की योजना में सुधार करता।

अनुशंसा संख्या 1: सीपीडब्ल्यूडी को बाजार सर्वेक्षण संचालित करने के बाद एसओआर में उल्लिखित दरों को अद्यतित/परिशोधित करना चाहिए और समीक्षा एवं लेखापरीक्षा के लिए उनके उचित अभिलेखों को रखना चाहिए।

3.3.4.2 क्षेत्रवार दरों की अनुसूची (एसओआर) तैयार न करना

जैसा कि सीपीडब्ल्यूडी नियम-पुस्तिका 2019 के पैरा 3.1.9 के अंतर्गत कहा गया है, दिल्ली के लिए एसओआर महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी और उसी प्रकार सीपीडब्ल्यूडी के अन्य क्षेत्रों के लिए उनके संबंधित विशेष महानिदेशक (एसडीजी) द्वारा जारी किया जाना है। कार्य की वस्तुओं की आधार दरों के निर्धारण के लिए, क्षेत्रीय स्तर पर चार्ट 3.1 में वर्णित पद्धति के समान एक पद्धति का पालन किया जाना था। जहां तक श्रम दरों का संबंध है, संबंधित राज्य सरकार या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी में से जो भी अधिक हो, को संबंधित अंचल की एसओआर तैयार करने के लिए स्वीकृत किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि क्षेत्रों का कोई पृथक एसओआर नहीं था। सीपीडब्ल्यूडी के सभी क्षेत्र, डीएसआर का उपयोग उस क्षेत्र के लागत-सूचकांक के अनुसार संशोधित करके कर रहे थे। इस प्रकार संशोधित डीएसआर का उपयोग सीपीडब्ल्यूडी के क्षेत्रों द्वारा कार्यों के विस्तृत अनुमान तैयार करने के लिए किया जा रहा था।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने (जून 2024) कहा कि सीपीडब्ल्यूडी में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार, डीएसआर का उपयोग करके किसी भी काम का विस्तृत अनुमान तैयार किया जाता है। स्थान का लागत सूचकांक प्लिंथ एरिया रेट (पीएआर) की रूपरेखा के आधार पर तैयार किया जाता है और उस स्थान पर काम की लागत जानने के लिए इस लागत सूचकांक को डीएसआर दरों के आधार पर अनुमानित लागत के साथ गुणा किया जाता है। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों में दी गई श्रम दरें न्यूनतम मजदूरी हैं और क्षेत्रीय कार्यालयों को दरों की जांच करनी होगी और श्रम की उपलब्धता एवं पास के स्टेशन से दूरी के आधार पर उस विशेष कार्य स्थल में लागू दरों को स्वीकारना होगा। प्रत्येक कार्य में, सामग्री की बाजार दरों, टी एंड पी के किराया शुल्क और काम के स्थान पर विद्यमान स्थानीय श्रम दरों के आधार पर काम की उचित लागत तैयार की जाती है। निविदा लागत का मूल्यांकन उचित लागत के आधार पर किया जाता है और यदि निविदा लागत उचित लागत की स्वीकार्य सीमा के भीतर है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा स्वीकार की जाती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक स्थान पर लागत सूचकांक का

उपयोग करके दरों के स्थानीयकृत प्रभाव का ध्यान रखा जाता है, इसलिए क्षेत्रीय एसओआर तैयार नहीं किए जाते हैं, हालांकि कार्य नियम-पुस्तिका में इसका प्रावधान है।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि संबंधित महानिदेशक द्वारा तैयार किए जाने वाले क्षेत्रीय एसओआर को अनिवार्य करने वाले नियम-पुस्तिका के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। इसने सीपीडब्ल्यूडी के व्यापक क्षेत्रों को, एसओआर जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख की तैयारी में भागीदारी करने से वंचित कर दिया था। इसके अलावा, यह पाया गया है कि सीपीडब्ल्यूडी ने डीएसआर 2021 में कुल 2,402 वस्तुओं की तुलना में लागत सूचकांक की गणना करते समय केवल 31 वस्तुओं पर विचार किया था। इसके अतिरिक्त, लागत सूचकांक भी विभिन्न वस्तुओं की दरों पर भौगोलिक विविधताओं के प्रभाव को समावेशित नहीं करता है। इसके अलावा, नियम-पुस्तिका में कहीं भी यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि क्षेत्रीय एसओआर के अभाव में, बाजार दरों के निर्धारण के लिए क्षेत्र के लागत सूचकांक का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, दिल्ली क्षेत्र के बाहर के लिए लागत सूचकांक की विस्तृत गणना, उत्तर के साथ लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई है।

अनुशंसा संख्या 2: सीपीडब्ल्यूडी को नियम-पुस्तिका के अनुसार दरों की क्षेत्रवार अनुसूची तैयार करनी चाहिए ना कि डी.एस.आर. को क्षेत्रीय लागत-सूचकांक के अनुसार परिवर्तित करके अपना लेना चाहिए।

3.3.4.3 वास्तव में उपयोग की गयी सामग्री और श्रम की मात्रा के दस्तावेजी साक्ष्य के बिना एसओआर में कार्य की नयी वस्तुओं को सम्मिलित करना

कार्य की नयी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो मौजूदा एसओआर में सम्मिलित नहीं हैं, लेकिन नए एसओआर में जोड़े जाने का प्रस्ताव है। इसलिए, नए एसओआर में सम्मिलित होने से पहले, उन्हें कार्य के लिए अनुसूचित नहीं किए गए वस्तुओं के रूप में माना जाता है। सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल 2019 के एसओपी 5/33 के उप पैरा 18 (**iii**) के अनुसार, गैर-अनुसूचित वस्तुओं के लिए, अधीक्षण अभियंता का निर्णय उन सामग्रियों की सैद्धांतिक मात्रा के संबंध में अंतिम है जिनका वास्तव में कार्य की वस्तु में उपयोग किया जाना था।

अधीक्षण अभियंता (सीएसक्यू) के साथ चर्चा के दौरान, ऑडिट को यह कहा गया कि डीएसआर 2021 में शामिल नई वस्तुओं का गुणांक क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा इन वस्तुओं के

कार्यान्वयन के आधार पर तय किया गया था। हालांकि, डीएसआर 2021 में शामिल विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत कार्य की 200 नई वस्तुओं के लिए वास्तव में उपयोग की गई मात्रा से संबंधित कोई अभिलेख/दस्तावेज नहीं पाया गया ।

इस प्रकार, एसओआर में सम्मिलित नई वस्तुओं की मात्राओं/गुणांक की गणना के दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में, नई वस्तुओं के लिए एसओआर में ली गई मात्रा की प्रामाणिकता का पता नहीं लगाया जा सका।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में कहा कि डीएसआर 2021 में शामिल कार्य की 200 नयी वस्तुएं विनिर्माताओं, उनके उपयोगकर्ताओं और क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा प्रदान किए गए विवरण के आधार पर तैयार किए गए थे। डीएसआर में शामिल किए जाने के लिए कार्य की प्रस्तावित सभी नई वस्तुएं निर्माताओं द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी विवरण, सामग्री और श्रम की आवश्यकता के आधार पर और जहां भी इन वस्तुओं का उपयोग किया जा रहा है वहाँ की क्षेत्रीय इकाइयों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद तैयार की गई थीं। निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रही वस्तुओं की मात्रा, श्रम एवं टी एण्ड पी को क्षेत्रीय इकाइयों की टिप्पणियों के आधार पर परिशुद्ध कर एसओआर में शामिल कर लिया जाता है । इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि एसओआर, सामग्री और श्रम की मात्रा के सत्यापन के बिना तैयार किया जाता है।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि निर्माताओं, उनके उपयोगकर्ताओं से प्राप्त विवरण के साथ-साथ क्षेत्रीय इकाइयों के साथ पत्राचार के आधार पर, निर्माताओं द्वारा प्रदान की गई सामग्री और श्रम की आवश्यकता के संबंध में प्राप्त सूचना और क्षेत्र इकाइयों की प्रतिक्रिया को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस मामले में यह और भी महत्वपूर्ण था क्योंकि कार्य की इन वस्तुओं को पहली बार एसओआर में शामिल किया जा रहा था। ऐसे में अभिलेखों के अभाव में, मंत्रालय द्वारा किए गए दावों का सत्यापन नहीं किया जा सकता है।

3.3.4.4 वस्तुओं की दर की गणना की दोषपूर्ण प्रक्रिया

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी "कार्य के प्रापण हेतु नियम-पुस्तिका" के पैरा 4.16 में निर्धारित है कि जीएसटी की गणना वस्तु की सकल दर पर की जानी है। वस्तु की सकल दर में सामग्री की आधार दर, श्रम, मशीनरी, सांविधिक शुल्क और संविदाकार लाभ एवं उपरिप्रभार (सीपी एंड ओएच) शामिल है।

हालांकि, यह पाया गया कि सीपीडब्ल्यूडी ने जीएसटी को छोड़कर सकल राशि पर सीपी एंड ओएच की गणना करने के बजाय जीएसटी घटक सहित सकल राशि पर सीपी एंड ओएच की गणना की थी। 1 जुलाई 2017 से 17 जुलाई 2022 तक 12 प्रतिशत की दर से और 18 जुलाई 2022 से 7 अगस्त 2024 तक 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी पर विचार करने के बाद कार्य की लागत की गणना करने की इस पद्धति से जैसा की निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है कार्य की अनुमानित लागत में 1.83 प्रतिशत[40] और 2.77 प्रतिशत[41] की समग्र वृद्धि हुई थी।

तालिका 3.2: 01 जुलाई 2017 से 17 जुलाई 2022 की अवधि के लिए सीपी एंड ओएच की गणना का मॉडल गणना (अर्थात, 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी के लिए लागू)

विवरण	**सीपीडबल्यूडी के दिनांक 08.11.2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार मॉडल गणना**	**खरीद नियम-पुस्तिका के अनुसार मॉडल गणना**
सामग्री, श्रम, भिन्न-भिन्न वस्तुओं, पीओएल और टी एंड पी की मूल दर	100	100
1 प्रतिशत जल शुल्क	1	1
जल शुल्क जोड़ने के बाद राशि	**101**	**101**
12 प्रतिशत जीएसटी (प्रतिवर्ती गणना पद्धति अपनाते हुए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा गणना किया गया गुणा कारक 0.1405) अर्थात, 101 x 0.1405	14.19	-
जीएसटी जोड़ने के बाद राशि	**115.19**	**101**
15 प्रतिशत सीपी एंड ओएच	17.28	15.15
15 प्रतिशत सीपी एंड ओएच (ए) जोड़ने के बाद राशि	**132.47**	**116.15**
1 प्रतिशत श्रम उपकर	1.32	1.16
1 प्रतिशत श्रम उपकर जोड़ने के बाद राशि	133.79	117.31
(ए) पर जीएसटी 12 प्रतिशत की दर	-	14.08
सकल कुल	**133.79**	**131.39**

[40] *(133.79-131.39)/131.39*100= 1.83 प्रतिशत*

[41] *(142.26-138.43)/138.43 * 100 = 2.77 प्रतिशत*

तालिका 3.3: 18 जुलाई 2022 से 07 अगस्त 2024 की अवधि के लिए सीपी एंड ओएच की मॉडल गणना (अर्थात, 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी के लिए लागू)

विवरण	सीपीडब्ल्यूडी के दिनांक 08.11.2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार मॉडल गणना	खरीद नियम-पुस्तिका के अनुसार मॉडल गणना
सामग्री, श्रम, भिन्न-भिन्न वस्तुओं, पीओएल और टी एंड पी की मूल दर	100	100
1 प्रतिशत जल शुल्क	1	1
जल शुल्क जोड़ने के बाद राशि	**101**	**101**
18 प्रतिशत जीएसटी (प्रतिवर्ती गणना पद्धति अपनाते हुए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा गणना किया गया गुणा कारक 0.2127) अर्थात, 101 x 0.2127	21.48	-
जीएसटी जोड़ने के बाद राशि	**122.48**	**101**
15 प्रतिशत सीपी एंड ओएच	18.37	15.15
15 प्रतिशत सीपी एंड ओएच (ए) जोड़ने के बाद राशि	**140.85**	**116.15**
1 प्रतिशत श्रम उपकर जोड़े	1.41	1.16
1 प्रतिशत श्रम उपकर जोड़ने के बाद राशि	142.26	117.31
(ए) पर जीएसटी18 प्रतिशत की दर	-	21.12
सकल योग	**142.26**	**138.43**

इस प्रकार, जीएसटी घटक पर सीपी एंड ओएच की अनुमति देने से अनुमानित परियोजना लागत में क्रमशः 12/18 प्रतिशत की दर से जीएसटी पर विचार करते हुए 1.83/2.77 प्रतिशत की समग्र वृद्धि हुई थी।

1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2024 की अवधि में, सीपीडब्ल्यूडी ने विभिन्न निर्माण और अनुरक्षण कार्यों पर ₹23,305.10 करोड़[42] का व्यय किया था। इन खर्चों के आधार पर,

[42] इस राशि में लेखापरीक्षा को दी गई सूचना (24-02-2025) के अनुसार जुलाई 2017 से जुलाई 2024 की अवधि में विभिन्न निर्माण और मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों पर सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया गया व्यय शामिल है।

लेखापरीक्षा ने निर्धारित किया कि सीपीडब्ल्यूडी ने परियोजना की अनुमानित लागत का अधिक आकलन किया था और 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2024 की अवधि के दौरान मंत्रालय से ₹513 करोड़[43] (लगभग) की अतिरिक्त बजटीय निधि को प्राप्त किया ।

सितंबर 2023 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में कहा कि संविदाकार-लाभ और ओवर्हेड पर जीएसटी, जैसा कि एस.ओ.आर. में अपनाया गया है, उस प्रक्रिया को सही रूप में दर्शाता है जो कि संविदाकार अपनाते हैं, जीएसटी सहित दरों को उद्धृत करने के लिए । बाद में, सीपीडब्ल्यूडी ने कहा (अगस्त 2024) कि लेखापरीक्षा टिप्पणी पर विचार करने और वित्त मंत्रालय की कर अनुसंधान इकाई के परामर्श के साथ-साथ कानूनी मामलों के विभाग द्वारा दी गई सलाह पर नए प्रकाशित डीएआर 2023 में वस्तु की दरों के विश्लेषण की कार्यप्रणाली को संशोधित कर लिया गया है । इस संशोधन ने परियोजना की अनुमानित लागत को 2.77 प्रतिशत (मौजूदा जीएसटी दर अर्थात 18 प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए कम कर दिया और डीएसआर-2023 की मौजूदा वस्तुओं पर 0.973 का सुधार कारक प्रस्तावित किया ।

इस प्रकार, सुधारात्मक उपाय करने से पहले सीपीडब्ल्यूडी द्वारा गणना की गलत विधि का प्रयोग किया जा रहा था, जिसका प्रभाव जुलाई 2017 की अवधि से सुधार जारी करने की तिथि यानी 8 अगस्त 2024 तक की निष्पादित परियोजनाओं पर पड़ा था, जिनसे उनकी कुल लागत के अनुमान में बढ़ोतरी हुई थी। निविदा के लिए उच्च अनुमानित लागत, संविदकरों की भागीदारी को प्रतिबंधित कर सकती है क्योंकि पिछले अनुभव और वित्तीय व्यवसाय की पात्रता काम की अनुमानित लागत के आधार पर निर्धारित की गई थी। इसके अलावा, उच्च मानदंडों से निधियों का गैर-अनुकूलन होता है क्योंकि बजट/निधियों की मांग एवं आवंटन आवश्यकता से अधिक है। इसके अलावा, उच्च अनुमान के आधार पर सीपीडब्ल्यूडी द्वारा बोलियों के आमंत्रण और उनके जांच के परिणामस्वरूप लागत की बेंचमारकिंग ऊंची तय हुई जिससे बोली के दौरान अधिक मूल्य का जोखिम था। जुलाई 2017 से जुलाई 2024 की अवधि में परियोजना लागत के 1.83/2.77 प्रतिशत के अतिरिक्त अनुमान पर मंत्रालय/सीपीडब्ल्यूडी मौन है।

---

[43] ***₹14100.73 करोड़ (अर्थात, जुलाई 2017 से 17 जुलाई 2022 की अवधि के दौरान किया गया व्यय) x 1.83 प्रतिशत + ₹9204.37 करोड़ (अर्थात, 18 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 की अवधि के दौरान किया गया व्यय) x 2.77 प्रतिशत = ₹513 करोड़।***

3.3.4.5 श्रम उपकर पर जीएसटी का प्रावधान न करना

कार्य की किसी मद की अनुमानित लागत की गणना के लिए लागू श्रम उपकर को ध्यान में रखते हुए जीएसटी की गणना की जानी है। सीजीएसटी अधिनियम 2017 की खण्ड 15 में कहा गया है कि, जीएसटी, सीजीएसटी अधिनियम के अलावा किसी भी कानून के अंतर्गत लगाए गए किसी भी कर, ड्यूटी, उपकर, शुल्क और शुल्क सहित वस्तुओं या सेवा या दोनों के मूल्य पर लागू होता है। इसलिए, जीएसटी श्रम उपकर पर लागू होता है।

अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि, सीपीडब्ल्यूडी ने डीएसआर 2021 तैयार करते समय श्रम उपकर पर जीएसटी शामिल नहीं किया था। इस प्रकार, श्रम उपकर पर जीएसटी नही लगाया जाना सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार नहीं था। अनुमानित दर की गणना करने की इस पद्धति से कार्य की अनुमानित लागत में कमी आई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, सीपीडब्ल्यूडी ने कहा (अगस्त 2024) कि वित्त मंत्रालय की कर अनुसंधान इकाई के परामर्श और कानूनी मामलों के विभाग द्वारा दिये गए परामर्श के पश्चात, इसने नए प्रकाशित डीएआर 2023 में वस्तु की दरों के विश्लेषण की पद्धति को आशोधित किया है और अब जीएसटी की गणना श्रम उपकर पर भी की जाती है।

इस प्रकार, जुलाई 2017 से सुधार जारी करने की तिथि तक की अवधि के दौरान सीपीडब्ल्यूडी द्वारा गणना की गलत पद्धति का प्रयोग किया जा रहा था।

3.3.4.6 डीएसआर की दरों और क्षेत्रीय कार्यालयों/अंचल से प्राप्त दरों का बेमेल होना

डीएसआर के अद्यतन के दौरान, संविदा विनिर्देश और गुणवत्ता आश्वासन (सिविल) की तकनीकी अनुप्रयोग और मानक इकाई डीएसआर में अपनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से मशीनरी और सामग्री की दरें एकत्र करती है। अभिलेखों की जाँच से पता चला कि डीएसआर में स्वीकृत दरें अंचलों द्वारा प्रस्तुत दरों से मेल नहीं खाती थीं। एसओआर में स्वीकृत की गई कुल 2,172 वस्तुओं में से, क्षेत्रीय इकाइयों से चर्चा और टेलीफोन पर की गयी बातचीत के आधार पर सीपीडब्ल्यूडी मुख्यालय द्वारा अंचलों से प्राप्त 538 वस्तुओं की दरों को आशोधित किया गया था। इसके अलावा, 538 वस्तुओं में से, 85 वस्तुओं में दरें 1.01 प्रतिशत से 97.85 प्रतिशत तक निम्नतर स्थिति में और 453 वस्तुओं में दरें उच्चतर

स्थिति में, अर्थात, 0.74 प्रतिशत से लेकर 1,445.45 प्रतिशत तक थी। तीन वस्तुएँ जहां अधिकतम विभिन्नताएँ देखी गई थीं, उन्हें नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 3.4: शीर्ष तीन उच्चतर और निम्नतर मदें

वस्तु का नाम	इकाई	डीएसआर वस्तु संख्या	एसओआर 2021 में स्वीकृत दर (₹ में)	सीपीडबल्यूडी मुख्यालय को अंचल द्वारा उपलब्ध कराये गए दर (₹ में)	डीएसआर में शामिल दर और विद्यमान बाजार दरों (₹ में) में अंतर	प्रतिशतता
उच्चतर पक्ष						
यूपीवीसी एक्सटरूडेड स्लाइडिंग विंडो/डोर सैश की बड़ी श्रृंखला के लिए उपयुक्त आयाम की ग्लेज़िंग बीड	मीटर	8132	85	5.50	79.50	1,445.45 प्रतिशत
स्टेनलेस स्टील टेलीस्कोपिक ड्रॉअर चैनल 500 मिमी लंबे	सेट	8229	535	55	480	872.73 प्रतिशत
1000 मिमी व्यास की आरसीसी पाइपों की ढुलाई	100 मीटर	2332	11,944.1	2,570.59	9,373.51	364.64 प्रतिशत
निम्नतर पक्ष						
बालू की ढुलाई	घन मीटर	2335	163.93	7,636.18	-7,472.25	(-) 97.85 प्रतिशत
100X89X3मि.मी. आकार की एसएस बॉल बेयरिंग	प्रत्येक	8101	450	4,650.00	-4,200.00	(-) 90.32 प्रतिशत
यूपीवीसी एक्सटरूडेड छोटी श्रृंखला केसमेंट विंडो सैश के लिए उपयुक्त आयाम की ग्लेज़िंग बीड	मीटर	8125	100	1,025.00	-925.00	(-) 90.24 प्रतिशत

अंचलों द्वारा प्रस्तुत की गई दरों और डीएसआर में स्वीकृत दरों के बीच बेमेल को किराया शुल्क की मद दर का उदाहरण लेते हुए आगे दर्शाया गया है, जिसका अन्य वस्तुओं की दर पर प्रभाव पड़ता है:

चूंकि डीएसआर (कोड 2200-2357) के 77 वस्तुओं की ढुलाई के संबंध में गणना के लिए ट्रक के किराया दर पर विचार किया जाता है, इसलिए इस मद की दर का विश्लेषण किया गया था। अभिलेखों की जाँच से पता चला कि पीडब्ल्यूडी फ्लाईओवर अंचल ने पेट्रोल तेल और स्नेहक (पीओएल) के बिना ट्रक (नौ टन) के किराया शुल्क के रूप में ₹1,500 की दर प्रस्तुत की थी और स्वीकृत दरें डीएसआर 2018 के समान थीं।

हालांकि, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा शुल्क को बढ़ाकर ₹2,000 कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई दरें असामान्य रूप से कम हैं। बढ़ी हुई दर के लिए कोई कारण नहीं दिया गया था। ढुलाई की दर में वृद्धि के परिणामस्वरूप, डीएसआर (कोड 2200-2357) के 77 वस्तुओं के लिए स्वीकृत दरों में भी जीएसटी और सीपी एंड ओएच को छोड़कर 7.93 प्रतिशत की वृद्धि पायी गई थी।

एमओएचयूए ने उत्तर दिया (जून 2024) कि क्षेत्र इकाइयों द्वारा प्रस्तुत दरें, डीएसआर-2019 में स्वीकृत दरों की तुलना में कम या अधिक थीं, इसलिए दरों को स्वीकार करने से पहले सत्यापित करने की आवश्यकता थी। तदनुसार, इन सामग्रियों की दरों को निर्माताओं और संविदाकारों के साथ टेलीफोन बातचीत के माध्यम से सत्यापित किया गया था और साथ ही तकनीकी बातचीत के दौरान निर्माताओं द्वारा सीएसक्यू इकाई को प्रदान की गई दरों के साथ सामंजस्य स्थापित किया गया था और सीपीडब्ल्यूडी नियम-पुस्तिका एसओआर में स्वीकृत सामग्रियों की दरों के लिए दस्तावेजीकरण साक्ष्य निर्दिष्ट नहीं करती है। इसके अलावा, एसओआर का उपयोग केवल अनुमान उद्देश्यों के लिए किया जाता है और निविदाओं में संविदाकरों द्वारा उद्धृत दरों के आधार पर कार्यों पर व्यय किया जाता है। इसके अलावा, उचित विश्लेषण के बाद ट्रकों के लिए किराया शुल्क स्वीकृत किया गया है।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा सूचित दरें क्षेत्र के अनुभव पर आधारित थीं। इसके अलावा, बिना किसी दस्तावेजी तथ्य के इन दरों में परिवर्तन किए गए थे। दरों के ऊर्ध्वमुखी परिशोधन के अभिलेखों को अनिवार्य रूप से प्रलेखित किया जाना चाहिए था क्योंकि एसओआर में बढ़ती दरें कार्यों की अनुमानित लागत को प्रभावित करती हैं और कार्यों को इस प्रकार प्राप्त मानक लागत के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा, नौ टन (पीओएल के बिना) की क्षमता तक के वाहन को किराए पर लेने की दर को ₹1,500 से बढ़ाकर ₹2,000 करने का कोई उचित कारण नहीं दिया गया था। सीपीडब्ल्यूडी बागवानी कार्य के लिए भी डीएसआर प्रकाशित करता है

जिसमें उन्होंने नौ टन (पीओएल के बिना) की क्षमता वाले ट्रकों को किराए पर लेने के लिए ₹1,500 के रूप में दरें स्वीकृत हैं। यह दर अगस्त 2020 से अब तक प्रभावी है।

3.3.4.7 डीएसआर में श्रम घटक का उच्च प्रावधान

प्रत्येक कार्य के लिए श्रम का घटक पूर्व-निर्धारित होता है। भवन निर्माण कार्य के संबंध में, सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियम-पुस्तिका 2019 के अनुसार सामान्य/कठोर मिट्टी के साथ सामान्य प्रकार के काम के लिए इसे 25 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

लेखापरीक्षा में जांच किए गए 16 करारों में से, पांच करारों में, जिनमें से श्रमिक को किए गए भुगतान से जुड़े अभिलेखों की लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया था, यह पाया गया कि अनुमानों में श्रम घटक सीपीडब्ल्यूडी नियम-पुस्तिका में निर्धारित 25 प्रतिशत के मुकाबले 32.43 प्रतिशत से 56.81 प्रतिशत की सीमा में थे। हालांकि, श्रमिक को किया गया वास्तविक भुगतान अनुमानित लागत का 7.45 प्रतिशत से 23.91 प्रतिशत था। इसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 3.5: श्रम घटक के प्रावधान एवं श्रमिक को किए गए भुगतान के बीच तुलना

(₹ लाख में)

प्रभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	कार्य शुरू होने की तिथि/कार्य पूरा होने की वास्तविक तिथि	मात्रा की अनुसूची में श्रम का प्रावधान/ (अनुमानित लागत का प्रतिशत)	रिकॉर्ड के अनुसार श्रमिक को किया गया भुगतान (पाक्षिक श्रम रिपोर्ट/ भुगतान विवरण	अनुमानित लागत के सापेक्ष श्रमिक को किए गए वास्तविक भुगतान का प्रतिशत
1	2	3	5	4	6	7
टी	लोधी कॉलोनी में टाइप 'ए' और टाइप-बी आवासों की विशेष मरम्मत	92.94	18.06.2022/ 17.10.2022	39.13 (42.10)	6.92	7.45
	लोधी रोड कॉम्प्लेक्स में सेवा केंद्र के अंतर्गत टाइप-II और टाइप-V	93.82	20.05.2022/ 19.11.2022	44.11 (47.02)	10.16	10.83

प्रभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	कार्य शुरू होने की तिथि/कार्य पूरा होने की वास्तविक तिथि	मात्रा की अनुसूची में श्रम का प्रावधान/ (अनुमानित लागत का प्रतिशत)	रिकॉर्ड के अनुसार श्रमिक को किया गया भुगतान (पाक्षिक श्रम रिपोर्ट/ भुगतान विवरण	अनुमानित लागत के सापेक्ष श्रमिक को किए गए वास्तविक भुगतान का प्रतिशत
1	2	3	5	4	6	7
	आवासों में लघु कार्य।					
एम	सेक्टर-8, आरके पुरम एवं वसंत विहार में विभिन्न प्रकार के आवासों की विशेष मरम्मत	66.48	20.08.2022/ 21.10.2022	21.56 (32.43)	8.03	12.08
आर	आरसीसी (चरण-I), वायु सेना स्टेशन में कुछ भवनों के छतों की मरम्मत,	90.68	21.05.2022/ 20.01.2023	35.56 (39.22)	19.86	21.90
सीडी-VI	जेएनयू परिसर में टाइप-I से VI आवासों और ट्रांजिट हाउस भवन की छत का वॉटर प्रूफिंग	108.69	07.01.2023 कार्य प्रगति पर है (पहले आरए बिल के अनुसार)	61.75 (56.81)	25.99	23.91

उपर्युक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि सीपीडब्ल्यूडी नियम-पुस्तिका में निर्धारित श्रम घटक के प्रतिशत की तुलना में डीएसआर के आधार पर तैयार किए गए अनुमानों में श्रम घटक का उच्च प्रावधान किया गया था और अंततः श्रमिक को किया गया वास्तविक भुगतान अनुमान से बहुत कम था।

एमओएचयूए ने अपने उत्तर (जून 2024) में कहा कि श्रम घटक के लिए 25 प्रतिशत, डीएसआर में स्वीकृत सभी मदों पर आधारित है और जो अनुमानों में विचार की गई मदों और मात्राओं के आधार पर एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। मात्रा की अनुसूची के अनुसार श्रम घटक का प्रतिशत अनुमानों में स्वीकृत किए गए मदों और उनकी मात्रा पर निर्भर करता है। इसलिए, यह सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है कि डीएसआर में श्रम घटक

का प्रावधान केवल संविदाकारों द्वारा प्रस्तुत पाक्षिक रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाया जाता है और यह मात्रा की अनुसूची में श्रम के प्रावधान से कम है। चूंकि, कार्य की मात्रा पर अनुसूची के अनुसार गणना की गई श्रमिक आवश्यकता की तुलना में पाक्षिक श्रम रिपोर्ट के आधार पर संविदाकार द्वारा कम श्रमिक तैनात किए जाने के मामले को सीएसक्यू को इंगित किया गया है, क्षेत्रीय प्रभागों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद सीएसक्यू, इकाई कार्य में श्रमिक की आवश्यकता की गणना हेतु प्रक्रिया की समीक्षा करेगी।

इसके अलावा, सीपीडब्ल्यूडी ने आश्वासन दिया है कि (सीएसक्यू) इकाई, क्षेत्र प्रभागों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद कार्य में श्रमिक की आवश्यकता की गणना की प्रक्रिया की समीक्षा करेगी।

अनुशंसा संख्या 3: डीएसआर के अनुसार आवश्यकता के उचित निर्धारण के पश्चात कार्य के अनुमानों में श्रम घटक को वास्तविक रूप से निकाला जाना चाहिए और कार्य में श्रमिक के परिनियोजन का तदनुसार अनुवीक्षण किया जाना चाहिए।

3.3.5 निष्कर्ष

सीपीडब्ल्यूडी ने सीपीडब्ल्यूडी नियम-पुस्तिका में क्षेत्रवार एसओआर का प्रावधान होने के बावजूद दरों की क्षेत्रवार अनुसूची तैयार नहीं की। दिल्ली क्षेत्र के दरों की अनुसूची (अर्थात, डी.एस.आर.) के परिशोधन के दौरान, सीपीडब्ल्यूडी ने डीएसआर में स्वीकृत विभिन्न वस्तुओं की दरों को यथोचित ठहराने वाले अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया। जुलाई 2017 से जुलाई 2024 की अवधि में वस्तुओं की दर की गणना की दोषपूर्ण प्रक्रिया को अपनाने के कारण काम की लागत का अधिक अनुमान किया गया था। क्षेत्रीय कार्यालयों/अंचलों से प्राप्त दरों और डीएसआर में स्वीकृत दरों में अंतर था एवं सीपीडब्ल्यूडी नियम-पुस्तिका के साथ-साथ वास्तविक उपयोग के आधार पर निर्धारित श्रम घटक की तुलना में, उच्चतर श्रम घटक के अनुमान के उदाहरण थे।

3.4 सीपीडब्ल्यूडी द्वारा दिल्ली में परियोजनाओं का प्रबंधन और कार्यान्वयन

3.4.1 परिचय

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) में एक संबद्ध कार्यालय, भारत सरकार का प्रमुख इंजीनियरिंग संगठन और तकनीकी सलाहकार है, जो जुलाई 1854 में अस्तित्व में आया। सीपीडब्ल्यूडी एक संपूर्ण सेवा प्रदाता

है, जो पूरी उत्तरदायी और जिम्मेदारी के साथ, निर्माण-वातावरण के सभी पहलुओं के लिए सिंगल विंडो सेवा देने में सक्षम है। सीपीडब्ल्यूडी निर्माण[44] और अनुरक्षण कार्य[45] करता है।

सीपीडब्ल्यूडी का नेतृत्व महानिदेशक (डीजी) करते हैं जो भारत सरकार के प्रमुख तकनीकी सलाहकार भी हैं। सीपीडब्ल्यूडी को विशेष महानिदेशक (एसडीजी) और अपर महानिदेशक (एडीजी) की अध्यक्षता में क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। छोटे प्रशासनिक इकाइयों, जिन्हें अंचल/मंडल कहा जाता है, का नेतृत्व एक मुख्य अभियंता (सीई)/अधीक्षण अभियंता (एसई) द्वारा किया जाता है। प्रत्येक अंचल/मंडल में क्षेत्रीय इकाइयां शामिल हैं जिन्हें प्रभाग (परियोजना प्रभाग[46]/अनुरक्षण प्रभाग[47]) के रूप में जाना जाता है, जिसे कार्यपालक अभियंता (ईई) (सिविल)/ (इलेक्ट्रिकल) के प्रभार में रखा जाता है। मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता एसडीजी या एडीजी को रिपोर्ट करते हैं, जबकि कार्यपालक अभियंता या तो मुख्य अभियंता या अधीक्षण अभियंता को रिपोर्ट करते है।

3.4.2 बजट और व्यय

वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-2021 के दौरान, सीपीडब्ल्यूडी को व्यय की प्रकृति के आधार पर विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत बजट प्राप्त हुआ था। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत लेखाशीर्ष 4059 (सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय - कार्यालय निर्माण) और 4216 (आवास पर पूंजी परिव्यय) शामिल हैं। जबकि लेखाकरण शीर्ष 4059 में गैर-आवासीय, सामान्य-उद्देश्य कार्यालय और प्रशासनिक भवनों पर व्यय शामिल है, शीर्ष 4216 में सरकारी आवासीय भवनों से संबंधित सभी प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। इसके

---

[44] निर्माण कार्य वे कार्य हैं जिन्हें नए कार्यों, पुनर्वास और भूकंपीय पुनर्निर्माण कार्य के रूप में लिया जाता है, जिसका व्यय पूंजीगत शीर्ष पर प्रभार्य है।

[45] अनुरक्षण कार्य संरचना / भवन को अच्छी स्थिति में रखने और इसकी उपयोगिता एवं मूल्य को बनाए रखने के लिए संरचना या भवन की सुविधाओं को बनाए रखने, बहाल करने या सुधारने के लिए किए गए कार्यों को संदर्भित करता है।

[46] परियोजना प्रभाग विभिन्न प्रकार के भवनों जैसे आवासीय, कार्यालय, स्कूल, प्रयोगशालाओं, अस्पतालों आदि और गैर-निर्माण बुनियादी ढांचा जैसे, राजमार्ग, फ्लाईओवर, सुरंगें, पुल आदि के निर्माण का कार्य करते हैं।

[47] अनुरक्षण प्रभाग प्रत्येक सुविधा को बनाए रखने, बहाल करने या सुधारने का काम करता है, अर्थात, एक संरचना या भवन का हर हिस्सा, बागवानी प्रचालन सहित इसकी सेवाओं को वर्तमान में स्वीकार्य मानक तक बनाए रखने का कार्य और सुविधा की उपयोगिता एवं मूल्य को बनाए रखने के लिए कार्य करता है ।

अलावा, सीपीडब्ल्यूडी डिपॉज़िट कार्यों[48] का निष्पादन भी करता है। एमओएचयूए से प्राप्त वर्ष-वार वास्तविक निधि और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अखिल भारतीय एवं दिल्ली में निर्माण[49] कार्यों के लिए किए गए वास्तविक व्यय[50] नीचे दर्शाये गए हैं:

तालिका 3.6: निर्माण कार्यों में किए गए वर्ष-वार बजटीय आवंटन और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अखिल भारतीय		दिल्ली /एनसीआर में	
	वास्तविक निधि प्राप्त	वास्तविक व्यय	वास्तविक निधि प्राप्त	वास्तविक व्यय
2018-19	1,366.04	1,305.37	706.79	668.84
2019-20	1,083.05	1,075.51	702.03	689.89
2020-21	1,546.44	1,544.73	1,135.50	1,135.00
कुल	**3,995.53**	**3,925.61**	**2,544.32**	**2,493.73**

(स्रोत: सीपीडब्ल्यूडी मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया आंकड़ा)

3.4.3 निर्माण कार्य

सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कार्यान्वित निर्माण कार्यों[51] में आवासीय भवन, कार्यालय भवन, स्कूल, अस्पताल, राजमार्ग और फ्लाईओवर आदि शामिल हैं। निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन के दो चरण[52] है:

पूर्व-निर्माण चरण - इस चरण में की जाने वाली गतिविधियां, कार्यों के आगामी निष्पादन की योजना तैयार करने से जुड़ी हैं। इन गतिविधियों को मुख्य रूप से तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात, प्रारंभिक योजना की तैयारी, अनुमान तैयार करना और कार्यों के निष्पादन के लिए संविदाकार का चयन जैसा कि चार्ट 3.2 में वर्णित है:

---

[48] डिपॉज़िट कार्यों का तात्पर्य निर्माण या मरम्मत और रखरखाव के कार्यों से है, जिसकी लागत स्वायत्त या अर्ध-स्वायत्त निकायों या संस्थानों को उनके प्रशासनिक मंत्रालयों के माध्यम से सरकारी अनुदान से पूरी की जाती है या गैर-सरकारी स्रोतों: (क) सार्वजनिक प्रकृति की निधि, लेकिन भारत संघ के वित्तीय अनुमानों और लेखाओं में शामिल नहीं है या (ख) जनता के योगदान से पूरी तरह या आंशिक रूप से वित्तपोषित की जाती हैं।

[49] लेखाकारण शीर्ष 4059, 4216

[50] प्राप्त वास्तविक निधि और वास्तविक व्यय के आंकड़ों में डिपॉज़िट कार्यों पर व्यय शामिल नहीं है क्योंकि ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए धन ग्राहक विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है।

[51] इस प्रतिवेदन के लिए 'निर्माण कार्य' और 'निर्माण परियोजनाएं' का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है।

[52] सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियम-पुस्तिका 2014 का 2.7

प्रारम्भिक योजना की तैयारी

- क्लायंट से मांग।
- साइट/मृदा आंकड़ा तैयार करना, और जल आपूर्ति, बिजली, जल निकासी और सीवरेज आदि जैसी सेवाओं की व्यवहार्यता का निर्धारण।
- क्लायंट के साथ बातचीत के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं का निर्धारण करना और उनकी आवश्यकताओं को समझना, उनको शामिल करना और प्रारंभिक योजनाओं को तैयार करना।
- क्लायंट द्वारा प्रारंभिक योजनाओं का अनुमोदन

अनुमान की तैयारी

- प्रारंभिक प्राक्कलन तैयार करना।
  क्लायंट द्वारा प्रारंभिक अनुमान का अनुमोदन।
- वास्तुशिल्प रेखा-चित्र तैयार करना और क्लायंट के साथ समीक्षा करना और रेखा-चित्रों का संशोधन।
- स्थानीय निकायों से उनके अनुमोदन के लिए योजनाएं तैयार करना और प्रस्तुत करना।
- स्थानीय निकायों द्वारा योजनाओं का अनुमोदन।
- प्रारंभिक संरचनात्मक आकार तैयार करना।
- सेवा रेखा-चित्र तैयार करना।
- विस्तृत कार्य रेखा-चित्र तैयार करना।
- भवनों और सभी सेवाओं (सिविल, इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल) के लिए विस्तृत अनुमान तैयार करना

संविदाकार का चयन

- एनआईटी की तैयारी और पूर्व-योग्यता आवेदनों को मांगना, जहां भी लागू हो। .
- संरचनात्मक रेखा-चित्रों की तैयारी।
- पूर्व-योग्यता आवेदनों से संविदकरों का चयन, जहां भी लागू हो। .
- जहां भी लागू हो, निविदाओं और पूर्व-बोली सम्मेलन की मांग।
- निविदाओं की प्राप्ति/ओपनिंग।
- निविदा पर निर्णय और कार्य का सौंपा जाना

चार्ट 3.2: निर्माण कार्यों की योजना से जुड़ी गतिविधियाँ

निर्माण चरण- कार्यों के निर्माण चरण के लिए पूर्व-आवश्यकताओं में शामिल हैं:

- क्लायंट द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति,
- सीपीडब्ल्यूडी द्वारा विस्तृत अनुमान पर तकनीकी मंजूरी, और
- सीपीडब्ल्यूडी को धन की उपलब्धता अर्थात, क्लायंट द्वारा धन जारी करना।

इस चरण में की जाने वाली गतिविधियाँ पूर्व-निर्माण चरण में तैयार की गई योजना के अनुसार कार्यों के निष्पादन से जुड़ी हैं। इन गतिविधियों को मुख्य रूप से तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात, निर्माण, कमीशनिंग और कार्यों को पूरा करना जैसा कि नीचे चार्ट 3.3 में बताया गया है:

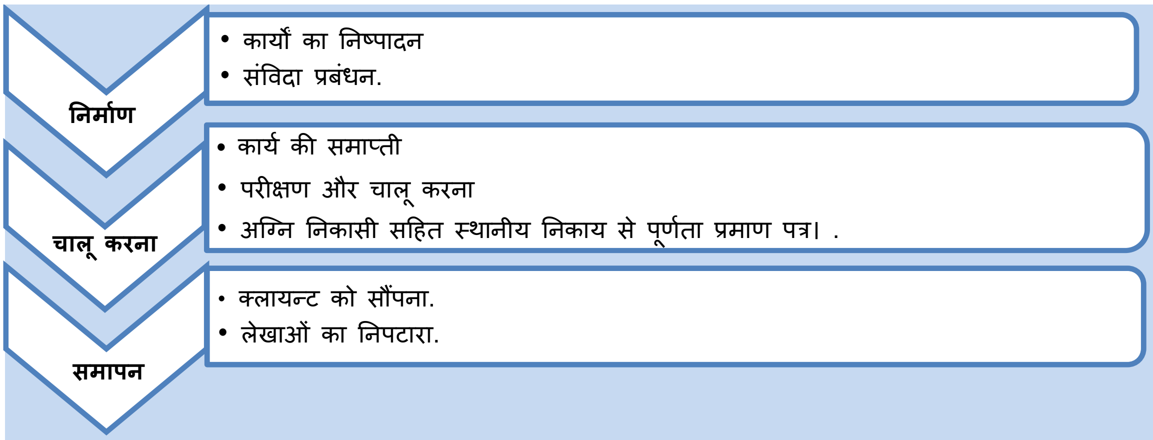

चार्ट 3.3: निर्माण कार्यों के निष्पादन से जुड़ी गतिविधियाँ

वित्त वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा पैन-इंडिया ₹38,644.70 करोड़[53] के प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति (एए एवं ईएस) से जुड़े 3,521 निर्माण कार्यों को निष्पादित किया गया था।

3.4.4 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

3.4.4.1 लेखापरीक्षा का दायरा

लेखापरीक्षा का दायरा केवल दिल्ली में 2018-19 से 2020-21 के दौरान सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को शामिल करता है ताकि ऐसे निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन और समग्र प्रबंधन में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों की जांच की जा सके। लेखापरीक्षा उद्देश्यों पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए, अनुवीक्षण तंत्र और संयुक्त भौतिक सत्यापन की समीक्षा करने के साथ-साथ, सीपीडब्ल्यूडी मुख्यालय और सीपीडब्ल्यूडी के प्रभागों में चयनित कार्यों से संबंधित विभिन्न अभिलेखों की जांच की गई थी।

3.4.4.2 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली एवं नमूना-चयन

वित्त वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान दिल्ली में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा 34 निर्माण कार्य (अनुलग्नक-XV) किए गए जिनका कुल एए एवं ईएस ₹5,656.84 करोड़ था । 34 निर्माण कार्यों' में से प्रतिस्थापन के बिना आकार के आनुपातिक संभाव्यता' नमूना तकनीक का प्रयोग करके तैयार किए गए लेखापरीक्षा नमूने में नौ कार्य (अनुलग्नक-XVI) चयनित हुए जो 34 कार्यों का 26.47 प्रतिशत हैं । नमूने में चार पूर्ण हो चुके कार्य एवं पांच जारी कार्य शामिल हैं और मौद्रिक भागीदारी के संदर्भ में, नमूना पूर्ण हो चुके कार्यों का 85.15

---

[53] इसमें विभिन्न मंत्रालयों से बजटीय, डिपॉज़िट कार्यों और कार्यों की एए और ईएस राशि शामिल है।

प्रतिशत और जारी कार्यों का 26.64 प्रतिशत है, जो कुल कार्यों का 30.47 प्रतिशत है। निर्माण कार्यों की लेखापरीक्षा संख्या और लेखापरीक्षा नमूने का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 3.7: निर्माण कार्यों की लेखापरीक्षा संख्या और लेखापरीक्षा नमूना का विवरण

कार्यों की श्रेणी	कुल निर्माण कार्य		नमूना में चयनित कार्य			
	कार्यों की संख्या	**एए एवं ईएस राशि (₹ करोड़ में)**	**कार्यों की संख्या**	**कार्यों के कवरेज का प्रतिशत**	**एए एवं ईएस राशि (₹ करोड़ में)**	**एए एवं ईएस राशि का प्रतिशत कवरेज**
पूर्ण हो चुके कार्य	08	370.32	04	50.00	315.34	85.15
जारी कार्य[54]	26	5,286.52	05	19.23	1408.07	26.64
कुल	**34**	**5,656.84**	**09**	**26.47**	**1,723.41**	**30.47**

(स्रोत: सीपीडब्ल्यूडी मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े)

22 सितंबर 2021 को सीपीडब्ल्यूडी के साथ एक प्रवेश बैठक आयोजित की गई थी। फील्ड ऑडिट'8 नवंबर 2021 से शुरू हुई और 5 मार्च 2022 को समाप्त हुई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी के साथ 10 मई 2022 को एक निकास बैठक आयोजित की गई। जून 2022 में मंत्रालय को मसौदा प्रतिवेदन जारी किया गया और मंत्रालय से जून/दिसंबर 2024 में उत्तर प्राप्त हुआ । उत्तर पर विचार किया गया है और उन्हें प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

3.4.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अगले पैराग्राफ में मुद्दा-वार टिप्पणियों का उल्लेख किया गया है।

3.4.5.1 कार्यों की योजना

सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियम-पुस्तिका 2014 के पैरा 2.7 के अनुसार, पूर्व-निर्माण चरण में कार्य का कार्यान्वयन क्लायेंट से मांग प्राप्त करने के बाद शुरू होता है। किसी कार्य का पूर्व-निर्माण चरण कार्य की प्रारंभिक योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करके आरंभ होता है,

---

[54] दोनों जारी रहे कार्यों को शामिल किया गया है, अर्थात जो '2018-19 से 2020-21 के बीच पूरा होने वाला है' और '01 अप्रैल 2018 से पहले पूरा होने वाला है, लेकिन 2018-19 और 2020-21 के बीच अधूरा/जारी है'।

उसके बाद, कार्य के आकलन की प्रक्रिया होती है और संविदाकार के चयन की प्रक्रिया को पूरा करने और कार्य के निष्पादन के लिए चयनित संविदाकार को कार्य सौंपने के साथ समाप्त होता है।

लेखापरीक्षा ने, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए, नौ चयनित कार्यों के संबंध में पूर्वोक्त पूर्व-निर्माण गतिविधियों की जांच की थी। इस चरण में पायी गई विभिन्न कमियों पर निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है:

(i) अनुचित अनुमानों के कारण परिहार्य व्यय हुआ

विस्तृत अनुमान तैयार करने के संबंध में सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियम-पुस्तिका के पैरा 4.2.1 में कहा गया है कि प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय संस्वीकृति एवं कार्य-स्थल की उपलब्धता के विषय में पुष्टि प्राप्त होने पर, संबंधित प्राधिकारी को तकनीकी संस्वीकृति देनी थी। विस्तृत अनुमान यथासंभव पूर्ण और व्यापक होना चाहिए और विस्तृत वास्तुशिल्प रेखा-चित्र, प्रारंभिक संरचनात्मक योजनाओं; विभिन्न सेवाओं के प्रारंभिक ले-आउट रेखा-चित्र, विस्तृत रेखा-चित्र और/या शामिल कार्य के विभिन्न घटकों के लिए विनिर्देशों आदि द्वारा समर्थित होना चाहिए। विस्तृत अनुमान में शामिल कार्य की प्रत्येक मद के लिए व्यापक विवरण दिया जाना चाहिए। विस्तृत अनुमान में शामिल किए गए कार्य की मदों के लिए दरों की अनुसूची में दी गई दरों और शेष मदों के लिए विश्लेषित बाजार दरों के आधार पर विस्तृत अनुमान तैयार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, विस्तृत अनुमान में अन्य बातों के अलावा, अनुमान में किए गए एकमुश्त प्रावधानों के पक्ष में विवरण, अनुसूची दरों या बाजार दरों का संदर्भ और निर्माण की विशेष कठिनाइयों पर एक संक्षिप्त नोट शामिल होना चाहिए जिन कठिनाईयों के होने की संभावना निर्माण चरण के दौरान है।

चयनित नौ निर्माण कार्यों की लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि कार्यों के अनुमान की अपर्याप्त तैयारी के कारण करारनामे की मदों/प्रतिस्थापित[55] मदों में विचलन एवं अतिरिक्त मदों का क्रियान्वयन हुआ,जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

---

[55] सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली 2014 के पैरा 24.2.1 के अनुसार, प्रतिस्थापित मदें वे मदें हैं जिन्हें आंशिक संशोधन के साथ या संविदा में कार्य मदों के स्थान पर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त, पैरा 24.3, पूर्वोक्त में कहा गया है कि प्रतिस्थापित मदों के लिए, मूल मद की करार दर को मूल और प्रतिस्थापित मदों की बाजार दरों के अंतर के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

(ii) विचलित मदों पर परिहार्य व्यय

निर्माण कार्यों के संदर्भ में विचलन का तात्पर्य है कि करारनामे में दर्शाई गई मात्राओं की तुलना में निष्पादित कार्य की मदों की मात्राओं में वृद्धि अथवा कमी। सामान्य संविदा शर्तों (जीसीसी) के खंड 12 में यह प्रावधान है कि मूल कार्यों में विचलन की सीमा अधिरचना कार्यों में अधिकतम 30 प्रतिशत तथा मूल कार्यों में अधिकतम 100 प्रतिशत तक स्वीकार्य है, जैसा कि संविदा की अनुसूची-एफ में निर्दिष्ट है। इसके अतिरिक्त, सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली 2014 के पैरा 24.3 में उल्लेख है कि स्वीकार्य सीमा से अधिक विचलन मदों की दरें उन बाज़ार दरों के आधार पर निर्धारित की जाएँगी जो मदों के कार्य निष्पादन के समय प्रचलित होंगी।

नौ चयनित कार्यों में से चार कार्यों **(अनुलग्नक-XVII)**, में लेखापरीक्षा ने यह देखा कि कार्य निष्पादन के दौरान कई बार करारनामे की मदों में स्वीकार्य सीमा से अधिक विचलन हुआ। ऐसे विचलन में, जहाँ करारनामे की मदों का कार्य स्वीकृत मात्रा अनुसूची (एसओक्यू) से अधिक निष्पादित किया गया था, सीपीडब्ल्यूडी ने संविदाकारों को उस समय प्रचलित बाजार दर पर भुगतान किया।

यह स्पष्ट है कि चार कार्यों में कुल 268 मदों में विचलन हुआ जो स्वीकार्य सीमा से 0.9 प्रतिशत से लेकर अधिकतम 8,67,985 प्रतिशत तक था। इन विचलित मदों में, स्वीकृत मात्रा से अधिक कार्य निष्पादित किए गए एवं संविदाकार को प्रचलित बाजार दर पर भुगतान किया गया, जिसके लिए सीपीडब्ल्यूडी ने ₹12.79 करोड़ का कुल परिहार्य व्यय किया।

मंत्रालय ने कहा (जून 2024) कि विचलन मुख्य रूप से संरचनात्मक आरेखों की अनुपलब्धता, कार्यस्थल की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वस्तुओं की मात्रा में बदलाव आदि के कारण हुआ। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा गया कि यदि मदों को निविदा सूचना में सम्मिलित किया गया होता, तो उन मदों पर मूल्यवृद्धि का भुगतान करना पड़ता।

उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि स्वीकार्य सीमा से अधिक इतना ज्यादा विचलन उचित योजना के अभाव तथा विस्तृत अनुमान तैयार करते समय अन्य बातों के अतिरिक्त प्रारंभिक आंकड़ों, डिजाइनों एवं रेखाचित्रों पर विचार न करने की ओर इंगित करता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय का यह तर्क कि यदि मदों को एनआईटी में सम्मिलित किया

गया होता, तो एजेंसी को उद्धृत दरों के अतिरिक्त मूल्य वृद्धि देय होती, मान्य नहीं है, क्योंकि सभी आवश्यक मदों को विस्तृत अनुमान में सम्मिलित किया जाना चाहिए, चाहे मूल्य वृद्धि देय हो या न हो। निम्नलिखित केस स्टडी मदों में विचलन एवं उसके बाद होने वाले परिहार्य व्यय को दर्शाती है:

प्रकरण अध्ययन 1

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) ने सीपीडब्ल्यूडी को '22वीं बटालियन आईटीबीपी, तिगरी में 225 क्वार्टरों के निर्माण' का कार्य सौंपा। सीपीडब्ल्यूडी ने भवनों के आरेख एवं प्रारंभिक एवं विस्तृत अनुमान तैयार कर आईटीबीपी को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया (अगस्त 2016)। सीपीडब्ल्यूडी ने आईटीबीपी परिसर की व्यापक वास्तुकला एवं इंजीनियरिंग योजना तथा डिजाइनिंग पर परामर्श सेवाएं लेने के लिए एक निविदा जारी की (अक्टूबर 2016)।

आईटीबीपी से प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त होने (नवंबर 2016) पर, सीपीडब्ल्यूडी ने आईटीबीपी द्वारा अनुमोदित प्रारंभिक सह विस्तृत अनुमानों एवं प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति के साथ मसौदा निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी), तकनीकी स्वीकृति एवं अनुमोदन के लिए सीपीडब्ल्यूडी के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया (नवंबर 2016)। प्रारंभिक सह विस्तृत अनुमान एवं प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति प्रस्तुत करने के पश्चात, सीपीडब्ल्यूडी ने (दिसंबर 2016) एक परामर्शदाता फर्म को नियुक्त किया, जिसे 18 सप्ताह के भीतर कार्यों की एनआईटी आमंत्रित करने के लिए विस्तृत डिज़ाइन, आरेख, लागत अनुमान एवं बोली दस्तावेज़ तैयार करने का दायित्व सौंपा गया।

मार्च 2017 में, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार किए गए अनुमान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई क्योंकि उस समय तक परामर्शदाता फर्म से कोई अनुमान प्राप्त नहीं हुआ था। हालाँकि, अप्रैल 2017 में, परामर्शदाता से अनुमानों की अंतिम लागत, विस्तृत माप एवं कार्यों की मात्रा की अनुसूची प्राप्त हो गई।

सीपीडब्ल्यूडी ने कार्यों को निष्पादित करने के लिए संविदाकार के चयन हेतु एनआईटी जारी की (मई 2017)। हालाँकि, प्रकाशित एनआईटी से संबंधित अभिलेखों की मात्रा अनुसूची में, कार्य की दो मदें, अर्थात् दिल्ली अनुसूची दर मद संख्या 18.7.3 (25 मिमी सीपीवीसी पाइप) एवं 18.8.2 (20 मिमी सीपीवीसी पाइप), जो विस्तृत अनुमान की मात्रा अनुसूची में विद्यमान थीं, को क्रमशः एनआईटी मद संख्या 13.1.2 (25 मिमी जीआई पाइप) एवं 13.2.2 (20

मिमी जीआई पाइप) से बदल दिया गया। तत्पश्चात, उपर्युक्त एनआईटी के आधार पर, सीपीडब्ल्यूडी ने एक संविदाकार का चयन किया एवं कार्यों के निष्पादन हेतु एक करार किया (अगस्त 2017)।

निष्पादन के दौरान, आईटीबीपी के अनुरोध पर, करारनामे की दो मदों अर्थात मद संख्या 13.1.2 एवं 13.2.2, जिनकी अनुमानित मात्रा क्रमशः 1,160 मीटर एवं 1,828 मीटर थी, को सीपीडब्ल्यूडी द्वारा क्रमशः डीएसआर मद संख्या 18.7.3 एवं 18.8.2 के साथ प्रतिस्थापित किया गया। अंततः, दिल्ली अनुसूची दर मद संख्या 18.7.3 एवं 18.8.2 की कुल मात्रा क्रमशः 7,348.92 मीटर एवं 4,886.90 मीटर का उपयोग कार्य में किया गया। इस प्रकार, ये दोनों मदें अनुबंधित मात्राओं से विचलन के स्वीकार्य प्रतिशत से क्रमशः 387 प्रतिशत एवं 105 प्रतिशत अधिक थीं, जिसके लिए सीपीडब्ल्यूडी ने ₹18.18 लाख का परिहार्य व्यय किया ।

विचलन के कारणों को उचित ठहराते हुए, मंत्रालय ने कहा (जून 2024) कि जीआई पाइप की मद एनआईटी में ली गई थी, क्योंकि एनआईटी तैयार करते समय पेयजल के स्रोत का पता नहीं था एवं निष्पादन के समय कठोर जल मिलने के कारण आईटीबीपी के अनुरोध पर मदों को प्रतिस्थापित किया गया था। मंत्रालय ने आगे यह भी कहा कि उक्त पैरा को भविष्य के लिए संज्ञान में लिया गया है।

उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि कार्यस्थल की वास्तविक स्थिति के अनुरूप, अनुमान तैयार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, उत्तर में करारनामे की मदों की निष्पादित मात्रा में हुई अत्यधिक वृद्धि के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, जबकि परिहार्य व्यय 387 प्रतिशत एवं 105 प्रतिशत की मात्रा में विचलन के कारण हुआ था, न कि सामग्री में परिवर्तन के कारण।

(iii) अतिरिक्त वस्तुओं पर परिहार्य व्यय

सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली 2014 के पैरा 24.2.1 में कहा गया है कि कार्य की अतिरिक्त मदें वे हैं जो पूरी तरह से नई हैं एवं संविदा में सम्मिलित मदों के अतिरिक्त हैं। इसके अतिरिक्त, पैरा 24.3 में कहा गया है कि अतिरिक्त मदों की दरें इन मदों के निष्पादन के प्रारंभ के समय प्रचलित बाजार दरों पर निर्धारित की जाएँगी।

नौ चयनित कार्यों में से चार **(अनुलग्नक-XVIII)** में, लेखापरीक्षा ने पाया कि ऐसे कई उदाहरण थे जहां कार्य की मदें पूरी तरह से नई थीं एवं करारनामे की मात्रा अनुसूची (एसओक्यू) में उल्लिखित मदों के अतिरिक्त, कार्यों में निष्पादित की गई थीं एवं जिनके

लिए सीपीडब्ल्यूडी ने संविदाकारों को प्रचलित बाजार दर पर भुगतान किया था। उपर्युक्त चार कार्यों में कुल 251 मदों को अतिरिक्त मदों के रूप में निष्पादित किया गया, जिनकी राशि संविदा करारनामे में उल्लिखित स्वीकार्य सीमा से ₹31.49 करोड़ अधिक थी।

मंत्रालय ने कहा (जून 2024) कि आरेखों में परिवर्तन, कार्यस्थल की आवश्यकताओं आदि के अनुसार अतिरिक्त मदों का निष्पादन आवश्यक था। आगे यह भी कहा गया कि यदि इन मदों को एनआईटी में सम्मिलित किया गया होता, तो उन मदों पर मूल्य वृद्धि का भुगतान करना पड़ता ।

उत्तर को इस तथ्य के परिपेक्ष्य में देखा जाए कि कार्यस्थल, डिजाइन एवं आरेख की आवश्यकताओं के कारण अतिरिक्त वस्तुओं का निष्पादन उचित योजना की कमी एवं विस्तृत अनुमान की तैयारी में प्रारंभिक आंकड़ों, रिपोर्ट, डिजाइन एवं आरेख आदि पर विचार न करने की ओर इंगित करता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय का यह तर्क कि यदि मदों को एनआईटी में लिया गया होता, तो एजेंसी को उद्धृत दरों के अतिरिक्त मूल्य वृद्धि देय होती, मान्य नहीं है, क्योंकि सभी मदों को, जिन्हें आवश्यक माना जाता है, विस्तृत अनुमान में सम्मिलित किया जाना है, भले ही मूल्य वृद्धि देय हो या न हो।

अतिरिक्त मदों के निष्पादन के परिणामस्वरूप अनावश्यक व्यय हुआ, जैसा कि निम्नलिखित केस अध्ययनों में दर्शाया गया है:

प्रकरण अध्ययन 2

आईटीबीपी छावला में 480 + 120 पुरुषों के बैरक के निर्माण' कार्य के अंतर्गत, विस्तृत अनुमान में सम्मिलित पाँच मदों[56] को एनआईटी के अंतिम रूप दिए जाने के समय बाहर कर दिया गया, जिसके लिए अभिलेखों में कोई कारण उपलब्ध नहीं था। हालाँकि, अभिलेखों की जाँच से पता चला कि उन्हीं मदों को बाद में अतिरिक्त मदों के रूप में निष्पादित किया गया था। अतिरिक्त मदों को बाजार मूल्य पर निष्पादित किया गया था। यदि इन्हें विस्तृत अनुमान के अनुसार करारनामे में सम्मिलित किया गया होता,

---

[56] दिल्ली अनुसूची दर मद संख्या 6.15 आधी ईंट चिनाई प्रदान करने के लिए; मद संख्या 18.40.3 और 18.40.6 जी.आई. पाइप पेंटिंग के लिए; मद संख्या 13.43.1 सीमेंट प्राइमर लगाने के लिए और मद संख्या 13.80 सीमेंट आधारित पुट्टी लगाने के लिए)

तो वस्तुओं की दर (करारनामे की दर एवं बाजार दर) में अंतर से बचा जा सकता था एवं इस मद में ₹18.63 लाख का जो अतिरिक्त व्यय हुआ उसे बचाया जा सकता था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में बताया कि प्रारंभिक अनुमान सीपीडब्ल्यूडी प्लिंथ क्षेत्र दर के अनुसार बनाया गया था एवं ₹26.71 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तथापि, विस्तृत अनुमान तैयार करने के दौरान, निविदा में अनुमानित लागत की राशि को स्वीकृत सीमा से कम रखने के लिए, कुछ मदों को एनआईटी से बाहर रखना पड़ा। इसके अतिरिक्त, कार्यस्थल की आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता के अनुसार अतिरिक्त मदों का कार्यान्वयन किया गया एवं सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति भी प्राप्त की गई। यदि उन्हें एनआईटी में सम्मिलित किया गया होता, तो खण्ड 10सीसी एवं 10सीए के अनुसार एजेंसी को उद्धृत दरों के अतिरिक्त मूल्य वृद्धि देय होती।

उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि उपभोक्ता के अनुमोदन के बाद विस्तृत अनुमान में सम्मिलित मदों को कार्यस्थल की आवश्यकताओं की व्यापक समीक्षा के बाद ही बाहर रखा जाना चाहिए एवं केवल अनुमानित लागत को स्वीकृत राशि से कम रखने के लिए एवं किसी अन्य वैध कारण के बिना कुछ मदों को बाहर रखना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह तर्क कि यदि मदों को एनआईटी में लिया गया होता, तो खण्ड 10सीसी एवं 10सीए के अनुसार एजेंसी को उद्धृत दरों के अतिरिक्त मूल्य वृद्धि देय होती, मान्य नहीं है, क्योंकि भवन की कार्यात्मक आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक समझी जाने वाली सभी मदों को विस्तृत अनुमान में सम्मिलित किया जाना है, भले ही वृद्धि देय हो या न हो।

प्रकरण अध्ययन 3

आईटीबीपी 22वीं बटालियन, तिगरी, दिल्ली में 225 क्वार्टरों के निर्माण' से संबंधित प्रकाशित एनआईटी से संबंधित अभिलेखों की मात्रा अनुसूची में, कार्य[57] की पांच मदें, जो विस्तृत अनुमान मात्रा अनुसूची में विद्यमान थीं, को बाहर रखा गया था। निष्पादन के

[57] दिल्ली अनुसूची दर मद संख्या 22.5 (शौचालय, स्नानघर में जलरोधक उपचार), 19.1.1 (ग्लेज्ड स्टोनवेयर पाइप उपलब्ध कराना, बिछाना और जोड़ना), 19.2.1 (सीमेंट कंक्रीट के चौतरफा एस.डब्ल्यू. पाइप उपलब्ध कराना और बिछाना), 12.43.2 (अनप्लास्टिसाइज्ड पी.वी.सी. पाइप, क्लिप आदि उपलब्ध कराना और लगाना) तथा 18.53.1 (बेसिन मिक्सर और गीजर के लिए सी.पी. ब्रास एंगल वाल्व उपलब्ध कराना और लगाना)

दौरान, उपर्युक्त पांच मदों को बाजार दर पर निष्पादित किया गया क्योंकि ये मदें करारनामे में विद्यमान नहीं थीं एवं जिसके लिए सीपीडब्ल्यूडी ने ₹10.07 लाख का परिहार्य[58] व्यय किया।

मंत्रालय ने (जून 2024) उत्तर दिया कि एनआईटी तैयार करते समय शौचालयों में धंसे हुए भाग के स्थान पर ओवरहैंग सीआई पाइपों का प्रावधान किया गया, क्योंकि उनका रख-रखाव अधिक सरल होता है। नमूना फ्लैट में भी यही किया गया। किन्तु, आईटीबीपी द्वारा शीर्षरूम में कमी के मुद्दे को उठाया गया तथा इन लटकते पाइपों को छिपाने हेतु मेटल फॉल्स सीलिंग की मांग की गई, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त लागत प्रभावी होती, तथा सभी स्तरों पर छत की ऊंचाई बढ़ाने से भवन की समग्र ऊंचाई बढ़ जाती, जिसके परिणामस्वरूप लागत पर प्रभाव पड़ता। उपर्युक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त मद का निष्पादन अतिरिक्त मद के रूप में किया गया। इसके अतिरिक्त, ध्यातव्य है कि खण्ड 10सीसी एवं 10सीए, सामग्री एवं श्रम की कीमत में भिन्नता के कारण संविदा में बदलाव का प्रावधान करती है। यदि इन मदों को एनआईटी में सम्मिलित किया गया होता, खण्ड 10सीसी एवं 10सीए के अनुसार एजेंसी को उद्धृत दरों के अतिरिक्त मूल्य वृद्धि देय होती।

उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि सीपीडब्ल्यूडी ने कार्यस्थल की आवश्यकताओं का आकलन किया एवं आईटीबीपी ने अनुमान तैयार करते समय इन पांच मदों को विस्तृत अनुमान की मात्रा की अनुसूची में सम्मिलित किया। हालाँकि, बाद में सीपीडब्ल्यूडी ने बिना कोई कारण बताए इन पाँचों मदों को एनआईटी/करारनामे से बाहर कर दिया। अगर इन पाँचों मदों को एनआईटी/करारनामे से बाहर नहीं किया जाता, तो सीपीडब्ल्यूडी इन मदों को प्रचलित बाजार दर के बजाय करारनामे की दर पर निष्पादित कर सकता था। इसके अतिरिक्त, यह तर्क कि यदि मदों को एनआईटी में लिया गया होता, तो खण्ड 10सीसी एवं 10सीए के अनुसार एजेंसी को उद्धृत दरों के अतिरिक्त मूल्य वृद्धि देय होती, मान्य नहीं है, क्योंकि भवन की कार्यात्मक आवश्यकता

---

[58] प्रचलित बाजार दर और वस्तु की अनुबंधित दर के बीच का अंतर, वस्तु की उत्पादित मात्रा से गुणा किया जाता है।

को पूरा करने के लिए आवश्यक समझी जाने वाली सभी मदों को विस्तृत अनुमान में सम्मिलित किया जाना है, भले ही वृद्धि देय हो या न हो।

प्रकरण अध्ययन 4

करारनामे के अनुसार, मैदानगढ़ी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान (सीएपीएफआईएमएस) के निर्माण कार्य में, निर्माण के बाद दीमक रोधी उपचार का प्रावधान था, जिसमें दीमक रोधी रसायन "क्लोरपाइरीफॉस/लिंडेन" का प्रयोग किया जाना था। हालाँकि, अनुमान तैयार करते समय, रसायन की खरीद के प्रावधान पर विचार नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्य के निष्पादन के दौरान, अतिरिक्त मद विवरण संख्या 1 के अनुसार, कुल 74,000 लीटर दीमक रोधी रसायन को अतिरिक्त मद के रूप में ₹328.12 प्रति लीटर की दर से स्वीकृत किया गया था (16 अक्टूबर 2017)। हालाँकि, दिल्ली दर अनुसूची 2014 (जो करारनामे पर लागू थी) में दीमक रोधी रसायन "क्लोरपाइरीफॉस / लिंडेन" की दर ₹185.95 प्रति लीटर निर्धारित थी। यदि विभाग द्वारा अनुमान करते समय उक्त रसायन की आपूर्ति के लिए प्रावधान किया गया होता, तो प्रति लीटर ₹142.17 राशि की बचत की जा सकती थी।

जनवरी, 2022 के 56वें चालू खाता बिल के अनुसार, विभाग ने 7,000 लीटर रसायन खरीदा था एवं इसके लिए ₹18.20 लाख का भुगतान किया था। इस प्रकार, डीएसआर की दरों को ध्यान में रखते हुए, संबंधित मण्डल ₹9.95 लाख[59] के अतिरिक्त परिहार्य व्यय को बचा सकता था, जो कार्य के अंतिम रूप से पूर्ण होने तक निरंतर बढ़ता रहेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दे को सही ठहराते हुए, मंत्रालय ने स्वीकार किया (जून 2024) कि एनआईटी की तैयारी के चरण के दौरान बीओक्यू में दीमक रोधी रसायन की आपूर्ति की मद अनजाने में छूट गई थी एवं भविष्य में अनुमान तैयार करते समय अधिक सतर्कता बरतने हेतु लेखापरीक्षा की अनुशंसा को संज्ञान में लिया गया है।

[59] *7,000 लीटर x ₹142.17 (₹328.12 प्रति लीटर- ₹185.95 प्रति लीटर)*

अनुशंसा संख्या 4: सीपीडब्ल्यूडी को कार्य के अनुमान तैयार करने के लिए तंत्र को मजबूत करने पर विचार करना चाहिए, ताकि स्वीकार्य सीमा से इतर विचलन पर अतिरिक्त व्यय से बचा जा सके एवं साथ ही योजना-चरण में ही कार्यस्थल की वास्तविक स्थिति, उपभोक्ता की आवश्यकता आदि को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त मदों के निष्पादन पर भी विचार किया जा सके।

लेखापरीक्षा पैरा में की गई अनुशंसाओं के अनुपालन के संदर्भ में, मंत्रालय ने कहा (जून 2024) कि सीपीडब्ल्यूडी निदेशालय ने दिनांक 24 अप्रैल 2024 को पीएम/डीजी/442/77 के माध्यम से एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जिसमें सभी क्षेत्रीय इकाइयों को बीआईएम मॉडलिंग के प्रावधानों को सम्मिलित करके एवं निष्पादन मात्रा की सीमा को स्पष्ट रूप से दूरदर्शिता के साथ अनुमान तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिससे विचलन एवं अतिरिक्त मदों की संभावना कम हो।

(iv) कार्य स्थल कार्यालय के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय

द्वारका में 'भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) परिसर' के निर्माण के उद्देश्य से, कार्य में लगे सीपीडब्ल्यूडी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक साइट कार्यालय का निर्माण (अप्रैल 2015) ₹25.11 लाख की लागत से किया गया । सितंबर 2020 में, यह निर्णय लिया गया कि मौजूदा सीपीडब्ल्यूडी साइट कार्यालय को ध्वस्त कर दिया जाए क्योंकि सड़क, तूफान जल निकासी, कार पार्किंग एवं सेवाएं के निर्माण के रास्ते में मौजूदा साइट कार्यालय आ रही थी। उक्त कार्यालय को ध्वस्त कर दिया गया (अक्टूबर 2020) एवं आईआईआईडीईएम के शेष कार्य को पूरा करने के लिए ₹12.67 लाख की लागत से एक नए कार्यालय का निर्माण (दिसंबर 2020) किया गया। इस प्रकार, साइट कार्यालय का निर्माण दो बार करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप ₹12.67 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मंत्रालय ने बताया (जून 2024) कि प्रारंभ में अस्थायी साइट कार्यालय का स्थान इस तरह से तय किया गया था कि निर्माण कार्य में न्यूनतम व्यवधान हो, क्योंकि आईआईआईडीईएम परिसर का पूरा काम एक बार में पूरा करके उपभोक्ता को सौंप दिया जाना था । संस्थागत ब्लॉक को कार्यशील बनाने हेतु उसके आसपास की सभी सड़कों, पार्किंग सुविधाओं तथा अन्य सेवाओं को भी चालू किया गया। चूँकि साइट कार्यालय इन सेवाओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा था, अतः उसे ध्वस्त कर दिया गया।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के परिपेक्ष्य में देखा जा सकता है कि चूंकि कार्य पूरा होने के बाद साइट कार्यालय को ध्वस्त किया जाना था एवं यदि मूल साइट कार्यालय भूमि के रेखाआरेख के आधार पर सही स्थान पर बनाया गया होता, तो इसे ध्वस्त करने एवं एक नए साइट कार्यालय के निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ती।

(v) स्थानीय/सांविधिक निकायों से अनुमोदन प्राप्त न करना

सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली, 2014 के पैरा 2.7 के अनुसार, कार्य के निष्पादन से पहले स्थानीय/सांविधिक निकायों से अनुमोदन प्राप्त करना पूर्व-अपेक्षित है।

आईटीबीपी छावला में 480 + 120 जवानों के बैरक के निर्माण' कार्य के लिए एक परामर्शदाता फर्म को 1 जनवरी 2017 से दो वर्ष की अवधि के लिए ₹25.20 लाख की लागत पर नियुक्त किया गया। परामर्शदाता फर्म को कार्य प्रारंभ होने की तिथि से सभी स्थानीय निकायों तथा सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने हेतु 18 सप्ताह की अवधि प्रदान की गई थी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि लेखापरीक्षा की तिथि (फरवरी 2022) तक परामर्शदाता द्वारा स्थानीय निकायों से सांविधिक मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थीं, जबकि कार्य 6 अगस्त 2019 को पूर्ण हो चुका था तथा कार्यस्थल उपभोक्ता द्वारा अधिकृत भी कर लिया गया था। अनिवार्य अनुमोदन/मंजूरी प्राप्त करने से पहले कार्य शुरू करना एवं कार्य पूरा होने के बाद उपर्युक्त अनुमोदन/मंजूरी के बिना कार्यस्थल अधिकृत करना, अग्निशमन विभाग से अग्निशमन मंजूरी, स्थानीय निकायों/नगर पालिका से लेआउट योजना, जल निकासी योजना आदि विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसके लिए स्थानीय/सांविधिक निकायों से जुर्माना लग सकता है एवं साथ ही सुरक्षा संबंधी खतरा भी हो सकता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में यह बताया कि स्थानीय निकायों/सांविधिक मंजूरी को प्राप्त करने हेतु प्रयास किए गए थे। आईटीबीपी से मंजूरी मिलने के बाद ही कार्य शुरू किया जा सकता है तथा अनुपालन रिपोर्ट स्थानीय निकाय को प्रस्तुत की जा सकती है। सीपीडब्ल्यूडी धनराशि प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता के साथ मामले पर लगातार संपर्क बनाए हुए है।

उत्तर को इस तथ्य के परिपेक्ष्य में देखा जा सकता है कि सीपीडब्ल्यूडी ने स्थानीय/ सांविधिक निकायों से अनिवार्य अनुमोदन/ स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित नहीं किया, यद्यपि कार्य अगस्त 2019 में पूरा हो गया था।

3.4.5.2 कार्य का निष्पादन

सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली 2014 के पैरा 2.1 के अनुसार, निर्माण चरण में किसी कार्य का निष्पादन प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय मंजूरी, तकनीकी मंजूरी एवं निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद शुरू होता है। कार्य का निर्माण चरण, कार्यों के निष्पादन एवं संविदा प्रबंधन की प्रक्रिया से शुरू होता है एवं कार्यों के पूरा होने एवं कमीशनिंग के बाद, अंततः उपभोक्ता को कार्य सौंपने एवं संविदाकार के लेखाओं के निपटान के साथ समाप्त होता है।

लेखापरीक्षा ने, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए, नौ चयनित कार्यों के संबंध में उपर्युक्त निर्माण गतिविधियों की जाँच की। इस चरण में पाई गई विभिन्न कमियों पर निम्नलिखित पैरों में चर्चा की गई है:

(i) तकनीकी प्रतिनिधि की नियुक्ति न होना

संविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के अनुसार, संविदाकार को निविदा की स्वीकृति का पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद एवं कार्य शुरू होने से पहले, प्रमाण पत्रों के साथ प्रभारी अभियंता को लिखित रूप में मुख्य तकनीकी प्रतिनिधि, जो कार्य का प्रभारी होगा एवं अन्य तकनीकी प्रतिनिधि, जो कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे, उनके नाम, योग्यता एवं अनुभव की जानकारी देनी होती है । कार्य के लिए अपेक्षित तकनीकी प्रतिनिधियों की न्यूनतम संख्या, उनकी योग्यताएं एवं अनुभव, संविदा की अनुसूची में निर्दिष्ट संख्या से कम नहीं होनी चाहिए। प्रभारी अभियंता को ऐसी सूचना की प्राप्ति के तीन दिन के भीतर संविदाकार को लिखित रूप में अपनी स्वीकृति की सूचना देनी होती है । प्रावधान पूरा न करने की स्थिति में, प्रति माह ₹15,000 से ₹1,00,000 तक की वसूली (व्यक्तिगत संविदा के प्रावधानों के आधार पर) भी निर्धारित की गई है ।

अभिलेखों की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि नौ चयनित कार्यों में से चार में, आवश्यक संख्या में तकनीकी प्रतिनिधियों की तैनाती नहीं की गई थी, क्योंकि इन तकनीकी प्रतिनिधियों की शैक्षिक योग्यता एवं/या अनुभव के प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, सीपीडब्ल्यूडी ने दोनों संविदाकारों[60] से सितंबर 2022 तक ₹15.90 लाख का जुर्माना वसूल किया।

---

[60] ₹15.40 लाख (आईआईटी दिल्ली में लड़कों के छात्रावास का निर्माण) और ₹0.50 लाख (डॉ. बी.डी. मार्ग पर लोकसभा के सांसदों के लिए 76 बहुमंजिला फ्लैटों का निर्माण)

शेष दो कार्यों के संबंध में, लेखापरीक्षा ने ₹6.21 करोड़ **(अनुलग्नक-XIX)** की राशि का जुर्माना अनुमानित किया था, जिसे करारनामे की उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन न करने के लिए संबंधित कार्यों के दो संविदाकारों से वसूल किया जाना था।

अनुशंसा सं. 5: कार्य के सभी चरणों के दौरान कार्य स्थल पर उचित पर्यवेक्षण हेतु तकनीकी प्रतिनिधि की नियुक्ति के संबंध में सीपीडब्ल्यूडी नियमावली/ सामान्य शर्तें संविदा के प्रावधानों के अनुपालन हेतु उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा पैरा में की गई अनुशंसाओं के अनुपालन के संदर्भ में, मंत्रालय ने बताया (जून 2024) कि सीपीडब्ल्यूडी निदेशालय ने दिनांक 24 अप्रैल 2024 को पीएम/डीजी/442/77 के माध्यम से एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जिसमें सभी क्षेत्रीय इकाइयों को अपेक्षित संख्या में योग्य एवं अनुभवी तकनीकी प्रतिनिधियों की तैनाती से संबंधित संविदा के सामान्य प्रतिबंध के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्य के निरीक्षण के दौरान उच्च अधिकारियों को इस खंड का उचित अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि निष्पादन के सभी चरणों के दौरान कार्यस्थल पर कार्य का उचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित हो सके।

(ii) मूल्य वृद्धि के कारण संविदाकार को अतिरिक्त भुगतान

संविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) 2014 के खंड 10 सीए एवं 10 सीसी में कहा गया है कि यदि निविदा प्रस्तुत करने के बाद, सामग्री की कीमत कार्य के करारनामे की "अनुसूची-एफ" में दर्शाए गए आधार मूल्य से अधिक बढ़ती/घटती है तो संविदा की राशि तदनुसार बदली जाएगी। इसमें आगे यह भी प्रावधान किया गया था कि उक्त प्रकार का कोई भी परिवर्तन, संविदा की निर्धारित अवधि के लिए तथा संविदा के खंड 5 (अर्थात, विलंब हेतु समय एवं समय-विस्तार) के अंतर्गत उचित ठहराई गई बढ़ी हुई अवधि के लिए लागू होगा, बशर्ते खण्ड 2 (अर्थात, विलंब हेतु क्षतिपूर्ति) के अंतर्गत कोई कार्रवाई न की गई हो। खण्ड 2 में यह प्रावधान है कि कार्य में विलंब के लिए प्रति माह 1.5 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी, जिसकी गणना प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी, बशर्ते इस शर्त के अंतर्गत विलंब के लिए भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की कुल राशि निविदा मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

नौ चयनित कार्यों में से दो में, लेखापरीक्षा ने पाया कि सीपीडब्ल्यूडी ने कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की कीमत में वृद्धि के कारण संविदाकार को अतिरिक्त राशि का भुगतान किया, जैसा कि निम्नलिखित केस स्टडी में चर्चा की गई है:

प्रकरण अध्ययन 5

द्वारका में भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) के निर्माण कार्य के पूरा होने की निर्धारित तिथि 13 अप्रैल 2017 थी, जिसे खंड 5 के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2018 तक बढ़ा दिया गया। चूंकि संविदाकार, कार्य पूर्ण होने की विस्तारित तिथि तक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम नहीं था, इसलिए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा 1 अक्टूबर 2018 को खंड 2 के अंतर्गत 13 अप्रैल 2017 से 1 अक्टूबर 2018 (अर्थात, 17.5 माह) की अवधि के लिए ₹5.11 करोड़ के क्षतिपूर्ति/परिसमापन क्षति के साथ कार्य का निर्धारण/रद्द कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि सीपीडब्ल्यूडी ने विस्तारित अवधि के दौरान संविदाकार पर खंड 2 के अंतर्गत ₹5.11 करोड़ की क्षतिपूर्ति लगाई थी तथा अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 तक की अवधि में संविदाकार को खंड 10सीए एवं 10सीसी के अंतर्गत मूल्य वृद्धि के कारण क्रमशः ₹19.92 लाख एवं ₹80.25 लाख की राशि का भुगतान किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (जून 2024) कि उक्त संविदा 01 अक्टूबर 2018 को निर्धारित/समाप्त किया गया था। संविदा के अनुसार, निर्धारित समापन तिथि 13 अप्रैल 2017 थी। सक्षम प्राधिकारी ने खंड-5 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की वसूली किए बिना 14 अप्रैल 2017 से 31 जनवरी 2018 तक की अवधि के लिए समय विस्तार (ईओटी) प्रदान किया था, अर्थात खंड 2 के अंतर्गत कोई कार्रवाई किए बिना विस्तारित अवधि को उचित ठहराया गया था।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के परिपेक्ष्य में देखा जा सकता है कि 17.5 माह की कुल ईओटी अवधि में से केवल 4.5 माह की अवधि (14 अप्रैल 2017 से 31 अगस्त 2017) अवरोध संबंधी रजिस्टर के अनुसार उचित थी, जिसके लिए मूल्य वृद्धि देय थी एवं ईओटी की शेष अनुचित अवधि अर्थात 13 माह के लिए संविदाकार को कोई मूल्य वृद्धि देय नहीं थी। इसके अतिरिक्त, 31 अक्टूबर 2018 तक प्रोविजनल ईओटी प्रदान करने से

संबंधित सीपीडब्ल्यूडी के 13 अगस्त 2018 के पत्र के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि उक्त करारनामे को 31 अक्टूबर 2018 तक इस शर्त पर बढ़ाया जा रहा है कि इससे खंड 2 एवं करारनामे के अन्य खंडों के प्रावधान के अनुसार क्षतिपूर्ति वसूलने के सीपीडब्ल्यूडी के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार, 4.5 माह की उचित अवधि से इतर मूल्य वृद्धि के कारण संविदाकार को ₹ 0.32 करोड़[61] का अनुचित लाभ दिया गया।

प्रकरण अध्ययन 6

सीमेंट, स्टील सुदृढीकरण एवं संरचनात्मक स्टील की कीमतों में वृद्धि/कमी महानिदेशक (निर्माण), सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जारी मूल्य सूचकांक द्वारा निर्धारित की जानी थी एवं ऐसी वस्तुओं के लिए आधार मूल्य महानिदेशक (निर्माण) के अधिकार के अंतर्गत जारी किए गए मूल्य होंगे। तदनुसार, ऐसी सभी सामग्रियों की संविदा-राशि निर्धारित फार्मूले[62] के अनुसार निर्धारित की जाती। इसके अतिरिक्त, 21 अक्टूबर 2020 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, मूल्य वृद्धि की गणना के लिए उत्पाद शुल्क एवं मूल्य वर्द्धित कर को छोड़कर आधार मूल्य का उपयोग किया जाना है। इसके बाद, 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी जोड़ा जाना है।

'सीजीओ कॉम्प्लेक्स में अटल अक्षय ऊर्जा भवन के निर्माण' कार्य में यह पाया गया कि मण्डल द्वारा मूल्य वृद्धि के भुगतान के लिए अनुसूची- एफ में दिए गए आधार मूल्यों का उपयोग किया गया, जबकि उन आधार मूल्यों का उपयोग किया जाना चाहिए था जिनमें उत्पाद शुल्क एवं मूल्य वर्द्धित कर सम्मिलित नहीं थे। परिणामस्वरूप, मण्डल द्वारा संविदाकार को ₹16.71 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

मंत्रालय ने बताया (जून 2024) कि संविदाकार के बिल से वसूली कर ली गई है।

---

[61] संविदा करार के अनुसार 01 सितंबर 2017 से 31 जनवरी 2018 की अवधि के लिए संविदाकार को किए गए मूल्य वृद्धि बिल भुगतान से मूल्य वृद्धि की राशि ली गई है।

[62] वी = पी x क्यू x (सीआई- सीआईओ)/ सीआईओ. जहाँ, 'वी' सामग्री लागत में परिवर्तन को दर्शाता है, अर्थात् भुगतान या वसूली जाने वाली राशि में वृद्धि या कमी, 'पी' महानिदेशक (निर्माण), सीपीडब्ल्यूडी के प्राधिकार के अंतर्गत जारी सामग्री के आधार मूल्य को दर्शाता है और 'क्यू पिछले बिल के बाद से निर्माण कार्य में वास्तविक उपयोग के लिए साइट पर लाई गई सामग्री की मात्रा को दर्शाता है।

अनुशंसा सं. 6: किसी भी अधिक भुगतान से बचने के लिए संविदा की सामान्य शर्तों के प्रावधानों के साथ-साथ भुगतान में वृद्धि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी परिपत्रों/आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा पैरा में की गई अनुशंसाओं के अनुपालन में, मंत्रालय ने बताया (जून 2024) कि सीपीडब्ल्यूडी निदेशालय ने दिनांक 24 अप्रैल 2024 को पीएम/डीजी/442/77 के माध्यम से एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जिसमें सभी क्षेत्रीय इकाइयों को संविदा करारनामे में दिए गए जीसीसी के मूल्य वृद्धि खंडों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। मण्डल कार्यालय में पदस्थापित लेखा अधिकारी/एएओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल्य वृद्धि का भुगतान जीसीसी के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा हो । इस संबंध में, प्रत्येक बिल पर एओ/एएओ द्वारा बिल के मुख्य भाग पर प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए।

(iii) करारनामे की विशेष शर्तों के पैरा 1.48 (ii) के अनुसार, संविदाकार को द्वारका में 'भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) के निर्माण' की मुख्य विशेषताओं के बारे में डिस्प्ले बोर्ड लगाना था। भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यस्थल पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया था। इसलिए, करारनामे की शर्तों का पालन न करने पर संविदाकार से ₹500 प्रतिदिन की दर से ₹6.05 लाख (निर्धारित कार्य आरंभ तिथि से लेखापरीक्षा तिथि अर्थात 7 नवंबर 2018 से 28 फरवरी 2022 तक) की राशि वसूल की जानी थी। हालाँकि, संविदाकार से विशेष शर्त का पालन न करने के लिए कोई वसूली नहीं की गई।

मंत्रालय ने बताया (दिसंबर 2024) कि यह वसूली संविदाकार के अंतिम बिल से की जाएगी एवं इसकी सूचना लेखापरीक्षा को दी जाएगी।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया तथा आश्वासन दिया कि यह वसूली संविदाकार के अंतिम बिल से की जाएगी तथा लेखापरीक्षा को इसकी सूचना दी जाएगी।

(iv) कार्यों के लिए बीमा पॉलिसी न लेना

नौ चयनित कार्यों में से दो कार्यों में, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि इन दोनों कार्यों का निष्पादन कर रहे संविदाकारों से कार्यों के लिए बीमा पॉलिसियाँ नहीं ली गई थी , जबकि

करारनामे की विशेष शर्तों के नियम एवं शर्तों में इसका प्रावधान था, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 3.8: कार्यों की बीमा पॉलिसी पर लेखापरीक्षा टिप्पणी

कार्यों के नाम	लेखापरीक्षा टिप्पणी	मंत्रालय का उत्तर
39वीं बटालियन, आईटीबीपी, ग्रेटर नोएडा में 453 क्वार्टर का निर्माण	संविदा की विशेष शर्तों के खंड 1.46 के अनुसार, कार्य के निष्पादन की शुरुआत से पूर्व, संविदाकार को, अपने दायित्वों एवं देनदारियों को किसी भी प्रकार से सीमित किए बिना, कार्यस्थल पर किसी भी व्यक्ति या संपत्ति को होने वाली किसी भी क्षति, हानि या चोट के विरुद्ध अपने स्वयं के खर्च पर बीमा कराना था। संविदाकार को इस कार्य के लिए संविदा राशि के 1.25 गुना राशि के बराबर 'संविदाकार सर्व जोखिम (सीएआर) बीमा पॉलिसी' प्राप्त करके प्रभारी अभियंता को प्रस्तुत करना था, जिसमें प्रभारी अभियंता को प्रथम लाभार्थी बनाया जाना था। इसके अतिरिक्त, संविदाकार को प्रत्येक दुर्घटना के लिए अधिकतम ₹10 लाख की तृतीय-पक्ष बीमा पॉलिसी प्राप्त करके प्रभारी अभियंता को प्रस्तुत करनी थी, जिसमें प्रभारी अभियंता को प्रथम लाभार्थी बनाया जाना था। जाँच के दौरान, अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जिससे यह पता चले कि संविदाकार ने ₹68.35 करोड़ की सीएआर बीमा पॉलिसी एवं प्रत्येक दुर्घटना के लिए अधिकतम ₹10 लाख की तृतीय-पक्ष बीमा पॉलिसी ली थी। संविदाकार से बीमा पॉलिसी प्राप्त किए बिना ही 7 अक्टूबर 2016 को कार्यस्थल पर काम शुरू कर दिया गया।	सीएआर बीमा पॉलिसी एवं तृतीय-पक्ष बीमा पॉलिसी न लेने के कारण संविदाकार के अंतिम बिल से ₹8.74 लाख की वसूली की गई है।
द्वारका में भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) का निर्माण	करारनामे के अनुसार, संविदाकार को कार्य के लिए संविदा राशि (₹132.21 करोड़) के 1.25 गुना राशि की उचित 'संविदाकार सर्व जोखिम (सीएआर) बीमा पॉलिसी' प्राप्त करके प्रभारी अभियंता को जमा करनी थी, जिसका प्रथम लाभार्थी प्रभारी अभियंता को होना था। इसके अतिरिक्त, उसे प्रत्येक दुर्घटना के लिए अधिकतम ₹10 लाख की तृतीय-पक्ष बीमा पॉलिसी प्राप्त करके प्रभारी अभियंता को जमा करनी थी, जिसका प्रथम लाभार्थी प्रभारी अभियंता होगा। उल्लिखित बीमा पॉलिसियाँ	मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में बताया कि संविदाकार द्वारा प्रस्तुत संविदाकार सर्व जोखिम पॉलिसी संलग्न है।

	प्राप्त किए बिना संविदाकार को किसी भी कार्य को प्रारंभ करने की अनुमति नहीं थी। अभिलेखों में यह संकेत नहीं मिला कि संविदाकारों द्वारा ऐसी कोई बीमा पॉलिसियाँ प्रस्तुत की गई हों अथवा प्रभारी अभियंता द्वारा संविदाकारों से प्राप्त की गई हों।	

मंत्रालय का उत्तर आंशिक रूप से स्वीकार्य है क्योंकि द्वारका में आईआईआईडीईएम निर्माण कार्य के शेष कार्य हेतु संविदाकार के संबंध में कोई संविदाकार सर्व जोखिम (सीएआर) पॉलिसी संलग्न नहीं है। दस्तावेज़ी प्रमाण के अभाव में, इस कार्य के शेष कार्य हेतु संविदाकार की सीएआर पॉलिसी का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका।

अनुशंसा सं. 7: सीपीडब्ल्यूडी को संपत्ति या व्यक्तियों को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति को कम करने के लिए बीमा पॉलिसी प्रस्तुत करने के संबंध में संविदाकार द्वारा करारनामे के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा पैरा में की गई अनुशंसाओं के अनुपालन में, मंत्रालय ने कहा (जून 2024) कि सीपीडब्ल्यूडी निदेशालय ने दिनांक 24.04.2024 को पीएम/डीजी/442/77 के माध्यम से एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जिसमें सभी क्षेत्रीय इकाइयों को निर्देश दिया गया है कि वे कार्य प्रारंभ होने से पूर्व संविदाकार से समझौते की की शर्तों के अनुसार (यदि लागू हो) अनुबंध मूल्य के 1.25 गुना की दर से व्यापक दुर्घटना जोखिम बीमा पॉलिसी अनिवार्य रूप से प्राप्त करें, ताकि परियोजना स्थल पर संपत्ति या व्यक्तियों को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति को कम किया जा सके।

(v) पर्यावरण विधियों का पालन न करना

(क) चयनित कार्यों में निर्माण एवं ध्वस्त किए गए अपशिष्ट का उपयोग

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने निर्माण गतिविधियों में निर्माण एवं ध्वस्त किए गए अपशिष्ट के पुनर्चक्रित भागों के अनिवार्य उपयोग पर सीपीडब्ल्यूडी द्वारा एक अधिसूचना प्रसारित की थी (23 मार्च 2016), बशर्ते ऐसे उत्पाद, निर्माण स्थल से 100 किलोमीटर के भीतर उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 14 जनवरी 2020 को सीपीडब्ल्यूडी सहित निर्माण गतिविधियों में सम्मिलित विभिन्न सरकारी विभागों/एजेंसियों को निर्देश जारी किए कि वे दिल्ली में जहांगीरपुरी, शास्त्री पार्क एवं मुंडका में तीन निर्माण एवं ध्वस्त किए गए अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के निर्माण एवं ध्वस्त किए गए अपशिष्ट उत्पादों के उपयोग में तेजी लाएं

एवं इसे अधिकतम करें, ताकि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों[63] को पूरा किया जा सके। शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के 06 जुलाई 2016 के आदेश का एक सप्ताह के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया गया, एवं ऐसा न करने पर दिल्ली में निर्माण कार्य रोक दिया जाता। यह भी कहा गया कि यदि संविदाकारों द्वारा दिल्ली स्थित अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से प्राप्त उत्पादों/पुनर्नवीनीकृत उत्पादों का उपयोग अपनी परियोजनाओं में नहीं किया जाता है, तो उपर्युक्त सरकारी विभागों/एजेंसियों द्वारा संविदाकारों के बिलों का भुगतान रोक दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा में, सभी चयनित कार्यों के संबंध में, निर्माण एवं ध्वस्त किए गए अपशिष्ट के उपयोग का विवरण मांगा गया था, लेकिन उसे प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार, लेखापरीक्षा में यह पता नहीं चल सका कि निर्माण एवं ध्वस्तीकरण प्रक्रिया हेतु अधिसूचनाओं/आदेशों का अनुपालन किया गया अथवा नहीं।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसंबर 2024) में बताया कि परामर्शदाता द्वारा तैयार की गई एनआईटी में सीएंडडी अपशिष्ट के उपयोग का ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। हालाँकि, बाद के चरणों में शुरू किए गए कार्यों में सीएंडडी अपशिष्ट के उपयोग के लिए विभाग एवं डीपीसीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।

मंत्रालय ने बताया कि बाद में शुरू किए जाने वाले कार्यों में सीएंडडी अपशिष्ट के उपयोग हेतु विभाग एवं डीपीसीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है। लेकिन मंत्रालय ने अपने उत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। हालाँकि, मंत्रालय का उत्तर निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) में सीएंडडी अपशिष्ट के उपयोग के मानदंडों का पालन न करने के लिए परामर्शदाता के विरुद्ध की गई या प्रस्तावित किसी भी कार्रवाई के संबंध में मौन है।

(ख) एनजीटी मानदंडों का गैर-अनुपालन

द्वारका में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) के निर्माण के लिए निष्पादित संविदा करारनामे के पैरा 1.12 (ए) के अनुसार, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के 04 दिसंबर 2014 के आदेश को पुन: प्रस्तुत किया गया है, प्रत्येक बिल्डर, संविदाकार या व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना था कि निर्माण सामग्री

[63] *महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी को भेजे गए जीएनसीटीडी के दिनांक 06 जुलाई 2016 के आदेश के अनुसार, न्यूनतम 2 प्रतिशत सी एंड डी पुनर्नवीनीकृत उत्पादों का उपयोग भवन निर्माण कार्यों के लिए किया जाएगा तथा 10 प्रतिशत सी एंड डी उत्पादों का उपयोग सड़क निर्माण कार्यों के लिए किया जाएगा।*

तिरपाल से ढकी हो तथा भंडारण के कारण वायु गुणवत्ता को प्रदूषित करने वाले धूल कणों का उत्सर्जन न हो, इसके लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती जाएं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- **निर्माण सामग्री तिरपाल से ढकी नहीं थी:**

  मंत्रालय ने बताया (दिसंबर 2024) कि सीपीडब्ल्यूडी नवंबर 2021 से ही अग्निशमन अधिकारियों से हॉस्टल ब्लॉक एवं अग्निशमन विभाग के लिए अग्निशमन एनओसी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। अधिकारियों ने 29 नवंबर 2021 को कार्यस्थल का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान, संस्थागत भवन के छः मीटर के दायरे में सड़क पर पड़ी सभी सामग्रियों को हटाने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, निर्माण सामग्री पर प्रतिदिन पानी का छिड़काव जारी था।

  मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा टिप्पणी के संबंध में स्पष्ट नहीं है।

- **एनजीटी के आदेश के अनुसार मचान को तिरपाल से नहीं ढका गया था:**

  मंत्रालय ने बताया (2024) कि ऑडिटोरियम निर्माण कार्य के लिए स्थल पर मचान के लिए जाली लगाई गई थी। कार्य लगभग पूरा हो चुका है; हालाँकि, इसे भविष्य में अनुपालन के लिए संज्ञान में लिया गया है।

  चित्र 3.1: मचान को तिरपाल से ढका नहीं गया

  मंत्रालय का उत्तर दस्तावेज़ी साक्ष्यों से समर्थित नहीं है। हालाँकि, मंत्रालय ने भविष्य में अनुपालन के लिए इसे संज्ञान में लिया है।

(vi) अन्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(क) गलत विनिर्देशों वाली लिफ्टों की स्वीकृति एवं स्थापना

विद्युत कार्य 'सीजीओ कॉम्प्लेक्स में अटल अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण' में, करारनामे के अनुसार, अटल अक्षय ऊर्जा भवन में कुल नौ लिफ्ट स्थापित की जानी थीं, जिनमें से दो लिफ्ट दो टन क्षमता की माल/सेवा लिफ्ट होनी आवश्यक थीं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संविदाकार ने 18 मई 2020 को दोनों सर्विस लिफ्टों के आरेख प्रस्तुत किए थे, जिन्हें विभाग द्वारा 23 मई 2020 को अनुमोदित किया गया था। चित्रों से पता चला कि सर्विस लिफ्टों की क्षमता करारनामे में निर्धारित 2.00 टन के बजाय 1,600 किलोग्राम अर्थात 1.6 टन थी। लिफ्टों की क्षमता में कमी शाफ्ट के आकार में कमी के कारण हुई थी। यह करारनामे की शर्तों का उल्लंघन था।

मंत्रालय ने टिप्पणी को स्वीकार करते हुए (जून 2024) कहा कि 2.00 टन सर्विस लिफ्ट के स्थान पर 1.6 टन की दो सर्विस लिफ्ट की स्थापना के लिए ₹ 5.70 लाख की कटौती को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था एवं अंतिम बिल में इसकी वसूली की गई थी।

(ख) जलरोधक कार्य के संबंध में सुरक्षा जमा राशि की कटौती न करना

'मोहम्मदपुर स्थित जनरल पूल आवासीय कॉलोनी के पुनर्विकास' कार्य में, करारनामे के पैरा 2.4.7 के अनुसार, जलरोधक कार्य की लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त सुरक्षा जमा के रूप में रोका जाना था एवं रोकी गई राशि करारनामे के अंतर्गत संपूर्ण कार्य पूरा होने की तिथि से दस वर्ष बाद जारी की जानी थी। 27वें आरए बिल के साथ संलग्न सैद्धांतिक उपभोग विवरण से पता चला कि 13,744 वर्ग मीटर क्षेत्र में जलरोधक कार्य किया गया था। हालाँकि, बिल से जलरोधक कार्य के संबंध में सुरक्षा राशि की कोई कटौती नहीं की गई थी।

टिप्पणी को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि जलरोधक कार्य की लागत का 10 प्रतिशत (अर्थात ₹12.09 लाख) सुरक्षा जमा के रूप में बाद के बिल से यथोचित रूप से काट लिया गया है।

3.4.5.3 कार्यों का आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी

कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली में विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए हैं, जैसे सामग्री का परीक्षण, ब्रांड एवं मात्रा की निगरानी, उच्च अधिकारियों एवं गुणवत्ता आश्वासन शाखा द्वारा आवधिक निरीक्षण, तृतीय पक्ष निरीक्षण एवं विभिन्न रजिस्टरों एवं अभिलेखों का निर्माण।

नौ चयनित कार्यों में, लेखापरीक्षा ने कार्यों के निष्पादन हेतु सीपीडब्ल्यूडी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली की दक्षता एवं प्रभावशीलता की जाँच की। इसमें पाई गई विभिन्न कमियों पर आगामी पैरा में चर्चा की गई है।

(i) अभिलेखों का अपर्याप्त रखरखाव

किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, कार्यों के अभिलेखों का उचित रखरखाव आवश्यक है। विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों के रखरखाव में पाई गई कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

(क) माप पुस्तिका में मदों के माप का उचित रूप से अभिलेखन न किया जाना

कार्य नियमावली 2014 के खंड 7.1(4) के अनुसार, '39वीं बटालियन, आईटीबीपी, ग्रेटर नोएडा में 453 क्वार्टर के निर्माण' कार्य में, किए गए कार्य अथवा प्रदत्त अन्य सेवाओं के लिए संविदाकारों तथा अन्य को भुगतान, माप पुस्तिका में दर्ज मापों के आधार पर किया जाता है। इन पुस्तकों को अत्यंत महत्वपूर्ण लेखा अभिलेख माना जाता है एवं इनका रखरखाव अत्यंत सावधानीपूर्वक एवं सटीक रूप से किया जाता है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना पड़ सकता है।

14वें चालू खाते के बिल की जाँच से पता चला कि छः मदों[64] में ₹12.41 लाख का भुगतान किया गया था। हालाँकि, 15वें चालू खाते के बिल की जाँच से पता चला कि 14वें चालू खाते के बिल के अंतर्गत भुगतान की गई राशि 15वें चालू खाते के बिल में समायोजित कर ली गई थी। इससे स्पष्ट रूप से पता चला कि या तो माप पुस्तिका में मदों का माप ठीक से अभिलेखन नहीं किया गया था या फिर चालू खाते की जाँच के दौरान संभागीय कार्यालय द्वारा संविदाकार को भुगतान करते समय गणना एवं सटीकता की समीक्षा नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹0.32 लाख के ब्याज की हानि भी हुई है।

लेखापरीक्षा की टिप्पणी को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2024) कि संविदाकार के बिल से आवश्यक वसूली कर ली गई है।

(ख) अवरोध संबंधी रजिस्टर का रख-रखाव

सीपीडब्ल्यूडी नियमावली 2014 के पैरा 29.7 में उल्लेख किया गया है कि कार्य के निष्पादन के दौरान सहायक अभियंता द्वारा संज्ञान में आए किसी भी प्रकार के अवरोध को तुरंत

---

[64] मद संख्या 6.10.2, 6.11.2, 7.12.1, 12.4.1.1, 13.13.1 एवं ईआईएस-II/3

कार्यस्थल पर रखे गए अवरोध संबंधी रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए तथा एक सप्ताह के भीतर इसकी सूचना कार्यपालक अभियंता को दी जानी चाहिए। कार्यपालक अभियंता को महीने में कम-से-कम एक बार अवरोध संबंधी रजिस्टर की समीक्षा करनी होती है। प्रत्येक अवरोध को रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए, जिसे कार्यपालक अभियंता एवं संविदाकार द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। प्रत्येक चालू खाता बिल एवं अंतिम बिल के भुगतान के समय ईई एवं एएओ द्वारा मण्डल कार्यालय में अवरोध संबंधी रजिस्टर की समीक्षा अनिवार्य थी। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र दर्ज/दस्तावेजीकृत किया जाना था जिसमें कहा गया हो कि विभाग एवं संविदाकार की ओर से सभी अद्यतन किए गए अवरोध को रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है। विभाग या संविदाकार की ओर से हुए कुल विलंब की गणना अवरोध संबंधी रजिस्टर में दर्ज सभी अवरोध पर विचार करने के बाद की जानी थी।

"सीजीओ कॉम्प्लेक्स में अटल अक्षय ऊर्जा भवन के निर्माण" कार्य के संबंध में अवरोध संबंधी रजिस्टर का रखरखाव समुचित रूप से नहीं किया गया क्योंकि इसमें कुछ अनियमितताएं पाई गईं, जैसे बिना तिथि की प्रविष्टियां, बाधा से प्रभावित मदों का आरेखण न करना, बाधा हटाए जाने की तिथि का अंकन न होना आदि।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में बताया कि सभी बाधाओं को वास्तविक जमीनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित करके अवरोध संबंधी रजिस्टर में दर्ज किया गया था, जिसे उपभोक्ता अर्थात एमएनआरई ने भी देखा एवं स्वीकार किया था। इसके अतिरिक्त, कार्य पूर्ण हो चुका है एवं अंतिम बिल एवं भुगतान भी कर दिया गया है।

इस उत्तर को अवरोध संबंधी रजिस्टर में मौजूद विसंगतियों एवं अनियमितताओं को दर्शाने वाले अभिलेखों के परिपेक्ष्य में देखा जा सकता है। कुछ मामलों में, सक्षम प्राधिकारी ने अवरोध को स्वीकृति नहीं दी, जबकि अन्य मामलों में अतिरिक्त दिनों के अवरोध का दावा किया गया है। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में कोई सूचना अंकित नहीं है, हालाँकि सक्षम प्राधिकारी ने इसकी स्वीकृति दे दी है।

(ग) साइट पर सामग्री रजिस्टर में अनियमितताएँ

सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली 2014 के पैरा 53.2 में कहा गया है कि संविदाकार को साइट पर सामग्री (एमएएस) रजिस्टर बनाए रखने होंगे एवं रजिस्टर में की गई प्रत्येक प्रविष्टि की 100 प्रतिशत जाँच कनिष्ठ अभियंता द्वारा सप्ताह में कम से कम दो बार एवं सहायक

अभियंता द्वारा सप्ताह में कम से कम एक बार की जानी थी। इसके अतिरिक्त, पैरा 26.3.1, के अनुसार, सहायक अभियंता को मांग-पत्र के मुख्य भाग पर मांग-पत्र जारी करने के समय एवं तिथि पर उपलब्ध शेष सामग्री दर्ज करनी होगी, जिसे मांग-पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले कार्यपालक अभियंता द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। सामग्री की प्राप्ति के समय, न केवल तारीख बल्कि प्राप्ति का समय भी सीमेंट रजिस्टर के साथ-साथ एमएएस रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए।

नौ चयनित कार्यों में से दो में, लेखापरीक्षा ने साइट रजिस्टर पर सामग्री के रखरखाव में अनियमितताएं देखीं, जो नीचे दी गई हैं:

- **सीजीओ कॉम्प्लेक्स में अटल अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण:** एमएएस रजिस्टर एवं अवरोध संबंधी रजिस्टर की जाँच से पता चला कि कार्यों के लिए सीमेंट एवं स्टील उन दिनों भी जारी दिखाया गया जब 100 प्रतिशत कार्य अवरुद्ध थे। 100 प्रतिशत कार्य अवरोध के दौरान उपर्युक्त वस्तुओं को जारी करने के कारणों की जानकारी लेखापरीक्षा को नहीं दी गई।

  मंत्रालय ने इस अभ्युक्ति का उत्तर नहीं दिया।

- **डॉ. बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली में लोकसभा सांसदों के लिए 76 बहुमंजिला फ्लैटों का निर्माण:** 25वें चल-लेखा बिल के साथ संलग्न मात्रा अनुसूची की जाँच से पता चला कि संबंधित मदों में विशिष्ट सामग्रियों का उपयोग किया जाना आवश्यक था, हालाँकि, साइट पर सामग्री (एमएएस) रजिस्टर में इन सामग्रियों की कोई प्रविष्टि नहीं पाई गई। इससे पता चलता है कि या तो इन सामग्रियों की खरीद नहीं की गई है या कार्य में उनका उपयोग नहीं किया गया है। हालाँकि, इन वस्तुओं के लिए संविदाकार को ₹49.13 लाख का भुगतान किया गया था।

  मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, केवल वे सामग्री, जो महत्वपूर्ण होती हैं या जिनका वित्तीय प्रभाव अधिक होता है, उन्हें एमएएस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि यद्यपि मद सं. 16.1.1, 16.2 एवं 16.6 को एमएएस खाते में दर्ज नहीं किया गया है, फिर भी इन्हें विधिवत खरीदा गया एवं कार्य में उपयोग किया गया।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के परिपेक्ष्य में देखा जा सकता है कि सीपीडब्ल्यूडी नियमावली के पैरा संख्या 53.2 के अनुसार, केवल सामग्री की खरीद का बिल ही इस बात की गारंटी नहीं है कि सामग्री का उपयोग कार्य में किया गया था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने परियोजना में इन वस्तुओं के उपयोग से संबंधित सहायक दस्तावेज़ भी प्रस्तुत नहीं किए।

(घ) साइट ऑर्डर बुक का अनुचित रखरखाव

कार्य नियमावली 2014 के पैरा 25 के अनुसार, कार्यस्थल पर साइट ऑर्डर बुक रखी जानी चाहिए। संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता को विभिन्न अधिकारियों द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों तथा उनके प्रत्युत्तरों को पढ़ने के उपरांत, उसके प्रमाण स्वरूप साइट ऑर्डर बुक पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने चाहिए। यदि कार्यपालक अभियंता या सहायक अभियंता स्वयं कोई निर्देश देना चाहते हैं, तो उन्हें साइट ऑर्डर बुक में दर्ज करना चाहिए। कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता को कोई दोषपूर्ण कार्य होता हुआ दिखाई दे, अथवा संविदाकार द्वारा संविदा की किसी शर्त का पालन न किया जा रहा हो, या कार्य की प्रगति धीमी हो, तो उसे अपनी टिप्पणियाँ भी साइट ऑर्डर बुक में दर्ज करनी चाहिए। संविदाकार को भुगतान करते समय साइट ऑर्डर बुक का संदर्भ लिया जाना चाहिए ।

नौ चयनित कार्यों में से दो[65] में, कार्यस्थल निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों को दर्ज न किए जाने तथा तिथि के बिना हस्ताक्षरित टिप्पणियाँ होने जैसी विसंगतियाँ पाई गईं।

मंत्रालय ने बताया (दिसंबर 2024)कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कार्यस्थल का बार-बार निरीक्षण किया गया, जिसमें आवश्यक निर्देश जारी किए गए एवं अगले दौरे में उनका पालन किया गया। इतनी बारीकी से निगरानी के कारण, कई बार लिखित निर्देश जारी नहीं हो पाते क्योंकि पिछले दौरे में की गई टिप्पणियों का अगले दौरे में तुरंत पालन किया जाता है। हालाँकि, लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया है, लेखापरीक्षा की इस टिप्पणी को रचनात्मक बिंदु माना जाएगा एवं भविष्य में इसका पालन किया जाएगा।

[65] 39वीं बटालियन, आईटीबीपी, ग्रेटर नोएडा में 453 क्वार्टर के निर्माण और डॉ. बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली में लोकसभा के सांसदों के लिए 76 बहुमंजिला फ्लैट के निर्माण।

(ङ) निरीक्षण रजिस्टर का रखरखाव न करना

सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली 2014 के पैरा 25.2 के अनुसार, प्रत्येक कार्यस्थल पर एक निरीक्षण रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक है, जिसे कार्यपालक अभियंता द्वारा जारी किया गया हो तथा मण्डल कार्यालय से पंजीकृत किया गया हो। मुख्य अभियंता/मुख्य परियोजना प्रबंधक/परियोजना प्रबंधक को अपने कम से कम 50 प्रतिशत दौरे में निरीक्षण रजिस्टर में अपनी टिप्पणियाँ दर्ज करनी थीं, तथा अन्य दौरे उन्हें कार्यस्थल पर अपने दौरे के प्रमाण स्वरूप निरीक्षण रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने थे। यह भी आवश्यक है कि मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता द्वारा निरीक्षण रजिस्टर में दर्ज टिप्पणियों की उनके आगामी निरीक्षणों के दौरान समीक्षा की जाए ताकि उनका अनुपालन सुनिश्चित हो सके। गुणवत्ता आश्वासन निरीक्षण के दौरान भी इनकी समीक्षा की जानी आवश्यक है।

'39वीं बटालियन, आईटीबीपी, ग्रेटर नोएडा में 453 क्वार्टर के निर्माण' कार्य के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि मण्डल द्वारा निरीक्षण रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था। उक्त रजिस्टर के अभाव में, यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया था अथवा कार्य के निष्पादन से संबंधित उनकी कोई टिप्पणियाँ दर्ज की गई थीं।।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसंबर 2024) में कहा कि उक्त टिप्पणी का पहले ही अनुपालन कर लिया गया है तथा भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसे संज्ञान में ले लिया गया है।

(च) सैद्धांतिक उपभोग विवरण तैयार न करना

सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली 2014 के पैरा 33.15.1 के अनुसार, यह आवश्यक है कि प्रत्येक चालू खाता बिल के साथ किए गए एवं मापे गए कार्य की मदों के लिए सामग्रियों की सैद्धांतिक आवश्यकताओं को दर्शाने वाला एक विवरण तैयार किया जाए तथा चालू खाता बिल पर संविदाकार के हस्ताक्षर प्राप्त करते समय उससे हस्ताक्षर करवा लिए जाएं, ताकि उसे पता रहे कि सैद्धांतिक गणना किस आधार पर की गई है। इससे विभाग को कार्य के निष्पादन के दौरान इन सामग्रियों की उपभोग पर व्यापक जांच करने में भी मदद मिलेगी।

तथापि, 'द्वारका में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) के निर्माण' कार्य में, अंतिम बिल से यह देखा गया कि किए गए कार्य की सामग्री का कोई सैद्धांतिक उपभोग विवरण तैयार नहीं किया गया था या चालू खाता बिल के साथ संलग्न नहीं किया गया था, जिसके अभाव में यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता था कि सामग्री का उपयोग विनिर्देश के अनुसार किया गया था।

मंत्रालय ने बताया कि आईआईआईडीईएम के निर्माण का मुख्य कार्य 01 अक्टूबर 2018 को समाप्त कर दिया गया था। संविदाकार द्वारा अंतिम बिल इस कार्यालय में कार्य से संबंधित सभी अभिलेखों के साथ प्रस्तुत किया जाना था, जिनमें किए गए कार्य की मदों के अनुसार सामग्री का सैद्धांतिक उपभोग विवरण भी सम्मिलित है। अंतिम बिल के विलंबित भुगतान पर ब्याज से बचने के लिए, सैद्धांतिक उपभोग विवरण की प्रतीक्षा किए बिना ही भुगतान तुरंत कर दिया गया।

मंत्रालय ने स्वीकार किया है (जून 2024) कि सैद्धांतिक उपभोग विवरण तैयार नहीं किया गया था।

(ii) तृतीय पक्ष द्वारा गुणवत्ता आश्वासन न किए जाने के कारण कार्यों की अनुचित निगरानी

कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्यों की नियमित निगरानी आवश्यक है। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (11 फ़रवरी 2015 एवं 24 फ़रवरी 2015) में पाँच करोड़ रूपयेसे अधिक लागत वाले सभी कार्यों के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता आश्वासन (टीपीक्यूए) को अनिवार्य बनाया गया है।

'सीजीओ कॉम्प्लेक्स में अटल अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण' कार्य के संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय मंजूरी प्रदान करते समय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने विशेष रूप से सीपीडब्ल्यूडी को तीसरे पक्ष के निरीक्षण को सम्मिलित करने का निर्देश दिया था।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान को लगभग 20 माह के विलंब के बाद शेष कार्य राशि (₹163.50 करोड़) के लिए 28 जनवरी 2020 से टीपीक्यूए एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था।

अपने उत्तर (अप्रैल 2022) में मंडल ने बताया कि प्रारंभिक चरण में सीवर लाइनों के स्थानांतरण के कारण कार्य में अवरोध उत्पन्न हुआ तथा इस कारण कार्य पूर्ण गति से नहीं किया जा सका।

इस उत्तर को इस तथ्य के परिपेक्ष्य में देखा जा सकता है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने सीपीडब्ल्यूडी को विशेष रूप से तीसरे पक्ष के निरीक्षण को सम्मिलित करने का निर्देश दिया था, इसलिए, अवरोधों या कार्य पूरी गति से न किए जाने के बावजूद, पूरे कार्य के लिए टीपीक्यूए को नियुक्त करना पड़ा।

मंत्रालय द्वारा इस टिप्पणी पर कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

अनुशंसा सं. 8: कार्य निष्पादन के दौरान, माप पुस्तिका, अवरोध संबंधी रजिस्टर, कार्यस्थल पर सामग्री एवं सीमेंट रजिस्टर, साइट ऑर्डर बुक एवं निरीक्षण रजिस्टर जैसे अभिलेखों के उचित रखरखाव हेतु सीपीडब्ल्यूडी नियमावली के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सीपीडब्ल्यूडी को कार्यों की उचित निगरानी के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता आश्वासन भी सुनिश्चित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा पैरा में की गई अनुशंसाओं के अनुपालन में, मंत्रालय ने कहा (जून 2024) कि सीपीडब्ल्यूडी निदेशालय ने दिनांक 24.04.2024 को पीएम/डीजी/442/77 के माध्यम से एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जिसमें सभी क्षेत्रीय इकाइयों को नियमावली/संविदा शर्तों के अनुसार संबंधित परियोजना अभिलेखों का कड़ाई से रखरखाव करने के निर्देश दिए गए हैं एवं किसी भी तरह की शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा।

3.4.6 सारांश

सीपीडब्ल्यूडी विभिन्न प्रकार के भवनों जैसे आवासीय, कार्यालय, स्कूल, प्रयोगशालाएं, अस्पताल आदि तथा गैर-इमारती अवसंरचना जैसे राजमार्ग, फ्लाईओवर, सुरंग, पुल आदि के निर्माण का कार्य करता है। लेखापरीक्षा में दिल्ली में 2018-19 से 2020-21 के दौरान सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को सम्मिलित किया गया, ताकि ऐसे निर्माण कार्यों की योजना, निष्पादन एवं समग्र प्रबंधन में विभिन्न गतिविधियों की जांच की जा सके एवं 34 निर्माण कार्यों में से नौ को जांच के लिए चुना गया।

सीपीडब्ल्यूडी ने कार्य सौंपने से पहले उचित विस्तृत अनुमान, विस्तृत वास्तुशिल्प/संरचनात्मक आरेख, लेआउट योजना तैयार नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप

चार कार्यों में विचलन एवं अतिरिक्त मदों का निष्पादन हुआ। एक कार्य में कार्य सौंपने से पहले स्थानीय/सांविधिक निकायों से अनुमोदन भी नहीं लिया गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान तकनीकी प्रतिनिधियों की नियुक्ति न करने के मामले सामने आए एवं दो परियोजनाओं में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा इसकी वसूली की गई। दो कार्यों में वृद्धि के लिए अतिरिक्त भुगतान भी पाया गया। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि दो परियोजनाओं के मामले में, संविदाकारों ने कार्य निष्पादन के दौरान बीमा पॉलिसियाँ प्रस्तुत नहीं कीं। इसके अतिरिक्त, करारनामे के प्रावधानों एवं पर्यावरण कानूनों का भी पालन नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि माप पुस्तिका, अवरोध संबंधी रजिस्टर, एमएएस एवं सीमेंट रजिस्टर, साइट ऑर्डर बुक एवं निरीक्षण रजिस्टर जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों का रखरखाव उचित रूप से नहीं किया गया था। कार्य निष्पादन के दौरान सामग्री की सैद्धांतिक उपभोग की तैयारी न करने का एक उदाहरण भी पाया गया। एक मामले में, कार्य की उचित निगरानी के लिए तृतीय-पक्ष गुणवत्ता आश्वासन की नियुक्ति में भी अनियमितता पाई गई।

दिल्ली विकास प्राधिकरण

3.5 आवासों की योजना, निर्माण एवं आवंटन

3.5.1 परिचय

दिल्ली, एक शहर, एक केंद्र शासित प्रदेश एवं देश की राजधानी होने के नाते, जिसका क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर एवं जनसंख्या 1.68 करोड़ (जनगणना 2011) है, इसको विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए योजनाबद्ध विकास की अत्यधिक आवश्यकता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अंतर्गत की गई थी। अधिनियम के अनुसार, डीडीए का उद्देश्य योजना के अनुसार (दिल्ली मास्टर प्लान) दिल्ली के विकास को बढ़ावा देना एवं सुरक्षित करना था एवं उस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण को भूमि एवं अन्य संपत्ति का अधिग्रहण करने, धारण करने, प्रबंधन करने एवं निपटान करने, भवन निर्माण, अभियांत्रिकी, खनन या अन्य परिचालन करने, पानी एवं बिजली की आपूर्ति, सीवेज के निपटान, अन्य सुविधाओं एवं सेवाओं के संबंध में कार्यों को निष्पादित करने की शक्ति थी जो ऐसे विकास प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन हो।

दिल्ली का मास्टर प्लान आमतौर पर 20 वर्षों की क्षैतिज अवधि के लिए तैयार किया जाता है एवं केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। अब तक, दिल्ली के तीन मास्टर प्लान (एमपीडी) अर्थात 1962, 2001 एवं 2021 तैयार किए जा चुके हैं। मास्टर प्लान एक गतिशील दीर्घकालिक नियोजन दस्तावेज़ है जो भविष्य में वृद्धि एवं विकास को दिशा देने के लिए एक वैचारिक रूपरेखा प्रदान करता है। मास्टर प्लान का प्रयोजन भवनों, सामाजिक परिवेशों एवं उनके आसपास के वातावरण के बीच संबंध स्थापित करना है। मास्टर प्लान में किसी क्षेत्र की जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, आवास, परिवहन, सामुदायिक सुविधाओं तथा भूमि उपयोग से संबंधित विश्लेषण, अनुशंसाएँ एवं प्रस्ताव सम्मिलित होते हैं।

3.5.2 दिल्ली में आवासीय परिदृश्य

दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीडी) की जनसंख्या 2021 तक 2.30 करोड़ होने का अनुमान था । इसे ध्यान में रखते हुए, एमपीडी 2021 में लगभग 24 लाख अतिरिक्त आवासीय इकाइयों (डीयू) की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था, जिसमें अतिरिक्त जनसंख्या के लिए 20 लाख आवासीय इकाइयों की अनुमानित आवास आवश्यकता एवं लगभग चार लाख डीयू का पिछला बकाया सम्मिलित था, जिसमें जर्जर एवं कच्चे ढांचे सम्मिलित थे जिन्हें बदलने की आवश्यकता थी। 24 लाख डीयू की इस आवश्यकता की पूर्ति वर्ष 2021 तक विभिन्न एजेंसियों, जैसे सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, केंद्र/राज्य सरकारें, सहकारी समितियाँ एवं निवासी संघों द्वारा आवास विकास के माध्यम से पूरी की जानी थी। इस प्रकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आवास विकास, दिल्ली की समग्र शहरी विकास योजना एवं विकास प्रक्रिया के प्राथमिक क्षेत्रों में से एक था।

3.5.3 आवास में डीडीए का कार्य

अपनी स्थापना के बाद से, डीडीए ने 54 आवास योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिनमें से 10 आवास योजनाएं 2017 से 2022 के दौरान विभिन्न आर्थिक स्तरों जैसे उच्च आय वर्ग (एचआईजी), मध्यम आय वर्ग (एमआईजी), निम्न आय वर्ग (एलआईजी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आदि के लिए शुरू की गईं। निर्मित संपत्तियों का निपटान बिक्री या किस्तों पर खरीद के माध्यम से किया जाना था, जो डीडीए (आवास संपदाओं का प्रबंधन एवं निपटान) विनियम, 1968 द्वारा शासित है।

3.5.3.1 डीडीए की संगठनात्मक संरचना

डीडीए का नेतृत्व दिल्ली के उपराज्यपाल करते हैं, जो इसके अध्यक्ष हैं। डीडीए के प्रशासनिक प्रमुख, उपाध्यक्ष की सहायता के लिए वित्त सदस्य, अभियंता सदस्य एवं प्रधान आयुक्त एवं विभिन्न कार्यात्मक शाखाओं के आयुक्त होते हैं।

3.5.3.2 आवास परियोजनाओं से जुड़े डीडीए के विभागों के कार्य

आवास परियोजनाओं से संबंधित डीडीए के प्रमुख विभागों की समग्र भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- **योजना विभाग** को दिल्ली के नियोजित विकास के मार्गदर्शन हेतु मास्टर प्लान, जोनल प्लान, लेआउट प्लान[66] आदि, तथा नीतियाँ एवं प्रस्ताव तैयार करने का दायित्व सौंपा जाता है। मास्टर प्लान तथा ज़ोनल विकास योजना को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन हेतु केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया जाता है।

- **आवास एवं शहरी परियोजना प्रभाग (वास्तुकला विभाग)** को स्थल विश्लेषण एवं अनुसंधान, केस स्टडी, संकल्पनात्मक डिजाइन विकसित करना, प्रस्ताव विवरण एवं प्रस्तुतीकरण तैयार करना, स्क्रीनिंग समिति[67] की बैठकें आयोजित करना एवं उसका अनुमोदन प्राप्त करना, दिल्ली शहरी कला आकुल (डीयूएसी), अग्नि सुरक्षा आदि से सांविधिक अनुमोदन एवं मंजूरी प्राप्त करना, विस्तृत कार्यकारी आरेख तैयार करना, विभिन्न प्रकार के आवासीय, वाणिज्यिक, सामाजिक, विरासत एवं अन्य अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु परियोजना के धरातल पर निष्पादन की पूर्णता तक स्थल पर समन्वय का कार्य सौंपा गया है।

- **डीडीए का भूमि प्रबंधन विभाग** भूमि अधिग्रहण, भूमि प्रबंधन, भूमि उपयोगकर्ता विभागों को सहायता प्रदान करने, भूमि प्रबंधन से संबंधित मामलों में विभिन्न विभागों एवं बाह्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने, अतिक्रमण हटाने हेतु तोड़फोड़ कार्यक्रमों की

---

[66] विकास संहिता की विशिष्ट धाराओं के अनुसार भूखंडों, पार्किंग क्षेत्र, भू-दृश्य, खुले स्थान और अन्य विकास सुविधाओं के प्रस्तावित स्थान को दर्शाने वाली एक विस्तृत योजना।

[67] स्क्रीनिंग समिति निर्माण गतिविधियों की योजनाओं को मंजूरी देती है। इसमें उपाध्यक्ष, अभियांत्रिकी सदस्य, वित्त सदस्य, आयुक्त (भूमि), आयुक्त (योजना), मुख्य अभियंता, मुख्य वास्तुकार, निदेशक(सीपी), निदेशक (पीपीडब्ल्यू), निदेशक (डीसी एंड बी) शामिल हैं।

योजना एवं निष्पादन करने तथा विकास क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी है।

- **डीडीए का अभियांत्रिकी प्रभाग** सभी निर्माण एवं विकास गतिविधियों, जैसे–भूमि का विकास, आवासीय निर्माण, पार्क एवं हरित क्षेत्रों का विकास, फ्लाईओवरों का निर्माण, खेल परिसरों तथा मनोरंजन पार्कों का निर्माण, शॉपिंग एवं कार्यालय परिसरों का निर्माण आदि के लिए उत्तरदायी है।

- **आवास विभाग** विभिन्न श्रेणियों के फ्लैट हेतु आवास योजनाएँ प्रारंभ करके, तैयार किए गए फ्लैट/आवासों का आबंटन करता है।

- **सिस्टम्स प्रभाग** मुख्यतः डीडीए के सभी विभागों की कम्प्यूटरीकरण संबंधी गतिविधियों तथा संबंधित विभागों की दैनिक गतिविधियों के स्वचालन हेतु स्थापित विभिन्न आईटी अनुप्रयोगों के उपयोग को सुगम बनाने से संबंधित है।

- **वित्त एवं लेखा प्रभाग** मुख्यतः लेखों का संकलन एवं अनुमानित बजटों की तैयारी, कार्य निष्पादन एजेंसियों को भुगतान, कर्मचारियों को वेतन का वितरण, फ्लैट, दुकानों एवं भू-खंडों के आबंटियों से संबंधित मांग एवं वसूली रजिस्टरों का रखरखाव करने के अतिरिक्त प्रबंधन एवं प्रशासनिक प्रभाग को विभिन्न वित्तीय मामलों पर सलाह प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।

3.5.4 बजट एवं व्यय

डीडीए के लेखों को तीन व्यापक शीर्षों के अंतर्गत व्यवस्थित किए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक को एक पृथक लेखा इकाई माना जाता है। लेखों को निम्नलिखित तीन प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत तैयार किया जाता है:

- **नजूल-I** यह नजूल करारनामे,1937 के अंतर्गत दिल्ली सुधार ट्रस्ट को सौंपी गई (01 अप्रैल 1937) पुरानी नजूल सम्पदा के लेन-देन से संबंधित है, जिसे दिल्ली सुधार ट्रस्ट के उत्तराधिकारी के रूप में डीडीए ने अपने अधीन ले लिया था।
- **नजूल-II** बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निपटान गतिविधियों से संबंधित है।

- **सामान्य विकास लेखे (जीडीए)** डीडीए द्वारा अपने खाते में किए गए सभी विकास, निर्माण एवं अन्य गतिविधियों तथा डीडीए को सौंपी गई अन्य गतिविधियों से संबंधित हैं।

डीडीए[68] का व्यय एवं प्राप्तियां

वर्ष 2017-18 से 2023-24 के दौरान डीडीए के अनुमानित व्यय एवं प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक व्यय एवं प्राप्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.9: डीडीए के व्यय एवं प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय			प्राप्तियाँ		
	अनुमानित बजट	परिशोधित अनुमान	वास्तविक	अनुमानित बजट	परिशोधित अनुमान	वास्तविक
2017-18	8,415.48	5,295.01	4,116.03	6,800.90	3,637.08	2,317.89
2018-19	8,032.64	5,651.44	4,428.62	5,197.21	4,218.79	4,009.86
2019-20	6,967.62	5,338.10	3,913.39	5,476.98	4,266.55	4,723.12
2020-21	6,244.23	4,017.63	3,620.30	5,993.92	4,030.61	4,140.95
2021-22	6,737.85	6,482.58	5,278.99	6,748.68	5,327.42	4,910.24
2022-23	7,932.96	6,543.98	5,189.15	7,943.43	4,751.30	4,392.34
2023-24	7,643.20	8,804.93	6,635.27	8,541.07	7,696.65	6,259.91

(स्रोत: डीडीए द्वारा दी गई जानकारी)

व्यय में भूमि का अधिग्रहण, भूमि का विकास, आवासों/दुकानों का निर्माण, स्थापना तथा प्रशासन व्यय, कार्य तथा विकास योजनाओं पर व्यय आदि सम्मिलित हैं। प्राप्तियों में आवासीय/औद्योगिक/व्यावसायिक/संस्थागत भूमि के निस्तारण से आय, आवासों/दुकानों के निस्तारण से प्राप्ति, शुल्क, हर्जाना आदि सम्मिलित हैं।

आवासों[69] के निर्माण एवं निस्तारण पर व्यय तथा प्राप्तियाँ

वर्ष 2017-18 से 2023-24 के लिए आवासों के निर्माण/निस्तारण पर व्यय एवं प्राप्तियों से संबंधित बजट अनुमान तथा वास्तविक व्यय एवं प्राप्ति नीचे दी गई तालिका में दी गई हैं:

---

[68] ***नजूल-I, नजूल-II और जीडीए सहित***

[69] ***जीडीए से संबंधित***

तालिका 3.10: आवासों के निर्माण/निस्तारण पर व्यय एवं प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय			प्राप्तियाँ		
	अनुमानित बजट	परिशोधित अनुमान	वास्तविक	अनुमानित बजट	परिशोधित अनुमान	वास्तविक
2017-18	3,557.13	2,195.24	1,191.31	2,082.09	1,261.59	177.44
2018-19	3,585.88	2,464.28	2,310.32	1,511.15	1,257.26	997.26
2019-20	3,001.55	2,286.50	1,855.87	266.85	1,119.30	902.20
2020-21	1,902.72	1,327.69	1,295.37	3,158.40	1,273.58	1,143.24
2021-22	2,056.24	2,265.92	1,872.94	2,941.32	1,143.11	848.76
2022-23	2,532.65	1,840.35	1,622.66	2,760.85	1,093.13	663.91
2023-24	1,757.91	2,109.60	1,827.75	4,298.35	2,885.02	2,398.13

(स्रोत: डीडीए द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

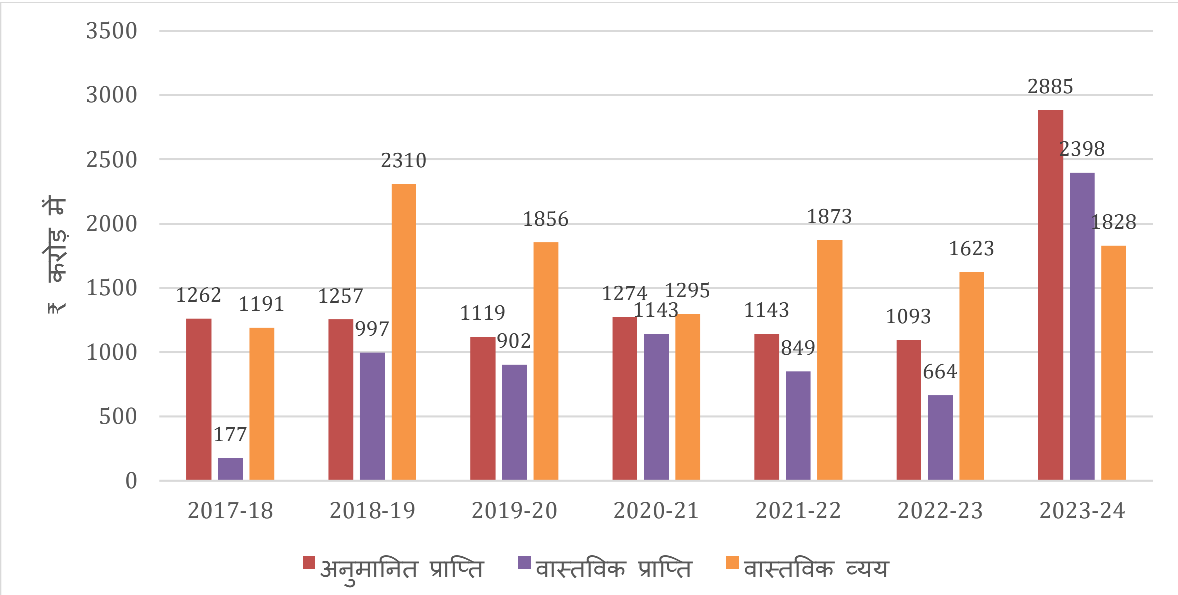

चार्ट 3.3: वर्षवार अनुमानित प्राप्ति, वास्तविक प्राप्ति तथा आवासों के निर्माण/निस्तारण पर वास्तविक व्यय

ऊपर दिए गए चार्ट से यह साफ़ है कि साल 2017-18 से 2022-23 तक घरों के बेचने से हुई वास्तविक कमाई, उसी समय में बिना बिक्री इन्वेंट्री की वजह से इन घरों को बनाने पर हुए वास्तविक खर्च से काफ़ी कम थी। वर्ष 2023-24 में, वास्तविक खर्च ₹1,827.75 करोड़ के मुकाबले वास्तविक प्राप्ति ₹2,398.13 करोड़ थी। वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्ति में बढ़ोतरी दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारका आवासन योजना 2024 के लॉन्च होने की वजह से हुई।

3.5.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में 2017-18 से 2021-22 के समय के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवासों की योजना, निर्माण और आबंटन शामिल हैं। प्रतिवेदन में बताए गए मामले वे हैं जो 2017-18 से 2021-22 के समय के लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए; 2023-24 तक के समय के आंकड़ों को, जहाँ भी ज़रूरी हुआ, अद्यतित कर दिया गया है।

2017-18 से 2021-22 के दौरान कुल 23 आवासीय परियोजनाएं या तो पूरी हो गई या चल रही हैं। 2017-18 से 2021-22 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कुल 12 परियोजनाएं पूर्ण हुई और 11 परियोजनाएं चल रही थी **(अनुलग्नक-XX)**। 23 आवासीय पारियोजनाओं में से, लेखापरीक्षा ने आकार के अनुपात में प्रायिकता और बिना प्रतिस्थापन नमूनाकरण विधि **(अनुलग्नक-XXI)** का इस्तेमाल करके तीन पूर्ण हो चुकी पारियोजनाओं और तीन चल रही पारियोजनाओं को चुना है, जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय मंजूरी (एए एवं ईएस) क्रमशः ₹8,625.93 करोड़ और ₹1,718.99 करोड़ है। चुनी गई परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय मंजूरी, पूर्ण हो चुकी और चल रही पारियोजनाओं का क्रमशः 82.25 प्रतिशत और 27.28 प्रतिशत था।

3.5.6 कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा 29 अगस्त 2022 को दिल्ली विकास प्राधिकरण/मंत्रालय के साथ हुई एंट्री कॉनफेरेंस से शुरू हुई, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, मानदंड और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा फरवरी 2023 में पूर्ण हुई और मसौदा प्रतिवेदन दिल्ली विकास प्राधिकरण और मंत्रालय को क्रमशः 25 अप्रैल 2023 और 30 जून 2023 को जारी किया गया। मंत्रालय/दिल्ली विकास प्राधिकरण के उत्तर जून 2024 में मिले थे, जिन पर इस प्रतिवेदन में उचित रूप से विचार किया गया है। लेखापरीक्षा के परिणामों पर चर्चा करने के लिए मंत्रालय/दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ एग्जिट कॉनफेरेंस 31 दिसंबर 2024 को हुई।

3.5.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

क. आवास हेतु योजना

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अनुसार, दिल्ली का योजनाबद्ध विकास दिल्ली विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्य है। दिल्ली में घरों के लिए योजनाबद्ध विकास मास्टर प्लान ,

जोनल प्लान, लेआउट प्लान, नीतियों और प्रस्तावों के माध्यम से किया जाता है, जो कार्य के लिए दिशानिर्देश देते हैं। योजनाबद्ध विभाग दिल्ली के मास्टर प्लान (एमपीडी), जोनल डेवलपमेंट प्लान (जेडडीपी) तैयार करने से जुड़े कार्य करता है, जिसमें नौ श्रेणियों[70] में ज़मीन के इस्तेमाल का बंटवारा और लेआउट प्लान (एलओपी) शामिल है। आवास एवं शहरी परियोजनाएं शाखाएँ (एचयूपीडबल्यू) यानी वास्तुकला विभाग, आवासीय समहू आवास परियोजना के लिए वास्तुकला ड्राइंग और डिज़ाइन के लिए ज़िम्मेदार है। जोनल डेवलपमेंट प्लान दिल्ली के मास्टर प्लान और लेआउट प्लान के बीच एक सेतु प्रदान करता है।

चार्ट 3.4: एमपीडी, जेडडीपी और एलओपी के बीच संबंध

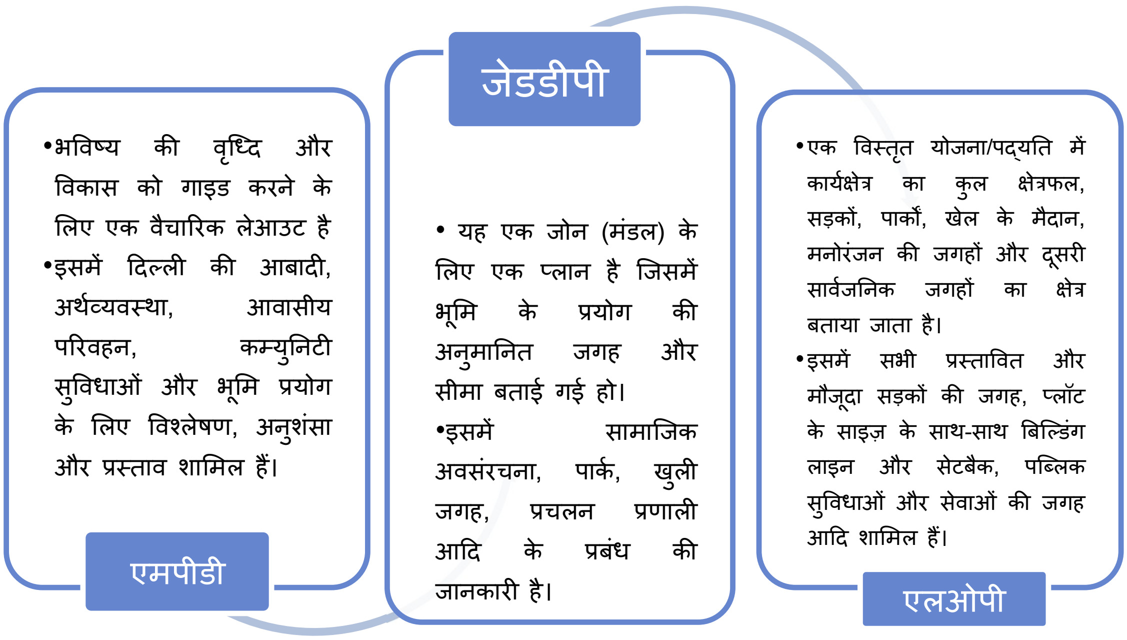

दिल्ली का मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अंतर्गत तैयार किया जाता है। जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार होने के बाद क्षेत्र लेआउट प्लान तैयार किया जाता है और स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में उन्हें स्वीकृति दी जाती है।

3.5.7.1 एमपीडी 2021 और जेडडीपी की तैयारी में विलंब

राष्ट्रीय राजधानी के नियोजित विकास की प्रक्रिया दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के लागू होने के साथ शुरू हुई। दिल्ली का मास्टर प्लान (एमपीडी) आम तौर पर 20 साल के समय के लिए तैयार किया जाता है और केंद्र सरकार (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय)

[70] ***आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, मनोरंजन, परिवहन, उपयोगिता, सरकारी, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं और कृषि एवं जल निकाय***

इसे अधिसूचित करती है। अब तक दिल्ली के तीन मास्टर प्लान यानी एमपीडी 1962, एमपीडी 2001 और एमपीडी 2021 तैयार किए जा चुके हैं।

दिल्ली का पहला मास्टर प्लान यानी एमपीडी 1962, 01 सितंबर 1962 को अधिसूचित किया गया था। दूसरा मास्टर प्लान यानी एमपीडी 2001 अगस्त 1990 में यानी 28 साल बाद अधिसूचित किया गया था । यह देखा गया कि चूंकि दूसरे एमपीडी में 2001 तक का समय शामिल था, इसलिए तीसरे एमपीडी को उसी साल यानी 2001 में अधिसूचित किया जाना था। लेकिन, एमपीडी 2021 को छः साल से ज़्यादा के विलंब के बाद यानी फरवरी 2007 में तैयार और अधिसूचित किया गया और इस वजह से इस योजना को लागू करने का समय घटाकर यानी 2007 से 2021 तक कर दिया गया।

एमपीडी 2021 के सेक्शन 16.1 के अनुसार, निर्माण योजना के रूप में जोनल डेवलपमेंट प्लान, एमपीडी 2021 के अनुमोदन के 12 महीनों के अंदर तैयार किए जाने चाहिए थे। लेकिन, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 15 ज़ोन के मामले में, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्वीकृति के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को जोनल डेवलपमेंट प्लान प्रस्तुत करने में विलंब किया। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 14 क्षेत्र में 16 जेडडीपी को मंत्रालय को प्रस्तुत करने में आठ से 10 महीने का विलंब हुआ। मंत्रालय ने जेडडीपी की स्वीकृति के लिए 16 से 19 महीने का समय लिया है, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण से स्पष्टीकरण मांगने का समय भी शामिल है। इसके अलावा, ज़ोन डी[71] के जेडडीपी के मामले में, जेडडीपी को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने में 12 साल का विलंब हुआ, जिसे आज तक फ़ाइनल नहीं किया गया है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में कहा कि मास्टर प्लान तैयार करने में, विस्तृत कार्य अध्ययन, सर्वेक्षण और अलग-अलग हितधारकों को शामिल करके बड़े पैमाने पर लोक सहभागिता शामिल की गई है और यह एक लंबा कार्य है। एमपीडी 2021 की तैयारी साल 1999 में शुरू हुई थी और दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में बताई गई सही प्रक्रिया का पालन करने के बाद, साल 2005 में आपत्ति/सुझाव मांगने के लिए योजना प्रकाशित की गई थी। आपत्ति/सुझाव मंगाने के बाद, ड्राफ्ट योजना को फाइनल किया गया और अंतिम

---

[71] प्लानिंग जोन-'डी' में लुटियंस बंगलो जोन (एलबीजेड) शामिल है, जिसकी विशेषता कम घनत्व वाली है, और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, जो नई दिल्ली का मुख्य मार्ग है और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैला हुआ है।

अधिसूचना के लिए जनवरी 2007 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया। मास्टर प्लान एक गतिशील दस्तावेज है जो दिल्ली के विकास को गाइड करता है। मास्टर प्लान की अधिसूचना में विलंब से शहर के नियोजित विकास या चल रही परियोजनाओं/नीतियों पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि मौजूदा मास्टर प्लान में उल्लिखित नीतियां नए मास्टर प्लान के अधिसूचित होने तक लागू रहेंगी। इस तरह, मास्टर प्लान की अधिसूचना में विलंब के बीच के समय में कोई नीतिगत अंतराल नहीं है, क्योंकि पिछली योजना अभी भी चालू है और उसमें हुए विलंब से शहर के विकास पर कोई असर नहीं पड़ता है।

इसके अलावा, क्षेत्रीय विकास योजना तैयार करने में विलंब के बारे में, मंत्रालय ने बताया (जून 2024) कि क्षेत्र-डी के क्षेत्रीय विकास योजना को छोड़कर, इन्हें मंत्रालय ने मार्च 2010 में अधिसूचित कर दिया था। जहां तक क्षेत्र-डी की बात है, इसे दिल्ली के दूसरे नियोजन क्षेत्र जैसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह नई दिल्ली का मुख्य मार्ग है जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैला हुआ है। एमपीडी 2021 के पैरा 16.1 को दोहराते हुए, इसमें आगे कहा गया है कि मुख्य योजना के नियम उन इलाकों में लागू रहेंगे जहां क्षेत्रीय विकास योजना(जेडडीपी) को स्वीकृति नहीं मिली है। मंत्रालय ने निकास सम्मेलन (दिसंबर 2024) में एमपीडी /जेडडीपी तैयार करने में विलंब को भी माना है और कहा है कि एमपीडी तैयार करना, उसे लागू करना और उसमें बदलाव करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और जब तक नया एमपीडी अधिसूचित नहीं हो जाती, तब तक पिछली एमपीडी जारी रहेगी।

इस उत्तर को इस तथ्य के परिपेक्ष्य में देखा जा सकता है कि एमपीडी 2021 के अनुसार, जेडडीपी, निर्माण योजना के रूप में, एमपीडी 2021 के अनुमोदन के 12 महीनों के अंदर तैयार किए जाने चाहिए, इसलिए, जेडडीपी तैयार करने और उसका अनुमोदन लेने की प्रक्रिया का नियोजित समय पर अनुमोदन निश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, 20 साल के समय में जनसांख्यिकी, सामाजिक हालात और आर्थिक हालात जैसे अलग-अलग मापदंडों में बड़े बदलाव हुए, जिसके लिए बदले हुए हालात में इन समस्याओं को हल करने के लिए एक नई योजना की ज़रूरत पड़ी। इस तरह, एमपीडी 2001 को जनवरी 2007 तक जारी रखकर, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मौजूदा हालात की ज़रूरतों को पूरा नहीं किया और मौजूदा योजना (यानी, एमपीडी 2021) को लागू करने के लिए

उसके पास सिर्फ़ 15 साल थे। यह भी देखा गया कि एमपीडी 2041, जिसे 2022 में लागू होना था, उसे भी आज तक (जुलाई 2024) अंतिम रूप और अधिसूचित नहीं किया गया है।

3.5.7.2 आवास इकाइयों को उपलब्ध कराने की सुसंगत योजना में अपर्याप्तता

एमपीडी 2021 के पैरा 4.1 में प्रावधान किया गया है कि 2021 तक 2.30 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर, अनुमानित अतिरिक्त आवास स्टॉक की आवश्यकता लगभग 24 लाख आवासीय इकाइयों (डीयू) की होगी। एमपीडी 2021 के पैरा 18 में छः उप-श्रेणियों[72] के अंतर्गत 2021 तक नए आवास के लिए 14 लाख डीयू और पुनर्विकास के लिए 10 लाख डीयू प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। पैरा 18.3, में यह भी प्रावधान किया गया है कि विभिन्न योजनाओं के लक्ष्य का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और किसी भी बदलाव और सुधार की आवश्यकता की पहचान करने के लिए क्रमशः दिल्ली के उपराज्यपाल के अधीन अभ्यर्पण निगरानी इकाइयों और उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा निर्धारित आवृत्ति के अनुसार योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा समय-समय पर की जानी चाहिए।

इसके अलावा, आवास उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी दिल्ली विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) और निजी क्षेत्र को सौंपी गई थी। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीडीए ने योजना अवधि के दौरान विकसित किए जाने वाले आवास इकाईयों की संख्या के संबंध में एमपीडी 2021 के अनुरूप अपने आंतरिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए। इसके अलावा, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एमपीडी 2021 के कार्यान्वयन में सम्मिलित संबंधित एजेंसियों के साथ निगरानी और समन्वय नहीं किया। इसके अतिरिक्त, निगरानी और समीक्षा गतिविधियों के हिस्से के रूप में डीयू के निर्माण के लिए अन्य सार्वजनिक एजेंसियों की उपलब्धियों की तुलना में समग्र और चरणबद्ध लक्ष्य के बारे में जानकारी का अभाव था।

---

[72] स्लम और जे. जे. के दृष्टिकोणों के माध्यम से शहरी गरीबों के लिए आवास, स्वतंत्र भूखंडों के रूप में मकान और पुनर्विकास, समूह आवास (कुल आवासीय भवनों का 35% अनिवार्य रूप से 2 कमरों या उससे कम से अधिक नहीं होना चाहिए), नियोक्ता आवास, अनधिकृत नियमित कॉलोनियां, अन्य आवास क्षेत्र, पुराने क्षेत्रों के पारंपरिक/गांवों का उन्नयन।

संसाधनों के समुचित उपयोग और इच्छित परिणामों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक आकलन के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। अतः, अपने लिए कोई आंतरिक लक्ष्य निर्धारित न होने और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय न होने के कारण, इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यों का समुचित रूप से आकलन नहीं किया जा सका।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में कहा कि मास्टर प्लान विभिन्न एजेंसियों, जैसे सार्वजनिक, निजी, सहकारी समितियों, केंद्रीय/राज्य सरकार/निवासी संघ द्वारा विकसित किए जाने वाले आवास प्रकारों का सांकेतिक वितरण प्रदान करता है। निर्धारित वितरण और लक्ष्य केवल सांकेतिक हैं और इसके अनुसार जो लक्ष्य निर्धारित अवधि के भीतर हासिल नहीं किए जाते हैं, उन्हें अगले चरण में आगे बढ़ाया जाएगा। उच्च स्तरीय समिति का गठन नवंबर 2023 में किया गया है, जिसकी अध्यक्षता माननीय उप राज्यपाल करेंगे और सलाहकार समूह को उच्च स्तरीय समिति में शामिल कर लिया गया है। यह अधिसूचना पर एमपीडी-2041 की निगरानी के लिए प्रस्तावित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सभी कार्यों को शामिल करेगा। इसके अलावा, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्वीकार किया कि आवास के लिए इसके द्वारा कोई आंतरिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे, क्योंकि आवास स्टॉक का प्रावधान करना केवल दिल्ली विकास प्राधिकरण की एकमात्र जिम्मेदारी नहीं थी, और समस्त अन्य एजेंसियां भी इसके लिए जिम्मेदार थी।

उत्तर को इस तथ्य के परिपेक्ष्य में देखा जा सकता है कि भले ही आँकड़े सांकेतिक हों, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने न तो अपने लिए आवास का कोई आंतरिक लक्ष्य निर्धारित किया और न ही एमपीडी 2021 में योजना अवधि के दौरान अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले आवासीय भवनों की संख्या के बारे में कोई जानकारी रखी। इसके अलावा, मध्यावधि समीक्षा, सलाहकार समूह की बैठकों और उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) के प्रावधान के बावजूद, 2011-14 की अवधि के दौरान सलाहकार समूह की केवल चौदह बैठकें हुईं। उसके बाद कोई समीक्षा बैठक नहीं हुई।

3.5.7.3 आवासीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन न करना

उपयोगकर्ताओं/ग्राहकों की सामान्य और विशिष्ट आवश्यकताओं को पहले से ही जान लेने से सेवा प्रदाता को जनता की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने और वितरण करने तथा संबंधित परियोजनाओं के लिए लक्षित अधिकतम ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान

करने में सहायता मिलती है, जिससे परियोजनाओं के वांछित परिणाम भी सुनिश्चित होते हैं।

यह देखा गया कि यद्यपि आवास विकास दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रमुख कार्यों में से एक था, फिर भी डीडीए द्वारा शुरू की गई विभिन्न आवास परियोजनाओं के लिए जनता की आवश्यकताओं का पूर्व आकलन करने की कोई प्रक्रिया नहीं थी। इसके अलावा, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई और निर्मित किसी भी आवास परियोजना को अंतिम रूप देने से पहले कोई बाजार अध्ययन नहीं किया गया।

23 सितंबर 2011 को आयोजित एमपीडी 2021 की समीक्षा हेतु सलाहकार समूह की पहली बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। उस बैठक में किसी भी प्लान/स्कीम को अंतिम रूप देने से पहले बाज़ार अध्ययन करने का सुझाव दिया गया था। हालाँकि, इस सुझाव पर कभी अमल नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में आगे यह भी पाया गया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न श्रेणियों जैसे उच्च आय वर्ग (एचआईजी), मध्यम आय वर्ग (एमआईजी), निम्न आय वर्ग (एलआईजी), जनता, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आदि के अंतर्गत निर्मित फ्लैट की एक बड़ी सूची, जिन्हें 2014, 2017, 2019 और 2021 की आवास योजनाओं (एचएस) में बिक्री के लिए रखा गया था, आबंटियों द्वारा निरस्त /अभ्यर्पित कर दिए गए, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 3.11: आवास योजना के अनुसार बिक्री के लिए प्रस्तावित और बाद में निरस्त/ अभ्यर्पित किए गये फ्लैट की संख्या

आवासीय योजना	आवासीय योजना में बिक्री के लिए रखे गए फ्लैटों की संख्या*	रद्द/अभ्यर्पित फ्लैटों की संख्या	रद्द/अभ्यर्पित फ्लैटों का प्रतिशत
2014	25,040	12,837	51
2017	12,617	9,502	75
2019 (मेन स्कीम)	10,294	6,477	63
2021	1,353	858	63
2021 (स्पेशल हाउज़िंग स्कीम)	9,790	3,600	37

** इसमें बिना बिकी सूची भी शामिल है* *(स्रोत: डीडीए)*

चार्ट 3.5: बिक्री के लिए प्रस्तुत और बाद में निरस्त/अभ्यर्पित किए गए फ्लैट

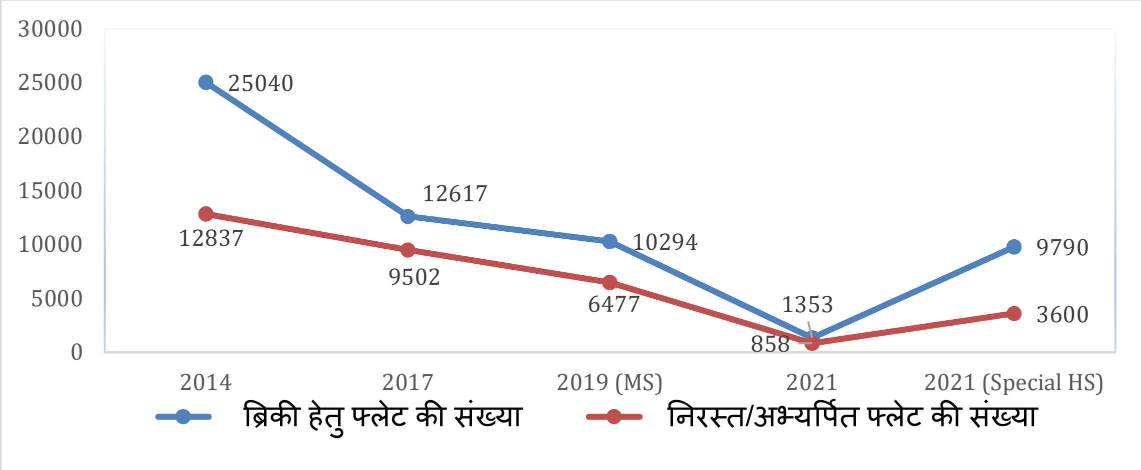

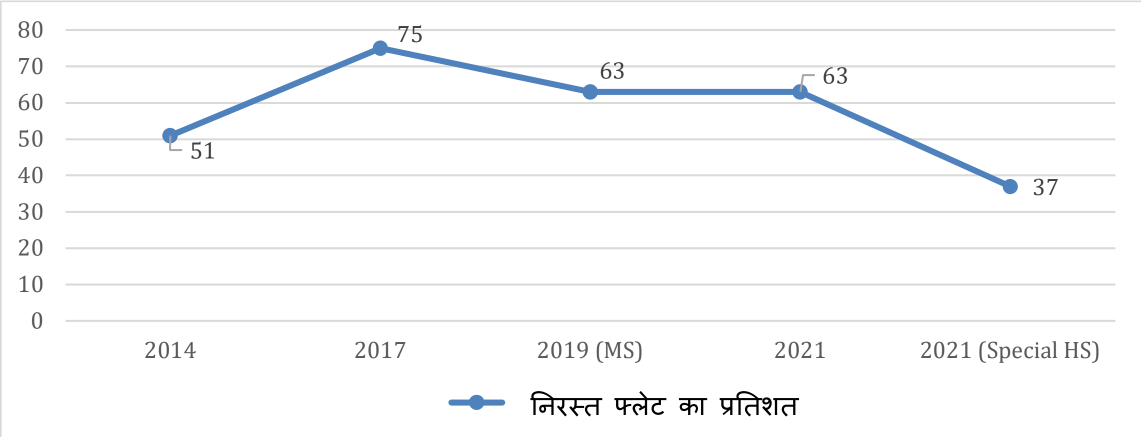

तालिका से यह देखा जा सकता है कि संबंधित आवासीय योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में फ्लैट निरस्त/अभ्यर्पित किए जा रहे थे, जो 37 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक थे। उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 2014, 2017 और 2019 की आवास योजनाओं के लिए फीडबैक सर्वेक्षण किया ताकि आबंटित किए गए फ्लैटों के निरस्त/अभ्यर्पित होने और इन फ्लैटों का निपटान न करने के कारणों की पहचान की जा सके और सुधारात्मक उपाय लागू किए जा सकें।

आबंटियों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया में फ्लैटों को निरस्त/अभ्यर्पित करने के जो कारण बताए गए, उनमें अन्य बातों के अलावा, फ्लैटों का आकार छोटा होना लेकिन उनकी कीमत ज़्यादा होना, मेट्रो कनेक्टिविटी की अनुपलब्धता, फ्लैटों का दूर-दराज़ के इलाकों में होना और आसपास के इलाकों में सुरक्षा संबंधी समस्याएँ शामिल थीं। अगर आकार, स्थान और कीमत के संबंध में उपयोगकर्ता/ग्राहक की अपेक्षाओं का पता लगाने के लिए बाज़ार सर्वेक्षण या माँग सर्वेक्षण किया गया होता, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ज़रूरतों की बेहतर योजना बना

सकता था और लोगों की आवासीय ज़रूरतों को पूरा कर सकता था, अभ्यर्पित किए गए घरों की सूची से बच सकता था और बिक्री राजस्व की समय पर वसूली भी सुनिश्चित कर सकता था।

इस प्रकार, उपयोगकर्ता परामर्श या मांग सर्वेक्षण के बिना दोषपूर्ण योजना और विकास के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण अपनी विभिन्न समूह आवास परियोजनाओं के लिए जनता की आवश्यकताओं और चिंताओं को दूर करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप फ्लैटों को निरस्त और अभ्यर्पित कर दिया गया तथा उनका निपटान नहीं किया गया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की पाँच आवासीय योजनाओं में कुल 42,776 फ्लैट बिक्री के लिए रखे गए थे, जिनमें से 13,294 फ्लैट बिना बिके रह गए। हालांकि, बाज़ार या माँग सर्वेक्षणों से संबंधित लेखापरीक्षा के सुझावों का स्वागत है और भविष्य में नई परियोजनाएँ बनाते समय इन्हें ध्यान में रखा जाएगा।

उत्तर को इस तथ्य के परिपेक्ष्य में देखा जा सकता है कि अंतिम उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं और चिंताओं को संबोधित किए बिना अनुचित योजना और विकास के कारण, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित फ्लैटों का बड़े पैमाने पर अभ्यर्पण/ निरस्तीकरण हुआ।

मंत्रालय ने एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसंबर 2024) में कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मांग और सर्वेक्षण के आधार पर आवास योजनाएं शुरू की जाएंगी।

3.5.7.4 ईडब्ल्यूएस आवास इकाइयों के क्षेत्र के संबंध में विकास नियंत्रण मानदंडों में विसंगति

आवासीय इकाई क्षेत्रों के लिए विकास नियंत्रण मानदंडों में एकरूपता, शहरी नियोजन, आवास मानकों और विनियामक अनुपालन में समानता सुनिश्चित करती है।

एकीकृत भवन उपविधि 2016 के पैरा 1.4.88 के अनुसार, प्लिंथ क्षेत्र, बेसमेंट या किसी भी मंजिल के तल स्तर पर मापा गया निर्मित कवर क्षेत्र है।

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) (रेरा) अधिनियम 2016 के पैरा 2 (के) के अनुसार, कारपेट एरिया एक अपार्टमेंट का उपयोग योग्य फर्श क्षेत्र है, जिसमें अपार्टमेंट की आंतरिक विभाजन दीवारों के भीतर आने वाला क्षेत्र शामिल है, लेकिन बाहरी दीवारों, सेवा शाफ्ट,

बालकनी या बरामदा क्षेत्र और खुली छत क्षेत्र के भीतर आने वाला क्षेत्र शामिल नहीं है, लेकिन इसमें अपार्टमेंट की आंतरिक विभाजन दीवारों के भीतर आने वाला क्षेत्र शामिल है।

भारतीय मानक 3861 के पैरा 5.2 के अनुसार, कारपेट एरिया, प्लिंथ एरिया से दीवार का क्षेत्रफल घटाने और निम्नलिखित भागों के क्षेत्रफल को छोड़कर, निकाला गया क्षेत्रफल होगा जैसे बरामदा, गलियारा और मार्ग, प्रवेश हॉल और बरामदा, सीढ़ियाँ और सीढ़ी-कवर (ममटी), लिफ्ट के लिए शाफ्ट और मशीन रूम, बाथरूम और शौचालय, रसोई और पेंट्री, स्टोर, कैंटीन, एयर कंडीशनिंग मोरी या नाली और प्लांट रूम और सैनिटरी/जल आपूर्ति प्रतिष्ठानों और कचरा ढलान, बिजली और अग्निशमन, एयर कंडीशनिंग, दूरसंचार, लिफ्ट के लिए शाफ्ट। उक्त मानक का उल्लेख भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 और 2016 में भी किया गया है।

चित्र 3.2: आईएस 3861 के अनुसार कारपेट एरिया

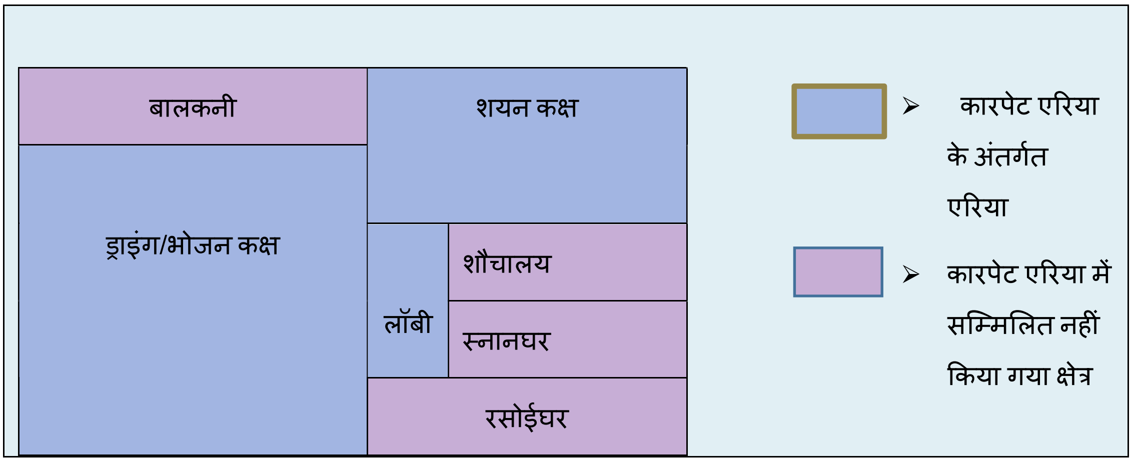

दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आवासीय इकाइयों के क्षेत्र के लिए निर्धारित विकास नियंत्रण मानदंड निम्नानुसार थे:

तालिका 3.12: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आवासीय इकाइयों के क्षेत्र में विसंगति

दस्तावेज़	पैरा का प्रावधान	
	पैरा 4.2.1 के अनुसार	पैरा 4.4.3.बी.(v) के अनुसार
एम पी डी 2021 7 फरवरी 2007 को अधिसूचित	प्लिंथ क्षेत्रफल 25 से 40 वर्ग मीटर	कारपेट एरिया 25 से 40 वर्ग मीटर
एम पी डी 2021 (13 मई 2013 के बाद परिशोधन)	प्लिंथ क्षेत्रफल 25 से 40 वर्ग मीटर	क्षेत्रफल 25 से 40 वर्ग मीटर

(स्त्रोत: एम पी डी 2021, डीडीए)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी के लिए आवासीय इकाइयों के क्षेत्र पर विकास नियंत्रण मानदंड निर्धारित करने में विसंगति थी। उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि फरवरी 2007 में अधिसूचित दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए निर्धारित आवासीय इकाइयों के लिए 'प्लिंथ एरिया' और 'कारपेट एरिया' के लिए निर्धारित क्षेत्रफल समान माना गया है, जो 25 से 40 वर्ग मीटर तक है। इसके अलावा, दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में परिशोधन के बाद, 'कारपेट एरिया' शब्द को 'एरिया' शब्द से बदल दिया गया। हालाँकि, एरिया के संबंध में विसंगति बनी रही, और परिशोधन में कारपेट एरिया की परिभाषा के संबंध में भी स्पष्टता का अभाव था।

यह भी देखा गया कि यद्यपि एकीकृत भवन उपनियम, 2016 के अनुलग्नक **VI** में दिल्ली मास्टर प्लान 2021से अपनाए गए विकास नियंत्रण मानदंडों को शामिल किया गया था, लेकिन इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आवास इकाइयों के लिए क्षेत्र (25 से 40 वर्ग मीटर) निर्धारित करने के लिए कारपेट एरिया शब्द का इस्तेमाल किया गया था।

इस प्रकार, यह निर्धारित करने के लिए कोई स्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं था कि क्या 25 से 40 वर्ग मीटर की सीमा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आवास इकाई की योजना बनाने के लिए विचार किया जाने वाला क्षेत्र कारपेट एरिया या प्लिंथ क्षेत्र पर आधारित होना चाहिए, जैसा कि दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में निर्धारित ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए उल्लिखित क्षेत्र पर विकास नियंत्रण मानदंडों के अनुसार है।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार के अनुमोदन से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार और जारी दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में आवासीय इकाई के 'कारपेट एरिया' का उल्लेख तो है, लेकिन इसमें 'कारपेट एरिया' शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा और किसी भी आवासीय इकाई के कारपेट एरिया की गणना के तरीके नहीं बताए गए हैं। इसी प्रकार, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार और जारी दिल्ली के भवन निर्माण उपनियम (बीबीएल) में भी 'कारपेट एरिया' शब्द की परिभाषा और व्याख्या नहीं की गई है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में बताया कि पैरा 4.2.1 नए आवास क्षेत्रों से संबंधित है, जो एक और दो कमरों वाली इकाइयों पर केंद्रित है और पैरा 4.4.3 (बी)**v** सामुदायिक सेवा कर्मियों/ईडब्ल्यूएस और निम्न श्रेणी के आवासों के लिए मानदंड प्रदान करता है।

दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में विभिन्न उपयोग वाले परिसरों के लिए विकास नियंत्रण मानदंड प्रदान किए गए हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना के माध्यम से परिशोधित किया जाता है और इसे केवल संदर्भ के लिए यूबीबीएल में पुनः प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए, किसी भी आधिकारिक या कानूनी उद्देश्य के लिए, केंद्र सरकार द्वारा जारी और एमपीडी-2021 में अद्यतन की गई अधिसूचना का ही संदर्भ लिया जाना चाहिए।

इसके अलावा, मंत्रालय ने बताया कि आवास इकाई का क्षेत्रफल निविदा आमंत्रण सूचना दस्तावेज़ में परिभाषित किया गया है। खरीदारों को प्लिंथ एरिया में मकान दिए जाते हैं और आवास योजनाओं की नियम पुस्तिका में आयामों सहित लेआउट प्लान का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। फ्लैटों के वास्तविक आकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए नमूना फ्लैट भी मौके पर उपलब्ध हैं। हालाँकि, एकरूपता लाने के लिए, अलग-अलग परिभाषाओं/शब्दावली, जैसे प्लिंथ एरिया और कारपेट एरिया, के मुद्दे को उचित रूप से संबोधित किया गया है और ड्राफ्ट एमपीडी-2041 में शामिल किया गया है। यह रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण की परिभाषा के अनुरूप है, जिससे भविष्य में गलत व्याख्या की कोई गुंजाइश नहीं रहती।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के परिपेक्ष्य में देखा जा सकता है कि एमपीडी 2021 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आवास इकाई के क्षेत्र की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। एमपीडी 2021 में यह निर्धारित करने के लिए कोई स्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आवास इकाई की योजना बनाते समय विचार किया जाने वाला क्षेत्र कारपेट एरिया था या प्लिंथ क्षेत्र।

3.5.7.5 दोषपूर्ण योजना के कारण कार्यस्थल पर अतिक्रमण

जसोला (पी5) में उच्च-आय वाले आवासों के निर्माण की परियोजना की शुरुआत 1999 में 3.76 हेक्टेयर भूमि पर करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि, अंततः इसका निर्माण (22 मई 2017) केवल 1.57 हेक्टेयर भूमि पर ही हो पाया क्योंकि शेष क्षेत्र पर अतिक्रमण हो गया था।

मार्च 1999 में, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के साथ हुई एक बैठक में, कार्यस्थल की समीक्षा की गई और पाया गया कि भूखंड के दक्षिण-पश्चिम कार्यस्थल पर 30-35 प्रतिशत भूमि पर अतिक्रमण था। उपाध्यक्ष ने स्क्रीनिंग कमेटी की अगली बैठक में विचार के लिए कार्यस्थल का एक डिज़ाइन तैयार करने का निर्देश दिया। परियोजना का एक

डिज़ाइन, जिसमें 448 मध्य आय वर्ग और 224 निम्न आय वर्ग फ्लैट शामिल थे, 3.76 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित किए जाने थे, तैयार किया गया और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक (एससीएम) (9 अप्रैल 1999) में रखा गया, जिसे स्क्रीनिंग कमेटी ने मंजूरी दे दी। हालाँकि, परियोजना को क्रियान्वित नहीं किया गया। इसके लिए अभिलेख में कोई कारण नहीं पाया गया।

इसके बाद, फरवरी 2006 में, डीडीए के कार्यपालक अभियंता (एसईडी-I) ने वरिष्ठ वास्तुकार, विशेष आर्थिक क्षेत्र, दिल्ली विकास प्राधिकरण को सूचित किया कि लगभग 2.22 हेक्टेयर क्षेत्र अतिक्रमण के अधीन है और शेष 1.54 हेक्टेयर (लगभग) अतिक्रमण से मुक्त है। आगे यह भी कहा गया कि यदि वहाँ कोई फ्लैट नहीं बनाए गए तो उपलब्ध भूमि पर भी अतिक्रमण हो सकता है। इस जानकारी के बावजूद, डीडीए ने पूर्व में स्वीकृत डिज़ाइन को परिशोधित किया और 3.76 हेक्टेयर क्षेत्र में 848 आवासीय परिसरों के निर्माण के लिए एक नया डिज़ाइन तैयार किया गया और 256वीं एससीएम (12 अप्रैल 2007) में इसे अनुमोदित किया गया। एक बार फिर, इस परियोजना को भी क्रियान्वित नहीं किया गया।

पाँच साल बाद, दिसंबर 2013 में, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्वीकृत डिज़ाइन में और परिशोधन करते हुए 314 उच्च-आय वर्ग के लिए फ्लैट का एक नया प्रस्ताव रखा, जिसे 317वीं एससीएम में रखा गया। स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग ने नए प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी और उच्च-आय वर्ग इकाइयों के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की इकाइयों के 15 प्रतिशत हिस्से का निर्माण न करने का भी प्रस्ताव रखा क्योंकि एक ही क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के घरों के डिज़ाइन के लिए यह जगह बहुत छोटी थी। यह भी निर्णय लिया गया कि अतिक्रमण हटाने के बाद शेष कार्यस्थल का डिज़ाइन दूसरे चरण में तैयार किया जाएगा। लगातार तीसरी बार, स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग की स्वीकृति के बाद भी परियोजना को क्रियान्वित नहीं किया गया।

अप्रैल 2015 में, चौथी बार डिजाइन को परिशोधित किया गया और 1.57 हेक्टेयर क्षेत्र पर 215 एचआईजी डीयू से युक्त एक अन्य प्रस्ताव तैयार किया गया और 329वें स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग में इसे अनुमोदित किया गया तथा अंततः इसे क्रियान्वित किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 1999 में, कुल 3.76 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से 30-35 प्रतिशत क्षेत्रफल (लगभग 1.13-1.31 हेक्टेयर) पर अतिक्रमण था। हालाँकि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने न तो स्वीकृत डिज़ाइन को लागू करने के लिए कोई कार्रवाई की और न ही

अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कदम उठाया। दिसंबर 2013 में अतिक्रमण बढ़कर 2.19 हेक्टेयर हो गया और निर्माण के लिए केवल 1.57 हेक्टेयर भूमि ही उपलब्ध थी।

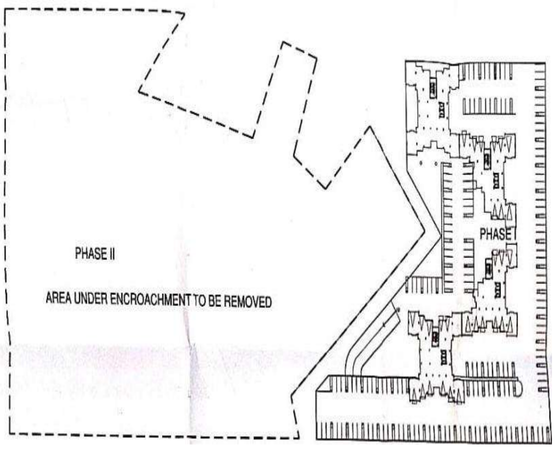

चित्र 3.3: परियोजना भूमि पर अतिक्रमण

चित्र 3.4: परियोजना भूमि पर अतिक्रमण (हवाई दृश्य)

अभिलेख में इस बात का कोई कारण नहीं है कि पहले तीन अवसरों पर डिजाइन और प्रस्ताव स्क्रीनिंग कमेटी के पास ले जाने के बावजूद उन्हें क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया।

इस प्रकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय पर उचित कदम उठाने में विलंब के कारण, अतिक्रमण 30-35 प्रतिशत (अप्रैल 1999) से बढ़कर 58.24 प्रतिशत (दिसंबर 2013) हो गया, तथा अतिक्रमित भूमि अभी भी वापस नहीं ली गई।

मंत्रालय, ने अपने उत्तर (जून 2024) में, बताया कि 204वें स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग से 317वें एससीएम तक अतिक्रमण में कोई वृद्धि नहीं हुई है। मंत्रालय ने आगे कहा कि अतिक्रमण हटाने का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (24 सितंबर 2019) के अनुसार किया जाएगा।

उत्तर को इस तथ्य के परिपेक्ष्य में देखा जा सकता है कि लगभग 16 वर्षों और चार प्रयासों के बाद भूमि पर अतिक्रमण लगभग 1.31 हेक्टेयर से बढ़कर 2.22 हेक्टेयर हो गया है।

3.5.7.6 आवासीय इकाइयों का न्यूनतम घनत्व निश्चित नहीं किया गया

दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के पैरा 4.2 में विभिन्न श्रेणियों जैसे स्लम/ईडब्ल्यूएस, श्रेणी-**I**, श्रेणी-**II** और श्रेणी-**III** के लिए आवास इकाइयों का घनत्व क्रमशः 600, 500, 250 और 175 आवास इकाइयाँ प्रति हेक्टेयर (डीयू/हेक्ट.) निर्धारित किया गया था। दिल्ली मास्टर प्लान (मई 2013) में परिशोधन के बाद, पैरा 4.2 में प्रावधान किया गया था कि भूमि के बेहतर

उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, नए क्षेत्र में आवास के विकास या निर्मित क्षेत्र में मौजूदा आवास स्टॉक के पुनर्विकास के लिए, घनत्व की ऊपरी सीमा 200 डीयू/हेकट. (900 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर) ली जाए, जिसमें परिवर्तनीय आवास इकाई आकार शामिल हों। स्लम और झुग्गी झोपड़ी कलस्टर और ईडब्ल्यूएस सार्वजनिक आवास योजनाओं के लिए अधिकतम घनत्व 900 आवास इकाईयां/हैक्टेयर तय किया गया था।

'स्लम पुनर्वास और सामाजिक आवास' पर प्रबंधन कार्य समूह[73] की तीसरी बैठक (जून 2013) में यह सुझाव दिया गया था कि आवासीय घनत्व पर ऊपरी सीमा के अलावा, न्यूनतम घनत्व की भी आवश्यकता होगी ताकि भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी आवासीय समूह आवास परियोजनाओं में, इन परियोजनाओं को मंजूरी देते समय दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अधिकतम घनत्व मानदंडों का पालन नहीं किया गया था। 2017-2022 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, शुरू/पूरी हुई परियोजनाओं में, सात परियोजनाओं[74] में से दो में निम्न आय वर्ग (श्रेणी-**I**) के लिए प्राप्त घनत्व 411.87 से 419.57 डीयू/हेक्टेयर के बीच था, जबकि अधिकतम घनत्व 500 डीयू/हेक्टेयर है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की श्रेणी की एक परियोजना में, प्राप्त घनत्व 600 डीयू/हेक्टेयर के अधिकतम घनत्व के मुकाबले 276 डीयू/हेक्टेयर था। इसके अलावा, मई 2013 के बाद, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी श्रेणियों के संबंध में चार परियोजनाओं में प्राप्त घनत्व 200 डीयू/हेक्टेयर के अधिकतम घनत्व के मुकाबले 176 डीयू/हेक्टेयर से 133 डीयू/हेक्टेयर के बीच था। इस प्रकार, प्रति हेक्टेयर आवास इकाइयों के प्राप्त घनत्व में अधिकतम स्वीकार्य घनत्व की तुलना में भिन्नता 12 प्रतिशत से 54 प्रतिशत तक थी।

निर्मित की जाने वाली आवासीय इकाइयों की संख्या निर्धारित करते समय, दो मानदंडों पर विचार किया जाना आवश्यक है: भूमि का बेहतर उपयोग और उच्च घनत्व का अवसंरचना पर प्रभाव। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रति हेक्टेयर आवासीय

---

[73] प्रमुख मुद्दों के समाधान हेतु सहभागी योजना बनाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रबंधन कार्य समूहों का गठन किया गया है।

[74] उन परियोजनाओं पर विचार किया गया जिनमें प्राप्त घनत्व अधिकतम सीमा के 90 प्रतिशत से कम था, अर्थात् पी2, पी4, पी5, पी11, पी12, पी-13 और पी-22।

इकाइयों के घनत्व की ऊपरी सीमा निर्धारित की है, हालाँकि, भूमि के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कोई न्यूनतम घनत्व निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में, बताया कि दिल्ली मास्टर प्लान -2021 में घनत्व की अधिकतम सीमा निर्धारित है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में मानदंडों के अनुसार निर्धारित अधिकतम फ्लोर एरिया अनुपात का लाभ उठाकर भूमि का अधिकतम उपयोग करने के लिए कोई न्यूनतम घनत्व निर्धारित नहीं किया गया है और तैयार की गई विभिन्न योजनाओं के अनुसार घनत्व भिन्न हो सकता है। इसके अलावा, मंत्रालय ने बताया कि उसने प्रति हेक्टेयर भूमि पर निर्मित होने वाले आवासीय परिसरों के लिए कोई न्यूनतम घनत्व निर्धारित नहीं किया है।

उत्तर को इस तथ्य के परिपेक्ष्य में देखा जा सकता है कि न तो एमपीडी-2021 में न्यूनतम घनत्व निर्दिष्ट किया गया है और न ही दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आवास इकाईयों का न्यूनतम घनत्व निर्धारित करने के लिए प्रबंधन कार्य समूह के सुझाव पर कोई कार्रवाई की है। दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ भूमि एक अपर्याप्त संसाधन है, न्यूनतम घनत्व की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो जाती है।

अनुशंसा संख्या 9: निर्धारित अवधि के अनुसार दिल्ली के मास्टर प्लान की नियमित रूप से निगरानी की जाए।

अनुशंसा संख्या 10: डीडीए अतिक्रमण को रोकने और क्षेत्र को अनधिकृत उपयोग से बचाने के लिए एक भूमि सुरक्षा प्रणाली निर्धारित और लागू करे। डीडीए समयबद्ध तरीके से निर्धारित उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू करे।

अनुशंसा संख्या 11: डीडीए दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करे और यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करे कि दिल्ली में विकास नियोजित ढांचे के अनुरूप हो।

अनुशंसा संख्या 12: दिल्ली में दुर्लभ भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम घनत्व तय किया जाए।

ख. आवासों का निर्माण

दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवासीय परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में विभिन्न श्रेणियों जैसे निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के

आवासीय भवनों का निर्माण शामिल है; जिसमें आंतरिक विकास कार्य जैसे विद्युतीकरण, सड़क, पार्क आदि शामिल हैं। निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन को मोटे तौर पर दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है:

- **निर्माण-पूर्व चरण** - इस चरण में की जाने वाली गतिविधियाँ कार्यों के आगामी निष्पादन की योजना बनाने से जुड़ी होती हैं। इस चरण में शामिल गतिविधियों में अनुमान तैयार करना और कार्यों के निष्पादन हेतु चयनित संविदाकार को कार्य सौंपना शामिल है।

- **निर्माण चरण** - इस चरण में की जाने वाली गतिविधियाँ निर्माण-पूर्व चरण में तैयार की गई योजना के अनुसार कार्यों के निष्पादन से संबंधित हैं। इस चरण में शामिल गतिविधियाँ अनुबंध के प्रावधानों और लागू नियमों के अनुसार अनुबंध का प्रबंधन, और कार्य पूरा होने और सौंपे जाने तक संविदाकार द्वारा किए गए कार्यों का पर्यवेक्षण शामिल हैं।

2017-18 से 2021-22 के दौरान, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 23 आवास परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया। 23 परियोजनाओं में से, तीन पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं और तीन निर्माणाधीन परियोजनाओं को विस्तृत जांच के लिए चुना गया, जैसा कि अनुबंध-XXII में दिया गया है। चयनित छः परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों/अनियमितताओं पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.5.7.7 निर्माण-पूर्व चरण में अनियमितता

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कार्य नियमावली, 2012 के पैरा 1.2 के अनुसार, जब तक प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता और विभिन्न मदों की विस्तृत विशिष्टताओं और मात्राओं वाले अनुमान तैयार नहीं हो जाते, तब तक कोई भी कार्य आरंभ नहीं किया जाएगा या उससे संबंधित कोई देयता नहीं ली जाएगी। इसके अलावा, नियमावली के अनुसार, किसी परियोजना/कार्य का अनुमान व्यापक होना चाहिए, जिसके समर्थन में पूरा विवरण हो। चूंकि निविदा आमंत्रण सूचना दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जिन पर निविदाओं का आह्वान और संविदाकारों के साथ बाद के करारनामे आधारित होते हैं, इन्हें सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए। निविदा आमंत्रण सूचना में नियमावली द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड शामिल होने चाहिए। नियमावली के परिशिष्ट 20 के अनुसार, पात्रता के प्रारंभिक मानदंड में निविदाकर्ता के कार्य अनुभव और बोली लगाने की क्षमता का आकलन शामिल

होगा। इसके अलावा, नियमावली के परिशिष्ट 23 के अनुसार निविदाओं की जांच के लिए समय-सारिणी को अधिकतम 45 दिनों तक सीमित कर दिया गया है। लेखापरीक्षा ने चयनित छः परियोजनाओं में से उच्च आय समूह आवासों जसोला (पी5) के निर्माण में निम्निलिखित कमियां पाई:

(i) निविदा में अनुमानित लागत की गलत गणना

उच्च आय वर्ग हाउसेस, जसोला (पी5) के निर्माण कार्य के लिए निविदा में रखी गई अनुमानित लागत ₹75.58 करोड़ थी। इस कार्य के लिए निविदाएँ 18 मई 2014 को आमंत्रित की गईं और 10 जुलाई 2014 को बोलियाँ खोली गईं, जिनमें केवल दो बोलीदाताओं ने बोलियाँ प्रस्तुत कीं। वित्तीय बोलियाँ 25 जुलाई 2014 को खोली गईं और सबसे कम बोली लगाने वाले को ₹108.89 करोड़ में कार्य सौंप दिया गया (7 नवंबर 2014)।

वर्क एडवाइजरी बोर्ड (डब्ल्यूएबी) स्तर पर बोली के अनुमोदन के समय (सितंबर 2014), यह कहा गया कि कार्य की अनुमानित लागत की गणना गलत तरीके से की गई थी। अनुमान 13 मंजिलों के बजाय छः मंजिलों के लिए प्रबलित सीमेंट कंक्रीट फ्रेम संरचना की लागत को ध्यान में रखकर तैयार किए गए थे। इसलिए, सही अनुमानित लागत ₹111.86 करोड़ बताई गई।

चूँकि कार्य की अनुमानित लागत निविदा और मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है, इसलिए कार्य अनुभव, शोधन क्षमता, बोली लगाने की क्षमता आदि जैसे प्रमुख मूल्यांकन मानदंड, जिनका मूल्यांकन निविदा प्रक्रिया में किया जाता है, जो इसके समानुपाती होते हैं। इस प्रकार, कार्य के लिए कम अनुमानित लागत प्रकाशित करने से, निविदा प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर करती है और कम कीमत का जोखिम बढ़ाती है, जो कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा को संभावित रूप से प्रभावित कर सकती है। इसके परिणामस्वरूप कार्यों में देरी, परियोजनाओं का परित्याग और लागत में वृद्धि भी हो सकती है।

लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने उत्तर दिया कि निविदा में प्रस्तुत अनुमानित लागत में त्रुटि कार्य सलाहकार बोर्ड की बैठक से पहले ही पता चल गई थी और कार्य सलाहकार बोर्ड के संज्ञान में लाई गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने के बाद, ऐसी गलतियों से बचने के लिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फरवरी 2024 में एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें निर्देश दिया गया कि कार्य के निष्पादन के दौरान

किसी भी असामान्य विचलन की संभावना को रोकने के लिए मात्राओं की सही गणना करने में विशेष सावधानी बरती जाए।

उत्तर को इस तथ्य के परिपेक्ष्य में देखा जाए कि दिल्ली विकास प्राधिकरण निविदा प्रक्रिया को परिशोधित करने में विफल रहा, जबकि अनुमानित लागत में त्रुटि कार्य सलाहकार बोर्ड की बैठक से पहले ही पता चल गई थी।

(ii) मूल्यांकन प्रक्रिया में अनियमितता

एचआईजी हाउसेस, जसोला (पी5) के निर्माण कार्य की संविदा सबसे कम बोली लगाने वाले को ₹108.89 करोड़ में दी गई। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कार्य नियमावली 2014 के नियम 15.7 (3) के अनुसार, समान कार्य की परिभाषा एनआईटी अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना में स्पष्ट रूप से बताई जानी थी और उसे अपर महानिदेशक से अनुमोदित किया जाना था। यह भी निर्धारित किया गया है कि यदि कार्य में दो या अधिक बेसमेंट का निर्माण शामिल है, तो समान कार्य की परिभाषा में यह भी निर्धारित किया जाना था कि एजेंसी ने कम से कम एक बेसमेंट के साथ एक समान कार्य किया हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना में बहुस्तरीय (दो) पार्किंग शामिल थी, हालाँकि, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग नियमावली के अनुसार, समान कार्य की परिभाषा, जिसमें न्यूनतम एक बेसमेंट के साथ एक समान कार्य के निष्पादन का उल्लेख है, निविदा आमंत्रण सूचना में निर्दिष्ट नहीं थी। यह भी पाया गया कि संविदाकार ने दो संगठनों की निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिनमें यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि निष्पादित परियोजनाओं में बेसमेंट शामिल थे या नहीं। इसके अलावा, संबंधित संगठन द्वारा निष्पादन प्रतिवेदन का सत्यापन भी अभिलेखों में नहीं पाया गया।

इस प्रकार, पूर्णता प्रमाण-पत्रों और सत्यापन प्रतिवेदनों के अभाव में यह पता नहीं लगाया जा सका कि प्रभाग ने कैसे सुनिश्चित किया कि एजेंसी कार्य के लिए पात्र थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में बताया कि तकनीकी मूल्यांकन के दौरान विचार किए गए दोनों कार्यों के निष्पादन प्रमाणपत्रों का संबंधित विभाग द्वारा सत्यापन किया गया था। हालाँकि, मंत्रालय ने बताया कि बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय लेने से पहले निविदा का उचित मूल्यांकन करने के लिए परिपत्र जारी किया जा रहा है।

उत्तर को इस तथ्य के परिपेक्ष्य में देखा जाए कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग नियमावली का उल्लंघन करते हुए, निविदा आमंत्रण सूचना में समान कार्य की परिभाषा निर्दिष्ट नहीं की गई थी और यह भी सुनिश्चित नहीं किया गया था कि संविदाकार ने बेसमेंट सहित समान कार्य किया था। मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त दस्तावेज़ों के आधार पर, यह भी पाया गया कि एक संगठन ने अपने पत्र में कहा है कि चूँकि संविदाकर द्वारा किया गया कार्य बहुत पुराना था, इसलिए कार्य के निष्पादन की पुष्टि नहीं की जा सकती।

इस प्रकार, अपेक्षित कार्य अनुभव की पूर्ति के अभाव के कारण, संविदाकार की पात्रता निर्धारित करने हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली का उल्लंघन थी।

3.5.7.8 निर्माण चरण में अनियमितताएँ

(i) निरर्थक(होलो) इकाइयों का निर्माण

नरेला में दो परियोजनाओं, यानी पी11 और पी12 से संबंधित अनुबंध (अप्रैल 2013) की शर्तों के अनुसार, आवास इकाइयों का भुगतान स्वीकृत मूल्य बोली के अनुसार निर्मित वास्तविक आवास इकाइयों के लिए किया जाना था। अभिकरण द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अतिरिक्त क्षेत्र का माप और भुगतान नहीं किया जाएगा। निम्न आय वर्ग के घरों में दो कमरे, रसोई, स्नानघर और शौचालय होंगे।

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) में उल्लिखित समय-सीमा के अनुसार, प्रारंभिक कार्य जैसे मृदा परीक्षण, डिज़ाइन मिश्रण, कास्टिंग यार्ड की स्थापना, सभी संरचनात्मक/वास्तुशिल्प रेखाचित्र तैयार करना और प्रस्तुत करना, पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) स्वीकृति, तथा सेवा प्रदाताओं को सेवा रेखाचित्र तैयार करना और प्रस्तुत करना, आदि के लिए आरंभ तिथि से छः महीने की अवधि निर्धारित की गई थी। इसके अतिरिक्त, संबंधित सेवा प्रदाताओं से सभी संरचनात्मक/वास्तुशिल्प रेखाचित्र, पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) स्वीकृति, सेवा रेखाचित्रों का अनुमोदन भी इसी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना था।

निविदा आमंत्रण सूचना ने आगे कहा कि, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संरचनात्मक रेखाचित्रों के अनुमोदन के बाद, यदि कार्यस्थल की स्थितियों के अनुसार डिज़ाइन/रेखाचित्र में किसी भी प्रकार के परिशोधन की आवश्यकता होती है, तो अभिकरण बिना किसी अतिरिक्त लागत के पुनः निर्माण कार्य करेगी। इसमें आगे कहा गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर कला आयोग (डीयूएसी), स्थानीय निकायों, प्रूफ कंसल्टेंट्स आदि

द्वारा लागू मानकों और निविदा दस्तावेजों के अनुसार किए जाने वाले किसी भी परिवर्तन, परिशोधन, पुनरीक्षण आदि को संविदाकार को स्वयं करना होगा और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

नरेला में निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के निर्माण के दो कार्यों में, यह देखा गया कि ड्राइंग डीयूएसी को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए गए थे और कार्य प्रारंभ होने की तिथि अर्थात 3 मई 2013 से चार महीने के भीतर, दिल्ली नगर कला आयोग ने सुझाव दिया (26 अगस्त 2013) कि ऊँचे टावरों में आंतरिक शाफ्ट का प्रावधान अव्यावहारिक है क्योंकि यह आशंका थी कि ये डम्पिंग स्पेस में बदल सकते हैं जिससे भूतल पर रहने वाले निवासियों के लिए समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। आगे कहा गया कि फ्लैट के डिज़ाइन में बदलाव करके या उपयुक्त परिशोधन करके, इन्हें कम से कम एक तरफ से हरित क्षेत्र के लिए खोला जाना चाहिए।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आशंका जताई थी कि अगर रेखाचित्र/आरेख में परिशोधन किया गया तो सभी अनुमोदनों को भी परिशोधित करना होगा, जिससे अंततः कार्य पूरा होने में विलंब होगा और अनुबंध के अंतर्गत लागत वृद्धि की क्षतिपूर्ति के तौर पर भारी रकम का भुगतान करना पड़ेगा। तदनुसार, भूतल के फ्लैटों को भार वहन न करने वाली दीवारों को हटाकर और रसोई, बाथरूम, शौचालय और कुछ फिनिशिंग वस्तुओं का निर्माण न करके निरर्थक(होलो) इकाइयों में बदल दिया गया। इस प्रकार, भूतल पर 616 निम्न आय वर्ग इकाइयों (ग्रुप-I में 296 और ग्रुप-II में 320) को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा न रहने योग्य घोषित किया गया। इन न रहने योग्य इकाइयों में निष्पादित नहीं की गई वस्तुओं (स्नानघर, शौचालय, रसोई, नलसाजी, डोर फ्लश/शटर आदि) के लिए लागत समायोजन का विवरण दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ₹11.28 करोड़[75] की राशि के लिए तैयार किया गया था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- डीयूएसी ने सुझाव दिया था कि फ्लैट के डिज़ाइन में कोई उपयुक्त बदलाव करके, आंतरिक शाफ्ट को कम से कम एक तरफ से हरित क्षेत्र के लिए खोला जाना चाहिए। हालाँकि, डिज़ाइन/ड्राइंग में तदनुसार बदलाव करने के बजाय, दिल्ली

[75] ***समूह-I में ₹ 5.42 करोड़ और ग्रुप-II में ₹ 5.86 करोड़।***

विकास प्राधिकरण ने भूतल पर निम्न आय वर्ग के फ्लैट का निर्माण न करने का निर्णय लिया और शाफ्ट को एक तरफ से खोलने के डीयूएसी के सुझाव को भी नहीं माना।

- हालांकि यह देखा गया कि भूतल पर कोई फ्लैट नहीं बनाया गया था क्योंकि वहां कोई कमरा, रसोई, स्नानघर और शौचालय आदि नहीं था, इसके बजाय, निरर्थक(होलो) इकाइयों का निर्माण किया गया था। नियम और शर्तों के अनुसार, भूतल के निरर्थक(होलो) इकाइयों के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि कोई फ्लैट नहीं बनाया गया था। इसके अलावा, दिल्ली विकास प्राधिकरण किसी भी आवश्यक परिशोधन के लिए कोई अतिरिक्त लागत वहन करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। इसके बावजूद डीडीए ने 616 फ्लैट के लिए ₹54.10 करोड़ की अनुमानित कुल लागत में से गैर-निष्पादित मदों (स्नानघर, शौचालय, रसोई आदि) के लिए ₹11.28 करोड़ समायोजित करके अनिर्मित 616 फ्लैट के लिए भुगतान किया, यानी ₹8.78 लाख /आवासीय इकाईयों की निविदा दर पर। इस प्रकार, डीडीए ने ₹42.82 करोड़[76] का अतिरिक्त भुगतान किया है जिसे संविदाकार से वसूला जाना चाहिए था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में कहा कि जब ड्राइंग डीयूएसी को सौंपे गए थे, तो उसने सर्विस शाफ्ट से सटे कुछ क्षेत्र को परिसंचरण के लिए मुक्त छोड़ने का सुझाव दिया था। तदनुसार, निम्न आय वर्ग ब्लॉक की भूतल योजनाओं को भूतल पर विशिष्ट स्थानों पर निम्न आय वर्ग इकाइयों को स्टिल्ट से बदलकर परिशोधित किया गया था। हालांकि, अगर ड्राइंग को फिर से डिजाइन और पुन: संसाधित किया गया होता, तो इसमें काफी अधिक समय लग सकता था और दिल्ली विकास प्राधिकरण को वृद्धि के रूप में एक बड़ी रकम का भुगतान करना पड़ता क्योंकि यह विलंब विभाग की ओर से होता। इसलिए, इन न-रहने योग्य फ्लैटों (केवल सर्विस शाफ्ट से जुड़े भूतल फ्लैट) के लिए निष्पादित नहीं की गई वस्तुओं के लिए लागत समायोजन किया गया था। इसने आगे कहा कि सभी भूतल फ्लैट के फ्रेम का निर्माण किया गया था जो इमारत के लिए बाद की मंजिलों के लिए

---

[76] ***₹42.82 करोड़ = (₹8,78,299 (निम्न आय वर्ग आवासीय इकाइयों की प्रति दर) x 616 (फ्लैटों की संख्या) - ₹11,28,00,000 (पहले से भुगतान किया गया समायोजन)***

अपरिहार्य था। दीवारों और उसकी फिनिशिंग वस्तुओं सैनिटरी फिटिंग और मरम्मती, विद्युत कार्य आदि जैसे गैर-निष्पादित मदों के लिए लागत समायोजन किया गया।

उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि डीयूएसी ने शाफ्ट को एक तरफ से खोलने का सुझाव दिया था, जिसका डीडीए द्वारा पालन नहीं किया गया। अनुबंध/एनआईटी के अनुसार, वास्तविक निर्मित आवासीय इकाइयों/फ्लैटों के लिए भुगतान किया जाना था, हालाँकि, भूतल पर कोई फ्लैट नहीं बनाया गया था, बल्कि निरर्थक(होलो) इकाइयों का निर्माण किया गया था। इसके अलावा, अनुबंध/एनआईटी में यह भी प्रावधान था कि डीडीए द्वारा संरचनात्मक रेखाचित्रों के अनुमोदन के बाद, यदि कार्यस्थल/साइट की स्थितियों के अनुसार रूप-रेखा/रेखाचित्र में किसी भी परिशोधन की आवश्यकता होती है, तो अभिकरण बिना किसी अतिरिक्त लागत के पुनः निर्माण करेगी। इसमें आगे कहा गया है कि डीडीए, डीयूएसी, स्थानीय निकायों, प्रूफ कंसल्टेंट्स आदि द्वारा लागू मानकों और निविदा दस्तावेजों के अनुसार किए जाने वाले किसी भी परिवर्तन, पुनरीक्षण, परिशोधन आदि को संविदाकार को अपने खर्च पर करना होगा और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। इस प्रकार, चूँकि आवश्यक परिवर्तनों के कारण भूतल पर फ्लैटों का निर्माण नहीं किया गया था, इसलिए निरर्थक(होलो) इकाइयों के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था, हालाँकि, डीडीए ने संविदाकार को ₹42.82 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया है।

यह उत्तर कि रेखाचित्र/ड्राइंग को दोबारा रेखांकित करने और दोबारा तैयार करने में काफ़ी समय लग सकता था और डीडीए को लागत में वृद्धि के रूप में भारी रकम चुकानी पड़ती, क्योंकि यह देरी विभाग की ओर से होती, इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि डीयूएसी ने काम शुरू होने के चार महीने के भीतर ही ज़रूरी परिशोधन के लिए अपना सुझाव दे दिया था और अगर रूप-रेखा/ड्राइंग में परिशोधन किया गया होता और स्वीकृति प्रक्रिया फिर से शुरू की गई होती, तो समय सीमा लगभग चार महीने ही बढ़ पाती। हालाँकि, यह पाया गया कि परियोजनाओं में अभी भी 16 महीने का समय ज़्यादा लग गया था और लागत में ₹471.48 करोड़ की वृद्धि हुई थी।

(ii) तकनीकी स्टाफ की तैनाती

जीसीसी के खण्ड 36 में यह प्रावधान किया गया है कि 'संविदाकार कार्य के निष्पादन के दौरान सभी आवश्यक पर्यवेक्षण प्रदान करेगा।' संविदाकार निविदा स्वीकृति पत्र प्राप्त होने

के तुरंत बाद और कार्य प्रारंभ होने से पहले, प्रभारी अभियंता को लिखित रूप में कार्य के प्रभारी प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधियों और कार्य का पर्यवेक्षण करने वाले अन्य तकनीकी प्रतिनिधियों के नाम, योग्यता, अनुभव, आयु, पते और अन्य विवरण प्रमाण पत्र सहित सूचित करेगा। तकनीकी प्रतिनिधियों की नियुक्ति न करने पर अनुबंध के अनुसार वसूली की जाएगी।

चयनित छः कार्यों में, तकनीकी कर्मचारियों की योग्यता और अनुभव की पुष्टि हेतु अभिलेख मांगे गए थे। हालाँकि, लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसके अभाव में यह पता नहीं चल सका कि प्रभारी अभियंता से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद कार्य में उचित तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती की गई थी या नहीं, और यदि नहीं, तो क्या संविदाकार से ₹45.71 करोड़ (जैसा कि **अनुलग्नक-XXIII** में विस्तृत है) की वसूली की गई थी। इसके अतिरिक्त, तकनीकी प्रतिनिधि की नियुक्ति न होने से परियोजना के कार्य की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में कहा कि सभी तकनीकी कर्मचारियों के नाम/अनुभव/योग्यता आदि की सूची अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रस्तुत की गई थी, कार्य का उचित पर्यवेक्षण डीडीए कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा था और तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती न होने के लिए आवश्यक और समय पर वसूली की जा रही थी। डीडीए ने छः नमूना परियोजनाओं में प्रतिनियुक्त तकनीकी कर्मचारियों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं (अक्टूबर 2024)।

उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि मंत्रालय द्वारा दावा किए गए कार्यों में तैनात सभी आवश्यक तकनीकी प्रतिनिधियों के लिए पूर्ण दस्तावेज अर्थात अनुभव प्रमाण पत्र और शैक्षिक योग्यता दोनों, प्रस्तुत नहीं किए गए थे। 242 मामलों में जहां तकनीकी प्रतिनिधियों के लिए दस्तावेज मांगे गए थे, केवल चार तकनीकी प्रतिनिधियों के अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं और उन मामलों में भी संबंधित शिक्षा प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किए गए हैं। इसके अलावा प्रसतूत किए गए अधिकांश दस्तावेज अपठनीय है।

मंत्रालय ने एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसंबर 2024) में डीडीए को अनुबंध की खण्ड के अनुसार संविदाकार के खिलाफ वसूली शुरू करने का निर्देश दिया है।

(iii) संयुक्त भौतिक सत्यापन

संविदाकारों द्वारा किए गए कार्यों का आकलन करने के लिए लेखापरीक्षा टीम ने डीडीए के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर एक संयुक्त भौतिक सत्यापन (31

जनवरी 2023 और 15 फरवरी 2023) किया। चयनित छः परियोजनाओं में से, तीन पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं, अर्थात् पी5, पी11 और पी12, में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कमियाँ पाई गईं:

- भू-गृह (बेसमेंट)में जलभराव, बेसमेंट की छत और कमरों के अंदर की दीवारों में रिसाव, कमरों के अंदर टूटा हुआ और घिसा हुआ प्लास्टर, कमरे के फर्श और दीवारों पर दीमक का प्रकोप।
- बिजली की तारें गायब थीं, वृक्षारोपण और भू-दृश्यांकन नहीं किया गया था।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, तीन पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं में पाई गई कमियों का विवरण **अनुलग्नक-XXIV** में दिया गया है।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमियों को अब ठीक कर लिया गया है।

इस उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि मंत्रालय द्वारा दावा किए गए सुधारों के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

3.5.7.9 संविदाकारों को भुगतान में अनियमितताएं

(i) ग्रीन टैक्स पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क की अनियमित प्रतिपूर्ति

सामान्य शर्त अनुबंध (जीसीसी) के खंड 38 में यह निर्धारित किया गया है कि सभी निविदा दरों में संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत देय सभी कर और शुल्क (सेवा कर को छोड़कर) शामिल होंगे। हालाँकि, यदि निविदा प्राप्ति की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद, यदि कोई विस्तार हो, सहित, अधिनियमों द्वारा कोई और कर, शुल्क या उपकर लगाया जाता है, और संविदाकार उसके बाद आवश्यक रूप से ऐसे करों/शुल्कों/उपकर का भुगतान करता है, तो संविदाकार को भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते कि ऐसा भुगतान, यदि कोई हो, अधीक्षण अभियंता की राय में संविदाकार के नियंत्रण में कार्य के निष्पादन में देरी के कारण न हो।

ग्रीन टैक्स पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (जीटीईसीसी) के संबंध में, जिसे सरकार द्वारा 01 नवंबर 2015 से लागू किया गया था, सीपीडब्ल्यूडी ने स्पष्ट किया था (24 अप्रैल 2017) कि जीसीसी 7 और 8 के खंड 38 इस पर लागू नहीं होंगे और ग्रीन टैक्स की प्रतिपूर्ति संविदाकार को नहीं की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि संविदाकार को जीटीईसीसी की प्रतिपूर्ति न करने के संबंध में स्पष्टीकरण अप्रैल 2017 में प्राप्त हुआ था, फिर भी डीडीए संविदाकारों को लगातार इसकी प्रतिपूर्ति कर रहा था। यह देखा गया कि छः चयनित परियोजनाओं में से तीन परियोजनाओं में, डीडीए ने संविदाकार को ₹6.92 करोड़[77] की जीटीईसीसी राशि की प्रतिपूर्ति की है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2024) में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और बताया कि उसने ₹2.73 करोड़[78] की वसूली कर ली है और दो परियोजनाओं (पी11 और पी12) में जीटीईसीसी की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि डीडीए 2017 में सीपीडब्ल्यूडी के स्पष्टीकरण के बावजूद कर की प्रतिपूर्ति कर रहा था, जिससे आंतरिक नियंत्रण में अंतर्निहित कमी का पता चलता है।

(ii) खण्ड 10 सीए और 10 सीसी के अंतर्गत वृद्धि के लिए अधिक भुगतान

अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के खंड 10 सीए में कहा गया है कि यदि निविदा जमा करने के बाद, अनुसूची एफ में निर्दिष्ट सामग्रियों की कीमत कार्य के लिए अनुसूची एफ में दर्शाए गए आधार मूल्य से अधिक बढ़ जाती है/घट जाती है, तो अनुबंध की राशि तदनुसार बदली जाएगी और आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि इस तरह का कोई भी परिवर्तन अनुबंध की निर्धारित अवधि के लिए प्रभावी होगा, जिसमें खंड 2 के अंतर्गत किसी भी कार्रवाई के बिना अनुबंध के खंड 5 के प्रावधानों के अंतर्गत विस्तारित उचित अवधि भी शामिल है। सीमेंट, स्टील सुदृढीकरण और संरचनात्मक स्टील की कीमतों में वृद्धि/कमी महानिदेशक (कार्य), सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जारी मूल्य सूचकांक द्वारा निर्धारित की जाएगी और ऐसी वस्तुओं के लिए आधार मूल्य दिल्ली के लिए लागू सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जारी किए गए मूल्य होंगे।

अनुबंध के साथ संलग्न अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 10 सी.सी. के अनुसार, यदि कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक सामग्रियों (जो विभाग द्वारा खंड 10 और 34 के अनुसार निर्धारित मूल्यों पर आपूर्ति की गई सामग्री या प्रदान की गई सेवाएँ नहीं हैं) और/या श्रमिकों

---

[77] *पी 11: ₹ 4.39 करोड़ , पी 12: ₹ 1.84 करोड़ और पी 17: ₹ 0.69 करोड़*

[78] *पी 17: ₹0.69 करोड़ तथा पी 22: ₹2.04 करोड़*

की मजदूरी की कीमतों में वृद्धि होती है, तो संविदाकार को प्रावधानों के अनुसार ऐसी वृद्धि के लिए मुआवजा दिया जाएगा और अनुबंध की राशि तदनुसार परिवर्तित की जाएगी।

यह देखा गया कि छः चयनित परियोजनाओं में से दो परियोजनाओं में, डीडीए ने खंड 10 सी.ए. और/या 10 सी.सी. के अंतर्गत निम्नानुसार अतिरिक्त भुगतान किया:

- **नरेला (पी-19) सेक्टर ए-1 से ए-4 में पॉकेट 4 में 500 दो बीएचके और 340 तीन बीएचके तथा 325 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण।**

  डीडीए ने यह कार्य दो उप-शीर्षों के अंतर्गत किया। 340 थ्री बीएचके और 325 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का कार्य ₹225.54 करोड़ की निविदा लागत पर प्रदान किया गया। इसी प्रकार, 500 टू बीएचके फ्लैटों का कार्य ₹184.92 करोड़ की निविदा लागत पर प्रदान किया गया। 340 थ्री बीएचके और 325 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का कार्य 22 जुलाई 2015 से शुरू हुआ और इनकी पूर्णता तिथि क्रमशः 21 जनवरी 2019 और 20 जुलाई 2019 निर्धारित की गई थी। यह परियोजना फरवरी 2023 तक जारी थी।

  संबंधित अनुबंध करारों की अनुसूची एफ में सीमेंट और स्टील के लिए आधार मूल्य प्रदान नहीं किया गया था। हालाँकि, प्री-बिड बैठक (23 जनवरी 2015) में, आधार मूल्य क्रमशः ₹5,800/मीट्रिक टन और ₹43,600/मीट्रिक टन निर्धारित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि खण्ड 10 सीए के अंतर्गत मूल्य वृद्धि की गणना के लिए डीडीए द्वारा अपनाई गई कीमत सीमेंट और स्टील के लिए क्रमशः ₹4,700 प्रति मीट्रिक टन और ₹42,080 प्रति मीट्रिक टन थी।

  इसके अलावा, चूंकि अन्य सामग्री, सामान (स्टील और सीमेंट को छोड़कर) के मूल्य की गणना सीमेंट और स्टील के लिए किए गए काम के सकल मूल्य के आधार पर की जाती है, इसलिए खंड 10सीए अधीन वृद्धि निर्धारित करने के लिए गलत दरों का उपयोग करने से खंड 10 सीसी अधीन अन्य सामग्री, सामान के लिए गणना की गई राशि भी प्रभावित होती है। परिणामस्वरूप, खंड 10 सी. ए. और खंड 10 सी. सी. दोनों के अधीन गणना की गई मूल्य वृद्धि प्रभावित हुई।

  लेखापरीक्षा ने वृद्धि के प्रभाव का आकलन करते समय पाया कि सीमेंट और स्टील के लिए कम आधार मूल्य अपनाने के कारण, डीडीए ने खंड 10 सीए के अंतर्गत ₹7.87 करोड़ और खंड 10 सीसी के अंतर्गत ₹0.57 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और बताया कि खण्ड 10 सीए के अंतर्गत अतिरिक्त भुगतान किया गया था। अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

- **नरेला (पी-17) के पॉकेट 4 में 520 दो बीएचके, 250 तीन बीएचके और 294 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण**

कार्य (पी17) 06 अगस्त 2015 को शुरू किया गया था और 05 अगस्त 2019 को पूरा होने की निर्धारित तिथि थी। यह कार्य ₹ 358.60 करोड़ की निविदा लागत पर प्रदान किया गया था।

जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद, सीपीडब्ल्यूडी ने अपने कार्यालय ज्ञापन (21 अक्टूबर 2020) के माध्यम से कहा कि 10 सीए के अंतर्गत वृद्धि की गणना के लिए, उत्पाद शुल्क और वैट के घटक को छोड़कर आधार मूल्य की गणना की जाएगी, जिसके बाद 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी का घटक जोड़ा जाना था।

डीडीए ने सीमेंट घटक के लिए वृद्धि के भुगतान की गणना करते समय उपर्युक्त निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹ 1.22 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया कि अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

अनुशंसा संख्या 13: अनुमानों को उचित स्थल सत्यापन, तकनीकी अध्ययन और विकास योजना की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए।

अनुशंसा संख्या 14: डीडीए कार्य के सभी चरणों के दौरान स्थल पर कार्य के उचित पर्यवेक्षण के लिए तकनीकी प्रतिनिधियों की नियुक्तियों से संबंधित सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल/अनुबंध की सामान्य शर्तों आदि के प्रावधानों का संविदाकार द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करे।

अनुशंसा संख्या 15: डीडीए संविदाकार द्वारा अनुबंधों के प्रावधानों के साथ-साथ एस्केलेशन/ग्रीन टैक्स आदि के लिए भुगतान से संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी परिपत्र/आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करे, ताकि किसी भी अधिक भुगतान से बचा जा सके।

ग. आवासों की लागत एवं बिक्री

वित्त शाखा, अभियांत्रिकी शाखा द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आबंटित फ्लैटों और दुकानों का निर्माण पूरा होने के बाद, उनकी लागत का आकलन करती है। आवास योजनाओं के माध्यम से आम जनता को बिक्री के लिए रखे गए फ्लैटों की निराकरण लागत, विभिन्न घटकों, जैसे निर्माण लागत, ग्रिड शुल्क, विभागीय शुल्क, निर्माण के दौरान ब्याज, एकमुश्त रखरखाव शुल्क, भूमि लागत (भूमि कारक सहित), अधिभार आदि को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है।

भूमि की लागत, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पूर्व-निर्धारित दरों (पीडीआर) के अनुसार निर्धारित की जाती है, जबकि निर्माण लागत की गणना प्लिंथ क्षेत्र दरों (पीएआर) के आधार पर की जाती है।

3.5.7.10 भूमि हेतु पूर्व-निर्धारित दरें

पूर्व-निर्धारित दरें विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों से ली जाने वाली प्रीमियम दरों को संदर्भित करती हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है, जिसमें भूमि अधिग्रहण की लागत, विकास शुल्क और उपयोग और कब्जे के लिए रियायती शुल्क जैसे कारकों पर विचार किया जाता है। पीडीआर की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति में लागत लाभ विश्लेषण के माध्यम से पिछले वित्तीय वर्ष की ब्रेक-ईवन दर (बीईआर) की गणना करना शामिल है।

बीईआर का अनुमान लगाने के लिए, सूचीकरण विधि का उपयोग किया जाता है, जहां भूमि के विकास पर किए गए सभी व्यय, साथ ही अगले तीन वर्षों के दौरान प्रत्याशित, जिसमें भूमि अधिग्रहण आदि पर मुआवजा और बढ़ा हुआ मुआवजा और साथ ही पिछले वर्ष तक की बिक्री से अर्जित राजस्व शामिल है, को निर्धारित दर पर उनके वर्तमान मूल्यों में अद्यतन किया जाता है। कुल परियोजना लागत निकालने के लिए इस राशि में भौतिक और मूल्य आकस्मिकताएं (5 प्रतिशत) और सेवा शुल्क (7.5 प्रतिशत) जोड़े जाते हैं। इसके बाद, अर्जित किए जाने वाले अनुक्रमित राजस्व को बेचे गए क्षेत्र को घटाने के बाद शेष भारित क्षेत्र से विभाजित करके बीईआर निर्धारित किया जाता है। पूर्व-निर्धारित दर निर्धारित करने के लिए, ब्रेक-ईवन दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है।

अभिलेखों की जांच के दौरान विभिन्न परियोजनाओं में पूर्व-निर्धारित दरों की गणना के संबंध में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:-

(i) लागत लाभ विश्लेषण में विचार हेतु क्षेत्र में विसंगतियां

डीडीए द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, लागत-लाभ विश्लेषण करने और ब्रेक-ईवन दर निकालने के लिए परियोजना के क्षेत्रफल पर विचार किया जाता है।

वर्ष 2015-16 के लिए रोहिणी चरण IV और V (26 से 37 तक 12 सेक्टरों को शामिल करते हुए) की पीडीआर के निर्धारण के लिए, सीई रोहिणी कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी में दर्शाया गया है कि विकास के लिए लिया गया क्षेत्रफल 1864.22 हेक्टेयर था। नियोजन शाखा के अनुसार, सभी 12 सेक्टरों का क्षेत्रफल 2235.77 हेक्टेयर दिखाया गया था। हालाँकि, पीडीआर की गणना करते समय यह देखा गया कि न तो नियोजन शाखा द्वारा क्षेत्रफल और न ही अभियांत्रिकी शाखा द्वारा इंगित क्षेत्र लिया गया था, इसके बजाय भूमि लागत शाखा ने क्षेत्रफल को 2268.19 हेक्टेयर माना था। यह भी देखा गया कि वर्ष 2021-22 के लिए पीडीआर की गणना के लिए, रोहिणी के सेक्टर 41 में एक भूमि पार्सल की बिक्री से प्राप्त ₹ 6.69 करोड़ के राजस्व को हिसाब में लिया गया था, जबकि, यह भूमि रोहिणी चरण IV और V का हिस्सा ही नहीं थी। इसी तरह वर्ष 2017-18 के लिए पीडीआर में, सेक्टर 22 में ₹ 46 लाख में बेची गई भूमि को हिसाब में लिया गया था, जबकि, यह भूमि रोहिणी चरण IV और V के क्षेत्र में नहीं आती थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में कहा कि योजना प्रभाग, लेआउट प्लान के अनुसार कुल क्षेत्र प्रदान करता है जबकि अभियांत्रिकी प्रभाग, इस क्षेत्र की जांच करता है और अतिक्रमण, गांव की आबादी, विकास के लिए उठाए गए क्षेत्र आदि का विवरण प्रदान करता है। चूंकि आंकडें लगभग आठ साल पुराने हैं, इसलिए क्षेत्र में भिन्नता का कारण स्पष्ट करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, मंत्रालय ने स्वीकार किया कि सेक्टर 41, रोहिणी में एक भूमि पार्सल की बिक्री से प्राप्त ₹ 6.69 करोड़ की राशि को 2021-22 की पीडीआर प्राप्त करते समय हिसाब में लिया गया था, हालांकि उस समय भूमि रोहिणी चरण IV और V का हिस्सा नहीं थी। शेष क्षेत्रों (सेक्टर 38 से सेक्टर 41) को शामिल करके रोहिणी चरण IV और V के परियोजना क्षेत्र को परिशोधित करने के लिए एक व्यापक अभ्यास योजना, वास्तुकला और अभियांत्रिकी प्रभाग के परामर्श से चल रहा था।

2022-23 के लिए पीडीआर निकालते समय, रोहिणी चरण **IV** और **V** (सेक्टर 26-41) का कुल परियोजना क्षेत्र 2268.19 हेक्टेयर से परिशोधित कर 2613.54 हेक्टेयर कर दिया गया। रोहिणी, सेक्टर 22, चरण **III** से संबंधित ₹0.46 करोड़ का राजस्व अनजाने में रोहिणी चरण **IV** और **V** में दर्ज कर लिया गया। लेखापरीक्षा की इस टिप्पणी को भविष्य में सावधानी बरतने हेतु भी संज्ञान में लाया गया है।

ii) अधिग्रहित भूमि का लैप्स होना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नरेला में 2017-18 तक कुल 2,689 हेक्टेयर अधिग्रहित भूमि में से 419.65 हेक्टेयर भूमि डीडीए द्वारा भौतिक रूप से अपने कब्जे में नहीं ली गई थी। अधिग्रहित भूमि के कुछ हिस्से ऐसे थे, जो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत लैप्स हो गए थे, भले ही डीडीए द्वारा जीएनसीटीडी को भुगतान जारी कर दिया गया था। ऐसे मामलों की वर्तमान स्थिति अभिलेख में नहीं पाई गई और यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या धनराशि डीडीए को वापस कर दिया गई थी या भूमि का भौतिक कब्ज़ा अंततः डीडीए को सौंप दिया गया था। इस जानकारी के अभाव में, लागत अभिलेख में दिखाई जा रही भूमि के स्टॉक की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, अपने उत्तर (जून 2024) में कहा कि डीडीए भूमि के अधिग्रहण को उपयुक्त न्यायालय में चुनौती देकर सभी उपलब्ध कानूनी उपायों का उपयोग कर रहा है। जिन मामलों का निर्णय डीडीए के पक्ष में हुआ, उनमें भूमि का भौतिक कब्ज़ा लेने के लिए एलएंडबी/एलएसी, जीएनसीटीडी के समन्वय से उचित कार्रवाई की जा रही है।

इस उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि नरेला में डीडीए द्वारा अधिग्रहित सभी भूमि का भौतिक रूप से कब्ज़ा नहीं किया गया था।

iii) भूमि की बिक्री से प्राप्त राजस्व में विसंगति

लागत-लाभ विश्लेषण के लिए भूमि की बिक्री से प्राप्त राजस्व के साथ-साथ बेचे गए भूमि क्षेत्रफल को भी ध्यान में रखा जाता है। लेखापरीक्षा ने राजस्व प्राप्तियों और भूमि की बिक्री में निम्नलिखित विसंगतियाँ देखीं।

क) नरेला में 2021-22 के पीडीआर की गणना के लिए, यह देखा गया कि आवासीय और व्यावसायिक भूमि की बिक्री से क्रमशः ₹8.95 करोड़ और ₹2.81 करोड़ राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किए गए। हालाँकि, इन प्राप्तियों से संबंधित भूमि स्टॉक से भूमि की संगत कटौती को पीडीआर के निर्धारण के लिए ध्यान में नहीं रखा गया।

ख) मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में कहा कि आवासीय भूमि (0.0627 हेक्टेयर) और वाणिज्यिक भूमि के लिए भूमि स्टॉक से संबंधित कटौती अनजाने में छोड़ दी गई थी और अगले वित्तीय वर्ष के लिए पीडीआर प्राप्त करते समय इस पर विचार किया जाएगा और यह भी कहा कि भविष्य में सावधानी बरतने के लिए लेखापरीक्षा की टिप्पणी को भी नोट कर लिया गया है।.

ग) वर्ष 2020-21 के लिए रोहिणी, चरण **IV** और **V** के पीडीआर की गणना के लिए, क्रमशः ₹1.19 करोड़ और ₹0.25 करोड़ के राजस्व के संबंध में, जो आवासीय और वाणिज्यिक भूमि की बिक्री के कारण दिखाए गए थे; इन लेनदेन में बेची गई भूमि की संबंधित प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया गया था। वर्ष 2021-22 के लिए, वाणिज्यिक भूमि की बिक्री के मामले में, हालांकि ₹32.89 करोड़ की राशि का राजस्व प्राप्त हुआ और उसका हिसाब लगाया गया, लेकिन संबंधित भूमि को भूमि स्टॉक से कम नहीं किया गया।

इस प्रकार, यह देखा गया कि भूमि की बिक्री से राजस्व दर्ज करने की प्रणाली उचित नहीं थी क्योंकि खातों में संपूर्ण लेनदेन परिलक्षित नहीं हो रहे थे। ऐसे परिदृश्य में, भूमि दर की गणना के लिए किया गया लागत लाभ विश्लेषण सही तस्वीर को प्रतिबिंबित नहीं करता था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में बताया कि संबंधित प्रभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आवासीय और व्यावसायिक भूमि के लिए क्रमशः ₹1.19 करोड़ और ₹0.25 करोड़ का राजस्व वास्तविक प्राप्ति के आधार पर दर्ज किया गया था। इसके अलावा, मंत्रालय ने बताया कि व्यावसायिक भूमि की बिक्री के मामले में, हालांकि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ₹32.89 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ और उसका लेखा-जोखा रखा गया, लेकिन संबंधित भूमि को भूमि स्टॉक से नहीं घटाया गया।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि आवासीय और व्यावसायिक भूमि की बिक्री से संबंधित प्रविष्टियाँ अभिलेखों में नहीं दर्शाई गईं, जिससे पीडीआर कमीयुक्त रह गया।

iv) प्राप्त राजस्व के साथ असंगत व्यवहार

पीडीआर की गणना के लिए प्रथागत वार्षिक प्रक्रिया के पालन में, डीडीए के विभिन्न संबंधित प्रभागों से जानकारी मांगी जाती है। यह देखा गया कि 2017-18 की पीडीआर की गणना के लिए, भूमि की बिक्री से प्राप्त राजस्व के रूप में ₹94.08 करोड़ की प्राप्ति दर्शाई गई थी। हालाँकि, 2021-22 की पीडीआर की गणना के लिए, प्राप्त राजस्व का केवल 1/3 हिस्सा ही ध्यान में रखा गया था। अभिलेखों में इस असमानता के कारण नहीं पाए गए।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में कहा कि प्रक्रिया के अनुसार, आवास निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की लागत का 1/3 भाग आवास परियोजना के पूरा होने की अवधि 36 महीने मानते हुए, कुल तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष नजूल खाता-**II** में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया केवल वार्षिक खाते तैयार करने हेतु नजूल खाता-**II** में राजस्व दर्ज करने के उद्देश्य से की जाती है।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि राजस्व का एक तिहाई हिस्सा न केवल लेखांकन उद्देश्य के लिए लिया गया था, बल्कि वर्ष 2021-22 के लिए पीडीआर की गणना के लिए भी लिया गया था, जिस पर पूर्ण रूप से विचार किया जाना चाहिए था।

v) विभिन्न गुणकों का अनुप्रयोग

किसी परियोजना क्षेत्र में डीडीए के पास बिक्री के लिए उपलब्ध कुल भूमि को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत आदि। लागत-लाभ विश्लेषण के दौरान, भारित क्षेत्र निर्धारित करने के लिए भूमि की इन श्रेणियों को गुणक दिए जाते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारित क्षेत्र निकालने के लिए भूमि की विभिन्न श्रेणियों (वाणिज्यिक, आवासीय, संस्थागत, आदि) के लिए विभिन्न गुणकों का उपयोग किया जा रहा था। वाणिज्यिक भूमि के लिए, चार का गुणक इस्तेमाल किया गया था। इसी तरह, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी फ्लैटों के लिए क्रमशः 0.5, 0.75, 1.25 और 1.50

के गुणकों का उपयोग किया गया था, जिसका अभिलेख में कोई आधार नहीं मिला। इस प्रकार, डीडीए बिना किसी वस्तुनिष्ठ आधार के गुणन कारकों को लागू कर रहा था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में कहा कि ईडब्ल्यूएस/एलआईजी फ्लैटों जैसी निम्न श्रेणियों के लिए कम गुणकों का उपयोग किया जाता है और एमआईजी और एचआईजी जैसी उच्च श्रेणियों के लिए उच्च गुणकों का उपयोग किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निम्न श्रेणियों के लिए भूमि की कम कीमत वसूली जाए और उच्च श्रेणियों के लिए भूमि की अधिक कीमत वसूली जाए। इसी तरह, वाणिज्यिक संपत्तियों की उच्च बाजार दरों को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए चार का गुणक अपनाया गया है। विभिन्न दरों के गुणकों पर पहुँचने के आधार के बारे में कोई दस्तावेजी साक्ष्य आवश्यक नहीं हैं।

मंत्रालय के उत्तर को इस संदर्भ में देखा जा सकता है कि गुणकों की विभिन्न दरों पर पहुँचने के लिए किसी वस्तुनिष्ठ आधार के अभाव में, लेखापरीक्षा में अपनाई गई पद्धति के पीछे के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके अलावा, यह भी पता नहीं लगाया जा सका है कि भूमि भंडार और अन्य मापदंडों के बदलते परिदृश्य के आधार पर इन दरों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है या नहीं।

vi) विकसित क्षेत्रों के संबंध में पूर्व-निर्धारित दर में लगातार वृद्धि

फ्लैटों की लागत की गणना के लिए, डीडीए द्वारा अधिसूचित पूर्व-निर्धारित दरें विभिन्न इलाकों में स्थित फ्लैटों की विभिन्न श्रेणियों पर लागू होती हैं। 2010-11 से विकसित कॉलोनियों के संबंध में, डीडीए किसी भी वित्तीय मानदंड या किसी वस्तुनिष्ठ आधार पर विचार किए बिना पीडीआर में लगातार 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि कर रहा है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में कहा कि प्राधिकरण के अनुमोदन से वित्तीय वर्ष 2011-12 से दरों में नियमित रूप से 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विकसित क्षेत्रों के दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि उचित और न्यायसंगत थी क्योंकि वास्तविक प्रचलित बाजार दरों और लागत मुद्रास्फीति सूचकांक या आरबीआई की प्राइम लेंडिंग रेट्स के अनुसार वृद्धि के बीच भारी अंतर था।

उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि विकसित भूमि की पूर्व निर्धारित दर को लगातार बढ़ाने के लिए कोई वित्तीय मानदंड नहीं अपनाया गया है। गतिशील मापदंडों के साथ कोई सहसंबंध रखे बिना पीडीआर में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की व्यापक वृद्धि हुई।

3.5.7.11 प्लिंथ क्षेत्र दरों का निर्धारण

डीडीए के मानक लागत निर्धारण[79] प्रस्ताव के अनुसार, फ्लैटों की निर्माण लागत की गणना प्लिंथ क्षेत्र दरों के आधार पर की जाती है, जो कि चालू वर्ष के लिए निर्माण की वास्तविक लागत और फ्लैटों के कुल प्लिंथ क्षेत्र के भारित औसत पर आधारित होती है। इस प्रस्ताव में, डीडीए ने निर्णय लिया कि उसके द्वारा निर्मित फ्लैटों की लागत को वास्तविक लागत से मानक लागत में बदल दिया जाएगा। इस प्रस्ताव के अनुसार, निर्माण की प्लिंथ क्षेत्र दर (पीएआर) की गणना और घोषणा वर्ष में दो बार की जानी थी और यह प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को लागू होगी। 1 अप्रैल का पीएआर 28/29 फरवरी तक प्राप्त वास्तविक लागत आंकड़ों पर आधारित होगा और 1 अक्टूबर का पीएआर क्रमशः 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से पहले 31 अगस्त तक प्राप्त लागत आंकड़ों पर आधारित होगा। इसके बाद, 01 अप्रैल 2018 से पीएआर वर्ष में केवल एक बार घोषित किया गया।

अभिलेखों की जांच के दौरान प्लिंथ क्षेत्र दरों के संबंध में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

फ्लैटों की लागत में शामिल उपरिशीर्ष/ओवरहेड्स

डीडीए एक फ्लैट की निराकरण लागत निकालने में मुख्य व्यय (अर्थात भूमि लागत और निर्माण लागत) के अतिरिक्त विभिन्न उपरिशीर्ष/ओवरहेड्स जैसे प्रशासनिक, आकस्मिकता, अधिभार, धन की लागत आदि के रूप में लगभग 40 प्रतिशत ओवरहेड्स लागू करता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

तालिका 3.13: प्रभारित ओवरहेड्स का विवरण

लागत का घटक	ओवरहेड्स के प्रकार	लागू प्रतिशत
भूमि की पूर्व निर्धारित दर (पी डी आर)	विभागीय प्रभार	11.25
	प्रशासनिक प्रभार	7.00
	भौतिक एवं मूल्य आकस्मिकताएँ	5.00
	सेवा शुल्क	7.50
	धन की प्रत्याशित लागत	10.00
निर्माण की लागत (पी. ए. .आर)(लागत विवरण का सार)	भवन निर्माण कार्यों और विविध मदों की लागत की आकस्मिकताएं (रखरखाव प्रभार @1 प्रतिशत; क्षति प्रभार @2 प्रतिशत; दोषों का सुधार @0.5 प्रतिशत)	3.50

[79] *संकल्प संख्या .7/2002*

लागत का घटक	ओवरहेड्स के प्रकार	लागू प्रतिशत
फ्लैट की अंतिम लागत/निराकरण लागत	निर्माण लागत पर विभागीय प्रभार	10/15.00
	निर्माण अवधि के दौरान ब्याज (18 महीने के लिए) (निर्माण लागत पर)	10.00
	अधिभार (प्रमुख स्थान हेतु)	20.00

(स्त्रोत: डीडीए)

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, ओवरहेड्स को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है। हालाँकि, ओवरहेड्स को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करने के कारण और उन्हें निर्धारित दरों का आधार अभिलेखों में नहीं पाया गया।

यह उल्लेख करना उचित है कि सीपीडब्ल्यूडी नियमावली में पाँच करोड़ से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों के लिए 7 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभार लगाने का प्रावधान था, जो डीडीए द्वारा लागू दरों से कम है। इसके अलावा, 2014 और 2017 की आवास योजनाओं में फ्लैटों की कम बिक्री का एक कारण फ्लैटों की उच्च निराकरण लागत थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में कहा कि पीडीआर निकालने के लिए लागत लाभ विश्लेषण में लोड की गई परियोजना पर कुल व्यय में 11.25 प्रतिशत विभागीय प्रभार और 7 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क शामिल नहीं है। अधिकांश शुल्क कार्य की अप्रत्यक्ष अनुमानित लागत हैं, जिन्हें कार्य पूरा होने के बाद डीडीए वहन करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, डीडीए फ्लैटों की कीमत निर्धारित करने के लिए डीडीए द्वारा अपनाई गई लागत पद्धति की समीक्षा के लिए मामले को मुख्य सलाहकार (लागत), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के कार्यालय को भेजने पर भी विचार कर रहा है।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि 11.25 प्रतिशत विभागीय प्रभार और 7 प्रतिशत प्रशासनिक प्रभार विकास लागत में लागू होते हैं जिसका उपयोग पीडीआर निर्धारित करने में किया जाता है। इसके अलावा, निर्धारित किए जाने वाले अतिरिक्त खर्चों की अलग-अलग दरों को निर्धारित करने का आधार भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

3.5.7.12 असफल आवेदकों और अभ्यर्पित फ्लैटों के मालिकों के संबंध में लंबित धन वापसी

डीडीए फ्लैटों की बिक्री के लिए आवासीय योजनाएँ शुरू करता है। असफल आवेदकों या आबंटन निरस्त होने की स्थिति में आवेदकों द्वारा जमा की गई राशि वापस कर दी जाती है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि रिफन्ड के कुछ मामले लंबित हैं। विभाग ने लंबित रिफन्ड के लिए सही बैंक खाता, एनआरई खाता, चालू खाता आदि न बताने जैसे कारण बताए थे। हालाँकि, विभाग द्वारा इन मुद्दों को सुलझाने के लिए किए गए वर्षवार प्रयासों की जानकारी नहीं दी गई। यह मुद्दा इस तथ्य को देखते हुए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुछ रिफन्ड आठ साल पहले की अवधि के भी हैं।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में बताया कि उपर्युक्त आवेदकों को पंजीकरण राशि वापस न करने का कारण गलत बैंक खाता विवरण/आईएफएससी कोड, एनआरई खाता, चालू खाता आदि हैं। मंत्रालय ने असफल आवेदकों की धन वापसी और 16 नवंबर 2023 तक फ्लैटों के अभ्यर्पण के संबंध में योजनावार विवरण प्रदान किया जो निम्नानुसार है:

तालिका 3.14: असफल आवेदकों और अभ्यर्पित फ्लैटों के मालिकों के लिए लंबित रिफन्ड का विवरण

आवासीय योजना का नाम/वर्ष	रिफन्ड के मामलों की कुल संख्या	रिफन्ड के रूप में देय लंबित राशि (₹)	रिफन्ड के लंबित मामले
डीडीए स्पेशल एचएस 2021	7,199	21,76,000	21
डीडीए एचएस 2021	21,399	84,75,000	78
डीडीए एचएस 2019	36,607	4,00,000	02
डीडीए एचएस 2019 - ईडब्ल्यूएस/एससी और एसटी	2,076	6,50,000	06
डीडीए एचएस 2017	33,538	14,00,000	08
डीडीए एचएस 2014	9,83,945	92,30,000	281

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि डीडीए के नागरिक चार्टर के अनुसार, सभी दस्तावेज़ जमा करने के 28 दिनों के भीतर रिफन्ड किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, विभाग द्वारा रिफन्ड की समस्याओं को सुलझाने हेतु वर्षवार किए गए प्रयासों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि कुछ रिफन्ड के मामले आठ साल पहले की अवधि के हैं। इसके अलावा, मंत्रालय के इस तर्क को स्वीकार करना कठिन

है कि गलत बैंक खाते/आईएफएससी कोड, एनआरई खाता आदि के कारण रिफन्ड नहीं हो सका, क्योंकि ये विवरण वही होंगे जो आवेदकों ने फ्लैटों के लिए आवेदन करते समय पहले दिए थे।

***अनुशंसा संख्या 16:** भूमि की पूर्व-निर्धारित दर की गणना के लिए लागत लाभ विश्लेषण का संचालन करते समय, भूमि की बिक्री से लागत, भूमि का क्षेत्र, राजस्व प्राप्तियों आदि के सभी तत्वों का उचित मूल्यांकन किया जाए ताकि भूमि स्टॉक से भूमि की बिक्री और संबंधित बिक्री प्राप्ति का समायोजन सुनिश्चित किया जा सके।*

***अनुशंसा संख्या 17:** डीडीए निर्धारित समय के भीतर वापस किए गए फ्लैटों के असफल आवेदकों और मालिकों को लंबित रिफंड मामलों को निपटाने का प्रयास कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए, आवेदकों से वैकल्पिक संपर्क संख्या/ईमेल आईडी और अद्यतन पता प्राप्त किया जाए।*

***अनुशंसा संख्या 18:** उपभोक्ता के लिए उचित लागत सुनिश्चित करने के लिए डीडीए द्वारा अपनाई गई लागत पद्धति, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के ओवरहेड्स की चार्जिंग भी शामिल है, की समीक्षा की जाए।*

घ. आवासों का आबंटन

डीडीए दिल्ली में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आवास निर्माण कर रहा है। ऐसे फ्लैटों का निराकरण डीडीए आवास (आवास संपदा प्रबंधन एवं निराकरण) विनियम, 1968 द्वारा विनियमित होता है। जब भी नए फ्लैट तैयार होते हैं, अभियांत्रिकी प्रभाग उन्हें आबंटन के लिए आवास विभाग को सौंप देता है। आवास विभाग जनता को फ्लैटों के निराकरण हेतु योजनाएँ शुरू करता है।

लेखापरीक्षा अवधि, अर्थात् 2017-18 से 2021-22 तक, डीडीए ने विभिन्न इलाकों में विभिन्न श्रेणी के आवासों/फ्लैटों के निराकरण हेतु 10 आवास योजनाएँ शुरू कीं, जिनका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 3.15: अप्रैल 2017 और मार्च 2022 के बीच शुरू की गई आवास योजनाएँ

क्र. सं	आवास योजना/वर्ष	योजना के शुभारंभ की तिथि
1.	आवास योजना - 2017	30 जून 2017
2.	आवास योजना - ऑनलाइन चल रही आवास योजना 2019 - पुराने फ्लैट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर	18 जनवरी 2019

क्र. सं	आवास योजना/वर्ष	योजना के शुभारंभ की तिथि
3.	आवास योजना-2019	25 मार्च 2019
4.	वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए ऑनलाइन चल रही आवास योजना	02 अगस्त 2019
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणियों के लिए आवास योजना - 2019	30 अगस्त 2019
6.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए आवास योजना - 2019	05 सितम्बर 2019
7.	नरेला में "जोड़े के रूप में (एज पेयर)" (संयोजन) निराकरण के लिए ऑनलाइन चल रही योजना	06 दिसम्बर 2019
8.	नरेला में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन योजना	07 अगस्त 2020
9.	आवास योजना - 2021	02 जनवरी 2021
10.	विशेष आवास योजना 2021	23 दिसम्बर 2021

(स्त्रोत: डीडीए)

3.5.7.13 पूर्व की योजनाओं में फ्लैटों के अभ्यर्पण /निरस्तीकरण के कारणों का समाधान किए बिना आवास योजनाएं शुरू करना

अप्रैल 2017 और मार्च 2022 के बीच डीडीए द्वारा शुरू की गई 10 आवासीय योजनाओं में से छः योजनाएं वर्ष 2019 में की गईं और दो योजनाएं 2021 में की गईं। केवल दो वर्षों में आठ योजनाएं शुरू करने के बाद भी, डीडीए योजनाओं में पेश किए गए फ्लैटों का 36.77 प्रतिशत से 63.42 प्रतिशत बेचने में असमर्थ रहा।

आवास योजना 2014 में, डीडीए ने 25,040 फ्लैटों की पेशकश की, जिनमें से 12,837 फ्लैटों को अभ्यर्पण कर दिया गया या निरस्त कर दिया गया। डीडीए के फ्लैटों की कुछ अन्य सूची के साथ इन अभ्यर्पित/निरस्त फ्लैटों को फिर से आवास योजना 2017 में बिक्री के लिए रखा गया था। 2017 की योजना को फिर से धीमी प्रतिक्रिया मिली, जिसमें 12,617 फ्लैटों में से लगभग 9,502 फ्लैट अभ्यर्पित या निरस्त कर दिए गए। यह प्रवृत्ति भविष्य की आवास योजनाओं में भी जारी रही, और इन आवास योजनाओं की सार्वजनिक मांग भी कम हो गई, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में विस्तार से बताया गया है:

तालिका 3.16: बिक्री के लिए प्रस्तावित फ्लैट, आवेदकों की संख्या और अभ्यर्पित/निरस्त किए गए फ्लैट

आवास योजना (वर्ष)	प्रस्तावित फ्लैटों की संख्या	आवेदकों की संख्या	अभ्यर्पित /निरस्त किए गए फ्लैटों की कुल संख्या	अभ्यर्पित/निरस्त किए गए फ्लैटों का प्रतिशत
2014	25,040	10,08,985	12,837	51.27
2017	12,617	46,674	9,502	75.31
2019	10,294	45,045	6,477	62.92
2021	1,353	22,752	858	63.42
2021 (विशेष)[80]	9,790	12,387	3,600	36.77

(स्त्रोत: डीडीए)

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि हालांकि कुछ वर्षों में आवास योजनाएं शीघ्रता से शुरू की गईं, लेकिन इससे न तो डीडीए को अपनी इन्वेंट्री बेचने में मदद मिली और न ही इसे कोई सकारात्मक सार्वजनिक प्रतिक्रिया मिली, जिसके कारण फ्लैटों की बिक्री कम हुई। 2014 की आवास योजना में, प्रस्तावित 25,040 फ्लैटों के मुकाबले कुल 10,08,985 आवेदन प्राप्त हुए, यानी प्रस्तावित फ्लैटों की संख्या का 40 गुना। 2017 की आवास योजना में 12,617 फ्लैटों के लिए केवल 46,674 आवेदन प्राप्त हुए, जो प्रस्तावित फ्लैटों की संख्या के चार गुना से भी कम थे। 2021 की विशेष आवास योजना में 9,790 फ्लैटों की पेशकश की गई, जिसके लिए केवल 12,387 आवेदन प्राप्त हुए, जो प्रस्तावित फ्लैटों की संख्या का केवल 1.2 गुना था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि डीडीए के फ्लैटों की मांग कम हो गई है और यहां तक कि जिन आवेदकों को फ्लैट आबंटित किए गए थे, वे भी फ्लैटों का अभ्यर्पण/निरस्तीकरण कर रहे हैं।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बातें देखीं:

(i) पुराने फ्लैटों के साथ आवास योजना का शुभारंभ

आवास योजना 2017 के शुभारंभ से पहले, डीडीए ने पाया था (अगस्त 2016) कि 2014 की आवास योजना में प्रस्तावित 50 प्रतिशत से अधिक फ्लैटों के अभ्यर्पण/निरस्त करने

---
[80] इस योजना के तहत पेश किए गए सभी फ्लैटों को पहले की योजनाओं जैसे एचएस-2014, एचएस 2017, एचएस 2019 और एचएस 2021 में निराकरण के लिए रखा गया था।

के मुख्य कारण छोटे आकार, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं, फ्लैटों के कम लोकप्रिय स्थान और आवेदन करने से पहले आवेदक द्वारा फ्लैटों का निरीक्षण न करना थे।

डीडीए ने 2017 में आवास योजना शुरू की थी और प्रस्तावित फ्लैट डीडीए की पुरानी सूची का हिस्सा थे। आवास योजना 2017 में, कुल 12,617 फ्लैटों में से 75 प्रतिशत फ्लैट यानी 9,502 फ्लैट अभ्यर्पण/निरस्त कर दिए गए थे। हालांकि डीडीए को इन कारणों की जानकारी थी, लेकिन डीडीए ने इन कमियों को दूर नहीं किया क्योंकि आवास योजना 2017 के बाद डीडीए द्वारा देखे गए कारण वही थे जैसे फ्लैटों का छोटा आकार, बस सेवा संयोजकता का न होना, दूरदराज के इलाके में फ्लैट, पुराने फ्लैट, फ्लैटों का अनुचित रखरखाव आदि।

इसी तरह, आवास योजना 2019 और 2021 में, जैसा कि आबंटियों की प्रतिक्रिया में बताया गया है, बड़ी संख्या में अभ्यर्पण/निरस्तीकरण के अंतर्निहित कारण खराब अवसंरचना, परिवहन संबंधी समस्याएं, फ्लैटों की अधिक लागत आदि थे। इस प्रकार, आवास योजनाओं के शुभारंभ से पहले डीडीए द्वारा उचित सुधारात्मक कदम न उठाने के कारण अधिकांश फ्लैटों का अभ्यर्पण/निरस्तीकरण कर दिया गया और इसलिए वे बिना बिके रह गए।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में कहा कि डीडीए ने समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर नीति, बुनियादी ढाँचे और फ्लैटों की बिक्री योग्यता निर्धारित करने वाले मूल्य निर्धारण से संबंधित विभिन्न मानदंडों में सुधार के लिए कदम उठाए हैं।

इस उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि यद्यपि आवास योजनाएँ शुरू करने से पहले फ्लैट निरस्त /अभ्यर्पित करने वाले आवेदकों की प्रतिक्रिया उपलब्ध थी, डीडीए ने आवास योजनाएँ शुरू कीं, लेकिन जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करने में विफल रहा। इस प्रकार, जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान न करने के कारण डीडीए के पास फ्लैट बिना बिके पड़े रहे।

(ii) नवनिर्मित फ्लैटों के लिए आवास योजना का शुभारंभ (आवास योजना 2019)

2017 आवास योजना के शुभारंभ के दौरान, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल (मार्च 2017) और डीडीए के उपाध्यक्ष (जनवरी 2017) ने निर्देश दिया था कि जहां बिक्री के लिए फ्लैट प्रस्तावित थे, वहां पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए और योजना में पेश किए गए फ्लैटों के संबंध में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि जब वसंत कुंज इलाके में फ्लैटों को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही थी (फरवरी 2019), तो कहा गया था कि विकास कार्य[81] जुलाई 2019 तक पूरा हो जाएगा। हालांकि, वसंत कुंज में आवास परियोजना के संबंध में विभिन्न कार्य[82] जून 2020 तक पूरे नहीं हुए थे। इसके अलावा, यह देखा गया कि नवंबर 2020 में फायर एनओसी प्राप्त की गई थी।

इस प्रकार, आवास योजना 2019 में माननीय उपराज्यपाल और उपाध्यक्ष के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। फ्लैटों के पूरा होने में देरी के कारण आबंटियों को भौतिक कब्जे में देरी हुई, जिसके कारण कुछ आबंटियों ने पानी, बिजली आपूर्ति, सीवेज, नाली कार्य आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता के लिए डीडीए के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसके कारण डीडीए द्वारा धनराशि प्राप्त करने में देरी हुई।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में कहा कि वसंत कुंज में आवास परियोजना से संबंधित विभिन्न कार्यों में देरी के संबंध में मांग पत्र प्रदान की गई समयसीमा के अनुसार जारी किए गए थे; परियोजना का प्रमुख कार्य पूरा हो गया था लेकिन पानी की आपूर्ति, एसटीपी, अग्निशमन एनओसी आदि में कुछ मुद्दों के कारण पूरा होने में देरी हुई। इसके अलावा, कोविड-19 के प्रसार के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भी अपरिहार्य देरी हुई और अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए आवेदन नवंबर 2020 में ही स्वीकृत हो पाया। यद्यपि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए एचएलजी और वीसी के निर्देशों का पालन करने के लिए निष्ठावान प्रयास किए गए, फिर भी नियंत्रण से परे कारणों से देरी हुई। इसके अलावा, वीसी, डीडीए की स्वीकृति से आबंटियों की शिकायतों के समाधान के लिए आवश्यक समय विस्तार दिया गया और मुकदमों का निपटारा किया गया। साथ ही, सभी औपचारिकताएँ पूरी होने के बाद कब्ज़ा जारी कर दिया गया।

उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि यद्यपि माननीय उपराज्यपाल द्वारा बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन डीडीए द्वारा उनका पालन नहीं किया गया। इसके अलावा, कार्य पूरा करने की समय-सीमा जुलाई 2019 थी, हालाँकि, कार्य जून 2020 तक पूरा नहीं हुआ और देश में कोविड-19 संबंधी प्रतिबंध 23 मार्च 2020 से शुरू हुए, अर्थात जुलाई 2019 से आठ महीने बाद।

---

[81] *जल आपूर्ति और सीवेज उपचार संयंत्र*

[82] *विद्युत कार्य, एसटीपी और अग्निशमन एनओसी*

3.5.7.14 निर्मित आवासों के न बिकने के कारण राजस्व की प्राप्ति न होना

यह देखा गया है कि डीडीए 2017 के बाद से शुरू की गई 10 आवासीय योजनाओं में पेश किए गए अधिकांश फ्लैटों को बेच नहीं पाया है। डीडीए के आवास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक डीडीए के पास 39,904 फ्लैट खाली पड़े हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.17: खाली पड़े फ्लैटों की विभिन्न श्रेणियां और अवरुद्ध इन्वेंट्री की लागत

फ्लैट श्रेणी	खाली पड़े फ्लैटों की संख्या	अनुमानित न्यूनतम निराकरण लागत (करोड़ रुपये में)
एसएफएस/एचआईजी	319	261
एमआईजी	599	301
एलआईजी	30,952	4,380
ईडब्ल्यूएस/जनता	7,624	603
ईएचएस[83] (ए और बी)	410	51
कुल	**39,904**	**5,596**

(स्त्रोत: डीडीए)

यह देखा जा सकता है कि कुल 39,904 खाली फ्लैटों में से, एलआईजी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैटों की संख्या 38,576 है, जो कुल खाली फ्लैटों का 96.7 प्रतिशत है और इनके निराकरण में अवरुद्ध राशि लागत लगभग ₹4,983 करोड़ है।

खाली फ्लैटों के कारणों में फ्लैटों की अधिक लागत, आसपास का वातावरण अच्छा न होना, आस-पास के क्षेत्रों में अधिक किफायती विकल्प उपलब्ध होना, समान आकार के एमआईजी फ्लैटों की तुलना में कम कीमत पर एकीकृत फ्लैट उपलब्ध होना, फ्लैटों का छोटा आकार और खराब विशिष्टताएँ, फ्लैटों का दूरस्थ क्षेत्रों में होना, चल रहे अदालती मामले और बुनियादी ढाँचे/सुविधाओं का प्रावधान न होना शामिल हैं।

इस प्रकार, डीडीए की पूंजी इन परियोजनाओं में अटकी रही और परिणामस्वरूप लगभग ₹5,596 करोड़ का संभावित राजस्व प्राप्त नहीं हुआ। इसके अलावा, समय के साथ फ्लैट टूट-फूट और उपयोग न होने के कारण खराब होने लगे हैं और डीडीए को इन फ्लैटों की देखभाल और रखरखाव पर खर्च करना पड़ रहा है। इस प्रकार किये गये व्यय का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

---

[83] *ईएचएस - विस्तार योग्य आवास योजना।*

मंत्रालय ने कहा (जून 2024) कि 23,955 फ्लैट नवनिर्मित फ्लैट हैं और ये बिना बिके मकान का हिस्सा नहीं हैं क्योंकि इन्हें किसी भी आवास योजना के अंतर्गत पेश नहीं किया गया है। नई सूची में 19,679 एलआईजी और 4,276 ईडब्ल्यूएस फ्लैट हैं। डीडीए ने समय-समय पर मकान के निराकरण के लिए विभिन्न आवास योजनाएं शुरू की हैं, हालांकि, नरेला में अधिकांश मकान बिना बिके हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा कि डीडीए ने आवास योजनाओं के लिए फीडबैक लिया है और बिना बिके मकान को बेचने के लिए कई उपचारात्मक उपाय किए हैं जैसे कि अवसंरचना से संबंधित, मूल्य से संबंधित, नीति से संबंधित, विपणन रणनीति से संबंधित आदि। मंत्रालय ने एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसंबर 2024) में कहा है कि बिना बिके मकान की अद्यतन स्थिति और बिना बिके मकान की समाशोधन के लिए डीडीए द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी डीडीए द्वारा प्रदान की जाएगी।

इस उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि 2017 से शुरू की गई आवास योजनाओं में पिछली आवास योजनाओं का एक बड़ा हिस्सा बिना बिका हुआ था। हालांकि डीडीए ने सुधारात्मक कदम उठाए हैं, फिर भी इसमें बिना बिके हुए स्टॉक का एक बड़ा हिस्सा बचा हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप पूंजी की वसूली नहीं हो पा रही है।

इस संबंध में, आवेदन प्रक्रिया, फ्लैटों की कीमत, आबंटन प्रक्रिया, फ्लैटों का क्षेत्रफल और गुणवत्ता, सुविधाएं आदि से संबंधित 15 प्रश्नों वाली एक सर्वेक्षण प्रश्नावली भी लेखापरीक्षा द्वारा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ उत्तरों के साथ तैयार की गई थी। 2017 और 2021 के बीच शुरू की गई विभिन्न आवास योजनाओं के आबंटियों (प्रत्येक श्रेणी के लगभग 200 फ्लैट) की प्रतिक्रिया मांगी गई और 46 प्रतिक्रियाएं[84] प्राप्त हुईं। प्रतिक्रियाओं से पता चला कि 76 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि कब्जा पत्र जारी करने के समय, बुनियादी सुविधाएं जैसे सीवरेज, पानी की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, संचार लाइनें, स्ट्रीट लाइट आदि उपलब्ध नहीं थीं, जबकि अन्य सेवाओं के संबंध में, 58 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि कब्जा पत्र जारी करने के समय, सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक सेवाएं जैसे पार्क, बस स्टॉप, अस्पताल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल आदि फ्लैटों के स्थान के आसपास उपलब्ध नहीं थीं। इसके अलावा, केवल नौ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि फ्लैट की गुणवत्ता अच्छी थी, जबकि 91 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि यह खराब या औसत थी।

---

[84] ***अस्वीकरण: नमूना आकार छोटा है (1200 में से 46) और यह पूरी आबादी का सही प्रतिनिधि नहीं हो सकता है***

लेखापरीक्षा सर्वेक्षण पर आधारित लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में बताया कि सर्वेक्षण के निष्कर्षों को अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त लेखापरीक्षा दल के निष्कर्षों को उचित कार्रवाई के लिए अभियांत्रिकी , वास्तुकला, वित्त, नियोजन आदि सभी संबंधित विभागों के साथ साझा किया जा रहा है। नई योजनाएँ बनाते समय इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा। आवास सूची के निराकरण हेतु रणनीति सुझाने के लिए नियुक्त रियल एस्टेट सलाहकार के साथ भी सर्वेक्षण साझा किया गया है और प्रतिवेदन में सुधार के सुझाव देते समय इसका उचित उपयोग किया गया है।

3.5.7.15 बिना बिके पार्किंग गैरेज

डीडीए ने प्राधिकरण संकल्प (116/2016) के अंतर्गत कहा कि केवल मूल आबंटियों या उनके कानूनी-उत्तराधिकारियों/उत्तराधिकारियों (म्यूटेटी) और स्व-वित्तपोषण योजना (एसएफएस) फ्लैटों के खरीदारों को ही स्कूटर/कार गैरेज आबंटित किए जाएंगे। इस संकल्प के बाद, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर 1,060 कार गैरेज और 1,070 स्कूटर गैरेज डीडीए द्वारा नीलामी के लिए चिह्नित किए गए। इन गैरेजों की न्यूनतम निराकरण लागत ₹ 78.39 करोड़[85] आंकी गई है।

हालांकि, अपेक्षित जानकारी/अभिलेख के अभाव में, लेखापरीक्षा बिना बिके पार्किंग गैरेजों की वास्तविक संख्या, पार्किंग गैरेजों के आवंटन के मानदंड, पार्किंग गैरेजों के अनधिकृत उपयोग के मामले आदि का निर्धारण नहीं कर सकी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में कहा कि विभिन्न इंजीनियरिंग जोनों से सभी न बिके खाली गैरेजों और पार्किंग स्थलों का विवरण एकत्र कर लिया गया है और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) हटने के बाद आगामी योजनाओं में इन्हें ई-नीलामी के माध्यम से पेश किया जाएगा। पार्किंग गैरेज प्राधिकरण के प्रस्ताव 116/2016 के आधार पर आवंटित किए जाते हैं। भाग लेने के मानदंडों के अनुसार केवल मूल आवंटियों या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/उत्तराधिकारियों (म्यूटेटी) और उस पॉकेट के फ्लैटों के खरीदारों को ही नीलामी में भाग लेने की अनुमति थी जहाँ गैरेज स्थित हैं। दिसंबर 2022 के महीने में डीडीए ने उपलब्ध खाली स्कूटर गैरेजों की ई-नीलामी की और 6 गैरेज आवंटित किए गए। नई आवासीय योजनाओं में पार्किंग के आवंटन के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि

---

[85] गैरेजों का क्षेत्रफल अलग-अलग था, इसलिए लेखापरीक्षा में कार गैरेज और स्कूटर गैरेज के न्यूनतम आरक्षित मूल्य पर विचार किया गया, जिससे कुल न्यूनतम निपटान लागत ₹78.39 करोड़ आंकी गई।

पार्किंग आवंटन फ्लैट आवंटन का हिस्सा है और इसलिए अलग से आवंटन करने की आवश्यकता नहीं है।

इस उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि डीडीए अपने गैरेजों को समय पर बेचने में असमर्थ रहा और केवल छः गैरेज ही बेच सका, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से राजस्व की प्राप्ति नहीं हो सकी।

3.5.7.16 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की एलआईजी फ्लैटों के रूप में बिक्री

डीडीए को आयकर अधिनियम, 1961 की खण्ड 12एए के अंतर्गत 12 जनवरी 2006 के पंजीकरण प्रमाणपत्र के माध्यम से एक "चेरीटेबल संस्था" के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, जो कि कर निर्धारण वर्ष 2003-04 से पूर्वव्यापी प्रभाव से सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में संलग्न है और आयकर अधिनियम, 1961 की खण्ड 11 के अंतर्गत छूट का दावा करने का हकदार है। डीडीए ईडब्ल्यूएस आवास के लिए एक अलग आरक्षित निधि रखता है और उक्त निधि से धन निकालकर दिल्ली के विभिन्न इलाकों में ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण के लिए इसका उपयोग करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 22,494 फ्लैट, जिनकी शुरू में ईडब्ल्यूएस फ्लैट के रूप में रूप-रेखा तैयार की गई थी और निविदा भी ईडब्ल्यूएस फ्लैट के रूप में की गई थी, उन्हें आवास योजना 2014 और 2017 और विशेष आवास योजना 2021 में एलआईजी/एक बेडरूम फ्लैट के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इनमें से अधिकांश फ्लैट (एचएस 2014-11,909 फ्लैट और एचएस 2017-8,570 फ्लैट) बिना बिके रह गए क्योंकि आबंटियों ने विभिन्न कारणों से फ्लैटों को अभ्यर्पण/निरस्त कर दिया, जैसे कि छोटा आकार जो एलआईजी श्रेणी के लिए निर्धारित विनिर्देशों को पूरा नहीं करता, दूरस्थ क्षेत्र में आबंटित फ्लैटों का स्थान, खराब अवसंरचना की उपलब्धता आदि। 2021 की अंतिम आवास योजना (विशेष आवास योजना 2021) के अनुसार, उपर्युक्त 4,717 एलआईजी[86] फ्लैटों की पेशकश की गई थी। इन फ्लैटों के आबंटन या अभ्यर्पण/निरस्तीकरण की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

---

[86] *विशेष आवास योजना 2021 के ब्रोशर के अनुसार, इस योजना के ड्रॉ का डेटा डीडीए द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।*

इसके अलावा, ईडब्ल्यूएस फ्लैटों को एलआईजी फ्लैटों के रूप में वर्गीकृत करने के इस बदलाव के कारण, डीडीए द्वारा एलआईजी के लिए लागू पूर्व-निर्धारित दर लागू की गई। किसी भी स्थान पर एलआईजी फ्लैटों की पूर्व-निर्धारित दर ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की पूर्व-निर्धारित दर से अधिक है। डीडीए ने ईडब्ल्यूएस फ्लैटों पर एलआईजी फ्लैटों के लिए पीडीआर लागू करके इन फ्लैटों पर अतिरिक्त भूमि लागत घटक वसूला। इस प्रकार, डीडीए ने 2014 और 2017 की आवासीय योजनाओं में बेचे गए 14,112 फ्लैटों[87] के लिए आबंटियों से ₹159.95 करोड़ से अधिक की राशि वसूल की।

चूँकि डीडीए ईडब्ल्यूएस हाउसिंग के लिए एक अलग रिजर्व फंड बनाए हुए है और उसमें से ईडब्लूएस फ्लैट्स बनाने पर हुए खर्च को काट रहा है; इसलिए बनाए गए फ्लैट्स को एल आई जी/ एक बेडरूम श्रेणी की सामान्य हाउज़िंग इनवेंटरी मे शामिल करने के बजाय ई डब्लू एस श्रेणी के तहत बिक्री के लिए रखा जाना चाहिए था। इससे न सिर्फ समाज के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लोग दिल्ली मे मामूली दर पर फ्लैट पाने के मौके से वंचित हुए बल्कि इन फ्लैट्स के बिना बिके रहने की वजह से इनवेंटरी भी अवरुद्ध हो गई है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में कहा कि:

i. डीडीए विनियम संख्या 5 (आवास संपदाओं का प्रबंधन और निपटान) विनियम 1968, के अनुसार, किसी संपत्ति का निपटान या तो किराया खरीद या बिक्री या ऐसे अन्य तरीके से और ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन किया जाएगा, जो कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर तय किया जा सकता है।

ii. डीडीए ने आवास योजना 2014 और आवासीय योजना 2017 की घोषणा करते समय समाचार पत्रों और ब्रोशर के माध्यम से फ्लैटों की विशिष्टताओं, जैसे वास्तविक प्लिंथ क्षेत्रफल, अनुमानित लागत, फ्लैटों का क्षेत्रफल, स्थान आदि, का विज्ञापन दिया था। इसके अलावा, आवासीय योजना 2017 में, डीडीए ने रोहिणी सेक्टर 34 और 35, नरेला, सेक्टर जी-2, जी-8, द्वारका, सेक्टर 23-बी और सिरसपुर के इलाकों के लिए आवास की मानक/विशिष्ट इकाई योजना प्रदान की है। इसके अलावा, ये फ्लैट जमीनी स्तर पर निरीक्षण के लिए तैयार

---

[87] ***14112=10748+3364***

थे, और इसलिए, इन फ्लैटों से संबंधित कोई भी जानकारी संभावित खरीदारों से छिपाई नहीं गई।

iii. रियल्टी बाजार में नामकरण की प्रतिक्रिया में एक विपणन रणनीति के रूप में, यह निर्णय लिया गया कि कुछ आवासों का नाम बदलकर "वन बेडरूम" रखा जा सकता है ताकि डीडीए उन्हें बाजार में बेच सके। फ्लैट के आकार, फ्लैट की लागत और अन्य तत्वों के संबंध में सभी पहलुओं की जांच करने के बाद इन फ्लैटों को वन-बेडरूम फ्लैट के रूप में योजना में शामिल करने के मामले पर विचार किया गया था। 2014 की योजना में इन फ्लैटों को शामिल करते समय, प्राधिकरण की मंजूरी के साथ कार्यवृत्त मद संख्या 124/2014 के अंतर्गत इन फ्लैटों को उनके बेहतर विनिर्देशों के कारण एलआईजी/वन-बेडरूम फ्लैट के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया गया था। उपर्युक्त निर्णय के बाद ही इन फ्लैटों को पहली बार एलआईजी/वन बेडरूम फ्लैट के रूप में बिक्री के लिए पेश किया गया था।

iv. ईडब्ल्यूएस आवास के लिए अलग आरक्षित निधि और उसमें से ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के निर्माण पर हुए व्यय को घटाने के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि इन फ्लैटों को योजना के ब्रोशर में एक बेडरूम वाले फ्लैटों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालाँकि व्यय ईडब्ल्यूएस निधि से किया गया था, फिर भी यह तर्क कि ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का नाम बदलकर एलआईजी/एक बेडरूम वाले फ्लैट करने से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिल्ली में मामूली दर पर फ्लैट पाने के अवसर से वंचित किया गया, इस आधार पर इतना तर्कसंगत नहीं है कि इस तरह के नाम बदलने के बावजूद लक्षित खरीदार मुख्य रूप से निम्न-आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग थे। इसके अलावा, उक्त ईडब्ल्यूएस निधि डीडीए के आरक्षित निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा बनाई गई थी और ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के वित्तपोषण के लिए कोई अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है**।** इसके बाद, डीडीए ने विभिन्न स्थानों पर स्थित हाउसिंग एस्टेट्स में ईडब्ल्यूएस के लिए फ्लैटों का प्रावधान भी किया है। यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भी 4,000 से अधिक ईडब्ल्यूएस फ्लैट उपलब्ध हैं।

v. इसके अलावा, जैसा कि दर्शाया गया, आबंटियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया गया तथा फ्लैट की लागत फ्लैट के आकार के आधार पर प्रचलित मानक लागत नीति के अनुसार निर्धारित की गई।

मंत्रालय के उत्तर को निम्नलिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है:

i. इन एक-बेडरूम वाले फ्लैटों को शुरू में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के रूप में रेखा-चित्रित और निर्मित किया गया था। हालाँकि प्राधिकरण किसी भी उपयुक्त तरीके से फ्लैट बेचने के लिए सक्षम है, लेकिन ईडब्ल्यूएस फ्लैटों को एक-बेडरूम/एलआईजी के रूप में बेचने का प्रावधान आवास विनियम, 1968 में नहीं है।

ii. इन फ्लैटों को ब्रोशर में वन बेडरूम/एलआईजी फ्लैट के रूप में विज्ञापित किया गया था। यहाँ तक कि, इन फ्लैटों के अभ्यर्पण/निरस्तीकरण के समय भी, आबंटियों/आरडब्ल्यूए ने डीडीए को अभ्यावेदन दिया कि ईडब्ल्यूएस फ्लैटों को एलआईजी फ्लैट के रूप में बेचा जा रहा है।

iii. इन ईडब्ल्यूएस फ्लैटों को एलआईजी/एक-बेडरूम फ्लैटों के रूप में वर्गीकृत किए जाने के कारण, इन फ्लैटों की कीमत बढ़ गई। इस प्रकार, निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग ईडब्ल्यूएस आवास के लिए आरक्षित निधि से निर्मित फ्लैटों के स्वामित्व से वंचित रह गए। उत्तर के मद्देनजर, आवास योजना 2014 के ईडब्ल्यूएस फ्लैटों, जिन्हें एलआईजी/एक-बेडरूम फ्लैटों के रूप में बेचा जाना था, के उच्च विनिर्देशों का विवरण मांगा गया था, लेकिन लेखापरीक्षा को यह उपलब्ध नहीं कराया गया। इसलिए, लेखापरीक्षा में दोनों श्रेणियों के विनिर्देशों के बीच अंतर का पता नहीं लगाया जा सका।

iv. चूंकि डीडीए ईडब्ल्यूएस आवास के लिए एक अलग आरक्षित निधि बनाए रखता है और उससे ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के निर्माण पर व्यय करता है, इसलिए निर्मित फ्लैटों को एलआईजी/एक बेडरूम श्रेणी की सामान्य आवास सूची के अंतर्गत शामिल करने के बजाय विशिष्ट ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत ही बेचा जाना चाहिए था।

v. डीडीए ने इन फ्लैटों पर ईडब्ल्यूएस के बजाय एलआईजी के लिए पूर्व-निर्धारित दरें लगाई हैं। चूँकि एलआईजी फ्लैटों के लिए पीडीआर ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के पीडीआर से अधिक है, इसलिए डीडीए ने आबंटियों से इन फ्लैटों के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया है।

3.5.7.17 संपत्तियों में अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियाँ

डीडीए के आवास विभाग के अवलोकन के अनुसार, आवास विभाग का एक कार्य डीडीए के विकास क्षेत्र में फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण और दुरुपयोग को रोकना है। विभाग डीडीए अधिनियम, 1957 के अंतर्गत आवासीय फ्लैटों के दुरुपयोग के मामलों में अभियोजन शुरू करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 125 मामले[88] (फरवरी 2020) ऐसे थे जहां संपत्तियों में अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों की सूचना मिली थी। इस संबंध में, जारी किए गए नोटिस, दर्ज किए गए मामले और उन पर की गई कार्रवाई, व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने/रोकने पर हुआ कुल व्यय, जुर्माने के रूप में वसूल की गई कुल राशि, त्रुटिकर्ता आबंटियों जो व्यावसायिक गतिविधियों/संपत्तियों के दुरुपयोग के कारण भुगतान का दावा जमा करने में विफल रहे, से संबंधित अभिलेख डीडीए के पास उपलब्ध नहीं थे। बुनियादी अभिलेख के अभाव में, यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या डीडीए द्वारा ऐसे सभी मामलों में समय पर और पर्याप्त कार्रवाई शुरू की जा रही थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में कहा है कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे मामलों में, इन आवासीय फ्लैटों में वाणिज्यिक गतिविधियों को रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं और अनधिकृत निर्माण/गतिविधि को हटाने तक इन फ्लैटों के फ्रीहोल्ड रूपांतरण के लिए कोई और कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसे फ्लैट मालिकों से भी नुकसान और दुरुपयोग शुल्क भी वसूल किए जाते हैं। इसके अलावा, डीडीए के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के लिए, अर्थात अधिसूचित क्षेत्र, डीडीए द्वारा कार्रवाई की जाती है, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में जिन्हें गैर-अधिसूचित किया गया है, वाणिज्यिक गतिविधियों को रोकने के लिए कार्रवाई संबंधित नगर निगम द्वारा की जाती है। ऐसे सभी मामलों में उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन किया जाता है। चूंकि यहां संदर्भित सभी 125 मामलों की जानकारी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उन मामलों के लिए एक परीक्षण जांच की गई थी जहां अनधिकृत वाणिज्यिक गतिविधियों की सूचना दी गई है। नौ मामलों में जहां दुरुपयोग पत्र जारी किए गए थे, यह पाया गया कि छः मामलों में, आवेदक द्वारा दुरुपयोग शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और शेष तीन मामलों में फ्रीहोल्ड रूपांतरण नहीं किया गया है।

उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि हालांकि 125 फ्लैटों में अनधिकृत वाणिज्यिक गतिविधियों पर डीडीए ने ही ध्यान दिया था, लेकिन यह इन संपत्तियों का पता लगाने में असमर्थ है। इसके अलावा, डीडीए ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 125 मामलों में से केवल नौ मामलों में कार्रवाई की है।

---

[88] *जनता फ्लैट्सः 1 और एमआईजी/एलआईजी/ईएचएस फ्लैट्सः 124 मामले*

मंत्रालय ने निकास सम्मलेन /एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसंबर 2024) में कहा कि फ्लैटों के अनधिकृत कब्जे और डीडीए द्वारा उठाए गए कदमों की अद्यतन स्थिति डीडीए द्वारा प्रदान की जाएगी।

अनुशंसा संख्या 19: डीडीए पहले की आवासीय योजनाओं में जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के बाद आबंटन के लिए पुराने फ्लैटों को फिर से शुरू करना सुनिश्चित कर सकता है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि नई आवास योजनाओं में आवासों के निर्माण/शुभारंभ के दौरान भी इसी तरह की समस्याओं का समाधान किया जाए।

अनुशंसा संख्या 20: डीडीए यह सुनिश्चित करे कि ईडब्ल्यूएस आवास के लिए आरक्षित निधि का उपयोग विशेष रूप से ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के निर्माण के लिए किया जाए न कि किसी अन्य प्रकार के फ्लैटों के लिए।

अनुशंसा संख्या 21: डीडीए खाली गैरेज का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करे और अनधिकृत वाणिज्यिक गतिविधियों को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण करे।

च. आंतरिक नियंत्रण और निगरानी

आंतरिक नियंत्रण गतिविधियाँ एक अभिन्न प्रक्रिया है जो किसी इकाई के प्रबंधन द्वारा रेखा-चित्रित और कार्यान्वित की जाती है। आंतरिक नियंत्रण, प्रबंधन द्वारा अपनाई गई नीतियों और प्रक्रियाओं के आधार पर इकाई के उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन की सहायता करते हैं।

आंतरिक नियंत्रण उन गतिविधियों और सुरक्षा उपायों का गठन करते हैं जो किसी इकाई में यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए जाते हैं कि गतिविधियाँ प्रबंधन की नीतियों के पालन, व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, और धोखाधड़ी और त्रुटि की रोकथाम और पता लगाने के लिए योजना के अनुसार आगे बढ़ रही हैं। प्रभावी आंतरिक नियंत्रण किसी संगठन की सफलता और सुशासन के लिए एक पूर्वापेक्षा है।

लेखापरीक्षा ने डीडीए द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण और निगरानी प्रणाली की जाँच की और आवश्यकता, सामर्थ्य, गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए आवास इकाइयों के विकास और आबंटन के लिए प्रणाली की प्रभावशीलता और दक्षता का आकलन किया।

3.5.7.18 एमपीडी 2021 की गतिविधियों की निगरानी और समीक्षा

एम.पी.डी. 2021 के अध्याय 18.0 (योजना समीक्षा और निगरानी) में कहा गया है कि योजना का कार्यान्वयन तभी प्रभावी हो सकता है जब उचित अवधि पर उसकी निगरानी और समीक्षा की जाए।

(i) समीक्षा में असंगतता

एमपीडी 2021 के पैरा 18.5 में कहा गया है कि निर्धारित प्रबंधन कार्य समूहों[89] और निगरानी इकाई की सहायता से योजना की समयबद्ध समीक्षा से, योजना नीतियों और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में, यदि आवश्यक हो, मध्यावधि सुधार और परिशोधन सुनिश्चित होंगे, जिससे योजना में उन घटनाओं को पुनः समायोजित करने में मदद मिलेगी जिनका योजना निर्माण के दौरान पूर्वानुमान या अनुमान नहीं लगाया जा सका था। यदि योजना की समयबद्ध निगरानी और उचित समीक्षा की जाए, तो नीतियों को शहर के लोगों की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार सही दिशा में ढाला जा सकता है।

एमपीडी-2021 के अनुसार, समाज की तेजी से बदलती आवश्यकताओं के साथ तालमेल रखने के लिए योजना की समीक्षा पांच साल के अंतराल पर की जानी चाहिए। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि एमपीडी 2021 की अधिसूचना के बाद से, फरवरी 2007 में, 2011-14 की अवधि के लिए एक मध्यावधि समीक्षा (23 सितंबर 2011) की गई थी। डीडीए ने अपने उत्तर (जून 2022) में कहा कि एमपीडी की आवधिक समीक्षा और निगरानी भी वर्ष 2017 में शुरू की गई है, हालांकि, डीडीए ने 2017 में समीक्षा आयोजित करने के अपने दावे की पुष्टि नहीं की। इस मुद्दे पर सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2016 में भी टिप्पणी की गई थी, हालांकि, डीडीए ने 2014 के बाद एमपीडी की आवधिक समीक्षा करने के लिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में कहा कि विभिन्न समितियां जैसे एचएलसी, प्रबंधन कार्रवाई समूह आदि 2007 और 2014 में पहले से ही मौजूद थी। लेखापरीक्षा द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद, अब डीडीए द्वारा नवंबर 2023 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन

---

[89] *जनसांख्यिकी, भूमि उपयोग, आवास, सामाजिक अवसंरचना परिवहन, आर्थिक पहलू, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाओं के लिए।*

किया गया है, जिसकी अध्यक्षता माननीय एलजी करेंगे, जिसका उद्देश्य दिल्ली मास्टर प्लान - 2021 की निगरानी और समीक्षा करना है।

उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि 2007 से 2023 तक 16 वर्षों की अवधि के दौरान केवल एक मध्यावधि समीक्षा की गई थी।

ii) प्रबंधन सूचना प्रणाली का अभाव

प्रबंधन सूचना प्रणाली सूचना सृजन, संचार, समस्या की पहचान करने में भूमिका निभाती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में मदद करती है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि डीडीए में निगरानी और दस्तावेज़ीकरण में कमी थी। यहां तक कि आवास स्टॉक की संख्या और विवरण के लिए भी दोनों विभागों (अभियांत्रिकी और आवास) के बीच बेमेलता थी। मुख्य विकास योजना, जोनल प्लान , आवास योजनाओं की प्रगति और बिना बिक्री इन्वेंट्री और लैंड पॉकेट्स के प्रबंधन की समीक्षा के लिए कोई एमआईएस विकसित और नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया था। कार्यों की प्रगति के बारे में उप-अध्यक्ष, एलजी कार्यालय और एमओएचयूए को प्रस्तुत एमआईएस से संबंधित कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। उचित एमआईएस के अभाव में, डीडीए के उच्च प्रबंधन को नियमित रूप से मुद्दों के बारे में अवगत नहीं कराया गया और त्वरित नीतिगत निर्णय नहीं लिए जा सके।

लेखापरीक्षा की टिप्पणी को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में कहा कि नए आवास पोर्टल के माध्यम से एक मजबूत एमआईएस प्रणाली होने और आवश्यक परिशोधन किए जाने के संबंध में लेखापरीक्षा की टिप्पणी को विधिवत संज्ञान में ले लिया गया है।

इस उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि एमपीडी 2021 की उचित निगरानी के लिए कोई एमआईएस मौजूद नहीं था और लेखापरीक्षा द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद एमपीडी 2041 के लिए इसे शुरू किया गया था।

3.5.7.19 समन्वय में कमी

(i) अन्य सरकारी अभिकरणों के साथ समन्वय की कमी

एमपीडी योजना 2021 के अध्याय 19 में, सेवा प्रदाता एजेंसियों द्वारा समयबद्ध तरीके से जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, बिजली, परिवहन आदि के प्रासंगिक अवसंरचना के प्रावधान की समग्र निगरानी में डीडीए और/या सरकार सहित अन्य की भूमिका का उल्लेख है।

एमपीडी योजना 2021 की समीक्षा पर सलाहकार समूह की पहली बैठक (23 सितंबर 2011) में, सदस्यों ने स्थानीय क्षेत्र नियोजन प्रक्रिया और योजनाओं के कार्यान्वयन में अन्य प्रमुख विभागों, जैसे परिवहन, पर्यावरण आदि के साथ बेहतर समन्वय की सलाह दी।

इसके बाद, एमपीडी योजना 2021 की समीक्षा पर सलाहकार समूह की तीसरी बैठक (12 जनवरी 2012) में, नियोजन आयुक्त ने बताया कि सभी स्थानीय सेवा प्रदाता एजेंसियों, जैसे दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम और बिजली विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार आदि को पत्र और अनुस्मारक भेजने के बावजूद, 2007-11 के दौरान उनके द्वारा किए गए संवर्द्धन कार्यों और 2011-16 की कार्य योजना के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

एमपीडी 2021 की समीक्षा पर सलाहकार समूह की चौथी बैठक (23 फरवरी 2012) में, वीसी, डीडीए ने भौतिक अवसंरचना के आपूर्ति पक्ष में सुधार करने का सुझाव दिया और सभी संबंधित एजेंसियों को एमपीडी 2021 में शामिल करने के लिए 2021 तक के लक्ष्यों को परिशोधित करने के लिए कहा।

हालाँकि, डीडीए ने सलाहकार समूह के सुझावों पर अन्य सेवा प्रदाता अभिकरणों द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी नहीं दी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में बताया कि डीडीए द्वारा नवंबर 2023 में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता माननीय उपराज्यपाल करेंगे, जिसका उद्देश्य दिल्ली मास्टर प्लान-2021 की निगरानी और समीक्षा करना है। यह समिति, अपनी अधिसूचना पर, एमपीडी-2041 की निगरानी के लिए प्रस्तावित उच्च-स्तरीय समिति के सभी कार्यों को अपने में समाहित कर लेगी।

इस उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि एमपीडी-2021 के प्रावधानों के उल्लंघन में डीडीए और अन्य सेवा प्रदाता एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव था।

(ii) डीडीए के विभागों के बीच समन्वय की कमी

अभियांत्रिकी प्रभाग विभिन्न आवासीय योजनाओं में विमोचन के लिए नवनिर्मित फ्लैटों को आवास विभाग को सौंपता है। डीडीए के आवास विभाग और अभियांत्रिकी प्रभाग में खाली पड़े आवासो फ्लैटों / का श्रेणीवार विवरण, जैसा कि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया है, नीचे दिया गया है:

तालिका 3.18: अभियांत्रिकी और आवास विभाग के बीच आवास इकाइयों की असंगतता

फ्लैटों/आवासों की श्रेणी	खाली घरों/फ्लैटों की संख्या		अंतर
	आवास विभाग के अनुसार	अभियांत्रिकी विभाग के अनुसार	
एसएफएस	166	-	166
ईएचएस	402	-	402
एचआईजी[90]	246	346	100
एमआईजी	1,441	1,132	309
निम्न आय वर्ग	31,958	10,449	21,509
ईडब्ल्यूएस/जनता	9,383	3,964	5,419
कुल	**43,596**	**15,891**	**27,905**

(स्त्रोत: डीडीए)

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि आवास विभाग के अनुसार कुल खाली फ्लैट/मकान 43,596 थे और अभियांत्रिकी विभाग के अनुसार 15,891 थे। इस प्रकार, डीडीए के इन दोनों विभागों के बीच फ्लैट/आवासों की छः श्रेणियों की सूची में 27,905 फ्लैट/आवासों का अंतर था।

डीडीए ने खाली फ्लैट/आवासों की उपलब्धता के आकलन के लिए अपनाई गई पद्धति के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। इसके अलावा, डीडीए द्वारा आवास विभाग और डीडीए की अभियांत्रिकी प्रभाग द्वारा बनाए गए खाली फ्लैट/आवासों के आंकड़ों में अंतर को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में कहा कि यह असंगतता मुख्य रूप से 23,955 फ्लैटों को शामिल न करने के कारण है, जो नवनिर्मित फ्लैट हैं और बिना बिके इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं हैं क्योंकि ये किसी भी आवास योजना के अंतर्गत पेश नहीं किए गए हैं और इन्हें अभियांत्रिकी विभाग के प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण यह

---

[90] *इंजीनियरिंग प्रभाग ने एसएफएस+एचआईजी =346 दिए*

विसंगति उत्पन्न होती है। अभियांत्रिकी शाखाओं में फ्लैटों की रिक्तियां हैं, जिनमें आबंटियों द्वारा भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है। हालांकि, आवास शाखाओं में, एक बार मांग सह आबंटन पत्र जारी होने के बाद, स्थिति को आबंटित के रूप में दिखाया जाता है। कब्जा पत्र जारी होने के बाद भी, कभी-कभी कार्यस्थल पर भौतिक कब्जा लेने में देरी होती है। इसलिए, इन विसंगतियों के कारण, आवास विभाग में एडब्ल्यूएएएस पोर्टल पर फ्लैटों का आबंटन तो हो जाता है, लेकिन साइट पर भौतिक कब्जा नहीं लिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अभियांत्रिकी विभाग में फ्लैटों को खाली घोषित कर दिया जाता है।

इसके अलावा, नया आवास सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है और इन्वेंटरी मॉड्यूल विकास के चरण में है। यह सभी विभागों के साथ अभिलेख के समन्वय वाले एमआईएस के साथ इन्वेंट्री की सटीक निगरानी को सक्षम करेगा। हालाँकि, आवश्यक संशोधनों के साथ नए आवास पोर्टल के माध्यम से एक मजबूत एमआईएस प्रणाली होने के लिए लेखापरीक्षा की टिप्पणी को विधिवत नोट किया गया है।

उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा शामिल नहीं किए गए 23,955 नवनिर्मित फ्लैटों पर विचार करने के बाद भी, आवास विभाग द्वारा अभियांत्रिकी विभाग की तुलना में 3,950 खाली फ्लैटों का अंतर मौजूद है। इसके अलावा, यह उत्तर कि अभियांत्रिकी विभाग फ्लैटों को तब तक खाली दिखाता है जब तक कि भौतिक कब्जा नहीं ले लिया जाता है और आवास विभाग मांग सह आबंटन पत्र जारी होने के बाद फ्लैटों को आबंटित दिखाता है, इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में अभियांत्रिकी विभाग के पास आवास विभाग की तुलना में अधिक संख्या में खाली फ्लैट होने चाहिए।

3.5.7.20 तृतीय-पक्ष गुणवत्ता आश्वासन

सीपीडब्ल्यूडी के पत्र (11 फ़रवरी 2015) के अनुसार, इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि तृतीय-पक्ष गुणवत्ता आश्वासन (टीपीक्यूए) आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एक अनिवार्य नीति है और इसे ₹ पाँच करोड़ से अधिक लागत वाले सभी कार्यों के लिए अनिवार्य रूप से लागू किया जाना है। इसके अलावा, डीडीए के एक परिपत्र (17 मई 2010) के अनुसार, ₹ दो करोड़ से अधिक लागत वाले कार्यों के लिए तृतीय-पक्ष गुणवत्ता आश्वासन किया जाना था।

छः चयनित परियोजनाओं में से दो कार्यों पी11 (नरेला) और पी12 (नरेला) में, डीडीए ने अपने ही नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी भी टीपीक्यूए एजेंसी को नियुक्त नहीं किया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में बताया कि इस परियोजना के लिए टीपीक्यूए परामर्शदाता नियुक्त करने के प्रयास किए गए हैं। लेकिन उपलब्ध एजेंसियों की उदासीन प्रतिक्रिया के कारण, योग्य सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म की नियुक्ति नहीं की जा सकी। उपलब्ध एजेंसियों को आमंत्रित करने के बाद, प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए एक सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा गया था, लेकिन किसी भी सरकारी एजेंसी की अनुपलब्धता के कारण, प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। हालाँकि, जहाँ तक कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रश्न है, यह प्रस्तुत है कि कार्य का नियमित रूप से निरीक्षण डीडीए के गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (क्यूएसी) के साथ-साथ मुख्य तकनीकी परीक्षक (सीटीई) द्वारा किया गया था।

उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि पहली निविदा में सबसे कम बोली लगाने वाली सरकारी एजेंसी के बावजूद, उदासीन प्रतिक्रिया के आधार पर निविदाओं को अस्वीकार कर दिया गया था। दूसरी बार, सबसे कम बोली लगाने वाली एक निजी फर्म को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि सरकारी एजेंसियों या प्रतिष्ठित संस्थानों को नियुक्त किया जाना है; भले ही एनआईटी के अनुसार किसी भी सरकारी या प्रतिष्ठित निजी फर्म को टीपीक्यूए के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

3.5.7.21 अभिलेखों का अनुचित रखरखाव

डीडीए के आवास विभाग में यह पाया गया कि निम्नलिखित अभिलेख अर्थात कब्जा पत्र रजिस्टर (पीएल), संपत्ति रजिस्टर और अन्य सूची अभिलेख आदि का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में विस्तार से बताया गया है:

तालिका 3.19: आवास विभाग में विभिन्न अभिलेखों का अनुचित रखरखाव

अभिलेख	अभिलेखों के रखरखाव में विसंगतियां
कब्ज़ा पत्र (पीएल) रजिस्टर	• आवास योजनावार पीएल रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था, • पीएल की प्रविष्टियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित/समीक्षित नहीं किया गया था, • पीएल जारी करने में देरी के कारणों को भी रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था, • पीएल रजिस्टर के रखरखाव के लिए किसी निर्धारित प्रारूप का पालन नहीं किया गया था।

संपत्ति रजिस्टर	• संपत्ति रजिस्टर (एचआईजी, एमआईजी, एलआईजी और ईडब्ल्यूएस) बनाए तो गए थे, लेकिन निर्धारित प्रारूप में नहीं, जिसमें विशिष्ट विवरण जैसे क्षेत्रफल, उपयोग योग्य फर्श क्षेत्र, निर्माण की तिथि, निर्माण का प्रकार आदि रजिस्टर में अंकित नहीं थे। • निरस्त/अभ्यर्पित फ्लैटों की प्रविष्टियों का रजिस्टर में सत्यापन/प्रमाणीकरण नहीं किया गया था। • निरस्त /अभ्यर्पित फ्लैटों के लिए कोई टिप्पणी/कारण रजिस्टर में अंकित नहीं थे। • कुछ फ्लैटों के विरुद्ध रिक्त प्रविष्टियाँ थीं। • कई मामलों में कब्जा पत्र जारी करने की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया था। • एसएफएस से एमआईजी में स्थानांतरित फ्लैटों की प्रविष्टियाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थीं।
अन्य अभिलेख	• डीडीए की अलग-अलग शाखाओं, जैसे एसएफएस, ईएचएस, एचआईजी, एलआईजी, एमआईजी और ईडब्ल्यूएस/जनता, द्वारा फ्लैटों का इन्वेंटरी रजिस्टर, • संपत्ति के दुरुपयोग का अभिलेख /रजिस्टर, • सक्षम प्राधिकारी द्वारा आबंटियों को समय विस्तार (ईओटी) प्रदान करने का रजिस्टर, • आगामी/अगली आवासीय योजना में रखे जाने हेतु अभ्यर्पण/निरस्त किए गए फ्लैटों का रजिस्टर नहीं रखा गया था।

चूँकि फ्लैटों के कब्जे का अभिलेख उचित तरीके से नहीं रखा जा रहा था, इसलिए आबंटित फ्लैटों की सही स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। संपत्ति रजिस्टर में रिक्त प्रविष्टियों से यह पता नहीं चल सका कि फ्लैट आबंटित/समर्पित/बिके हुए थे या नहीं। यह भी पता नहीं चल सका कि खाली/अभ्यर्पण किये गए फ्लैट आवास योजना में शामिल थे या नहीं।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में कहा कि लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को विधिवत नोट कर लिया गया है और जहाँ भी आवश्यक होगा, आवश्यक संशोधनों के साथ आवास पोर्टल में डिजिटल अभिलेख के माध्यम से उनका अनुपालन किया जाएगा।

उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि अभिलेखों का रखरखाव न करने के कारण, डीडीए अपनी सूची और अपने फ्लैटों के आबंटन की स्थिति का उचित अभिलेख नहीं रख सका।

3.5.7.22 अप्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा और लाल संकेतों के प्रति असंवेदनशीलता

डीडीए में एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा है जिसमें मुख्य लेखा अधिकारी, निदेशक (लेखापरीक्षा), वरिष्ठ लेखा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी शामिल हैं। डीडीए की आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई विभिन्न लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों का आंतरिक विभागीय निरीक्षण करती है। आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई कार्यालय की विभिन्न शाखाओं और अनुभागों द्वारा किए गए कार्यों की जाँच करती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे निर्धारित प्रक्रियात्मक नियमों और विनियमों का किस हद तक पालन कर रहे हैं और कार्यालय की कुशल इकाइयों के रूप में सामान्य कार्यप्रणाली कैसी है। लेखापरीक्षा दल अपने आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन आंतरिक लेखापरीक्षा (मुख्यालय) प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुल फ्लैटों की संख्या, अभ्यर्पण/निरस्त किए गए फ्लैटों के बारे में कोई जानकारी न होने जैसे मुद्दों पर आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा टिप्पणी की गई थी। इसके अलावा, लक्षित निर्माण और आवासों के आबंटन की निगरानी के लिए तंत्र की अनुपलब्धता, अनाधिकृत निर्माण, निगरानी शुल्क और खाली फ्लैटों का सर्वेक्षण न करने जैसे मुद्दों पर भी टिप्पणी की गई थी। यह भी पाया गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा नियमित रूप से विभिन्न अभिलेखों जैसे संपत्ति रजिस्टर, कब्जा पत्र जारी करने वाले रजिस्टर आदि के अनुचित रखरखाव के बारे में बता रही थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2024 तक 18,569 आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा लंबित थे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.20: वर्षवार बकाया पैरा

वर्ष	वर्ष की शुरुआत में बकाया पैरा की संख्या	जोड़े गए नए पैरा	निपटान किये गए /हटाये गए पैरा	वर्ष के अंत में बकाया पैरा
2017-18	16,410	1,433	188	17,655
2018-19	17,655	1,191	73	18,773
2019-20	18,773	420	24	19,169
2020-21	19,169	199	275	19,093
2021-22	19,093	302	21	19,374
2022-23	19,374	563	24	19,913
2023-24	19,913	698	2,042	18,569

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि आंतरिक लेखापरीक्षा के लंबित पैरा के संचय में वृद्धि की प्रवृत्ति थी। हर साल लंबित पैरा की बढ़ती संख्या यह दर्शाती है कि विभिन्न अनुभाग आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में उचित सुधारात्मक कार्रवाई नहीं कर रहे थे। इसी प्रकार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) लेखापरीक्षा के 1,540 पैरा[91] (31 मार्च 2024 तक) भी लंबित रहे।

इस प्रकार, आंतरिक लेखापरीक्षा के साथ-साथ बाह्य लेखापरीक्षा में उठाए गए मुद्दों का गैर-अनुपालन और लंबित पैरा की उच्च संख्या ने डीडीए में आंतरिक नियंत्रण की अप्रभावीता का संकेत दिया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में कहा कि शुरुआत में लेखा विभाग में श्रमशक्ति की कमी और कोविड महामारी की पहली और दूसरी लहर के प्रभाव के कारण, लंबित लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के निपटान के कार्य में देरी हुई। लंबित लेखापरीक्षा पैरा के निपटान के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार की गई और सख्त समयबद्ध अनुपालन के लिए सभी संबंधितों को परिचालित की गई। इसके अलावा, एफएम, डीडीए के अनुमोदन से लंबित लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के निपटान के लिए निदेशक (लेखापरीक्षा) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, उम्मीद है कि डीडीए अब बहुत जल्द इन लंबित पैरा की संख्या को कम करने की स्थिति में होगा।

इस उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि डीडीए में सुधारात्मक कार्रवाई के अभाव और अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण के कारण अभी भी कई पैरा निपटान के लिए लंबित हैं।

मंत्रालय ने एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसंबर 2024) में डीडीए को सभी पुराने लंबित पैरा के निपटान के लिए एक आंतरिक समिति बनाने का निर्देश दिया।

अनुशंसा संख्या 22: डीडीए को सभी निर्धारित अभिलेखों को बनाए रखना चाहिए और उनकी पूर्णता, सटीकता, समय पर अद्यतन और उचित रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए। सभी विवरणों और वर्तमान स्थिति के साथ फ्लैटों का एक व्यापक डेटाबेस भी बनाए रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, अभिलेखों के महत्व, उम्र और मात्रा को ध्यान में रखते हुए, डीडीए को अपने अभिलेखों के डिजिटलीकरण को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए।

[91] डीडीए के योजना/एचयूपीडब्ल्यू प्रभाग, एफए (आवास), इंजीनियरिंग प्रभाग और आवास विभाग से संबंधित पैरा।

अनुशंसा संख्या 23: डीडीए अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ अपने स्वयं के विभागों के साथ समन्वय और सहयोग के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करे । एक प्रभावी तंत्र भी विकसित किया जाए जहां डीडीए और अन्य सरकारी एजेंसियों के बीच सभी लंबित मुद्दों का निपटारा किया जाता है।

सिफ़ारिश संख्या 24: डीडीए को आवास गतिविधियों की प्रभावी आंतरिक निगरानी के लिए प्रभावी प्रबंधन सूचना प्रणाली को लागू करने की आवश्यकता है और आंतरिक लेखापरीक्षा तथा अन्य लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए जोखिम क्षेत्रों पर भी कार्य करना चाहिए।

सारांश

एमपीडी 2021 को छः साल से अधिक की देरी के बाद अधिसूचित किया गया था और परिणामस्वरूप, उक्त योजना की प्रभावी कार्यान्वयन अवधि घटकर केवल 15 वर्ष रह गई थी। 16 ज़ेडडीपी को अंतिम रूप देने में भी देरी हुई और आज तक जोन 'डी' के ज़ेडडीपी को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। योजना अवधि के दौरान विकसित किए जाने वाले डीयू की संख्या के लिए डीडीए द्वारा कोई आंतरिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। आवास परियोजनाओं को अंतिम रूप देने/निर्माण से पहले मांग सर्वेक्षण की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में फ्लैट अभ्यर्पण/निरस्त हुए। क्षेत्र को प्लिंथ क्षेत्र या कारपेट क्षेत्र के रूप में परिभाषित करने में स्पष्टता का अभाव था। समय पर कार्रवाई की कमी के कारण भूमि पर अतिक्रमण हुआ। बेहतर भूमि उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई न्यूनतम घनत्व निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

एक चयनित कार्य में अनुमानित लागत की गणना त्रुटिपूर्ण थी, जिसके कारण निविदा प्रक्रिया बाधित हुई। एनआईटी में समान कार्य को निर्दिष्ट नहीं किया गया था, और इस प्रकार संविदाकार की पात्रता सीपीडब्ल्यूडी नियमावली का उल्लंघन थी। सभी छः चयनित कार्यों में तकनीकी कर्मचारियों की योग्यता और अनुभव से संबंधित आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। संविदाकार को किए गए भुगतान में अनियमितताएं भी पाई गईं, जैसे कि हरित कर, पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क की प्रतिपूर्ति और मूल्य वृद्धि का भुगतान।

डीडीए ने लागत-लाभ विश्लेषण करने और लाभ-हानि दर निकालने के लिए परियोजना के क्षेत्रफल पर विचार किया, हालाँकि लागत-लाभ विश्लेषण के संबंध में विचार के क्षेत्रफल और व्यय के आंकड़ों में विसंगतियाँ थीं। डीडीए ने फ्लैट की निपटान लागत निकालने के लिए भूमि लागत और निर्माण लागत के अलावा लगभग 40 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया।

कई मामलों में, डीडीए ने असफल/अभ्यर्पित आवेदकों को फ्लैटों के आवेदन का पैसा वापस नहीं किया।

जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान किए बिना पुराने फ्लैटों को बिक्री के लिए रख दिया गया और आवश्यक बुनियादी ढाँचा सुविधाओं की उपलब्धता के बिना ही फ्लैटों का आबंटन जनता को कर दिया गया। डीडीए ने ईडब्ल्यूएस फ्लैटों को एलआईजी/एक बेडरूम फ्लैट के रूप में बेचा, जो चेरीटेबल श्रेणी के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों के अपेक्षित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा, बड़ी संख्या में फ्लैटों की बिक्री न होने के कारण निर्माण लागत का एक बड़ा हिस्सा अवरुद्ध रह गया और परिणामस्वरूप इससे प्राप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो सका।

एमपीडी 2021 के अंतर्गत सूचीबद्ध गतिविधियों की निरंतर निगरानी और समीक्षा नहीं की गई क्योंकि कोई समर्पित निगरानी इकाई स्थापित नहीं की गई थी। अन्य सरकारी अभिकरणों के साथ समन्वित और समन्वित दृष्टिकोण का भी अभाव था। प्रचलित प्रबंधन सूचना प्रणाली का पालन भी अपर्याप्त पाया गया क्योंकि महत्वपूर्ण अभिलेखों और रजिस्टरों का या तो रखरखाव नहीं किया गया था या उनका रखरखाव सही ढंग से नहीं किया गया था। इसके अलावा, टीपीक्यूए की भागीदारी न होने के कारण कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में किसी तीसरे पक्ष से आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सका।

अध्याय-IV: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

कयर बोर्ड

4.1 कयर उद्योग के विकास के लिए कयर बोर्ड की गतिविधियाँ

4.1.1 प्रस्तावना

कयर बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना 1954 में भारत सरकार द्वारा कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (अधिनियम) के अंतर्गत कोच्चि में स्थित मुख्यालय के साथ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कयर उद्योग का विकास करना था। यह बोर्ड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार (मंत्रालय) के अधीन कार्य करता है और इसमें अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कयर उत्पादक[92] और निर्यातक[93] है। 2018-19 से 2022-23 के दौरान, भारत ने ₹17,597.16 करोड़ मूल्य के कयर और कयर उत्पादों का निर्यात किया।

4.1.2 कयर बोर्ड की वित्तीय स्थिति

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान बोर्ड की आय और व्यय तालिका 4.1 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 4.1: 2018-19 से 2022-23 के दौरान कयर बोर्ड का वित्तीय प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बिक्री/सेवाओं से आय	4.47	4.06	2.68	2.10	6.16
अनुदान/सब्सिडी	86.12	67.13	95.81	77.92	85.25
अन्य आय	1.36	2.42	1.89	1.5	10.69
योग आय	**91.95**	**73.61**	**100.38**	**81.52**	**102.10**
स्थापना/प्रशासनिक व्यय	64.2	228.61	104.74	54.57	79.48
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	12.88	11.75	14.34	9.59	4.69
अन्य व्यय	1.15	1.26	3.06	1.39	1.54
योग व्यय	**78.23**	**241.62**	**122.14**	**65.55**	**85.71**
अधिशेष/घाटा	**13.72**	**-168.01**	**-21.76**	**15.97**	**16.39**

स्रोत: बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन।

---

[92] *स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की वर्ष 2019-20 की वार्षिक प्रतिवेदन*

[93] *स्त्रोत : संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन का सांख्यिकी बुलेटिन 2021*

'कयर विकास योजना' (सीवीवाई) के अंतर्गत भारत सरकार (जीओआई) से प्राप्त अनुदान बोर्ड के लिए निधि का प्राथमिक स्रोत रहा। सीवीवाई छः घटकों[94] वाली एक व्यापक योजना है जिसे कयर उद्योग के समग्र सतत विकास के उद्देश्य से तैयार किया गया है। 2018-19 से 2022-23 के दौरान, बोर्ड को मंत्रालय से ₹412.23 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ।

4.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य और क्षेत्र

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या बोर्ड ने भारत में कयर उद्योग के विकास के लिए अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित किया। लेखापरीक्षा ने 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए सीवीवाई और अन्य सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में बोर्ड के कामकाज की समीक्षा की।

4.1.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

बोर्ड द्वारा 2018-19 से 2022-23 के दौरान सीवीवाई के घटकों के कार्यान्वयन पर ₹394.46 करोड़ का व्यय किया गया और कयर क्षेत्र में पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर ₹165.38 करोड़ का व्यय किया गया। सीवीवाई और मंत्रालय की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में देखी गई विभिन्न कमियों पर आगे के पैरा में चर्चा की गई है:

4.1.4.1 कयर उद्योग के विकास के लिए बोर्ड में नीति निर्माण और प्रशासन में खामियां

अधिनियम के अनुसार, उद्योग के विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अध्यक्ष और सदस्यों (40 सदस्यों से अधिक नहीं) से युक्त एक बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। यह देखा गया कि अंतिम गठित बोर्ड का तीन वर्षीय कार्यकाल फरवरी 2022 में समाप्त हो गया। मंत्रालय/प्रबंधन ने बताया (जनवरी/जुलाई 2024) कि बोर्ड के पुनर्गठन के प्रस्तावों पर नवंबर 2022 से फरवरी 2024 के दौरान तीन बार विचार किया गया, लेकिन उन्हें अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इसके अलावा, पाँच वर्षों की अवधि (2018-2023) के लिए बोर्ड के नीति निर्माण, शासन और कार्यों की समीक्षा करने पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियाँ देखी गईं:

---

[94] *विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना, निर्यात बाजार संवर्धन, घरेलू बाजार संवर्धन, व्यापार और उद्योग से संबंधित कार्यात्मक सहायता सेवाएं और कल्याणकारी उपाय*

(i) राष्ट्रीय कयर नीति तैयार करने में विफलता

कयर उद्योग की वृद्धि और विकास के उद्देश्य से, मंत्रालय ने बोर्ड को राष्ट्रीय कयर नीति (एनसीपी) और राष्ट्रीय कयर मिशन (एनसीएम) तैयार करने का निर्देश दिया (जून 2017)। इस संबंध में बोर्ड ने एनसीपी और एनसीएम का मसौदा तैयार करने के लिए दो सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्त किया (अक्टूबर 2019) और सेवानिवृत्त अधिकारियों को मानदेय के भुगतान के लिए ₹1.91 लाख की राशि खर्च की। यह देखा गया कि जून 2020 में केवल एनसीपी का मसौदा तैयार किया गया था, जिसे मंत्रालय को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि एनसीएम अभी भी तैयार नहीं हुआ है (जनवरी 2024)।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2024) कि मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन करके एनसीपी का मूल्यांकन करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी। मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि कयर उद्योग अधिनियम, 1953 में संशोधन किया जा रहा है जिसके बाद नीति की समीक्षा नए कानूनी ढांचे के अनुरूप की जाएगी।

उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि मंत्रालय द्वारा बोर्ड को एनसीपी और एनसीएम तैयार करने का निर्देश दिए जाने के बाद से सात वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, तथापि, इन्हें अभी तक तैयार करके मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ii) कयर उद्योग का डेटाबेस

कयर औद्योगिक इकाइयों का डेटाबेस और इन इकाइयों में रोजगार उद्योग के विकास के लिए रणनीतिक योजना को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। बोर्ड ने देश के अनुमानित कयर केंद्रित जिलों, जहां उत्पादन अधिक होने का अनुमान था, में कयर उद्योग का एक क्षेत्र सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया (जुलाई 2019)। सर्वेक्षण का उद्देश्य कयर श्रमिकों, उत्पादन, बिक्री/निर्यात आदि जैसे कई विवरण एकत्र करना था। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नवंबर 2020 में सर्वेक्षण शुरू किया गया और फरवरी 2022 में बंद कर दिया गया। यह देखा गया कि केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में सर्वेक्षण केवल आंशिक रूप से पूरा हुआ था।

इस संदर्भ में यह पाया गया कि सीवीवाई के परिणामों के मापनीय संकेतकों में से एक 'रोजगार सृजन की संख्या' थी। यह आंकड़ा बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, बोर्ड ने सर्वेक्षण का शेष कार्य राज्य सरकारों को सौंपने का निर्णय लिया (अप्रैल 2022), जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई

(जनवरी 2024)। यह भी देखा गया कि सर्वेक्षण से बोर्ड को मौजूदा योजनाओं के परिणामों का आकलन करने और भविष्य की रणनीतियों को तैयार करने में मदद मिलती।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2024) कि सर्वेक्षण में प्रयुक्त आंकड़ा संग्रह प्रारूप में 135 क्षेत्र थे जिससे आंकड़ा संग्रह मुश्किल हो गया था। कोविड-19 और कयर इकाइयों के असमन्वयता से भी सर्वेक्षण प्रभावित हुआ। कयर इकाइयों और राज्य सरकारों को पत्र जारी कर कयर श्रमिकों का विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर से सहमति व्यक्त करते हुए कहा (जुलाई 2024) कि सर्वेक्षण को सुव्यवस्थित करके राज्य सरकारों के माध्यम से सर्वेक्षण को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव था। उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि सर्वेक्षण के लिए बोर्ड द्वारा तैयार किया गया प्रारूप 188 कॉलम/विवरणों के साथ अनावश्यक रूप से लंबा था। बोर्ड को अनावश्यक क्षेत्र को हटाकर सर्वेक्षण प्रारूप को परिष्कृत करना चाहिए था।

अनुशंसा संख्या 25: मंत्रालय प्रशासन और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए बोर्ड का पुनर्गठन करे और बोर्ड रणनीतिक दिशा-निर्देश प्रदान करने, कयर उद्योग का सर्वेक्षण पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कयर नीति को अंतिम रूप दे।

4.1.4.2 कयर और कयर उत्पादों के लिए घरेलू बाजार संवर्धन से संबंधित गतिविधियाँ

कयर और कयर उत्पादों को बढ़ावा देकर घरेलू बाजार का विस्तार करना बोर्ड की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक था। सीवीवाई के इस उप-घटक में घरेलू प्रदर्शनियों का आयोजन और/या उनमें भागीदारी, शोरूम का संचालन, बाजार विकास सहायता प्रदान करना आदि शामिल थे। बोर्ड ने 2018-19 से 2022-23 के दौरान घरेलू बाजार संवर्धन गतिविधियों पर ₹83.72 करोड़ खर्च किए। इन गतिविधियों के कार्यान्वयन से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निम्नलिखित उप-पैरा में चर्चा की गई है:

(i) घरेलू प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए दिशानिर्देशों और सामान्य वित्तीय नियम, 2017 का अनुपालन न करना

बोर्ड प्रदर्शनियों का आयोजन करने के साथ-साथ अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित कयर और कयर उत्पादों के लिए प्रदर्शनियों में भाग भी लेता है। बोर्ड ने 31 मार्च 2023 को समाप्त पाँच वर्ष की अवधि के दौरान भारत में बोर्ड या अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित 383 प्रदर्शनियों में भाग लिया और ₹21.15 करोड़ खर्च किए। इन प्रदर्शनियों में भागीदारी घरेलू प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए कयर बोर्ड के दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित होती है। बोर्ड ने बोर्ड द्वारा आयोजित चार प्रदर्शनियों और

अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित छः प्रदर्शनियों पर ₹5.96 करोड़[95] की राशि खर्च की थी जिनकी लेखापरीक्षा में नमूना जाँच की गई थी। बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन न करने के उदाहरण नीचे विस्तार से देखे गए:

1. **प्रदर्शनियों के परिणामों की सूचना न देना:** दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रदर्शनी के बाद मेले में बोर्ड की भागीदारी के परिणामों का विवरण देने वाला एक प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए। हालाँकि, यह देखा गया कि प्रतिवेदन में परिणाम शामिल नहीं थे।

2. **किराए के स्थान पर किया गया अतिरिक्त व्यय:** विवेकपूर्ण व्यय सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों में स्थान किराए पर लेने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी। नमूना जाँच में लेखापरीक्षा से पता चला कि तीन प्रदर्शनियों में किराए पर लिया गया स्थान निर्धारित सीमा[96] से अधिक था जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त ₹68.16 लाख का अधिक व्यय हुआ।

3. **अग्रिम भुगतान में देरी:** दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए स्वीकृत अग्रिम राशि का भुगतान कार्यक्रम समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। 2018-19 से 2022-23 तक प्रदर्शनियों के लिए स्वीकृत अग्रिम राशि में से ₹1.96 करोड़ का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है (जनवरी 2024)। इसके अलावा, 383 प्रदर्शनियों में से 10 नमूना जाँचित प्रदर्शनियों, जिनमे कुल व्यय का 28.18 प्रतिशत व्यय था, में से छः प्रदर्शनियों[97] के संबंध में अग्रिम भुगतान 15 दिनों के भीतर नहीं किया गया और भुगतान में 101 दिनों[98] तक की देरी हुई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि प्रदर्शनियों के आउटपुट/परिणाम प्रदान करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। किराए पर ली गई जगह पर अतिरिक्त खर्च के संबंध में, यह कहा गया कि अध्यक्ष को दिशानिर्देशों के अनुसार वीआईपी के संदर्भ में स्टॉल क्षेत्र तय करने का अधिकार था। अग्रिमों के निपटान में देरी पर यह कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को मेले के समापन के 15 दिनों के भीतर निपटान दस्तावेज जमा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर से सहमति व्यक्त की (जनवरी 2025) और आगे कहा कि अब प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए

---

95 प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए बोर्ड की क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा किए गए आकस्मिक व्यय को छोड़कर।

96 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों और राष्ट्रीय स्तर के मेलों के लिए क्रमशः 100 वर्ग मीटर और 50 वर्ग मीटर की सीमा निर्धारित की गई थी।

97 भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019, आज़ादी का अमृत महोत्सव, वाराणसी, भारत अंतर्राष्ट्रीय आतिथ्य एक्सपो, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022, आज़ादी का अमृत महोत्सव, गुवाहाटी और सेमिनार सह प्रदर्शनी 2023, कोटा

98 भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 के संबंध में अधिकतम विलंब।

स्थान सीमा के भीतर था। इसके अलावा, ₹1.96 करोड़ के अनसुलझे अग्रिमों में से अब केवल ₹1.40 करोड़ ही निपटान के लिए शेष थे।

प्रबंधन और मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि बोर्ड द्वारा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई अभी तक की जानी बाकी थी। इसके अलावा, वीआईपी की उपस्थिति वाली प्रदर्शनियों के लिए किराए पर ली गई जगह पर होने वाले खर्च का निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष को देने वाले दिशा-निर्देशों में संशोधन दिसंबर 2021 से प्रभावी था और अतिरिक्त व्यय 2019 में हुआ था।

4. सामान्य वित्तीय नियम, 2017 का अनुपालन न करना

सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के निम्नलिखित अननुपालन देखे गए।

- इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2019 (आईआईएचई 2019) में मंडप के निर्माण के लिए ₹24.66 लाख का अनुबंध एग्जीबिशन एंड इंटीरियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बिना किसी निविदा आमंत्रित किए दिया गया था (जीएफआर 2017 का नियम 201(ii))।

- छः प्रदर्शनियों[99] में इंटीरियर फैब्रिकेशन अनुबंध के लिए बोलीदाताओं को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने के लिए दिया गया समय निविदा नोटिस के प्रकाशन की तारीख से सामान्यतः तीन सप्ताह के बजाय पांच दिनों से 11 दिनों के बीच था (जीएफआर 2017 का नियम 161(vi))।

- यदि खरीद का अनुमानित मूल्य ₹25 लाख से अधिक है तो खरीद समिति के किसी भी सदस्य को समिति के किसी अन्य सदस्य को सीधे रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। यह देखा गया कि नमूना जाँच की गई 10 में से तीन प्रदर्शनियों[100] के संबंध में प्रस्तुत बोलियों का मूल्यांकन करने के लिए गठित समितियों में क्षेत्रीय निदेशक और अधिकारी शामिल थे जो सीधे उनके नियंत्रण में थे (जीएफआर 2017 का नियम 173(xxii))।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2024) कि प्रदर्शनियों में भाग लेने/आयोजित करने का निर्णय अल्प सूचना पर लिया गया था और उपलब्ध समय के साथ निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। बोर्ड कर्मचारियों की कमी के साथ चल रहा है और उपलब्ध कर्मचारियों के साथ समितियों का गठन किया गया था। मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2025) कि जीएफआर का पालन करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं।

तथापि तथ्य यह है कि बोर्ड को जीएफआर प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए।

---

[99] ***भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022, गुवाहाटी में आज़ादी का अमृत महोत्सव, वाराणसी में आज़ादी का अमृत महोत्सव, पूर्वोत्तर एक्सपो- 2021, और कयर महोत्सव 2022।***

[100] ***आईआईटीएफ 2022, वाराणसी में आजादी का अमृत महोत्सव और कयर महोत्सव 2022।***

अनुशंसा संख्या 26: घरेलू व्यापार मेलों में भागीदारी/ आयोजन के लिए दिशानिर्देशों और सामान्य वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और मजबूत किया जाए ।

(ii) बोर्ड द्वारा स्थापित शोरूमों के संचालन की समीक्षा

बोर्ड ने देश में 30 शोरूम स्थापित (मार्च 2023) किए थे ताकि स्थापित विपणन चैनलों से वंचित लघु-स्तरीय कयर निर्माण इकाइयों की सुविधा के लिए विशेष विपणन आउटलेट के रूप में काम किया जा सके। शोरूम में बिक्री का तरीका/कंसाइनमेंट सिस्टम[101]. के माध्यम से था। 31 मार्च 2023 को समाप्त पाँच-वर्षीय अवधि के दौरान इन शोरूमों द्वारा दर्ज की गई कुल बिक्री ₹66.77 करोड़ थी। शोरूमों के संचालन की समीक्षा में कम बिक्री और निरंतर घाटे का पता चला जिसकी चर्चा बाद के पैराग्राफ में की गई है। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान सभी 30 शोरूमों को कुल ₹32.78 करोड़ का नुकसान हुआ।

1. शोरूम में कम बिक्री

बोर्ड ने सभी शोरूम के लिए बिक्री का लक्ष्य निर्धारित किया। पाँच वर्षों की अवधि के दौरान, शोरूम ने ₹167.40 करोड़ के संचयी लक्ष्य के मुकाबले ₹66.77 करोड़ (लक्ष्य का 40 प्रतिशत) की बिक्री दर्ज की।

पाँच वर्ष की अवधि के दौरान ₹20.64 करोड़ की कुल बिक्री दर्ज करने वाले पाँच शोरूमों (भुवनेश्वर, चेन्नई, एर्नायोग म, हैदराबाद और जयपुर) का विस्तृत समीक्षा के लिए स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण के माध्यम से चयन किया गया और कम बिक्री के निम्नलिखित कारण पाए गए।

बोर्ड ने शोरूम की बिक्री में भारी वृद्धि लाने के लिए मार्केटिंग रणनीति को मंजूरी दी थी (जुलाई 2019)। चयनित पाँच शोरूम के अभिलेखों की नमूना जाँच करने पर, मार्केटिंग रणनीति के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:

- **खरीद**: विपणन रणनीति के अनुसार सभी शोरूमों के लिए कयर उत्पादों की खरीद एक समिति की अनुशंसाओं के आधार पर की जाएगी, जिसके अध्यक्ष क्षेत्रीय निदेशक, शोरूम के प्रबंधक और अन्य शोरूम के दो प्रबंधक होंगे। इसके बजाय, शोरूम के प्रभारी अधिकारी/क्षेत्रीय निदेशक ने अपनी सुविधानुसार चयनित पाँच शोरूम में पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को ऑर्डर दिए।

---

[101] कंसाइनमेंट प्रणाली में कयर उत्पादों का निर्माता/ विक्रेता (प्रेषक) अपने उत्पादों को शोरूम में रखता है। बिक्री के बाद, बोर्ड के कमीशन और छूट, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद, उत्पादों की कीमत प्रेषक को हस्तांतरित कर दी जाती है।

- **त्यौहार छूट बिक्री**: विपणन रणनीति के अनुसार शोरूमों को प्रत्येक वर्ष छः बार में 90 दिनों के लिए त्यौहार सीज़न की छूट देनी चाहिए। हालाँकि, यह देखा गया कि चेन्नई और जयपुर के शोरूम ने 2019-20 के दौरान त्यौहार छूट की पेशकश नहीं की थी। 2021-22 में, चेन्नई के शोरूम ने केवल 31 दिनों के लिए छूट की पेशकश की। भुवनेश्वर के शोरूम ने 2022-23 के दौरान 61 दिनों के लिए छूट की पेशकश की।
- **शोरूम का समय**: विपणन रणनीति के अनुसार, शोरूम का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक निर्धारित किया गया था। हालाँकि, सैंपल में शामिल शोरूम सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक ही खुले।
- **अपर्याप्त निगरानी**: विपणन रणनीति के अनुसार शोरूमों की गतिविधियों की तिमाही आधार पर समीक्षा और आवधिक निगरानी के लिए बोर्ड के मुख्यालय में एक व्यवसाय निगरानी समिति (बीएमसी) का गठन किया जाना चाहिए। हालाँकि बीएमसी का गठन (नवंबर 2019) किया गया था लेकिन इसकी बैठक केवल एक बार दिसंबर 2019 में हुई थी।
- **व्यवसाय विकास सलाहकारों की नियुक्ति**: संस्थागत बिक्री[102] को बढ़ावा देने के लिए, विपणन रणनीति ने शोरूमों को लाभ-साझेदारी के आधार पर व्यवसाय विकास सलाहकार (बीडीए) नियुक्त करने का अधिकार दिया था। यह देखा गया कि बीडीए पाँचों शोरूमों में से किसी में कार्यरत नहीं थे (नवंबर 2023)।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2024) कि कर्मचारियों की कमी के कारण क्षेत्रीय निदेशकों और प्रबंधकों की बैठकें नहीं बुलाई जा सकीं। त्योहारों पर छूट के संबंध में शोरूमों को प्रधान कार्यालय के निर्देशों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रबंधन ने शोरूम के समय का पालन न करने का कारण कर्मचारियों की कमी को भी बताया और यह भी बताया कि उसने तिमाही आधार पर बीएमसी बुलाने का फैसला किया है। यह भी आश्वासन दिया गया कि सभी शोरूमों में बीडीए नियुक्त करने के लिए कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर ध्यान दिया गया।

तथ्य यह है कि विपणन रणनीति को लागू करने के लिए बोर्ड के निर्देशों का शोरूमों द्वारा पालन नहीं किया गया।

विपणन रणनीति में उपरोक्त कमियों के अलावा, चयनित पांच शोरूमों में कम बिक्री के लिए निम्नलिखित विफलताएं देखी गईं:

---

[102] ***संस्थागत बिक्री से तात्पर्य संस्थानों/संगठनों को कयर उत्पादों की थोक बिक्री से है***

• बोर्ड ने सभी शोरूमों का चरणबद्ध तरीके से नवीनीकरण करने का निर्णय लिया (सितंबर 2018)। हालाँकि, पाँच वर्षों (2018-2023) की अवधि के दौरान इन पाँचों शोरूमों में कोई बड़ा नवीनीकरण नहीं किया गया। इसलिए, चेन्नई, भुवनेश्वर और जयपुर के शोरूमों में वस्तुओं का प्रदर्शन अनाकर्षक था और इन शोरूमों की दिखावट भी अच्छी नहीं थी, वहीं एर्नाकुलम का शोरूम भी अनाकर्षक था।

चित्र 4.1: शोरूम की तस्वीरें

1

2

3

4

(1) एर्नाकुलम, (2) चेन्नई, (3) जयपुर और (4) भुवनेश्वर स्थित शोरूमों का बाहरी दृश्य। शोरूमों में प्रदर्शित कयर उत्पाद बाहर से दिखाई नहीं दे रहे थे।

• यह देखा गया कि चेन्नई और एर्नाकुलम के शोरूमों में संस्थागत बिक्री को बढ़ावा देने के प्रयास नहीं किए गए। हालाँकि, जयपुर स्थित शोरूम ने 2021-22 में दो कोटेशन प्रस्तुत किए थे लेकिन कोई ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ।

• शोरूमों में उचित गुणवत्ता आश्वासन तंत्र मौजूद नहीं था। घटिया गुणवत्ता के संबंध में ओडिशा सरकार की शिकायत करने के बाद, भुवनेश्वर शोरूम ने दो प्रेषकों को सितंबर 2021 से जनवरी 2022 के दौरान आपूर्ति किए गए ₹1.99 करोड़ मूल्य के 7,717 गद्दे बदलने का निर्देश दिया था। इसके बाद, राज्य सरकार ने बोर्ड के माध्यम से कयर गद्दे खरीदना बंद कर दिया (मई 2023)।

• नवंबर 2023 में आयोजित एक संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि भुवनेश्वर शोरूम में जनता को बिक्री के लिए कयर गद्दे उपलब्ध नहीं थे। वहीं, 68.87 लाख रुपये मूल्य के 2,760 गद्दे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज़ थे और उन्हें ऐसे स्थानों पर रखा गया था जो शोरूम के नियंत्रण में नहीं थे।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2024) कि शोरूम कोविड-19 के प्रभाव से उभर रहे थे। प्रबंधन ने यह भी कहा कि शोरूम के प्रबंधक गुणवत्ता आश्वासन के लिए जिम्मेदार थे। भुवनेश्वर शोरूम ने सरकारी विभाग के समान आदेश को पूरा करने के लिए दो प्रेषकों/कंसाइनरों को आदेश दिया था क्योंकि मूल प्रेषक/कंसाइनर ने निर्धारित समय के भीतर गद्दे की आपूर्ति नहीं की थी। बाद में, दोनों प्रेषकों ने आपूर्ति की और अतिरिक्त स्टॉक को सरकारी विभाग के पास रखा गया। मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2025) कि निधियों की उपलब्धता को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से शोरूमों का नवीनीकरण किया जाएगा। मकान मालिक के साथ विवाद के कारण बोर्ड चेन्नई शोरूम का नवीनीकरण करने की स्थिति में नहीं था। संस्थागत बिक्री को रद्द करने में विफलता के बारे में मंत्रालय ने कहा कि शोरूम को निर्देश जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने यह भी आश्वासन दिया कि बोर्ड द्वारा गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित किया जाएगा। भुवनेश्वर में 2760 गद्दे लाभार्थी के स्थान के पास संग्रहीत किए गए थे क्योंकि शोरूम में इसे संग्रहीत करने की कोई सुविधा नहीं थी।

जवाबों ने लेखापरीक्षा की इस टिप्पणी का समर्थन किया कि शोरूमों के नवीनीकरण और संस्थागत बिक्री बढ़ाने की आवश्यकता है। बोर्ड को निर्धारित समय के बाद प्राप्त आपूर्ति स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि भुवनेश्वर शोरूम ने पहले ही किसी अन्य प्रेषक को आपूर्ति आदेश जारी कर दिया था।

2. शोरूम के संचालन में लगातार घाटा होना

बोर्ड के शोरूमों की आय का प्राथमिक स्रोत उत्पादों के मूल्य पर तीन प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक अर्जित कमीशन है। इन खर्चों में कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा अन्य आवर्ती खर्च शामिल हैं। 2018-19 से 2022-23 के दौरान, विशाखापत्तनम शोरूम (2020-21 में ₹1 लाख का लाभ) और भुवनेश्वर शोरूम (2022-23 में ₹3 लाख का लाभ) को छोड़कर, सभी शोरूमों को घाटा हुआ। इस अवधि के दौरान सभी 30 शोरूमों को कुल ₹32.78 करोड़ का घाटा हुआ।

मंत्रालय ने बोर्ड को निर्देश दिया था (मई 2012) कि वह ऐसे शोरूमों को बंद करने की कवायद शुरू करे जो ज्यादा काम के नहीं थे या काफी हद तक अव्यवहारिक थे। इसी क्रम में, बोर्ड द्वारा अपने शोरूमों के युक्तिकरण के लिए गठित एक समिति ने (जून 2020) 10 शोरूम[103]. बंद करने की अनुशंसा की थी। हालांकि, अनुशंसा पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा, मंत्रालय ने बोर्ड को निर्देश दिया था (मई 2012) कि उनकी पूर्व स्वीकृति के बिना नए शोरूम न खोले जाएं। हालांकि, बोर्ड ने मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बिना केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के एकता मॉल में एक नया

[103] ***मदुरै, जयपुर, कानपुर, नेहरू प्लेस (नई दिल्ली), इंदौर, पलक्कड़, इलाहाबाद, गंगटोक, देहरादून और अगरतला में शोरूम।***

बिक्री आउटलेट (2020-21) खोला। इस बिक्री आउटलेट को भी इसके उद्घाटन के बाद से 2022-23 तक ₹13 लाख का नुकसान हुआ।

प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (जनवरी/जुलाई 2024) कि शोरूम स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य वित्तीय लाभ के बजाय कयर उत्पादों की विविधता और क्षमता को बढ़ावा देना और प्रदर्शित करना था। मंत्रालय की स्वीकृति के बिना नए शोरूम खोलने के बारे में उत्तर में कोई टिप्पणी नहीं की गई।

हालाँकि, तथ्य यह है कि केवल 271 कयर इकाइयों (17,054 कयर इकाइयों में से) ने शोरूम को कयर उत्पादों की आपूर्ति के लिए पंजीकरण कराया था (मार्च 2023), जो कयर उत्पादों की विविधता और क्षमता को बढ़ावा देने और प्रदर्शित करने के तर्क का समर्थन नहीं करता है। इसके अलावा, निरंतर वित्तीय घाटे से शोरूम को स्वाबलंबी होने में मदद नहीं मिल सकती।

अनुशंसा संख्या 27: बोर्ड शोरूमों को कयर उत्पादों की आपूर्ति करने वाली कयर उद्योग इकाइयों की संख्या बढ़ाने के लिए पहल करे और शोरूमों की बिक्री में सुधार के लिए विपणन रणनीति का अनुपालन सुनिश्चित करे।

(iii) अपात्र बाजार विकास सहायता का भुगतान

बाज़ार विकास सहायता (एमडीए) योजना शीर्ष/प्राथमिक सहकारी समितियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, हिंदुस्तान कयर[104] और बोर्ड के शोरूमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एमडीए का उद्देश्य लाभार्थी इकाइयों द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कयर उत्पादों के औसत वार्षिक कारोबार के 10 प्रतिशत की दर से बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना था। इकाइयाँ संबंधित राज्य सरकारों को आवेदन प्रस्तुत करती हैं, जो बदले में, राज्य का हिस्सा यानी एमडीए का 50 प्रतिशत जारी करने के बाद आवेदनों को बोर्ड को भेजती हैं। बोर्ड जाँच के बाद समान अंशदान जारी करता है।

31 मार्च 2023 को समाप्त पाँच साल की अवधि के दौरान, बोर्ड ने एमडीए के रूप में ₹42.38 करोड़ मंजूर किए। दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभार्थी इकाइयाँ एमडीए के लिए तभी पात्र थीं जब वह व्यक्तिगत रूप से पिछले वर्ष के कारोबार में पाँच प्रतिशत की वृद्धि हासिल की हो। यदि कोई लाभार्थी एक वर्ष के लिए अपनी बिक्री छोड़ देता है, तो वह एमडीए के लिए तभी पात्र होगा जब वह अपनी उच्चतम बिक्री से पाँच प्रतिशत की वृद्धि हासिल करता है, न कि गिराई गई बिक्री के आंकड़े से। यह देखा गया कि बोर्ड ने उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं किया और क्रमशः 2018-2021 और

[104] ***बोर्ड द्वारा अलप्पुझा में एक पावरलूम कयर मैटिंग विनिर्माण इकाई स्थापित की गई।***

2018-19 की अवधि के दौरान तमिलनाडु और केरल में अपात्र लाभार्थियों को ₹2.14 करोड़ और ₹0.67 करोड़ जारी किए। बोर्ड के शोरूम और हिंदुस्तान कयर को भी 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान ₹1.87 करोड़ का अपात्र एमडीए प्राप्त हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि इस योजना के अंतिम लाभार्थी कयर कारीगर थे और कोविड-19 के दौरान इस क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर कोई उत्तर नहीं दिया।

इस उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि बोर्ड ने कोविड-19 अवधि से पहले भी अतिरिक्त एमडीए जारी किया था।

4.1.4.3 भारतीय कयर उद्योग के निर्यात बाजार में सुधार के उपाय

सीवीवाई के अंतर्गत निर्यात बाजार संवर्धन गतिविधियों को चलाने के लिए बोर्ड ने 31 मार्च 2023 को समाप्त पांच साल की अवधि के दौरान ₹17.06 करोड़ खर्च किए। बोर्ड ने 31 मार्च 2023 को समाप्त पांच साल की अवधि के दौरान विभिन्न कयर उत्पादों से संबंधित 23 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया। 23 में से दो ट्रेड शो[105] ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से आयोजित किए गए और 21 अंतर्राष्ट्रीय शो पांच विदेशी देशों[106] में भौतिक रूप से आयोजित किए गए। ट्रेड शो में, बोर्ड ने किराए पर ली गई जगह में भारतीय मंडप स्थापित किया और पंजीकृत उद्यमियों को कयर उत्पादों के प्रदर्शन के लिए अपने स्टॉल लगाने के लिए उप-पट्टे पर दिया। ट्रेड शो में प्रतिभागियों द्वारा किए गए स्थान किराए, यात्रा व्यय आदि के खर्चों की प्रतिपूर्ति मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना[107] (आईसी योजना) के अनुसार बाहरी बाजार विकास सहायता (ईएमडीए) के माध्यम से की जाती है। बोर्ड ने 2018-19 से 2022-2023 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में प्रतिभागियों को ईएमडीए के रूप में ₹5.45 करोड़ जारी किए थे।

1. ***अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी के लक्ष्यों को पूरा करने में विफलता:*** मंत्रालय द्वारा 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनियों

---

[105] नमस्ते भारत वर्चुअल एक्सपो (29 अक्टूबर - 30 नवंबर 2020) और ब्रिक्स व्यापार मेला 2021 (16-18 अगस्त 2021)

[106] संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात

[107] यह योजना भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा संचालित है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय एमएसएमई में प्रौद्योगिकी संचार/उन्नयन/आधुनिकीकरण तथा उनके निर्यात को बढ़ावा देना है।

में भागीदारी के लिए निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 10, 10, 10, चार और छः प्रदर्शनियाँ थीं। इसके विपरीत, बोर्ड ने क्रमशः आठ, छः , शून्य, दो और पाँच प्रदर्शनियों[108] में भाग लिया।

2. ***नए बाज़ारों में आयोजित व्यापारिक आयोजनों में भाग न लेना:*** नए बाज़ारों में भारतीय कयर और कयर उत्पादों को शामिल करना जिसमें नए बाज़ारों में प्रवेश करना भी शामिल है प्रदर्शनियों में भागीदारी का एक मुख्य उद्देश्य था। 2018-19 से 2022-23 के दौरान निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों के लिए बोर्ड द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना में इटली, ब्रिटेन, चीन, हांगकांग, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, ग्रीस, इज़राइल, रूस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों और स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल और लैटिन अमेरिकी देशों के बाज़ारों में आयोजित व्यापारिक आयोजनों में भाग लेने का प्रस्ताव था। हालाँकि, बोर्ड ने 2018-19 से 2022-23 के दौरान इन बाज़ारों में किसी भी व्यापारिक आयोजन में भाग नहीं लिया।

प्रबंधन/मंत्रालय (जनवरी/जुलाई 2024) ने कोविड-19 प्रतिबंधों, समय की कमी और विदेशी व्यापार मेलों में न्यूनतम 10 उद्यमियों की भागीदारी की शर्त को लक्ष्य प्राप्त न होने और नए बाजारों में व्यापार मेलों में भाग न लेने का कारण बताया। मंत्रालय ने यह भी बताया कि आयोजनों के चयन में सह-प्रदर्शकों की प्राथमिकताओं और पिछले अनुभवों को भी ध्यान में रखा गया।

उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि आईसी योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने वाले निर्यातकों के व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती थी। इसके बावजूद भी निर्यातकों की भागीदारी असंतोषजनक रही। इसके अलावा, बोर्ड ने भागीदारी के लिए निर्यातकों की न्यूनतम संख्या की शर्त में छूट के लिए मंत्रालय को कोई प्रतिवेदन नहीं दिया। यह भी पाया गया कि 21 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में से, बोर्ड ने 10 से कम प्रतिभागियों वाले सात व्यापार मेलों में भाग लिया था।

3. ***सरकारी निर्देशों का पालन न करना:*** मंत्रालय ने (फरवरी 2018) बोर्ड को निर्देश दिया था कि वह किसी भी विदेशी कार्यक्रम की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति ले। हालाँकि, बोर्ड ने 2018-19 के दौरान नेशनल हार्डवेयर शो, अमेरिका और सोर्स डायरेक्ट, एएसडी, अमेरिका में बिना सरकार की मंजूरी के भाग लिया। इसी प्रकार, बोर्ड को प्रदर्शनी के बाद मंत्रालय को

---

[108] 2020-21 के दौरान कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण कयर बोर्ड द्वारा लाइव कार्यक्रमों में कोई भागीदारी नहीं की गई।

एक फीडबैक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। हालाँकि, बोर्ड द्वारा भाग लिए गए 21 विदेशी व्यापार मेलों में से 13 मेलों[109] के लिए मंत्रालय को फीडबैक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2024) कि प्रक्रियागत देरी के कारण उपर्युक्त दोनों व्यापार मेलों में भागीदारी के लिए औपचारिक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सका। फीडबैक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के संबंध में, प्रबंधन और मंत्रालय ने कहा (जनवरी/जुलाई 2024) कि भविष्य में अनुपालन हेतु इस अवलोकन को नोट कर लिया गया है।

इस उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि बोर्ड ने सरकारी निर्देशों का उल्लंघन किया और सरकार की स्वीकृति के बिना भागीदारी की सुविधा प्रदान की।

4. ***व्यापारिक पूछताछ पर अनुवर्ती कार्रवाई की व्यवस्था का अभाव:*** बोर्ड के पास प्रदर्शनियों के बाद भाग लेने वाली इकाइयों द्वारा प्राप्त व्यापारिक पूछताछ पर अनुवर्ती कार्रवाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए, यह ज्ञात नहीं हो सका कि पूछताछ को वास्तव में व्यावसायिक आदेशों में परिवर्तित किया गया या नहीं।

प्रबंधन ने व्यापार पूछताछ के लिए अनुवर्ती प्रणाली की कमी पर सहमति व्यक्त की (जनवरी 2024) और आश्वासन दिया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा।

4.1.4.4 कयर बोर्ड द्वारा अनुसंधान और विकास गतिविधियाँ

कयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अनुसार, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान बोर्ड के प्रमुख कार्यों में से एक था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) अनुभाग, जो बोर्ड का अनुसंधान एवं विकास स्कंध है, में केंद्रीय कयर अनुसंधान संस्थान (सीसीआरआई), कलावूर और केंद्रीय कयर प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईसीटी), बैंगलोर शामिल हैं। ये संस्थान कयर रेशे के निष्कर्षण एवं प्रसंस्करण, नए एवं विविध उत्पादों के विकास, अपशिष्ट उपयोग आदि क्षेत्रों में अनुसंधान गतिविधियाँ संचालित करते हैं। बोर्ड की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की समीक्षा पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निम्नलिखित पैरा में चर्चा की गई है:

---

[109] (1) नेशनल हार्डवेयर शो 2018, यूएसए, (2) एएसडी पर प्रत्यक्ष स्त्रोत 2018, यूएसए, (3) गार्डेक्स 2018, जापान, (4) एम्बिएंट 2019, जर्मनी, (5) आईईसीए वार्षिक सम्मेलन और एक्सपो 2019, यूएसए, (6) गार्डेक्स 2019, जापान, (7) अंतर्राष्ट्रीय बागवानी व्यापार मेला 2019, हॉलैंड, (8) आईपीएम एस्सेन 2020, जर्मनी, (9) एम्बिएंट 2020, जर्मनी, (10) वर्ल्ड एक्सपो 2020, दुबई, (11) आईपीएम एस्सेन 2023, जर्मनी, (12) नेशनल हार्डवेयर शो 2023, यूएसए और (13) आईईसीए वार्षिक सम्मेलन और एक्सपो 2023, यूएसए।

(i) प्रौद्योगिकी विकास के लिए अनुसंधान परियोजनाओं में कमियाँ

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग ने 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान ₹7.14 करोड़ की लागत से 29 शोध परियोजनाएं (14 इन-हाउस परियोजनाएं[110] और 15 सहयोगी परियोजनाएं[111]) शुरू कीं। यह देखा गया कि बोर्ड ने ₹75 लाख की परियोजना लागत के साथ छः इन-हाउस परियोजनाओं और एक सहयोगी परियोजना को पूरा और व्यावसायीकरण[112] किया। शेष 22 परियोजनाओं में से बोर्ड ₹4.75 करोड़ (मार्च 2023) की कुल परियोजना लागत वाली नौ परियोजनाओं को पूरा नहीं कर सका। ऐसा प्रौद्योगिकी/मशीन के विकास के लिए और सुधार/अनुसंधान की आवश्यकता, अनुवर्ती कार्रवाई और निगरानी की कमी और सहयोगी के पास बुनियादी ढांचे की कमी और संविदात्मक दायित्वों का गैर-निष्पादन जैसे कारण थे।

इसके अलावा बोर्ड ₹1.64 करोड़ की कुल परियोजना लागत वाली 13 परियोजनाओं का व्यावसायीकरण नहीं कर सका, जिसके कारण औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त तकनीक का अनुकूलन/विस्तार करने में विफलता और बाज़ार में समान तकनीक की उपलब्धता जैसे कारण थे। इस प्रकार, कयर उद्योग इन अनुसंधान गतिविधियों से लाभ प्राप्त नहीं कर सका।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि दो परियोजनाएं चल रही थीं। प्रबंधन ने अधूरी परियोजनाओं के कारणों के रूप में अतिरिक्त अनुसंधान एवं विकास कार्य की आवश्यकता, आवश्यक मापदंडों को प्राप्त करने में असमर्थता, अपूर्ण सत्यापन प्रक्रिया आदि की ओर भी इशारा किया। परियोजनाओं के व्यावसायीकरण में विफलता के मामले में, प्रबंधन ने (जुलाई 2024) प्रौद्योगिकी के पैमाने को बढ़ाने के लिए उपयुक्त विधि प्राप्त करने में विफलता, उद्योग से मशीनरी/प्रौद्योगिकी के लिए लेने वालों की कमी आदि का उल्लेख किया। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर का समर्थन करते हुए आश्वासन दिया (जुलाई 2024/जनवरी 2025) कि भविष्य में, सहयोगियों की क्षमता का पता लगाया जाएगा और ठोस परिणाम वाली परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा। मंत्रालय ने आगे कहा कि चार मशीनों का व्यावसायीकरण नहीं किया गया क्योंकि उनका उद्घाटन नहीं किया गया था।

इन उत्तरों को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि अपूर्ण परियोजनाओं की मूल परियोजना अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त अनुसंधान एवं विकास कार्य की आवश्यकता, प्रौद्योगिकी में पूर्णता का अभाव, परिणामों के सत्यापन में देरी, परियोजनाओं के

---

[110] ***बोर्ड का अपना शोध***

[111] ***विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से परियोजनाएं***

[112] ***उद्योग को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण***

अनुवर्तन और निगरानी में कमियों का संकेत देते हैं। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होगी। उद्घाटन, स्केल-अप और प्रौद्योगिकी/मशीनों में सुधार में देरी के परिणामस्वरूप अनुसंधान का लाभ उद्योग को हस्तांतरित नहीं हो पाया।

परियोजना-वार स्थिति, लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, प्रबंधन और मंत्रालय के उत्तर और नौ अपूर्ण परियोजनाओं और 13 गैर-व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-XXV** और **अनुलग्नक-XXVI** में दिया गया है।

(ii) उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना

उत्कृष्टता केंद्र उच्चतम मानक वाला एक निकाय है जो विशिष्ट क्षेत्रों के लिए नेतृत्व, सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान, समर्थन, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। बोर्ड ने (जनवरी/जुलाई 2020), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास, चेन्नई (आईआईटी, मद्रास) और भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (आईपीआईआरटीआई), बेंगलुरु के साथ दो उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना को स्वीकृति[113] दी। आईआईटी, मद्रास के साथ सीओई को स्थायी बुनियादी ढांचे और उत्पाद विकास की दिशा में कयर और अन्य प्राकृतिक फाइबर के लिए स्थापित किया गया था। आईपीआईआरटीआई के साथ सीओई की स्थापना विभिन्न अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी उच्च मूल्यवर्धित कयर सम्मिश्रित/कंपोजिट विकसित करने के लिए की गई थी। आईआईटी, मद्रास और आईपीआईआरटीआई के साथ सीओई की स्थापना के लिए अनुमोदित बजट क्रमशः ₹5.00 करोड़ और ₹2.19 करोड़ था | सीओई-आईआईटी, मद्रास और सीओई-आईपीआईआरटीआई द्वारा परियोजनाओं के निष्पादन से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा से निम्नलिखित कमियां सामने आईं।

क. आईआईटी, मद्रास के साथ उत्कृष्टता केंद्र

- उद्देश्यों की पूर्ति न होना: बोर्ड ने आईआईटी, मद्रास को एक उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करने के लिए ₹3.10 करोड़ (जनवरी 2024 तक) जारी किए। उत्कृष्टता केंद्र को सौंपी गई पाँच शोध परियोजनाओं में से, चार परियोजनाओं का कार्यकाल उद्देश्यों की पूर्ति के बिना ही समाप्त हो गया। पाँचवीं परियोजना के मामले में, तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तीन मशीनें प्रदान करने की आवश्यकता के विरुद्ध, केवल दो ही वितरित की गईं (जुलाई 2024) और मशीनें बेकार पड़ी रहीं (जनवरी 2025) क्योंकि आईआईटी, मद्रास ने कयर-भारित परिस्थितियों में पूरी तरह से एकीकृत की गई मशीनों का प्रदर्शन नहीं किया।

---

[113] *जनवरी 2020 में आयोजित इसकी 232वीं बैठक और जुलाई 2020 में आयोजित 233वीं बैठक में*

- **परियोजना निधि का उपयोग:** आईआईटी, मद्रास को जारी ₹3.10 करोड़ में से, क्रमशः ₹26 लाख और ₹1.03 करोड़ अवसंरचना के विकास और विभिन्न उपकरणों की खरीद के लिए जारी किए गए। हालाँकि, यह पाया गया कि आईआईटी, मद्रास द्वारा न तो कोई अवसंरचना विकसित की गई और न ही कोई उपकरण खरीदा गया।

- **बोर्ड द्वारा अपर्याप्त निगरानी:** आईआईटी, मद्रास के साथ सीओई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बोर्ड सभी पाँचों परियोजनाओं की छः महीने में एक बार समीक्षा करेगा और सलाहकार बोर्ड[114] को परियोजना की निगरानी के लिए वर्ष में दो बार बैठक करनी चाहिए। यह देखा गया कि सलाहकार बोर्ड की बैठक केवल दिसंबर 2020 में हुई और बोर्ड ने दिशानिर्देशों में उल्लिखित परियोजनाओं की समीक्षा नहीं की।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि सीओई के कार्य की प्रगति प्रस्तावों में परिकल्पित योजना के अनुसार नहीं थी और बोर्ड अन्य आधिकारिक प्रतिबद्धताओं के कारण आईआईटी, मद्रास के साथ परियोजनाओं की समीक्षा बैठकें आयोजित नहीं कर सका। अवसंरचना की खरीद के लिए आईआईटी, मद्रास द्वारा जारी किए गए खरीद/कार्य आदेशों की प्रतियां एकत्र की जाएंगी और बोर्ड द्वारा सत्यापित की जाएंगी। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर का समर्थन किया (जुलाई 2024/जनवरी 2025) और कहा कि आईआईटी, मद्रास ने अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सीओई के हिस्से के रूप में कुछ उपकरण खरीदे हैं।

प्रबंधन और मंत्रालय के उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि परियोजना दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया और परियोजनाओं की निगरानी का अभाव था।

ख. आईपीआईआरटीआई, बेंगलुरु के साथ उत्कृष्टता केंद्र

- **उद्देश्यों की पूर्ति न होना:** उत्कृष्टता केंद्र केवल उन औद्योगिक इकाइयों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा था जो पहले से ही कयर कम्पोजिट उत्पादों का निर्माण कर रही थीं। परियोजना का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला क्योंकि उच्च-स्तरीय कयर कम्पोजिट उत्पादों के निर्माण हेतु कयर कम्पोजिट के लिए उपयुक्त चिपकने वाला पदार्थ विकसित नहीं किया जा सका।
- **परियोजना निधि का उपयोग:** आईपीआईआरटीआई को जारी (सितंबर 2020) ₹1.26 करोड़ में से, ₹40 लाख आईपीआईआरटीआई में परीक्षण सुविधाओं के निर्माण के लिए, ₹18 लाख संस्थान शुल्क के रूप में और ₹19 लाख जीएसटी के लिए थे। अपनी परियोजना प्रगति रिपोर्ट में,

---

[114] ***इसमें अध्यक्ष, कयर बोर्ड या उनके द्वारा नामित व्यक्ति; डीन, आईसीएसआर, आईआईटी, मद्रास; आईआईटी, मद्रास के वरिष्ठ प्रोफेसर (सिविल) और वरिष्ठ प्रोफेसर (मैकेनिकल); कयर बोर्ड के सचिव; निदेशक (विपणन), कयर बोर्ड; सलाहकार, कयर बोर्ड और उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे।***

आईपीआईआरटीआई ने बताया (जनवरी 2022) कि प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए प्रयोगशाला रेजिन रिएक्टर खरीदे गए और कार्यालय के लिए फर्नीचर और कंप्यूटर भी खरीदे गए। शेष ₹49 लाख, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रौद्योगिकी नियमावली और प्रकाशन तैयार करने, उद्यमियों/हितधारकों की बैठक, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जनशक्ति शुल्क के लिए थे। हालाँकि, आईपीआईआरटीआई ने उपरोक्त खरीद के लिए सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए।

- **बोर्ड द्वारा सीओई की निगरानी न करना:** बोर्ड ने (जनवरी 2021) आईपीआईआरटीआई के साथ सीओई के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड के अधिकारियों और उद्योग के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की। हालाँकि, समिति ने सीओई के कार्यों का मूल्यांकन नहीं किया। इसके अलावा, सीओई को भुगतान की जाँच और सिफ़ारिश करने के लिए एक वित्त समिति का भी गठन नहीं किया गया जैसा कि समझौता ज्ञापन में निर्धारित किया था।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2024) कि आईपीआईआरटीआई ने पैनल उत्पादों के निर्माण के लिए लागत प्रभावी, ऊर्जा कुशल और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक विकसित की है और इस तकनीक का निष्पादन तीन कयर क्लस्टर इकाइयों के समक्ष किया गया। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर का समर्थन किया (जुलाई 2024/जनवरी 2025) और कहा कि आईपीआईआरटीआई अब काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईडब्ल्यूएसटी) के अधीन काम कर रहा है और आईपीआईआरटीआई के साथ समझौता ज्ञापन की अवधि समाप्त हो गई है। इसलिए, सीओई के शेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आईडब्ल्यूएसटी के साथ नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने हैं। यह भी कहा गया कि सीओई की समीक्षा बैठकें मई 2021 और जून 2022 के दौरान आयोजित की गईं। बोर्ड ने आईपीआईआरटीआई से प्रयोगशाला रेजिन रिएक्टरों की खरीद से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा, आईपीआईआरटीआई परियोजना के पूरा होने पर तकनीकी नियमावली और प्रकाशन प्रस्तुत करेगा।

इन उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि सीओई-आईपीआईआरटीआई उन सभी उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका जिनके कारण आईडबल्यूएसटी के साथ नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके परियोजना का विस्तार आवश्यक हो गया। इसके अलावा, उच्च मूल्यवर्धित कयर कम्पोजिट के लिए उपयुक्त आसंजक के निर्माण हेतु तकनीक विकसित नहीं की गई। तकनीक/उत्पाद प्रदान करने में विफलता के कारण आईपीआईआरटीआई को कोई और धनराशि जारी नहीं की गई। इसके अलावा, आईपीआईआरटीआई द्वारा निष्पादित परियोजना अगस्त 2022 तक पूरी होने के बावजूद, तकनीकी नियमावली अभी तक बोर्ड को प्रस्तुत नहीं की गई।

अनुशंसा संख्या 28: बोर्ड अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित करे ताकि परियोजनाओं का समय पर पूरा होना और उनका व्यावसायीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

4.1.4.5 सरकार की अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन

सीवीवाई के अलावा बोर्ड ने कयर क्षेत्र के समग्र लाभ के लिए मंत्रालय की पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना (एसएफयूआरटीआई) और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के कार्यान्वयन में भी भाग लिया। योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा में पाई गई कमियों पर आगे के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

(i) एसएफ़यूआरटीआई के अंतर्गत कयर बोर्ड की गतिविधियों की समीक्षा

मंत्रालय ने एसएफ़यूआरटीआई का पुनर्गठन (अगस्त 2014) किया, जिसका उद्देश्य उद्योगों और कारीगरों को समूहों में संगठित करके और कारीगरों तथा ग्रामीण उद्यमियों को निरंतर रोज़गार प्रदान करके पारंपरिक उद्योगों को अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनाना है। बोर्ड कयर क्षेत्र में एसएफयूआरटीआई के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय अभिकरण था।

केंद्रीय अभिकरण द्वारा प्रस्तुत क्लस्टरों[115] के प्रस्तावों पर विचार और अनुमोदन हेतु एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एक योजना संचालन समिति (एसएससी) का गठन किया गया। क्लस्टर प्रस्तावों में तकनीकी एजेंसियों (टीए) और कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) का विवरण शामिल था। टीए को एसएफयूआरटीआई क्लस्टरों को गहन मार्गदर्शन और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया। आईए अनुमोदित डीपीआर के अनुसार विभिन्न हस्तक्षेपों को लागू करने के लिए जिम्मेदार थे। इसके अलावा, परियोजना कार्यान्वयन अवधि समाप्त होने के बाद क्लस्टर के विकास और रखरखाव के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया गया। क्लस्टरों के कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा करने पर, निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं।

क. कयर क्लस्टरों के क्रियाशील होने में विलंब

एसएफयूआरटीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अधिकतम समय-सीमा तीन वर्ष थी। संशोधित एसएफयूआरटीआई योजना के अंतर्गत 40 क्लस्टर स्वीकृत किए गए, हालाँकि, अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष (251 से 1,583 दिन) बाद भी 11 क्लस्टर क्रियाशील नहीं हुए (मार्च 2023)। बोर्ड द्वारा इन 11 अक्रियाशील क्लस्टरों को जारी की गई राशि

[115] ***एसएससी ने नोडल एजेंसी की अनुशंसा और प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) के मूल्यांकन के आधार पर परियोजना/क्लस्टर के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की और डीपीआर तैयार होने के बाद अंतिम स्वीकृति प्रदान की।***

₹35.07 करोड़ (मार्च 2023) थी। कुल 29 क्रियाशील क्लस्टर थे और इनमें से 17 क्लस्टर विलम्ब से क्रियाशील हुए (339 से 928 दिन)।

यह देखा गया कि उपरोक्त विलम्ब डीपीआर में परिकल्पित गतिविधि/मशीनरी में परिवर्तन, सामान्य सुविधाओं के निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि की व्यवस्था न करने, राज्य/क्षेत्रीय प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब, समूहों के आईए/टीए में परिवर्तन और परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ का गठन न करने तथा क्लस्टर परियोजनाओं की निगरानी के लिए मूल्यांकन अध्ययन न करने के कारण हुआ।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी/जुलाई 2024) कि गतिविधि/मशीनरी को तत्कालीन विपणन प्रवृत्ति के आधार पर डीपीआर में शामिल किया गया और आपूर्तिकर्ताओं की कमी/मांग में गिरावट आदि के कारण इसे बदलना पड़ा। एसपीवी ने डीपीआर जमा करते समय भूमि के पट्टे के लिए भूस्वामियों से हलफनामा/सहमति पत्र प्रस्तुत किया। यह भी कहा गया कि आईए/टीए का चयन डीएसआर/डीपीआर[116] के चरण में किया गया और उनकी अक्षमता के कारण कुछ क्लस्टरों में उन्हें बदल दिया गया। इसके अलावा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को क्लस्टरों की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया और बोर्ड ने मासिक समीक्षा बैठक/क्षेत्र निरीक्षण भी किए। मंत्रालय ने यह भी कहा कि एसएफयूआरटीआई परियोजनाओं की निगरानी के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ और मूल्यांकन अध्ययन के लिए धनराशि जारी की गई।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि दिशानिर्देशों में क्लस्टरों को स्वीकृति देने से पहले साझा सुविधाओं के निर्माण हेतु पंजीकृत बिक्री/पट्टेनामे द्वारा आवश्यक भूमि की व्यवस्था करना आवश्यक था। इसके अलावा, एक से अधिक क्लस्टरों[117] में आईए/टीए की नियुक्ति उनके खराब निष्पादन का प्रमुख कारण थी जिसके कारण उनमें बदलाव आवश्यक हो गए। परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना न करना और मंत्रालय के निर्देशानुसार क्लस्टर परियोजनाओं का मूल्यांकन न करना, परियोजनाओं की खराब निगरानी का संकेत देता है। इसके अलावा, क्लस्टरों में गतिविधियों/तंत्रों में बदलाव डीपीआर के अपर्याप्त मूल्यांकन का संकेत देता है।

---

[116] ***नैदानिक अध्ययन रिपोर्ट/ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट***

[117] ***कर्नाटक राज्य कयर सहकारी संघ लिमिटेड, कर्नाटक में चेलुरु, कदलुरु, कोराटेगेरे और श्री गविरंगनाथपुरम क्लस्टरों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी थी और एपीआईटीसीओ, आंध्र प्रदेश के विजयनगरम क्लस्टर में कार्यान्वयन एजेंसी थी और ओडिशा में राजकनिका और कोणार्क क्लस्टरों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी थी।***

अनुशंसा संख्या 29: बोर्ड यह सुनिश्चित करे कि क्लस्टरों प्रस्तावों को स्वीकृति देने से पहले प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए और भूमि की व्यवस्था की जाए। बोर्ड परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ भी स्थापित करे और मूल्यांकन अध्ययन भी करे।

ख. क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केंद्रों का निष्क्रिय होना

एसएफयूआरटीआई के अंतर्गत कार्यरत क्लस्टरों की समीक्षा से पता चला कि 29 कार्यशील क्लस्टरों में पाँच सामान्य सुविधा केंद्र[118] (सीएफसी) निष्क्रिय थे। केरल के हरिप्पड़ और बालुसेरी क्लस्टरों में सीएफसी, कयर धागे की कम माँग के कारण क्रमशः सितंबर 2022 और सितंबर 2023 से निष्क्रिय थे। महाराष्ट्र के पेंडुर समूह के सीएफसी ने उद्घाटन (फरवरी 2021) के तुरंत बाद काम करना बंद कर दिया क्योंकि बिलों का भुगतान न होने के कारण बिजली कनेक्शन काट दिया गया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम क्लस्टर में, एसपीवी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और क्लस्टर का सीएफसी नहीं चलाया जा सका। तमिलनाडु के धर्मपुरी क्लस्टर के एसपीवी को कंपनी रजिस्ट्रार ने फरवरी 2022 में रद्द कर दिया। इस प्रकार, उपरोक्त क्लस्टरों में ₹9.46 करोड़ की लागत से बनाए गए सीएफसी निष्क्रिय पड़े रहे।

मंत्रालय/प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2025/जनवरी 2024) कि हरिप्पड़ क्लस्टर और बालुसेरी क्लस्टर कयर उत्पादों की कम माँग और अधिक आपूर्ति से प्रभावित थे, विजयनगरम क्लस्टर को धन की कमी का सामना करना पड़ा और पेंडुर क्लस्टर को उत्पादन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मंत्रालय ने यह भी बताया कि धर्मपुरी क्लस्टर चालू था।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि क्लस्टरों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) उत्पादों (हरिप्पड़ और बालुसेरी) की वास्तविक माँग को ध्यान में रखते हुए तैयार की जानी चाहिए थी। सीएफसी का काम न करना योजना के उद्देश्यों (विजयनगरम और पेंडुर) के लिए हानिकारक होगा। इसके अलावा, धर्मपुरी क्लस्टर की एसपीवी (श्री मंगलम कयर मैट्रेस प्राइवेट लिमिटेड) को रद्द किया गया।

(ii) नई कयर इकाइयों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने की योजनाएँ

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना और पीएमईजीपी तथा सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त अभिकरण लिमिटेड[119](मुद्रा) के माध्यम से स्थापित मौजूदा इकाइयों के उन्नयन के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने की एक केंद्रीय योजना थी।

[118] ***सीएफसी की स्थापना पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को साझा अवसंरचना प्रदान करने के लिए की जाती है।***

[119] ***सूक्ष्म इकाई उद्यमों के विकास और पुनर्वित्तपोषण हेतु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्थान।***

लाभार्थियों/उद्यमियों को वितरण के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा चिन्हित बैंकों के माध्यम से सब्सिडी प्रदान की जाती थी।

योजना के दिशानिर्देशों (मई 2018) के अनुसार, बोर्ड की भूमिका योजना के अंतर्गत कयर इकाइयाँ स्थापित करने के लिए लाभार्थियों की पहचान करना, उन्हें मार्गदर्शन/मार्गदर्शन देना, क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से इकाइयों की निगरानी करना, इकाइयों के निष्पादन की समीक्षा करना और केवीआईसी को मासिक रिपोर्ट भेजना था। इस योजना के अंतर्गत , विनिर्माण क्षेत्र में ₹10 लाख से अधिक और सेवा क्षेत्र में ₹5 लाख से अधिक लागत वाली कयर क्षेत्र की परियोजनाएँ सहायता [120]के लिए पात्र थीं।

केवीआईसी के पीएमईजीपी पोर्टल से (नवंबर 2023) यह पता चला कि केवीआईसी ने 2018-19 से 2021-22 के दौरान कयर क्षेत्र की 340 लाभार्थी इकाइयों को ₹13.76 करोड़ की सब्सिडी जारी की। हालाँकि, केवल 40 इकाइयाँ ही कार्यरत थीं और रोजगार सृजन कर रही थीं। शेष 300 इकाइयाँ, जिन्हें ₹12.21 करोड़ की सब्सिडी मिली थी, कार्यरत नहीं थीं और कोई रोजगार सृजन नहीं कर पाईं।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2024) कि केवीआईसी राष्ट्रीय स्तर पर एकल केंद्रीय अभिकरण के रूप में पीएमईजीपी योजना को क्रियान्वित कर रहा है। राज्य स्तर पर, कयर संबंधी गतिविधियों के लिए योजना का कार्यान्वयन 2018-19 से बोर्ड के राज्य कार्यालयों के माध्यम से किया गया। बोर्ड की भूमिका योजना के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली कयर इकाइयों की पहचान करना और उन्हें मार्गदर्शन और दिशानिर्देश प्रदान करना था।

मंत्रालय ने पीएमईजीपी योजना के लिए प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तर का समर्थन किया (जुलाई 2024) और कहा कि इकाइयों की पहचान करने और उनके आवेदन बैंकों को अग्रेषित करने के बाद, शेष कार्य केवीआईसी/बैंकों द्वारा किया गया और गैर-कार्यशील इकाइयों को जारी सब्सिडी की वसूली में बोर्ड की कोई भूमिका नहीं है।

उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि पीएमईजीपी में बोर्ड की भूमिका में इकाइयों के निष्पादन की निगरानी और समीक्षा शामिल है। 340 इकाइयों में से 300 का कार्य न करना बोर्ड

[120] ***सामान्य श्रेणियों के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परियोजना लागत का क्रमशः 25 प्रतिशत और 15 प्रतिशत। विशेष श्रेणियों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/शारीरिक रूप से विकलांग, आदि) के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 35 प्रतिशत और 25 प्रतिशत।***

की विफलता का संकेत देता है। बोर्ड ने केवीआईसी द्वारा जारी सब्सिडी की वसूली को सुगम बनाने के लिए इकाइयों के काम न करने की रिपोर्ट करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

4.1.5 निष्कर्ष

बोर्ड ने मंत्रालय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रीय कयर नीति और राष्ट्रीय कयर मिशन को अंतिम रूप नहीं दिया और उसके पास कयर उद्योग का अद्यतन डेटाबेस भी नहीं था। घरेलू बाजार संवर्धन और निर्यात बाजार संवर्धन गतिविधियों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू व्यापार मेलों में भागीदारी के परिणामों और आउटपुट की निगरानी नहीं की गई और व्यापारिक आयोजनों में भागीदारी में दिशानिर्देशों/नियमों का उल्लंघन हुआ। बोर्ड के शोरूमों ने लक्षित बिक्री का केवल 40 प्रतिशत ही हासिल किया और 2018-23 के दौरान शोरूम घाटे में रहे। अपात्र इकाइयों को ₹4.52 करोड़ की निष्पादन-आधारित बाजार विकास सहायता जारी की गई।

29 शोध परियोजनाओं में से, नौ परियोजनाएँ आगे सुधार/अनुसंधान की आवश्यकता, अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव, सहयोगी के पास अवसंरचना की कमी आदि कारणों से पूरी नहीं हो सकीं। इसी प्रकार, 13 पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का व्यावसायीकरण प्रौद्योगिकी के विस्तार की आवश्यकता, प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि रखने वालों की कमी, उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति न होने आदि के कारण नहीं हो सका। बोर्ड द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्र स्थायी अवसंरचना और उत्पाद विकास के लिए अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाए। दिशानिर्देशों के अनुसार, कयर क्षेत्र में एसएफयूआरटीआई और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी भारत सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई।

अध्याय V : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

5.1 विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

5.1.1 भूमिका

विशेषकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से, उन्हें स्वच्छ रसोई ईंधन, अर्थात् तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) उपलब्ध कराकर, भारत सरकार (जीओआई) ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की। पीएमयूवाई का उद्देश्य उन महिलाओं को पाँच करोड़ जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था जिनके पास स्वच्छ ईंधन की पहुँच नहीं थी और जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन कर रही थीं। पीएमयूवाई को चरणों में शुरू किया गया, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में बताया गया है:

तालिका 5.1: पीएमयूवाई के विभिन्न चरण

योजना	आरंभ तिथि	जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का संचयी लक्ष्य	संचयी उपलब्धि
पीएमयूवाई	मई-2016	5 करोड़	3.56 करोड़ (मार्च 2018 के अंत तक)
विस्तारित पीएमयूवाई (ई-पीएमयूवाई)	मार्च-2018	8 करोड़	5.94 करोड़ (दिसंबर 2018 के अंत तक)
ई-पीएमयूवाई 2	दिसंबर-2018	-	8.00 करोड़ (मई 2021 के अंत तक)
उज्ज्वला 2.0	मई-2021	9 करोड़	9.00 करोड़ (जनवरी 2022 के अंत तक)
	जनवरी-2022	9.60 करोड़	9.59 करोड़ (जनवरी 2023 के अंत तक)

स्रोत: तेल विपणन कंपनियों और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राप्त आंकड़े

इस योजना को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) द्वारा तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) अर्थात इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया। पीएमयूवाई के लक्षित लाभार्थी वे महिलाएं थीं जिनके पास स्वच्छ ईंधन की पहुंच नहीं थी और वे गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) थीं, जिन्हें सामाजिक आर्थिक

और जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 सूची से पहचानना था। पीएमयूवाई में 2016-17 से 2018-19 की अवधि के लिए 8,000 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन था। हालांकि, ई-पीएमयूवाई, ई-पीएमयूवाई -2 और उज्ज्वला 2.0 (सामूहिक रूप से ई-पीएमयूवाई के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत योजना दिशानिर्देशों ने ऐसे गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन का लाभ देने की अनुमति दी, जो एसईसीसी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं थे। भारत सरकार ने ई-पीएमयूवाई, ई-पीएमयूवाई-2 और उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत अतिरिक्त 4.60 करोड़ जमा-मुक्त नए एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए ₹6,094 करोड़ के अतिरिक्त आबंटन को स्वीकृति दी।

5.1.2 एलपीजी कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया

एलपीजी कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाई गई है:

ग्राफ-5.1

1. केवाईसी दस्तावेज़ प्रस्तुत करना
2. वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं का विवरण दर्ज करना और दस्तावेज़ अपलोड करना
3. डी-डुप्लीकेशन (घर में किसी भी मौजूदा कनेक्शन की जांच करना)
4. डी-डुप्लीकेशन के दौरान, मौजूदा कनेक्शन मिलने पर केवाईसी को अस्वीकार कर दिया जाता है, अन्यथा स्वीकार कर लिया जाता है
5. केवाईसी पास होने पर, आवेदक को सदस्यता वाउचर जारी किया जाता है
6. एलपीजी कनेक्शन की स्थापना

5.1.3 ई-पीएमयूवाई के अंतर्गत वित्तीय सहायता

ई-पीएमयूवाई के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की वयस्क महिलाओं को एकमुश्त वित्तीय सहायता के रूप में, प्रति एलपीजी कनेक्शन एलपीजी सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर और स्थापना शुल्क आदि के लिए सुरक्षा जमा के रूप में ₹1,600 की राशि भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। तेल विपणन कंपनियाँ ई-पीएमयूवाई और ई-पीएमयूवाई-2 के लाभार्थियों को खाना पकाने के चूल्हे और पहली रिफिल की लागत को वहन करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण लेने का विकल्प प्रदान करेंगी, जिसकी वसूली एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल) के अंतर्गत एलपीजी रिफिल पर उपभोक्ता को मिलने वाली सब्सिडी से की जाएगी।

उज्ज्वला 2.0 योजना के अंतर्गत , महिला लाभार्थियों को उनके जमा-मुक्त कनेक्शन के साथ-साथ पहली रिफिल और चूल्हा (हॉटप्लेट) दोनों निःशुल्क प्रदान किए जाएँगे।

5.1.4 योजना की कार्यान्वयन स्थिति

मई 2016 से मार्च 2023 तक अखिल भारतीय एलपीजी कवरेज[121] के साथ-साथ उपभोक्ताओं की संख्या में वर्ष-वार वृद्धि निम्नानुसार रही:

ग्राफ-**5.2** एलपीजी पहुंच और उपभोक्ताओं की संख्या का विवरण

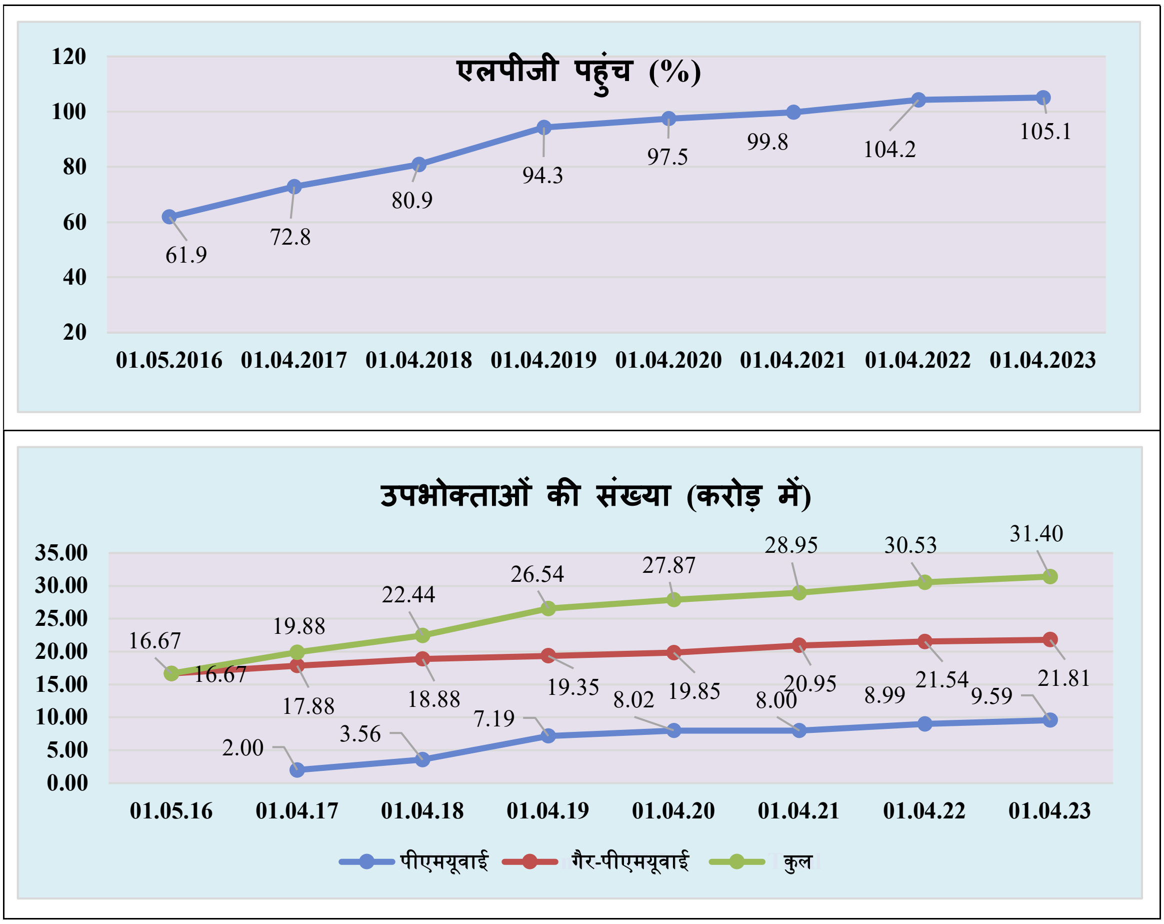

जैसा कि ऊपर बताया गया है, पीएमयूवाई के आरंभ के समय, अखिल भारतीय एलपीजी कवरेज 61.9 प्रतिशत था, जो अप्रैल 2021 और अप्रैल 2023 तक क्रमशः 99.8 प्रतिशत और 105.1 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार, पीएमयूवाई ने उचित समय के भीतर एलपीजी कनेक्शन जारी करने के निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। इसके अलावा, पीएमयूवाई लाभार्थियों को

[121] *सक्रिय एलपीजी घरेलू कनेक्शनों और अनुमानित परिवारों की संख्या (2011 की जनगणना पर आधारित) का अनुपात।*

प्रत्येक रिफिल पर ₹300 की लक्षित सब्सिडी का हस्तांतरण, स्वच्छ ईंधन की ओर गमन और औसत एलपीजी खपत में वृद्धि जैसे सुधार इस योजना की उल्लेखनीय विशेषताएं थीं।

पीएमयूवाई के आरंभ के बाद एलपीजी कनेक्शनों में वर्ष-वार वृद्धि का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 5.2: समग्र पीएमयूवाई और गैर-पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शनों का वर्षवार विवरण

(संख्या करोड़ में)

तिथि तक	अनुमानित परिवारों की संख्या	एलपीजी कनेक्शनों की संख्या			एलपीजी कनेक्शनों की संख्या में वर्षवार वृद्धि	एलपीजी पहुँच (प्रतिशत)
		पीएमयूवाई	गैर-पीएमयूवाई	योग		
01.05.2016	26.89	0	16.67	16.67	-	61.9
01.04.2017	27.29	2.00	17.88	19.88	3.21	72.8
01.04.2018	27.72	3.56	18.88	22.44	2.56	80.9
01.04.2019	28.15	7.19	19.35	26.54	4.10	94.3
01.04.2020	28.58	8.02	19.85	27.87	1.33	97.5
01.04.2021	29.01	8.00	20.95	28.95	1.08	99.8
01.04.2022	29.29	8.99	21.54	30.53	1.58	104.2
01.04.2023	29.87	9.59	21.81	31.40	0.87	105.1

जैसा कि ऊपर से स्पष्ट है, पीएमयूवाई के आरंभ के बाद से समग्र एलपीजी कनेक्शनों में 14.73 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसमें से 9.59 करोड़ (65 प्रतिशत) पीएमयूवाई के कारण थे।

5.1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार ई-पीएमयूवाई, ई-पीएमयूवाई-2 और उज्ज्वला 2.0 योजनाओं के कार्यान्वयन की जांच के लिए की गई। इस लेखापरीक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित थे:

- क्या तेल विपणन कंपनियों द्वारा उचित जाँच-पड़ताल के बाद केवल ई-पीएमयूवाई/उज्ज्वला 2.0 लाभार्थियों के पात्र और इच्छित परिवारों को ही एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए?

- क्या तेल विपणन कंपनियों और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया प्रभावी ढंग से की गई?
- क्या योजना के लाभार्थियों द्वारा एलपीजी का निरंतर उपयोग किया गया?

5.1.6 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मई 2016 से दिसंबर 2018 तक की अवधि के लिए 3.81 करोड़ लाभार्थियों को सम्मिलित करते हुए पीएमयूवाई के कार्यान्वयन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की और उस पर सीएजी की रिपोर्ट (वर्ष 2019 की प्रतिवेदन संख्या 14) 11 दिसंबर 2019 को संसद में रखी गई, जिसका चयन और चर्चा लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा की गई। पीएसी ने सीएजी की 2019 की प्रतिवेदन संख्या 14 पर अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, जिसे जुलाई 2024 में संसद में रखा गया।

पीएसी ने (नवंबर 2021) सीएजी कार्यालय को ई-पीएमयूवाई, ई-पीएमयूवाई 2 और उज्ज्वला 2.0 की लेखापरीक्षा करने की सलाह दी। तदनुसार, योजना के कार्यान्वयन की जाँच हेतु मार्च 2018 से मार्च 2022 की अवधि के लिए ई-पीएमयूवाई पर यह लेखापरीक्षा की गई। योजना की निगरानी और तेल विपणन कंपनियों के दावों के निपटान से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय/पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)[122] में की गई। उपरोक्त के अतिरिक्त, इस लेखापरीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (2019 की प्रतिवेदन संख्या 14) पर निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा भी की गई।

लेखापरीक्षा 10 अक्टूबर 2022 को एमओपीएनजी और ओएमसी के साथ एक प्रवेश सम्मेलन के साथ शुरू हुई जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, मानदंड और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। इसके बाद, 31 मार्च 2022 तक ओएमसी द्वारा प्रदान किए गए ईपीएमयूवाई/ईपीएमयूवाई-2/उज्ज्वला 2.0 लाभार्थियों के डेटाबेस का लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण किया गया। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के लिए, 115 वितरकों (आईओसीएल: 57, एचपीसीएल और बीपीसीएल: 29 प्रत्येक) के नमूने का चयन यह जांचने के लिए किया गया कि क्या आवेदकों की पात्रता के सत्यापन में वितरकों और ओएमसी द्वारा पर्याप्त प्रयास किया गया। इसके अलावा, प्रत्येक चयनित वितरक

---

[122] पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत तेल विपणन कंपनियों के दावों की जाँच करता है और उन्हें प्रतिपूर्ति के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रस्तुत करता है।

पर, कम से कम 150 केवाईसी[123] रिकॉर्ड की विस्तृत लेखापरीक्षा जांच की गई, जो विभिन्न मापदंडों जैसे उपभोक्ता प्रोफ़ाइल और उपभोग तरीके आदि के आधार पर चुने गए थे। तदनुसार, कुल 26,172 लाभार्थियों[124] के केवाईसी रिकॉर्ड की समीक्षा की गई और क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान 1,223 लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया गया।

तीनों तेल विपणन कंपनियों को 15 दिसंबर 2023 को लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाला मसौदा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया। मसौदा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर तेल विपणन कंपनियों के उत्तर जनवरी/फरवरी 2024 में प्राप्त हुए, जिन्हें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को जारी (जून 2024) मसौदा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विधिवत शामिल किया गया। 14 नवंबर 2024 को निकास सभा आयोजित की गई और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अंतिम उत्तर (जनवरी 2025) भी इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विधिवत शामिल किए गए।

5.1.7 लेखापरीक्षा नमूना

31 मार्च 2022 तक 5.18 करोड़ ई-पीएमयूवाई लाभार्थियों के डेटा की लेखापरीक्षा डेटा विश्लेषण के माध्यम से की गई, जिसमें आईओसीएल में 2.36 करोड़, बीपीसीएल में 1.36 करोड़ और एचपीसीएल[125] में 1.46 करोड़ शामिल थे। इसके अलावा, तीन ओएमसी में 22,931 एलपीजी वितरकों में से 115 वितरकों (0.5 प्रतिशत) का नमूना विभिन्न मापदंडों जैसे जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों की संख्या और खपत किए गए रिफिल की संख्या आदि के आधार पर स्तरीकृत नमूनाकरण का उपयोग करके तैयार किया गया। इन वितरकों का चयन क्षेत्रवार किया गया ताकि भौगोलिक प्रतिनिधित्व (पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण), ओएमसी बाजार हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके, और जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों की संख्या और एलपीजी रिफिल की संख्या के आधार पर शीर्ष, मध्य और निम्न स्तरों में वर्गीकृत किया गया।

5.1.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने पीएमयूवाई और बाद की योजनाओं के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन जारी करने की कार्यान्वयन प्रक्रिया की प्रभावशीलता का मूल्यांकन योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन के संदर्भ में किया, ताकि यह आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि एलपीजी कनेक्शन इच्छित और पात्र

---

[123] केवाईसी का अर्थ है 'अपने ग्राहक को जानें', जिसका उपयोग ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के लिए किया जाता है।

[124] आईओसीएल: 12,183 लाभार्थी, बीपीसीएल: 6,543 लाभार्थी और एचपीसीएल: 7,446 लाभार्थी

[125] एचपीसीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए उपभोक्ता आंकड़ों के अनुसार, 26.05.2022 तक जारी किए गए 6.18 लाख कनेक्शन शामिल हैं।

लाभार्थियों[126] को जारी किए। ये उपाय इच्छित लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शनों की पारदर्शी पहचान और कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए।

5.1.8.1 इच्छित लाभार्थियों की पहचान

किसी भी कल्याणकारी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पात्र लाभार्थियों की सटीक पहचान अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इच्छित लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हो। इस संबंध में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने योजना के लिए एक केवाईसी दस्तावेज़ निर्धारित किया है, जिसमें आवेदकों से निम्नलिखित विशिष्ट जनसांख्यिकीय और अन्य महत्वपूर्ण विवरण एकत्र करना अनिवार्य है। इन विवरणों को एक मजबूत डी-डुप्लीकेशन तंत्र के माध्यम से सत्यापित किया जाना था और एलपीजी वितरकों द्वारा आगे सत्यापित किया जाना था।

चित्र-5.1: योजना के लिए लाभार्थी की पात्रता के आकलन हेतु आवश्यक विवरण

आधार	राशन कार्ड	बैंक खाता	श्रेणी दस्तावेज़
आवेदक और परिवार के सभी सदस्यों का आधार	लाभार्थी का नाम और उसके परिवार की संरचना निर्दिष्ट करने वाला राशन कार्ड	लाभार्थी के नाम पर पंजीकृत बैंक खाता	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अंत्योदय अन्न योजना, नदी द्वीप, अति पिछड़ा वर्ग, प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित आवेदक

---

126 पीएमयूवाई योजना के विभिन्न चरणों के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन के मानदंड: पीएमयूवाई (मई 2016): एलपीजी सुविधा से वंचित और बीपीएल श्रेणी की महिलाओं की पहचान एसईसीसी 2011 सूची से की जाएगी;
ई-पीएमयूवाई (मार्च 2018): बीपीएल परिवारों की महिला आवेदक की पहचान सात श्रेणियों में से किसी एक से की जाएगी: (i) अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड धारक (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार (iii) अति पिछड़ा वर्ग (iv) नदी द्वीप निवासी (v) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के मौजूदा लाभार्थी (vi) वनवासी और (vii) चाय और पूर्व चाय बागान निवासी;
ईपीएमयूवाई-2 (दिसंबर 2018): कोई भी महिला आवेदक जो परिवार की बीपीएल प्रकृति के समर्थन में 14-सूत्रीय घोषणा प्रस्तुत करे।
उज्ज्वला 2.0 (मई 2021): कोई भी महिला आवेदक जो प्रवासी स्थिति, परिवार की संरचना, पते के प्रमाण और परिवार की संरचना में उल्लिखित वयस्कों के आधार की स्व-घोषणा प्रस्तुत करे।

चयनित एलपीजी वितरकों के डेटा विश्लेषण और क्षेत्र सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने लाभार्थी पहचान प्रक्रिया में कुछ कमियां देखीं, जिनका विवरण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है:

5.1.8.1.1 तेल विपणन कंपनियों द्वारा आधार से जोड़ने के लिए दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, महिला लाभार्थियों को घर में रहने वाले सभी वयस्क परिवार के सदस्यों के आधार नंबर प्रदान करना अनिवार्य था। यह प्रावधान प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक डी-डुप्लीकेशन को सक्षम करने और एक ही परिवार को अलग-अलग पहचान के अंतर्गत कई एलपीजी कनेक्शन जारी होने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण था। चूँकि सभी मौजूदा एलपीजी कनेक्शन आधार से जुड़े हैं, इसलिए परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के आधार नंबरों को जोड़ना महत्वपूर्ण था। आधार को एक केवाईसी दस्तावेज़ और डी-डुप्लीकेशन यंत्र, दोनों के रूप में काम करना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मई 2016 और फिर मई 2021 में जारी निर्देशों के माध्यम से इस आवश्यकता को दोहराया, और तेल विपणन कंपनियों को इस आदेश को लागू करने का स्पष्ट निर्देश दिया।

हालाँकि, इन निर्देशों के विपरीत, तेल विपणन कंपनियों ने मार्च 2018 में स्वतंत्र रूप से कार्यान्वयन के दिशा-निर्देश तैयार किए और अपनाए, जिसमें केवल परिवार के एक सदस्य के आधार पर एलपीजी कनेक्शन जारी करने की अनुमति दे दी गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों से इस विचलन ने डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया को कमजोर कर दिया और डुप्लिकेट तथा अपात्र एलपीजी कनेक्शनों का जोखिम बढ़ा दिया, जैसा कि बाद के पैरा संख्या 5.1.8.1.2 और 5.1.8.1.3 में देखा गया है।

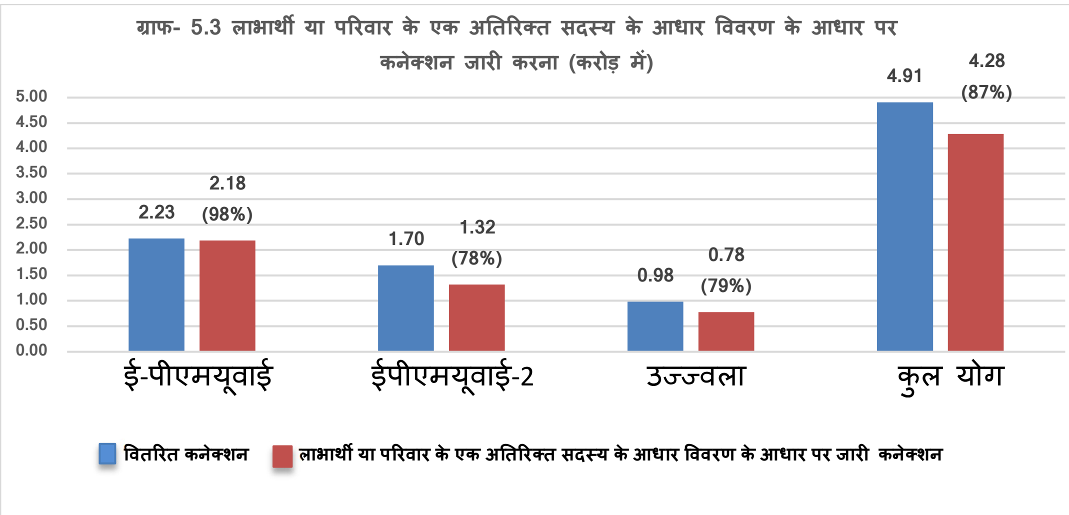

1. लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि 4.91 करोड़ [127]में से 4.28 करोड़ (87 प्रतिशत) एलपीजी कनेक्शन पूरे परिवार के आधार से जोड़े बिना जारी किए गए, जिससे डी-डुप्लीकेशन का दायरा सीमित हो गया, जैसा कि ऊपर ग्राफ में दर्शाया गया है।

2. डेटा विश्लेषण से यह भी पता चला कि ई-पीएमयूवाई के अंतर्गत 2.23 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों में से 30.53 लाख (13.69 प्रतिशत) केवल लाभार्थी के आधार पर जारी कर दिये गए। इस गैर-अनुपालन ने डी-डुप्लीकेशन कार्यवाही के प्रभाव और दायरे को भी सीमित कर दिया।

3. ई-पीएमयूवाई 2 और उज्ज्वला 2.0 के संबंध में सभी वयस्क परिवार के सदस्यों के लिए आधार से जोड़े जाना अनिवार्य होने के बावजूद, ओएमसी ने पूरे परिवार के आधार से जोड़े बिना क्रमशः 1.32 करोड़ (78 प्रतिशत) और 0.78 करोड़ (79 प्रतिशत) कनेक्शन जारी किए।

5.1.8.1.2 परिवार आधार को जोड़ने के संबंध में निगरानी तंत्र की कमी

एमओपीएनजी ने ओएमसी अधिकारियों को उज्ज्वला 2 योजना के अधीन जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों में से कम से कम एक प्रतिशत का सत्यापन करने का निर्देश दिया। इस संबंध में, एचपीसीएल और बीपीसीएल क्षेत्रीय/बिक्री अधिकारियों द्वारा सत्यापित एलपीजी कनेक्शनों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि जारी किए गए 2.74 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों में से एचपीसीएल और बीपीसीएल के बिक्री अधिकारियों[128] ने 15.48 लाख एलपीजी कनेक्शनों का सत्यापन किया है। इनमें से 10.83 लाख एलपीजी कनेक्शन (70 प्रतिशत) पूरी तरह से लाभार्थी अथवा परिवार के एक सदस्य के आधार को जोड़कर जारी किए गए। एलपीजी प्रक्रिया-सामग्री, साफ्टवेयर में इस तरह की सीमित आधार से जोड़ने के कारण, पर्याप्त विवरण प्राप्त नहीं हुआ, तथापि बिक्री अधिकारियों द्वारा जांच के दौरान उन्हें स्वीकृति दे दी गई, जिसके परिणामस्वरूप, केवाईसी को स्वीकृति मिल गई जो निगरानी तंत्र में कमी का संकेत देती है।

5.1.8.1.3 आधार से सीमित रूप में जोड़ने और गैर-अनुपालन वाले एलपीजी कनेक्शनों का कार्योत्तर नियमितीकरण

सीएजी के वर्ष 2019 के प्रतिवेदन संख्या 14 ने पूर्ववर्ती पीएमयूवाई योजना के लेखापरीक्षा के दौरान (पैरा संख्या 1.2.1.1 देखें) इस बात को चिह्नित किया कि 3.78 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों में से 1.60 करोड़ (42.3 प्रतिशत) केवल लाभार्थी के आधार पर जारी किए गए, जिससे डी-

[127] असम और मेघालय में पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शन के लिए आधार कार्ड जमा करना अनिवार्य नहीं था। इसलिए, इन राज्यों के 0.27 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जांच से बाहर कर दिए गए।

[128] आईओसीएल ने अपने बिक्री अधिकारियों द्वारा सत्यापित कनेक्शनों के बारे में जानकारी साझा नहीं की।

डुप्लीकेशन प्रक्रिया बाधित हुई। एक अनुशंसा की गई कि *"मौजूदा और नए लाभार्थियों के सभी वयस्क परिवार के सदस्यों के आधार नंबर प्रणाली में दर्ज किए जाने चाहिए ताकि डी-डुप्लीकेशन प्रभावी हो सके।"* इस अनुशंसा का लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अपनी 130वीं रिपोर्ट (2023-24) में भी समर्थन किया, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का व्यापक आधार संग्रह करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में उत्तर दिया कि शुरुआत से ही, इस योजना में वयस्क परिवार के सदस्यों के आधार विवरण को जोड़ने का प्रावधान है।

इस संबंध में, डेटा विश्लेषण के आधार पर, पीएमयूवाई अनुवर्ती लेखापरीक्षा के संबंध में ओएमसी द्वारा अनुपालन प्रयासों की समीक्षा से पता चला कि पीएमयूवाई दिशानिर्देशों का पालन करने के बजाय, ओएमसी ने अपने उद्योग अभिलेख नोट (आईआरएन) (06.06.2019 और 06.08.2019) के माध्यम से परिवार के केवल एक अतिरिक्त सदस्य के आधार को जोड़कर गैर-अनुपालन एलपीजी कनेक्शनों के आंशिक नियमितीकरण का विकल्प चुना।

परिणामस्वरूप, 2.4 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों में से 2.14 करोड़ (89.12 प्रतिशत) या तो केवल लाभार्थी के आधार के साथ या परिवार के किसी एक सदस्य के आधार के साथ जोड़े गए। डी-डुप्लीकेशन के महत्व को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि लेखापरीक्षा के कहने पर, ओएमसी ने परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त आधार को जोड़ा और 1.38 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों के संबंध में इन अतिरिक्त आधार को जोड़कर, ओएमसी ने स्वयं 2,60,483 डुप्लिकेट एलपीजी कनेक्शन[129] (1.88 प्रतिशत) की पहचान की, जिससे सरकारी खजाने/ओएमसी पर 46.22 करोड़[130] रुपये का वित्तीय भार पड़ा (बीपीसीएल द्वारा जारी 90,230 अपात्र एलपीजी कनेक्शनों से संबंधित)। एचपीसीएल (3,530 एलपीजी कनेक्शन) और आईओसीएल (1,66,505 एलपीजी कनेक्शन) द्वारा जारी डुप्लिकेट एलपीजी कनेक्शनों के वित्तीय प्रभावों के बारे में प्रतिक्रियाएं अभी भी प्रतीक्षित थीं। इसके अलावा, हालांकि इन 2,60,483 एलपीजी कनेक्शनों को अवरुद्ध कर दिया गया है, लेकिन उनका औपचारिक रद्दीकरण अभी भी लंबित है।

तेल विपणन कंपनियों ने (जनवरी/फरवरी 2024) उत्तर दिया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने (23 मई 2019) लाभार्थी के पति या परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य का आधार नंबर एकत्र करके उसे आधार से जोड़ने और उसके बाद एक डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया करने की सलाह दी। इसके बाद, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने (3 दिसंबर 2020) निर्देश दिया कि जहाँ भी संभव हो, एलपीजी कनेक्शनों को नियमित किया जाए। ई-पीएमयूवाई की मानक संचालन

---

[129] आईओसीएल: 166505, एचपीसीएल: 3530 और बीपीसीएल 90448

[130] ₹46.22 करोड़ केवल बीपीसीएल से संबंधित हैं। आईओसीएल और एचपीसीएल से जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

प्रक्रिया के अनुसार, नियमितीकरण के लिए परिवार के कम से कम एक अतिरिक्त वयस्क सदस्य का आधार नंबर जोड़ना आवश्यक था। जिन मामलों में इस प्रक्रिया के दौरान अनियमितताएँ पाई गईं, उन पर तेल विपणन कंपनियों ने योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार उचित कार्रवाई करने की बात कही।

हालांकि, एमओपीएनजी ने दोहराया (जनवरी 2025) कि पीएमयूवाई की शुरुआत के बाद से, इसने लगातार ओएमसी को परिवार के सभी सदस्यों का आधार विवरण एकत्र करने का निर्देश दिया, और ई-पीएमयूवाई और उज्ज्वला 2.0 विस्तार के दौरान इसकी पुष्टि की। इसके बावजूद, ओएमसी ने एमओपीएनजी के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए केवल एक वयस्क के आधार के आधार पर एलपीजी कनेक्शन जारी करने की अनुमति देने के दिशा-निर्देश अपनाए (मार्च 2018)। ई-पीएमयूवाई के एसओपी के अनुसार, इसके लिए कम से कम एक अतिरिक्त वयस्क परिवार के सदस्य के आधार को जोड़ना आवश्यक था। केवल लाभार्थियों के आधार पर जारी किए गए 30.53 लाख ऐसे एलपीजी कनेक्शनों के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन के उत्तर में, एमओपीएनजी ने कहा कि 30.53 लाख एलपीजी कनेक्शनों में से 13.48 लाख एलपीजी कनेक्शन वास्तविक एकल महिला लाभार्थियों को जारी किए गए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तेल विपणन कंपनियों का उत्तर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उत्तर से विरोधाभासी है और इस प्रकार, तेल विपणन कंपनियों द्वारा आधार संग्रह को परिवार के एक वयस्क सदस्य तक सीमित करने के लिए अपनाए गए कार्यान्वयन के तरीके योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थे। परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के आधार न होने से मौजूदा एलपीजी कनेक्शनों के साथ प्रभावी प्रति-सत्यापन में बाधा उत्पन्न हुई और डुप्लिकेट एलपीजी कनेक्शनों की समस्या में योगदान मिला। इसके अलावा, क्षेत्रीय लेखापरीक्षा निष्कर्षों से ऐसे मामले सामने आए जहाँ "एकल महिला" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत लाभार्थियों के राशन कार्डों पर परिवार के अतिरिक्त सदस्य भी सूचीबद्ध पाए गए और इसलिए, यह दावा कि 13.48 लाख एलपीजी कनेक्शन वास्तविक हैं, आगे की जाँच की माँग करता है।

5.1.8.1.4 उपलब्ध आधार को लिंक न करना

ओएमसी ने एलपीजी वितरकों को एलपीजी सॉफ्टवेयर में वास्तविक समय डी-डुप्लीकेशन (आरटीडी) सुविधा प्रदान की है ताकि यह तुरंत सत्यापित किया जा सके कि आधार पर डी-डुप्लीकेशन के आधार पर परिवार के किसी सदस्य के पास पहले से एलपीजी कनेक्शन है या नहीं।

चयनित 115 वितरकों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा से पता चला कि 33[131] (29 प्रतिशत) वितरकों ने केवाईसी दस्तावेजों के साथ लाभार्थियों से प्राप्त होने के बावजूद वयस्क परिवार के सदस्यों के आधार नंबर को जोड़ा नहीं गया। लेखापरीक्षा ने ओएमसी के वेब पोर्टल पर आरटीडी सत्यापन के लिए स्वतंत्र रूप से इन बिना जोड़े गए आधार नंबरों का इस्तेमाल किया, जिससे पुष्टि हुई कि लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित 26,172 केवाईसी में से 378 (1.44 प्रतिशत) एलपीजी कनेक्शन उसी या किसी अन्य ओएमसी में अन्य एलपीजी कनेक्शनों से जुड़े थे एवं एक घर में कई एलपीजी कनेक्शन होना प्रमाणित हुआ।

पीएमयूवाई की अनुवर्ती क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान भी इसी तरह की लेखापरीक्षा टिप्पणी देखी गई। पीएमयूवाई की अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, 12 चयनित एलपीजी वितरकों के 2,396 केवाईसी रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि 970 मामलों[132] में, लाभार्थियों द्वारा इसे जमा करने के बावजूद, परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के आधार विवरण को जोड़ा नहीं गया। इन बिना जुड़े आधार नंबरों पर आरटीडी ने 2,396 सत्यापित केवाईसी में से 267 (11.14 प्रतिशत) डुप्लिकेट एलपीजी कनेक्शनों[133] की पहचान की। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि 2,396 सत्यापित केवाईसी में से 24 मामलों[134] (एक प्रतिशत) में, वयस्कों के बजाय परिवार के नाबालिग सदस्यों के आधार को जोड़ा गया। एक एचपीसीएल वितरक पर, लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि एक असंबंधित व्यक्ति का आधार दूसरे आधार के रूप में जोड़ा गया। ये निष्कर्ष अनुपालन में खामियों को उजागर करते हैं और डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर चिंताएँ उत्पन्न करते हैं।

उपरोक्त पाए गए डुप्लिकेट एलपीजी कनेक्शन सांकेतिक हैं, जिनकी पहचान सीमित नमूनों के आधार पर की गई है। परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के लिए आधार कार्ड की अपर्याप्त अनुबंधन ने डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया की प्रभावशीलता को कम कर दिया। तेल विपणन कंपनियों द्वारा केवल एक अतिरिक्त आधार कार्ड जोड़ने का निर्णय अपर्याप्त, अप्रभावी और पीएमयूवाई दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने (जनवरी 2025) बताया कि 378 नकली एलपीजी कनेक्शनों में से 209 कनेक्शन असल पाए गए, 53 कनेक्शन रद्द कर दिए गए और शेष सत्यापन के अधीन हैं।

---

[131] आईओसीएल: 16, एचपीसीएल: 8 और बीपीसीएल: 9

[132] आईओसीएल: 534, एचपीसीएल: 349 और बीपीसीएल: 87

[133] आईओसीएल: 174, एचपीसीएल: 38 और बीपीसीएल: 55

[134] आईओसीएल: 16, एचपीसीएल: 02 और बीपीसीएल: 06

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि नकली एलपीजी कनेक्शनों का पता आरटीडी प्रणाली के माध्यम से लगाया जा सकता था, फिर भी उपलब्ध आधार विवरणों को आधार से न जोड़ना, एलपीजी वितरकों द्वारा डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया को अनदेखा करने की चूक को दर्शाता है। इसके अलावा, प्रतिक्रिया में चयनित 115 एलपीजी वितरकों में से 33 द्वारा आधार को न जोड़ने का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

अनुशंसा संख्या 30: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तेल विपणन कंपनियों को निर्देश दे सकता है कि वे परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के आधार नंबरों को अनिवार्य रूप से जोड़ना सुनिश्चित करें। अपर्याप्त आधार से जोड़ने वाले कनेक्शनों की पूर्वव्यापी समीक्षा करके अपात्र या दोहरे लाभार्थियों की पहचान की जा सकती है, और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

5.1.8.2 राशन कार्ड के माध्यम से आवेदकों की पात्रता की पहचान

ई-पीएमयूवाई, ई-पीएमयूवाई 2 और उज्ज्वला 2.0 (प्रवासियों को छोड़कर) के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभार्थी की पात्रता के लिए राज्य/जिला अधिकारियों द्वारा जारी राशन कार्ड या समकक्ष दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य था। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, तेल विपणन कंपनियों ने एक उद्योग अभिलेख नोट (27 मार्च 2018) जारी किया, जिसमें एलपीजी वितरकों को आधिकारिक राज्य/एनआईसी पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड विवरणों का सत्यापन करने और सत्यापन सारांश बनाए रखने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य-विशिष्ट राशन कार्ड प्रारूपों के अनुरूप सॉफ़्टवेयर सत्यापन को शामिल किया गया। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने योजना के दिशा-निर्देशों से निम्नलिखित विचलन देखे, जो वितरकों द्वारा सत्यापन प्रक्रियाओं में खामियों और तेल विपणन कंपनियों द्वारा अपर्याप्त प्रवर्तन का संकेत देते हैं:

5.1.8.2.1 परिवार संरचना और आधार से जोड़ने के बीच मिलान न होना

एलपीजी वितरकों द्वारा आधार प्रविष्टियों को लाभार्थियों के राशन कार्डों में दर्ज पारिवारिक संरचना के आधार पर दर्ज करने की सटीकता का आकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने दिल्ली क्षेत्र में तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी किए गए 1.08 लाख एलपीजी कनेक्शनों का डेटा विश्लेषण किया। इनमें से 0.73 लाख[135] एलपीजी कनेक्शन राशन कार्ड डेटा से मेल खाते थे और लेखापरीक्षा ने पाया कि 33,749 मामलों[136] (46 प्रतिशत) में, आधार विवरण केवल लाभार्थी या अधिकतम एक अतिरिक्त पारिवारिक सदस्य के लिए ही दर्ज किए गए, जबकि संबंधित राशन कार्डों में परिवार का

---

[135] आईओसीएल: 29181, एचपीसीएल: 19139, और बीपीसीएल: 24912

[136] आईओसीएल: 12470, एचपीसीएल: 8846, और बीपीसीएल: 12433

आकार तीन से 16 सदस्यों तक था। इस सीमित आधार प्रविष्टि ने डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया की प्रभावशीलता को कम कर दिया और योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया।

अपर्याप्त आधार से जोड़ने की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा पुष्टि

नमूना 115 एलपीजी वितरकों के क्षेत्र सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा निष्कर्ष की और पुष्टि हुई। अखिल भारतीय स्तर पर जाँचे गए 26,172 केवाईसी अभिलेखों में से 2,053 (7.84 प्रतिशत) अभिलेखों से पता चला कि राशन कार्डों में दर्ज वयस्क पारिवारिक सदस्यों की संख्या आधार प्रविष्टियों की संख्या से अधिक थी। इससे पता चलता है कि वितरकों ने योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सभी पात्र पारिवारिक सदस्यों का आधार विवरण एकत्र और अद्यतित नहीं किया।

ओएमसी ने उत्तर दिया (जनवरी और फरवरी 2024) कि एमओपीएनजी दिशानिर्देशों और एफ़एक्यूज़ (दिनांक 20.09.2018) के अनुसार, ई-पीएमयूवाई ने परिवार के एक सदस्य के आधार पर एलपीजी कनेक्शन जारी करने की अनुमति दी। हालांकि, ई-पीएमयूवाई 2 और उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत , परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के आधार को जोड़ना अनिवार्य था। ओएमसी ने यह भी स्वीकार किया कि उनके प्रणाली में केंद्रीय एनआईसी डेटाबेस के साथ एकीकरण की कमी थी, जिससे आधार प्रविष्टियों के आधार पर राशन कार्डों पर सूचीबद्ध परिवार के सदस्यों की संख्या को सत्यापित करना असंभव हो गया। हालांकि, डुप्लिकेट एलपीजी कनेक्शनों पर लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के मद्देनजर, ओएमसी ने आश्वासन दिया कि एक विस्तृत सत्यापन कार्यवाही की जाएगी, और सुधारात्मक कार्यों के साथ परिणाम लेखापरीक्षा के साथ साझा किए जाएंगे।

ओएमसी का यह दावा कि एमओपीएनजी ने एकल आधार पर एलपीजी कनेक्शन जारी करने की अनुमति दी, एमओपीएनजी के उत्तर (पैरा संख्या 5.1.8.1.1 में संदर्भित) का खंडन करता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, पीएमयूवाई और इसके विस्तार की शुरुआत के बाद से, ओएमसी को लगातार प्रत्येक लाभार्थी परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के आधार नंबरों को जोड़ने का निर्देश दिया गया।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि अंतर ओएमसी एलपीजी कनेक्शनों के बीच डी-डुप्लीकेशन में 100 प्रतिशत दक्षता हासिल करने के लिए, ओएमसी ने डी-डुप्लीकेशन को बेहतर करने के लिए कॉमन एलपीजी डेटा प्लेटफॉर्म (सीएलडीपी) लागू किया है (मई 2024)। विभिन्न पहचान मापदंडों के साथ वास्तविक समय डी-डुप्लीकेशन और उपभोक्ता डेटा को प्रति-अग्रेषण को

लागू करके, ओएमसी ने बहु एलपीजी कनेक्शनों के मामलों की प्रभावी रूप से पहचान की और उन्हें समाप्त किया। इसके अलावा, तेल विपणन कंपनियों ने एसईसीसी श्रेणी के अंतर्गत जारी किए गए कनेक्शनों के लिए परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त आधार को जोड़ा है और आधार डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया के अंतर्गत डुप्लिकेट पाए गए कनेक्शन पर कार्रवाई पूरी कर ली है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि हालांकि सीएलडीपी का उद्देश्य ओएमसी में डुप्लिकेट एलपीजी कनेक्शनों का पता लगाना है, इसकी प्रभावशीलता सभी वयस्क परिवार के सदस्यों के पूर्ण आधार से जोड़ने पर निर्भर करेगी। इस तरह की व्यापक अनुबंधन के अभाव में, डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया अप्रभावी रहेगी। पीपीएसी हालांकि डी-डुप्लीकेशन करता है, लेकिन इसकी डी-डुप्लीकेशन कार्यवाही केवल पीएमयूवाई/ईपीएमयूवाई डेटा के बीच की जाती है जो सामान्य श्रेणी के अंतर्गत जारी मौजूदा एलपीजी कनेक्शन का पता नहीं लगाता है। एसईसीसी श्रेणी के अंतर्गत पाए गए डुप्लिकेट कनेक्शन के संबंध में, ओएमसी ने पूरे परिवार के आधार के बजाय परिवार के केवल एक आधार पर डी-डुप्लीकेशन किया। इसलिए, राशन कार्डों में सूचीबद्ध परिवार के सभी सदस्यों के लिए आधार संख्या के न जोड़ने के मुद्दे पर उत्तर मौन था।

5.1.8.2.2 डुप्लिकेट एलपीजी कनेक्शन जारी करना

इस योजना के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्राथमिक पात्रता मानदंड यह था कि आवेदक को ऐसे परिवार की वयस्क महिला होना चाहिए जिसके पास पहले से एलपीजी कनेक्शन न हो, बशर्ते कि वह अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करती हो।

इसलिए, अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केवाईसी दस्तावेजों का गहन सत्यापन करना एलपीजी वितरकों और तेल विपणन कंपनियों की ज़िम्मेदारी थी। हालाँकि, 115 नमूना वितरकों के केवाईसी रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि 26,172 मामलों में से 472 मामलों[137] में, 12 वितरकों[138] के पास लाभार्थियों द्वारा जमा किए गए राशन कार्डों में स्पष्ट विवरण (गैस एजेंसी का नाम, कनेक्शन संख्या और तेल विपणन कंपनी का नाम) मौजूद थे, जो उसी घर में पहले से मौजूद एलपीजी कनेक्शन की उपस्थिति का संकेत देते थे।

तेल विपणन कंपनियों ने उत्तर दिया (फरवरी और मार्च 2024) कि लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित एलपीजी कनेक्शनों का सत्यापन किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई करके लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

[137] ***आईओसीएल: 160, एचपीसीएल: 100 और बीपीसीएल: 212***

[138] ***आईओसीएल: 6, एचपीसीएल: 2 और बीपीसीएल 4***

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2025) कि तेल विपणन कंपनियों ने 203 कनेक्शनों का सत्यापन किया है और पाया है कि चार कनेक्शन मौजूदा कनेक्शन धारकों के प्रति डुप्लीकेट हैं और उन्हें अवरुद्ध कर दिया गया है। शेष कनेक्शनों का सत्यापन किया जाएगा और 31 जनवरी 2025 तक सुधारात्मक उपाय किए जाएँगे।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि राशन कार्डों पर एलपीजी कनेक्शनों के अस्तित्व के संबंध में विशिष्ट विवरण उपलब्ध होने के बावजूद, वितरकों द्वारा राशन कार्डों की प्रभावी ढंग से जाँच नहीं की गई।

5.1.8.2.3 गलत निवास स्थिति वाले आवेदकों को एलपीजी कनेक्शन जारी करना

ई-पीएमयूवाई, ई-पीएमयूवाई 2 और उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत , राशन कार्ड को एक अनिवार्य दस्तावेज़ के रूप में निर्धारित किया गया, क्योंकि यह लाभार्थी के परिवार की संरचना और निवास स्थान, दोनों को स्थापित करता था। उज्ज्वला 2.0 दिशानिर्देशों में यह अनिवार्य किया गया कि आवेदकों (प्रवासियों को छोड़कर) को उसी राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड प्रस्तुत करना होगा जहाँ से एलपीजी कनेक्शन मांगा जा रहा है। इसके अलावा, 27 मार्च 2018 के उद्योग अभिलेख नोट में स्पष्ट किया गया कि अति पिछड़ा वर्ग, चाय और पूर्व-बागवानी जनजातियों जैसी श्रेणियों से संबंधित वे लाभार्थी जिनके प्रमाण पत्र एक राज्य द्वारा जारी किए गए हैं, लेकिन कनेक्शन दूसरे राज्य में मांगा गया है, वे ई-पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन के लिए पात्र नहीं होंगे, जब तक कि उन्हें प्रवासी के रूप में वर्गीकृत न किया जाए।

उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत एचपीसीएल[139] द्वारा जारी 1.46 करोड़[140] एलपीजी कनेक्शनों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि 30,657 (0.21 प्रतिशत) मामलों में, राशन कार्ड जारी करने वाला राज्य एलपीजी कनेक्शन देने वाले राज्य से अलग था। इनमें से 5,051 एलपीजी कनेक्शनों को प्रवासी मामलों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया, जो निवास प्रमाण-पत्रों में बेमेल के बावजूद गैर-प्रवासी श्रेणी के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन जारी करने का संकेत देता है।

पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि 5,051 मामलों में से 452 का सत्यापन किया गया है और उन्हें वास्तविक पाया गया है, जबकि शेष का सत्यापन किया जा रहा है।

---

139 आईओसीएल और बीपीसीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस में डेटा विश्लेषण के लिए संबन्धित डेटा फ़ील्ड नहीं थे।

140 तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और लद्दाख से संबंधित और उज्ज्वला 2.0 के तहत प्रवासियों को जारी किए गए राशन कार्डों का विवरण शामिल नहीं किया गया।

उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि एलपीजी कनेक्शन गैर-प्रवासी श्रेणी के अंतर्गत जारी नहीं किए जाने थे जब तक कि राशन कार्ड उसी राज्य द्वारा जारी नहीं किया गया हो जिसमें कनेक्शन मांगा गया था।

अनुशंसा संख्या 31: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तेल विपणन कंपनियों को निर्देश दे सकता है कि वे अपने एलपीजी डेटाबेस को राज्य/ एनआईसी राशन कार्ड डेटाबेस के साथ एकीकृत करें ताकि योजना दिशानिर्देशों के अनुसार परिवार संरचना का वास्तविक समय पर सत्यापन किया जा सके।

5.1.8.3 डुप्लिकेशन कार्यवाही की प्रभावशीलता का आकलन

प्रत्येक घरेलू एलपीजी कनेक्शन की एक विशिष्ट उपभोक्ता आईडी होती है, जिसकी विशिष्टता तीनों तेल विपणन कंपनियों में बनी रहती है। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के डेटाबेस में लाभार्थियों का नाम, पता, आधार संख्या और बैंक खाता संख्या भी शामिल होती है। किसी व्यक्ति/परिवार को एक से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी करने से रोकने के लिए, तेल विपणन कंपनियों ने तीन स्तरीय डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया अपनाई है, अर्थात् इंट्रा-ओएमसी, इंटर ओएमसी और एनआईसी स्तर, जहाँ आधार संख्या, राशन कार्ड संख्या, बैंक खाता संख्या और एएचएल टीआईएन[141] जैसे कई मापदंडों की जाँच तेल विपणन कंपनियों के डेटाबेस में की जाती है।

चित्र- 5.2: ओएमसी और एनआईसी में डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया

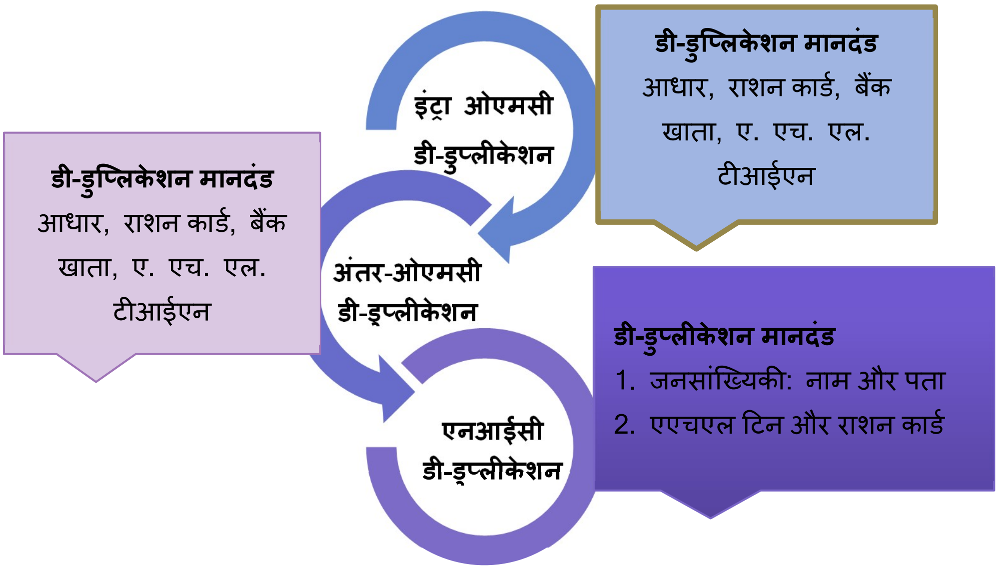

141 *संक्षिप्त मकान सूची अस्थायी पहचान संख्या*

डी-डुप्लीकेशन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता की समीक्षा से निम्नलिखित अभ्युक्तियाँ सामने आई:

5.1.8.3.1 आधार पर अपर्याप्त डी-डुप्लीकेशन कार्यवाही

चित्र- 5.3

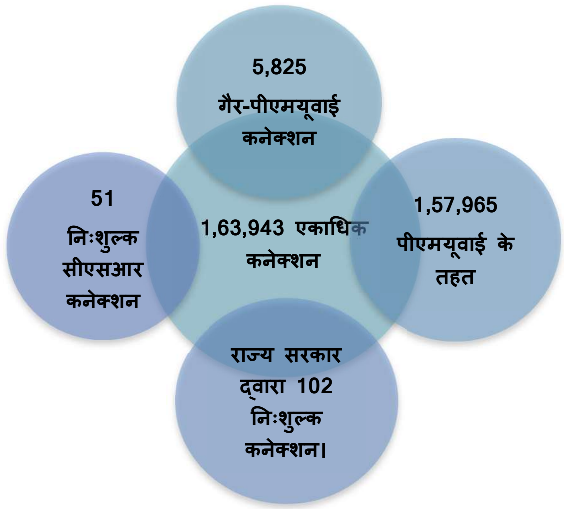

चूँकि तेल विपणन कंपनियों ने लाभार्थियों के आधार का विवरण लेखापरीक्षा के साथ साझा नहीं किया, इसलिए तेल विपणन कंपनियों से अनुरोध किया गया कि वे गैर-पीएमयूवाई सहित सभी एलपीजी कनेक्शनों में आधार पर डी-डुप्लीकेशन करें। तदनुसार, तेल विपणन कंपनियों ने लेखापरीक्षा के अनुरोध पर नए सिरे से डी-डुप्लीकेशन किया और बताया कि 1,63,943 डुप्लीकेट एलपीजी कनेक्शन[142] पाए गए जो या तो एक ही व्यक्ति (अर्थात एक ही आधार पर) को या एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जारी किए गए ***(दाईं ओर चित्र)***। इन बहु एलपीजी कनेक्शनों को 81,435 आधार पर आधारित डी-डुप्लिकेशन ग्रुप आईडी[143] के साथ जुड़ा पाया गया। लेखापरीक्षा में तीनों स्तरों, यानी इंट्रा-ओएमसी, इंटर ओएमसी और एनआईसी स्तर पर डी-डुप्लिकेशन कार्यवाही के साथ निम्नलिखित मुद्दे पाये गए:

क. **इंट्रा ओएमसी डी-डुप्लीकेशन**: पहले चरण में, ओएमसी अपने मौजूदा एलपीजी उपभोक्ताओं के डेटाबेस के आधार पर आवेदक केवाईसी जानकारी का डी-डुप्लीकेशन करती हैं। इस तरह के इंट्रा ओएमसी डी-डुप्लीकेशन कार्यवाही के कारण, एक ही लाभार्थी को कई एलपीजी कनेक्शन जारी होने की उम्मीद नहीं थी। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने 1,63,943 एलपीजी कनेक्शनों में से 13,253 ऐसे मामले देखे जहाँ एक ही लाभार्थी/परिवार को कई एलपीजी कनेक्शन[144] जारी किए गए थे।

ख. **इंटर-ओएमसी डी-डुप्लीकेशन:** इच्छित लाभार्थी की केवाईसी जानकारी अन्य ओएमसी के साथ भी साझा की जाती है। डेटाबेस में केवाईसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति की पुष्टि ओएमसी के संबंधित डी-डुप्लीकेशन वेब पोर्टल पर 'उपलब्ध' या 'उपलब्ध नहीं' के रूप में की जाती है। केवल उन्हीं आवेदकों को स्वीकृति और सदस्यता कार्ड(एसवी) जारी करने के लिए

---

[142] *आईओसीएल: 80,598, एचपीसीएल: 46,785 और बीपीसीएल: 36,560*

[143] *डी-डुप्लीकेशन के दौरान, जब किसी आधार संख्या का संबंध कई एलपीजी उपभोक्ताओं या एलपीजी उपभोक्ताओं से जुड़े परिवार के सदस्यों से पाया जाता है, तो उसे डी-डुप्लीकेशन समूह आईडी के अंतर्गत समूहीकृत किया जाता है।*

[144] *27,203 एलपीजी कनेक्शन*

चिह्नित किया जाता है जिनके केवाईसी विवरण किसी भी ओएमसी के डेटाबेस में उपलब्ध नहीं हैं। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 1,63,943 एलपीजी कनेक्शनों में से 68,182 ऐसे मामले थे जहाँ एक ही लाभार्थी/परिवार को एक से अधिक ओएमसी द्वारा कई एलपीजी कनेक्शन[145] जारी किए गए।

ग. एनआईसी डी-डुप्लीकेशन: इंटर-ओएमसी और इंट्रा-ओएमसी डी-डुप्लीकेशन प्रक्रियाओं के बाद, एनआईसी लाभार्थी के जनसांख्यिकीय और निर्धारक मानदंडों (एएचएल टीआईएन और राशन कार्ड) के आधार पर डी-डुप्लीकेशन करता है। जनसांख्यिकीय और निर्धारक मानदंडों के दोहराव के मामले में, आवेदक का केवाईसी अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इंटर-ओएमसी और इंट्रा-ओएमसी डी-डुप्लीकेशन प्रक्रियाओं के बावजूद जारी किए गए 1,63,943 डुप्लिकेट एलपीजी कनेक्शनों में से 12,718 के मामले में एनआईसी द्वारा लाभार्थियों के राशन कार्ड विवरण में डुप्लीकेशन की पहचान नहीं की जा सकी।

इस प्रकार, डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया के कार्यान्वयन में चूक के कारण, अपात्र आवेदकों को 1.64 लाख डुप्लिकेट एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए, जिसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा वित्तीय सहायता/मुफ्त रिफिल/सब्सिडी आदि के कारण राजकोष पर 40.82 करोड़[146] रुपये का अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ा।

तेल विपणन कंपनियों ने अपने उत्तर (फरवरी 2024) में बताया कि योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान, पीएमयूवाई से लेकर उज्ज्वला 2.0 तक, योजनाओं के विकास के साथ-साथ निरंतर प्रणाली विकास कार्य किए गए। डी-डुप्लीकेशन को पूरा करने के लिए तेल विपणन कंपनियों और एनआईसी के बीच परस्पर निर्भरता थी। इसलिए, प्रणाली ब्लैकआउट चरणों के कारण डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया के दौरान विफलता की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। इन सभी डुप्लिकेट एलपीजी कनेक्शनों की क्षेत्रीय स्तर पर जाँच की जा रही है और की गई कार्रवाई से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने (जनवरी 2025) बताया कि डी-डुप्लीकेशन की 100 प्रतिशत दक्षता हासिल करने के लिए, भारत सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को कॉमन एलपीजी डेटा प्लेटफॉर्म (सीएलडीपी) शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा पहचाने गए 1.64 लाख डुप्लीकेट एलपीजी कनेक्शन कुल एलपीजी कनेक्शनों का केवल 0.3 प्रतिशत हैं। इसके अलावा, पीपीएसी सभी उपभोक्ताओं के लिए आंतरिक डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया चलाती है।

---

[145] ***1,36,740 एलपीजी कनेक्शन***

[146] ***आईओसीएल: ₹19.15 करोड़; एचपीसीएल: ₹11.04 करोड़ और बीपीसीएल: ₹10.63 करोड़***

चूँकि तेल विपणन कंपनियाँ समय-समय पर ऑफ़लाइन डी-डुप्लीकेशन कार्यवाही कर रही हैं और सुधारात्मक कार्रवाई कर रही हैं, इसलिए 24 नवंबर 2024 तक कुल 76,441 पीएमयूवाई मामलों में डुप्लिकेट आधार संख्याएँ पाई गईं।

यह उल्लेख करना उचित होगा कि तेल विपणन कंपनियों ने व्यापक रूप से डी-डुप्लिकेशन की दिशा में सीएलडीपी शुरू करके एक सकारात्मक प्रयास किया है। इसके अलावा, डुप्लिकेट एलपीजी कनेक्शनों को रोकने/पहचानने में सीएलडीपी की प्रभावशीलता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के आधार नंबर प्रणाली में जोड़े जाएँ।

5.1.8.3.2 अपर्याप्त डी-डुप्लीकेशन मापदंडों के कारण डुप्लिकेट कनेक्शन जारी करना

ई-पीएमयूवाई के नए एलपीजी कनेक्शन के लिए निर्धारित आवेदन पत्र में राशन कार्ड, आधार संख्या, बैंक खाता विवरण आदि जैसे अन्य विवरणों के साथ मोबाइल नंबर भी अनिवार्य रूप से मांगा गया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों (3 अक्टूबर 2020) के आधार पर, तेल विपणन कंपनियों ने पंजीकृत लाभार्थियों के मोबाइल नंबर सहित एलपीजी डेटाबेस के विभिन्न क्षेत्रों पर एक इंटर-ओएमसी डी-डुप्लीकेशन अभियान चलाया, जिसमें 23.93 लाख डुप्लिकेट मोबाइल नंबरों का पता चला और उनमें से केवल 130 मोबाइल नंबर ही उन्हीं जिलों से पाए गए। तेल विपणन कंपनियों ने इन एलपीजी कनेक्शनों को संदिग्ध/डुप्लिकेट माना और इन 130 एलपीजी कनेक्शनों को अवरुद्ध कर दिया।

उपरोक्त प्रक्रिया में देखे गए जोखिम को देखते हुए, लेखापरीक्षा ने ई-पीएमयूवाई[147] के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शनों से जुड़े मोबाइल नंबरों का डेटा विश्लेषण किया ताकि यह जाँच की जा सके कि क्या एक ही मोबाइल नंबर पर कई एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए। तेल विपणन कंपनियों द्वारा जोड़े गए मोबाइल नंबरों से संबंधित 3.81 करोड़[148] लाभार्थियों के डेटा विश्लेषण के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से पता चला कि एचपीसीएल द्वारा 14,894 मोबाइल नंबरों पर 29,796 एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए। एचपीसीएल के डुप्लिकेट मोबाइल नंबरों की आगे की जाँच से पता चला कि 29,796 एलपीजी कनेक्शनों में से 24,716 के मोबाइल नंबर और पीपीएसी कोड एक ही थे। आईओसीएल में ऐसी कोई कमी नहीं देखी गई।

---

[147] केवल आईओसीएल और एचपीसीएल द्वारा जारी किए गए। बीपीसीएल ने अनमास्क्ड मोबाइल डेटा साझा नहीं किया

[148] आईओसीएल: 2.35 करोड़ और एचपीसीएल: 1.46 करोड़

तेल विपणन कंपनियों के एलपीजी वेब पोर्टलों ने वितरकों को विभिन्न एलपीजी कनेक्शनों के लिए एक ही मोबाइल नंबर जोड़ने की अनुमति दे दी। इससे उचित इनपुट सत्यापन नियंत्रणों का अभाव स्पष्ट होता है।

एचपीसीएल ने अपने उत्तर (जनवरी 2024) में बताया कि ग्रामीण भारत में मोबाइल की पहुँच अभी भी शहरी पहुँच से कम है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र लाभार्थी मोबाइल फ़ोन के अभाव में एलपीजी कनेक्शन से वंचित न रहे, मोबाइल नंबरों पर डी-डुप्लीकेशन योजना की मानक संचालन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था और इसे इंट्रा-ओएमसी स्तर पर भी नहीं किया गया। इसके अलावा, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया है, डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी और परिणाम प्रदान किए जाएँगे। मोबाइल नंबरों पर डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया की जाएगी और मोबाइल नंबरों का अद्यतन/सुधार किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि डी-डुप्लीकेशन की 100 प्रतिशत दक्षता प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने ओएमसी को सीएलडीपी शुरू करने का निर्देश दिया है।

एचपीसीएल के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि योजना आवेदन/केवाईसी फॉर्म में मोबाइल नंबर अनिवार्य जानकारी में से एक था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा इस तथ्य की सराहना करती है कि तेल विपणन कंपनियों ने उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों के संबंध में कार्रवाई की है। हालाँकि, पहले जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों का सत्यापन नहीं किया गया है।

5.1.8.3.3 मौजूदा उपयोगकर्ताओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन जारी करना

ओएमसी ने एक उद्योग अभिलेख नोट (03.10.2020) के माध्यम से डुप्लिकेट एलपीजी कनेक्शनों के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों की रूपरेखा तैयार की है:

क. यदि किसी घर में दो गैर-पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शन पाए जाते हैं, तो पहले जारी किया गया एलपीजी कनेक्शन बरकरार रखा जाएगा।

ख. यदि किसी घर में दो पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शन पाए जाते हैं, तो पहले जारी किया गया एलपीजी कनेक्शन बरकरार रखा जाएगा।

ग. ऐसे मामलों में जहां किसी घर में पीएमयूवाई और गैर-पीएमयूवाई दोनों एलपीजी कनेक्शन मौजूद हैं, पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शन जारी करने की तारीख की परवाह किए बिना बरकरार रखा जाएगा और गैर-पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शन को अवरुद्ध या रद्द कर दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पीएमयूवाई के अनुमोदित कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के आलोक में तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी उद्योग अभिलेख नोट (आईआरएन) की समीक्षा की। तेल विपणन कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए संपूर्ण एलपीजी उपभोक्ता डेटाबेस (पीएमयूवाई और गैर-पीएमयूवाई) से डी-डुप्लीकेशन डेटा के विश्लेषण से निम्नलिखित मुद्दे सामने आए:

क. **अपात्र परिवारों को पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शन जारी करना:** पीएमयूवाई दिशानिर्देश उन परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन जारी करने पर रोक लगाते हैं जिनके पास पहले से ही एलपीजी कनेक्शन है। हालाँकि, तेल विपणन कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए डी-डुप्लीकेशन डेटा से पता चला है कि 5,50,446 एलपीजी कनेक्शन[149] पीएमयूवाई लाभार्थियों को जारी किए गए जिनके घरों में पहले से ही गैर-पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शन थे, जो डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया की अप्रभावशीलता को प्रमाणित करता है। इसके बावजूद, तेल विपणन कंपनियों ने पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शन जारी रखे और पुराने गैर-पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शनों को अवरुद्ध कर दिया, जबकि गैर-पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना से पहले जारी किए गए थे;

ख. **तेल विपणन कंपनियों द्वारा दिशा-निर्देशों का अनधिकृत निरूपण:** योजना के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एलपीजी कनेक्शन केवल उन लाभार्थियों को प्रदान किया जाना था जो एलपीजी से वंचित थे। इसलिए, मौजूदा एलपीजी उपयोगकर्ताओं के पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शनों को नियमित करने की अनुमति नहीं थी। हालाँकि, ओएमसी ने योजना के दिशानिर्देशों से विचलन के बावजूद, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से परामर्श या अनुमोदन प्राप्त किए बिना अपने स्वयं के दिशा-निर्देश तैयार किए।

ग. **पीपीएसी को सूचना न देना और परिणामस्वरूप अनियमित दावा निपटान:** पीएमयूवाई कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत , पीपीएसी को ओएमसी के प्रतिपूर्ति के लिए दावों की जांच और निपटान का काम सौंपा गया। हालाँकि, ओएमसी ने आईआरएन के अंतर्गत अपनाए गए संशोधित प्रतिधारण मानदंडों के बारे में पीपीएसी को सूचित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप अपात्र एलपीजी कनेक्शनों के दावों को स्वीकृत और वितरित किया गया।

चूँकि केवल वे परिवार जो एलपीजी की पहुँच से वंचित हैं, अन्य पात्रता मानदंडों के अधीन पीएमयूवाई लाभों के लिए पात्र थे, इन 5,50,446 अपात्र पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शनों को जारी करने और बनाए रखने तथा उन्हें समाप्त करने और उनकी लागत वसूल न करने के परिणामस्वरूप

---

[149] ***आईओसीएल: 1,69,976; एचपीसीएल: 3,21,414 और बीपीसीएल: 59,056***

सरकारी खजाने पर अनुमानित ₹326.61 करोड़[150] का प्रत्यक्ष वित्तीय भार पड़ा है। इसमें न केवल एलपीजी कनेक्शनों की प्रारंभिक लागत शामिल है, बल्कि कोविड-19 के दौरान मुफ्त रिफिल, नियमित रिफिल सब्सिडी और विशेष रूप से पात्र पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए सब्सिडी वाले अनिवार्य निरीक्षण शुल्क जैसे आवर्ती लाभ भी शामिल हैं।

तेल विपणन कंपनियों ने (जनवरी/फरवरी 2024) उत्तर दिया कि तेल विपणन कंपनियों ने मौजूदा गैर-पीएमयूवाई कनेक्शन को अवरुद्ध/रद्द करने और पीएमयूवाई कनेक्शन को बनाए रखने का निर्णय लिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी गरीब परिवार भारत सरकार की योजना के अंतर्गत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन से वंचित न रहे। इस पहलू पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्रतिक्रिया का इंतजार है।

तथ्य यह है कि पहले से ही एलपीजी कनेक्शन रखने वाले परिवारों को पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शन जारी करना योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

अनुशंसा संख्या 32: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तेल विपणन कंपनियों को निर्देश दे कि वे तेल विपणन कंपनियों के बीच निर्बाध प्रति-सत्यापन के लिए डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया को मजबूत करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी आधार-जुड़े एलपीजी कनेक्शनों को वास्तविक समय में छांटा जाए और डुप्लीकेशन के लिए चिह्नित किया जाए।

5.1.8.4 ओएमसी के सॉफ्टवेयर में सत्यापन नियंत्रणों की प्रभावकारिता

जन कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में, जहाँ पात्र नागरिकों को लक्षित लाभ प्रदान करने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा संसाधित किया जाता है, पारदर्शिता, उत्तरदेही और सार्वजनिक धन के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सॉफ़्टवेयर प्रणालियों में सत्यापन नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये सत्यापन नियंत्रण इन इनपुट्स की शुद्धता, पूर्णता और पात्रता के सत्यापन में सहायक हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ केवल पात्र नागरिकों तक पहुँचें, चोरी को रोका जाए, और सामाजिक कल्याण पहलों का उद्देश्य पूरी तरह से साकार हो, सुदृढ़ सत्यापन नियंत्रण आवश्यक हैं।

5.1.8.4.1 एलपीजी सॉफ्टवेयर में लिंग सत्यापन नियंत्रण का अभाव

पीएमयूवाई और इसके विस्तारित संस्करणों के अंतर्गत, लक्षित लाभार्थी पात्र परिवारों की वयस्क महिलाएँ थीं, जिनका प्राथमिक उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और स्वच्छ रसोई

---

[150] *आईओसीएल: ₹92.80 करोड़, एचपीसीएल: ₹194.10 करोड़ और बीपीसीएल: ₹39.71 करोड़*

ईंधन तक पहुँच के माध्यम से स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना था। इस उद्देश्य के अनुरूप, तेल विपणन कंपनियों से अपेक्षा थी कि वे एलपीजी सॉफ्टवेयर प्रणाली में पर्याप्त लिंग सत्यापन नियंत्रण लागू करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एलपीजी कनेक्शन केवल महिला आवेदकों को ही जारी किए जाएँ, जिससे अपात्र पुरुष आवेदकों को एलपीजी कनेक्शन जारी करने पर रोक लगे।

ई-पीएमयूवाई लाभार्थियों के डेटाबेस की जाँच से पता चला कि एचपीसीएल और बीपीसीएल में 2.82 करोड़ में से 2,141 एलपीजी कनेक्शन[151] पुरुष लाभार्थियों को जारी किए गए अभिलेखित थे। आईओसीएल में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। हालाँकि संख्या सीमित थी, लेकिन पुरुष आवेदकों को पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शन जारी करने से लिंग सत्यापन नियंत्रण में कमी उजागर हुई। चूँकि इस योजना में केवल वयस्क महिलाओं को ही कनेक्शन जारी करने का प्रावधान था, ऐसे विचलन पात्रता मानदंडों के गैर-अनुपालन को दर्शाते हैं और प्रणाली-स्तरीय कठोर सत्यापन नियंत्रणों की आवश्यकता की ओर संकेत करते हैं।

तेल विपणन कंपनियों ने अपने उत्तर में बताया कि उज्ज्वला 2.0 योजना के अंतर्गत, नए एलपीजी कनेक्शन केवल महिलाओं के लिए ही उपलब्ध हैं। लाभार्थी की मृत्यु होने पर ही, परिवार के पुरुष सदस्यों के लिए नाम परिवर्तन की अनुमति है, बशर्ते परिवार में कोई अन्य वयस्क महिला सदस्य जीवित न हो। पुरुषों को जारी किए गए अधिकांश एलपीजी कनेक्शन महिला लाभार्थी की मृत्यु और परिवार की कोई अन्य महिला सदस्य न होने के कारण नाम परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। क्षेत्र स्तर पर विस्तृत सत्यापन जारी है। इसके अलावा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के 18 अक्टूबर 2023 के पत्र के अनुसार, सभी पहल (प्रत्यक्ष हस्तान्तरित लाभ) उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी/आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी प्रक्रिया भी चल रही है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि आंकड़ों के विश्लेषण में 2,141 एलपीजी कनेक्शन पाए गए; इनमें से 2,094 कनेक्शन वैध पाए गए और 24 मामलों में एलपीजी कनेक्शन पुरुषों को जारी किए गए, जिन्हें अवरुद्ध किया गया है तथा शेष कनेक्शन सत्यापन के अधीन हैं।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि 6 अगस्त 2019 के आईआरएन के अनुसार, किसी पुरुष उपभोक्ता को एलपीजी कनेक्शन का हस्तांतरण केवल संबंधित तेल विपणन कंपनियों की सीएसआर योजनाओं के अंतर्गत ही नियमित किया जा सकता है। हालाँकि, उनके उत्तरों को पुष्ट करने के लिए कोई सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए। इनमें मूल महिला लाभार्थी का नाम,

---

[151] ***एचपीसीएल: 1,878 और बीपीसीएल: 263***

मुफ़्त एलपीजी कनेक्शन जारी करने की तिथि, वैध मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ मृत्यु तिथि, और नाम परिवर्तन या हस्तांतरण की तिथि जैसे प्रमुख विवरण शामिल थे।

5.1.8.4.2 राशन कार्ड विवरण के लिए अपर्याप्त प्रणाली सत्यापन

ई-पीएमयूवाई, ई-पीएमयूवाई 2 और उज्ज्वला 2.0 के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदक की पारिवारिक संरचना स्थापित करने के लिए राशन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एलपीजी कनेक्शन केवल वैध राशन कार्डों पर ही जारी किए जाएँ, तेल विपणन कंपनियों ने एलपीजी सॉफ्टवेयर में इनपुट सत्यापन को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित विशिष्ट राशन कार्ड क्रमांकन प्रारूपों के अनुरूप शामिल किया, जिससे दोहराव को कम करने में मदद मिली।

ईपीएमयूवाई योजना के अंतर्गत एलपीजी सॉफ्टवेयर में दर्ज राशन कार्ड नंबरों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता का आकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने राशन कार्ड प्रविष्टियों में असंभावित या स्पष्ट रूप से अमान्य तरीके की पहचान करने हेतु एक डेटा विश्लेषण किया। इसका उद्देश्य यह जांचना था कि क्या गलत डेटा प्रविष्टि को रोकने के लिए उचित सत्यापन नियंत्रण लागू किए गए। लेखापरीक्षा ने विशेष रूप से निम्नलिखित प्रकार के अमान्य राशन कार्ड प्रारूपों की जांच की:

- संख्यात्मक राशन कार्ड नंबरों के स्थान पर पाठ्य प्रविष्टियाँ (जैसे, वर्णमाला के अक्षर या नाम),
- शून्य-मान प्रविष्टियाँ (जैसे, "0000000" या सभी अंक शून्य वाले अन्य रूप),
- दोहराए गए अंक (जैसे, "1111111", "2222222"),
- क्रमिक संख्या क्रम (जैसे, "123456", "45678"),
- उल्टे क्रम तरीके (जैसे, "7654321", "9876543"),
- दोहराए गए युग्मित अंक या प्रतिबिम्बित क्रम (जैसे, "11223344", "55667788")।

विश्लेषण से पता चला कि डेटाबेस में कुल 5.18 करोड़ ईपीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शनों में से 1,46,272 एलपीजी कनेक्शन उपरोक्त असंभव प्रारूपों में से एक या अधिक राशन कार्ड नंबरों से जुड़े थे, जहां एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए दिए गए राशन कार्ड नंबर राशन कार्ड जारी करने के लिए राज्य-विशिष्ट मानदंडों **(अनुलग्नक XXVII)** के अनुरूप नहीं हो सकते थे। इस तरह की विसंगतियों की उपस्थिति से पता चलता है कि एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए दिए गए राशन कार्ड नंबर निर्धारित मानकों के खिलाफ सत्यापित नहीं थे, जिससे लाभार्थी डेटा की प्रामाणिकता कम हो गई। अपर्याप्त सत्यापन से योजना के लाभों के गलत आवंटन, अमान्य दस्तावेजों के खिलाफ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का जोखिम बढ़ गया और डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया की

प्रमाणिकता प्रभावित हुई जो ईपीएमयूवाई और इसकी विस्तारित योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और उत्तरदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थी।

तेल विपणन कंपनियों ने अपने उत्तर में इस तथ्य को स्वीकार किया कि एलपीजी वेब पोर्टल में आरसी नंबर जोड़ने का अंतर्निहित प्रावधान होने के बावजूद, सही आरसी नंबर जोड़ने के लिए वितरक पर निर्भरता से इनकार नहीं किया जा सकता। केवल उन्हीं राशन कार्डों को स्वीकार करने की सलाह दी गई है जो राज्यों द्वारा विधिवत अनुमोदित हैं। डिजिटल प्रारूप में आरसी डेटा उपलब्ध न होने के कारण राशन कार्डों का प्रणाली सत्यापन संभव नहीं था। फिर भी, लेखापरीक्षा द्वारा पता लगाए गए मामलों की जाँच की जाएगी और भौतिक सत्यापन के साथ सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने (जनवरी 2025) उत्तर दिया कि सही आरसी नंबर दर्ज करने के लिए एलपीजी वितरकों पर निर्भरता खत्म करना संभव नहीं है। तेल विपणन कंपनियों ने अपने सॉफ्टवेयर में आरसी नंबर के लिए सत्यापन जाँच लागू कर दी है। ये सत्यापन तंत्र राज्य-विशिष्ट तर्क पर आधारित हैं, जिन्हें चरणों में लागू किया गया है। असंभावित राशन कार्ड पर जारी किए गए 1.46 लाख एलपीजी कनेक्शनों में से 89,566 एलपीजी कनेक्शन नियमित कर दिए गए हैं और 310 एलपीजी कनेक्शन समाप्त कर दिए गए हैं। शेष 56,396 एलपीजी कनेक्शनों के संबंध में प्रक्रिया मार्च 2025 तक पूरी करने का लक्ष्य है।

उत्तर निवारक सत्यापन नियंत्रणों में प्रणालीगत नियंत्रण कमियों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता है। प्रबंधन ने इस अनियमितता के लिए एलपीजी वितरकों पर निर्भरता और राज्य-विशिष्ट सत्यापन तर्क के कार्यान्वयन में विलंब को जिम्मेदार ठहराया। हालाँकि, असंगत या संरचनात्मक रूप से अमान्य आरसी नंबरों के आधार पर इतनी बड़ी संख्या में कनेक्शन जारी करना इनपुट के सत्यापन में एक प्रणाली डिज़ाइन दोष को दर्शाता है। वास्तविक समय सत्यापन के बजाय कार्योत्तर नियमितीकरण पर निर्भरता भी अपात्र लाभार्थियों को कनेक्शन जारी करने से बचने के लिए निवारक नियंत्रण वातावरण की अनुपस्थिति को इंगित करती है। ईपीएमयूवाई के पैमाने और इसके वित्तीय प्रभावों को देखते हुए, ऑनबोर्डिंग के समय लाभार्थी दस्तावेजों को सत्यापित करने में विफलता समग्र योजना की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है। इसके अलावा, मंत्रालय ने कनेक्शनों के नियमितीकरण के लिए कार्यप्रणाली और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं।

5.1.8.4.3 अंत्योदय राशन कार्डों के लिए अपर्याप्त सत्यापन नियंत्रण

भारत सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) राशन कार्ड धारकों की पहचान (12 मार्च 2018) ईपीएमयूवाई के अंतर्गत पात्र लाभार्थी श्रेणियों में से एक के रूप में की थी। ऐसे लाभार्थियों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, ओएमसी द्वारा जारी एक उद्योग अभिलेख नोट (27 मार्च

2018) ने सभी एलपीजी वितरकों को संबंधित राज्य सरकार या एनआईसी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एएवाई राशन कार्डों के विवरणों को सत्यापित करने का आदेश दिया। वितरकों को इस सत्यापन प्रक्रिया के दस्तावेजी साक्ष्य (जैसे स्नैपशॉट रिकॉर्ड) को बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया।

ओएमसी ने एएवाई श्रेणी के अंतर्गत कुल 68.68 लाख[152] एलपीजी कनेक्शन जारी किए। लेखापरीक्षा ने नमूना जांच के आधार पर पांच राज्यों में एएवाई राशन कार्ड संख्या के विशिष्ट तरीके को देखा, जिसका सारांश तालिका 5.3 में दिया गया है।

तालिका 5.3. अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्डों के राज्यवार राशन कार्ड तरीके

राज्य	सत्यापन मानदंड
उत्तराखंड	राशन कार्ड संख्या के पहले अक्षर में एक संक्षिप्त नाम होता है जो कार्ड श्रेणी को दर्शाता है, जैसे ए - अंत्योदय, बी - गरीबी रेखा से नीचे, एस - राज्य खाद्य योजना,एफ़ - गरीबी रेखा से ऊपर, पीएच - प्राथमिकता वाले परिवार
पश्चिम बंगाल	राशन कार्ड संख्या में एक संक्षिप्त नाम होता है जो कार्ड श्रेणी को दर्शाता है, जैसे एएवाई (अंत्योदय), पीएचएच (प्राथमिकता वाले परिवार), एसपीएचएच (विशेष प्राथमिकता वाले परिवार), आरकेएसवाई-I (राज्य खाद्य सुरक्षा योजना I) और आरकेएसवाई-II (राज्य खाद्य सुरक्षा योजना II)।
उत्तर प्रदेश	राशन कार्ड का पाँचवाँ अंक उसकी श्रेणी को दर्शाता है, जैसे 1 गरीबी रेखा से ऊपर, **2** अंत्योदय, 3 गरीबी रेखा से नीचे, 4 प्राथमिकता वाले परिवार के लिए।
गुजरात	पहला अंक राशन कार्ड की श्रेणी को दर्शाता है, जैसे 1, 2 और 3 प्राथमिकता वाले परिवार श्रेणी (पीएचएच) को दर्शाते हैं और 4 एएवाई श्रेणी को दर्शाते हैं।
आंध्र प्रदेश	राशन कार्ड का प्रारंभिक तीन अक्षर वाला संक्षिप्त नाम उसकी अंतर्निहित श्रेणी को दर्शाता है, जैसे वाईएपी अंत्योदय (एएवाई) का प्रतिनिधित्व करता है जबकि अन्य श्रेणियां डब्ल्यूएपी, आरएपी, जेएपी, पीएपी, एएपी और टीएपी प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) का प्रतिनिधित्व करती हैं।

उपर्युक्त राशन कार्ड प्रारूपों के अनुरूप सत्यापन मानदंडों की प्रभावशीलता का आंकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने एएवाई श्रेणी के अंतर्गत जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों का डेटा विश्लेषण किया। जाँच से पता चला कि पाँच राज्यों में, विशेष रूप से एएवाई लाभार्थियों के लिए निर्धारित 2,61,169 एलपीजी कनेक्शन गैर-एएवाई राशन कार्ड धारक व्यक्तियों को जारी किए गए, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

[152] आईओसीएल: 32.82 लाख, एचपीसीएल: 19.94 लाख और बीपीसीएल: 15.92 लाख

तालिका 5.4: अपात्र गैर-एएवाई लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन जारी करना

राज्य	एलपीजी कनेक्शनों की संख्या
आंध्र प्रदेश	3,954
गुजरात	10,886
उत्तर प्रदेश	1,44,115
उत्तराखंड	13,272
पश्चिम बंगाल	88,942
कुल	**2,61,169**

स्रोत: ओएमसी से प्राप्त आंकड़े और लेखापरीक्षा द्वारा किया गया विश्लेषण

लेखापरीक्षा ने 115 चयनित एलपीजी वितरकों के क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के माध्यम से निष्कर्षों की पुष्टि की, जिसमें 26,172 केवाईसी अभिलेखों का सत्यापन किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि 549 मामलों[153] (2.09 प्रतिशत) में, एएवाई राशन कार्ड धारकों के लिए निर्धारित एलपीजी कनेक्शन गैर-एएवाई राशन कार्ड धारकों को जारी कर दिए गए। इसके अतिरिक्त, किसी भी वितरक ने एएवाई राशन कार्डों का अनिवार्य ऑनलाइन सत्यापन नहीं किया, और ऐसे सत्यापनों का कोई स्नैपशॉट या सहायक अभिलेख नहीं रखा गया, जो उद्योग अभिलेख नोट में उल्लिखित आवश्यकताओं का उल्लंघन है।

इस प्रकार, गैर-एएवाई राशन कार्ड धारक लाभार्थियों को एएवाई श्रेणी के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन जारी करना ई-पीएमयूवाई दिशानिर्देशों का उल्लंघन था, जो लाभार्थी सत्यापन प्रक्रिया में अपर्याप्त सत्यापन नियंत्रण को उजागर करता है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्वीकार किया (जनवरी 2025) कि ई-पीएमयूवाई के आरंभ के समय, राशन कार्डों का डेटा पूरी तरह से डिजिटल नहीं था, जिसके कारण एलपीजी वितरकों द्वारा भौतिक राशन कार्ड स्वीकार करना आवश्यक हो गया। आगे बताया गया कि ऐसे 23,205 कनेक्शनों का सत्यापन किया गया और 23,157 कनेक्शन असली पाए गए और 48 कनेक्शन समाप्त कर दिए गए। क्षेत्र सत्यापन के दौरान गैर-एएवाई राशन कार्ड धारकों को अंत्योदय श्रेणी के अंतर्गत जारी किए गए 549 एलपीजी कनेक्शनों के संबंध में, एमओपीएनजी ने बताया कि 57 मामलों का सत्यापन किया गया, जिनमें से केवल दो ही असली पाए गए, शेष 55 कनेक्शन रद्द कर दिए गए हैं और वितरकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[153] *आईओसीएल: 238, एचपीसीएल: 78 और बीपीसीएल: 233*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्रतिक्रिया को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि गैर-एएवाई श्रेणी का उल्लेख राशन कार्डों पर स्पष्ट रूप से किया गया था। तदनुसार, डेटा विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि ई-पीएमयूवाई लाभार्थियों के डेटाबेस में संबंधित राज्य-विशिष्ट मानदंडों के साथ राशन कार्ड संख्या का उल्लेख किया गया। इससे संकेत मिलता है कि डिजिटलीकरण के अभाव के बावजूद, यह सुनिश्चित करने के लिए उचित जाँच की जा सकती थी कि एलपीजी कनेक्शन केवल पात्र लाभार्थियों को ही जारी किए जाएँ।

अनुशंसा संख्या 33: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तेल विपणन कंपनियों को राशन कार्ड तरीके, सामान्य इनपुट नियंत्रण आदि जैसी योजना पद्धतियों के अनुरूप आईटी नियंत्रण और सॉफ्टवेयर सत्यापन को मजबूत करने का निर्देश दे ताकि अपात्र एलपीजी कनेक्शन जारी होने से रोका जा सके। तेल विपणन कंपनियां लाभार्थियों के नामांकन के समय राशन कार्ड के वास्तविक समय सत्यापन के लिए राज्य सरकार के डेटाबेस के साथ एकीकरण की संभावना तलाशे और अवैध प्रविष्टियों का स्वतः पता लगाने की व्यवस्था भी लागू करे।

5.1.8.5 अन्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.1.8.5.1 ई-पीएमयूवाई लाभार्थी के बैंक खाते का जुड़ा न होना

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों (20 सितंबर 2018) के अनुसार, इन योजनाओं के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन महिला लाभार्थी के अपने बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। उज्ज्वला 2.0 दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि ऐसे खाते के अभाव में, तेल विपणन कंपनियाँ जन-धन या डाक बैंक खाते खोलने की सुविधा प्रदान करें। परिवार के सदस्यों सहित अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों में सब्सिडी हस्तांतरण की अनुमति नहीं है।

इसलिए, तेल विपणन कंपनियों/वितरकों को लाभार्थियों के अपने बैंक खाते से जोड़ना आवश्यक था। लाभार्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति, यहाँ तक कि उसके परिवार के सदस्य के बैंक खाते को भी, सब्सिडी हस्तांतरण के लिए एलपीजी कनेक्शन से जोड़ने की अनुमति नहीं थी।

2.82 करोड़[154] लाभार्थियों के बैंक खातों और सब्सिडी संबंधी आंकड़ों के प्रारंभिक विश्लेषण से 5.09[155] लाख मामले (1.80 प्रतिशत) सामने आए, जहाँ ई-पीएमयूवाई लाभार्थियों का नाम उनके संबंधित बैंक खाते के नाम से मेल नहीं था। इसके अलावा, पीएमयूवाई के अंतर्गत गैर-लाभार्थियों

---

[154] *एचपीसीएल: 1.46 करोड़ और बीपीसीएल: 1.36 करोड़। आईओसीएल के मामले में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।*

[155] *एचपीसीएल: 1.19 लाख और बीपीसीएल: 3.90 लाख*

को सब्सिडी हस्तांतरण के बार-बार होने वाले मामलों को देखते हुए, पीएसी ने अपनी 130वीं रिपोर्ट (2023-24) में बैंक खाता जोड़ने का समय-समय पर सत्यापन और अनियमितताओं के मामले में दोषी वितरकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी अनुशंसा की।

तेल विपणन कंपनियों[156] ने उत्तर दिया (जनवरी/फरवरी 2024) कि इन चिन्हित लाभार्थियों में से अधिकांश आधार कैश ट्रांसफर अनुपालक (एसीटीसी) उपभोक्ता हैं जहाँ, सब्सिडी आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) मोड के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है और सब्सिडी लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा हो जाती है, जिससे किसी अन्य खाते में सब्सिडी हस्तांतरित होने की संभावना समाप्त हो जाती है। वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं से संपर्क करके उनके बैंक खाते, आधार मैपिंग और बैंक आईएफ़एससी कोड अद्यतित करने का अनुरोध करने के अलावा, सब्सिडी हस्तांतरण करने के कई प्रयास किए गए। लेखापरीक्षा द्वारा पहचाने गए सभी मामलों की जाँच की जाएगी और जहाँ भी आवश्यक होगा, सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि 5.09 लाख एलपीजी कनेक्शनों में से 3.8 लाख एलपीजी कनेक्शन सत्यापित किए गए हैं और वास्तविक पाए गए हैं, 2,550 मामलों को रद्द करने के लिए चिह्नित किया गया है, और शेष सत्यापन के अधीन हैं। पीएफ़एमएस / एसबीआई / एनपीसीआई के माध्यम से सब्सिडी हस्तांतरण प्रक्रिया भी ओएमसी के लिए 2021 में लागू की गई जिसमें बैंक विवरण पीएफ़एमएस के माध्यम से मान्य किए जाते हैं, और पीएफ़एमएस द्वारा एक लाभार्थी आईडी बनाई जाती है। पीएफ़एमएस सत्यापन के दौरान, यदि कोई भी मानदंड अमान्य पाया जाता है, तो ओएमसी टीमों को कार्रवाई करने के लिए विशिष्ट पूर्व-निर्धारित त्रुटि कोड के अंतर्गत विवरण भी साझा किए जाते हैं। वितरकों को निर्देश दिया जाता है कि वे उपभोक्ताओं से संपर्क करें और उनसे अपने बैंक खाते, आधार मैपिंग और बैंक आईएफ़एससी कोड को अद्यतित करने का अनुरोध करें। उपरोक्त विवरणों का सुधार/अद्यतन और पहचान सत्यापन के लिए लाभार्थी विवरणों को पीएफएमएस में पुनः सक्रिय करना एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रकार, समस्त उपभोक्ता डेटा, सतत प्रक्रिया के रूप में, सत्यापन और सुधार से गुजरता है।

[156] ***एचपीसीएल और बीपीसीएल***

उत्तर में बताए गए उपायों पर गौर करते हुए, लेखापरीक्षा का मानना है कि शेष मामलों का विश्लेषण प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए ताकि पात्र लाभार्थियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों में सब्सिडी राशि हस्तांतरित करने की भेद्यता को दूर किया जा सके।

5.1.8.5.2 एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए गलत लाभार्थी जानकारी दर्ज करना

पीएमयूवाई के मूल पात्रता मानदंडों के अनुसार, केवल उन परिवारों की वयस्क महिलाएं ही कनेक्शन प्राप्त करने की पात्र थीं जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं था।

यह लिंग-विशिष्ट पात्रता, जो महिलाओं को सशक्त बनाना और स्वच्छ रसोई ईंधन तक पहुँच के माध्यम से उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के योजना के उद्देश्य का केंद्रबिंदु है । पुरुष आवेदकों को एलपीजी कनेक्शन जारी करना योजना के मूल उद्देश्य का उल्लंघन है।

हालाँकि, विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के 115 चयनित वितरकों के 26,172 केवाईसी दस्तावेजों की नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि सात वितरकों[157] द्वारा पुरुष आवेदकों को 201[158] एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए, जिनमें लाभार्थियों का लिंग एलपीजी पोर्टल पर 'महिला' के रूप में गलत तरीके से दर्शाया गया, जबकि दस्तावेज़ी प्रमाण (जैसे आधार, राशन कार्ड और तस्वीरें) में स्पष्ट रूप से उन्हें पुरुष के रूप में दर्ज किया गया था। इस गलत विवरण ने योजना के दिशानिर्देशों का सीधा उल्लंघन किया और इसके लिंग-केंद्रित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य को कमजोर किया।

इसे इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि 15.47 लाख एलपीजी कनेक्शनों (एचपीसीएल और बीपीसीएल के बिक्री अधिकारियों[159] द्वारा सत्यापित) में से 164 एलपीजी कनेक्शन[160] पुरुष आवेदकों को जारी किए पाये गए और इन्हें सत्यापन के बाद ओएमसी के बिक्री अधिकारियों द्वारा नियमित कर दिया गया, जो निगरानी और सत्यापन तंत्र की प्रभावशीलता पर चिंता पैदा करता है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि नमूना लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा द्वारा पता लगाए गए 201 एलपीजी कनेक्शन केवल 0.7 प्रतिशत मामलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा, लेखापरीक्षा टिप्पणियों के बाद 124 एलपीजी कनेक्शन रद्द कर दिए गए, और 45 एलपीजी कनेक्शन पात्र पाए गए, जबकि बाकी सत्यापन के अधीन हैं।

---

[157] *आईओसीएल: 4 और बीपीसीएल: 3*

[158] *आईओसीएल: 110 और बीपीसीएल: 91*

[159] *आईओसीएल ने अपने बिक्री अधिकारियों द्वारा सत्यापित कनेक्शन से संबंधित जानकारी साझा नहीं की।*

[160] *एचपीसीएल: 154 और बीपीसीएल: 10*

यद्यपि लेखापरीक्षा 124 अपात्र एलपीजी कनेक्शनों को रद्द किए जाने की सराहना करती है, फिर भी मंत्रालय का यह दावा कि लेखापरीक्षा में पाए गए मामले मात्र 0.7 प्रतिशत हैं, इस तथ्य के आलोक में विचारणीय है कि ये निष्कर्ष सीमित नमूना जाँच के दौरान देखे गए। एक छोटे से नमूने के आधार पर, बड़ी संख्या में एलपीजी कनेक्शनों को रद्द किया जाना एक संभावित प्रणालीगत समस्या की ओर संकेत करता है जिसके लिए व्यापक जाँच आवश्यक है और यह प्रक्रिया में नियंत्रण को मजबूत करने की आवश्यकता को भी इंगित करता है।

5.1.8.5.3 ई-पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को सब्सिडी का हस्तांतरण न होना

डीबीटीएल योजना के अंतर्गत, एलपीजी सब्सिडी को एनपीसीआई भुगतान पोर्टल के माध्यम से आधार हस्तांतरण अनुपालक (एटीसी) या बैंक हस्तांतरण अनुपालक (बीटीसी) के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं को हस्तांतरित किया जाता है।

मार्च 2022 तक ई-पीएमयूवाई लाभार्थियों की सब्सिडी हस्तांतरण स्थिति के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला है कि 5.18 करोड़ लाभार्थियों में से 57.49 लाख[161] लाभार्थियों की सब्सिडी लंबित थी। बीपीसीएल और एचपीसीएल के 40.96 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित होने वाली सब्सिडी की राशि ₹16.46 करोड़[162] थी। इसके अतिरिक्त, दो वर्षों से अधिक समय तक लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरण न होने के कारण ₹209.40 करोड़[163] मूल्य की सब्सिडी समाप्त हो गई, जिससे ये लाभार्थी वंचित रह गए।

ओएमसी ने उत्तर दिया कि सभी ओएमसी सब्सिडी हस्तांतरण में एक समान प्रक्रिया का पालन करते हैं, जिसमें पीएफएमएस उपभोक्ताओं और उनके बैंक खाते के विवरण को सत्यापित करता है। सफल सत्यापन वाले लाभार्थियों के लिए सब्सिडी हस्तांतरण होता है। उपभोक्ता सत्यापन में विफलता के मामलों में, सब्सिडी हस्तांतरण रोक दिया जाता है। सब्सिडी हस्तांतरण में विफलता के प्रमुख कारण हैं नाम का बेमेल होना (एलपीजी वितरक बनाम बैंक), जोड़ा गया बैंक खाता निष्क्रिय होना, एनपीसीआई मैपर में निष्क्रिय आधार, अवरुद्ध/निलंबित बैंक खाता, अमान्य आधार, बैंक विलय के कारण आईएफएससी में बदलाव आदि। उपरोक्त विवरणों का सुधार/अद्यतन और आईडी सत्यापन के लिए पीएफएमएस में लाभार्थी के विवरण को फिर से चालू करना एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रकार, सभी उपभोक्ता डेटा एक सतत प्रक्रिया के रूप में सत्यापन, सुधार से गुजरते हैं।

---

[161] *आईओसीएल: 16.54 लाख, एचपीसीएल: 17.27 लाख और बीपीसीएल: 23.68 लाख*

[162] *एचपीसीएल: 16.25 करोड़ और बीपीसीएल: 21.05 लाख। आईओसीएल के आँकड़े प्रारूप के अनुसार नहीं हैं।*

[163] *2015-16 से 2020-21 तक वित्त वर्ष के लिए बकाया राशि: आईओसीएल 119 करोड़, एचपीसीएल 56 करोड़ और बीपीसीएल 34.40 करोड़*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने (जनवरी 2025) बताया कि 2022-23 और 2023-24 के दौरान 97 प्रतिशत लाभार्थियों को सब्सिडी हस्तांतरित कर दी गई है। सब्सिडी न मिलने के मुख्य कारण बंद, अवरुद्ध, निष्क्रिय या स्थानांतरित बैंक खाते हैं। तेल विपणन कंपनियाँ ऐसे बैंक विवरण एकत्र कर सब्सिडी हस्तांतरित कर रही हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/तेल विपणन कंपनियों द्वारा 97 प्रतिशत सब्सिडी हस्तांतरित करने की कार्रवाई प्रणाली की दक्षता को दर्शाती है। हालाँकि, इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि लंबे समय तक विफल/बकाया हस्तांतरण के कारण, ₹209.40 करोड़ की सब्सिडी दो वर्षों तक तेल विपणन कंपनियों की प्रणाली में अटकी रही और संबंधित लाभार्थियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकी और अंततः समाप्त हो गई, जिससे इस स्थिति को सुधारने के लिए प्रणाली को और सुदृढ़ करने हेतु उपायों की पहचान करने की आवश्यकता परिलक्षित होती है।

5.1.8.5.4 लाभार्थी विवरण में विसंगति वाले एलपीजी कनेक्शनों के विरुद्ध अपर्याप्त कार्रवाई

सीएजी की 2019 की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 14 के पैरा 3.2.7 में बताया गया है कि 12.46 लाख पीएमयूवाई लाभार्थियों के नाम एलपीजी डेटाबेस और एसईसीसी-2011 सूची के बीच बेमेल पाए गए, जिससे पता चलता है कि मुख्य रूप से अपर्याप्त क्षेत्र-स्तरीय निगरानी के कारण पात्र परिवारों के एएचएल टीआईएन का दुरुपयोग करके अपात्र व्यक्तियों को एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे।

इसलिए, तेल विपणन कंपनियों ने आईआरएन (06 जून 2019 और 06 अगस्त 2019) जारी किया, जिसमें लाभार्थी डेटा को सही करके या पात्र लाभार्थियों को उपयुक्त योजनाओं (ई-पीएमयूवाई/ई-पीएमयूवाई-2) में स्थानांतरित करके ऐसे मामलों को नियमित करने का निर्देश दिया गया।

हालाँकि, आईओसीएल के छः वितरकों की अनुवर्ती लेखापरीक्षा से पता चला कि विसंगतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, हालाँकि एचपीसीएल और बीपीसीएल के तीन-तीन चयनित वितरकों में यह विसंगतियाँ नहीं देखी गईं। समीक्षा किए गए 2,176 केवाईसी रिकॉर्डों में से, एसईसीसी डेटा से तुलना करने पर 460 मामलों (21 प्रतिशत) में नाम और पारिवारिक विवरण में विसंगतियाँ पाई गईं। ये केवल एक नमूना हैं, जो दर्शाता है कि अपात्र लाभार्थी अभी भी योजना का लाभ उठा रहे हैं।

आईओसीएल ने उत्तर दिया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने (3 दिसंबर 2020) निर्देश दिया कि यदि लाभार्थी अन्य विस्तारित योजनाओं के अंतर्गत पात्र पाए जाते हैं, तो नई योजना के

अंतर्गत सभी अपात्र एलपीजी कनेक्शनों को नियमित किया जाए। तदनुसार, आईआरएन के अनुसार नियमितीकरण किया गया। आईओसीएल ने यह भी उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई किसी भी प्रकार की विसंगति की जाँच की जा रही है और क्षेत्र में भौतिक सत्यापन के साथ सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उत्तर में इस लेखापरीक्षा अवलोकन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि एलपीजी कनेक्शन बिना सुधार के जारी रखे गए, जो नियमितीकरण प्रोटोकॉल के अप्रभावी कार्यान्वयन को दर्शाता है।

5.1.8.6 सुरक्षा मानक का अनुपालन

चूंकि एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील है, इसलिए इसका सुरक्षित उपयोग विशेष रूप से पीएमयूवाई लाभार्थियों के संदर्भ में प्रमुख चिंता का विषय है, जो पारंपरिक रूप से अशुद्ध ईंधन पर निर्भर हैं।

5.1.8.6.1 स्थापना-पूर्व निरीक्षण के संचालन में कमियाँ

पीएमयूवाई के अंतर्गत कनेक्शन जारी करने के लिए एसओपी के अनुसार, एलपीजी कनेक्शन जारी करने से पहले पूर्व-स्थापना निरीक्षण किया जाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थियों के घर एलपीजी स्थापना के लिए आवश्यक सुरक्षा मानकों[164] को पूरा करते हैं। पूर्व-स्थापना निरीक्षण यह जांचने के लिए भी एक उपकरण के रूप में कार्य करता है कि क्या घर में पहले से ही एलपीजी कनेक्शन है, जिस स्थिति में लाभार्थी पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपात्र हो जाता है।

क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान, 115 एलपीजी वितरकों[165] के 26,172 केवाईसी रिकॉर्ड[166] की नमूना जांच से पता चला कि 33 वितरकों[167] के 1,775 मामलों (यानी, 6.78 प्रतिशत) में, घरों की रसोई की पूर्व-स्थापना निरीक्षण रिपोर्ट रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थी।

इसके अलावा, लोक लेखा समिति (पीएसी)[168] ने अपनी 130वीं रिपोर्ट (2023-24) में अनुशंसा की है कि 'पीएमयूवाई स्थापनाओं से पहले लाभार्थियों के परिसरों का निरीक्षण करने के लिए वितरकों पर निरंतर निगरानी रखने के लिए सभी तेल विपणन कंपनियों में एक मजबूत निगरानी तंत्र उपलब्ध

---

[164] ***रसोई की छत और दीवारें ज्वलनशील सामग्री से नहीं बनी हैं, यह एलपीजी स्थापना के लिए सुरक्षित है, और इसमें एलपीजी स्टोव रखने के लिए प्लेटफॉर्म है। (स्रोत: तेल विपणन कंपनियों का स्थापना अनुलग्नक)***

[165] ***आईओसीएल: 57, एचपीसीएल: 29 और बीपीसीएल: 29***

[166] ***आईओसीएल: 12,183, एचपीसीएल: 7,446 और बीपीसीएल: 6,543***

[167] ***आईओसीएल: 15, एचपीसीएल: 12 और बीपीसीएल: 6***

[168] ***आईओसीएल: 1,308, एचपीसीएल: 269 और बीपीसीएल: 198***

कराए जाने की आवश्यकता है, ऐसा न करने पर संबंधित वितरक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।'

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि सभी 1,775 मामलों की पूर्व-स्थापना रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है और सभी 33 वितरकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। तेल विपणन कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे सदस्यता कार्ड जारी करने से पहले पूर्व-निरीक्षण रिपोर्ट सुनिश्चित करें, जिसका आगे तेल विपणन कंपनियों के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जा रहा है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा के समग्र दायरे के संबंध में पहचाने गए मामलों की संख्या बहुत कम है और सुधारात्मक कार्रवाई पूरी कर ली गई है।

निकास सभा (नवंबर 2024) के दौरान, मंत्रालय ने बताया कि पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए अनिवार्य निरीक्षण शुल्क ₹200 से घटाकर ₹50 कर दिया गया है और गरीब लाभार्थियों की आर्थिक सामर्थ्य संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए अवधि दो साल से बढ़ाकर पाँच साल कर दी गई है। तेल विपणन कंपनियों ने सुरक्षा अभियान शुरू किया है और देश भर में आठ करोड़ से ज़्यादा एलपीजी उपभोक्ताओं के घरों में सुरक्षा जाँच की है।

लेखापरीक्षा ओएमसी द्वारा उठाए गए उपायों की सराहना करती है। इन उदाहरणों की पहचान लेखापरीक्षा द्वारा केवल परीक्षण जांच के आधार पर की गई और इस महत्त्वपूर्ण पहलू के लिए नियंत्रण को मजबूत करने के लिए ओएमसी द्वारा विस्तृत जांच की आवश्यकता है।

5.1.8.6.2 स्थापना प्रमाणपत्रों की अनुपलब्धता

स्थापना प्रमाणपत्र लाभार्थियों के घर पर एलपीजी कनेक्शन की उचित और सुरक्षित स्थापना का प्रमाण होता है। इसके अलावा, स्थापना प्रक्रिया में सुरक्षा संबंधी जानकारी, एलपीजी के उपयोग और आपातकालीन प्रतिक्रिया आदि का प्रदर्शन शामिल होती है, जिसका दस्तावेजीकरण एलपीजी वितरक के मैकेनिक द्वारा किया जाता है।

115 एलपीजी वितरकों के 26,172 केवाईसी रिकॉर्ड की नमूना जाँच से पता चला कि 31 वितरकों[169] के 1,818 मामलों[170] (यानी 6.94 प्रतिशत) में, इंस्टॉलेशन प्रमाणपत्र रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थे। उपरोक्त मामलों में दिल्ली का एक एलपीजी वितरक शामिल है, जहाँ किसी भी मामले में स्थापना प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे।

---

[169] ***आईओसीएल: 13, एचपीसीएल: 13 और बीपीसीएल: 5***

[170] ***आईओसीएल: 1296, एचपीसीएल: 242 और बीपीसीएल: 280***

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि सभी चिन्हित मामलों के लिए स्थापना प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिए गए हैं और दोषी वितरकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा, लेखापरीक्षा के समग्र दायरे के सापेक्ष चिन्हित मामलों की संख्या बहुत कम है और सुधारात्मक कार्रवाई पूरी कर ली गई है।

निकास सभा (नवंबर 2024) के दौरान, मंत्रालय ने बताया कि एलपीजी जागरूकता कार्यक्रमों के मद्देनजर, एलपीजी दुर्घटनाओं की संख्या 4.38 प्रति मिलियन उपभोक्ता (2018-19) से घटकर 0.48 प्रति मिलियन उपभोक्ता (अगस्त 2024 तक) हो गई है।

लेखापरीक्षा तेल विपणन कंपनियों द्वारा किए गए उपायों की सराहना करती है। चूँकि लेखापरीक्षा द्वारा इन मामलों की पहचान केवल नमूना जाँच के आधार पर की गई, इसलिए इस महत्वपूर्ण पहलू पर नियंत्रण को मज़बूत करने के लिए तेल विपणन कंपनियों द्वारा विस्तृत जाँच की आवश्यकता है।

अनुशंसा संख्या 34: तेल विपणन कंपनियां पूर्व-स्थापना निरीक्षण रिपोर्ट और स्थापना प्रमाण-पत्र की अनुपलब्धता के लिए डेटाबेस की समीक्षा करे और जिन घरों में ये दस्तावेज अनुपलब्ध हैं, वहां निःशुल्क सुरक्षा निरीक्षण करे ।

5.1.8.7 पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को रिफिल वितरण में विलंब

अप्रैल 2018 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान, आईओसीएल[171], एचपीसीएल और बीपीसीएल द्वारा ई-पीएमयूवाई लाभार्थियों को 68.04 करोड़ एलपीजी रिफिल वितरित किए गए हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 229.19 लाख उपभोक्ताओं (कुल वितरित रिफिल का 3.55 प्रतिशत) को वितरित 243.19 लाख एलपीजी रिफिल के मामले में, रिफिल के वितरण में सात दिनों से अधिक का विलंब हुआ था। यह ओएमसी के नागरिक चार्टर से विचलन था जो सात दिनों का अधिकतम वितरण समय निर्दिष्ट करता है। आगे यह देखा गया कि 243.19 लाख रिफिल में से, 49.50 लाख रिफिल 30 दिनों से अधिक के विलंब के साथ वितरित किए गए जैसा कि नीचे दी गई तालिका में विस्तार से बताया गया है:

---

[171] *आईओसीएल ने वर्ष 2018-19 का डेटा उपलब्ध नहीं कराया*

तालिका 5.5: रिफिल वितरण में लगने वाले दिन

(संख्या लाख में)

रिफिल वितरण में लगने वाले दिन	आईओसीएल		एचपीसीएल		बीपीसीएल		कुल	
	रिफ़िल	प्रभावित उपभोक्ता	रिफ़िल	प्रभावित उपभोक्ता	रिफ़िल	प्रभावित उपभोक्ता	रिफ़िल	प्रभावित उपभोक्ता
8 से 10	25.88	23.73	25.28	23.61	27.57	25.26	**78.73**	**72.60**
11 से 20	20.33	19.17	30.54	28.30	34.89	31.84	**85.76**	**79.31**
21 से 30	7.00	6.85	9.71	9.45	12.49	12.11	**29.20**	**28.41**
31-60	8.78	8.69	7.42	7.23	13.41	13.14	**29.61**	**29.06**
61-180	6.39	6.38	1.81	1.79	9.76	9.71	**17.96**	**17.88**
> 180	0.63	0.63	0.04	0.04	1.26	1.26	**1.93**	**1.93**
							243.19	**229.19**

स्रोत: ओएमसी से प्राप्त जानकारी।

पीएसी ने अपनी 130वीं रिपोर्ट (2023-24) में अनुशंसा की है कि *"ओएमसी और वितरकों को मंत्रालय के साथ समन्वय में सभी मुद्दों का तुरंत समाधान करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पीएमयूवाई लाभार्थियों को समय पर उनकी रिफिल प्राप्त हो।"*

बीपीसीएल ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि रिफिल वितरण डेटा में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के सदस्यता कार्ड(एसवी) रिफिल (यानी, एलपीजी कनेक्शन के साथ वितरित रिफिल) भी शामिल हैं, जबकि उपभोक्ताओं को एसवी वितरण कार्यक्रमों के माध्यम से जारी किए गए, और बाद में स्थापित किए गए। आईओसीएल और एचपीसीएल ने उत्तर दिया (जनवरी / फरवरी 2024) कि असफल वितरण को रद्द करने से पहले घरेलू उपभोक्ताओं को रिफिल देने के लिए न्यूनतम तीन प्रयास किए गए। कई मामलों में उपभोक्ता पैसे की कमी और खाली सिलेंडर या घर पर उपभोक्ता की अनुपस्थिति या प्राकृतिक आपदाओं के कारण रिफिल नहीं ले पाए जो वितरक के दायरे से बाहर हैं। इसके अलावा, कई बार उपभोक्ता रिफिल आपूर्ति में विलंब की आशंका से बुकिंग करते हैं।पीएमयूवाई उपभोक्ताओं तक डिलीवरी में देरी से बचने के लिए जमीनी स्तर पर नियमित निगरानी और निरंतर प्रयास किए जा रहे थे।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल विपणन कंपनियों के जवाबों का समर्थन करते हुए (जनवरी 2025) बताया कि अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2024 तक 7,944 नए वितरण केंद्र शुरू किए हैं। साथ ही, 50,000 से ज़्यादा सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी)/ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई), 18,000 ऊर्जा देवी और 18,300 एचपी सखियों के साथ साझेदारी करके रीफ़िल

वितरण की दक्षता बढ़ाई गई है, जिससे औसत लंबित रीफ़िल समय 1.5 दिन से भी कम रह गया है। एलपीजी वितरण केंद्र भी 17,916 (1 अप्रैल 2016 तक) से बढ़कर 25,532 (1 नवंबर 2024 तक) हो गए, और इसी अवधि में ग्रामीण वितरण केंद्र की संख्या 10,424 से बढ़कर 17,610 हो गई।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/तेल विपणन कंपनियों द्वारा रिफिल वितरण की दक्षता बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की जाती है। हालाँकि, यह भी ध्यान में रखना होगा कि रिफिल का विलंब से वितरण स्वच्छ ईंधन अपनाने में बाधक बन सकता है, क्योंकि ई-पीएमयूवाई लाभार्थियों के पास एकल सिलेंडर एलपीजी कनेक्शन हैं। इसके अलावा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 7,944 नए वितरण केंद्र शुरू करने के संबंध में दिए गए उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि लक्षित 10,000 नए वितरण केन्द्रों के मुकाबले 2,056 नए वितरकों की कमी है।

अनुशंसा संख्या 35: मानदंडों के सख्त अनुपालन द्वारा सेवा वितरण में गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है।

5.1.8.8.1 बीपीएल परिवारों तक एलपीजी की पहुंच

ईपीएमयूवाई योजना के कार्यान्वयन के समय, 1 अप्रैल 2018 तक अखिल भारतीय एलपीजी कवरेज 80.9 प्रतिशत था और 1 अप्रैल 2021 और 1 अप्रैल 2023 तक क्रमशः 99.8 प्रतिशत और 105.1 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, अप्रैल 2018 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान ई-पीएमयूवाई, एलपीजी कनेक्शनों में वृद्धि दर गैर-पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शनों की तुलना में 11 गुना अधिक थी, जिसने एलपीजी कनेक्शनों के वितरण की सीमा तक योजना के प्रभावी कार्यान्वयन का संकेत दिया, जिससे गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन का विकल्प मिला। हालाँकि, इन लाभार्थियों की रिफिल खपत गैर-पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की तुलना में बहुत कम थी जैसा कि नीचे रेखा-चित्र में दिखाया गया है:

ग्राफ-5.4: औसत वार्षिक रिफिल खपत

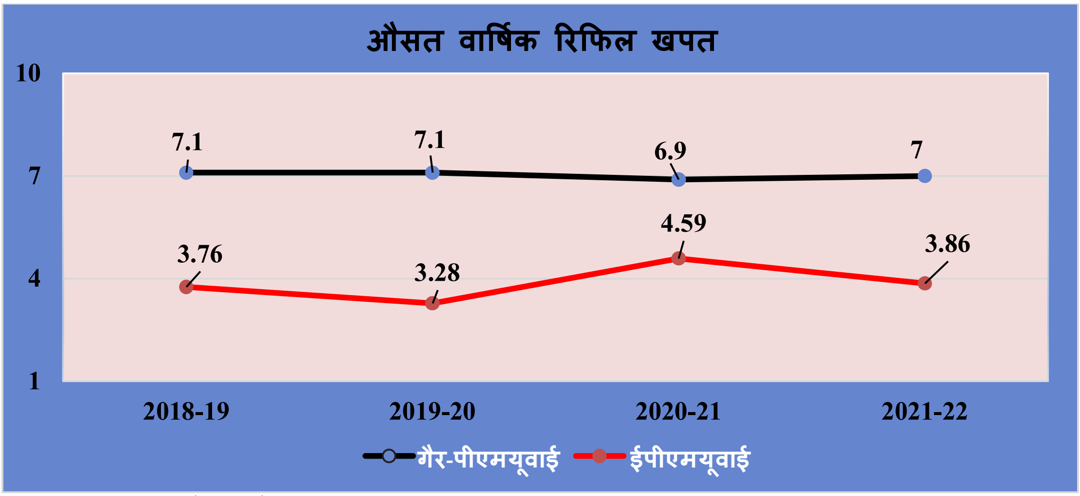

स्रोत: तेल विपणन कंपनियों से प्राप्त रिफिल खपत डेटा का लेखापरीक्षा विश्लेषण

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि रिफिल की औसत खपत में मामूली वृद्धि हुई है, जो 2018 में 3.76 रिफिल से बढ़कर 2022 में 3.86 रिफिल हो गई है। यह दर्शाता है कि एलपीजी के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय और तेल विपणन कंपनियों द्वारा अतिरिक्त प्रयास आवश्यक हैं। इसके अलावा, 2020-21 की अवधि के दौरान ई-पीएमयूवाई खपत में उल्लेखनीय वृद्धि का श्रेय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत पीएमयूवाई लाभार्थियों को तीन मुफ्त रिफिल के प्रावधान को दिया जा सकता है, जो कोविड-19 महामारी से निपटने के आर्थिक उपायों का हिस्सा था। यह सराहनीय है कि 2018-19 से 2021-22 तक लाभार्थियों के बीच एलपीजी की खपत में वृद्धि का रुझान रहा है, जो इस योजना के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

रिफिल खपत के आगे के विश्लेषण से यह भी पता चला कि पुराने लाभार्थियों (योजना में) की वार्षिक औसत खपत में गिरावट का रुझान है और आधे से अधिक लाभार्थियों की रिफिल की खपत वार्षिक औसत रिफिल खपत से कम थी, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 5.6: पुराने लाभार्थियों की वार्षिक औसत एलपीजी खपत का वर्षवार विवरण

वह वर्ष जिसमें लाभार्थी को एलपीजी कनेक्शन जारी किया गया	स्थापित[172] एलपीजी कनेक्शनों की संख्या	31.03.2022 तक औसत खपत	एलपीजी कनेक्शनों का प्रतिशत जहां औसत खपत वार्षिक औसत खपत से कम थी
2018-19	3,25,91,931	3.65	57.85 (1,88,55,343)
2019-20	87,45,863	4.31	57.13 (49,96,947)
2020-21	440	2.95	34.55 (152)
2021-22	97,21,277	4.56	64.60 (62,79,473)
कुल	**5,10,59,511**		

स्रोत: ओएमसी से प्राप्त आंकड़े और लेखापरीक्षा द्वारा किया गया विश्लेषण।

[172] *लेखापरीक्षा अवधि (मार्च 2018 - मार्च 2022) के बाद स्थापित 7.27 लाख कनेक्शनों को छोड़कर 2018-19 और 2021-22 के बीच*

एलपीजी उपयोग का प्रारंभिक वर्ष लाभार्थी परिवारों की स्वच्छ ईंधन अपनाने की इच्छा का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है। इसलिए, लाभार्थियों को एलपीजी की खपत बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है ताकि इसका निरंतर उपयोग सुनिश्चित हो सके।

पीएसी ने अपनी 130वीं रिपोर्ट (2023-24) में अनुशंसा की कि "*एलपीजी के निरंतर उपयोग के लिए पीएमयूवाई लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं।*"

तेल विपणन कंपनियों ने बताया कि पीएमयूवाई लाभार्थियों को विभिन्न उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रमों, जैसे क्षेत्रीय भाषाओं में पर्चे वितरित करना, सुरक्षा क्लीनिक और उनके आसपास के क्षेत्रों में एलपीजी पंचायतों के माध्यम से अन्य पारंपरिक ईंधनों की तुलना में एलपीजी के उपयोग के लाभों के बारे में लगातार शिक्षित किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि का रुझान रहा है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने (जनवरी 2025) में बताया कि खपत कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे खान-पान की आदतें, परिवार का आकार, कीमत और वैकल्पिक ईंधन की उपलब्धता। रिफिल खपत में सुधार के लिए ऋण स्थगन, 14.2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम सिलेंडर बदलने का विकल्प, पीएमजीकेवाई के अंतर्गत मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी पंचायत, सुरक्षा क्लीनिक और पीएमयूवाई लाभार्थियों को ₹300/- की सब्सिडी प्रदान करने जैसे कई उपाय किए गए हैं। इसके अलावा, खपत 2019-20 में 3.01 से बढ़कर 2024-25 (दिसंबर 2024 तक) में 4.4 सिलेंडर हो गई है।

यह सराहनीय है कि इस अवधि में एलपीजी की खपत में वृद्धि हुई है।

5.1.8.8.2 ओएमसी द्वारा प्रदान किया गया ब्याज मुक्त ऋण

संशोधित योजना दिशानिर्देश (2018) में कहा गया है कि तेल विपणन कंपनियाँ उन बीपीएल लाभार्थियों को ईएमआई सुविधा प्रदान करेंगी जो इस योजना के अंतर्गत गैस स्टोव और पहली रिफिल की लागत के लिए ईएमआई सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि तेल विपणन कंपनियों ने 67.33 प्रतिशत लाभार्थियों को असुरक्षित ब्याज-मुक्त ईएमआई सुविधा प्रदान की है, जो प्रारंभिक रिफिल/बाद की रिफिल के लिए संबंधित लाभार्थी को देय सब्सिडी से ऋण राशि की वसूली के अधीन है। 31 मार्च 2023 तक तेल विपणन कंपनियों द्वारा पीएमयूवाई लाभार्थियों को दिए गए ब्याज-मुक्त ऋण और उसकी वसूली का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 5.7: ऋणी पीएमयूवाई उपभोक्ताओं का विवरण और संबंधित बकाया ऋण

(आंकड़े करोड़ में)

विवरण	दिनांक- 31.03.2023 तक की स्थिति
सक्रिय पीएमयूवाई/ईपीएमयूवाई उपभोक्ताओं की संख्या	8.45
ऋण लेने वाले पीएमयूवाई/ईपीएमयूवाई उपभोक्ताओं की संख्या	5.69
प्रदत्त ब्याज-मुक्त ऋण की राशि (₹)	9,552.99
वसूली गई ब्याज-मुक्त ऋण राशि (₹)	4,424.46
बकाया ब्याज-मुक्त ऋण (₹)	5,128.53

स्रोत: ओएमसी से प्राप्त आंकड़े।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 31 मार्च 2023 तक ओएमसी द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त ऋण की राशि का केवल 46.31 प्रतिशत ही वसूल किया गया है। इन लाभार्थियों द्वारा रिफिल की कम खपत को देखते हुए, बकाया राशि की वसूली न होने का जोखिम है।

तेल विपणन कंपनियों ने बताया कि लाभार्थियों द्वारा एलपीजी को बेहतर ढंग से अपनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को एलपीजी के निरंतर और लाभकारी उपयोग के लिए ज्ञान और प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा रिफिल की खपत में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है, जिससे बकाया ऋण की वसूली में मदद मिलेगी। एचपीसीएल ने यह भी बताया कि रिफिल के घर-घर वितरण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि 30 सितंबर 2024 तक, तेल विपणन कंपनियों के लिए बकाया ऋण राशि ₹4,968.27 करोड़ है और पिछले छः महीनों के दौरान ₹213.45 करोड़ की ऋण राशि वसूल की गई है।

5.1.8.8.3. रिफिल सिलेंडर जारी करने के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा का उल्लंघन

भारत सरकार ने घरेलू सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों के गैर-घरेलू प्रयोग संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए (नवंबर 2014 में) पहल (डीबीटीएल) योजना शुरू की। इसके अनुसार, प्रत्येक घरेलू एलपीजी उपभोक्ता एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 12 रिफिल सिलेंडरों पर सब्सिडी प्राप्त करने का हकदार था।

चित्र-5.4: लाभार्थियों के लिए निर्धारित रिफिल बुकिंग सीमा का विवरण

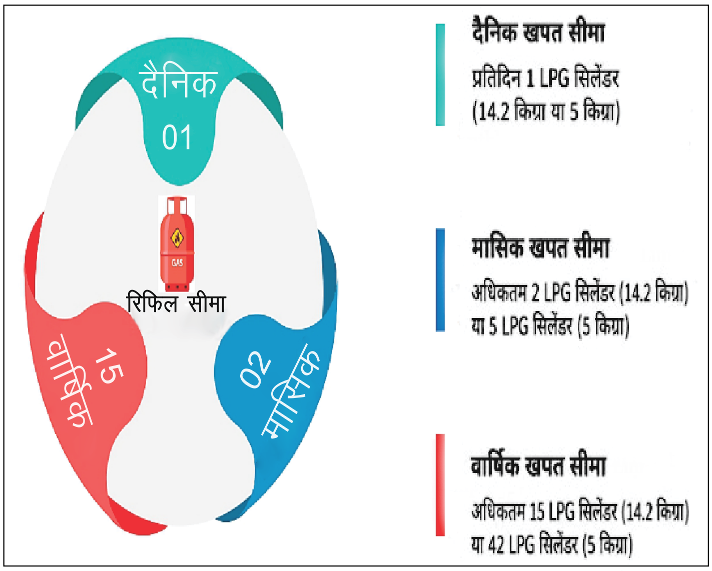

सीएजी की 2019 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 14 ने एलपीजी रिफिल की बुकिंग/जारी करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तेल विपणन कंपनियों के सॉफ्टवेयर में इनपुट सत्यापन में खामियों को उजागर किया, जिसके कारण पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा एलपीजी रिफिल की असामान्य रूप से अधिक खपत हुई। तदनुसार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (मई/जुलाई 2019) की सलाह पर, तेल विपणन कंपनियों ने रिफिल की संख्या पर सत्यापन नियंत्रण लागू किया (मई 2020)।

रिफिल खपत पर अधिकतम सीमा की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने ई-पीएमयूवाई, ई-पीएमयूवाई 2 और उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत सम्मिलित की गई अवधि[173] के दौरान रिफिल की खपत के तरीके का वार्षिक आधार पर विश्लेषण किया और उसके परिणाम नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 5.8: रिफिल की वार्षिक सीमा से अधिक खपत का विवरण

ओएमसी	आईओसीएल		बीपीसीएल		एचपीसीएल[174]		ओएमसी योग	
एलपीजी रिफिल की सीमा	उदाहरणों की संख्या	उपभोक्ताओं की संख्या	उदाहरणों की संख्या	उपभोक्ताओं की संख्या	उदाहरणों की संख्या	उपभोक्ताओं की संख्या	उदाहरणों की संख्या	उपभोक्ताओं की संख्या
16 से 20	64,049	61,845	59,959	57,373	30,149	29,785	**1,54,157**	**1,49,003**
21 से 30	2,986	2,967	3,036	2,890	1,759	1,746	**7,781**	**7,603**
31 से 40	57	55	153	150	55	55	**265**	**260**
41 से 50	7	7	24	24	11	11	**42**	**42**
51 से 90	2	2	-	-	-	-	**2**	**2**
कुल	**67,101**		**63,172**		**31,974**		**1,62,247**	

स्रोत: तेल विपणन कंपनियों से प्राप्त आंकड़े और लेखापरीक्षा द्वारा किया गया विश्लेषण

[173] *2018-19 और 2021-22 के बीच*

[174] *पीएमयूवाई के तहत जारी किए गए और बाद में ई-पीएमयूवाई के तहत नियमित किए गए कनेक्शनों से संबंधित 2.25 लाख रिकॉर्ड, जो एचपीसीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए रिफिल डेटा का हिस्सा हैं, शामिल हैं।*

जैसा कि ऊपर से स्पष्ट है, 15 सिलेंडर (14.2 किग्रा) की वार्षिक सीमा से अधिक खपत के 1,62,247 मामले देखे गए, जो स्पष्ट रूप से सत्यापन प्रक्रिया में खामियों और इन घरेलू सिलेंडरों की खपत में विचलन के जोखिम को दर्शाता है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने वार्षिक सीमा के संबंध में 2019 में तेल विपणन कंपनियों द्वारा लागू किए गए सत्यापन की प्रभावशीलता का आकलन किया और असामान्य रूप से उच्च रिफिल खपत (15 से अधिक रिफिल) के मामले देखे। ये मामले 2019 में 65,048, 2020 में 30,973 और 2021 में 64,047 थे, जो दर्शाता है कि रिफिल का उपयोग लगातार 15 रिफिल की स्थापित सीमा से अधिक रहा।

ओएमसी ने उत्तर दिया (जनवरी/फरवरी 2024) कि उपभोक्ताओं द्वारा रिफिल बुकिंग को एक वर्ष में अधिकतम 15 सिलेंडर तक सीमित करने के लिए जून 2019 में एक जांच प्रणाली लागू की गई। यदि अधिक सिलेंडरों की आवश्यकता होती है, तो वितरकों द्वारा प्रणाली में डाले गए उपभोक्ताओं के सहायक दस्तावेजों के साथ अनुरोध/घोषणा को बिक्री अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। एचपीसीएल ने आगे कहा कि प्रणाली की खामियों, यदि कोई हो, की जांच की जाएगी और सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि जून 2019 में सत्यापन नियंत्रण शुरू होने के बाद उच्च रिफिल खपत के मामले बहुत कम थे। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में, लेखापरीक्षा ने अनजाने में पांच किलोग्राम रिफिल को 14.2 किलोग्राम रिफिल के बराबर मान लिया है।

जून 2019 से प्रति वर्ष 15 सिलेंडरों की प्रणाली कैप के कार्यान्वयन के संबंध में ओएमसी की प्रतिक्रिया नोट कर ली गई है। हालांकि, लेखापरीक्षा के निष्कर्ष न केवल इस कार्यान्वयन से पहले की अवधि से संबंधित हैं, बल्कि जून 2019 के बाद के कई उदाहरणों से भी संबंधित हैं, जिसमें उपभोक्ताओं ने एक वर्ष में 31 से 50 रिफिल लिए। जबकि एचपीसीएल ने संकेत दिया है कि प्रणाली की खामियों के मामले में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी, ऐसे उच्च खपत वाले मामलों की निरंतर घटना निगरानी में कमी की ओर संकेत करती है। एमओपीएनजी के उत्तर के संबंध में कि लेखापरीक्षा ने भूलवश कुछ मामलों में पांच किलोग्राम रिफिल को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के बराबर माना होगा, यह स्पष्ट किया जाता है कि एचपीसीएल और आईओसीएल के लिए लेखापरीक्षा विश्लेषण स्पष्ट रूप से 14.2 किलोग्राम रिफिल तक सीमित था। हालाँकि, पाँच किलो के रिफ़िल के लिए सालाना 42 सिलेंडरों की आनुपातिक सीमा लागू करने के बाद भी, कई ऐसे मामले सामने आए जहाँ खपत सीमा से ज़्यादा हो गई, जिससे सीमा निर्धारण तंत्र की संभावित विफलता का संकेत मिलता है। इसलिए, यह मुख्य मुद्दा अभी भी अनसुलझा है कि क्या शुरू किए गए सत्यापन नियंत्रण पर्याप्त

रूप से मज़बूत थे, लगातार लागू किए गए, और योजना के अंतर्गत अत्यधिक या अनधिकृत खपत का पता लगाने और उसे रोकने के लिए प्रभावी ढंग से निगरानी की गई।

5.1.8.9 निगरानी और वित्तीय प्रबंधन

5.1.8.9.1 पीपीएसी द्वारा डी-डुप्लीकेशन कार्यवाही

पीएमयूवाई दिशानिर्देशों (मई 2016 और मार्च 2018) के अनुसार, पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) को पीएमयूवाई दावों की जाँच करने और सत्यापन के बाद प्रतिपूर्ति हेतु पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अनुशंसा करने की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। इस भूमिका को पूरा करने के लिए, पीपीएसी को प्रासंगिक अभिलेखों तक पहुँचने और तेल विपणन कंपनियों में क्षेत्र-स्तरीय निरीक्षण करने का अधिकार है। तदनुसार, पीपीएसी का यह दायित्व है कि वह उचित प्रयास करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रतिपूर्ति के लिए अनुशंसित दावे डुप्लिकेट और अपात्र एलपीजी कनेक्शनों से रहित हों।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पीपीएसी की भूमिका में निम्नलिखित कमियाँ पाईं:

1. **पीपीएसी द्वारा सीमित डी-डुप्लीकेशन:** पीपीएसी की डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया पूरी तरह से एएचएल टीआईएन और राशन कार्ड डेटा पर निर्भर करती है, और पीएमयूवाई/ई-पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शनों तक सीमित है, जबकि गैर-पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शन इन दोनों पहचानकर्ताओं से जुड़े नहीं हैं, और आधार पूरे एलपीजी उपभोक्ता आधार में एकमात्र सार्वजनिक डेटा बिंदु बना हुआ है। हालाँकि, पीपीएसी ने 31.39 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों के पूरे एलपीजी डेटाबेस पर डी-डुप्लीकेशन नहीं किया है। परिणामस्वरूप, यह प्रक्रिया अपर्याप्त है, और आवेदक परिवारों के भीतर नियमित (गैर-पीएमयूवाई) श्रेणी के अंतर्गत डुप्लिकेट या पहले से मौजूद एलपीजी कनेक्शनों के उदाहरण देखे गए, जैसा कि पैरा संख्या 5.1.8.3.1 और 5.1.8.3.3 में विस्तृत है।

2. **डुप्लिकेट एलपीजी कनेक्शन और सब्सिडी हानि:** पीपीएसी ने एएचएल टीआईएन/राशन कार्ड के आधार पर 4.07 लाख डुप्लिकेट पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शनों की पहचान की और ओएमसी के ₹2,518.02 करोड़ के दावों में से ₹65.10 करोड़ की राशि को अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा, पीपीएसी ने आईओसीएल के दावों के आंकड़ों में एएचएल टीआईएन और आरसी के आधार पर जारी किए गए 20,906 डुप्लिकेट पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शन भी पाए और अप्रैल 2021 से नवंबर 2022 की अवधि के दौरान जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों के प्रति ₹3.34 करोड़ की कटौती की और सुधार के लिए

आईओसीएल को इसकी सूचना दी। हालाँकि, कनेक्शन काटने से पहले रिफिल पर प्राप्त सब्सिडी की न तो वसूली की गई और न ही उसे समायोजित किया गया। इसके अलावा, इनमें से काफी संख्या में एलपीजी कनेक्शन सक्रिय रहे या ओएमसी द्वारा सत्यापित नहीं किए गए।

3. **समय पर कार्रवाई और निगरानी का अभाव:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि तेल विपणन कंपनियों ने पीपीएसी द्वारा अस्वीकृत 4.07 लाख एलपीजी कनेक्शनों में से केवल 3,315 कनेक्शन ही रद्द किए हैं। हालाँकि, पीपीएसी ने अस्वीकृत एलपीजी कनेक्शनों के लिए तेल विपणन कंपनियों से रद्दीकरण या उनके नियमितीकरण की स्थिति की पुष्टि प्राप्त नहीं की, न ही उसने इन अपात्र लाभार्थियों द्वारा घरेलू एलपीजी रिफिल के दुरुपयोग और सब्सिडी प्राप्ति को रोकने के लिए शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की। इस प्रकार, चिह्नित एलपीजी कनेक्शनों का केवल एक भाग ही अंततः रद्द/अभ्यर्पित या नियमित किया गया।

पीपीएसी ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023) कि योजना के अनुसार, तेल विपणन कंपनियों को डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया अपनानी है, न कि पीपीएसी को। हालाँकि, पीपीएसी एसएएस प्रणाली के माध्यम से एएचएल टीआईएन और आरसी नंबर के आधार पर जारी किए गए डुप्लिकेट एलपीजी कनेक्शनों का अतिरिक्त सत्यापन कर रहा है और इसके परिणाम तेल विपणन कंपनियों को उचित कार्रवाई करने के लिए सूचित कर दिए गए हैं। तेल विपणन कंपनियों ने 2021-23 (अप्रैल 2021 से जनवरी 2023) की अवधि के दौरान अपात्र एलपीजी कनेक्शनों के कारण ₹8.65 करोड़ की सब्सिडी वापिस की है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल/सितंबर 2024/जनवरी-2025) में कहा कि तेल विपणन कंपनियों को एक से अधिक कनेक्शन की संभावना को समाप्त करने के लिए बहुस्तरीय डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया से युक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, सीएलडीपी को मई 2024 में कार्यात्मक बनाया गया है जो वास्तविक समय प्रक्रिया को अपनाकर डुप्लिकेट एलपीजी कनेक्शनों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण रूप से मदद करता है। इसके अलावा, एमओपीएनजी का एक संलग्न कार्यालय पीपीएसी, नए एलपीजी कनेक्शनों के बिल शुरू करने के समय एक आंतरिक डी-डुप्लीकेशन कार्यवाही भी चलाता है। ओएमसी की क्षेत्रीय टीमों ने पीपीएसी द्वारा डुप्लिकेट के रूप में चिह्नित प्रत्येक कनेक्शन की सावधानीपूर्वक जांच की है, उन्हें मामला-दर-मामला आधार पर निपटाया गया है और परिणाम के आधार पर; पीएमयूवाई और उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत जारी किए गए 15,812 एलपीजी कनेक्शन रद्द/अभ्यर्पण कर दिए हैं जबकि 58,009 एलपीजी

कनेक्शन नियमित किए गए हैं। इसके अलावा, तेल विपणन कंपनियों ने ₹9.41 करोड़ की सब्सिडी वापिस कर दी है।

मंत्रालय/पीपीएसी के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि दावों की जांच के लिए केंद्रीय अभिकरण के रूप में नामित पीपीएसी को इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पीएमयूवाई और गैर-पीएमयूवाई दोनों एलपीजी कनेक्शनों पर डी-डुप्लीकेशन कार्यवाही करनी चाहिए। पीपीएसी द्वारा किया गया डी-डुप्लीकेशन कार्यवाही वांछित उद्देश्य को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं कर सकता है क्योंकि यह सभी उपभोक्ताओं के संचयी डेटा पर नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, पीपीएसी के एसएएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पता लगाए गए 4.07 लाख डुप्लिकेट एलपीजी कनेक्शनों में से, ओएमसी ने केवल 15,812 एलपीजी कनेक्शन रद्द/अभ्यर्पण किए हैं और 58,009 एलपीजी कनेक्शनों को नियमित किया है। हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा बताए गई सब्सिडी का लाभ उठाने वाले शेष एलपीजी कनेक्शनों को अभी भी नियमित/रद्द करने की आवश्यकता है।

अनुशंसा संख्या 36: मंत्रालय पीपीएसी को योजना के उद्देश्यों और उसकी ज़िम्मेदारियों और डुप्लिकेट एलपीजी कनेक्शनों से प्राप्त अनुचित लाभ की वसूली के बारे में संवेदनशील करे। इसके अलावा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सब्सिडी लीकेज से बचने और लाभार्थियों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए, पीपीएसी द्वारा चिह्नित प्रत्येक कनेक्शन पर की गई कार्रवाई की पुष्टि करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को निर्देश दे।

5.1.8.9.2 पीएमयूवाई लाभार्थियों से पीएमजीकेवाई अग्रिम योजना का समायोजन न किया जाना

भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के आर्थिक प्रयासों के एक हिस्से के रूप में (26 मार्च 2020) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत गरीबों के लिए कई पहलों की घोषणा की। इसका उद्देश्य कोविड महामारी के कारण हुए आर्थिक व्यवधान के कारण गरीबों को होने वाली कठिनाइयों को कम करना था। पीएमजीकेवाई के एक हिस्से के रूप में, यह घोषणा की गई कि उज्ज्वला लाभार्थियों को 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक, अगले तीन महीनों के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएँगे। इस योजना को दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया।

इस योजना के अनुसार, अप्रैल 2020 तक 8.02 करोड़ पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए तीन मुफ़्त सिलेंडरों पर ₹13,500 करोड़[175] का वित्तीय बोझ पड़ा। तेल विपणन कंपनियों के परामर्श से और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की स्वीकृति से कार्यान्वयन की विस्तृत रूपरेखा तैयार की

---

[175] *पीएमजीकेवाई योजना के अंतर्गत, 8.0246 करोड़ पीएमयूवाई लाभार्थियों को सब्सिडी को छोड़कर ₹560.60/सिलेंडर की प्रभावी लागत पर विचार करने के बाद 3 सिलेंडर प्रदान किए गए, अर्थात 8.0246 करोड़ x ₹560.60 x 3 = ₹13,495.77 करोड़।*

गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के अंतर्गत पीएमयूवाई लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सहायता में विचलन, विपथन या दुरुपयोग न हो। कार्यान्वयन की रूपरेखा के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार थे:

- तेल विपणन कंपनियाँ 1 अप्रैल 2020 से पीएमयूवाई उपभोक्ता के बैंक खाते में पहले सिलेंडर की पूरी कीमत का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डिजिटल रूप से शुरू करेंगी।
- उपभोक्ता पहले से हस्तांतरित राशि का उपयोग रिफिल की वितरण के समय वितरक को भुगतान करने के लिए करेगा।
- प्रत्येक वितरण को वितरक द्वारा तेल विपणन कंपनियों के मौजूदा सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाएगा। तेल विपणन कंपनियाँ भारत सरकार से हर 07 दिनों में इस राशि का दावा करेंगी।
- यदि उपभोक्ता महीने में अग्रिम राशि प्राप्त करने के बाद रिफिल बुक नहीं करता है, तो अगले महीने कोई अग्रिम राशि हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त योजना का उद्देश्य पीएमयूवाई लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता के विचलन, विपथन या दुरुपयोग को रोकना था। हालाँकि, यह योजना अग्रिम (पहला, दूसरा या तीसरा) प्राप्त करने के बाद निर्धारित अवधि के दौरान लाभार्थी द्वारा सिलेंडर रिफिल न कराने के संबंध में मौन थी। इस प्रकार, पीएमजीकेवाई योजना के दिशानिर्देश, पीएमजीकेवाई योजना के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर रिफिल न कराने की स्थिति में तेल विपणन कंपनियों द्वारा भारत सरकार से दिए गए अग्रिम की वसूली/दावे की सीमा तक अपर्याप्त थे।

योजना के अनुसार, तेल विपणन कंपनियों ने अप्रैल से दिसंबर 2020 तक पीएमयूवाई लाभार्थियों के खातों में ₹9,670.40 करोड़ की अग्रिम राशि जमा की। हालाँकि, दिसंबर 2020 से ₹366.66 करोड़ का अग्रिम भुगतान ऐसे लाभार्थियों के पास अभी भी लंबित है, जिन्होंने रिफिल के लिए अग्रिम प्राप्त करने के बाद भी रिफिल नहीं लिया।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2023/जनवरी 2025) कि योजना के अंत (अर्थात दिसंबर 2020) तक केवल 4.25 लाख लाभार्थियों के पास ₹31.65 करोड़ की अप्रयुक्त अग्रिम राशि थी। इसके अतिरिक्त, ₹326.02 करोड़ की राशि अप्रैल 2020 में लाभार्थियों को दिए गए अग्रिम के कारण शेष बची है, जब एलपीजी रिफिल की कीमत अधिक थी और ग्राहकों ने अगले महीने, जब कीमत कम हुई, रिफिल ले लिए थे। इस राशि की भरपाई बाद के रिफिल से नहीं की जा सकी और तेल विपणन कंपनियाँ रिफिल की वितरण के समय लाभार्थियों द्वारा उपयोग की गई राशि की प्रतिपूर्ति के लिए योग्य हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, यह पाया गया कि लाभार्थियों को प्रदान की गई कुल अग्रिम राशि और

पीपीएसी/भारत सरकार से वसूल की गई राशि 16 अगस्त 2023 तक क्रमशः ₹9,670.4 करोड़ और ₹9,303.74 करोड़ है और 6.06 लाख लाभार्थियों ने रिफिल के लिए ओएमसी द्वारा प्रदान की गई अग्रिम राशि का उपयोग नहीं किया।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित योजना के अंतर्गत, तेल विपणन कंपनियों को प्रतिपूर्ति संपूर्ण रूप से वितरण के समय ग्राहक द्वारा उपयोग की गई राशि पर आधारित थी।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि लाभार्थी द्वारा पीएमजीकेवाई अग्रिम का उपयोग न किए जाने की स्थिति में उसे समायोजित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया था।

अनुशंसा संख्या 37: मंत्रालय डीबीटीएल के अंतर्गत एलपीजी रिफिल पर पीएमयूवाई लाभार्थियों को अर्जित सब्सिडी से अप्राप्य पीएमजीकेवाई अग्रिम को समायोजित करने के लिए एक तंत्र पर विचार और विकास करे ।

5.1.9 निष्कर्ष

अनुपालन लेखापरीक्षा से ओएमसी/पीपीएसी/एमओपीएनजी द्वारा ई-पीएमयूवाई के कार्यान्वयन में त्रुटियां उजागर हुईं। पीएमयूवाई पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा से यह भी पुष्टि हुई कि पीएमयूवाई पर 2019 की सीएजी रिपोर्ट संख्या 14 की कई अनुशंसाओं पर ध्यान नहीं दिया गया, जिनमें अपूर्ण आधार सीडिंग, लगातार डुप्लिकेट/एकाधिक एलपीजी कनेक्शन, अयोग्य लाभार्थियों का अनुचित नियमितीकरण, लाभार्थी सत्यापन, दावा सत्यापन और सब्सिडी वसूली में अंतराल सम्मिलित हैं।

तेल विपणन कंपनियों ने सभी परिवारों के आधार को जोड़ने के मंत्रालय के स्पष्ट निर्देशों के विपरीत, परिवार के केवल एक आधार को जोड़ने के लिए कार्यान्वयन के तरीके तैयार किए। इससे डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया का दायरा अत्यंत शिथिल हो गया, जिससे एक ही घर में कई एलपीजी कनेक्शन व्यापक रूप से जारी हो गए। इसके अतिरिक्त, तीन-स्तरीय डी-डुप्लीकेशन के बावजूद, लेखापरीक्षा ने पाया कि एक ही घर में कई एलपीजी कनेक्शन थे, जो दोहराए गए मोबाइल नंबर स्वीकार करने जैसे कमज़ोर सत्यापन नियंत्रणों के कारण संभव हो पाए। इसके अतिरिक्त, डुप्लिकेट एलपीजी कनेक्शनों का पता चलने के बाद भी, तेल विपणन कंपनियों ने अपनी निर्णय लेने की शक्ति से परे तौर-तरीके तैयार किए और डुप्लिकेट एलपीजी कनेक्शनों को अनुचित तरीके से नियमित किया।

लाभार्थी श्रेणियों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के माध्यम से, जिसमें निवास और राशन कार्ड डेटा में विसंगति के कारण अंत्योदय और प्रवासी श्रेणियों के अंतर्गत गलत तरीके से जारी करना सम्मिलित

है, अनपेक्षित लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए। सब्सिडी हस्तांतरण में अत्यधिक विलम्ब और कुछ मामले दो वर्ष से भी अधिक समय तक लंबित रहने के परिणामस्वरूप लाभार्थी अपनी योग्य सब्सिडी से स्थायी रूप से वंचित हो गए।

वितरक स्तर पर गलत केवाईसी प्रविष्टियां, पूर्व-स्थापना में पाई गई कमियां और स्थापना की अनुपलब्धता, एलपीजी रिफिल का विलम्ब से वितरण, गैर-लाभार्थी बैंक खाते को एलपीजी कनेक्शन से जोड़ने और परिणामस्वरूप सब्सिडी का गैर-लाभार्थी खाते में स्थानांतरण के कारण कार्यान्वयन की दक्षता और अधिक प्रभावित हुई।

वार्षिक सीमा से अधिक एलपीजी रिफिल की अत्यधिक खपत और रिफिल के विलम्ब से वितरण, पीएमयूवाई पर पूर्व सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उजागर किए गए मुद्दे, अभी तक अनिर्णीत हैं।

पीएमजीकेवाई के अंतर्गत, कोविड-19 अवधि के दौरान लाभार्थियों को तीन एलपीजी रिफिल के लिए ₹9,670.40 करोड़ की राशि जमा की गई। हालाँकि, इसमें से ₹366.66 करोड़ की राशि अप्रयुक्त रह गई, क्योंकि अप्रयुक्त अग्रिमों के लिए कोई वसूली व्यवस्था नहीं है।

पीपीएसी की सीमित जांच, जिसमें केवल पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शनों को सम्मिलित किया गया तथा 31.39 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों के व्यापक एलपीजी उपभोक्ता आधार को सम्मिलित नहीं किया गया, ने व्यापक डी-डुप्लीकेशन के उद्देश्य को कमजोर कर दिया।

लेखापरीक्षा अवलोकनों से पीएमयूवाई और ई-पीएमयूवाई में कार्यान्वयन संबंधी कमियों, नीतिगत विचलनों और सत्यापन संबंधी कमियां उजागर होती है। लेखापरीक्षा अनुशंसाओं का निरंतर गैर-अनुपालन, लाभार्थियों का कमज़ोर सत्यापन और शिथिल निगरानी व्यवस्थाएँ इस योजना की दक्षता को अनुकूलित नहीं कर सकीं, जिसके लिए ई-पीएमयूवाई के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विशेष रूप से आधार सीडिंग, सॉफ़्टवेयर सत्यापन, लाभार्थियों की योग्यता जाँच और सब्सिडी वसूली तंत्र के क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।

अध्याय VI : वस्त्र मंत्रालय

6.1 संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

6.1.1 प्रस्तावना

औद्योगिक उत्पादन, रोज़गार और निर्यात में अपने योगदान के संदर्भ में, भारतीय वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अद्वितीय स्थान रखता है। वस्त्र मंत्रालय ने 1 अप्रैल 1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की थी। इसका उद्देश्य मशीनरी के उन्नयन में निवेश के लिए निर्दिष्ट ब्याज प्रतिपूर्ति और पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करके वस्त्र उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण हेतु पूंजीगत निवेश को प्रोत्साहित करना था। यह एक ऋण-आधारित योजना थी जिसे योग्य निवेशों के सब्सिडी दावों की प्रतिपूर्ति द्वारा अधिसूचित ऋण एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य वस्त्र उद्योग में उत्पादकता, गुणवत्ता, निवेश और रोज़गार को बढ़ावा देना था।

इस योजना को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा नीचे दर्शाए गए विभिन्न नामों से क्रियान्वित किया गया:

तालिका 6.1: प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के विभिन्न संस्करणों का संक्षिप्त विवरण

योजना अवधि	योजना का नाम	संचालन की अवधि
9वीं और 10वीं योजना	प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)	1 अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2007 तक
11वीं योजना	संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एमटीयूएफएस)	1 अप्रैल 2007 से 28 जून 2010 तक
11वीं योजना	ब्लैकआउट अवधि	29 जून 2010 से 27 अप्रैल 2011 तक
11वीं और 12वीं योजना	पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (आरटीयूएफएस)	28 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 तक
12वीं योजना	संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (आरआरटीयूएफएस)	1 अप्रैल 2012 से 12 जनवरी 2016 तक

6.1.1.1 संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

वस्त्र मंत्रालय ने आशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (आरआरटीयूएफएस) के विद्यमान प्रावधानों में लाभों और लाभों का दावा करने की प्रक्रिया के संदर्भ में संशोधन किया और संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) नामक एक नवीन योजना अधिसूचित की (13 जनवरी 2016)। इस योजना का उद्देश्य निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन के ध्यानार्थ, वस्त्र मूल्य श्रृंखला के रोजगारपरक और प्रौद्योगिकी-प्रधान क्षेत्रों में निवेश के लिए एकमुश्त पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करना था। यह योजना 13 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2022 तक सात वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी थी।

एटीयूएफएस की शुरूआत के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) की टिप्पणी (दिसंबर 2015) के अनुसार, एटीयूएफएस के अंतर्गत वित्तीय निहितार्थ ₹17,822 करोड़ था, जिसमें विद्यमान प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत ब्याज प्रतिपूर्ति सब्सिडी की प्रतिबद्ध देयता ₹12,671 करोड़ और एटीयूएफएस के अंतर्गत नए मामलों के लिए ₹5,151 करोड़ सम्मिलित होगी।

मंत्रालय द्वारा फरवरी 2016 में एटीयूएफएस के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए, जिन्हें बाद में संशोधित किया गया और योजना के लिए संशोधित दिशानिर्देश अगस्त 2018 में जारी किए गए।

6.1.1.2 योजना के उद्देश्य

संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(क) देश में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना तथा विनिर्माण में 'शून्य प्रभाव और शून्य दोष' के साथ 'मेक इन इंडिया' के माध्यम से रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को प्राप्त करना।

(ख) वस्त्र उद्योग में आयात प्रतिस्थापन के साथ-साथ निवेश, उत्पादकता, गुणवत्ता, रोजगार, निर्यात को बढ़ाना तथा अप्रत्यक्ष रूप से वस्त्र मशीनरी विनिर्माण में निवेश को बढ़ावा देना।

6.1.1.3 योजना की मुख्य विशेषताएं

संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(क) **योजना लाभ:** एटीयूएफएस के अंतर्गत, पूंजीगत निवेश सब्सिडी निर्दिष्ट क्षेत्रों में योग्य मानदंड मशीनरी पर निवेश के लिए उपलब्ध है, *अर्थात,* (i) बुनाई, बुनाई की तैयारी और बंधाई, (ii) फाइबर, सूत, वस्त्र, परिधान और मेड-अप का प्रसंस्करण, (iii) तकनीकी वस्त्र, (iv) परिधान / मेड-अप विनिर्माण, (v) हथकरघा क्षेत्र, (vi) रेशम क्षेत्र, और (vii) जूट क्षेत्र।

(ख) **योजना लाभ के लिए योग्यता:** कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं/इकाइयां, जिनके पास औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (अब, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग) के साथ औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन[176] (आईईएम) की पावती है, एमएसएमई इकाइयों को छोड़कर जो एमएसएमई मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार होंगी, अथवा राज्य सरकार के संबंधित निदेशालयों के साथ पंजीकृत इकाइयां योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य हैं।

(ग) **योग्य वस्त्र मशीनरी:** इस योजना के अंतर्गत लाभ के लिए केवल मशीन निर्माताओं या उनके अधिकृत एजेंटों से सीधे क्रय की गई नई मानदंड मशीनरी (निर्दिष्ट खंडों के लिए) पर विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, लाभ केवल तभी उपलब्ध होंगे जब योग्य मानदंड मशीनरी किसी अधिसूचित ऋण एजेंसी से सावधि ऋण लेकर क्रय की गई हो।

(घ) **योग्य सब्सिडी के लिए मानदंड:** प्रत्येक योग्य व्यक्तिगत इकाई को नीचे दर्शाई गई दरों और समग्र सब्सिडी सीमा के अनुसार योग्य निवेश पर योजना के अंतर्गत पूंजीगत निवेश सब्सिडी (सीआईएस) का भुगतान किया जाना है:

तालिका 6.2: योजना के अंतर्गत निर्धारित सब्सिडी

क्रम सं.	खंड	पूंजीगत निवेश सब्सिडी की दर (सीआईएस)	प्रति व्यक्तिगत इकाई सीआईएस
1.	परिधान निर्माण, तकनीकी वस्त्र	योग्य मशीनों पर 15 *प्रतिशत*	₹30 करोड़*

[176] *उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंसिंग की आवश्यकताओं से छूट प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों को उद्योग स्थापना से संबंधित सूचना प्रस्तुत करनी होती है, जिसे आईईएम (औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन) कहा जाता है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा ऐसी सूचना प्राप्ति की पुष्टि को 'आईईएम पावती' कहा जाता है।*

2.	बिल्कुल नए शटल-रहित करघों के लिए बुनाई (बुनाई की तैयारी और बुनाई सहित), प्रसंस्करण, जूट, रेशम और हथकरघा	योग्य मशीनों पर 10 *प्रतिशत*	₹20 करोड़*
3(क)	संयुक्त इकाई/एकाधिक खंड - यदि परिधान और तकनीकी वस्त्र श्रेणी के संबंध में योग्य पूंजीगत निवेश योग्य मशीनरी लागत के 50 *प्रतिशत* से अधिक है।	योग्य मशीनों पर 15 *प्रतिशत*	₹30 करोड़*
3(ख)	संयुक्त इकाई/एकाधिक खंड - यदि परिधान और तकनीकी वस्त्र श्रेणी के संबंध में योग्य पूंजीगत निवेश योग्य मशीनरी लागत के 50 *प्रतिशत* से कम है।	योग्य मशीनों पर 10 *प्रतिशत*	₹20 करोड़*

*यदि आवेदक ने पहले आरआरटीयूएफएस के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ लिया है, तो वह एक व्यक्तिगत इकाई के लिए निर्धारित समग्र सीमा के भीतर केवल शेष राशि के लिए योग्य है।

6.1.1.4 योजना का कार्यान्वयन तंत्र

योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित योजना के कार्यान्वयन ढांचे में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- **अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति (आईएमएससी):** आईएमएससी की अध्यक्षता वस्त्र मंत्री करते हैं। आईएमएससी की संरचना **अनुलग्नक**-XXVIII में दी गई है। आईएमएससी, सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों की अनुवीक्षण और निर्माण के लिए उत्तरदायी है। आईएमएससी योजना की प्रगति की अर्ध-वार्षिक[177] समीक्षा करती है और इसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है। वित्तीय मुद्दों के अलावा अन्य मुद्दों से संबंधित योजना दिशानिर्देशों में कोई भी संशोधन आईएमएससी के अनुमोदन से किया जा सकता है।

- **वस्त्र आयुक्त कार्यालय:** इस योजना का कार्यान्वयन वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा अपने नौ क्षेत्रीय कार्यालयों[178] के माध्यम से किया जाता है। वस्त्र आयुक्त कार्यालय इस योजना

***

[177] 5वीं आईएमएससी बैठक (अक्टूबर 2021) में, आईएमएससी बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

[178] अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, कोयंबटूर, गुंटूर, इंदौर, कोलकाता, मुंबई और नोएडा

के अंतर्गत सब्सिडी दावों के लिए आवेदनों की जांच और अनुमोदन करता है तथा आवेदकों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) तैयार करता है।

वस्त्र आयुक्त अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) का भी गठन करता है, जिसमें ऋणदाता एजेंसियों, उद्योग और वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन के सदस्य होते हैं, जो आवेदक इकाई द्वारा मशीनरी की स्थापना और कमीशनिंग का भौतिक सत्यापन करते हैं और इकाई को योग्य सब्सिडी राशि की अनुशंसा करते हैं।

वस्त्र आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रस्तुत संयुक्त जांच दल की रिपोर्ट की जांच करता है, तथा इकाई को सब्सिडी जारी करने के लिए बिल तैयार करता है तथा मंत्रालय को चालान प्रस्तुत करता है।

- **तकनीकी सलाहकार-सह-अनुवीक्षण समिति (टीएएमसी):** वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में टीएएमसी का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाले सरकारी और उद्योग जगत के तकनीकी विशेषज्ञ सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं। टीएएमसी की संरचना **अनुलग्नक-**XXIX में दी गई है।

  टीएएमसी प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को योग्य मानदंड मशीनरी की सूची जारी करती है और मशीनरी की सूची में कुछ जोड़ने/हटाने के संदर्भ में संशोधन करती है। योजना के अंतर्गत किसी इकाई अथवा मशीनरी की पात्रता के संबंध में ऋण देने वाली एजेंसी/उद्यमियों द्वारा व्याख्या या स्पष्टीकरण संबंधी कोई प्रश्न उठाए जाने की स्थिति में, टीएएमसी का निर्णय अंतिम होगा।

  टीएएमसी खंडवार प्रगति सहित योजना की प्रगति की अनुवीक्षण और समीक्षा भी करता है तथा मंत्रालय और आईएमएससी को तिमाही आधार पर अवगत कराता है।

6.1.1.5 एटीयूएफएस सब्सिडी जारी करने की व्यवस्था

यह योजना वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा अपने नौ क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता से आई-टीयूएफएस पोर्टल (सॉफ्टवेयर) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। यह योजना नीचे दी गई पाँच-चरणीय प्रक्रिया **(अनुलग्नक-XXX)** में क्रियान्वित की जाती है:

(i) आवेदक संस्था द्वारा सावधि ऋण आवेदन प्रस्तुत करना तथा उसकी एक प्रति वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करना, जो ऋण देने वाली एजेंसी द्वारा सावधि ऋण की संस्वीकृति में सहायता करेगा।

(ii) योजना के अंतर्गत सब्सिडी के पूर्व प्राधिकरण और यूआईडी जारी करने के लिए आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए ऋण देने वाली एजेंसी के माध्यम से आवेदक इकाई द्वारा वस्त्र आयुक्त को विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) के लिए आवेदन।

(iii) आवेदक संस्था द्वारा सावधि ऋण की संस्वीकृति की तिथि से दो वर्ष के भीतर मशीनरी की स्थापना।

(iv) इकाई द्वारा वस्त्र आयुक्त को सब्सिडी का ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करना तथा वस्त्र आयुक्त द्वारा दावे को वस्त्र मंत्रालय को अग्रेषित करना।

(v) वस्त्र मंत्रालय द्वारा इकाई के खाते में योग्य सब्सिडी जारी करना।

6.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या:

(i) रोजगार और निवेश बढ़ाने के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस योजना को मितव्ययी, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया गया, तथा

(ii) योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजना का प्रभावी अनुवीक्षण किया गया।

6.1.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं आच्छादन

लेखापरीक्षा 2016-17 से 2023-24 की अवधि के लिए की गई। लेखापरीक्षा में योजना से संबंधित जानकारी एकत्र की गई और वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध अभिलेखों की जाँच की गई। लेखापरीक्षा मुख्य रूप से योजना के निष्पादन, विशेष रूप से रोजगार और निवेश बढ़ाने के संदर्भ में, की जाँच पर केंद्रित थी।

जनवरी 2016 और जून 2022 के बीच जारी ₹1,122 करोड़ की सब्सिडी के 4,596 आवेदनों में से ₹394 करोड़ (35 *प्रतिशत*) की सब्सिडी संबंधी 250 आवेदनों का नमूना आकार स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण विधि के माध्यम से चुना गया था।

6.1.4 योजना की तैयारी एवं कार्यान्वयन

वस्त्र मंत्रालय ने विद्यमान संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (आरआरटीयूएफएस) को संशोधित किया और 13 जनवरी 2016 को 31 मार्च 2022 तक सात वर्षों की अवधि के लिए संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) आरम्भ की।

एटीयूएफएस को आई-टीयूएफएस नामक एक सुदृढ़ वेब-आधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन लागू किया जाना था।

जबकि आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर के निष्पादन से संबंधित मुद्दों पर पैरा 6.1.6 के अंतर्गत चर्चा अलग से की गई है, एटीयूएफएस के कार्यान्वयन पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

6.1.4.1 योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों में संशोधन

योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रारंभिक दिशानिर्देश फरवरी 2016 में जारी किए गए थे। इसके पश्चात, अगस्त 2018 में, मंत्रालय ने प्रारंभिक दिशानिर्देशों के स्थान पर संशोधित योजना दिशानिर्देश अधिसूचित किए। योजना दिशानिर्देशों के विभिन्न प्रावधानों में अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति (आईएमएससी) या तकनीकी सलाहकार-सह-अनुवीक्षण समिति (टीएएमसी) द्वारा समय-समय पर संशोधन किए गए **(अनुलग्नक-**XXXI**)**।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(i) मूल योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदनों के समयबद्ध प्रसंस्करण का एक तंत्र और आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वचालित चेतावनी प्रणाली लागू किए गए थे। आवेदनों के प्रसंस्करण से संबंधित गतिविधियों की प्रगति के आधार पर, प्रस्तुत आवेदन का रंग हरे से पीले और फिर लाल में बदल जाता था। हालाँकि, संशोधित दिशानिर्देशों में इस प्रावधान को हटा दिया गया।

(ii) यद्यपि संशोधित योजना दिशानिर्देश मूल दिशानिर्देशों के स्थान पर जारी किए गए थे (अगस्त 2018), वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने मामलों की जांच करते समय दोनों दिशानिर्देशों का उल्लेख किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि संशोधित दिशानिर्देश वास्तव में प्रारंभिक दिशानिर्देशों का स्थान नहीं लेते हैं।

(iii) यद्यपि योजना के दिशा-निर्देशों में योजना के कार्यान्वयन से संबंधित संपूर्ण कार्यप्रवाह को आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से करने की परिकल्पना की गई थी, लेकिन संयुक्त निरीक्षण के बाद सब्सिडी दावों को हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और भौतिक फाइल) पर संसाधित किया गया, जिससे पता चला कि योजना अभी तक संपूर्ण रूप से ऑनलाइन नहीं हुई है।

वस्त्र मंत्रालय/वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2024) कि:

- प्रारंभिक दिशानिर्देशों की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए। संशोधित दिशानिर्देशों में, वस्त्र उद्योग के लाभ के लिए कुछ खंड सम्मिलित किए गए और कुछ खंड हटा दिए गए है।
- यूआईडी तैयार करना, संयुक्त निरीक्षण अनुरोध भेजना और संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना, अधिकांशतः ऑनलाइन ही किया गया, परंतु वृहद रूपी दस्तावेजों सहित पात्रता की जाँच प्रत्यक्ष रूप से की गई। इस प्रकार के सत्यापन से पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार हुआ।
- यदि संशोधित दिशानिर्देशों में संशोधित खंड संशोधित दिशानिर्देश जारी होने की तिथि से प्रभावी होते, तो प्रारंभिक दिशानिर्देशों के आधार पर यूआईडी प्राप्त करने वाली कई इकाइयाँ अयोग्य हो जातीं या अस्वीकृत हो जातीं। इसलिए, ऐसे खंडों के आवेदन से संबंधित मामलों पर कार्रवाई के लिए एक निर्दिष्ट तिथि की आवश्यकता थी।

वस्त्र मंत्रालय ने आगे उत्तर दिया (मई 2025) कि संशोधित योजना में अधिक पारदर्शिता, प्रशासनिक सरलता और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई संस्थागत और डिजिटल सुधार सम्मिलित किए गए हैं। मंत्रालय ने आगे बताया कि आई-टीयूएफएस पोर्टल उत्तरोत्तर परिपक्व होता गया है और अब इसमें आवेदन जमा करने, निरीक्षण, सत्यापन, स्पष्टीकरण और धन वितरण ट्रैकिंग सहित संपूर्ण डिजिटल प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध है। इस प्रणाली ने अब इकाइयों को स्पष्टीकरण और स्थिति अद्यतन की वास्तविक समय पर दृश्यता की सुविधा प्रदान की है, जिससे पारदर्शिता और समय पर अनुपालन सुनिश्चित होता है। यह भी बताया गया कि मंत्रालय प्रतिपुष्टी आधार पर पोर्टल और प्रक्रिया को अद्यतित और परिष्कृत करता है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना वर्ष 1999 से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी। हालाँकि, कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं/चुनौतियों का समाधान और प्रारम्भ से अंत तक डिजिटल प्रसंस्करण अगस्त 2018 में संशोधित दिशानिर्देशों के जारी होने से अत्यंत समय बीत जाने के बाद ही सुनिश्चित किया गया। इसके अतिरिक्त, संशोधित दिशानिर्देशों में स्वचालित चेतावनी प्रणाली को सम्मिलित न करने के कारणों पर कोई उत्तर नहीं दिया गया।

6.1.4.2 प्रतिबद्ध देयताओं का मूल्यांकन और स्थिरीकरण (फ्रीजिंग)

व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने विद्यमान संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (आरआरटीयूएफएस) के स्थान पर नई प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना के लिए संसाधन

आवश्यकताओं की अनुशंसा करते हुए, पूर्ववर्ती टीयूएफएस के अंतर्गत स्वीकृत मामलों की अनुमानित अधिकतम प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए ₹8,665.62 करोड़ की धनराशि का प्रस्ताव रखा (जून 2015)। प्रतिबद्ध देयताओं की वास्तविक राशि का लेखा-समाधान वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा किया जाना था।

चालू आरआरटीयूएफएस के स्थान पर एटीयूएफएस शुरू करने के लिए सीसीईए के नोट (दिसंबर 2015) में टीयूएफ योजनाओं के पूर्व संस्करणों के अंतर्गत स्वीकृत मामलों की प्रतिबद्ध देयताओं पर विचार करने के लिए बजट आवंटन को संशोधित कर ₹12,671 करोड़ कर दिया गया।

वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने (9 जनवरी 2017) संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एमटीयूएफएस) और पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (आरटीयूएफएस) के अंतर्गत सब्सिडी की प्रतिपूर्ति हेतु ऋणदाता एजेंसियों द्वारा वस्त्र मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए प्रतिबद्ध देयता आंकड़ों के मूल्यांकन/आकलन हेतु नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (नैबकॉन्स) को नियुक्त किया। यह मूल्यांकन अनुबंध पर हस्ताक्षर की तिथि से दो महीने के भीतर पूरा किया जाना था।

नैबकॉन्स के साथ समझौता दिसंबर 2019 में समाप्त कर दिया गया क्योंकि बैंकों से सहयोग की कमी के कारण नैबकॉन्स यह काम पूरा नहीं कर सका। इस प्रकार, ईएफसी की अनुशंसा के बावजूद, पूर्ववर्ती टीयूएफएस के प्रति प्रतिबद्ध देयताओं का समाधान नहीं किया जा सका।

वस्त्र मंत्रालय/वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2024) कि पिछली योजनाएँ बैंक द्वारा संचालित थीं और वस्त्र आयुक्त कार्यालय को समानांतर सत्यापन करने का अधिकार भी नहीं था। इसके अतिरिक्त, नैबकॉन्स प्रतिबद्ध देयताओं का मूल्यांकन/आकलन और जाँच पूरी नहीं कर सका क्योंकि ऋणदाता एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज़ों में विसंगतियाँ थीं।

वस्त्र मंत्रालय ने आगे उत्तर दिया (मई 2025) कि सत्यापन, अनुवीक्षण और सब्सिडी जारी करने की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 2019 में एक प्रोटोकॉल जारी किया गया। अग्रसर यह बताया गया कि फ़रवरी 2025 तक, आँकड़ों के मिलान के बाद ₹7,204 करोड़ की सब्सिडी जारी की जा चुकी थी, जो वास्तविक आधार पर लगभग 57 *प्रतिशत* की उपयोग दर दर्शाती है। चूंकि योजनाएँ अपने अंतिम चरण में पहुँच चुकी थीं और एक व्यापक सत्यापन व्यवस्था लागू हो चुकी थी, ऐतिहासिक प्रतिबद्ध देयताओं के मिलान का मुद्दा अब भौतिक रूप से प्रासंगिक नहीं था क्योंकि प्रत्येक मामले की जाँच विशेष संयुक्त निरीक्षण दल और वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा अलग-अलग की जा रही थी।

6.1.4.3 पूर्ववर्ती टीयूएफएस मामलों का निस्तारण

चूँकि टीयूएफएस के पिछले सभी संस्करण[179] बैंक-संचालित योजनाएँ थीं, इसलिए पूर्ववर्ती टीयूएफएस के दिशानिर्देशों में वस्त्र आयुक्त द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) द्वारा क्रय की गई मशीनरी का कोई भौतिक निरीक्षण करने का प्रावधान नहीं था। पूर्ववर्ती टीयूएफएस के दिशानिर्देशों में मशीनरी और मशीनरी की क्रय से संबंधित दस्तावेजों को प्रतिधारित करने की कोई समय-सीमा भी निर्धारित नहीं थी।

टीयूएफएस के पूर्व संस्करणों के अंतर्गत प्राप्त दावों के सत्यापन और अनुवीक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति ने 27 फरवरी 2019 को आयोजित अपनी दूसरी बैठक में निर्णय लिया कि एटीयूएफएस की तर्ज पर जेआईटी का गठन किया जा सकता है ताकि टीयूएफएस के पूर्व संस्करणों से संबंधित 8,453 चालू सब्सिडी लेखे के अंतर्गत क्रय की गई मशीनरी का भौतिक सत्यापन किया जा सके। यह भी निर्णय लिया गया कि वस्त्र आयुक्त प्रस्तावित निरीक्षण के लिए एक विस्तृत कार्य योजना और प्रोटोकॉल तैयार करेंगे, जिसकी सूचना मंत्रालय को दी जाएगी।

तदनुसार, मंत्रालय ने (जून 2019 में) वस्त्र आयुक्त द्वारा तैयार एक विस्तृत प्रोटोकॉल जारी किया, जिसमें टीयूएफएस के पूर्व संस्करणों के अंतर्गत क्रय की गई मशीनरी का भौतिक निरीक्षण और तदनुसार सब्सिडी जारी करने का प्रावधान था। प्रोटोकॉल में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे:

(i) जेआईटी में वस्त्र मंत्रालय के अन्य संगठनों (जैसे वस्त्र समिति, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, आदि) से वस्त्र पृष्ठभूमि वाले तकनीकी अधिकारी, संबंधित बैंक के प्रतिनिधि तथा वस्त्र अनुसंधान संघ या स्थानीय उद्योग संघ के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

(ii) संबंधित बैंक योजनावार और इकाईवार दस्तावेज तैयार रखेंगे तथा जेआईटी के गठन में सुविधा के लिए छः दस्तावेजों[180] की प्रतियां आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर में अपलोड भी करेंगे।

---

[179] *संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एमटीयूएफएस), पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (आरटीयूएफएस) और संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (आरआरटीयूएफएस)*

[180] *(i) सावधि ऋण स्वीकृति पत्र (ii) स्वीकृत सावधि ऋण के प्रति वितरित वास्तविक राशि और राशि का तिथिवार वितरण (iii) रिपोर्टिंग प्रारूप (iv) योग्यता प्रमाणपत्र संख्या (ईसीएन) नोडल अभिकरण द्वारा टीयूएफएस के अंतर्गत प्रमाणपत्र/ योग्यता मूल्यांकन (v) वास्तविक वितरण के आधार पर गणना पत्र (vi) जेआईटी के सदस्य के रूप में ऋण अभिकरण की सहभागिता।*

(iii) जेआईटी की रिपोर्ट अंतिम होगी तथा सब्सिडी जेआईटी के भौतिक सत्यापन और प्रमाणीकरण के आधार पर जारी की जाएगी।

31 जनवरी 2025 तक पूर्ववर्ती टीयूएफएस के अंतर्गत मामलों के निस्तारण की प्रगति की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 6.3: पूर्ववर्ती टीयूएफएस के अंतर्गत मामलों का निस्तारण

क्रम सं.	विवरण	एमटीयूएफएस	आरटीयूएफएस	आरआरटीयूएफएस	योग
1.	जारी मामले	3,186	1,365	3,902	8,453
2.	बैंकों द्वारा दावे दर्ज किए गए मामलों की संख्या	3,211	566	2,001	5,778
3.	ऐसे मामलों की संख्या जहां बैंकों द्वारा छः दस्तावेज अपलोड किए गए	955	482	2,103	3,540
4.	जेआईटी के लिए उपयुक्त पाए गए मामलों की संख्या	654	353	1,885	2,892
5.	ऐसे मामलों की संख्या जहाँ इकाइयों ने जेआईटी के लिए इच्छा प्रस्तुत नहीं की	260	87	545	892
6.	जेआईटी के लिए उपयुक्त पाए गए मामलों की कुल संख्या	394	266	1,340	2,000
7.	उन मामलों की संख्या जहां जेआईटी निरीक्षण किए गए	259	178	1,042	1,479
8 .	निस्तारण के विभिन्न चरणों में मामलों की संख्या	215	158	571	944
9.	निपटाए गए मामलों की संख्या	44	20	471	535

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती टीयूएफएस के अंतर्गत 8,453 चल रहे मामलों में से बैंक केवल 42 *प्रतिशत* मामलों में छः दस्तावेज अपलोड कर सके थे और जनवरी 2025 तक मंत्रालय द्वारा कुल मामलों में से केवल छः *प्रतिशत* का निस्तारण किया गया था। जिन मामलों में

बैंकों ने निर्धारित छः दस्तावेज अपलोड किए थे, उनमें से केवल 42 *प्रतिशत* में ही संयुक्त निरीक्षण पूर्ण किया जा सका।

वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2024) कि मंत्रालय द्वारा जेआईटी आयोजित करने के लिए जारी प्रोटोकॉल (फरवरी 2019) के कारण संचालन में गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं क्योंकि कुछ मामले 15 वर्ष पुराने थे और दस्तावेजों का पता लगाना और परिसंपत्ति सत्यापन पूरा करना कठिन था। तृतीय पक्षों, जैसे वस्त्र समिति, केंद्रीय रेशम बोर्ड, आदि द्वारा प्रस्तुत जेआईटी रिपोर्टों में कई विसंगतियाँ थीं, जिन्हें ठीक किया जाना था। आगे कहा गया कि वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता वाली एक समिति पूर्ववर्ती टीयूएफएस के अंतर्गत सब्सिडी के वितरण हेतु प्रोटोकॉल/ प्रक्रियाओं में उद्योग/ बैंकों द्वारा उठाई गई विभिन्न चिंताओं/कठिनाइयों की पुनः जाँच करेगी और उचित कार्रवाई का सुझाव देगी।

वस्त्र मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2025) कि इस प्रोटोकॉल को अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति द्वारा योजना के लगभग सभी हितधारकों, अर्थात् वित्त मंत्रालय, प्रमुख बैंकों और उद्योग संघों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अनुमोदित किया गया था। मंद प्रगति या दस्तावेज़ीकरण में कमियों के लिए मंत्रालय को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि मूल त्रुटियां बैंकों/वित्तीय संस्थानों में हैं, जिन्हें अभिलेखों की उचित जाँच और संरक्षण का दायित्व सौंपा गया था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय और वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने बैंकों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा और यहां तक कि दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं में भी ढील दी, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि पर्याप्त नियंत्रण मानकों को अभी भी पूरा किया जा रहा है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि मंत्रालय संयुक्त निरीक्षण के लिए प्रोटोकॉल जारी करने से पूर्व, भौतिक निरीक्षण करने और पुराने मामलों के संबंध में दस्तावेज़ संग्रहण कार्य करते समय उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियों की पहचान नहीं कर सका। इसलिए, पूर्ववर्ती टीयूएफएस से संबंधित 7,918 मामले निस्तारण के लिए लंबित रह गए हैं।

अनुशंसा संख्या 38: मंत्रालय पूर्ववर्ती टीयूएफएस के योग्य मामलों के प्रति प्रतिबद्ध देयताओं का शीघ्रता से आकलन करे तथा आगे की जटिलताओं से बचने के लिए समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करे।

6.1.4.4 एटीयूएफएस के अंतर्गत दावा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में लगने वाला समय

संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) को आई-टीयूएफएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन क्रियान्वित किया जाना था, जिसमें लाभार्थी इकाइयों, बैंकों, वस्त्र मंत्रालय,

वस्त्र आयुक्त कार्यालय, वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों और संयुक्त निरीक्षण दल के लिए एक्सेस मॉड्यूल थे, ताकि सब्सिडी दावों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जा सके।

लेखापरीक्षा ने 14,389 यूआईडी[181] मामलों के आई-टीयूएफएस डेटा की जाँच की और पाया कि दावों के प्रसंस्करण के प्रत्येक चरण में विलम्ब हुआ। दिशानिर्देशों के अनुसार प्रक्रिया-वार निर्धारित समय-सीमा और प्रत्येक चरण पर लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई औसत विलम्ब नीचे दी गई है:

तालिका 6.4: सब्सिडी दावों के प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में विलम्ब

(31 मार्च 2024 तक)

क्रम सं	दावों के प्रसंस्करण का चरण	निर्धारित अधिकतम समय-सीमा (दिन)	विलंबित मामलों में औसत विलम्ब (दिन)	विलंबित मामलों की संख्या	कुल मामलों की संख्या	विलंबित मामलों का प्रतिशत
1.	यूआईडी निर्माण	270#	365	4,816	14,389	33
2.	जेआईटी अनुरोध	730@	647	2,375	12,863	18
3.	जेआईटी का संचालन	88	447	2,924	12,276	24
	आरओ द्वारा जेआईटी रिपोर्ट अपलोड करना	2	20	1,961	5,743	34
4.	चालान बनाना	30	694	3,851	8,959	43
5.	चालान के बाद सब्सिडी जारी	21	54	2,733	8,820	31
# इसमें यूआईडी के लिए आवेदन करने हेतु सावधि ऋण की संस्वीकृति की तिथि से छः महीने, आवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरणों को सत्यापित करने हेतु ऋण देने वाली एजेंसी के लिए दो महीने तथा यूआईडी आवंटित करने हेतु वस्त्र आयुक्त कार्यालय के लिए एक महीने का समय सम्मिलित है।						

[181] यूआईडी एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो स्वचालित रूप से उत्पन्न होती है और उस आवेदक को आवंटित की जाती है जो योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त करना चाहता है।

@ निर्धारित समय-सीमा सावधि ऋण की संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष है जिसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि दावों के प्रसंस्करण के सभी चरणों में विलम्ब हुआ, जिसमें अधिकतम विलम्ब आवेदकों द्वारा संयुक्त निरीक्षण (जेआईटी) के लिए अनुरोध, संयुक्त निरीक्षण (जेआईटी) आयोजित करने और चालान जारी करने में हुआ। चालान जारी करने के बाद सब्सिडी जारी करने में भी 31 *प्रतिशत* मामलों में औसतन 54 दिनों की विलम्ब पाया गया।

वस्त्र मंत्रालय/ वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2024) कि विलम्ब विभिन्न कारणों से हुआ जैसे कि एटीयूएफएस के अंतर्गत आरआरटीयूएफएस मामलों पर विचार, बैंकों द्वारा दोषपूर्ण आवेदन प्रस्तुत करना, आवेदक इकाई द्वारा गैर-सूचीबद्ध मशीन निर्माता से मशीनरी का क्रय, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन, दावों में बड़ी संख्या में आपत्तियां, इकाइयों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच में लगने वाला समय, बजट आवंटन और प्राधिकरण में विलम्ब, बैंकों द्वारा इकाई के खाते में सब्सिडी जमा करने में लगने वाला समय, भुगतान विफलताएं, पीएफएमएस से संबंधित मुद्दे आदि। मंत्रालय ने दावों के शीघ्र निस्तारण और सब्सिडी जारी करने के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत दावा प्रसंस्करण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न पदों के बारे में भी जानकारी दी।

वस्त्र मंत्रालय ने आगे यह उत्तर दिया (मई 2025) कि 100 *प्रतिशत* भौतिक सत्यापन, केंद्रीकृत अनुमोदनों की शुरुआत, और बैंक-आधारित मॉडल से सीधे सरकारी कार्यान्वयन की ओर बदलाव वाले नवीन तंत्र के कारण दावों का निस्तारण प्रभावित हुआ। हालाँकि, मंत्रालय ने वस्त्र आयुक्त कार्यालय के साथ समन्वय में, तकनीकी सलाहकार सह अनुवीक्षण समिति और अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति के माध्यम से चुनौतियों की समीक्षा और समय पर सुधार करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि दावों के प्रसंस्करण में चुनौतियों/ अड़चनों को प्रत्येक चरण के लिए समय-सीमा तय करते समय पर्याप्त रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

6.1.4.5 सब्सिडी लाभ जारी करने में विलम्ब के कारण

लेखापरीक्षा के लिए चुने गए 250 मामलों में से, 220 मामलों से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए, जिनकी जाँच एटीयूएफएस के अंतर्गत दावों के प्रसंस्करण और सब्सिडी जारी करने में विलम्ब के कारणों को समझने के लिए की गई। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि संयुक्त जांच दल (जेआईटी) रिपोर्ट प्राप्त होने के परिणामस्वरूप, वस्त्र आयुक्त कार्यालय/ क्षेत्रीय

कार्यालयों ने स्पष्टीकरण या अभिलेखों के संग्रह के लिए इकाइयों को मामला-दर-मामला आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न **(अनुलग्नक-**XXXII**)** जारी किए।

(क) संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) की ओर से विलम्ब

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 110 मामलों (50 *प्रतिशत*) में त्रुटियां जेआईटी की ओर से थीं। प्रमुख कमियों में जियोटैग फ़ोटो अपलोड न करना, पूरे दस्तावेज़ जमा न करना, मशीनरी विनिर्देशों का प्रमाणन न करना, सभी जेआईटी सदस्यों द्वारा दस्तावेज़ों का प्रमाणन न करना आदि सम्मिलित थे।

वस्त्र मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2025) कि संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) प्रक्रिया में विलम्ब अपरिहार्य चुनौतियों का परिणाम थी, जैसे कि अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति द्वारा छूट की आवश्यकता, प्रारंभिक सरकारी प्रस्तावों के अंतर्गत प्रक्रियागत आवश्यकताओं का विकास, कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधान, मानव संसाधन की कमी और प्रस्तावित राज्य-स्तरीय कार्यालयों का कार्यान्वयन न होना। आगे कहा गया कि मंत्रालय का यह मानना है कि विलम्ब न केवल उचित था, बल्कि प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने और गैर-अनुपालन या अपूर्ण दावों के लिए सब्सिडी के वितरण को रोकने के लिए आवश्यक भी थी।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि जनवरी 2016 और जून 2022 के मध्य जारी की गई 4,596 सब्सिडी संबंधी मामलों में से 220 मामलों में लेखापरीक्षा द्वारा विलम्ब के कारणों की विस्तारपूर्वक जाँच की गई, और 12,276 यूआईडी मामलों, जहाँ संयुक्त जांच (जेआईटी) आयोजित की गई थी, के डेटा विश्लेषण से भी यह स्पष्ट है (तालिका 6.4 देखें), कि 2,924 मामलों में संयुक्त जांच (जेआईटी) आयोजित करने में औसतन 447 दिनों का उल्लेखनीय विलम्ब हुआ था। मंत्रालय द्वारा दिए गए विलंब के औचित्य से यह संकेत मिलता है कि संयुक्त जांच दल (जेआईटी) निरीक्षण की समय-सीमा तय करते समय नियोजन स्तर पर त्रुटियां थीं।

(ख) लाभार्थी इकाइयों की ओर से विलम्ब

127 मामलों (58 प्रतिशत) में, लाभार्थी इकाइयों की ओर से त्रुटियां पाई गईं, जिनमें प्रमुख त्रुटियां थी - इस आशय का वचन/घोषणा प्रस्तुत न करना कि इकाई कम से कम सावधि ऋण की पुनर्भुगतान अवधि के दौरान कार्य करेगी, पूर्ण बैंक विवरण/भुगतान रसीद प्रस्तुत न करना, मशीनरी के चालान में सहायक उपकरण/स्पेयर पार्ट्स को सम्मिलित न करना, चालान पर मशीन सीरियल नंबर का उल्लेख न करना, बैंक विवरणों के साथ भुगतान विवरण का मिलान न करना आदि।

वस्त्र मंत्रालय/वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2024) कि इकाइयों को प्रारंभिक चरण के दौरान योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों की जानकारी नहीं थी। अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति/ तकनीकी सलाहकार-सह-अनुवीक्षण समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार योजना दिशानिर्देशों की कुछ आवश्यकताओं में समय-समय पर छूट दी गई। इसके अतिरिक्त, इकाइयों के नाम, पैन, मोबाइल नंबर और ऋण खाता संख्या में एकमुश्त सुधार की अनुमति देने के लिए, मंत्रालय द्वारा जनवरी 2022 में एक मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की गई थी।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों में लगातार संशोधन और समय-समय पर योजना आवश्यकताओं में छूट के कारण इकाइयों द्वारा योजना दिशानिर्देशों की समझ में कमी आई, जिसके परिणामस्वरूप दावों के प्रसंस्करण और सब्सिडी लाभ जारी करने में विलम्ब हुआ।

(ग) वस्त्र आयुक्त कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से विलंब

अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति ने 23 मार्च 2018 को आयोजित दूसरी बैठक में सॉफ्टवेयर संबंधी मामलों की जांच और आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर में परिवर्तन की अनुशंसा करने के लिए एक कृतिक बल गठित करने का निर्णय लिया, ताकि इसे संपूर्ण ऑनलाइन समाधान बनाया जा सके और कार्यान्वयन के सभी चरणों में मानवीय हस्तक्षेप की संभावना को समाप्त किया जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने मामलों को हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड) में संसाधित किया और दावों की जाँच और प्रसंस्करण के लिए भौतिक फ़ाइलें रखीं। स्पष्टीकरण मांगने, दस्तावेज़ एकत्र करने, मशीनरी की योग्यता तय करने आदि से संबंधित सभी पत्राचार क्षेत्रीय कार्यालयों/इकाइयों को पत्र लिखकर ऑफलाइन किए गए, जबकि योजना दिशानिर्देशों में मामलों को ऑफलाइन मोड से संसाधित करने और कोई भी भौतिक फ़ाइलें रखने का कोई प्रावधान नहीं था।

इस प्रकार, एटीयूएफएस के कार्यान्वयन के नौ वर्ष बाद भी, न तो दावों के प्रसंस्करण में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सका और न ही पूर्ण स्वचालन प्राप्त किया जा सका, जिससे सब्सिडी जारी करने में विलम्ब हुआ।

वस्त्र मंत्रालय/वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2024) कि एटीयूएफएस की प्रारंभिक अवधि 2016-17 और 2019-20 में, गैर-सूचीबद्ध मशीन निर्माता से क्रय , इकाई की ओर से त्रुटियां, अपूर्ण जेआईटी रिपोर्ट, संशोधित दिशानिर्देशों के आधार पर मामलों पर पुनर्विचार, यूआईडी का भौतिक रूप से जारी होना, वस्त्र आयुक्त कार्यालय में सीमित जनशक्ति, परिचालन

संबंधी तौर-तरीके, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन आदि जैसी चुनौतियाँ थीं। इन चुनौतियों के बावजूद, 99.2 *प्रतिशत* दावों का निरीक्षण किया गया और मंत्रालय ने 92 *प्रतिशत* दावों का निस्तारण किया। आगे यह भी कहा गया कि वस्त्र मंत्रालय/वस्त्र आयुक्त कार्यालय एटीयूएफएस के लिए अंतिम वर्ष के भीतर सभी योग्य मामलों को अंतिम रूप देने का लक्ष्य बना रहा है।

मंत्रालय ने आगे उत्तर दिया (मई 2025) कि मंत्रालय समस्याओं की पहचान करने, दिशानिर्देशों में संशोधन करने और कार्यान्वयन प्रक्रिया में सुधार के लिए आवश्यक समायोजन करने में अत्यंत सक्रिय रहा है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सितंबर 2019 में क्षेत्रीय कार्यालयों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन बढ़ाने से दावों के प्रसंस्करण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि योजना कार्यान्वयन की सात वर्षों की अवधि में से चार वर्षों की अवधि को योजना की प्रारंभिक अवधि नहीं माना जा सकता। इस प्रकार, पिछले 16 वर्षों से टीयूएफएस के कार्यान्वयन के बाद भी, विभिन्न बाधाओं को दूर करने वाले व्यापक योजना दिशानिर्देश तैयार नहीं किए जा सके, जिसके कारण योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न चरणों में विलम्ब हुआ। गैर-सूचीबद्ध मशीन निर्माताओं से मशीनरी का क्रय, अपर्याप्त जेआईटी रिपोर्ट और भौतिक प्रक्रिया से पूरी तरह ऑनलाइन प्रणाली में परिवर्तन जैसे कारकों के कारण होने वाले अधिकांश विलम्ब से बचा जा सकता था यदि मंत्रालय ने संशोधित योजना दिशानिर्देशों को लागू करने से पहले समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की होती।

(घ) मशीनरी निर्माताओं को सूचीबद्ध न करने के कारण विलम्ब

संशोधित एटीयूएफएस दिशानिर्देश (अगस्त 2018) में यह प्रावधान है कि सभी योग्य खंडों के लिए मशीनरी हेतु तकनीकी विनिर्देश तकनीकी सलाहकार-सह-अनुवीक्षण समिति (टीएएमसी) द्वारा प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से अग्रिम रूप से निर्धारित किए जाएँगे। मशीन निर्माताओं या उनके अधिकृत एजेंटों/आपूर्तिकर्ताओं से सीधे क्रय की गई मशीनरी इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए योग्य होगी। टीएएमसी, एक तकनीकी समिति की सहायता से, निर्धारित तकनीकी विनिर्देशों के अनुरूप मशीनरी निर्माताओं की एक सांकेतिक सूची प्राप्त करेगी। यह सांकेतिक सूची आम जनता की पहुँच के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी और टीएएमसी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, जेआईटी के अनुरोध पर तभी विचार किया जाएगा जब मशीनरी तकनीकी विनिर्देशों को पूरा करती हो और निर्माता को सांकेतिक सूची में सम्मिलित किया गया हो। हालाँकि, संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, जिन मामलों में निर्माता को सांकेतिक सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, वहाँ वस्त्र आयुक्त कार्यालय को सूची में सम्मिलित करने के लिए मशीनरी की

योग्यता की जाँच करने और तकनीकी समिति की अगली मासिक बैठक में उसे सूचीबद्ध या अस्वीकृत करने के लिए अलर्ट जारी किया जाएगा। यह प्रक्रिया टीएएमसी के अनुमोदन के साथ 45 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यदि लाभार्थी इकाई द्वारा गैर-सूचीबद्ध मशीनरी निर्माताओं से मशीनरी खरीदी गई, तो क्षेत्रीय कार्यालय/जेआईटी निर्माताओं को सूचीबद्ध करने के बाद ही दावे को संसाधित किया। हालाँकि, मशीनरी निर्माताओं को सूचीबद्ध करने में 45 दिनों की निर्धारित समय सीमा से एक दिन से लेकर 1,995 दिनों तक का विलम्ब हुआ, जिसका औसत विलंब 487 दिनों का था।

वस्त्र मंत्रालय/ वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2024) कि मशीन निर्माताओं/ आपूर्तिकर्ताओं ने आवश्यक दस्तावेजों के साथ नामांकन हेतु अपना अनुरोध भेजा था। आंतरिक तकनीकी समिति (आईटीसी) द्वारा दस्तावेजों की जाँच और विचार-विमर्श किया गया और आईटीसी की अनुशंसा को अनुमोदनार्थ टीएएमसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सब्सिडी की स्वीकृति से पूर्व, मशीन निर्माता अथवा उसके अधिकृत एजेंट का नामांकन अनिवार्य था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2025) कि मशीन निर्माताओं/ आपूर्तिकर्ताओं की सूची में विलम्ब दस्तावेजों की गहन जांच के कारण हुआ, विशेष रूप से चीनी मूल के दस्तावेजों की कमियों के कारण, जो समग्र सूची का 44 *प्रतिशत* था।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि 45 दिनों के भीतर तकनीकी समिति द्वारा मशीनरी निर्माताओं की सूचीबद्धता या अस्वीकरण की योग्यता की जांच और टीएएमसी का अनुमोदन सुनिश्चित नहीं किया गया था।

अनुशंसा संख्या 39: मंत्रालय योजना कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण में हुए अत्यधिक विलम्ब के कारणों का विश्लेषण करे तथा लंबित दावों के निस्तारण में तीव्रता लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे।

6.1.4.6 पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा में इंगित की गई वसूली की स्थिति

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एमटीयूएफएस, आरटीयूएफएस, आरआरटीयूएफएस सहित) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा अप्रैल 2007 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी और लेखापरीक्षा के परिणाम वर्ष 2015 की रिपोर्ट संख्या 52 में सम्मिलित किए गए थे, जिसे 11 मार्च 2016 को संसद में प्रस्तुत किया गया था। दिसंबर 2024 तक, लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताए गए योजना कार्यान्वयन से संबंधित

निष्कर्षों के ध्यानार्थ वस्त्र आयुक्त के मंत्रालय/कार्यालय द्वारा की गई वसूलियों की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 6.5: पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट के ध्यानार्थ की गई वसूलियां

सीएजी की 2015 की रिपोर्ट संख्या 52 का विषय/ पैरा संदर्भ	मामलों की संख्या	आपत्ति राशि (₹ लाख)	वसूल की गई राशि (₹ लाख)			
			मामलों की संख्या	मात्रा	दंडात्मक ब्याज	योग
अयोग्य लाभार्थियों को सब्सिडी देना (पैरा 3.2.1)	129	4,696.33	27	685.49	132.64	818.13
अयोग्य निवेशों को सब्सिडी देना (पैरा 3.2.2)	193	5,286.63	76	992.22	316.64	1,308.86
लाभार्थियों को किया गया अतिरिक्त भुगतान (पैरा 3.2.3)	40	642.19	21	520.67	147.63	668.30
वित्तीय संस्थानों द्वारा लाभार्थियों के खातों में सब्सिडी जमा करने में विलम्ब (पैरा 3.2.4)	172	-	19	0	2.46	2.46#
वित्तीय संस्थाओं द्वारा गैर-ब्याज वाले खातों में धनराशि रखना (पैरा 3.2.5)	14	477.17	1	82.41	0	82.41#
ब्लैकआउट अवधि[182] के मामलों को सम्मिलित करना (पैरा 3.3.3)	23	-	0	0	0	0
योग	**571**	**11,102.32**	**144**	**2,280.79**	**599.37**	**2,880.16**

#वित्तीय संस्थानों से वसूली की गई

[182] संशोधित टीयूएफएस के अंतर्गत नवीन अनुमोदन दिनांक 29 जून 2010 से रोक दिए गए तथा पुनर्गठित टीयूएफएस के लिए सरकारी संकल्प दिनांक 28 अप्रैल 2011 को जारी किया गया। 29 जून 2010 से 27 अप्रैल 2011 तक की अवधि को ब्लैक आउट अवधि कहा जाता है।

इस प्रकार, टीयूएफएस पर पिछली सीएजी रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के लगभग नौ वर्ष बीत जाने के बाद भी, कुल मामलों में से 25 *प्रतिशत* में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित राशि का मात्र 26 *प्रतिशत* ही वसूल किया जा सका।

वस्त्र मंत्रालय/वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने उत्तर दिया गया (अगस्त 2024 और मई 2025) कि वसूली के लिए विभिन्न पहल की गई थीं। इसके अतिरिक्त, बैंकों द्वारा संचालित[183] टीयूएफएस के पुराने संस्करणों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर मंत्रालय और वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा कड़ा अनुवीक्षण रखा जा रहा था और संबंधित एजेंसियों/संगठनों के साथ मिलकर इनका समाधान करने का प्रयास किया जा रहा था। कई ऋण देने वाली एजेंसियों ने बताया कि एमटीयूएफएस और आरटीयूएफएस की योजनाओं के 10 वर्ष पहले लागू होने के कारण सावधि ऋण खाते बंद कर दिए गए थे और इसलिए वे लाभार्थी इकाइयों से वसूली शुरू करने में असमर्थ थीं।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि समय बीतने के साथ, वसूली अधिक कठिन हो सकती है और अंततः वसूली न हो पाने की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

6.1.5 योजना का निष्पादन एवं प्रभाव मूल्यांकन

वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र उद्योग में रोजगार, निवेश, उत्पादकता, गुणवत्ता और निर्यात को बढ़ाने के लिए जनवरी 2016 में संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) शुरू की।

योजना के निष्पादन एवं प्रभाव पर लेखापरीक्षा अवलोकनों की नीचे चर्चा की गई है:

6.1.5.1 वस्त्र उद्योग में सब्सिडी का प्रवाह

एटीयूएफएस की शुरूआत के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) के नोट (दिसंबर 2015) के अनुसार, एटीयूएफएस के अंतर्गत वित्तीय निहितार्थ 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2022 तक पांच वर्ष की अवधि में ₹17,822 करोड़ था, जिसमें पूर्ववर्ती टीयूएफएस मामलों के ₹12,671 करोड़ की प्रतिबद्ध देयताएं और एटीयूएफएस के अंतर्गत नए मामलों के लिए ₹5,151 करोड़ सम्मिलित होंगे।

31 मार्च 2024 तक आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर पर दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार, 2016-17 से 2023-24 तक पूर्ववर्ती टीयूएफएस और एटीयूएफएस के अंतर्गत वस्त्र उद्योग को जारी सब्सिडी लाभ निम्नानुसार था:

---

[183] ***एटीयूएफएस के विपरीत, टीयूएफएस के पूर्ववर्ती संस्करण सभी बैंक-संचालित थे, जहां सहायिकी के दावों को बैंकों द्वारा संसाधित किया और वस्त्र आयुक्त के कार्यालय को भेजा जाता था और सहायिकी भी उन्हीं बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में जमा की जाती थी।***

तालिका 6.6: एटीयूएफएस और पूर्ववर्ती टीयूएफएस के अंतर्गत जारी सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पूर्ववर्ती टीयूएफएस मामलों में जारी सब्सिडी			एटीयूएफएस में जारी सब्सिडी	योग
	एमटीयूएफएस	आरटीयूएफएस	आरआरटीयूएफएस		
2016-17	620.57	506.08	1,391.17	0	2,517.82
2017-18	152.00	383.28	1,067.88	0.73	1,603.89
2018-19	20.46	100.48	323.98	21.03	465.95
2019-20	0	0.43	58.83	197.94	257.20
2020-21	0	0	137.70	391.02	528.72
2021-22	5.92	4.42	128.26	467.51	606.11
2022-23	0.21	1.02	103.49	522.03	626.75
2023-24	1.56	0.00	87.56	493.93	583.05
योग	**800.72**	**995.71**	**3,298.87**	**2,094.19**	**7,189.49**

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि:

- पूर्ववर्ती टीयूएफएस के अंतर्गत ₹12,671 करोड़ के कुल प्रोविज़न में से ₹5,095 करोड़ (40 *प्रतिशत*) की सब्सिडी जारी की गई। इसी प्रकार, एटीयूएफएस के अंतर्गत ₹5,151 करोड़ के कुल प्रावधान के सापेक्ष ₹2,094 करोड़ (41 *प्रतिशत*) की सब्सिडी जारी की गई।
- 2016-17 और 2019-20 के बीच प्रारम्भिक चार वर्षों में एटीयूएफएस की गति मंद रही, क्योंकि इस अवधि के दौरान मात्र ₹220 करोड़ की सब्सिडी जारी की गई, जो आठ वर्षों की अवधि में जारी की गई कुल सब्सिडी का 10.51 *प्रतिशत* थी।

वस्त्र मंत्रालय/ वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2024) कि प्रारंभिक चार वर्षों में एटीयूएफएस के अंतर्गत सब्सिडी की कम राशि जारी करने के कारण इकाइयों द्वारा गैर-सूचीबद्ध निर्माताओं से मशीनरी क्रय करना, अपूर्ण जेआईटी रिपोर्ट, योजना दिशानिर्देशों में संशोधन के बाद कुछ मामलों पर पुनर्विचार, दावों का भौतिक प्रसंस्करण, क्षेत्रीय कार्यालयों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, वस्त्र आयुक्त कार्यालय में सीमित जनशक्ति आदि थे।

वस्त्र आयुक्त मंत्रालय/कार्यालय ने यह उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि योजना के अंतर्गत 16 दिसंबर 2024 तक ₹2,327 करोड़ की सब्सिडी जारी की गई थी।

मंत्रालय ने आगे बताया (मई 2025) कि प्रारम्भिक वर्षों में, 100 *प्रतिशत* भौतिक सत्यापन, केंद्रीकृत अनुमोदनों की शुरुआत और बैंक-आधारित मॉडल से सीधे सरकारी कार्यान्वयन में अंतरण जैसे नए तंत्र में बदलाव के कारण दावों के निस्तारण पर असर पड़ा। मंत्रालय ने आगे बताया कि वर्तमान तिथि तक 100 *प्रतिशत* दावों का निरीक्षण किया जा चुका है और 97 *प्रतिशत* का निस्तारण समय सीमा के भीतर कर दिया गया है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि लेखापरीक्षा अवलोकन योजना के अंतर्गत किए गए धन आवंटन की तुलना में सब्सिडी की वास्तविक निर्गमन के संदर्भ में सब्सिडी के अल्प प्रवाह से संबंधित है। हालांकि, मंत्रालय ने निरीक्षण के लिए प्राप्त अनुरोधों के संबंध में संयुक्त निरीक्षण करने और संयुक्त निरीक्षण के संचालन के बाद भुगतान के लिए पारित किए गए दावों के सापेक्ष दावों के निस्तारण के संबंध में उत्तर दिया है। हालांकि, तथ्य यह है कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2022 तक सात वर्षों की अवधि के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत ₹17,822 करोड़ के आवंटन में से केवल ₹7,189.49 करोड़ (41 *प्रतिशत*) की सब्सिडी 31 मार्च 2024 तक जारी की जा सकी।

6.1.5.2 रोजगार और निवेश पर प्रभाव

एटीयूएफएस का एक उद्देश्य वस्त्र उद्योग में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना था। अनुमोदित सीसीईए नोट के अनुसार, इस योजना का लक्ष्य 2015-16 से 2021-22 तक सात वर्षों की अवधि में 35.62 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन और ₹95,950 करोड़ के निवेश सहित 17,263 आवेदनों से ₹6,272 करोड़ के अनुमानित सब्सिडी दावों का सृजन करना था।

₹6,272 करोड़ के अनुमानित सब्सिडी दावों के सापेक्ष, इस योजना के अंतर्गत एटीयूएफएस के लिए ₹5,151 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। तदनुसार, लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि का आकलन करने के उद्देश्य से, लेखापरीक्षा ने ₹5,151 करोड़ के वास्तविक सब्सिडी आवंटन के आधार पर सीसीईए लक्ष्यों को समायोजित किया, जैसा कि इस संबंध में वस्त्र आयुक्त कार्यालय/मंत्रालय के उत्तर (अगस्त 2024) में बताया गया था।

लेखापरीक्षा ने आई-टीयूएफएस डेटा (31 मार्च 2024 तक) की तुलना समायोजित लक्ष्यों के साथ की और तुलनात्मक स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 6.7: योजना के लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां

विवरण	सीसीईए टिप्पणी के अनुसार अनुमानित लक्ष्य	वास्तविक सब्सिडी आवंटन[184] के आधार पर समायोजित लक्ष्य	प्राप्त आवेदनों के अनुसार स्थिति	लक्ष्य के प्रति *प्रतिशत*	अनुमोदित दावों के अनुसार स्थिति	लक्ष्य के प्रति *प्रतिशत*
मामलों की संख्या	17,263	14,177	14,389	101	8,820	62
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	6,272	5,151	4,970	96	2,094	41
निवेश (कुल परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	95,950	78,800	69,160	88	37,898	48
रोजगार (संख्या)	35,62,416	29,25,702	17,32,704	59	6,87,869	24

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि:

(i) 14,177 आवेदनों की लक्षित संख्या के प्रति, मार्च 2024 तक एटीयूएफएस के अंतर्गत अनुमोदित आवेदनों की वास्तविक संख्या 8,820 थी, जो 62 *प्रतिशत* की उपलब्धि दर्शाती है। ₹5,151 करोड़ की लक्षित सब्सिडी जारी करने के प्रति मात्र ₹2,094 करोड़ की सब्सिडी जारी की गई (8,820 आवेदनों के निस्तारण के बाद), जो 41 *प्रतिशत* की उपलब्धि दर्शाती है।

(ii) मार्च 2024 तक, नौ वर्षों की अवधि में 8,820 आवेदनों के निस्तारण के परिणामस्वरूप निवेश का लक्ष्य मात्र 48 *प्रतिशत* ही प्राप्त हुआ। कुल प्राप्त यूआईडी आवेदनों के ध्यानार्थ, अपेक्षित अधिकतम उपलब्धि लक्षित निवेश का 88 *प्रतिशत* होगी।

(iii) रोजगार सृजन का लक्ष्य मार्च 2024 तक मात्र 24 *प्रतिशत* की सीमा तक प्राप्त किया गया था। प्राप्त कुल यूआईडी आवेदनों के ध्यानार्थ, अपेक्षित अधिकतम उपलब्धि लक्षित रोजगार सृजन का 59 *प्रतिशत* होगी।

---

[184] एटीयूएफएस मामलों के लिए ₹6,272 करोड़ के अनुमानित सब्सिडी दावों की तुलना में ₹5,151 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई थी।

निकास बैठक (दिसंबर 2024) के उपरांत, वस्त्र आयुक्त मंत्रालय/कार्यालय ने लक्ष्यों और उपलब्धियों का निर्धारण करने के लिए एक अलग पद्धति प्रदान की। बताया गया कि मशीनरी के संयुक्त निरीक्षण हेतु 12,925 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन 12,925 आवेदनों में ₹65,603 करोड़ का निवेश और 16,31,084 व्यक्तियों को रोजगार सम्मिलित था। मंत्रालय ने 12,925 आवेदनों के आधार पर निवेश और रोजगार के लिए सीसीईए लक्ष्यों को आनुपातिक रूप से कम कर दिया और यह निष्कर्ष निकाला कि निवेश के संदर्भ में 91 *प्रतिशत* और रोजगार सृजन के मामले में 61 *प्रतिशत* की वास्तविक उपलब्धि प्राप्त की गई।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2025) कि अनुमानित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि की गणना की पद्धति स्वीकार्य मानदंड हो सकती है क्योंकि सीसीईए द्वारा रोजगार और निवेश के लिए लक्ष्य आवेदनों की संख्या के अनुपात में निर्धारित किए गए थे। रोजगार और निवेश की उपलब्धि की गणना दावों के आधार पर की जा सकती है, न कि जारी किए गए दावों के आधार पर, क्योंकि ऐसे मामलों में भी समग्र क्षमता वृद्धि देखी गई है।

हालाँकि, लेखापरीक्षा का मानना है कि वस्त्र आयुक्त के कार्यायल/ मंत्रालय द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली उचित नहीं है क्योंकि सीसीईए द्वारा रोजगार और निवेश के लिए निर्धारित लक्ष्यों को उन आवेदनों की संख्या के अनुपात में कम नहीं किया जा सकता जिनमें संयुक्त निरीक्षण अनुरोध प्राप्त हुए थे। रोजगार और निवेश के संदर्भ में उपलब्धि केवल स्वीकृत मामलों (जहाँ सब्सिडी जारी की गई है) के आधार पर मानी जानी चाहिए, न कि उन आवेदनों के आधार पर जहाँ संयुक्त निरीक्षण आवेदन प्राप्त हुए। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर अधिकतम अपेक्षित उपलब्धि का भी पूर्व संकेत दे दिया है।

6.1.5.3 खंडवार निवेश और रोजगार

परिधान क्षेत्र सर्वाधिक रोज़गार उत्पन्न करता है। इसलिए, इस खंड को बढ़ावा देने के लिए, योजना के दिशानिर्देशों में 15 *प्रतिशत* की दर से सब्सिडी प्रदान की गई। एटीयूएफएस की शुरुआत के लिए सीसीईए के नोट अनुसार, परिधान क्षेत्र में रोज़गार की संभावना प्रति करोड़ निवेश पर 155 रोजगारों की थी।

31 मार्च 2024 तक आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर के आंकड़ों के अनुसार, निवेश एवं रोजगार सृजन की खंडवार स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 6.8: खंडवार निवेश और रोजगार

क्रम सं	खंड का नाम	यूआईडी आवेदन			सब्सिडी स्वीकृत मामले			
		आवेदित	अपेक्षित रोजगार	अपेक्षित निवेश (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	रोजगार (संख्या)	प्राप्त निवेश (₹ करोड़)	जारी की गई सब्सिडी (₹ करोड़ में)
1	परिधान	1,468	5,44,430	3,325.55	424	1,50,644	999.23	93.41
2	हथकरघा	60	523	56.30	0	0	0	0
3	जूट	13	20,390	16.52	1	1,841	1.81	0.14
4	बहु-गतिविधि	2,293	7,09,229	31,693.05	1,016	2,35,320	13,602.89	556.23
5	प्रसंस्करण	1,622	2,18,006	6,602.54	963	1,48,232	3,785.23	177.51
6	रेशम	30	826	41.44	1	59	10.79	0.24
7	तकनीकी वस्त्र	534	47,128	4,243.67	250	19,443	1,982.89	138.11
8	बुनाई	8,369	1,92,172	23,180.87	6,165	1,32,330	17,514.67	1,128.55
	योग	**14,389**	**17,32,704**	**69,160**	**8,820**	**6,87,869**	**37,898**	**2,094.19**

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है:

- परिधान खंड में 5.44 लाख के अपेक्षित रोजगार के प्रति, मार्च 2024 तक मात्र 1.51 लाख (28 *प्रतिशत*) वास्तविक रोजगार सृजित किया जा सका और इस खंड में ₹999.23 करोड़ का निवेश हुआ, जो ₹3,325.55 करोड़ के अपेक्षित निवेश का 30 *प्रतिशत* था।
- तकनीकी वस्त्र क्षेत्र[185] को मंत्रालय द्वारा उभरते क्षेत्र के रूप में पहचाना गया था। हालाँकि, ₹4,243.67 करोड़ के अपेक्षित निवेश वाले 534 यूआईडी मामलों में से मात्र 250 मामलों को ही स्वीकृति दी गई और मार्च 2024 तक ₹1,982.89 करोड़ (47 *प्रतिशत*) का निवेश प्राप्त हुआ। इस क्षेत्र में 19,443 रोजगार सृजन हुआ, जो 47,128 व्यक्तियों के अपेक्षित रोजगार का 41 *प्रतिशत* है।
- इस योजना ने जूट, हथकरघा और रेशम खंड में शून्य/नगण्य निवेश आकर्षित किया।

वस्त्र मंत्रालय/ वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2024) कि परिधान क्षेत्र में कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस के अंतर्गत आयातित मशीनों, उच्च समुद्र बिक्री समझौतों के अंतर्गत आयातित मशीनों के लिए दस्तावेज़ीकरण की कमी, शिपिंग दस्तावेजों के बिना स्वदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा

[185] ***सनराइज सेक्टर से तात्पर्य उन सेक्टरों से है जो अभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं, लेकिन उनसे तीव्र वृद्धि तथा महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव की आशा की जाती है।***

आपूर्ति की गई आयातित मशीनों आदि के कारण क्रेडिट लिंकेज और शिपिंग लिंकेज स्थापित करना कठिन था। तकनीकी वस्त्र खंड में भारी निवेश की आवश्यकता होती है। मशीनरी की प्रकृति और विशेषज्ञों द्वारा निरंतर समीक्षा के कारण चुनौतियां रही हैं जो प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं। जूट, हथकरघा और रेशम क्षेत्रों में, बड़े पैमाने पर एमएसएमई हैं और इन क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, विकास आयुक्त (हथकरघा), केंद्रीय रेशम बोर्ड, जूट आयुक्त कार्यालय, राष्ट्रीय जूट बोर्ड जैसे विशिष्ट संगठनों द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जहां निवेश, कौशल विकास तथा विपणन में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लाभ/सहायता/समर्थन उपलब्ध कराया जा रहा है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2025) कि उसने परिधान जैसे उच्च रोजगार सृजन वाले खंड को समर्थन देने के लिए निरंतर संस्थागत सहभागिता के माध्यम से कदम उठाए हैं।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि योजना के उद्देश्यों अर्थात निवेश बढ़ाने और वस्त्र उद्योग में रोजगार के अवसर प्रदान करने को संपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त चुनौतियों का समय पर समाधान किया जाना चाहिए था।

अनुशंसा संख्या 40: मंत्रालय योजना के अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति न होने के कारणों की पहचान करे तथा रोजगार और निवेश के लक्षित स्तर को अधिकतम सीमा तक प्राप्त करने के लिए लंबित मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे।

अनुशंसा संख्या 41: मंत्रालय सब्सिडी का खंडवार विश्लेषण करे और परिधान जैसे उच्च रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रों में सब्सिडी के कम प्रवाह के कारणों की पहचान करे तथा उचित कार्रवाई करे।

6.1.6 आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर का निष्पादन

वस्त्र आयुक्त और मेसर्स सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सॉफ्टवेयर एजेंसी) के मध्य एक समझौता हुआ (जनवरी 2015), जिसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर एजेंसी को वस्त्र एवं जूट उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के प्रबंधन हेतु आद्योपांत आधार पर व्यापक सॉफ्टवेयर विकसित करने का कार्य सौंपा गया, जिसे आई-टीयूएफएस के नाम से जाना जाएगा। अनुबंध मूल्य ₹2.35 करोड़ (सेवा कर को छोड़कर) था। सॉफ्टवेयर एजेंसी के कार्यक्षेत्र में प्रमुख गतिविधियाँ निम्नलिखित थीं:

(क) लाभार्थियों के लिए डेटा और व्यक्तिगत प्रावधानों को जोड़ने के प्रावधान के साथ आई-टीयूएफएस के लिए अनुप्रयोग विकसित करना।

(ख) विद्यमान अनुप्रयोगों से डेटा को नवीन प्राणाली में पोर्ट करना।

(ग) प्रणाली के कार्यान्वयन की तिथि से सात वर्षों तक तकनीकी सहायता प्रदान करना, जिसमें समय-समय पर संशोधन का प्रावधान होगा।

(घ) टीयूएफएस (आरआरटीयूएफएस, आरटीयूएफएस, एमटीयूएफएस आदि) की सभी उप-योजनाओं को कवर करना।

(ङ) टीयूएफएस पर प्रबंधन सूचना प्रणाली, अन्य रिपोर्ट तथा डैशबोर्ड।

आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर का लोकार्पण 8 अप्रैल 2015 को किया गया था।

सॉफ्टवेयर एजेंसी और आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर के निष्पादन पर लेखापरीक्षा अवलोकनों की नीचे चर्चा की गई है:

6.1.6.1 आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर में स्वचालन मॉड्यूल का विकास

लाभार्थियों द्वारा स्थापित परिसंपत्तियों/मशीनों के निरीक्षण/सत्यापन के स्वचालन के संबंध में 22 अक्टूबर 2021 को आयोजित अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति की पांचवीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में, वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने सॉफ्टवेयर एजेंसी से अनुरोध किया (दिसंबर 2021) कि वह विद्यमान आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर में इसे लागू करने के लिए एक मॉड्यूल विकसित करे और जल्द से जल्द विकसित मॉड्यूल के डेमो के साथ एक प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने यह पाया (अप्रैल 2022) कि सॉफ्टवेयर एजेंसी द्वारा स्वचालन मॉड्यूल के लिए दिए गए कार्यात्मक डेमो में कई त्रुटियां थीं और इसे लाइव करने से पूर्व कई सुधारों की आवश्यकता थी। यह भी इंगित किया गया कि सॉफ्टवेयर एजेंसी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक कुछ कार्यात्मकताओं को विकसित करने में सक्षम नहीं हो सकती है। इसलिए, वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने वस्त्र मंत्रालय से अनुरोध किया (अप्रैल 2022) कि स्वचालन मॉड्यूल एनआईसी द्वारा विकसित किया जाए, जिसे विद्यमान आई-टीयूएफएस पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा सकता है अथवा आई-टीयूएफएस से डेटा स्थानांतरित करके एक अलग प्लेटफॉर्म पर विकसित और लाइव किया जा सकता है, जिससे नए मॉड्यूल को बिना किसी अतिरिक्त विलम्ब के लोकार्पित करने में सहायता मिलेगी।

यद्यपि लेखापरीक्षा में यह पाया गया है कि अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के तीन वर्ष से अधिक समय बाद भी स्वचालन मॉड्यूल विकसित नहीं किया गया और नवंबर 2024 तक संयुक्त निरीक्षण भौतिक मोड में किए जा रहे थे।

वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने यह उत्तर दिया (दिसंबर 2023) कि स्वचालन मॉड्यूल सॉफ्टवेयर एजेंसी के मध्य मूल समझौते का भाग नहीं था और सेवाओं के वितरण में सुधार/ तेजी लाने के लिए यह एक अनुबोध था क्योंकि निरीक्षण के लिए बड़ी संख्या में आवेदनों पर कार्रवाई की जानी थी। इसके बाद, 100 *प्रतिशत* भौतिक निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया और तदनुसार, स्वचालित मॉड्यूल को आगे विकसित/ आगे नहीं बढ़ाया गया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2025) कि स्वचालन मॉड्यूल पर विचार-विमर्श के दौरान अभिज्ञात प्रमुख मामलों में से एक एमएसएमई हितधारकों के बीच मशीन विवरण को सटीक रूप से अपलोड करने हेतु क्षमता निर्माण की आवश्यकता थी, जिसके बिना स्वचालन मॉड्यूल विफल हो जाता। ऐसी क्षमता के अभाव में डेटा अशुद्धि का जोखिम, दावा प्रक्रिया में और विलम्ब तथा भविष्य में पूर्व संस्करण जैसी स्थिति की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए, समय पर और सटीक दावों का निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए, भौतिक निरीक्षण जारी रखने का एक सुविचारित निर्णय लिया गया, जिससे तीव्र सत्यापन हो सके और एमएसएमई इकाइयों पर बोझ कम हो सके।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि मार्च 2024 तक 31 *प्रतिशत*[186] आवेदन मानवीय/ भौतिक निरीक्षण के कारण लंबित थे और इस संबंध में निर्णय लेने के तीन वर्ष से अधिक समय पश्चात भी स्वचालन मॉड्यूल अभी तक विकसित नहीं हुआ था।

6.1.6.2 आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर का संचालन

(क) तकनीकी सहायता के लिए विधिक समझौते का अभाव

31 मार्च 2022 को सॉफ्टवेयर एजेंसी के साथ समझौते की समाप्ति के बाद, 16 महीने की विलम्ब के बाद, 28 जुलाई 2023 को ही सॉफ्टवेयर एजेंसी के साथ एक नया समझौता हस्ताक्षरित किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अप्रैल 2022 से लेकर जुलाई 2023 में सॉफ्टवेयर एजेंसी के साथ नए समझौते पर हस्ताक्षर होने तक, आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर को रखरखाव/ तकनीकी सहायता के लिए किसी भी विधिक समझौते के बिना संचालित किया गया, जिससे लाभार्थियों का डेटा जोखिम में पड़ गया और सॉफ्टवेयर असुरक्षित हो गया। मार्च 2022 में समझौते की समाप्ति के तुरंत बाद, 25 अप्रैल 2022 को क्षेत्रीय वस्त्र कार्यालय अहमदाबाद में एक उपयोगकर्ता खाते की हैकिंग की घटना हुई, जिसके परिणामस्वरूप 100 से अधिक आवेदन अस्वीकार/वापस कर दिए गए।

---

[186] ***एटीयूएफएस के अंतर्गत प्राप्त जेआईटी अनुरोधों वाले 12,863 मामलों में से मार्च 2024 तक 8,820 मामलों में सब्सिडी जारी की गई है।***

इस प्रकार, वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने इस संबंध में अधिकार प्राप्त होने के बाद भी विद्यमान समझौते की समाप्ति से पूर्व नया समझौता नहीं किया और नए समझौते पर हस्ताक्षर करने में 16 महीने लग गए। इसके अतिरिक्त, इस बीच की अवधि में विधिक समझौते के अभाव में, सॉफ्टवेयर हैकिंग के लिए सॉफ्टवेयर एजेंसी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी।

मंत्रालय/वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने उत्तर दिया (दिसंबर 2023 और अगस्त 2024) कि सॉफ्टवेयर एजेंसी द्वारा आई-टीयूएफएस के वार्षिक रखरखाव अनुबंध और संवर्द्धन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव मंत्रालय को भेज दिया गया था (मार्च 2022)। इस बीच, डेटा की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, जुलाई 2022 में प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक) को आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर की सुरक्षा और न्यायिक लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त किया गया। मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद, 28 जुलाई 2023 को सॉफ्टवेयर एजेंसी के साथ एएमसी पर हस्ताक्षर किए गए। यह भी आगे बताया गया कि सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याएँ कार्यान्वयन एजेंसी के नियंत्रण में नहीं थीं और समस्या के प्रभाव को कम करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए गए थे।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने सॉफ्टवेयर एजेंसी के साथ एएमसी में प्रवेश करने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की, जिससे तंत्र असुरक्षित हो गया और डेटा उल्लंघन और साइबर हमलों का खतरा बढ़ गया।

(ख) आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर के साथ पीएफएमएस मॉड्यूल का एकीकरण

समझौते की संदर्भ शर्तों और कार्यक्षेत्र (जनवरी 2015) के अनुसार, सॉफ्टवेयर एजेंसी को सॉफ्टवेयर में लाभार्थी के खाते में सीधे सब्सिडी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करनी थी, जिसके लिए मंत्रालय स्तर पर प्रक्रियागत परिवर्तन की भी आवश्यकता थी।

वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय (वस्त्र मंत्रालय में) को अपने पत्र (जून 2015) में यह कहा कि वितरित सब्सिडी का मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय के लेखा सॉफ्टवेयर (पीएफएमएस) के साथ इंटरफेस होना चाहिए, ताकि जारी की गई सब्सिडी सीधे संबंधित लाभार्थी के खाते में जमा हो और उसे वास्तविक समय और पारदर्शी तरीके से दर्शाया जा सके, जिससे व्यापार में सुविधा हो। इससे टीयूएफएस के सभी हितधारकों को वास्तविक समय की प्रगति की जानकारी भी मिल सकेगी।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि वस्त्र आयुक्त के कार्यालय/ मंत्रालय द्वारा पीएफएमएस मॉड्यूल को आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत करने के लिए ठोस प्रयास नहीं किए गए थे,

अन्यथा चालान तैयार होने के बाद लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी जारी करने में 21 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के प्रति 54 दिनों के औसत विलंब को टाला/ कम किया जा सकता था।

वस्त्र आयुक्त के कार्यालय/ मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसंबर 2023, अगस्त 2024 और मई 2025) कि पीएफएमएस सॉफ्टवेयर का रखरखाव वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है और यह विभिन्न प्लेटफार्मों पर काम करता है। पीएफएमएस के साथ एकीकरण में विलम्ब महत्वपूर्ण तकनीकी और प्रक्रियात्मक चुनौतियों से उत्पन्न हुई है, जिसमें वित्त मंत्रालय के साथ समन्वय की आवश्यकता, आई-टीयूएफएस और पीएफएमएस के बीच प्लेटफॉर्म संगतता के मुद्दे और लाभार्थी डेटा का भौतिक सत्यापन सम्मिलित है। एटीयूएफएस योजना के अधिकांश लाभार्थी एमएसएमई इकाइयां थीं, जिन्हें नाम, पता, खाता विवरण आदि में परिवर्तन के संबंध में दस्तावेज/विवरण जमा करने में अपनाई जाने वाली उचित प्रक्रियाओं की सीमित जानकारी थी। वस्त्र आयुक्त के कार्यालय को सब्सिडी जारी करने से पूर्व पीएफएमएस सॉफ्टवेयर पर लाभार्थियों के बैंक विवरण, पते में एकमुश्त सुधार, पैन, बैंक खाता आदि को सत्यापित करना होता है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि सॉफ्टवेयर में लाभार्थी के खाते में सीधे सब्सिडी हस्तांतरित करने के अवसर का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया, जिससे एकीकरण का उद्देश्य प्रभावित हुआ, जिसका उद्देश्य व्यापार करने में आसानी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए वास्तविक समय और पारदर्शी तरीके से सब्सिडी जारी करना था।

(ग) आई-टीयूएफएस पोर्टल को छः महीने के लिए बंद करना

आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य योजना के अंतर्गत सब्सिडी दावों के प्रसंस्करण को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करना तथा प्रणाली में पारदर्शिता लाना था। अप्रैल 2022 की हैकिंग की घटना के बाद, वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर की सुरक्षा लेखापरीक्षा और फोरेंसिक विश्लेषण करने के लिए प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक) से संपर्क किया (जुलाई 2022)। सी-डैक की रिपोर्ट (16 जनवरी 2023) में सॉफ्टवेयर में गंभीर भेद्यता/सुरक्षा संबंधी चिंताओं का खुलासा हुआ, जिसने आई-टीयूएफएस पोर्टल को सार्वजनिक उपयोग के लिए असुरक्षित बना दिया। सी-डैक की रिपोर्ट में उठाए गए कुछ मामले इस प्रकार थे:

(1) शिथिल पासवर्ड नीति के कारण लगभग 400 उपयोगकर्ता एक ही पासवर्ड का उपयोग कर रहे थे, जो खाता निर्माण के समय दिया गया डिफ़ॉल्ट पासवर्ड था।

(2) डेटाबेस सर्वर की इवेंट लॉग फ़ाइलें दो बार मिटा दी गईं। इसके अतिरिक्त, इन लॉग्स को संग्रहित करने के लिए आवंटित स्थान (2 जीबी) बहुत कम था, जो एक महीने से भी कम समय में समाप्त हो सकता था।

(3) पोर्टल को असुरक्षित संचार का उपयोग करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया था और सिक्योर सॉकेट लेयर (एसएसएल)/ ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी (टीएलएस)[187] को कॉन्फ़िगर नहीं किया गया था।

सी-डैक ने (23 जनवरी 2023) वस्त्र आयुक्त को वस्त्र आयुक्त कार्यालय से सर्वर तक पहुँच सीमित करने और सर्वर में विद्यमान सभी डेटा का जल्द से जल्द बैकअप लेने की सलाह दी। 24 जनवरी 2023 को, वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने अपनी वेबसाइट पर एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसमें उपयोगकर्ताओं को अगले आदेश तक आई-टीयूएफएस पोर्टल का उपयोग न करने की सलाह दी गई।

वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र आयुक्त कार्यालय को सलाह दी (फरवरी 2023) कि वह सुरक्षा/भेद्यता संबंधी मामलों का समाधान करने के बाद आई-टीयूएफएस पोर्टल उपलब्ध कराने या एक महीने के भीतर एक नया पोर्टल शुरू करने के लिए शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई करें, ताकि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार ऑनलाइन दावा निस्तारण सुनिश्चित हो सके। हालाँकि, आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर 24 जुलाई 2023 तक यानी 24 जनवरी 2023 से छः महीने के लिए बंद रहा। आम जनता/ लाभार्थियों के लिए सॉफ्टवेयर बंद होने से दावों के निस्तारण में बाधा आई। इन छः महीनों के दौरान केवल 538 दावों का निस्तारण किया गया।

वस्त्र आयुक्त कार्यालय/मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसंबर 2023 और अगस्त 2024) कि पोर्टल बंद रहने की अवधि के दौरान, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) पर पोर्टल की सीमित पहुँच के माध्यम से दावों का निस्तारण किया गया। सी-डैक रिपोर्ट के अनुसार, नई एन्क्रिप्शन पासवर्ड नीति के कार्यान्वयन, नए लॉग प्रदर्शित करने के लिए ड्राइव स्पेस का आवधिक प्रदर्शनधन और आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर में एसएसएल प्रमाणपत्र की स्थापना जैसे आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

मंत्रालय ने आगे उत्तर दिया (मई 2025) कि वस्त्र आयुक्त कार्यालय आई-टीयूएफएस पोर्टल के प्रशासन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी था और सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सॉफ़्टवेयर आइसोलेशन का उपयोग किया गया क्योंकि लेखापरीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए अनधिकृत

[187] ***एसएसएल एक मानक तकनीक है जो किसी वेबसाइट और ब्राउज़र (या दो सर्वरों) के बीच भेजे गए डेटा को एन्क्रिप्ट करके इंटरनेट कनेक्शन को सुरक्षित करती है। यह हैकर्स को किसी भी स्थानांतरित जानकारी को देखने या चुराने से रोकता है। टीएलएस, एसएसएल का एक अद्यतन और अधिक सुरक्षित संस्करण है।***

पहुँच अथवा डेटा उल्लंघनों को रोकना आवश्यक था। शटडाउन से मामलों के प्रसंस्करण में कोई बाधा नहीं आई।

उत्तर संतोषजनक नहीं था, क्योंकि लाभार्थी और अन्य हितधारक छः महीने तक पोर्टल का उपयोग नहीं कर सके, जिसके परिणामस्वरूप जेआईटी अनुरोध प्राप्त नहीं हुए और दावों के प्रसंस्करण पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा।

6.1.6.3 आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर के डेटा का विश्लेषण

संशोधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर में एक सुदृढ़ मेकर-चेकर, कैरेक्टर नियंत्रण और अन्य आंतरिक नियंत्रण प्रदान करना था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तंत्र में डेटा त्रुटि न हो।

लेखापरीक्षा ने आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर के 14,389 यूआईडी संबंधी डेटा का विश्लेषण किया और निम्नलिखित विसंगतियां पाईं:

(i) योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, सबसे पहले, योजना के अंतर्गत सब्सिडी लाभ चाहने वाले आवेदक/ इकाई को सावधि ऋण की संस्वीकृति के लिए बैंक से संपर्क करना होगा। इसके बाद, आवेदक को सावधि ऋण की संस्वीकृति की तिथि से छः महीने के भीतर आई-टीयूएफएस पोर्टल के माध्यम से वस्त्र आयुक्त कार्यालय में यूआईडी संख्या जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹13.22 करोड़ की राशि वाले 36 मामलों में, यूआईडी तैयार की तिथि सावधि ऋण की संस्वीकृति की तिथि से पहले की पाई गई। उपरोक्त मामलों में से, 22 मामलों में ₹4.50 करोड़ की सब्सिडी भी जारी की गई थी **(अनुलग्नक-XXXIII)** ।

(ii) योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदक/इकाई को सावधि ऋण की संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर संयुक्त निरीक्षण (जेआईटी) का अनुरोध करना था और योजना के अंतर्गत क्रय की गई मशीनरी का भौतिक निरीक्षण जेआईटी अनुरोध प्राप्त होने के 88 दिनों के भीतर किया जाना था। जेआईटी रिपोर्ट जेआईटी आयोजित होने के दो दिनों के भीतर अपलोड की जानी थी। इस संबंध में निम्नलिखित विसंगतियाँ पाई गईं:

- ₹9.76 करोड़ की सब्सिडी वाले 19 मामलों में जेआईटी अनुरोध की तिथि सावधि ऋण की संस्वीकृति की तिथि से पहले की थी। उपरोक्त मामलों में से, 12 मामलों में ₹2.79 करोड़ की सब्सिडी जारी की जा चुकी है **(अनुलग्नक-XXXIV)** ।

- जेआईटी अनुरोध से पहले 361 मामलों में जेआईटी आयोजित की गई थी, जिनका सब्सिडी मूल्य ₹172.59 करोड़ था। उपरोक्त मामलों में से, 265 मामलों में ₹89.49 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी थी।
- ₹10.52 करोड़ की सब्सिडी वाले 34 मामलों में जेआईटी रिपोर्ट जेआईटी की तिथि से पहले अपलोड की गई पाई गईं। उपरोक्त मामलों में से 25 मामलों में ₹5.21 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।
- ₹798.86 करोड़ की सब्सिडी वाले 5,097 मामलों में चालान जेआईटी रिपोर्ट अपलोड किए बिना जारी किए गए पाए गए क्योंकि जेआईटी अपलोड तिथि वाले कॉलम में निरंक/कोई तिथि नहीं लिखी थी। उपरोक्त मामलों में से 5,001 मामलों में ₹686.09 करोड़ की सब्सिडी जारी की जा चुकी थी।
- सब्सिडी केवल चालान तैयार होने के बाद ही जारी की जानी थी; तथापि, यह देखा गया कि 0.82 करोड़ रुपये की सब्सिडी मूल्य वाले सात मामलों में, सब्सिडी जारी करने की तिथि चालान तिथि से पहले थी।

उपरोक्त विसंगतियां आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर में डेटा सत्यापन पर गंभीर संदेह उत्पन्न करती हैं।

वस्त्र मंत्रालय/वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2024) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित आंकड़ों में असमानता थी। यूआईडी स्वीकृति की तिथि से पहले तैयार नहीं की गई थी और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित सात मामलों में, चालान तैयार होने के बाद सब्सिडी जारी की गई थी। सॉफ्टवेयर (डेटा इनपुट) में अंकन एक टाइपिंग त्रुटि थी और आई-टीयूएफएस पोर्टल में तिथियों के अंकन को सुधारने का कोई प्रावधान नहीं था। तिथियों में आवश्यक सुधार करने का प्रावधान सॉफ्टवेयर एजेंसी के साथ प्रक्रियाधीन था।

मंत्रालय ने आगे उत्तर दिया (मई 2025) कि बैंक द्वारा पोर्टल में दर्ज की गई सावधि ऋण तिथि 36 दावों में भिन्न थी, क्योंकि बैंक द्वारा गलत प्रविष्टि की गई थी और पोर्टल में तिथि को अद्यतन करने के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) नहीं थी। आई-टीयूएफएस डेटा में अभिज्ञात विसंगतियों को गंभीर चूक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि अधिकांश इकाइयाँ एमएसएमई हैं और उनकी तकनीकी साक्षरता को यहाँ ध्यान में रखा जा सकता है। आगे बताया गया कि भौतिक जांच में ऐसी दोषों को चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें सुधारा जा रहा है।

मंत्रालय का यह उत्तर कि आई-टीयूएफएस पोर्टल में तिथियों के अंकन को सुधारने के लिए कोई प्रावधान नहीं है तथा पोर्टल में दर्ज सावधि ऋण की तिथि को अद्यतित करने के लिए एसओपी का अभाव है, पोर्टल में शिथिल आंतरिक नियंत्रण का द्योतक है , जिसके कारण किसी भी असंगत डेटा के दर्ज होते ही सॉफ्ट अलर्ट उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कार्यक्षमता को सम्मिलित करना आवश्यक हो जाता है।

6.1.6.4 सब्सिडी लाभ के पूर्व-प्राधिकरण के लिए समग्र अधिकतम सीमा का उल्लंघन

एटीयूएफएस दिशानिर्देशों के अनुसार, बुनाई और प्रसंस्करण क्षेत्रों के मामले में किसी इकाई के लिए अधिकतम पूर्व-अधिकृत सब्सिडी ₹20 करोड़ और तकनीकी वस्त्र/ परिधान क्षेत्र के मामले में ₹30 करोड़ होगी। अपनी दूसरी बैठक (मार्च 2016) में, तकनीकी सलाहकार-सह-अनुवीक्षण समिति ने स्पष्ट किया था कि किसी व्यक्तिगत इकाई के लिए निर्धारित समग्र सीमा का निर्धारण करते समय यूआईडी के अंतर्गत पूर्व-अधिकृत पूंजीगत निवेश सब्सिडी और ब्याज प्रतिपूर्ति पर विचार किया जाना चाहिए।

तथापि, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि एक इकाई के मामले में, अधिकतम सीमा का उल्लंघन किया गया था, जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका 6.9: सब्सिडी की अधिकतम सीमा का उल्लंघन

संदर्भ संख्या	यूआईडी नंबर	यूआईडी के अनुसार पूर्व-अधिकृत सब्सिडी (₹ करोड़ में)
एटीयूएफएस/2021-22/937	एटीयूएफएस/2021-22/ओ/001440	3.31
एटीयूएफएस/2021-22/3195	एटीयूएफएस/2021-22/जीटी/004343	10.72
एटीयूएफएस/2018-19/2883	एटीयूएफएस/2019-20/ओ/000407	16.35
योग		**30.38**

इस प्रकार, वस्त्र आयुक्त कार्यालय और आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर व्यक्तिगत इकाई के लिए निर्धारित समग्र सीमा तक पूर्व-अधिकृत सब्सिडी की जांच और सीमा निर्धारित नहीं कर सका।

वस्त्र मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि सीमा का उल्लंघन केवल एक अपवादात्मक मामले में देखा गया था और इसलिए किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए प्रसंस्करण चरणों में भी सीमा का अनुवीक्षण किया गया था। मंत्रालय ने आगे उत्तर दिया (मई 2025) कि एक अलग मामले में,

सिस्टम-जनित त्रुटि हुई थी। हालाँकि, सिस्टम के सुदृढ़ हाइब्रिड सत्यापन ने किसी भी अतिरिक्त रिलीज़ को रोक दिया।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि पूर्व-अधिकृत सब्सिडी को आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्धारित सीमा तक सीमित किया जाना था और प्रणाली को एक भी मामले में सीमा का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी।

अनुशंसा संख्या 42: व्यापार सुगमता के उद्देश्य को प्राप्त करने और सब्सिडी जारी करने में अनावश्यक विलम्ब से बचने के लिए मंत्रालय आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर में आवश्यक सुधार/संशोधन करने पर विचार करे। मंत्रालय लेखापरीक्षा द्वारा इंगित आंकड़ों में विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुधार भी सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त, जब भी असंगत आंकड़े दर्ज किए जाएँ, तो सॉफ्ट अलर्ट जारी करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

6.1.7 योजना का मूल्यांकन और अनुवीक्षण

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, आईएमएससी को योजना की प्रगति की अर्धवार्षिक समीक्षा करनी थी और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना था। हालाँकि, आईएमएससी की पाँचवीं बैठक (अक्टूबर 2021) में, तिमाही बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जनवरी 2016 से मार्च 2024 के दौरान मात्र 10 आईएमएससी बैठकें आयोजित की गईं, जबकि योजना दिशानिर्देशों के अनुसार 22 आईएमएससी बैठकें आयोजित की जानी आवश्यक थीं।

वस्त्र मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2025) कि मार्च 2025 तक कुल 11 आईएमएससी बैठकें आयोजित की जा चुकी थीं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने उद्योग की सुविधा और योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कई निर्णय लिए हैं।

हालांकि, तथ्य यह है कि आईएमएससी बैठकों के संचालन में त्रुटी थी क्योंकि मार्च 2025 तक 26 बैठकें आयोजित किए जाने की आवश्यकता थी, जबकि मात्र 11 बैठकें आयोजित की गईं।

6.1.8 निष्कर्ष

वस्त्र मंत्रालय ने जनवरी 2016 में 'संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस)' शुरू की थी। इसका उद्देश्य रोजगार, निवेश, निर्यात, उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ावा देना और शून्य प्रभाव व शून्य दोष के साथ मेक-इन-इंडिया के माध्यम से व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। एटीयूएफ योजना का उद्देश्य 2015-16 से 2021-22 के बीच सात वर्षों में लगभग 36 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित करना और ₹95,950 करोड़ का निवेश आकर्षित करना था। इस

योजना के लिए कुल ₹17,822 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसमें से ₹12,671 करोड़ एटीयूएफ योजना के पूर्व संस्करणों की प्रतिबद्ध देयताओं के लिए और ₹5,151 करोड़ एटीयूएफ योजना के अंतर्गत नए मामलों के लिए आवंटित किए गए थे।

₹17,822 करोड़ के कुल परिव्यय में से, वर्ष 2016-17 और 2023-24 के मध्य ₹7,189 करोड़ (40 *प्रतिशत*) की धनराशि टीयूएफ योजनाओं के माध्यम से वस्त्र उद्योग में डाली जा सकी। वर्ष 2019 में मंत्रालय द्वारा भौतिक निरीक्षण के बाद टीयूएफएस के पूर्व संस्करणों के अंतर्गत और सब्सिडी जारी करने का निर्णय असफल रहा क्योंकि जनवरी 2025 तक, कुल 8,453 चल रहे मामलों में से मात्र 535 मामलों (छः *प्रतिशत*) का ही पाँच वर्षों में निस्तारण किया जा सका।

इसी प्रकार, एटीयूएफएस के लिए निर्धारित कुल ₹5,151 करोड़ में से, 2016-17 और 2023-24 के बीच वस्त्र उद्योग में केवल ₹2,094 करोड़ (41 *प्रतिशत*) ही निवेशित किए जा सके। एटीयूएफ योजना अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि मात्र 6.88 लाख रोजगार सृजित किए जा सके और ₹37,898 करोड़ का निवेश आकर्षित किया जा सका।

सब्सिडी जारी करने में विलम्ब पाया गया और यह विलम्ब प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में हुई। संयुक्त निरीक्षण के बाद, निर्धारित 30 दिनों की समय-सीमा के विपरीत चालान जारी करने में औसतन 694 दिन का विलम्ब पाया गया। योजना को आई-टीयूएफएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लागू करने के स्थान पर, दावों का प्रसंस्करण और गणना भौतिक फाइलों में मानवीय रूप में की जा रही थी।

आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से व्यापार को सरल बनाने तथा दावों के द्रुत ऑनलाइन प्रसंस्करण का उद्देश्य स्वचालन मॉड्यूल के संशोधन और विकास में विलम्ब तथा आई-टीयूएफएस पोर्टल को छः महीने तक बंद रखने के कारण संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका।

टीयूएफ योजना की शुरूआत के 16 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, मंत्रालय लाभार्थियों को समय पर सब्सिडी जारी करने के लिए योजना के प्रावधानों को सरल नहीं बना सका, जिसके परिणामस्वरूप वस्त्र उद्योग में पूंजी का अपर्याप्त निवेश हुआ।

अध्याय-VII: पर्यटन मंत्रालय

7.1 कौशल विकास कार्यक्रम न चलाए जाने के कारण धनराशि का अवरुद्ध होना

पर्यटन मंत्रालय ने 'हुनर से रोज़गार तक' कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को ₹1.35 करोड़ की धनराशि जारी की। हालाँकि, न तो प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे /संचालित किए गए, न ही खर्च न की गई राशि वापस की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.20 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध हो गई और उस पर ₹1.43 करोड़ के ब्याज की हानि भी हुई।

'सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण' योजना के अंतर्गत, पर्यटन मंत्रालय ने सरकार द्वारा प्रायोजित पर्यटन एवं आतिथ्य संस्थानों, राज्य पर्यटन विकास निगमों और राज्य सरकारों को 'हुनर से रोज़गार तक' नामक कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अपर्याप्त संसाधनों वाले और ज़रूरतमंद लोगों को रोज़गार के लिए उपयुक्त कौशल हासिल करने के लिए प्रेरित करना था।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित ऐसे दो कौशल विकास कार्यक्रमों के मामले में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

(i) वर्ष 2011-12 के दौरान 'हुनर से रोज़गार तक' कार्यक्रम के अंतर्गत 1,440 व्यक्तियों के प्रशिक्षण हेतु महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम (एमटीडीसी) के पक्ष में ₹1.52 करोड़ की राशि संस्वीकृत की गई (सितंबर 2011) और पहली किस्त के रूप में ₹76.13 लाख (स्वीकृत राशि का 50 *प्रतिशत*) की राशि जारी की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन व्यावसायिक अध्ययन एवं प्रशिक्षण विभाग (डीवीईटी), महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से किया जाना था। कार्यान्वयन एजेंसी को मंत्रालय को निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान डीवीईटी द्वारा कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए थे। वर्ष 2013-14 में डीवीईटी द्वारा मात्र 150 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जिस पर ₹14.87 लाख का व्यय हुआ। यह भी देखा गया कि मंत्रालय ने सितंबर 2014 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन पर डीवीईटी से अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद मंत्रालय द्वारा कोई आगामी कार्रवाई नहीं की गई। एमटीडीसी/डीवीईटी से न तो निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्ट और न ही जारी की गई धनराशि के लिए कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र या ₹61.26 लाख (₹76.13 लाख - ₹14.87 लाख) की अव्ययित राशि की वापसी प्राप्त हुई। लेखापरीक्षा द्वारा

मामले की नवीनतम स्थिति की जानकारी मांगने के बाद ही मंत्रालय ने एमटीडीसी से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण मांगा (जनवरी 2023)।

(ii) उपरोक्त मामले में एमटीडीसी/डीवीईटी द्वारा अपेक्षित संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न करने और अप्रयुक्त धनराशि वापस न करने के बावजूद, पर्यटन मंत्रालय ने 'हुनर से रोज़गार तक' कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एमटीडीसी को पुनः ₹1.18 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता संस्वीकृत की (जनवरी 2015) और ₹59.20 लाख की प्रथम किस्त (संस्वीकृत सहायता का 50 *प्रतिशत*) जारी की। स्वीकृति आदेश के अनुसार, एमटीडीसी को वित्तीय वर्ष 2014-15 की समाप्ति से पहले 1,120 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना था और वित्तीय वर्ष के अंत में पूर्ण किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में मंत्रालय को निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी थी।

यह पाया गया कि एमटीडीसी ने कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। एमटीडीसी द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र और निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई। मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र सरकार/एमटीडीसी से जारी राशि वापस करने का अनुरोध किया गया (मार्च 2018)। हालाँकि, राशि वापस नहीं की गई। मार्च 2018 के बाद मंत्रालय द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

पर्यटन मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2024) कि उन्होंने एमटीडीसी से अनुरोध किया है कि वह अव्ययित शेष राशि को 10 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित वापस कर दे।

इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि मंत्रालय ने एमटीडीसी से धन वापसी का अनुरोध लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद ही किया था। इसके अतिरिक्त, ₹1.20 करोड़ (₹61.26 लाख और ₹59.20 लाख) की अव्ययित शेष राशि और ₹1.43 करोड़[188] का ब्याज अभी तक वापस नहीं किया जाना था (मार्च 2025)।

इस प्रकार, निर्धारित समय-सीमा से नौ से बारह वर्ष का लंबा अंतराल बीत जाने के बाद भी, न तो प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण हुए/संचालित किए गए और न ही ₹1.20 करोड़ की अव्ययित राशि और उस पर ब्याज सहित वसूल की गई। मंत्रालय ने पूर्व स्वीकृत सहायता का उपयोग सुनिश्चित किए बिना ही एमटीडीसी को ₹1.18 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता संस्वीकृत कर दी। मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकारों/निगमों के साथ इस मामले को नियमित रूप से नहीं उठाया, जो मंत्रालय

[188] अव्ययित राशि पर ब्याज की गणना निधि जारी होने की तिथि से मार्च 2025 तक 10 प्रतिशत प्रति वर्ष (मंत्रालय के उत्तर के अनुसार) की दर से की गई है।

की ओर से अप्रभावी अनुवीक्षण को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, रोज़गार के लिए उपयुक्त कौशल विकसित करने का उद्देश्य भी उस सीमा तक प्राप्त नहीं हुआ।

7.2 पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना

7.2.1 परिचय

'पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' योजना का उद्देश्य उन सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना का समग्र विकास करना है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय बंदरगाह न्यास, भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड आदि केंद्रीय एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र/नियंत्रण में आते हैं। इन केंद्रीय एजेंसियों के अधीन पर्यटन स्थलों का समग्र विकास उनके अपने संसाधनों से संभव नहीं हो सकता है। विकास के बाद रखरखाव और प्रबंधन के लिए उन्हें संसाधनों के अभिसरण, विशेषज्ञता और अनुभव की आवश्यकता हो सकती है।

इस योजना के अंतर्गत, मंत्रालय पर्यटन स्थलों के विकास, स्मारकों के प्रकाश और संरक्षण, तथा केंद्रीय एजेंसियों के नियंत्रणाधीन क्रूज टर्मिनलों के विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता प्रदान करता है। यदि केंद्रीय एजेंसी कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है, तो विकसित उत्पाद कार्य पूरा होने पर संबंधित प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

7.2.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वर्ष 2012-13 और 2022-23 के बीच, पर्यटन मंत्रालय ने 'पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' योजना के अंतर्गत 37 परियोजनाओं के लिए ₹725.90 करोड़ की राशि संस्वीकृत की थी। इनमें से, लेखापरीक्षा ने तीन परियोजनाओं की स्वीकृति और निष्पादन से संबंधित अभिलेखों की जांच की *अर्थात्* (i) श्रीनगर की डल झील में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन; (ii) दीव किले, दीव में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन; और (iii) केरल के त्रिवेंद्रम में भारतीय खेल प्राधिकरण का गोल्फ कोर्स। इसके अतिरिक्त, पाँच परियोजनाओं[189] के संबंध में, केंद्रीय एजेंसी द्वारा पर्यटन मंत्रालय को अव्ययित निधियों पर ब्याज के प्रेषण की भी लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

[189] *(i) यादवेंद्र उद्यान, पिंजौर, हरियाणा में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन; (ii) पुराना किला, नई दिल्ली में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन; (iii) लद्दाख में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन और जल स्क्रीन प्रोजेक्शन मल्टीमीडिया प्रदर्शन; (iv) बेलताल झील, मध्य प्रदेश में पर्यटन अवसंरचना; और (v) डल झील, श्रीनगर में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन*

7.2.2.1 श्रीनगर की डल झील में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन

पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में चार चिनार, डल झील पर 'लेज़र प्रदर्शन/मल्टीमीडिया प्रदर्शन की स्थापना' हेतु एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की (जून 2012), जिसे भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) और जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से गंतव्यों और परिपथों के उत्पाद/अवसंरचना विकास (पीआईडीडीसी) योजना के अंतर्गत ₹5 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किया जाना था। मंत्रालय ने कार्य आरंभ करने के लिए आईटीडीसी को पहली किस्त के रूप में ₹1 करोड़ (अर्थात केंद्रीय वित्तीय सहायता का 20 *प्रतिशत*) जारी करने की स्वीकृति दी। परियोजना को स्वीकृति की तिथि से आठ महीने के भीतर पूरा किया जाना था।

आईटीडीसी द्वारा यह कार्य एक निजी संविदाकार को ₹3.46 करोड़ में सौंपा गया था (अप्रैल 2013)। कार्य पूरा न होने के कारण, वर्ष 2015-16 में पीआईडीडीसी योजना बंद कर दी गई। सितंबर 2015 से प्रभावी, 'पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' नामक एक अन्य योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, पर्यटन मंत्रालय की किसी अन्य योजना के अंतर्गत पूर्व में ली गई परियोजनाएँ, जो तकनीकी/प्रशासनिक कारणों से अधूरी रह गई थीं, इस योजना के अंतर्गत ली जाएँगी।

तदनुसार, आईटीडीसी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय ने पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना के अंतर्गत उपरोक्त परियोजना के लिए ₹3.16 करोड़ की संशोधित स्वीकृति जारी की (दिसंबर 2016)। हालाँकि, दिसंबर 2016 में कोई धनराशि जारी नहीं की गई। पहले जारी किए गए ₹1.00 करोड़ के अतिरिक्त, आईटीडीसी को श्रीनगर के शालीमार बाग में बंद पड़े ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन परियोजना से उसके पास पड़ी ₹84.89 लाख की अप्रयुक्त राशि को अपने पास रखने की अनुमति दी गई। सितंबर 2017 में, मंत्रालय ने आईटीडीसी के अनुरोध पर, परियोजना के लिए दूसरी किस्त के रूप में ₹2.16 करोड़ जारी किए, इस प्रकार इस परियोजना के लिए कुल ₹4.00 करोड़ जारी किए गए।

इस बीच, जून 2016 में, मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना[190] के अंतर्गत श्रीनगर के एसकेआईसीसी घाट (डल झील) में एक और ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन को स्वीकृति प्रदान की। इस परियोजना की स्वीकृति में पहले से स्वीकृत परियोजना से संबंधित कोई जानकारी नहीं थी।

---

[190] ***स्वदेश दर्शन योजना देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई (जनवरी 2015) केन्द्रीय क्षेत्र की प्रमुख योजना है।***

राज्य सरकार ने पूर्व परियोजना का स्थान चार चिनार से नेहरू पार्क (जून 2017), नेहरू पार्क से नेहरू बॉटनिकल उद्यान (मार्च 2018) और उसके बाद मानसबल झील (जून 2018) में बदलने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, मंत्रालय ने जुलाई 2018 में राज्य सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और परियोजना को निगीन झील में स्थानांतरित करने की अनुशंसा की क्योंकि यह डल झील के निकट थी। परियोजना को निगीन झील में स्थानांतरित करने के लिए आईटीडीसी द्वारा प्रस्तुत (अक्टूबर 2018) व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर, मंत्रालय द्वारा जुलाई 2019 में इस शर्त के साथ औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था कि परियोजना को पूरा करने के लिए अधिकतम समय अनुमोदन की तिथि से छः महीने होगा। हालांकि, डल झील से निगीन झील तक सामग्री के परिवहन के लिए जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय[191] की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता थी जिसे प्राप्त नहीं किया जा सका। इसलिए, मंत्रालय ने अप्रैल 2023 में परियोजना को बंद कर दिया और आईटीडीसी को ब्याज सहित जमा धनराशि वापस करने के लिए कहा (मई 2023)।

मंत्रालय द्वारा जारी की गई कुल ₹4.00 करोड़ की राशि में से आईटीडीसी ने पहले ही (दिसंबर 2022) ₹92 लाख की राशि अप्रयुक्त निधि के रूप में वापस कर दी थी।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- मंत्रालय ने दो अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत एक ही झील (डल झील) पर दो ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन को स्वीकृति दी। पहले स्वीकृत प्रदर्शन का स्थान जुलाई 2018 में बदलकर निगीन झील कर दिया गया, जबकि अगस्त 2017 तक 60 *प्रतिशत* धनराशि का उपयोग करते हुए 80 *प्रतिशत* भौतिक प्रगति प्राप्त की जा चुकी थी। हालाँकि, डल झील से निगीन झील तक सामग्री स्थानांतरित करने के लिए जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की स्वीकृति आवश्यक थी, जो नहीं मिल सकी, जिसके परिणामस्वरूप मंत्रालय ने परियोजना को बंद कर दिया। इस प्रकार, परियोजना पर ₹3.08 करोड़ का पूरा व्यय व्यर्थ हो गया।
- पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना के दिशानिर्देशों और स्वीकृति पत्र की शर्तों में परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति के अनुवीक्षण के लिए मंत्रालय और केंद्रीय एजेंसी (आईटीडीसी) से प्रत्येक के लिए एक नामित व्यक्ति वाली एक अनुवीक्षण समिति के गठन की संकल्पना की गई थी। हालाँकि, ऐसी कोई अनुवीक्षण

---

[191] ***जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने डल झील के 200 मीटर के दायरे में सभी निर्माण गतिविधियों और निर्माण सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था।***

समिति गठित नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप, परियोजना को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समय पर समाधान नहीं किया गया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2023) कि 2014 में आई बाढ़, पीआईडीसीसी योजना को बंद करने और राज्य सरकार द्वारा प्रदर्शन के स्थान में निरंतर बदलाव के कारण परियोजना में विलम्ब हुआ। मंत्रालय ने आगे बताया कि राज्य सरकार डल झील से निगीन झील में सामग्री स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सकी। अप्रैल 2023 में हुई एक समीक्षा बैठक में, परियोजना को बंद करने का निर्णय लिया गया और तदनुसार, आईटीडीसी को जारी केंद्रीय वित्तीय सहायता ब्याज सहित मंत्रालय को वापस करने के लिए कहा गया। मंत्रालय ने आगे बताया (फरवरी 2024) कि लेखापरीक्षा अवलोकनों को भविष्य में सख्ती से अनुपालन के लिए टिप्पणीबद्ध कर लिया गया है।

एक ही स्थान पर दो समान परियोजनाओं को स्वीकृति देने के कारणों पर मंत्रालय का उत्तर मौन था, जिसके कारण पहले से स्वीकृत परियोजना को 80 *प्रतिशत* पूरा होने के बावजूद स्थानांतरित करना आवश्यक हो गया।

7.2.2.2 दीव किले, दीव में ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन

संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव प्रशासन ने दीव किले, दीव में एक ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन की स्थापना हेतु पर्यटन मंत्रालय को एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जनवरी 2013)। मंत्रालय ने पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना के अंतर्गत ₹7.75 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता से इस परियोजना को स्वीकृति दी (फरवरी 2015)। पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय एजेंसी, आईटीडीसी, कार्यान्वयन एजेंसी थी। परियोजना के लिए मंत्रालय ने फरवरी 2015 में पहली किस्त के रूप में ₹1.55 करोड़ (स्वीकृत केंद्रीय वित्तीय सहायता का 20 *प्रतिशत*) जारी किया।

मंत्रालय ने सितम्बर 2017 में आईटीडीसी को ₹4.65 करोड़ की राशि जारी की। प्रदर्शन की भौतिक स्थापना अक्टूबर 2017 में पूरी हो गई।

जुलाई 2018 में, दीव प्रशासन ने ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन में त्रुटियों के संबंध में आईटीडीसी को अपनी टिप्पणियाँ प्रेषित कीं। आईटीडीसी द्वारा समस्याओं के समाधान के पश्चात, प्रदर्शन का उद्घाटन दिसंबर 2020 में किया गया और अगस्त 2021 से इसे दीव प्रशासन को सौंप दिया गया।

यह पाया गया कि प्रदर्शन जून 2022 से कार्यान्वित नहीं था। जून 2022 से पहले भी विभिन्न कारणों[192] से यह प्रदर्शन कुल 270 दिनों के विभिन्न अंतरालों पर बंद रहा।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- स्वीकृति आदेश के अनुसार, परियोजना को आठ महीने के भीतर अर्थात अक्टूबर 2015 तक चालू किया जाना था। हालाँकि, आईटीडीसी ने दो वर्ष के विलम्ब के बाद अक्टूबर 2017 में परियोजना पूर्ण की। इसके अतिरिक्त, परियोजना पूरी होने के बाद, दीव प्रशासन ने फरवरी 2019 तक प्रदर्शन की गुणवत्ता और निष्पादन के संबंध में आईटीडीसी को बार-बार अपनी टिप्पणियाँ भेजीं। इसके परिणामस्वरूप प्रदर्शन को दीव प्रशासन को सौंपने में विलम्ब हुआ।
- दीव प्रशासन ने एक वचन-पत्र दिया था कि वह प्रदर्शन के पूरा होने के बाद इसका प्रबंधन और संचालन करेगा। हालाँकि, दीव प्रशासन द्वारा प्रदर्शन का अधिग्रहण करने (अगस्त 2021) के तुरंत बाद, इसमें तकनीकी खराबी आ गई, प्रोजेक्टर क्षतिग्रस्त हो गया और जून 2022 से इसका संचालन बंद हो गया।
- मंत्रालय ने आईटीडीसी को ₹6.20 करोड़ (सितंबर 2017 तक) जारी किए। हालाँकि, आईटीडीसी द्वारा इस परियोजना पर कुल व्यय ₹4.89 करोड़ बताया गया (अक्टूबर 2022)। ₹1.31 करोड़ की अव्ययित राशि आईटीडीसी द्वारा वापस नहीं की गई।

इस प्रकार, ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन के लिए दीव किले में निर्मित सुविधाएँ परियोजना के पूरा होने के पाँच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बेकार पड़ी रहीं, जिसके परिणामस्वरूप ₹4.89 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। ₹1.31 करोड़ की अव्ययित राशि 12 अक्टूबर 2022 को आईटीडीसी द्वारा वापस कर दी गई। हालाँकि, अव्ययित राशि पर ₹32.85 लाख का ब्याज[193] वापस नहीं किया गया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2023 और फरवरी 2024) कि परियोजना की आवधिक बैठकों के माध्यम से निरंतर समीक्षा की गई और विस्तृत रिपोर्ट भी माँगी गई। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सभी आवश्यक सुधार किए जाने और मंत्रालय के हस्तक्षेप से, अगस्त 2021 में प्रदर्शन को दीव प्रशासन

[192] *प्रोजेक्टर क्रियाशील नहीं रहा (128 दिन), तकनीशियन को कोविड-19 संक्रमण हुआ (12 दिन), तकनीकी खराबी (48 दिन), आंधी-तूफान (26 दिन) और कोई दर्शक नहीं (56 दिन)।*

[193] *ब्याज की गणना धनराशि जारी होने की तिथि से लेकर अव्ययित राशि की वापसी की तिथि तक 3.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की रूढ़िवादी दर (कनज़रवेटिव रेट) से की गई है।*

ने अपने अधीन ले लिया। मंत्रालय ने आगे कहा कि लेखापरीक्षा अवलोकन को भविष्य में कड़ाई से अनुपालन के लिए टिप्पणीबद्ध कर लिया गया है।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि परियोजना निर्धारित समय से अत्यंत देर से पूरी हुई और पूरा होने के बाद दीव प्रशासन द्वारा कई कमियों को इंगित किया गया था। प्रदर्शन को अंततः इसके पूरा होने के तीन वर्ष से अधिक समय बाद अगस्त 2021 में ही दीव प्रशासन ने अपने नियंत्रण में लिया। दीव प्रशासन द्वारा अधिग्रहण के बाद भी, प्रदर्शन तकनीकी खराबी, क्षतिग्रस्त प्रोजेक्टर आदि से ग्रस्त रहा और जून 2022 से बंद है, इस तथ्य के बावजूद कि दीव प्रशासन ने एक वचन-पत्र दिया था कि वह पूरा होने के बाद प्रदर्शन का प्रबंधन और संचालन करेगा। इसके अतिरिक्त, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, पर्यटन मंत्रालय को समय-समय पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करनी थी। हालाँकि, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलोखों के अनुसार, मंत्रालय ने परियोजना की समीक्षा मात्र 2018 में अर्थात परियोजना के पूरा होने के बाद की थी। इस प्रकार, मंत्रालय ने न तो कार्यान्वयन अवधि के दौरान परियोजना की समीक्षा की और न ही प्रदर्शन के सफल संचालन के लिए बनाई गई सुविधाओं का रखरखाव और प्रबंधन सुनिश्चित किया, जिससे ₹4.89 करोड़ का पूर्ण व्यय निष्फल हो गया।

7.2.2.3 भारतीय खेल प्राधिकरण गोल्फ क्लब, केरल में गोल्फ कोर्स का उन्नयन

पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण (तिरुवनंतपुरम) गोल्फ क्लब, केरल में गोल्फ कोर्स के उन्नयन के लिए ₹24.65 करोड़ स्वीकृत किए (मार्च 2017) और पहली किस्त के रूप में ₹12.32 करोड़ जारी किए। यह परियोजना स्वीकृति की तिथि से दो वर्षों के भीतर, अर्थात मार्च 2019 तक पूरी होनी थी। जारी की गई कुल राशि में से, भारतीय खेल प्राधिकरण ने निष्पादन एजेंसी (अर्थात केंद्रीय लोक निर्माण विभाग) को ₹9.27 करोड़ की अतिरिक्त राशि जारी की और दिसंबर 2021 में मंत्रालय को ब्याज सहित ₹3.05 करोड़ की शेष राशि वापस कर दी।

अप्रैल 2023 में, मंत्रालय ने परियोजना को बंद करने का निर्णय लिया और भारतीय खेल प्राधिकरण को 31 मई 2023 तक ब्याज सहित जमा धनराशि वापस करने को कहा।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

(i) पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता हेतु योजना के दिशानिर्देशों के खंड 5.2 में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित गतिविधियों का प्रावधान है जिन्हें योजना के अंतर्गत शुरू किया जा सकता है:

- गंतव्य के आसपास के क्षेत्र में सुधार, जिसमें भू-दृश्यांकन, पार्कों का विकास, बाड़ लगाना, परिसर की दीवार आदि सम्मिलित हैं।
- पर्यटन स्थल की रोशनी, ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन/मल्टीमीडिया प्रदर्शन सहित नागरिक सुविधाओं की स्थापना।
- स्मारकों का प्रकाश/पुनर्स्थापन/नवीनीकरण, और
- पर्यटक आगमन केंद्र, स्वागत केंद्र, व्याख्या केंद्र

इस प्रकार, उपरोक्त खंड के ध्यानार्थ, 'गोल्फ कोर्स का उन्नयन' परियोजना योजना के अंतर्गत सहायता के लिए स्वीकार्य नहीं थी।

(ii) नवीनतम उपयोग प्रमाण-पत्र (जुलाई 2023) के अनुसार, परियोजना पर ₹7.58 करोड़ का व्यय हुआ था, जबकि कुल ₹9.27 करोड़ जारी किए गए थे। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा ₹1.69 करोड़ की शेष राशि और ₹47.37 लाख का ब्याज[194] वापस नहीं किया गया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया (जुलाई 2023) और कहा कि लेखापरीक्षा अवलोकन का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा और भविष्य में ऐसे सभी प्रस्तावों पर गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देने वाले एक अलग प्रभाग (आला पर्यटन प्रभाग) द्वारा विचार किया जाएगा। मंत्रालय ने आगे बताया (फरवरी 2024) कि भारतीय खेल प्राधिकरण से शेष ₹1.69 करोड़ वापस करने का अनुरोध किया गया है (अक्टूबर 2023)।

7.2.2.4 पाँच परियोजनाओं में अव्ययित निधियों पर ब्याज का प्रेषण

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 9 मार्च 2022 के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत निधियों के प्रवाह हेतु संशोधित प्रक्रिया संप्रेषित की। कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को बैंक खाते में उपलब्ध निधि की संपूर्ण अप्रयुक्त राशि केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के केंद्रीय नोडल खाते में वापस करनी थी। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्त नियम, 2017 के नियम[195] 230(8) के अनुसार, मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना था कि निधियों से अर्जित ब्याज अनिवार्य रूप से भारत की संचित निधि में जमा किया जाए।

---

[194] *धनराशि जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2025 तक ब्याज की गणना 3.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की रूढ़िवादी दर पर की गई है।*

[195] *सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 230(8) में कहा गया है कि किसी भी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को जारी अनुदान सहायता या अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अलावा) के प्रति सभी ब्याज या अन्य आय को खातों को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद अनिवार्य रूप से भारत की समेकित निधि में भेज दिया जाना चाहिए।*

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

i. आईटीडीसी ने केंद्रीय नोडल एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी परिषद के बैंक खाते में ₹17.72 करोड़ की अव्ययित शेष राशि प्रेषित की (दिसंबर 2022)।

ii. प्रेषित अव्ययित शेष राशि को आईटीडीसी के बैंक खाते में 756 दिनों से लेकर 1,910 दिनों तक रखा गया।

iii. आईटीडीसी ने केवल अव्ययित शेष राशि ही भेजी। केंद्रीय नोडल एजेंसी के बैंक खाते में कोई ब्याज नहीं भेजा गया। लेखापरीक्षा ने अव्ययित शेष राशि पर ब्याज की राशि इस प्रकार निकाली: निधि जारी होने की तिथि से लेकर केन्द्रीय नोडल एजेंसी के बैंक खाते में उसके प्रेषण तक की अवधि के लिए ₹2.10 करोड़ (3.5 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की रूढ़िवादी ब्याज दर पर अनुमानित)।

तालिका 7.1: चयनित परियोजनाओं की अप्रयुक्त शेष राशि पर अर्जित ब्याज का विवरण

(₹ करोड़ में)

परियोजना	जारी की गई राशि	केंद्रीय नोडल एजेंसी को वापस की गई अप्रयुक्त शेष राशि	अप्रयुक्त शेष राशि पर ब्याज[196]
हरियाणा के पिंजौर स्थित यादवेंद्र उद्यान में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन	3.00	0.57	0.10
पुराना किला, नई दिल्ली में ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन	6.85	6.55	1.09
लद्दाख में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन, तथा जल स्क्रीन प्रोजेक्शन मल्टीमीडिया प्रदर्शन	5.16	4.21	0.31
मध्य प्रदेश की बेलताल झील में पर्यटन अवसंरचना	10.08	5.47	0.43
श्रीनगर की डल झील में ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन	2.16	0.92	0.17
योग	**27.25**	**17.72**	**2.10**

[196] *ब्याज की गणना 756 दिनों से लेकर 1910 दिनों के बीच की अवधि के लिए की गई है, अर्थात धनराशि जारी होने की तिथि से लेकर केंद्रीय नोडल अभिकरण के बैंक खाते में उसके प्रेषण तक का समय अंतराल।*

iv. लेखापरीक्षा ने मंत्रालय में परियोजनाओं की वित्तीय प्रगति पर अनुवीक्षण या जारी की गई धनराशि के उपयोग के अनुवीक्षण के लिए किसी अनुवीक्षण तंत्र को नहीं पाया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने न तो ब्याज भेजने के संबंध में आईटीडीसी के समक्ष कोई आपत्ति दर्ज कराई और न ही जब अव्ययित शेष राशि केंद्रीय नोडल एजेंसी के बैंक खाते में जमा की गई, तो आईटीडीसी से ब्याज वसूलने का कोई प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को ₹2.10 करोड़ के ब्याज का नुकसान हुआ।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा की टिप्पणी को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (जून 2023) कि वह इस मामले को आईटीडीसी के साथ लगातार उठा रहा है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि उसने आईटीडीसी से केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी करने के प्रस्ताव भेजने से पहले ब्याज राशि जमा करने का अनुरोध किया था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि लेखापरीक्षा की टिप्पणी को भविष्य में कड़ाई से पालन करने के लिए टिप्पणीबद्ध कर लिया गया है।

7.2.3 निष्कर्ष

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं के अनुमोदन में उचित तत्परता नहीं बरती, क्योंकि ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन से संबंधित दो परियोजनाएँ एक ही स्थान (अर्थात् डल झील, श्रीनगर) पर दो अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत की गई थीं। इसके कारण एक परियोजना को बाद में किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया और दूसरी परियोजना को क्रियान्वित किया गया। उक्त स्थानांतरण भी नहीं हो सका क्योंकि राज्य सरकार जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप, मंत्रालय को परियोजना को बंद करना पड़ा। दीव किले में स्वीकृत एक अन्य ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन परियोजना के संबंध में, कार्यान्वयन अवधि के दौरान मंत्रालय द्वारा प्रभावी अनुवीक्षण का अभाव रहा, जिसके कारण परियोजना के पूरा होने में अत्यंत विलम्ब हुआ और पूरा होने के बाद भी, राज्य सरकार द्वारा संचालन और रखरखाव के अभाव में निर्मित सुविधाएँ बेकार पड़ी रहीं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना के अंतर्गत केरल में गोल्फ कोर्स के उन्नयन से संबंधित एक परियोजना को स्वीकृति दी, जबकि उक्त परियोजना योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता के लिए स्वीकार्य नहीं थी। उपरोक्त कारणों से इन तीन परियोजनाओं को बंद करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप ₹15.55 करोड़ का

अपव्ययी/अनुपयोगी/अनियमित व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, पाँच परियोजनाओं के संबंध में आईटीडीसी द्वारा मंत्रालय को वापस की गई अप्रयुक्त धनराशि पर मंत्रालय द्वारा ₹2.10 करोड़ का ब्याज वसूल नहीं किया गया।

नई दिल्ली
दिनांक: 08 जून 2026

(आनंद मोहन बजाज)
उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(वाणिज्यिक व रिपोर्ट केन्द्रीय)
एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 09 जून 2026

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

(पैरा 1.1 में संदर्भित)

आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय/विभाग

क्र.सं.	आर्थिक और सेवा मंत्रालय
1.	नागर विमानन
2.	कोयला
3.	वाणिज्य एवं उद्योग
4.	कॉर्पोरेट कार्य
5.	भारी उद्योग
6.	आवासन एवं शहरी कार्य
7.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
8.	खान
9.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस
10.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग
11.	विद्युत
12.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग
13.	इस्पात
14.	वस्त्र
15.	पर्यटन
	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत विभाग
1.	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग
	वित्त मंत्रालय के अधीन विभाग
2.	वित्तीय सेवाएँ विभाग
3.	निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
4.	सार्वजनिक उद्यम विभाग

अनुलग्नक-II

(पैरा 1.2 में संदर्भित)

आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत केंद्रीय स्वायत्त निकाय

(मार्च 2024 तक)

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग
1.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण	नागर विमानन
2.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय	
3.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन	कोयला
4.	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	वाणिज्य एवं उद्योग
5.	कॉफी बोर्ड	
6.	निर्यात निरीक्षण परिषद	
7.	फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान	
8.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	
9.	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन न्यास	
10.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद	
11.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश	
12.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, असम	
13.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, हरियाणा	
14.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश	
15.	रबड़ बोर्ड	
16.	स्पाइसेस बोर्ड	
17.	टी बोर्ड, भारत	
18.	तंबाकू बोर्ड	
19.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	कॉर्पोरेट कार्य
20.	भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड	
21.	विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण	
22.	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण	
23.	विवादग्रस्त परिसंपत्ति स्थिरीकरण कोष	वित्तीय सेवाएँ विभाग
24.	पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग
25.	भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	
26.	राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड	भारी उद्योग
27.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	आवासन एवं शहरी मामले
28.	दिल्ली शहरी कला आयोग	
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	
30.	रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, चंडीगढ़	
31.	रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	
32.	राजघाट समाधि समिति	
33.	कयर बोर्ड	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
34.	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	
35.	भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस
36.	तेल उद्योग विकास बोर्ड	
37.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड	
38.	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान	
39.	कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग
40.	चेन्नई बंदरगाह प्राधिकरण	
41.	कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण	
42.	दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण	
43.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय	
44.	जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण	
45.	मोरमुगाओ बंदरगाह प्राधिकरण	
46.	मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण	
47.	मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण पेंशन निधि ट्रस्ट	
48.	न्यू मैंगलोर बंदरगाह प्राधिकरण	
49.	पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण	
50.	नाविक भविष्य निधि संगठन	
51.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह	
52.	प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ प्राधिकरण	
53.	विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण	

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग
54.	वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण	
55.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	विद्युत
56.	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग	
57.	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)	
58.	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)	
59.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान	
60.	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन	सार्वजनिक उद्यम विभाग
61.	केंद्रीय रेशम बोर्ड	वस्त्र
62.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	
63.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड	
64.	वस्त्र समिति	

अनुलग्नक-III

(पैरा 1.5 में संदर्भित)

बकाया उपयोग प्रमाण पत्र

मंत्रालय/विभाग	अनुदान की अवधि (मार्च 2023 तक जारी अनुदान)	मार्च 2023 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31.03.2024 तक देय थे	
		लंबित यूसी की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	वर्ष 2022-23 तक	1,808	16,039.28
	योग	**1,808**	**16,039.28**
वित्तीय सेवाएँ विभाग	2020-21 से 2022-23	4	2,305.78
	योग	**4**	**2,305.78**
वस्त्र मंत्रालय	2003-04 से 2016-17	2,593	31.61
	2017-18	345	7.44
	2018-19	350	1.82
	2019-20	361	0.41
	2020-21	773	22.72
	2021-22	843	9.77
	2022-23	1,287	229.10
	योग	**6,552**	**302.87**
भारी उद्योग मंत्रालय	2003-04 से 2016-17	4	5.86
	2017-18	4	17.94
	2018-19	7	11.20
	2019-20	14	72.96
	2020-21	27	129.94
	2021-22	8	123.24
	2022-23	40	1239.34
	योग	**104**	**1,600.48**

मंत्रालय/विभाग	अनुदान की अवधि (मार्च 2023 तक जारी अनुदान)	मार्च 2023 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31.03.2024 तक देय थे	
		लंबित यूसी की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	2021-22	12	29.00
	2022-23	5	0.10
	योग	**17**	**29.10**
पर्यटन मंत्रालय	2010-11 से 2016-17	13	26.16
	2017-18	4	6.48
	2018-19	9	22.99
	2019-20	3	3.44
	2020-21	18	37.60
	2021-22	19	22.84
	2022-23	12	13.96
	योग	**78**	**133.47**
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	2006-07 से 2016-17	172	14.44
	2017-18	38	57.26
	2018-19	38	136.03
	2019-20	205	514.43
	2020-21	232	652.10
	2021-22	159	4,665.52
	2022-23	284	3,743.56
	योग	**1,128**	**9,783.35**
वाणिज्य विभाग	2006-07 से 2016-17	7	29.17
	2017-18	1	6.15
	2019-20	2	12.22
	2020-21	3	20.56
	2021-22	5	27.22
	2022-23	24	20.96
	योग	**42**	**116.28**

मंत्रालय/विभाग	अनुदान की अवधि (मार्च 2023 तक जारी अनुदान)	मार्च 2023 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र जो 31.03.2024 तक देय थे	
		लंबित यूसी की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	2020-21	4	15.80
	2021-22	15	111.29
	2022-23	14	135.43
	योग	**33**	**262.52**
उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग	2019-20	1	5.55
	योग	**1**	**5.55**
सार्वजनिक उद्यम विभाग	2022-23	1	0.50
	योग	**1**	**0.50**
खान मंत्रालय	2018-19	1	0.0220
	2019-20	3	0.1815
	2020-21	10	0.8642
	2021-22	104	78.0916
	योग	**118**	**79.1593**
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2022-23	32	278.20
	योग	**32**	**278.20**
सकल योग		**9,918**	**30,936.53**

अनुलग्नक-IV

(पैरा 1.6 में संदर्भित)

केंद्रीय स्वायत्त निकाय जिनके वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लेखे विलंब से प्रस्तुत किए गए

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	वर्ष 2022-23 के लिए लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	वर्ष 2022-23 के लिए लेखे प्रस्तुत करने में विलंब (दिनों में)	वर्ष 2023-24 के लिए लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	वर्ष 2023-24 के लिए लेखे प्रस्तुत करने में विलंब (दिनों में)
I.	**नागर विमानन मंत्रालय**				
1.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय	16.11.2023	139	09.08.2024	39
II.	**कोयला मंत्रालय**				
2.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन	17.07.2023	17	10.07.2024	10
III.	**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**				
3.	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	09.08.2023	40	07.10.2024	99
4.	कॉफ़ी बोर्ड	03.08.2023	34	19.08.2024	50
5.	निर्यात निरीक्षण परिषद	13.02.2024	227	05.12.2024	158
6.	फुटवियर डिज़ाइन एवं विकास संस्थान	03.10.2023	99	02.09.2024	64
7.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	05.07.2023	5	15.07.2024	15
8.	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट	16.06.2023	-	09.07.2024	9
9.	राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद	28.08.2023	28	-	-
10.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश	09.11.2023	131	22.01.2025	206

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	वर्ष 2022-23 के लिए लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	वर्ष 2022-23 के लिए लेखे प्रस्तुत करने में विलंब (दिनों में)	वर्ष 2023-24 के लिए लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	वर्ष 2023-24 के लिए लेखे प्रस्तुत करने में विलंब (दिनों में)
11.	राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, असम	13.10.2023	105	05.07.2024	5
12.	राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, मध्य प्रदेश	28.08.2023	59	29.07.2024	29
13.	राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, कुरुक्षेत्र, हरियाणा	30.10.2023	123	14.08.2024	45
14.	स्पाइसेस बोर्ड	03.07.2023	3	01.07.2024	1
15.	तंबाकू बोर्ड	04.08.2023	34	23.07.2024	23
IV.	**कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय**				
16.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	20.07.2023	20	01.08.2024	32
17.	भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड	28.07.2023	28	10.07.2024	10
18.	विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण	17.10.2023	109	28.10.2024	120
V.	**वित्तीय सेवाएँ विभाग**				
19.	विवादग्रस्त परिसंपत्ति स्थिरीकरण कोष	15.09.2023	77	02.09.2024	64
20.	भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	16.02.2024	231	14.02.2025	229
VI.	**भारी उद्योग मंत्रालय**				
21.	राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड	24.07.2024	390 (2013-14 से 2023-24 तक के संशोधित लेखे प्रस्तुत किए)	24.07.2024	24

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	वर्ष 2022-23 के लिए लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	वर्ष 2022-23 के लिए लेखे प्रस्तुत करने में विलंब (दिनों में)	वर्ष 2023-24 के लिए लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	वर्ष 2023-24 के लिए लेखे प्रस्तुत करने में विलंब (दिनों में)
VII.	**आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय**				
22.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	31.07.2023	31	02.08.2024	33
23.	राजघाट समाधि समिति	06.07.2023	6	20.08.2024	51
24.	रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, चंडीगढ़	20.09.2023	82	09.01.2025 (संशोधित लेखे)	193
25.	रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, दिल्ली	07.12.2023	160	30.08.2024	61
VIII.	**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय**				
26.	कयर बोर्ड	-	-	09.07.2024	9
27.	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	03.07.2023	03	-	-
IX.	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय**				
28.	भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम	23.07.2023	23	-	-
29.	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान	27.07.2023	27	-	-
X.	**पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय**				
30.	कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड	-	-	12.08.2024	43
31.	कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण	26.06.2023	16	-	-
32.	न्यू मैंगलोर बंदरगाह प्राधिकरण	-	-	12.06.2024	2
33.	नाविक भविष्य निधि संगठन	-	-	22.10.2024	114
34.	प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ प्राधिकरण	23.08.2023	54	02.07.2024	02

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	वर्ष 2022-23 के लिए लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	वर्ष 2022-23 के लिए लेखे प्रस्तुत करने में विलंब (दिनों में)	वर्ष 2023-24 के लिए लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	वर्ष 2023-24 के लिए लेखे प्रस्तुत करने में विलंब (दिनों में)
35.	विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण	29.08.2023	80	12.09.2024	94
XI.	**विद्युत मंत्रालय**				
36.	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)	26.07.2023	26	08.07.2024	8
37.	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)	प्रस्तुत किया जाना बाकी है			
38.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान	17.07.2023	17	02.07.2024	2
XII.	**वस्त्र मंत्रालय**				
39.	केंद्रीय रेशम बोर्ड	25.09.2023	85	18.12.2024	171
40.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	11.07.2023	11	18.07.2024	18
41.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता	13.09.2023	75	09.07.2024	9
42.	वस्त्र समिति	03.01.2024	185	28.03.2025	271

अनुलग्नक-V

(पैरा 1.7 में संदर्भित)

केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लेखापरीक्षित लेखाओं को संसद में प्रस्तुत करने में विलंब

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों का नाम	विलंब (दिनों में)	
		2022-23	2023-24
I.	**नागर विमानन मंत्रालय**		
1.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण	-	37
2.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय	459	93
II.	**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**		
3.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	40	80
4.	कॉफ़ी बोर्ड	39	-
5.	निर्यात निरीक्षण परिषद	446	अभी प्रस्तुत किया जाना शेष है
6.	फुटवियर डिज़ाइन एवं विकास संस्थान	219	80
7.	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन न्यास	38	-
8.	राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद	38	
9.	राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश	212	अभी प्रस्तुत किया जाना शेष है
10.	राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, असम	212	80
11.	राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा	212	-
12.	राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, मध्य प्रदेश	212	80
13.	रबर बोर्ड	40	
14.	तंबाकू बोर्ड	40	42
III.	**कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय**		
15.	भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड	37	70
16.	विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण	212	70

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों का नाम	विलंब (दिनों में)	
		2022-23	2023-24
17.	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण	-	41
IV.	**वित्तीय सेवाएँ विभाग**		
18.	विवादग्रस्त परिसंपत्ति स्थिरीकरण कोष	212	अभी प्रस्तुत किया जाना शेष है
19.	भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	212	अभी प्रस्तुत किया जाना शेष है
V.	**भारी उद्योग**		
20.	राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड	अभी प्रस्तुत किया जाना शेष है	
VII.	**आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय**		
21.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	410	अभी प्रस्तुत किया जाना शेष है
22.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	452	अभी प्रस्तुत किया जाना शेष है
23.	राजघाट समाधि समिति	39	-
24.	रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, चंडीगढ़	अभी प्रस्तुत किया जाना शेष है	
25.	रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, दिल्ली	अभी प्रस्तुत किया जाना शेष है	
VIII.	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**		
26.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग	-	मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति प्रतीक्षित है
IX.	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय**		
27.	भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम	39	82
28.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड	-	प्रस्तुत किया जाना शेष है
X.	**पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय**		
29.	कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड	-	42
30.	चेन्नई बंदरगाह प्राधिकरण	33	80
31.	मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण	-	42

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों का नाम	विलंब (दिनों में)	
		2022-23	2023-24
32.	पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण	33	-
33.	नाविक भविष्य निधि संगठन	-	अभी प्रस्तुत किया जाना शेष है
34.	प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ प्राधिकरण	37	-
XI.	**वस्त्र मंत्रालय**		
35.	केंद्रीय रेशम बोर्ड	348	अभी प्रस्तुत किया जाना शेष है
36.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	185	-
37.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड	अभी प्रस्तुत किया जाना शेष है	
38.	वस्त्र समिति	212	सूचना प्रतीक्षित

अनुलग्नक-VI

(पैरा 1.8 में संदर्भित)

वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
I.	**नागर विमानन मंत्रालय**	
1.	**भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए)**	**2023-24** **वर्तमान देयताएँ और प्रावधान (अनुसूची: - 7) - ₹5.64 करोड़** उपरोक्त में मई 2009 से मार्च 2015 तक की अवधि के लिए एईआरए में तैनात एएआई के कर्मचारियों के वेतन के लिए ₹9.56 करोड़ का प्रावधान शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप श्रमबल भर्ती पर प्रावधान और व्यय, जो ₹9.56 करोड़ था, कम दर्शाया गया है। वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान भी इसी तरह की टिप्पणी की गई, हालाँकि, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
II.	**कोयला मंत्रालय**	
2.	**कोयला खान भविष्य निधि संगठन**	**2022-23** **पेंशन निधि (मुख्य) लेखा** **चालू देयताएँ और प्रावधान (अनुसूची-03)** (i) कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के पैरा 22 के अनुसार, आयुक्त, बोर्ड द्वारा नियुक्त एक बीमांकक द्वारा हर तीसरे वर्ष पेंशन निधि के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होंगे। बीमांकक की सिफारिशें आयुक्त द्वारा बोर्ड के समक्ष रखी जाएँगी। नवीनतम बीमांकिक रिपोर्ट (जून 2023) के अनुसार, पेंशन निधि की शुद्ध देनदारी ₹54,317 करोड़ आंकी गई है। हालाँकि, सीएमपीएफओ ने अपनी लेखा बही में देनदारी का विवरण नहीं दिया है। देनदारियों का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप चालू देनदारियों और प्रावधानों के साथ-साथ व्यय को ₹54,317 करोड़ कम दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप, व्यय की तुलना में आय को भी उतनी ही राशि से अधिक दर्शाया गया है। **(ii)** सीएमपीएफओ ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएंडएफएस) में ₹96.20 करोड़ और रिलायंस कैपिटल (आरकैप) में ₹150.00 करोड़ का निवेश किया। आईएलएंडएफएस और आरकैप की क्रेडिट रेटिंग क्रमशः सितंबर 2018 और सितंबर 2019 में घटाकर "डी" कर दी गई। निवेश समिति की अनुशंसा पर बोर्ड ने (अगस्त 2022) अवनत किए गए निवेश मूल्य के संबंध में लेखा बही

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		में प्रावधान करने का निर्णय लिया। हालाँकि, सीएमपीएफओ ने लेखा बही में प्रावधान नहीं किए। प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप चालू देनदारियों और प्रावधान की राशि ₹166.76 करोड़ (निवेश का अवनत किया गया मूल्य) के साथ-साथ व्यय को भी कम करके दिखाया गया है। परिणामस्वरूप, व्यय की तुलना में आय भी उसी राशि से अधिक बताई गई है। **(iii) निवेश (अनुसूची-04)** सीएमपीएफओ ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के वित्तीय साधनों में ₹1390.25 करोड़ का निवेश किया। शासन संबंधी चिंताओं और विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक के कारण, डीएचएफएल (नवंबर 2019) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष गया। एनसीएलटी ने डीएचएफएल के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआरआईपी) शुरू की और जून 2021 में समाधान योजना को स्वीकृति दी। समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद, सीएमपीएफओ को किए गए निवेश के विरुद्ध (सितंबर 2021) ₹662.58 करोड़ प्राप्त हुए, जिसके परिणामस्वरूप ₹727.27 करोड़ के निवेश का नुकसान हुआ। इसलिए इस घाटे को लेखा-बही से बट्टे खाते में डालना आवश्यक है। हालाँकि, उपरोक्त निवेशों के घाटे का हिसाब नहीं लगाया गया और सीएमपीएफओ ने अभी भी अपने खातों में डीएचएफएल में ₹727.67 करोड़ का निवेश दिखाया है। इसके परिणामस्वरूप पेंशन निधि के निवेश और कोष को ₹727.67 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है। वर्ष 2019-20 से इस मुद्दे पर बार-बार टिप्पणी की गई है, हालाँकि, आज तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। **2023-24** **भविष्य निधि/पेंशन निधि खाते** **निवेश की हानि का लेखा-जोखा न होना** सीएमपीएफओ ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के वित्तीय साधनों में ₹1,390.25 करोड़ का निवेश किया। शासन संबंधी चिंताओं और विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक के कारण, डीएचएफएल (नवंबर 2019) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष गया। एनसीएलटी ने

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		डीएचएफएल के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआरआईपी) शुरू की और जून 2021 में समाधान योजना को स्वीकृति दी। समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद, सीएमपीएफओ को किए गए निवेश के बदले (सितंबर 2021) ₹662.58 करोड़ प्राप्त हुए, जिसके परिणामस्वरूप ₹727.27 करोड़ के निवेश की हानि हुई। इसलिए इस हानि को लेखा-बही से बट्टे खाते में डालना आवश्यक है। हालाँकि, उपरोक्त निवेशों की हानि का हिसाब नहीं लगाया गया और सीएमपीएफओ ने अभी भी अपने खातों में डीएचएफएल में ₹727.67 करोड़ का निवेश दिखाया। इसके परिणामस्वरूप भविष्य निधि/पेंशन निधि के निवेश और कोष को 727.67 करोड़ रुपये अधिक दर्शाया गया है।
III.	**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**	
3.	**कॉफ़ी बोर्ड**	**2022-23** **अचल संपत्तियां: ₹91.81 करोड़ (अनुसूची-8)** (क) उपरोक्त में ₹35.66 करोड़ मूल्य के आर्थिक रूप से मूल्यवान वृक्ष शामिल हैं। बोर्ड ने अनुसूची-25 के बिंदु संख्या 10 में उल्लिखित वास्तविक आधार पर उनकी क्षति का लेखा-जोखा नहीं रखा है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के संदर्भ में, प्रबंधन ने इन वृक्षों के मूल्य को अद्यतन करने पर सहमति व्यक्त की। हालाँकि, इस संबंध में कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि जनवरी/मार्च 2023 में चेट्टल्ली, गोनिकोप्पल और बालेहोन्नूर (कर्नाटक) में वृक्षों की गणना के बावजूद, आर्थिक रूप से मूल्यवान वृक्षों की ऐसी गणना के प्रभाव की समीक्षा नहीं की गई और प्रबंधन द्वारा उनके संशोधित मूल्य का हिसाब नहीं लगाया गया। 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में इन वृक्षों के मूल्यांकन के अभाव में, लेखापरीक्षा 31 मार्च 2023 तक तुलन पत्रों में दिखाए गए आर्थिक रूप से मूल्यवान वृक्षों के मूल्य की शुद्धता पर टिप्पणी करने में असमर्थ है। वर्ष 2020-21 के दौरान, लेखापरीक्षा ने आर्थिक रूप से मूल्यवान वृक्षों की रिपोर्टिंग में एकरूपता बनाए रखने के लिए मूल्यह्रास हानि के मूल्यांकन और आकलन के बारे में एक लेखा नीति अपनाने का सुझाव दिया। हालाँकि, बोर्ड द्वारा ऐसे वृक्षों के मूल्यह्रास हानि के मूल्यांकन और आकलन के बारे में उपयुक्त लेखा नीति नहीं अपनाई गई है।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		2023-24 **तुलन पत्र** **पूंजी निधि और देयताएँ** **कॉर्पस/पूंजी निधि: ₹138.85 करोड़ (अनुसूची - 1)** इसमें ₹3,20,42,799 का नकारात्मक शेष शामिल है, जो वर्ष 2014-15 से असमायोजित पड़ी सब्सिडी (विकास) अनुदान राशि है। 2021-22 और 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों के बावजूद प्रबंधन ने इस संबंध में आवश्यक समायोजन नहीं किया। **अचल संपत्तियां (अनुसूची-8): ₹93.62 करोड़** (क) केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखाओं के एकरूप प्रारूप में यह प्रावधान है कि अचल संपत्ति अनुसूची में 'फ्रीहोल्ड' और 'लीज़होल्ड' के अंतर्गत आने वाली भूमि का उल्लेख होना चाहिए। इसमें यह भी प्रावधान है कि लीज़होल्ड भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि के दौरान किया जाना चाहिए, जब तक कि पट्टा स्थायी न हो। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कॉफ़ी बोर्ड के पास 1,948.48 एकड़ भूमि है, जिसमें 168.32 एकड़ लीज़होल्ड भूमि शामिल है। हालाँकि, बोर्ड के लेखाओं में अचल संपत्ति अनुसूची में लीज़ के विवरण के साथ फ्रीहोल्ड और लीज़होल्ड श्रेणियों के अंतर्गत भूमि का वर्गीकरण नहीं दर्शाया गया है। **आय और व्यय खाता** **आय: ₹239.45 करोड़** बोर्ड की यह प्रथा है कि वह सरकारी अनुदानों से खरीदी गई परिसंपत्तियों का लेखा-जोखा परिसंपत्ति खाते से डेबिट करके और कॉर्पस निधि में क्रेडिट करके करता है, बजाय इसके कि उसे लेखा मानक (एएस)-12 'अनुदानों का लेखा-जोखा' के पैरा 14 और लेखाओं के एकरूप प्रारूप के प्रावधानों के अंतर्गत 'आस्थगित आय' के रूप में दर्ज किया जाए। इसके परिणामस्वरूप आय को कम दर्शाया गया है और व्यय पर आय की अधिकता को ₹2.97 करोड़ कम दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप आस्थगित आय को कम दर्शाया गया है और कॉर्पस/पूंजी निधि को ₹93.62 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है। इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप सरकारी अनुदानों से खरीदी गई परिसंपत्तियों के संबंध में मूल्यह्रास पद्धति का भी पालन नहीं

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		हुआ है, जैसा कि लेखाओं के एकरूप प्रारूप की अनुसूची 8 के नोट्स और लेखा मानक (एएस)-12 'अनुदानों के लिए लेखांकन' के पैरा 14 में निर्दिष्ट है। यह टिप्पणी कॉफ़ी बोर्ड के वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक के खातों पर भी उठाई गई थी। हालाँकि, बोर्ड ने अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है। **सामान्य** लेखा मानक 15 की आवश्यकताओं के विपरीत, बोर्ड ने सेवानिवृत्ति लाभों का मूल्यांकन किसी बीमांकिक से नहीं करवाया, जिसके कारण पेंशन निधि में जमा राशि की पर्याप्तता और वर्ष के दौरान "कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभ" शीर्षक के अंतर्गत दर्शाए गए व्यय की लेखापरीक्षा में पुष्टि नहीं हो सकी। यह टिप्पणी कॉफ़ी बोर्ड के वर्ष 2016-17 से 2022-23 के लेखों पर भी उठाई गई। हालाँकि, बोर्ड ने अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है। इसके अलावा, बोर्ड ने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता को मान्यता देने के बजाय, अवकाश नकदीकरण और भविष्य निधि पर व्यय का हिसाब नकद आधार पर रखा।
4.	**निर्यात निरीक्षण परिषद**	**2023-24** **चालू देयताएँ और प्रावधान (अनुसूची 8): ₹1,994.14 करोड़** **अन्य चालू देयताएँ: ₹1,580.22 करोड़** **केंद्रीय निधि (ईआईए): ₹859.20 करोड़** **ईआईसी** वर्ष 2015-16 तक, ईआईसी अपने गैर-योजनागत व्ययों को पूरा करने के लिए केंद्रीय निधि से धनराशि निकालता रहा और उसे 'ईआईए से ऋण' मानता रहा। हालाँकि, वर्ष 2015-16 के बाद, ईआईसी केंद्रीय निधि से कोई निकासी नहीं दिखा रहा है, जबकि उसने गैर-योजनागत व्ययों के लिए धनराशि निकालना जारी रखा है। ईआईसी ने गैर-योजनागत व्यय को अपने आय-व्यय खाते में दर्ज किया, हालाँकि, केंद्रीय निधि से निकाली गई धनराशि को आय पक्ष में जमा नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप आय की तुलना में व्यय अधिक हो गया। ईआईसी द्वारा अपनाई गई लेखा पद्धति के कारण, पूंजी/कॉर्पस निधि ऋणात्मक शेष दर्शा रही है, जो वर्ष 2023-24 तक के वर्षों में पूंजीकृत, आय की तुलना में व्यय की अधिकता को दर्शाता है। लेखापरीक्षा ने पिछले वर्षों (2015-16 से 2019-20) की अपनी अलग लेखापरीक्षा रिपोर्टों में बताया कि वर्ष 2015-16

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		तक ईआईसी द्वारा केंद्रीय निधि से निकाली गई राशि को 'ईआईए से ऋण' नहीं माना जा सकता है और ईआईसी को प्रशासनिक मंत्रालय के परामर्श से ईआईए द्वारा ईआईसी को हस्तांतरित 'अधिशेष निधि' की प्रकृति और उनके सही लेखांकन उपचार को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ईआईसी ने (2021-22) असुरक्षित ऋणों से केंद्रीय निधि खाते में ₹62.74 करोड़ हस्तांतरित करने की एक सुधार प्रविष्टि की, जो वर्ष 2015-16 तक ईआईसी की गैर-योजना व्यय की राशि थी। हालाँकि, निम्नलिखित के मद्देनजर सुधार स्वीकार्य नहीं है: क) निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 10(2) के अनुसार, ईआईसी इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वहन हेतु, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित निकायों और संस्थाओं से अनुदान और दान प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने (मई 2004) निर्देश दिया कि ईआईसी को उनकी गैर-योजनागत आवश्यकताओं के लिए कोई गैर-योजनागत निधि जारी नहीं की जाएगी। निर्यात निवेश एजेंसियों (ईआईए) के पास अधिशेष निधि ईआईसी को उनके व्ययों को पूरा करने के लिए हस्तांतरित कर दी जाएगी। अतः, ईआईसी द्वारा अपने गैर-योजनागत व्यय के लिए केंद्रीय कोष से निकाली गई राशि को अधिनियम और संबंधित मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। ईआईसी को वर्ष 2015-16 तक केंद्रीय निधि से ₹62.74 करोड़ के गैर-योजनागत व्यय और 31 मार्च 2024 तक केंद्रीय निधि से की गई निकासी के लिए सही लेखांकन करने की आवश्यकता है। ख) इसके अलावा, ईआईसी को 31 मार्च 2024 तक किए गए पूंजीगत व्यय के लिए केंद्रीय निधि से विनियोजित राशि का सही लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होगा। अतः, जैसा कि पहले सलाह दी गई, प्रशासनिक मंत्रालय के परामर्श से उपरोक्त कार्य किया जा सकता है। इससे कॉर्पस/पूंजीगत निधि के नकारात्मक शेष के साथ-साथ केंद्रीय निधि राशि का चित्रण भी सही हो जाएगा। वर्ष 2021-22 की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित किए जाने के बावजूद, ईआईसी ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
5.	**फुटवियर डिज़ाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई)**	**2023-24** **चालू देनदारियाँ और प्रावधान (अनुसूची-7): ₹58.48 करोड़** **अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची-21): ₹32.54 करोड़** उपरोक्त राशि में 31 मार्च 2024 तक ब्याज सहित आवंटित भूमि के लिए लीज रेंट के रूप में नोएडा प्राधिकरण की ₹12.45 करोड़ की बकाया मांग शामिल नहीं है। एफडीडीआई को 31 दिसंबर 2023 तक की अवधि के लिए लीज रेंट/ब्याज के रूप में ₹12.45 करोड़ का डिमांड नोटिस (जनवरी 2024) प्राप्त हुआ। एफडीडीआई को पिछले वर्षों में भी इसी तरह के नोटिस प्राप्त हुए थे। एफडीडीआई ने (फरवरी 2021, फरवरी 2022 और मई 2024) नोएडा प्राधिकरण से इस तर्क पर ब्याज राशि माफ करने का अनुरोध किया कि उसके पास बकाया राशि का भुगतान करने के लिए अधिशेष निधि नहीं है। हालाँकि, प्राधिकरण ने एफडीडीआई के अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया (मार्च 2022 और जुलाई 2022) कि लीज रेंट और ब्याज एफडीडीआई द्वारा लीज समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार देय था इसके बावजूद, 31 मार्च 2024 तक की लेखा बही में बकाया मांग का प्रावधान नहीं किया गया था और इसे केवल आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया। नोएडा प्राधिकरण की बकाया माँग का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप चालू देनदारियों और प्रावधानों को कम दर्शाया गया, अन्य प्रशासनिक व्ययों को कम दर्शाया गया और परिणामस्वरूप घाटा ₹12.45 करोड़ कम दर्शाया गया। यह मुद्दा वर्ष 2022-23 के खातों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी उठाया गया था। हालाँकि, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
6.	**राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश**	**2022-23** **स्थापना व्यय (अनुसूची 14)** **ग्रेच्युटी में योगदान: शून्य** लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनआईडी-एपी के पास अवकाश वेतन भुगतान संबंधी दायित्व के लिए कोई स्पष्ट लेखा नीति नहीं है। एएस 15 के अनुच्छेद 10 में निर्दिष्ट अनुसार, एनआईडी-एपी द्वारा लेखा बही में कोई दायित्व दर्ज नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप एएस 15 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ है।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
7.	**राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, जोरहाट (एनआईडीजे), असम**	**2022-23** 1. वर्ष 2022-23 के लिए एनआईडी जोरहाट के वार्षिक खातों में अचल संपत्तियों का आरंभिक शेष ₹98.34 करोड़ और समापन शेष ₹109.29 करोड़ दर्शाया गया है। इन संपत्तियों की इकाई दर, मात्रा, योग मूल्य और स्थान/स्थिति दर्शाने वाले उचित और पूर्ण अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा एनआईडी, जोरहाट द्वारा 31.03.2023 के तुलन पत्रों में उल्लिखित अचल संपत्तियों के वर्गीकरण/श्रेणीकरण और उनके मूल्यों के साथ-साथ वर्ष 2022-23 के दौरान प्रत्येक समूह की संपत्तियों पर लगाए गए मूल्यह्रास की पुष्टि नहीं कर सकी। 2. असम सरकार ने 16 फरवरी 2011 को जोरहाट में लगभग 31 एकड़ भूमि का एक टुकड़ा भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) को राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडीजे), जोरहाट की स्थापना के लिए सौंप दिया। डीआईपीपी ने 29 अक्टूबर 2015 को वही भूमि का टुकड़ा एनबीसीसी को एनआईडी, जोरहाट के परिसर के निर्माण के लिए सौंप दिया। वर्ष 2022-23 के लिए जोरहाट स्थित एनआईडी के वार्षिक लेखों के अनुसार, भूमि का मूल्य ₹10.75 लाख दर्ज किया गया है। हालांकि, अभिलेखों के अनुसार, यह राशि एनआईडी, अहमदाबाद द्वारा भूमि पर कब्जा प्राप्त करने, सोसायटी के पंजीकरण आदि में किए गए व्यय की है। एनआईडी, असम की स्थापना करने वाली अग्रणी संस्था है। भूमि का वास्तविक मूल्य उपरोक्त भूमि मूल्य में शामिल नहीं है। पूर्ण दस्तावेजों के अभाव में, लेखापरीक्षा द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका। **2023-24** एनआईडीजे को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (डीपीआईआईटी) से चरण-II के अंतर्गत असम के एनआईडी में लड़कियों और लड़कों के छात्रावासों के लिए अतिरिक्त ब्लॉक/कमरे और खेल के मैदानों के निर्माण हेतु ₹25.34 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति (06.12.2021) प्राप्त हुई, जिसे संशोधित करके ₹25.05 करोड़ कर दिया गया। डीपीआईआईटी और एनबीसीसी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (30.03.2015) की शर्तों के अनुसार, यह कार्य एनबीसीसी द्वारा किया जाना था। एनआईडीजे को भारत सरकार से ₹25.05 करोड़ का पूंजी अनुदान प्राप्त हुआ, जिसमें से ₹22.93 करोड़ का भुगतान एनबीसीसी को तीन किस्तों में कार्य शुरू करने के लिए किया गया। मार्च 2024

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		माह के लिए परियोजना की मासिक प्रगति रिपोर्ट की जांच करने पर यह पाया गया कि 31.03.2024 तक एनबीसीसी द्वारा पूर्ण किए गए कार्य का वित्तीय मूल्य ₹18.74 करोड़ था। हालांकि, एनआईडीजे ने ₹14.58 करोड़ के पूंजीगत कार्य-प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) को बुक किया है, जिसके परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी में ₹4.16 करोड़ (₹18.74 करोड़ माइनस ₹14.58 करोड़) की कमी और एनबीसीसी को दिए गए अग्रिम में इतनी ही राशि की वृद्धि दर्ज हुई है।
8.	**राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश**	**2023-24** **तुलन पत्र** **पूंजी निधि और देनदारियां** **मूल्यह्रास निधि (अनुसूची-6): ₹7.91 करोड़** संस्थान की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुसार, निम्नलिखित मदों पर मूल्यह्रास की गणना स्ट्रेट लाइन विधि से की जाती है: भवन (2.50 प्रतिशत); मशीनरी, उपकरण और औजार (10 प्रतिशत); फर्नीचर और फिक्स्चर (10 प्रतिशत); पुस्तकालय की पुस्तकें (10 प्रतिशत); कंप्यूटर और पेरिफेरल्स (20 प्रतिशत) और वाहन (20 प्रतिशत)। इसके अतिरिक्त, अधिग्रहण की तिथि की परवाह किए बिना, पूरे वर्ष के लिए अतिरिक्त मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है। हालांकि, चूंकि राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश (वार्षिक लेखा विवरण का प्रारूप) नियम, 2020 में मूल्यह्रास की दरें निर्धारित नहीं हैं, इसलिए संस्थान को केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखा के एकसमान प्रारूप में अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित दरों का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान खरीदी गई संपत्तियों पर मूल्यह्रास लेखा के एकसमान प्रारूप में निर्दिष्ट अनुसार 'आनुपातिक' आधार पर लगाया जाना चाहिए। संस्थान द्वारा लगाए गए मूल्यह्रास और आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार लगाए जाने वाले मूल्यह्रास का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है। इस प्रकार, आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्दिष्ट दरों से अलग दरो पर मूल्यह्रास लगाने और वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों पर 'यथानुपात' आधार पर मूल्यह्रास नहीं वसूलने के परिणामस्वरूप मूल्यह्रास निधि का कम आकलन और पूंजी निधि का ₹1.86 करोड़ से अधिक आकलन हुआ है। इसके अलावा, वर्ष के

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		लिए आय और वर्ष के लिए मूल्यह्रास व्यय भी उसी राशि से कम आंकलित हैं। इसके अलावा, संस्थान की लेखाकरण नीति व्यापक नहीं है क्योंकि इसमें पट्टाधृति भूमि, पट्टाधृति भवन, चारदिवारी, विद्युतीय संस्थापन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि जैसी मद शामिल नहीं हैं। इसलिए, मूल्यह्रास के संबंध में परिसंपत्तियों/वस्तुओं, मूल्यह्रास की दरों और लेखाकरण नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता है। वर्ष 2022-23 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी यह मुद्दा उठाया गया था। हालांकि अभी तक इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।
9.	**राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), हरियाणा**	**2023-24** **तुलन पत्र** **पूंजीगत निधि और देयताएं** **मूल्यह्रास निधि (अनुसूची 6): ₹5.01 करोड़** संस्थान की महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के अनुसार, मदों के लिए मूल्यह्रास की गणना स्ट्रेट लाइन कार्यप्रणाली पर की जाती है, अर्थात् भवन (2.50 प्रतिशत); मशीनरी, उपस्कर और उपकरण (10 प्रतिशत); खेल उपस्कर (10 प्रतिशत); फर्नीचर और जुड़नार (10 प्रतिशत); पुस्तकालय पुस्तकें (10 प्रतिशत); कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों (20 प्रतिशत) और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (40 प्रतिशत)। इसके अलावा, वर्ष के दौरान परिवर्धन पर मूल्यह्रास, अधिग्रहण की तिथि की उपेक्षा करते हुए पूरे वर्ष के लिए उपलब्ध कराया गया है। हालांकि, चूंकि राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, हरियाणा (लेखाओं के वार्षिक विवरण प्रपत्र) नियम, 2020 मूल्यह्रास की दरों को निर्धारित नहीं करता है, इसलिए संस्थान को आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्दिष्ट दरों का पालन करना चाहिए था, जैसा कि केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं हेतु, एक समान प्रारूप में निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, 'यथानुपात' आधार पर लगाया जाना चाहिए था जैसा कि लेखाओं के एक समान प्रारूप में निर्दिष्ट किया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार प्रभार्य मूल्यह्रास की तुलना में संस्थान द्वारा लगाए गए मूल्यह्रास का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		इस प्रकार, आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्दिष्ट दरों से अलग दर पर मूल्यह्रास लगाने हैं और वर्ष के दौरान 'यथानुपात' आधार पर खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास न वसूलने के परिणामस्वरूप मूल्यह्रास निधि का कम आकलन और पूंजीगत निधि का ₹1.34 करोड़ से अधिक आकलन हुआ है। इसके अलावा, वर्ष के लिए आय और वर्ष के लिए मूल्यह्रास व्यय भी उसी राशि से कम आंकलित है। वर्ष 2022-23 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी उपर्युक्त मुद्दा उठाया गया था। हालांकि अभी तक इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।
10.	**रबर बोर्ड**	**2022-23** **(i) वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 7): ₹20.39 करोड़** रबर बोर्ड ने कार्यशील पूंजी ऋण ब्याज प्राप्य एवं रबरवुड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड को दिए गए अन्य अग्रिम को ऋण एवं अग्रिम प्राप्य के रूप में लेखांकित किया है। कंपनी 31 मार्च 2023 को परिसमापन और दिवालियापन के अधीन है और 2016 से प्रचालन में नहीं है। इसलिए ऋण की वसूली और अग्रिम राशि का मिलना कठिन है। हालांकि, रबर बोर्ड ने प्राप्य राशि के लिए प्रावधान नहीं बनाया था। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों (अनुसूची 24) वर्तमान देनदारियों एवं प्रावधान (अनुसूची 7) और आय पर व्यय का आधिक्य' ₹13.29 करोड़ से कम आंकलित है। **(ii) निवेश- अन्य (अनुसूची 10): ₹18.92 करोड़** छः संयुक्त उद्यम कंपनियों जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है, में किए गए निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान न करने के कारण उपर्युक्त शीर्ष का ₹6.19 करोड़ से अधिक आकलन किया गया है। चूंकि इस निवेश की प्राप्ति संदिग्ध है, इसलिए इन परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था। हालांकि, रबर बोर्ड ने निम्नलिखित छः कंपनियों में संकटग्रस्त निवेश राशि का प्रावधान नहीं किया था: 1. मीनाचिल रबरवुड लिमिटेड, 2. पम्बा रबर्स लिमिटेड, 3. पझासी रबर्स प्रा.लिमिटेड,

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		4. पेरियार लेटेक्स लिमिटेड, 5. पोनमुडी रबर्स लिमिटेड; और 6. रबरवुड इंडिया प्रा. लिमिटेड इसलिए उपर्युक्त छः कंपनियों में निवेश के लिए प्रावधान नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप 'निवेश अन्य (अनुसूची 10)' का अधिक आकलन और 'समग्र/पूंजीगत निधि' का ₹6.19 करोड़ से अधिक आकलन हुआ था। **(iii) वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 12): ₹1.05 करोड़** चार संयुक्त उद्यम प्रसंस्करण कंपनियों को कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में ₹12.91 करोड़ की राशि दी गई थी। 31 मार्च 2023 तक इन कंपनियों की निवल संपत्ति नकारात्मक है। इसे देखते हुए इन कंपनियों से ऋण राशि की वसूली कठिन थी। इन ऋण राशियों की वसूली संदिग्ध है, ऋण राशियों की संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था। हालांकि, रबर बोर्ड ने ऋण राशि का प्रावधान नहीं किया था। चार कंपनियों के कार्यशील पूंजी ऋण के सापेक्ष प्रावधान नहीं होने के परिणामस्वरूप, 'वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम' का अधिक आकलन और 'समग्र/पूंजीगत निधि' का ₹12.91 करोड़ का अधिक आकलन हुआ था। **2023-24** **वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 7): ₹35.28 करोड़** **प्रावधान** **सेवानिवृति/पेंशन, उपदान और छुट्टी नकदीकरण** रबर बोर्ड को, कर्मचारियों को देय सेवानिवृत्ति लाभों के सभी घटकों का बीमांकिक मूल्यांकन और बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार प्रोद्भवन आधार पर वित्तीय विवरणों में इन देनदारियों के लिए सूचना प्राप्त करना आवश्यक है। हालांकि, इस संबंध में बोर्ड की लेखाकरण नीति के अनुसार बोर्ड द्वारा सेवानिवृत्ति लाभों का लेखाकरण नकद आधार पर किया गया था। इसलिए, बोर्ड ने इसके लिए बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2024 तक अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन और उपदान दायित्वों से संबन्धित लेखाओं में क्रमशः ₹1,724.13 करोड़ और ₹99.05 करोड़ की देयता प्रदान नहीं की है। इसके अलावा, छुट्टी नकदीकरण के प्रति देयता के लिए कोई बीमांकिक मूल्यांकन नहीं किया गया था।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		उपरोक्त के देखते हुए, सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयता को चिन्हित करने हेतु रबर बोर्ड की लेखाकरण नीति में कमी है और इसके परिणामस्वरूप प्रावधानों का कम आकलन और समग्र /पूंजीगत निधि का ₹1,823.18 करोड़ से अधिक आकलन हुआ था।
11.	**स्पाइसेस बोर्ड**	**2022-23** **निर्धारित/अक्षय निधि (अनुसूची 3): ₹311.18 करोड़** बोर्ड ने निर्धारित/अक्षय निधि से अधिग्रहीत अचल सम्पत्तियों पर ₹17.32 करोड़ राशि के मूल्यह्रास को निर्धारित/अक्षय निधि में प्रभारित करने के बजाए आय एवं व्यय लेखा में बोर्ड के व्यय के रूप में लेखांकित किया था। इसी तरह, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं और स्पाइसेस पार्क के रखरखाव और अनुरक्षण के लिए किए गए ₹11.56 करोड़ की राशि के चालू वर्ष के खर्चों को निर्धारित/अक्षय निधियों पर प्रभारित करने के बजाय आय और व्यय लेखाओं में दर्ज किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए बोर्ड के घाटे का और निर्धारित/अक्षय निधि का ₹28.88 करोड़ (₹17.32 करोड़ + ₹11.56 करोड़) से अधिक आकलन हुआ था। **2023-24** **वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि- ऋण, अग्रिम (अनुसूची 11बी) - ₹28.85 करोड़** उपरोक्त में 2017-18 से चले आ रहे ₹7.67 करोड़ की राशि के लंबे समय से लंबित अग्रिम शामिल हैं। बोर्ड इन राशियों को चिन्हित करने और वसूली करने में असमर्थ था क्योंकि अग्रिमों का ब्योरा नहीं है। समय बीतने और प्रासंगिक अभिलेखों के अभाव को ध्यान में रखते हुए, लेखाओं में अग्रिमों के लिए एक प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप प्रावधानों का कम आकलन और वर्ष के लिए ₹7.67 करोड़ का घाटा हुआ था।
12.	**तंबाकू बोर्ड**	**2023-24** **आय और व्यय लेखा** **व्यय** **अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21): ₹25.45 करोड़** तंबाकू बोर्ड द्वारा देय सेवा कर को शामिल न करने के कारण उपरोक्त का ₹16.96 करोड़ से कम आकलन हुआ है।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		बोर्ड द्वारा अपीलीय प्राधिकरण, तिरुपति के समक्ष इस मामले में अपील दायर की गई थी (अप्रैल 2023), जिसने अंततः निर्णय किया (फरवरी 2024) और ₹23.38 करोड़ की विवादित राशि की तुलना में ₹16.96 करोड़ की राशि की पुष्टि की थी। वर्ष 2023-24 के लिए अपने वार्षिक लेखाओं के अनुमोदन की तिथि तक, बोर्ड ने अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के सापेक्ष अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कोई अपील नहीं की थी। इसलिए, लेखाओं में ₹16.96 करोड़ की देयता का प्रावधान किया जाना चाहिए था। प्रावधान नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप उसी सीमा तक 'व्यय से अधिक आय' के परिणामी अधिक आकलन के साथ प्रावधानों और खर्चों का ₹16.96 करोड़ से कम आकलन हुआ था।
IV.	**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**	
13.	**विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण**	**2023-24** **महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां (अनुसूची-XXV)** कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) नियम, 2018 (नियम, 2018) को अधिसूचित (11 अक्टूबर 2018) किया था। नियम, 2018 के खंड 3(3) में कहा गया है कि "वित्तीय विवरण, प्राधिकरण के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखाकरण मानकों का पालन करेंगे"। इसके अलावा, उपरोक्त नियमों के अंतर्गत निर्धारित लेखाकरण नीतियां यह निर्धारित करती हैं कि वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत सिद्धांत के आधार पर और जब तक कि अन्यथा नहीं कहा जाता, लेखाकरण की प्रोद्भवन विधि पर तैयार किए जाते हैं। हालांकि, यह पाया गया कि आईईपीएफए ने अपनी महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति संख्या 1 - लेखाकरण पद्धति (अनुसूची XXV) को निम्नानुसार तैयार किया था: "वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत सिद्धान्त के आधार पर और जब तक कि अन्यथा नहीं कहा जाता है, लेखाकरण की प्रोद्भवन विधि के बजाय लेखाकरण के नकद आधार पर तैयार किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में भी लेखाकरण के नकद आधार का पालन किया गया था"।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		उपरोक्त लेखाकरण नीति के आधार पर, प्राधिकरण ने अपने लेखे नकद आधार पर तैयार किये हैं। इस प्रकार, प्राधिकरण की लेखाकरण नीति और वित्तीय विवरण, आईईपीएफए (लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) नियम, 2018 के अनुसार नहीं हैं। पिछले वर्षों के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित किए जाने के बावजूद, आईईपीएफए ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।
14.	**राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफ़आरए)**	**2022-23** **पिछले वर्षों के लेखा प्रस्तुत न करना** एनएफआरए ने पहली बार 03.03.2023 से 31.03.2023 की अवधि से संबंधित अपनी लेखाओं को इस आधार पर तैयार किया है कि वित्त मंत्रालय ने 21.09.2022 को एनएफआरए के अनुदानग्राही स्थिति को अनुमोदन दिया और दिनांक 03.03.2023 के संस्वीकृति आदेश के माध्यम से कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने पहली बार एनएफआरए को अनुदान जारी किया था। उपरोक्त अवधि की लेखाओं को एनएफआरए द्वारा सीएजी को प्रस्तुत किया गया था और उसी की लेखापरीक्षा की गयी है। वर्ष 2021-22 में अपनी स्थापना के बाद से, इस आधार पर कि एनएफआरए का आहरण और संवितरण कार्य करपोरेट कार्य मंत्रालय के माध्यम से किया गया था और सीएजी द्वारा मंत्रालय की लेखापरीक्षा की गई है, एनएफआरए ने अपने पृथक लेखाओं को तैयार नहीं किया था और ना ही कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के अंतर्गत आवश्यक, उनकी लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा करवाई थी। हालांकि, एनएफआरए ने वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया था, जिसमें प्रत्येक वर्ष की प्राप्ति और व्यय का विवरण भी शामिल है, और संसद में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस संबंध में, एनएफआरए ने कहा है कि संघ लेखाओं से अपने लेखाओं को अलग करने के उद्देश्य से आवश्यक वित्तीय व्यवस्था के अभाव के कारण, एनएफआरए अपनी पृथक लेखा तैयार करने की स्थिति में नहीं था। हालांकि, संसद द्वारा 2022-23 के पूरक बजट में एनएफआरए को अनुदान प्रदान किए जाने के बाद, नव-सृजित बजट शीर्ष के अंतर्गत मार्च 2023 में करपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		एनएफआरए को अनुदान जारी किया गया था। तदनुसार, एनएफआरए ने मार्च 2023 के लिए लागू प्रपत्र में अपने लेखाओं को तैयार किया था और सीएजी को लेखापरीक्षा हेतु इसे प्रस्तुत किया था। **2023-24** **31 मार्च 2024 तक का तुलन-पत्र** **अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची-8): ₹2,15,03,420** एनएफआरए को वर्ष 2023-24 के दौरान ₹23,00,00,000 की सामान्य सहायता अनुदान प्राप्त हुई थी। सरकार के संस्वीकृति आदेशों के अनुसार, सामान्य सहायता अनुदान का उपयोग घरेलू और विदेशी यात्रा व्यय, किराए और दरों, व्यवसायी सेवाओं को भुगतान आदि पर आवर्ती सामान्य व्यय को पूरा करने के लिए किया जाना था। हालांकि, एनएफआरए ने अचल संपत्तियों की खरीद के लिए उपरोक्त अनुदानों में से ₹28,13,319 की राशि का उपयोग किया था, जिन्हें लेखाओं में पूंजीकृत किया गया है और वर्ष के दौरान उसपर ₹7,06,630 की राशि का मूल्यह्रास उपलब्ध कराया गया है। सामान्य सहायता अनुदान को लेखाकरण मानक-12 के प्रावधानों के अनुरूप ₹28,13,319 की सीमा तक पूंजीकृत किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, सामान्य सहायता अनुदान की लेखाकरण प्रक्रिया उस सीमा तक गलत है, जिसे सुधार की आवश्यकता है।
V.	**भारी उद्योग मंत्रालय**	
15.	**राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड**	**2023-24** **अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची-8)** **एनएटीआरआईपी परियोजना (अनुदान) निधि (अनुसूची 8बी): ₹1,299.54 करोड़** एनएबी (पूर्ववर्ती एनएटीआरआईपी) ने चेन्नई में ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर (जीएआरसी) के लिए 99 साल के पट्टे पर स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (एसआईपीसीओटी) से भूमि का अधिग्रहण (अक्टूबर 2006) किया और एसआईपीसीओटी को ₹64.79 करोड़ की राशि का भुगतान किया था। इसने भूमि अधिग्रहण शुल्क के लिए ₹0.08 करोड़ का भी खर्च किया था। 6 नवंबर 2020 को पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संबंध में, एएस-19 (पट्टे) के पैरा 18 का संदर्भ लिया जाता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करता है कि, एक वित्त

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		पट्टा, परिसंपत्ति के लिए मूल्यह्रास व्यय के साथ-साथ प्रत्येक लेखा अवधि के लिए वित्त व्यय को सृजित करता है। यदि कोई उचित निश्चितता नहीं है कि पट्टेदार, पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करेगा, तो परिसंपत्ति का पट्टा अवधि या उसके उपयोगी अवधि, जो भी कम हो, के दौरान पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाना चाहिए। चूंकि यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज/साक्ष्य नहीं हैं कि एनएबी भूमि का स्वामित्व प्राप्त करेगा, इसलिए ₹64.87 करोड़ (₹64.79 करोड़ +₹0.08 करोड़) की उपरोक्त राशि को पट्टे की अवधि या भूमि की उपयोगी अवधि, जो भी कम हो, पर परिशोधित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, एनएबी ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑटोमोटिव इंस्पेक्शन मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग (एनआईएआईएमटी) की स्थापना के लिए 25 वर्षों की प्रारंभिक अवधि हेतु सिलचर (असम) में 'पट्टा' पर भूमि का अधिग्रहण किया (फरवरी 2006) और ₹0.18 करोड़ कुल भुगतान किया था। हालांकि, खाता बही में अब तक भुगतान की गई राशि का कोई परिशोधन नहीं किया गया है। पट्टाधृति भूमि के लिए भुगतान की गई राशि के परिशोधन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप मूल्यह्रास का कम आकलन[197] और भूमि (पट्टाधृति) का अधिक आकलन हुआ है। नतीजतन, आय का व्यय से अधिक होना भी अधिक आंकलित है। इसके अलावा, एनएबी ने पट्टा भुगतान के परिशोधन पर कोई नीति तैयार नहीं की है/प्रकट नहीं की है।

[197] *एसआईपीसीओटी को किए गए भुगतान के विवरण के अभाव में लेखापरीक्षा कम आकलन या अधिक आकलन की राशि निर्धारित करने में असमर्थ है।*

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
VI.	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**	
16.	**दिल्ली विकास प्राधिकरण**	**2022-23** **सामान्य विकास खाता** **तुलन-पत्र (जीडीए)** **देयताएं** **अन्य देयताएं** **विभिन्न डीडीए आवास योजनाओं के आवंटियों से अग्रिम - ₹ 410.15 करोड़** **आवंटियों से अग्रिम-एमओआर भूमि - ₹ 9.06 करोड़** डीडीए ने 'विभिन्न डीडीए आवास योजनाओं के आवंटियों से अग्रिम' के रूप में ₹ 410.15 करोड़ और अन्य देनदारियों (अनुसूची सी) शीर्ष के अंतर्गत 'आवंटियों से अग्रिम-पुनर्वास भूमि मंत्रालय' के रूप में ₹ 9.06 करोड़ को चिन्हित किया है। हालांकि, इन राशियों को प्राप्त अग्रिमों के आवंटी-वार विवरण, उनकी प्राप्ति की तिथि और आवंटन की वर्तमान स्थिति द्वारा समर्थित नहीं किया गया है। उपरोक्त विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा 'विभिन्न डीडीए आवास योजनाओं के आवंटियों से अग्रिम' और 'आवंटियों से अग्रिम-पुनर्वास भूमि मंत्रालय' शीर्ष के अंतर्गत ₹ 419.21 करोड़ की शेष राशि की परिशुद्धता के बारे में आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ थी। 2019-20 से लेखापरीक्षा द्वारा इस मुद्दे पर टिप्पणी की गई है, हालांकि, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। **2023-24** **नजूल-II** **प्राप्तियां और भुगतान लेखा** **अन्य विविध प्राप्तियाँ- ₹ 152.05 करोड़** अन्य विविध प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज की गई ₹152.05 करोड़ की राशि संबंधित संपत्ति के साथ स्पष्ट रूप से पहचान योग्य नहीं थी और न ही इसका मिलान किया गया था। इसके अलावा, बिना किसी विवरण के विविध प्राप्तियों के अंतर्गत इतनी बड़ी राशि को दर्ज करने के लिए डीडीए में समीक्षा की आवश्यकता होती है। विवरण/मिलन के अभाव में, ₹ 152.25 करोड़ की विविध प्राप्तियों की पुष्टि लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी थी। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा द्वारा इस मुद्दे पर 2019-20 से बार-बार टिप्पणी प्रस्तुत की गई है।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		नजूल-II के लिए तुलन-पत्र एवं आय और व्यय लेखा तैयार नहीं करना नजूल-II भारत सरकार की ओर से डीडीए द्वारा भूमि के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण, विकास और निपटान गतिविधियों से संबंधित है। नजूल-II लेखाओं के संबंध में, डीडीए ने केवल प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा तैयार किया था। नतीजतन, नजूल-II लेखाओं की संपत्ति और देनदारियों एवं आय और व्यय को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा 2012-13 से नजूल-II के लिए तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा तैयार नहीं करने पर बार-बार टिप्पणी प्रस्तुत कर रही है। हालांकि अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। **सामान्य विकास खाता** **तुलन पत्र (जीडीए)** **देयताएं - वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची सी)** **अन्य देयताएं - बयाना राशि जमा/पंजीकरण राशि - ₹ 24.97 करोड़** उपरोक्त विभिन्न आवेदकों से प्राप्त आवेदन राशि को दर्शाता है और चूंकि उन्हें फ्लैट आवंटित नहीं किए गए थे, इसलिए यह रिफ़ंड करने योग्य था। हालांकि, यह पाया गया कि 2004 के बाद से लंबित राशि के बावजूद डीडीए ने संबंधित आवंटियों को बयाना राशि जमा/पंजीकरण राशि रिफ़ंड करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक विस्तृत अनुसूची के अभाव में, राशि की परिशुद्धता की पुष्टि नहीं की जा सकी थी और लेखाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। हालांकि प्रबंधन ने उचित कार्रवाई करके देनदारियों को कम करने का आश्वासन दिया, लेकिन इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। इस मुद्दे को वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान भी प्रकाश में लाया गया था, हालांकि, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। **परिसंपत्तियां** **वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम (अनुसूची एफ)** **विविध देनदार - ₹ 544.02 करोड़** ₹ 212.26 करोड़ (₹ 331.76 करोड़ के जल शुल्क को छोड़कर) की राशि के विविध देनदारों के लिए पक्षवार और आयु-वार विवरण आसानी से उपलब्ध नहीं था। हालांकि बही खाते में तथ्य को उजागर

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		किया गया है, परन्तु, इसका केवल प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं है। पक्षवार और आयु वार विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा ₹ 212.26 करोड़ की राशि के विविध देनदारों की प्रामाणिकता, अस्तित्व और वसूली की पुष्टि करने में असमर्थ है। भले ही 2013-14 से लेखापरीक्षा द्वारा इस बिंदु को बार-बार उठाया गया था, डीडीए ने आज तक विविध देनदारों का पक्षवार और आयुवार विवरण नहीं बनाया है। **इन्वेंट्री - ₹ 20,454.91 करोड़** घोषित लेखाकरण नीति के अनुसार, इन्वेंट्री का मूल्यांकन लागत से कम या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। घोषित लेखाकरण नीति के विपरीत, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान तैयार स्टॉक में जोड़े गए 5 कॉलोनियों में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का मूल्य लागत पर लगाया गया था, हालांकि निपटान मूल्य कम था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.69 करोड़ से वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों के अंतर्गत आय और इन्वेंट्री का अधिक आकलन हुआ है। परिणामस्वरूप, आय का व्यय से अधिक होना भी ₹ 12.69 करोड़ से अधिक आंकलित है। **आय और व्यय लेखा (जीडीए)** **आय** **लाइसेंस शुल्क - ₹ 224.36 करोड़** उपरोक्त में ई 2, झंडेवालन, नई दिल्ली में एक भवन, जिसे आयकर विभाग को किराए पर दिया गया है, के संबंध में 2016-17 से 2021-22 की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में ₹ 102.18 करोड़ की राशि शामिल है। चूंकि झंडेवालन मार्च 1937 के "नजूल करार" के माध्यम से डीडीए के निपटान में रखी गई 23 नजूल सम्पदा में से एक थी, इसलिए नजूल-I संपत्ति से आय का जीडीए की आय के रूप में लेखाकरण सही नहीं है। इसके परिणामस्वरूप लाइसेंस शुल्क से आय का अधिक आकलन और वर्तमान देनदारियों का ₹ 102.18 करोड़ से कम आकलन (नजूल-I को देय) हो गया है। नतीजतन, आय का व्यय से अधिक होना भी ₹ 102.18 करोड़ से अधिक आंकलित है।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		अन्य आय- ₹ 393.02 करोड़ - अनुसूची I **खेल परिसरों से संबंधित प्राप्तियां- ₹ 109.22 करोड़** उपरोक्त में खेल परिसरों से ₹ 109.22 करोड़ की प्राप्तियाँ शामिल हैं। चूंकि यह खेल परिसर (16 खेल परिसर, 3 लघु खेल परिसर, 2 गोल्फ कोर्स और 1 लघु गोल्फ कोर्स) जीडीए की संपत्ति में शामिल नहीं हैं इसलिए डीडीए की आय के रूप में इसका लेखाकरण सही नहीं है। इसके अलावा, 2022-23 के दौरान नजूल-II की प्राप्ति और भुगतान लेखा में खेल परिसरों से प्राप्तियों के रूप में ₹77.25 करोड़ की राशि का हिसाब किया गया था, जबकि जीडीए की प्राप्तियों और भुगतान लेखा में कोई राशि शामिल नहीं की गई थी। इसके अलावा, खेल परिसरों के अनुरक्षण पर व्यय को नजूल-II की प्राप्ति और भुगतान लेखा में लेखांकित किया गया है। इस प्रकार, व्यय के मिलान के बिना केवल आय का लेखाकरण सही नहीं है और इसके परिणामस्वरूप आय का अधिक आकलन और वर्तमान देनदारियों का ₹109.22 करोड़ से कम आकलन (नजूल-II को देय) हुआ है। नतीजतन, आय का व्यय से अधिक होना भी ₹109.22 करोड़ से अधिक आंकलित है। **निवेश से आय (अनुसूची एच)- ₹ 128.85 करोड़** आकस्मिकता निधि से सृजित सावधि जमा राशियों से प्रोद्भूत आय की अधिक बुकिंग के कारण उपरोक्त ₹ 6.95 करोड़ से अधिक आंकलित है। इसके परिणामस्वरूप निवेशों और वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिम की आय का ₹ 6.95 करोड़ से अधिक आकलन हुआ है। परिणामस्वरूप, आय का व्यय से अधिक होना भी ₹ 6.95 करोड़ से अधिक आंकलित है। **खाता बही (अनुसूची-ओ)** **कर्मचारी लाभ (नोट सं. 4)** नोट 4 (ii) में कहा गया है कि प्राधिकरण को दिनांक 31.03.2024 तक अपनी पेंशन देयता का ₹ 8,720.88 करोड़ बीमांकिक मूल्यांकन मिला था और ₹ 1085.46 करोड़ की राशि चालू वर्ष से संबंधित है। हालांकि, यह पाया गया कि पेंशन न्यास विलेख के उल्लंघन में, डीडीए पेंशन न्यास को बीमांकक द्वारा संगणित पेंशन के अनुसार, धन हस्तांतरित करने के अपने दायित्व को पूरा नहीं कर रहा था। डीडीए द्वारा पेंशन न्यास में वर्ष-वार योगदान और कमी दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार है:

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>सीएबी का नाम</th><th>लेखाओं पर टिप्पणियाँ</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
(₹ करोड़ में)
<table>
<tr><th></th><th>2018-19</th><th>2019-20</th><th>2020-21</th><th>2021-22</th><th>2022-23</th><th>2023-24</th></tr>
<tr><td>बीमांकक द्वारा संगणित पेंशन दायित्व रकम</td><td>559.01</td><td>623.49</td><td>508.72</td><td>529.84</td><td>676.31</td><td>1085.46</td></tr>
<tr><td>डीडीए द्वारा हस्तांतरित राशि</td><td>99</td><td>208</td><td>235</td><td>259.10</td><td>390.02</td><td>285.00</td></tr>
<tr><td>कमी</td><td>460.01</td><td>415.49</td><td>273.72</td><td>270.74</td><td>286.29</td><td>800.46</td></tr>
</table>
इस प्रकार, उपरोक्त से, यह दर्शाया गया है कि पेंशन न्यास को धन प्रेषण में कमी 2018-19 में ₹ 460.01 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 2,506.71 करोड़ हो गई है। इसलिए नोट अधूरा था क्योंकि पेंशन न्यास निधि में धन प्रेषण में कमी के तथ्य को बही खाते में उजागर नहीं किया गया था। 2020-21 से लेखापरीक्षा द्वारा इस मुद्दे पर भी प्रकाश डाला गया था, हालांकि, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना नजूल-II लेखाओं से सामान्य विकास लेखा में निधियों का पुनर्विनियोजन
डीडीए बजट और लेखा नियम 1982 के नियम 14 के अनुसार, नजूल से गैर-नजूल या इसके विपरीत, धन के पुनर्विनियोजन के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। डीडीए, जीडीए में धन की कमी और चल रही आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 से सामान्य विकास खाता (जीडीए) उद्देश्यों हेतु नजूल-II निधियों का उपयोग कर रहा है। सरकार के अनुमोदन के बिना नजूल-II से जीडीए में वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान, क्रमशः ₹ 1,261 करोड़ और ₹ 668 करोड़ की धनराशि को पुनर्विनियोजित किया गया था। तथ्य यह है कि वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए नजूल-II से जीडीए के लिए धन के पुनर्विनियोजन को सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना अभी बाकी है, बही खाते में इसे नहीं दर्शाया गया है।
</td></tr>
</table>

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		सामान्य **जीडीए - उचंत खाता- ₹ 15.52 करोड़** वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए डीडीए के वित्तीय विवरण पर एसएआर के अनुलग्नक के टिप्पणी संख्या क्रमशः 2(xi), 2(ix), 2(x) और सी (1.3) का संदर्भ देखें, जिसमें उचंत खाते के मिलान नहीं करने के मुद्दे को इंगित किया गया था। हालांकि, यह पाया गया कि 31 मार्च 2024 तक 'उचंत खाते' के अंतर्गत ₹ 15.52 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 13.26 करोड़) की राशि अभी भी परिलक्षित होती है। इस संबंध में सुधारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
17.	**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड**	**2023-24** **तुलन पत्र** **संपत्ति** **वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची 10) - बी. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां - वसूली योग्य अग्रिम आयकर / टीडीएस - ₹ 80.05 करोड़** उपरोक्त में 2007-08 से 2015-16 के पिछले निर्धारण वर्षों के लिए वसूली योग्य ₹ 6.55 करोड़ का आयकर/टीडीएस शामिल है। तथ्यों पर विचार करते हुए कि: ➢ उपरोक्त वित्तीय वर्षों के लिए निर्धारण आयकर अधिकारियों द्वारा पहले ही पूरा कर लिया गया था और इन निर्धारणों के सापेक्ष एनसीआरपीबी द्वारा कोई भी अपील टीडीएस वसूली का दावा हेतु दायर नहीं की गई थी; और ➢ वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें धारा 143 (1) अंतर्गत सूचना पारित की गयी थी, परिशोधन अनुरोध दाखिल करने की समय-सीमा और निर्धारण आदेश के सापेक्ष में अपील के लिए फॉर्म 35 दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गई है। 2007-08 से 2015-16 तक के निर्धारण वर्षों से संबंधित ₹ 6.55 करोड़ की राशि को वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों के अंतर्गत वसूली योग्य नहीं दर्शाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का अधिक आकलन और पूर्व अवधि

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		व्यय (शुद्ध) का कम आकलन एवं इसके परिणामी, आय का व्यय से अधिक होने का ₹ 6.55 करोड़ से अधिक आकलन हुआ है।
18.	**राजघाट समाधि समिति**	**2023-24** **व्यय** **स्थापना व्यय (अनुसूची 12) - ₹ 1.73 करोड़** उपरोक्त में पिछले वर्षों से संबंधित बीमांकिक आधार पर उपदान (₹ 41.84 लाख) और छुट्टी नकदीकरण (₹ 5.88 लाख) के प्रावधान के रूप में ₹ 47.72 लाख शामिल नहीं हैं। इस राशि को आय और व्यय लेखा के माध्यम से भेजने के बजाय सीधे राजघाट समाधि निधि में समायोजित किया गया किया गया था। इसके परिणामस्वरूप उपदान और छुट्टी नकदीकरण, राजघाट समाधि निधि के प्रावधानों का कम आकलन और आय का व्यय से अधिक होने का ₹ 47.72 लाख से अधिक आकलन किया गया है। इसके अलावा, राजघाट समाधि समिति की महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति, लेखाकरण मानक 15 के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभों के मापन पर मौन है, जिससे उस सीमा तक समान कमी हो जाती है। **महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां** वर्ष 2023-24 के दौरान, राजघाट समाधि समिति को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से ₹ 8.12 करोड़ का अनुदान और ₹ 28.38 लाख की अव्ययित राशि प्राप्त हुई थी। हालांकि, राजघाट समाधि समिति ने वित्तीय विवरण में प्रस्तुति की कार्यप्रणाली सहित सरकारी अनुदान पर अपनाई गई अपनी लेखाकरण नीति को उजागर नहीं किया है, जो लेखाओं के एक समान प्रारूप और लेखाकरण मानक 12 के पैरा 12 का उल्लंघन है। इसने अपनी महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति को उस सीमा तक कम कर दिया है। इसके अलावा, राजघाट समाधि समिति ने न तो मंत्रालय दारा प्रदान की गयी राशि में से ₹ 28.38 लाख अव्ययित राशि मंत्रालय को वापस की है और न ही इसे तुलन-पत्र में वर्तमान देनदारियों के रूप में दर्शाया गया है, इसके परिणामस्वरूप 'राजघाट समाधि निधि' लेखा का अधिक आकलन हुआ है और 'अन्य वर्तमान देनदारियों' का ₹ 28.38 लाख से कम आकलन हुआ है।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
19.	**रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, चंडीगढ़**	**2022-23** **तुलन पत्र** **संचित निधि- ₹ 69.01 लाख** **अनुसूची ए- समग्र निधि- ₹59.25 लाख** उपरोक्त में आवासन विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन से ' सामान्य सहायता अनुदान, 'शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त अनुदान के रूप में ₹59.25 लाख शामिल हैं। चूंकि वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त अनुदान 31 मार्च 2023 तक अप्रयुक्त रहा, इसलिए इसे 'वर्तमान देयताओं' के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए था। संचित निधि में अनुदान को शामिल करने के परिणामस्वरूप संचित निधि का अधिक आकलन और शीर्ष वर्तमान देनदारियों के अंतर्गत अव्ययित सहायता अनुदान का ₹ 59.25 लाख से कम आकलन हुआ था।
20.	**रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली**	**2023-24** **महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ** लेखाकरण नीति संख्या 2 के अनुसार, 'वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति के आधार पर और जब तक कि अन्यथा नहीं कहा जाता है, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। एनडीएमसी के लिए देय लाइसेंस शुल्क को छोड़कर, जिसका वित्त पर भौतिक प्रभाव पड़ता है, लेखाकरण की नकद प्रणाली का पालन करते हुए प्राधिकरण का बही खाता तैयार किया जा रहा है । लेखाकरण नीति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) (सामान्य) नियम, 2016 के फॉर्म 'ओ' में निर्धारित लेखाओं के प्रारूप और वित्त मंत्रालय, जो प्रोद्भवन आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए नियम निर्धारित करता है द्वारा, निर्धारित केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखाओं के एक समान प्रारूप के अनुरूप नहीं है। 2017-18 से लेखापरीक्षा द्वारा इस मुद्दे पर बार-बार टिप्पणी प्रस्तुत की गई है, हालांकि, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
VII.	**सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय**	
21.	**कयर बोर्ड**	**2022-23** **वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 7) - ₹175.17 करोड़ - प्रावधान - ₹169.37 करोड़** बोर्ड ने उपदान, सेवानिवृत्ति/पेंशन और संचित छुट्टी नकदीकरण के लिए ₹169.37 करोड़ का प्रावधान किया है। हालांकि, 31 मार्च 2023 को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, किया जाने वाला प्रावधान ₹187.36 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप ₹17.99 करोड़ की वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों का कम आकलन और आय का व्यय से अधिक होने का उस सीमा तक अधिक आकलन हुआ है।
VIII.	**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**	
22.	**भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम**	**2022-23** **अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची 4)** **मूर्त संपत्ति: ₹22.06 करोड़** आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 9 नवंबर 2017 के अपने आदेश के माध्यम से, विशाखापत्तनम में आईआईपीई के स्थायी परिसर की स्थापना के लिए निदेशक आईआईपीई के पक्ष में नि:शुल्क रूप से, वंगली गांव, विशाखापत्तनम में 201.80 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के लिए निर्देश जारी किए थे। बही खाते के नोट नंबर 18 के अनुसार, राज्य सरकार ने भूमि पर हक के संबंध में विवादों को सुलझा लिया था और वर्ष 2022-23 के दौरान उसे आईआईपीई को सौंप दिया था। आईआईपीई ने अपनी लेखाकरण नीति संख्या 3.2 के अनुसार उपरोक्त घोषित भूमि के मूल्य को निर्धारित किया है, जिसमें कहा गया है कि उपहार/दान की गई परिसंपत्ति का मूल्यांकन घोषित मूल्य पर किया जाता है, जहां उपलब्ध है और, यदि यह उपलब्ध नहीं है, तो मूल्य का अनुमान संपत्ति की भौतिक स्थिति के संदर्भ में वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर समायोजित किया जाता है। तदनुसार, ₹7 लाख प्रति एकड़ के उचित बाजार मूल्य पर विचार करने के बाद, आईआईपीई ने अचल संपत्तियों के अंतर्गत भूमि का मूल्य ₹14.13 करोड़ निर्धारित किया था । हालांकि, 'सरकारी अनुदानों के लिए लेखाकरण' पर लेखाकरण मानक (एएस) -12 के पैरा 7.1 में कहा गया है कि 'सरकारी अनुदान गैर-

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		मौद्रिक परिसंपत्तियों का रूप ले सकते हैं, जैसे कि रियायती दरों पर दी गई भूमि या अन्य संसाधन। इन परिस्थितियों में, ऐसी परिसंपत्तियों को उनकी अधिग्रहण लागत पर लेखांकित करना सामान्य है। नि:शुल्क दी गई गैर-मौद्रिक संपत्ति को नाममात्र मूल्य पर दर्ज किया जाता है। 'चूंकि राज्य सरकार द्वारा आईआईपीई को भूमि नि:शुल्क दी गई थी, इसलिए इसका मूल्यांकन नाममात्र मूल्य पर किया जाना चाहिए था। एएस-12 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप भूमि का अधिक आकलन और समग्र निधि का ₹14.13 करोड़ से अधिक आकलन हुआ था। इसके अलावा, लेखाकरण नीति संख्या 3.2 में भी कमी है और एएस-12 के प्रावधानों के अनुरूप इसे बहाल करने की आवश्यकता है। **सामान्य** आईआईपीई अधिनियम, 2017 की धारा 27(2) और 27(4) के अनुसार, संस्थान के लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाएगी और ऐसे प्रमाणित लेखाओं को उनके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक रूप से केंद्र सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और सरकार इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी। हालांकि, इसकी स्थापना के वर्ष से, अर्थात संस्थान द्वारा 2017-18 से 2021-22 तक के इसके लेखाओं को लेखापरीक्षा के लिए सीएजी को प्रस्तुत नहीं किया गया था। संस्थान ने वर्ष 2021-22 तक अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक फर्म द्वारा करवाई थी जो अनिवार्य नहीं था। इसलिए, वर्ष 2022-23 के लिए लेखाओं के अथ शेष की परिशुद्धता की पुष्टि लेखापरीक्षा नहीं कर सकती थी। इसके अलावा, हालांकि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फर्म द्वारा जारी अपने वार्षिक लेखाओं और उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए संस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था, सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के संबंध में आईआईपीई अधिनियम, 2017 की धारा 27 की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा सम्यक उद्यम नहीं किया गया था।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		2023-24 **अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची-4): ₹94.27 करोड़** **कंप्यूटर सॉफ्टवेयर: ₹0.45 करोड़** संस्थान को लैंडमार्क टेक्नोलॉजी होल्डिंग्स, इंक (हॉलिबर्टन) से 28.99 मिलियन अमेरिकी डॉलर (अर्थात 14 जून 2023 तक रूपांतरण दर ₹82.39 प्रति अमेरिकी डॉलर पर ₹238.00 करोड़) के सॉफ्टवेयर लाइसेंस का दान प्राप्त हुआ था।। सॉफ्टवेयर 14 जून 2023 को संस्थापित किया गया था और लाइसेंस 3 साल के लिए वैध है, अर्थात 13 जून 2026 तक। "महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के पैरा 3.3 के अनुसार, "उपहार / दान की गई संपत्ति का मूल्यांकन घोषित मूल्य पर किया जाता है जहां उपलब्ध है; यदि उपलब्ध नहीं है, तो मूल्य का अनुमान परिसंपत्ति की भौतिक स्थिति के संदर्भ में वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर समायोजित करके लगाया जाता है।" उन्हें पूंजीगत निधि में क्रेडिट द्वारा स्थापित किया जाता है और संस्था की अचल संपत्तियों के साथ विलय कर दिया जाता है। मूल्यह्रास, संबंधित परिसंपत्तियों पर लागू दरों के अनुसार लगाया जाता है। हालांकि, बही खाता में सॉफ्टवेयर को नहीं दर्शाया गया था । इसके परिणामस्वरूप अमूर्त परिसंपत्तियों (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) का ₹142.80 करोड़ का कम आकलन, समग्र निधि का ₹238.00 करोड़ का कम आकलन और ₹95.20 करोड़[198] के मूल्यह्रास का कम आकलन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 'आय का व्यय से अधिक होने' का ₹95.20 करोड़ का अधिक आकलन हुआ था।
23.	**तेल उद्योग विकास बोर्ड**	**2023-24** **वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची.7): ₹129.94 करोड़** उपरोक्त में उपदान के लिए ₹5.28 लाख की राशि का प्रावधान शामिल है। "तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) ने दो न्यासों की स्थापना की है, अर्थात् ""ओआईडीबी कर्मचारी समूह उपदान योजना" और "ओआईडीबी कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना" जिसमें पिछली सेवा के लिए अपने मौजूदा कर्मचारियों के प्रति ओआईडीबी की देयता शामिल

[198] 40% की दर से ₹238.00 करोड़ पर गणना किया गया मूल्यह्रास

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		है।" योजनाओं के लिए वित्त पोषण बीमांकक मूल्यांकन (अनुसूची 25 (9) के अनुसार न्यासों के माध्यम से किया जा रहा है। भारत सरकार (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय), दिनांक 4 अगस्त 2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/2016-पी एंड पीडब्ल्यू (ए)(i) के माध्यम से यह निर्धारित करता है कि "सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान की अधिकतम सीमा ₹20 लाख होगी। जब भी महंगाई भत्ता मूल वेतन के 50 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा तो उपदान की सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी। तदनुसार, सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 50(1)(बी) के अंतर्गत पहला परंतुक इस सीमा तक आशोधित होगा।" इसके अलावा, व्यय विभाग ने दिनांक 12 मार्च 2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1/2024-ई-II (बी) के माध्यम से 1 जनवरी 2024 से मूल वेतन के 46 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक महंगाई भत्ता दरों में वृद्धि के संबंध में निर्देश जारी किए थे। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए/संप्रेषित (अप्रैल 2024) मूल्यांकन के आधार पर ओआईडीबी ने समूह उपदान योजना के लिए ₹5 लाख (दो नीतियां: ₹24847/- + ₹502680) का प्रावधान किया था। हालांकि, 12 अप्रैल 2024 के मांग पत्र (एलआईसी) की समीक्षा से पता चला कि एलआईसी ने अपने विवरण में टीएसजी/पीएसजी को केवल ₹20 लाख माना था । इस प्रकार, समूह उपदान योजना के प्रावधान में उस सीमा तक (₹25 लाख - ₹20 लाख) की कमी है, जिसमें इस सीमा तक देयता का कम आकलन है।
24.	**राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, अमेठी**	**2022-23** **समग्र /पूंजीगत निधि (अनुसूची 1): ₹13,77.28 करोड़** उपरोक्त में अक्षयनिधि के सृजन के लिए आरजीआईपीटी में तेल कंपनियों द्वारा योगदान की गई ₹583.80 करोड़ की निधि शामिल है, जिसकी ब्याज आय का उपयोग संबंधित परियोजनाओं (यानी, एईआई शिवसागर और आरजीआईपीटी जेएएस) के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप 'समग्र /पूंजीगत निधि' (अनुसूची 1) का अधिक आकलन और 'निर्धारित/ अक्षयनिधि (अनुसूची 3) में ₹583.80 करोड़ का कम आकलन हुआ है।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		निवेश-अन्य (अनुसूची 8): ₹8.84 करोड़ उपरोक्त में दिनांक 19-05-2023 को उपदान और छुट्टी नगदीकरण निधि के निवेश के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में आरजीआईपीटी द्वारा भुगतान की गई ₹2.77 करोड़ की राशि शामिल है, अर्थात समान राशि से विविध लेनदारों के सृजन के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 के समापन करने के बाद। इसके परिणामस्वरूप 'निवेश-अन्य' और 'वर्तमान देनदारियां (अनुसूची 5)' दोनों में प्रत्येक रूप से ₹2.77 करोड़ का अधिक आकलन हुआ है। **आय और व्यय लेखा** **अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 15): ₹9.07 करोड़** उपरोक्त में कुछ संविदात्मक दायित्वों के कारण आरजीआईपीटी द्वारा एनसीसीएल को पूर्ण और अंतिम निपटान में भुगतान की गई ₹17.09 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। एएस-10 के अनुसार, किसी परिसंपत्ति की 'संपत्ति संयंत्र और उपस्कर' लागत में, कोई भी लागत सीधे तौर पर शामिल होगी जो परिसंपत्ति को उस स्थान और स्थिति में लाने के लिए प्रयोग होगा जो प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से प्रचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक है। चूंकि ब्याज लागत पक्षों के बीच विवाद से सृजित हुई थी और परिसंपत्ति को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से प्रचालित करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं थी, इसलिए इसे 'अचल संपत्ति' (अनुसूची 6) के अंतर्गत पूंजीकरण के बजाय 'आय और व्यय लेखा' के अंतर्गत 'अन्य प्रशासनिक व्यय' के रूप में प्रभार्य किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹17.09 करोड़ के 'अन्य प्रशासनिक व्यय' का कम आकलन हुआ है। इसके अलावा, चूंकि आरजीआईपीटी ने 'आस्थगित राजस्व आय (मूल्यह्रास)' के अंतर्गत ₹17.09 करोड़ के गलत पूंजीकरण पर ₹2.87 करोड़ का मूल्यह्रास प्रभार्य किया है, इसलिए 'अचल संपत्ति' और 'आस्थगित राजस्व आय (मूल्यह्रास)' दोनों को क्रमशः ₹14.22 करोड़ (अर्थात, ₹17.09 करोड़ माइनस ₹2.87 करोड़) और ₹2.87 करोड़ से अधिक आंकलित है।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		2023-24 **तुलन पत्र** **वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम (अनुसूची 9)** **पूंजीगत लेखा पर प्राप्त होने वाले, अग्रिम और अन्य राशि जो नकद या वस्तु या मूल्य के रूप में में वसूली योग्य है, मूल्य: ₹105.75 करोड़** उपरोक्त में आरजीआईपीटी द्वारा नियुक्त निष्पादन अभिकरणों अर्थात सीपीडब्ल्यूडी, अमेठी (₹31.79 करोड़), सीपीडब्ल्यूडी, असम (₹32.53 करोड़) और निर्मिति केंद्र, बैंगलूरु (₹40.02 करोड़) को डिपॉज़िट कार्यों के लिए अग्रिम के रूप में भुगतान की गई ₹104.34 करोड़ की राशि शामिल है, और 31 मार्च 2024 को इन अभिकरणों द्वारा इस राशि के ₹85.74 करोड़ का उपयोग प्रगति पर पूंजीगत कार्य के लिए किया गया था। आरजीआईपीटी ने सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत किए गए काम को लेखांकित नहीं किया था। इसकी पुष्टि आरजीआईपीटी ने की है। इसके परिणामस्वरूप 'चालू परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम' (अनुसूची 9) शीर्ष के अंतर्गत पूंजीगत लेखा पर प्राप्त होने वाले, अग्रिम और अन्य राशि जो नकद या वस्तु या मूल्य के रूप में वसूली योग्य हैं, पर ₹85.74 करोड़ से अधिक आकलन और उसी राशि का 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर' से कम आकलन हुआ है। **बैंक शेष** **अनुसूचित बैंकों के साथ** **जमा खातों पर: ₹861.70 करोड़** उपरोक्त में आरजीआईपीटी-जेएआईएस (₹333.60 करोड़) और आरईआई शिवसागर (₹250.20 करोड़) से संबंधित निर्धारित/अक्षयनिधि के ₹583.80 करोड़ शामिल हैं। इसे गैर-लाभकारी केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखाओं के एक समान प्रारूप के अनुपालन में निर्धारित/अक्षयनिधि (अनुसूची 7) से निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इस प्रावधान का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप बैंक शेष राशि का - अनुसूचित बैंकों के साथ - जमा खाते (अनुसूची 9) में ₹583.80 करोड़ से अधिक आकलन और समान राशि से निर्धारित/अक्षयनिधि (अनुसूची 7) से निवेश का कम आकलन हुआ है।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची 6) **मूल्यह्रास : ₹143.58 करोड़** महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति संख्या 4.1 के अनुसार, "अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी अवधि के आधार पर प्राप्त दर पर यथानुपात आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है। पूरी तरह से मूल्यह्रास और उपयोग की स्थिति वाली परिसंपत्तियों के संबंध में, ₹1.00 का अवशिष्ट मूल्य खाता बही में तब तक रखा जाता है जब तक कि इसे खारिज नहीं कर दिया जाता है। अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रभार्य करते समय, आरजीआईपीटी ने व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के बजाय सकल ब्लॉक पर मूल्यह्रास प्रभार्य किया था और उन परिसंपत्तियों के संबंध में ₹1.00 के अवशिष्ट मूल्य पर विचार नहीं किया था जिन वस्तुओं ने अपनी उपयोगी जीवन अवधि पूरी कर ली थी और खाता बही में दर्शाये जा रहे थे। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2024 तक ₹14.08 करोड़ तक लगाए गए संचित मूल्यह्रास और समान राशि से आस्थगित राजस्व आय का अधिक आकलन हुआ है। आरजीआईपीटी द्वारा इसकी पुष्टि की गई है **पूंजीगत कार्य प्रगति पर है: ₹91.01 करोड़** उपरोक्त में ₹9.18 करोड़ (जेएआईएस में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान के ट्रैक और क्षेत्र के निर्माण से संबन्धित ₹0.41 करोड़ और ऊर्जा संस्थान बैंगलूरु केंद्र के लिए प्री-कास्ट आरसीसी कंपाउंड वॉल के निर्माण से संबंधित ₹9.59 करोड़) की राशि शामिल है, जिसे क्रमशः नवंबर 2022 और अप्रैल 2023 तक पूरा किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹9.59 करोड़ की राशि से 'अचल संपत्ति' का कम आकलन और 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर' का अधिक आकलन हुआ था। इसके परिणामस्वरूप ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रभार्य नहीं हुआ था।
IX. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय		
25.	**कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता**	**2023-24** बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की मूल पेंशन में परिशोधन से, सीडीएलबी दिनांक

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		01.01.2017 से प्रति माह ₹ 49.38 लाख की दर से अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। हालांकि वित्तीय संकट के कारण इसका भुगतान नहीं किया गया था। इसलिए, सीडीएलबी को अवैतनिक अतिरिक्त पेंशन के लिए ₹42.96 करोड़ {87 महीनों के लिए प्रति माह ₹49.38 लाख की राशि की दर से (अर्थात जनवरी 2017 से मार्च 2024 तक)} की वर्तमान देयता को चिन्हित करना आवश्यक था। अतिरिक्त पेंशन देयता के लेखांकित नहीं होने के परिणामस्वरूप 'वर्तमान देनदारियों' और 'शेष राशि आय से व्यय की अधिकता' दोनों पर ₹42.96 करोड़ का पर कम आकलन हुआ है।
26.	**चेन्नई पत्तन प्राधिकरण**	**2022-23** **(i) दीर्घकालिक निवेश - ₹2660.34 करोड़** सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ₹30.00 करोड़ (प्रत्येक ₹10 की दर से तीन करोड़ शेयर) की राशि का निवेश किया गया था। चूंकि कंपनी को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा बंद करने का निर्देश दिया गया था और कंपनी की निवल संपत्ति मुख्य रूप से ड्रेजिंग व्यय के रूप में है जो कम हो गया है। सीएचपीए द्वारा किए गए निवेश की वसूली नहीं की जा सकती है। मूल्य में हानि या क्षरण से बचने के लिए कंपनी में निवेश उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार, हानि पर विचार किए बिना लागत पर निवेश का लेखाकरण गलत है। इसके परिणामस्वरूप ₹30 करोड़ की सीमा तक निवेश और लाभ का अधिक आकलन हुआ था। **(ii) वर्तमान देयताएं और प्रावधान - अनुसूची XII - ₹1,223.40 करोड़** चेन्नई पत्तन प्राधिकरण के पास अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके परिवारों को पेंशन भुगतान को पूरा करने के लिए एक अलग पेंशन निधि है। पेंशन निधि में योगदान सीएचपीए द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है। प्रत्येक वर्ष बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पेंशन भुगतान के लिए देयता को अभिनिश्चित किया जाता है। पेंशन निधि में किसी भी कमी को निधि में योगदान द्वारा पूरा किया जाना है।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से दिनांक 31 मार्च 2023 तक ₹6,091.59 करोड़ की सीमा तक पेंशन भुगतान के दायित्व को अभिनिश्चित किया गया था। हालांकि, पेंशन निधि में उपलब्ध कॉर्पस केवल ₹3,680.76 करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2023 तक ₹2,410.83 करोड़ का घाटा हुआ था। सीएचपीए ने 31 मार्च 2023 तक न तो लेखाओं में पूरी देयता को लेखांकित किया है और न ही समग्र निधि में घाटे का वित्तपोषण किया है। देयता का अल्प प्रावधान 31 मार्च 2023 तक सीएचपीए के निवल मूल्य (₹2,317.15 करोड़) से अधिक और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीएचपीए बंदरगाह के लाभ (₹156.06 करोड़) का 15.45 प्रतिशत है। पेंशन निधि के प्रति इस देयता के लिए प्रावधान नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2023 तक वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों का कम आकलन और वर्ष के लिए लाभ में ₹2,410.83 करोड़ से अधिक आकलन हुआ है। यदि लेखाओं में पेंशन निधि के प्रति देयता का पूरा प्रावधान किया गया होता, तो यह 31 मार्च 2023 तक निवल मूल्य (₹93.68 करोड़) को नकारात्मक कर देता और वर्ष के लिए लाभ को ₹2,254.77 करोड़ की हानि में बादल देता। **2023-24** **वर्तमान देयताएं और प्रावधान - अनुसूची XII - ₹1,140.43 करोड़** (i) चेन्नई पत्तन प्राधिकरण (पत्तन/चे.प.प्र.) के पास अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके परिवारों को पेंशन भुगतान को पूरा करने के लिए एक अलग पेंशन निधि है। सीएचपीए द्वारा प्रत्येक वर्ष पेंशन निधि में योगदान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पेंशन भुगतान के लिए दायित्व को अभिनिश्चित किया जाता

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		है और पेंशन निधि में किसी भी कमी को निधि में योगदान द्वारा पूरा किया जाना है। लेखाकरण मानक 15 (कर्मचारी लाभ) के अनुसार जहां सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयता एक न्यास के निर्माण के माध्यम से वित्त पोषित की गई थी, वर्ष के लिए खर्च की गई लागत बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी और नियोक्ता द्वारा देय योगदान जैसा कि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, वह लाभ और हानि लेखा के विवरण पर प्रभार्य होगा। पत्तन की पेंशन निधि के बीमांकिक मूल्यांकन, एलआईसी के पास उपलब्ध समग्र निधि और पिछले तीन वर्षों के दौरान कमी का विवरण इस प्रकार है: **(₹ करोड़ में)** **विवरण** | **2021-22** | **2022-2023** | **2023-2024** बीमांकिक मूल्यांकन | 6,077.76 | 6,091.59 | 5,669.59 पेंशन निधि में कॉर्पस | 3,613.72 | 3,680.76 | 3,759.49 कमी | 2,464.04 | 2,410.83 | 1,910.10 पत्तन, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से अभिनिश्चित किए गए ₹1,910.10 करोड़ की पेंशन निधि में योगदान प्रदान नहीं कर सका था। इसलिए, लेखाओं में देयता का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। पेंशन निधि के प्रति इस देयता के लिए प्रावधान नहीं होने के परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों का कम आकलन हुआ है और लाभ का ₹1,910.10 करोड़ से अधिक मूल्यांकन हुआ है। यह अल्प प्रावधान वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पत्तन की निवल संपत्ति (₹2,460.62 करोड़) और लाभ (₹201.46 करोड़) के क्रमशः 77.63 प्रतिशत और 948 प्रतिशत के बराबर है। यदि देयताओं के लिए पूरा प्रावधान लेखाओं में कर दिया जाए तो इससे निवल संपत्ति घटकर ₹550.52 करोड़ रह जाएगी और वर्ष का लाभ ₹1,708.64 करोड़ की हानि में परिवर्तित हो जाएगा।

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>सीएबी का नाम</th><th>लेखाओं पर टिप्पणियाँ</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(ii) चेन्नई पत्तन प्राधिकरण द्वारा अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों अथवा उनके परिवारों को पेंशन भुगतान के लिए एक अलग उपादान निधि तथा अवकाश नकदीकरण निधि का अनुरक्षण किया जाता है।

पत्तन ने इन दायित्वों को पूरा करने के लिए जीवन बीमा निगम से पॉलिसियां प्राप्त की हैं और इस प्रकार एलआईसी ने इन दायित्वों का बीमांकिक मूल्यांकन किया और पत्तन को 31 मार्च 2024 तक अंशदान में कमी के बारे में निम्नानुसार सूचित किया:

(₹ करोड़ में)

<table><tr><th>विवरण</th><th>उपदान देयता</th><th>अवकाश नकदीकरण देयता</th></tr><tr><td>दायित्व का बीमांकिक मूल्य</td><td>324.87</td><td>134.54</td></tr><tr><td>एलआईसी के पास संचित अंशदान का मूल्य</td><td>264.31</td><td>65.49</td></tr><tr><td>दायित्व में प्रावधान की अल्पता</td><td>60.56</td><td>69.05</td></tr></table>
इसके परिणामस्वरूप, पत्तन की ओर से एलआईसी द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, ₹60.56 करोड़ के उपदान निधि और ₹69.05 करोड़ के अवकाश नकदीकरण निधि के लिए देयता का प्रावधान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान देयताओं और प्रावधानों को कम करके दिखाया गया और लाभ को ₹129.61 करोड़ बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया गया।</td></tr>
<tr><td>27.</td><td>कोचीन पत्तन प्राधिकरण</td><td>2022-23

वर्तमान देयताएं और प्रावधान - ₹ 585.98 करोड़ (अनुसूची VIII)

पत्तन ने पेंशन निधि, उपदान निधि और कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में अवकाश नकदीकरण में योगदान के लिए क्रमशः ₹2,171.51 करोड़, ₹101.95 करोड़ और ₹61.05 करोड़ की देयता प्रदान नहीं की, जैसा कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से</td></tr>
</table>

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		निर्धारित की गई थीं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पत्तन के लाभ (₹5.83 करोड़) की तुलना में ₹2,334.51 करोड़ का उपरोक्त अल्प प्रावधान बहुत अधिक है। यदि लेखाओं में पूर्ण प्रावधान किया जाए तो पत्तन का निवल मूल्य (-) ₹335.73 करोड़ से घटकर (-) ₹2,670.24 करोड़ हो जाएगा और वर्ष का लाभ ₹2,328.68 करोड़ की हानि में परिवर्तित हो जाएगा। कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति देयता हेतु प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप प्रावधानों को कम दर्शाया गया तथा लाभ को ₹2,334.51 करोड़ बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया गया। 2023-24 **वर्तमान देयताएं और प्रावधान: ₹598.07 करोड़ (अनुसूची VIII) नोट संख्या 13 और 14** कर्मचारियों को पेंशन और उपदान भुगतान हेतु निधियों के प्रबंधन हेतु न्यास का गठन किया गया था। एलआईसी द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, 31.03.2024 तक पेंशन, उपदान और अवकाश नकदीकरण के लिए देयता क्रमशः ₹2,859.10 करोड़, ₹129.75 करोड़ और ₹38.09 करोड़ थी। हालाँकि, 31.03.2024 तक पेंशन, उपदान और अवकाश नकदीकरण देयता के लिए एलआईसी के पास उपलब्ध धनराशि क्रमशः ₹1,083.26 करोड़, ₹73.33 करोड़ और 'शून्य' थी। 31.03.2024 तक पेंशन, उपदान और अवकाश नकदीकरण के लिए निधियों में कमी के संबंध में क्रमशः ₹1,775.84 करोड़, ₹56.42 करोड़ और ₹38.09 करोड़ की देयता सृजित नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप व्यय और चालू देयता ₹1,870.35 करोड़ कम दर्शाई गई। परिणामस्वरूप, वर्ष का लाभ भी उसी सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया गया।
28.	**दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण**	**2022-23** **1. अचल पूंजीगत परिसंपत्तियां (अनुसूची 3)** **नेट ब्लॉक: ₹ 2,424.12 करोड़** उपरोक्त राशि में नेट ब्लॉक की 28 परिसंपत्तियों की लागत ₹11.21 करोड़ सम्मिलित है, जिन्हे वर्ष 2021-22 की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>सीएबी का नाम</th><th>लेखाओं पर टिप्पणियाँ</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
के अनुसार विघटित दिया गया। इन परिसंपत्तियों का सारांश इस प्रकार है:
(₹ करोड़ में)
<table>
<tr><th></th><th>परिसंपत्तियों की लागत</th><th>2022-23 तक प्रभारित मूल्यह्रास</th><th>परिसंपत्तियों का निवल मूल्य</th></tr>
<tr><td>3 परिसंपत्तियां</td><td>0.25</td><td>कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया गया</td><td>0.25</td></tr>
<tr><td>25 परिसंपत्तियां</td><td>31.92</td><td>20.96 (2022-23 के लिए मूल्यह्रास के रूप में ₹1.07 करोड़ सहित)</td><td>10.96</td></tr>
<tr><td>योग :28 परिसंपत्तियां</td><td>32.17</td><td>20.96</td><td>11.21</td></tr>
</table>
विघटित परिसंपत्तियों को अचल परिसंपत्तियों के नेट ब्लॉक में सम्मिलित करने से नेट ब्लॉक (अचल परिसंपत्तियां) को ₹11.21 करोड़ से अधिक दर्शाया गया, मूल्यह्रास को ₹1.07 करोड़ से अधिक दर्शाया गया तथा परिणामस्वरूप वर्ष 2022-23 में लाभ को ₹1.07 करोड़ से कम दर्शाया गया।
उपरोक्त अभ्युक्ति को लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2021-22 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से भी इंगित किया गया था, तथापि कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
2. लाभ और हानि खाते
परिचालित आय
कार्गो हैंडलिंग और भंडारण प्रभार: ₹835.44 करोड़ (अनुसूची-I)
बीओटी से रॉयल्टी आय ₹184.03 करोड़

उपरोक्त में वर्ष 2022-23 के लिए बीओटी परिचालकों (प्रचालक) से प्राप्त ₹184.03 करोड़ की रॉयल्टी आय सम्मिलित है (नयारा एनर्जी लिमिटेड: ₹88.94 करोड़, टूना पत्तन- मेसर्स अदानी कांडला बल्क टर्मिनल: ₹64.71 करोड़, कंटेनर टर्मिनल कांडला- मेसर्स
</td></tr>
</table>

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		केआईसीटीएल: ₹27.53 करोड़ और बर्ज जेट्टी- मेसर्स इफ्को किसान: ₹2.84 करोड़)। रियायत करार के खंड 9.4 के अनुसार, राजस्व भागीदारी की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए, डीपीए ने रियायतग्राहियों द्वारा बताए गए सकल राजस्व के सत्यापन हेतु वर्ष 2022-23 के लिए उक्त बीओटी आय की विशेष लेखापरीक्षा का कार्य मेसर्स अशोक छाजेड एंड एसोसिएट को सौंपा है। हालाँकि, अंतिम विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है। वर्ष 2022-23 के लिए विशेष लेखापरीक्षा के समापन के अभाव में, लेखापरीक्षा वित्तीय वर्ष के दौरान साझा की गई रॉयल्टी की सत्यता की पुष्टि करने में सक्षम नहीं है। इसके अतिरिक्त, बीओटी प्रचालकों के साथ रियायत करार के अनुसार अतिरिक्त लेखापरीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान, विशेष लेखापरीक्षा की स्थिति और बीओटी अनुबंधों से प्राप्त अंतर आय की मान्यता को राजस्व मान्यता नीति के अंतर्गत प्रकटीकरण किया जाना चाहिए था। यह अभ्युक्ति वर्ष 2016-17 से लेखापरीक्षा द्वारा उठाई जा रही है। **3. सामान्य:** **आंकड़े /सूचना का प्रस्तुत न किया जाना** **(₹ करोड़ में)**

	शीर्ष	**31.03.2023 तक शेष राशि**
1	विविध देनदार	**575.23**
2	आपूर्तिकर्ताओं, संविदाकारों और अन्य को अग्रिम	**268.19**
3	व्यापारियों, संविदाकारों और अन्य लोगों से जमा	**658.03**

प्रबंधन द्वारा उपरोक्त शीर्षों के अथ शेष का अवधि-वार, पक्ष-वार विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अभाव में, लेखापरीक्षा, तुलन-पत्र के संबंधित शीर्षों में उपरोक्त शेष की पुष्टि करने में सक्षम नहीं है।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		2023-24 **1. निवेश: ₹4,799.43 करोड़ (अनुसूची-IV)** अनुसूची 4 - निवेश में, पत्तन ने संपूर्ण निवेश को सामान्य आरक्षित निधि के अंतर्गत प्रदर्शित किया है। इसमें प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए आरक्षित निधि, ऋणों और आकस्मिकताओं के विकास और पुनर्भुगतान के लिए आरक्षित निधि, अवसंरचना आरक्षित निधि जैसे विशिष्ट आरक्षित निधियों के विरुद्ध संबंधित निवेशों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जबकि यह प्रकटीकरण वर्ष 2022-23 तक किया जा रहा था। ₹238.45 करोड़ के सांविधिक आरक्षित निधि में प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए तीन प्रतिशत आरक्षित राशि ₹118.39 करोड़ तथा विकास, ऋणों के पुनर्भुगतान और आकस्मिकताओं के लिए तीन प्रतिशत आरक्षित राशि ₹120.06 करोड़ सम्मिलित है। इन आरक्षित निधियों में क्रमशः ₹1.40 करोड़ और ₹1.52 करोड़ सम्मिलित हैं, जो वर्ष 2023-24 के दौरान पत्तन द्वारा अपने निवेश पर अर्जित योग ब्याज में से आवंटित ब्याज है। अनुसूची संख्या 5 - चालू परिसंपत्तियों में सांविधिक आरक्षित राशि के प्रति ₹38.15 करोड़ के अल्पकालिक निवेश का प्रकटीकरण किया गया है। हालांकि, अनुसूची संख्या 4 - निवेश में सांविधिक आरक्षित राशि के प्रति शेष ₹200.30 करोड़ (₹238.45 करोड़ - ₹38.15 करोड़) के निवेश का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जिसे सामान्य आरक्षित निवेश से अलग करके सांविधिक आरक्षित राशि में सम्मिलित किया गया है। **2. कार्गो हैंडलिंग और भंडारण प्रभार** **बीओटी से रॉयल्टी आय: ₹220.41 करोड़** उपरोक्त में तीन बीओटी प्रचालकों से प्राप्त रॉयल्टी आय ₹113.82 सम्मिलित है। रियायतकर्ताओं के साथ किए गए रियायत करार के खंड 9.4 के अनुसार, रियायतकर्ता प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली छमाही अवधियों के लिए सकल राजस्व

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		का वित्तीय विवरण, अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित करके, पत्तन को प्रस्तुत करेगा। पत्तन को अपने लागत पर सकल राजस्व की विशेष लेखापरीक्षा कराने के लिए एक अतिरिक्त लेखापरीक्षक नियुक्त करने का विकल्प होगा। हालांकि, वर्ष 2023-24 के लिए इन तीनों रियायतकर्ताओं के संबंध में विशेष लेखापरीक्षा नहीं कराई गई है। इसके अभाव में, लेखाबही में दर्शाई गई बीओटी प्रचालकों से संबंधित ₹113.82 करोड़ की रॉयल्टी आय की सत्यता का लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन नहीं किया जा सका। वर्ष 2016-17 से लेखापरीक्षा द्वारा यह अभ्युक्ति उठाई जा रही है
29.	**जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण**	**2022-23** **बीओटी अनुबंधों से आय ₹ 1,674.36 करोड़ (अनुसूची 12)** **एनएसएफटीपीएल से अग्रिम शुल्क- ₹ 0.57 करोड़** (क) उपरोक्त विवरण में पीपीपी प्रचालक से वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्त होने वाली अग्रिम शुल्क के रूप में ₹1.07 करोड़ की राशि सम्मिलित नहीं है। वर्ष 2022-23 के लिए आनुपातिक अग्रिम शुल्क ₹1.65 करोड़ के प्रति, केवल ₹0.58 करोड़ को ही इस वर्ष की आय के रूप में मान्यता दी गई है। वर्ष 2022-23 के लिए अग्रिम शुल्क की कम मान्यता के कारण इस वर्ष की आय और लाभ में ₹1.07 करोड़ की कमी दर्शाई गई है। (ख) उपरोक्त में पांच बीओटी प्रचालकों से प्राप्त राजस्व हिस्सेदारी के रूप में ₹1,366.87 करोड़ सम्मिलित हैं। रियायतग्राही के साथ लाइसेंस करार के अनुसार, रियायतग्राही को बीओटी प्रचालक द्वारा अर्जित सकल राजस्व के आधार पर रियायत प्राधिकरण (जेएनपीए) को रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। रियायतग्राही को अपने सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित सकल राजस्व दर्शाने वाले वित्तीय विवरण पत्तन को प्रस्तुत करने होंगे। एक रियायतग्राही को छोड़कर अन्य पक्षों के साथ हुए रियायत करार के अनुसार, रियायत देने वाले प्राधिकरण के पास सकल राजस्व का विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए सनदीलेखाकार की किसी अन्य फर्म (अतिरिक्त लेखापरीक्षक) को नियुक्त करने का विकल्प है। यदि अतिरिक्त लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल राजस्व बीओटी प्रचालकों द्वारा रिपोर्ट किए गए राजस्व से अधिक है, तो लेखापरीक्षकों को इस अंतर को सुलझाने हेतु परस्पर बैठक करनी होगी। और यदि वे अंतर को सुलझाने में असमर्थ रहते हैं, तो रियायतग्राही को अतिरिक्त

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्ट किए गए सकल राजस्व पर रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। रियायतग्राही को अंतर राशि पर एसबीआई पीएलआर के अतिरिक्त 2 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा। बीएमसीटीपीएल की 2019-20 की विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार, ₹34.30 करोड़ की अंतर राशि की वसूली लंबित है। वर्ष 2022-23 के लिए विशेष लेखापरीक्षा के निष्कर्ष के अभाव में, लेखापरीक्षा विभाग वित्तीय वर्ष के दौरान साझा की गई रॉयल्टी की सत्यता की पुष्टि करने में असमर्थ है। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त लेखापरीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान, बीओटी प्रचालकों के साथ रियायत करार के अनुसार विशेष लेखापरीक्षाओं की स्थिति और बीओटी अनुबंधों से प्राप्त होने वाली अंतरित आय की मान्यता को राजस्व मान्यता नीति के अंतर्गत प्रकट किया जाना चाहिए था। उपरोक्त मुद्दा लेखापरीक्षा विभाग द्वारा 2016-17 से उठाया जा रहा है। **2023-24** **चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची-6)** **निवेश पर अर्जित ब्याज - ₹ 195.03 करोड़** **नकद और बैंक शेष (बैंकों के साथ टीडीआर सहित) - ₹ 5602.41 करोड़** उपरोक्त में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में एक सावधि जमा बनाने के लिए अंतरण की गई ₹67.59 करोड़ की राशि (12 फरवरी 2014) और उस पर 31 मार्च 2023 तक अर्जित ब्याज की राशि ₹89.06 करोड़ सम्मिलित है। बैंक के एक कर्मचारी ने पत्तन को कोई भी सावधि जमा रसीद जारी होने से पहले ही मूल राशि का गबन कर लिया और यह मामला सीबीआई द्वारा जांच के अधीन है। इस मामले में अक्टूबर 2016 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) में एक केस दायर किया गया था, जिसे एनसीडीआरसी ने मार्च 2023 में खारिज कर दिया। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है। 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी जेएनपीए के पास ₹67.59 करोड़ की सावधि जमा रसीद उपलब्ध नहीं है, मामला सीबीआई द्वारा जांच के अधीन है और एनसीडीआरसी ने अपील खारिज कर दी है, ऐसी स्थिति

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		में संदिग्ध निवेश तथा उस पर ब्याज़ के लिए प्रावधान बनाया जाना चाहिए था। निवेश की संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप लाभ में ₹156.65 करोड़ की अधिकता, नकद और बैंक शेष में ₹67.59 करोड़ की अधिकता और निवेश पर अर्जित ब्याज में ₹89.06 करोड़ की अधिकता हुई है।
30.	**मोरमुगाओ पत्तन प्राधिकरण**	**2023-24** **1. निवेश (अनुसूची 3): ₹243.41 करोड़** **चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची 4)** **नकद और बैंक शेष: सामान्य बीमा निधि - ₹21.30 करोड़** उपरोक्त एक सामान्य बीमा निधि को दर्शाता है जिसे प्रमुख परिसंपत्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण आकस्मिक हानियों की भरपाई के लिए बनाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी परिसंपत्तियों को पूर्ण/पर्याप्त क्षति हो सकती है, जिसके लिए परिसंपत्तियों को उनकी मूल स्थिति में पुनर्स्थापना के लिए प्रतिस्थापन और/या भारी मरम्मत व्यय की आवश्यकता होती है (तुलनपत्र और लाभ और हानि खाते के भाग के रूप में नोट्स के नोट संख्या 5 का संदर्भ लें)। चूंकि निवेश एक वर्ष से अधिक समय तक रखा गया था, इसलिए इसे नकद और बैंक शेष के बजाय निवेश के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए था। इस त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण नकद एवं बैंक शेष का ₹21.30 करोड़ का अधिक निर्धारण तथा निवेश का उतनी ही राशि से अल्पनिर्धारण हुआ है। **2. कार्गो हैंडलिंग एवं भंडारण शुल्क (अनुसूची 5): ₹169.43 करोड़** **पत्तन एवं डॉक शुल्क, जिसमें पायलटेज शुल्क सम्मिलित है (अनुसूची 6): ₹234.35 करोड़** उपरोक्त में वर्ष 2023-24 में एक रियायतग्राही से कार्गो हैंडलिंग शुल्क तथा बर्थ किराया प्रभार /पत्तन एवं डॉक प्रभार के रूप में प्राप्त ₹34 करोड़ सम्मिलित हैं। रियायत करार के खंड 9.4 के अनुसार, रियायतग्राही एमपीए को प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली छमाही अवधियों के लिए सकल राजस्व का वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा, जो उसके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित होगा। रियायत प्रदान करने वाले प्राधिकरण के

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>सीएबी का नाम</th><th>लेखाओं पर टिप्पणियाँ</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
पास अपने खर्च पर सकल राजस्व की विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए एक अतिरिक्त लेखापरीक्षक नियुक्त करने का विकल्प होगा।
वर्ष 2023-24 के लिए रियायतग्राही के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षा नहीं की गई है। एमपीए रियायतग्राही द्वारा साझा किए गए राजस्व की सत्यता को सत्यापित करने के लिए लेखापरीक्षा हेतु प्राथमिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रासंगिक अभिलेखों के अभाव में, लेखाबही में दर्ज रियायतग्राही से संबंधित ₹34 करोड़ के रॉयल्टी राजस्व की सत्यता का लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन नहीं किया जा सका।
लेखापरीक्षा द्वारा इस मामले को 2016-17 से ही उठाया जा रहा है।
</td></tr>
<tr><td>31.</td><td>मुंबई पत्तन प्राधिकरण</td><td>
2022-23
1. चालू देयता और प्रावधान - ₹4545.15 करोड़
वित्तीय प्रतिवेदन हेतु सामान्य रूपरेखा के अनुसार, यदि सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयता को एक न्यास के निर्माण के माध्यम से वित्त पोषित किया गया तो वर्ष के लिए किए गए व्यय का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा किया जाएगा। एमबीपीए द्वारा पेंशन निधि, उपदान निधि तथा अवकाश नकदीकरण निधि के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:
₹करोड़ में
<table>
<tr><th>निधि का नाम</th><th>31.03.2023 की बीमांकिक मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार प्रदान की जाने वाली देयता</th><th>31.03.2023 तक निधि में शेष राशि</th><th>कमी</th></tr>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4 (2-3)</th></tr>
<tr><td>पेंशन निधि</td><td>11410.42</td><td>9354.82</td><td>2055.60</td></tr>
<tr><td>उपदान निधि</td><td>481.56</td><td>21.80</td><td>459.76</td></tr>
<tr><td>अवकाश नकदीकरण निधि</td><td>230.28</td><td>0.29</td><td>229.99</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>12122.26</td><td>9376.91</td><td>2745.35</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		उपरोक्त ₹2,745.35 करोड़ का अल्प प्रावधान, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एमबीपीए के घाटे/हानि (₹151.14 करोड़) का 1,816 प्रतिशत है। यदि लेखाओं में पूर्ण प्रावधान किया जाए, तो एमबीपीए की निवल संपत्ति ₹2,220.30 करोड़ से घटकर (-) ₹525.05 करोड़ हो जाएगी तथा वर्ष के लिए घाटा/हानि भी ₹2,745.35 करोड़ बढ़ जाएगी। इस दायित्व के लिए प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप चालू दायित्वों का ₹2,745.35 करोड़ का अल्पनिर्धारण हुआ है तथा इसके अनुरूप घाटा/हानि का भी उतनी ही राशि से अल्पनिर्धारण हुआ है। लेखापरीक्षा विभाग द्वारा 2012-13 से ही उपरोक्त कमियों की ओर इंगित किया जा रहा है, लेकिन प्रबंधन ने पर्याप्त प्रावधान नहीं किए हैं। **2 अग्रिम प्राप्ति:** **बर्थ के पुनर्निर्माण के लिए एमएमआरडीए से प्राप्त अग्रिम राशि - ₹64 करोड़** एमबीपीए ने (मई 2016 में) 30 वर्षों की अवधि के लिए मुंबई मेट्रो क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) के साथ मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (एमटीएचएल) के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य पत्तन के पार द्वीप शहर मुंबई को मुख्य भूमि से जोड़ना है। खंड 5 के अनुसार, एमएमआरडीए पुराने पीरपाऊ जेटी/बर्थ को बंद करने के बदले में दूसरे केमिकल बर्थ की निर्माण लागत के 50 प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में ₹64 करोड़ का भुगतान करके एमबीपीए को क्षतिपूर्ति देगा। एमबीपीए ने पुराने पीरपाऊ जेटी/बर्थ को बंद कर दिया और एससीबी का निर्माण/चालू किया (अप्रैल 2015) तथा ₹64.00 करोड़ की क्षतिपूर्ति (जुलाई 2019) प्राप्त की। हालांकि, एमबीपीए ने एससीबी की चालू करने की लागत के प्रति इस राशि को समायोजित करने के बजाय ₹64 करोड़ को देयताओं के अंतर्गत लेखांकित किया। पूंजीगत लागत की प्रतिपूर्ति को परिसंपत्ति मूल्य के विरुद्ध समायोजित न किए जाने के परिणामस्वरूप देयता (अग्रिम प्राप्ति) और अचल परिसंपत्तियों (दूसरी रासायनिक बर्थ) का ₹64 करोड़ का अधिक निर्धारण हुआ तथा साथ ही संचित मूल्यह्रास एवं घाटा/हानि का ₹19.64 करोड़ का अधिक निर्धारण हुआ।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		3. ऋण एवं अग्रिम **नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम या प्राप्त होने वाला मूल्य: ₹918.22 करोड़** उपरोक्त में अप्रैल 2006 से पहले एमसीजीएम से संपत्ति कर पर दावा की गई छूट के संबंध में ₹14.57 करोड़ सम्मिलित हैं। चूंकि एमसीजीएम द्वारा 15 वर्षों से अधिक समय से इस दावे को स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए इसकी वसूली के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए प्रावधान बनाया जाना चाहिए था। संपत्ति कर पर दावा की गई छूट प्रदान न करने के परिणामस्वरूप प्राप्तियों ₹14.57 करोड़ का अधिक निर्धारण तथा घाटा/हानि की उतनी ही राशि से अल्पनिर्धारण हुआ। **4. चालू देयताएँ - ₹4441.89 करोड़** **विविध लेनदार** **अर्जित व्यय- ₹191.22 करोड़** उपरोक्त में एमसीजीएम को देय संपत्ति कर के रूप में ₹34.26 करोड़ की राशि सम्मिलित नहीं है। एमसीजीएम, संपत्ति कर के स्थान पर ₹4.87 करोड़ प्रति वर्ष की दर से सामान्य शुल्क का दावा करता है (एमबीपीए की संपत्तियों के आधार दर निर्धार्य मूल्य पर आधारित))। हालांकि, एमबीपीए रखरखाव लागत के संबंध में अपने दावे को समायोजित करके ही @₹3.91 करोड़ प्रति वर्ष की दर से संपत्ति कर हेतु देयता प्रदान कर रहा है। एमसीजीएम ने 31 मार्च 2023 तक ₹48.54 करोड़ के संपत्ति कर का दावा किया (फरवरी 2023), जिसमें से एमबीपीए ने (31 मार्च 2023) ₹3.91 करोड़ का भुगतान किया और 31 मार्च 2023 तक ₹10.37 करोड़ की राशि बहीखातों में प्रदान की। इस प्रकार, रखरखाव लागत को समायोजित करके संपत्ति कर की सांविधिक देयता के लिए अल्प प्रावधान किए जाने के परिणामस्वरूप अर्जित व्यय तथा घाटा/हानि का ₹34.26 करोड़ का अल्पनिर्धारण हुआ। यद्यपि उपर्युक्त टिप्पणी 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एसएआर के माध्यम से उठाई गई थी, तथापि पत्तन प्रबंधन द्वारा इसे अब तक सुधारा नहीं गया है।

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>सीएबी का नाम</th><th>लेखाओं पर टिप्पणियाँ</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>

5. लाभ एवं हानि खाता:

परिचालित आय
एस्टेट किराया: ₹314.74 करोड़ - भूमि से प्राप्त किराया: ₹ 269.88 करोड़

उपरोक्त में विभिन्न पक्षों से न्यूनतम गारंटी थ्रूपुट (एमजीटी) के अंतर्गत वसूल की गई ₹17.69 करोड़ की शास्ति सम्मिलित नहीं है। पत्तन ने (2002 से) 25 सितंबर 1996 से 31 मार्च 2015 तक विभिन्न पक्षों (टीपीसीएल, एचपीसीएल, सीटीटीएल, बीपीसीएल और एजिस) पर निर्धारित प्रबंधन जीटी प्राप्त करने में हुई कमी के लिए अतिरिक्त वेलीव प्रभार के रूप में ₹71.58 करोड़ की मांग की थी। उपयोगकर्ताओं ने विभिन्न कारणों से लगाए गए शास्ति पर आपत्ति जताई और बोर्ड के समक्ष अपनी बात रखी तथा शास्ति प्रभार का भुगतान करने से इनकार कर दिया तथा एमजीटी खंड में छूट की मांग की।

पत्तन द्वारा वसूल की गई ₹17.69 करोड़ की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देने के बजाय विविध जमा के अंतर्गत दर्शाया गया।

यद्यपि 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एसएआर के माध्यम से यह मुद्दा उठाया गया है, लेकिन कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है और वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि का समायोजन नहीं किया गया है।

2023-24

विविध देनदार- ₹2132.19 करोड़ (अनुसूची IV)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखाओं में दर्शाए गए देनदारों और संबंधित विभागों द्वारा दर्शाए गए देनदारों के संबंध में निम्नलिखित रूप से अंतर है:

(₹करोड़ में)

<table>
<tr><td>i.</td><td>संपदा विभाग</td><td>1954.04</td><td>2636.69</td><td>682.65</td></tr>
<tr><td>ii.</td><td>सिविल अभियांत्रिकी विभाग</td><td>45.89</td><td>13.99</td><td>(31.90)</td></tr>
<tr><td>iii.</td><td>यातायात विभाग</td><td>198.88</td><td>341.10</td><td>142.22</td></tr>
</table>

</td></tr>
</table>

वित्त विभाग और उपर्युक्त संबंधित विभागों के विविध देनदारों के आंकड़ों के मिलान के अभाव में, लेखापरीक्षा विभाग विविध देनदारों के अंतर्गत दर्ज किए गए आंकड़ों की सत्यता पर कोई मत देने की स्थिति में नहीं है।

2. विविध लेनदार

व्यापारियों, संविदाकारों और अन्य से प्राप्त अग्रिम राशि: ₹1644.21 करोड़

इसमें पट्टेदारों/किरायेदारों से वसूल किए गए ₹1131.90 करोड़ की संपत्ति किराया राशि (सम्पदा विभाग का विविध अग्रिम खाता) सम्मिलित है, जिन्हें अंततः 'देनदार' लेखा-शीर्ष के अंतर्गत समायोजित किया जाना आवश्यक है। यद्यपि 2017 में तीन सनदी लेखाकार फर्मों के एक दल को शेष राशि को चिन्हित करने और मिलान करने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन उनके कार्यकाल तक मिलान पूरा नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त, शेष राशि को चिन्नहित करने और मिलान करने के लिए अक्टूबर 2023 में सनदी लेखाकार फर्मों को फिर से नियुक्त किया गया। हालांकि, मिलान प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। अतः इस लेखा शीर्ष की शुद्धता का निर्धारण लेखापरीक्षा द्वारा नहीं किया जा सका।

उपरोक्त अभ्युक्तियाँ 2015-16 से ही लेखापरीक्षा विभाग द्वारा उठाई जा रही हैं। हालांकि, मिलान प्रक्रिया 2017 में काफी पहले शुरू हो गई थी, लेकिन यह अभी तक पूरी नहीं हुई है।

3. लाभ और हानि खाते के प्रावधान: ₹103.26 करोड़

वित्तीय प्रतिवेदन हेतु सामान्य रूपरेखा के अनुसार, यदि सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयता को एक न्यास के निर्माण के माध्यम से वित्त पोषित किया गया तो वर्ष के लिए किए गए व्यय का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा किया जाएगा। एमबीपीए द्वारा पेंशन निधि, उपदान निधि तथा अवकाश नकदीकरण निधि के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹करोड़ में)

निधि का नाम	**31 मार्च 2024 तक की बीमांकिक मूल्यांकन प्रतिवेदन के**	**31 मार्च 2024 तक निधि में शेष राशि**	**31 मार्च 2024 तक का प्रावधान**	**कमी**

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		(nested content below)

	अनुसार प्रदान की जाने वाली।			
1	**2**	**3**	**4**	**5 (2-3-4)**
पेंशन निधि	11447.74	10320.41	400.00	727.33
उपदान निधि	404.13	56.02	0	348.11
अवकाश नकदीकरण निधि	230.28	0.31	0	229.97
योग	**12082.15**	**10376.74**	**400.00**	**1305.41**

उपरोक्त ₹1305.41 करोड़ का अल्प प्रावधान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एमबीपीए के कर पश्चात लाभ (₹209.46 करोड़) का 623 प्रतिशत है। यदि लेखाओं में पूरा प्रावधान किया जाता है, तो एमबीपीए की निवल संपत्ति ₹2432.96 करोड़ से घटकर ₹1127.55 करोड़ रह जाएगी और उस वर्ष का कर पश्चात लाभ ₹1095.95 करोड़ के घाटे/हानि में परिवर्तित हो जाएगा।

इस देयता के लिए प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप चालू देयताओं का ₹1,305.41 करोड़ का अल्पनिर्धारण तथा इसके अनुरूप लाभ का उतनी ही राशि से अधिक निर्धारण हुआ है।

लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2012-13 से ही उपरोक्त कमियों की ओर इंगित किया जा रहा है, लेकिन प्रबंधन ने पर्याप्त प्रावधान नहीं किया है। 4. नकद और बैंक शेष: ₹404.15 करोड़ (अनुसूची-V)

एमबीपीए द्वारा 23 बैंक खाते संचालित किए जा रहे थे। नीचे उल्लिखित सात बैंक खातों के बैंक मिलान विवरण पत्तन द्वारा तैयार नहीं किए गए थे।

(₹करोड़ में)

क्रम संख्या	बैंक	बही शेष	बैंक शेष के पुष्टिकरण प्रमाण-पत्र के अनुसार	अंतर
1	**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**	300.94	₹18,450 मात्र	(300.94)

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ

	(317901011011787)			
2	**एसबीआई भविष्य निधि खाता** (10996687335)	145.78	₹5,000 मात्र	(145.78)
3	एसबीआई ट्रैफिक नीलामी बिक्री (10996683283)	6.06	9.07	3.01
4	आईडीबीआई – जीईएम पूल (726102000012254)	0.35	1.69	1.34
5	एसबीआई – सीएमई I (10005255202)	0.09	0.76	0.67
6	एसबीआई एमएम ईंधन (10005255553)	9.64	2.05	(7.59)
7	एसबीआई सीएमई II (10005255053)	0.11	**शेष का पुष्टिकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया**	

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित का अवलोकन किया गया:

क. निम्नलिखित दो बैंक खातों में बैंक द्वारा सूचित किए गए बैंक शेष और लेखाबही में दर्ज शेष के बीच भारी विसंगतियां पाई गईं:

(i) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया: लेखाबही शेष में ₹300.94 करोड़ की राशि दर्शाई गई, जबकि बैंक पुष्टिकरण प्रमाणपत्र में केवल ₹18,450 की शेष राशि दर्शाई गई।

(ii) एसबीआई भविष्य निधि खाता: लेखाबही में ₹145.78 करोड़ की राशि दर्शाई गई, जबकि बैंक पुष्टिकरण प्रमाणपत्र में केवल ₹5,000 की शेष राशि दर्शाई गई।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		ख) उपरोक्त के अतिरिक्त, चार बैंक खातों में लेखापरीक्षा के लिए बीआरएस प्रस्तुत नहीं किए गए और बैंक शेष और बही शेष के बीच ₹(-)7.59 करोड़ से ₹3.01 करोड़ का अंतर था। ग) एक बैंक खाते (क्रम संख्या 7) के संबंध में न तो बीआरएस और न ही बैंक पुष्टिकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बैंक मिलान विवरणों को बनाए रखने या नियमित रूप से उनका मिलान करने में विफलता, विशेष रूप से जब बैंक शेष और लेखापरीक्षित संस्था के लेखाओं के बीच महत्वपूर्ण विसंगतियां हों, से धोखाधड़ी का जोखिम बढ़ सकता है, वित्तीय स्थिति का गलत विवरण हो सकता है, वित्तीय रिपोर्टिंग में त्रुटि हो सकती है, लेखापरीक्षा का जोखिम बढ़ सकता है और संस्था की साख पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार, बैंक मिलान विवरणों के अभाव में, लेखापरीक्षा नकद और बैंक शेष शीर्ष के अंतर्गत दर्शाई गई राशिकी सत्यता को सत्यापित करने की स्थिति में नहीं था। नौ बैंक खातों के संबंध में बीआरएस प्रस्तुत न किए जाने का मुद्दा भी वर्ष 2022-23 में उठाया गया था। हालांकि, प्रबंधन द्वारा इस संबंध में कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
32.	**मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास**	**2023-24** **पेंशन निधि खाता एवं देयता** **पेंशन निधि - ₹10320.41 करोड़ (अनुसूची I) लेखा संबंधी टिप्पणियों सहित (क्रम संख्या IV (सी) पर बीमांकिक मूल्यांकन)** मुंबई पत्तन न्यास पेंशन निधि न्यास का गठन 14 जनवरी 2004 को एक न्यास विलेख के माध्यम से कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों की पेंशन देयताओं की पूर्ति हेतु किया गया था। पेंशन निधि के प्रबंधन के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (एलआईसी) को निधि प्रबन्धक के रूप में नियुक्त किया गया है। एलआईसी प्रतिवर्ष बीमांकिक मूल्यांकन करता है, जिसके आधार पर न्यास द्वारा एलआईसी में धन का निवेश किया जाता है। 31 मार्च 2024 को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार योग पेंशन देयता ₹11447.74 करोड़ थी (मौजूदा पेंशनभोगियों के लिए ₹9122.24 करोड़ और भावी पेंशनभोगियों के लिए ₹2325.50 करोड़)।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		31 मार्च 2024 को पेंशन निधि शेष ₹10320.41 करोड़ था। इस प्रकार, बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, निधि शेष में ₹1127.33 करोड़ की कमी है। निधि शेष में कमी के परिणामस्वरूप देयताओं (पेंशन निधि खाता) तथा परिसंपत्तियों (चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम – "मुंबई पत्तन न्यास से प्राप्य") का ₹1,127.33 करोड़ का अल्पनिर्धारण हुआ है। वर्ष 2012-13 से लेखापरीक्षा पेंशन देयता के लिए प्रावधान में कमी की ओर निरंतर इंगित करती आ रही है।
33.	**न्यू मैंगलोर पत्तन प्राधिकरण**	**2022-23** **डॉक, एस / दीवार, तटबंध, एन. उपकरण, जेटी (अनुसूची - 2)** **2022-23 के दौरान किए गए परिवर्धन: ₹11,87,53,006** उपरोक्त परिवर्धन में ₹6,41,31,620 की राशि सम्मिलित है, जो विविध दावों और ब्याज की राशि है, जो उन व्ययों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व व्यय का अल्पनिर्धारण ₹6,41,31,620 तथा मूल्यह्रास का अधिक निर्धारण ₹44,02,245 हुआ। परिणामस्वरूप, वर्ष के अंत में निवल अचल परिसंपत्तियाँ तथा वर्ष का लाभ ₹5,97,29,375 से अधिक दर्शाए गए। **आरक्षित निधि एवं अधिशेष - राजस्व आरक्षित निधि** उपरोक्त में ₹22,60,45,337 की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि सम्मिलित है। पत्तन निरंतर चल रही सीएसआर परियोजनाओं के लिए अप्रयुक्त राशि को अगले वर्ष चल रही सीएसआर गतिविधियों पर व्यय करने के लिए बाध्य है। इसलिए तुलनपत्र की तिथि पर मौजूद देयता और पत्तन को ₹22.61 करोड़ की अप्रयुक्त सीएसआर निधि को आरक्षित निधि एवं अधिशेषनिधि के स्थान पर चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप आरक्षित निधि एवं अधिशेषनिधि का अधिक निर्धारण तथा चालू देयताओं का ₹22.61 करोड़ का अल्पनिर्धारण हुआ।
34.	**पारादीप पत्तन प्राधिकरण**	**2022-23** **1.** चालू देयताओं और प्रावधानों में ₹4.02 करोड़ की राशि सम्मिलित नहीं है, पूर्वी तट रेलवे द्वारा जुलाई 2020 से दिसंबर 2022 की अवधि हेतु ओवरहेड उपकरणों के रखरखाव तथा निरीक्षण प्रभार के

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		संबंध में उठाई गई मांग है(21 मार्च 2023)।उपरोक्त देयता के लिए प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप अन्य देयताएँ (अर्जित व्यय) का अल्पनिर्धारण तथा कर-पूर्व निवल अधिशेष का ₹4.02 करोड़ का अधिक निर्धारण हुआ। **2.** पीपीए (जुलाई 2011) के अंतर्गत 'पारादीप पत्तन पर डीप ड्राफ्ट बर्थ के लिए रेलवे कार्य' मेसर्स केवीआर रेल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को ₹98.68 करोड़ में दिया गया था, जिसे जनवरी 2023 तक पूर्ण किया जाना था। संविदाकार के असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण, अनुबंध को रद्द कर दिया गया (सितंबर 2013) और शेष कार्य (दिसंबर 2014) मोदी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (एमपीएल) को ₹78.66 करोड़ में प्रदान किया गया, जिसे मार्च 2017 तक पूरा किया जाना था। इस बार भी, पीपीए ने संविदाकार के खराब प्रदर्शन के कारण अनुबंध समाप्त कर दिया (अप्रैल 2017) और शेष कार्य ₹79.77 करोड़ की लागत पर पुनः प्रदान किया (अगस्त 2019)। अंततः अक्टूबर 2021 तक ₹189.80 करोड़ की लागत से काम पूरा हुआ, जिसे सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत दर्ज किया था। उपरोक्त कार्य के पूर्ण होने के बाद भी उसका पूंजीकरण न करने के परिणामस्वरूप, सीडब्ल्यूआईपी का ₹189.80 करोड़ अधिक निर्धारण, अचल संपत्तियों का ₹186.63 करोड़ अल्पनिर्धारण तथ मूल्यह्रास का ₹3.17 करोड़ (एक वर्ष के लिए 1.67 प्रतिशत) अल्पनिर्धारण हुआ, जिसके कारण कर- पूर्व निवल अधिशेष राशि का ₹3.17 करोड़ अधिक निर्धारण हुआ। **3.** वैगन टिपलर में ड्राई फॉग डस्ट सप्रेशन सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने का कार्य अगस्त 2021 में शुरू हुआ और मार्च 2022 में ₹1.84 करोड़ की योग लागत पर पूरा हुआ। हालांकि, पीपीए ने इस पूंजीगत व्यय की पूरी लागत को 2021-22 (₹1.69 करोड़) और 2022-23 (₹0.15 करोड़) के दौरान लाभ और हानि खाते में राजस्व व्यय के रूप में दर्शाया। उपरोक्त गलत लेखांकन के कारण अचल परिसंपत्तियों (नेट ब्लॉक) का ₹1.66 करोड़ अल्पनिर्धारण, 2021-23 की अवधि के लिए 5 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		₹0.18 करोड़ तथा कर-पूर्व निवल अधिशेष का ₹1.66 करोड़ का अल्पनिर्धारण हुआ। **4.** एस्टेट रेंटल में ₹11.72 करोड़ सम्मिलित हैं, जो मेसर्स ओडिशा स्टीवडोर्स लिमिटेड (ओएसएल) से पीपीए द्वारा 60 वर्ष के पट्टे के आधार पर 58 एकड़ भूमि के आवंटन (जनवरी 2021) के बदले प्राप्त पट्टा किराया है, जिसका उद्देश्य पत्तन -आधारित पूंजी-गहन उद्योग की स्थापना करना है। तथ्य यह है कि प्रस्तावित भूमि पीपीए के नाम पर नहीं थी, इसलिए उसे पट्टेदार को सौंपा नहीं जा सका। अतः प्राप्त अग्रिम पट्टा किराया का प्रकार से लेखांकन करना उचित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त शीर्ष का अधिकनिर्धारण हुआ है, जिससे कर-पूर्व निवल अधिशेष का अधिकनिर्धारण तथा जिससे चालू देयताओं का अल्पनिर्धारण ₹11.72 करोड़ हुआ। **2023-24** 1. पीपीए के अंतर्गत सेथु समुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएससीएल) के इक्विटी शेयरों में ₹30 करोड़ का निवेश किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (14 सितंबर 2007) के बाद 2007-08 में मुख्य कार्य निलंबित होने के कारण परियोजना में कोई प्रगति नहीं हो सकी। इसी बीच, एसएससीएल ने परिसमापन के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भी भेज दिया है। परियोजना की अव्यवहार्यता को देखते हुए, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने एसएससीएल में अपने-अपने निवेश के प्रति पूर्ण प्रावधान कर दिए हैं, लेकिन पीपीए ने ऐसा नहीं किया। अतः, पीपीए द्वारा उपरोक्त निवेश के लिए प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप, एसएससीएल में निवेश का अधिकनिर्धारण, प्रावधानों (अनुसूची-6) का अल्पनिर्धारण और कर पूर्व निवल अधिशेष का ₹30 करोड़ का अधिकनिर्धारणहुआ। सीएजी द्वारा एसएआर 2021-22 और 2022-23 में उठाई गई इस टिप्पणी के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		2. प्रमुख पत्तन न्यास के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के सामान्य ढांचे (नवंबर 2002) में कहा गया है कि अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अन्य प्रमुख पत्तन भी खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करते हैं। छः महीने से अधिक समय तक विविध देनदारों (गैर-सरकारी बकाया) की जांच से पता चला कि कुछ ऐसे पक्ष हैं जिनके खिलाफ पीपीए ने बहुत पहले (2011 से 2019 के बीच) कानूनी कार्यवाही शुरू की थी और कुछ कंपनियां परिसमापन की अवस्था में हैं। हालांकि, पीपीए में वर्ष 2023-24 के लिए संदिग्ध ऋणों की किसी भी राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। इन ऋणों के लिए खातों में उचित प्रावधान किया जाना चाहिए था क्योंकि वसूली की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ₹27.38 करोड़ मूल्य के 19 मामलों में बीता समय 5 से 13 वर्ष के बीच है। उपरोक्त के आलोक में यह देखा गया कि कर-पूर्व निवल अधिशेष का ₹27.38 करोड़ का अधिकनिर्धारण हुआ है तथा समान राशि से विविध देनदारों का भी अधिकनिर्धारण हुआ है।
35.	**नाविक भविष्य निधि संगठन , मुंबई**	**2022-23** **1. विशेष रूप से निर्धारित/अक्षयनिधियों से निवेश ₹ 2856.78 करोड़ (अनुसूची 9)** उपरोक्त में ₹1402.73 करोड़ तक के निवेश सम्मिलित हैं, अर्थात् केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां: ₹201.63 करोड़ और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां ₹1201.10 करोड़, जो केवल पत्तनफोलियो मैनेजर द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर दर्ज की गई थीं। इस संबंध में आरबीआई से पुष्टि अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा ₹1402.73 करोड़ तक के निवेशों की सत्यता का सत्यापन करने में असमर्थ है। उपरोक्त असत्यापित राशि ₹1402.73 करोड़ योग निवेश ₹2870.37 करोड़ (अनुसूची-9) का 48.87 प्रतिशत है। **6. सामान्य** नाविक भविष्य निधि अधिनियम 1966 की धारा 18 के अनुसार, यदि कोई नियोक्ता निधि में किसी अंशदान के भुगतान में या इस अधिनियम के किसी प्रावधान या योजना के अंतर्गत देय किसी शुल्क के भुगतान में चूक करता है, तो सरकार कर्मचारियों से ऐसी क्षतिपूर्ति की वसूली कर सकती है। बोर्ड ने 15 प्रतिशत की दर से

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		क्षतिपूर्ति लगाने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2001 से प्रभावी)। बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया (फरवरी 2014) कि शिपिंग कंपनियों/नियोक्ताओं से वसूल की गई क्षतिपूर्ति की राशि, विलंबित भुगतान पर देय ब्याज की सीमा तक संबंधित नाविक के खाते में जमा की जाएगी। वसूल की गई क्षतिपूर्ति की शेष राशि का प्रशासनिक प्रभारों सहित प्रशासनिक खाते में अंतरण किया जाएगा तथा इसे 01.04.2013 से लागू किया जाएगा। नाविक भविष्य निधि संगठन (एसपीएफओ) ने 2013-14 से 2022-23 की अवधि के लिए नियोक्ता से पीएफ और प्रशासनिक प्रभारों में विलंबित अंशदान के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में ₹4.35 करोड़ की वसूली की। हालांकि एसपीएफओ ने ₹0.16 करोड़ को अपनी आय (प्रशासनिक प्रभार) के रूप में लेखाबद्ध किया, लेकिन पीएफ के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में ₹4.19 करोड़ की राशि अभी तक नाविक भविष्य निधि खाते (सीडीसी) में जमा नहीं की गई है। इसके बजाय, इसे "ब्याज उचंत खाते (अनुसूची 3)" में जमा किया गया है। यह मुद्दा पिछले वर्षों की टिप्पणियों में भी उठाया गया था, लेकिन चालू वर्ष के खाते में सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। इसके परिणामस्वरूप, एसपीएफ मुख्य खाते का अल्पनिर्धारण एवं "निर्धारित/अक्षयनिधि" शीर्ष के अंतर्गत ब्याज संदिग्ध खाते में ₹4.19 करोड़ का अधिक निर्धारण हुआ। यह मुद्दा 2021-22 से ही पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उठाया जा रहा है।
36.	**श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन (एसएमपी), कोलकाता (तत्कालीन कोलकाता पत्तन न्यास)**	**2022-23** **1.** चालू पूंजीगत कार्य में ₹2.22 करोड़ की राशि सम्मिलित है, जो एचडीसी के मौजूदा तीसरे तेल जेट्टी के उत्तर में एक नदी जेट्टी के निर्माण (₹2.08 करोड़) एवं सलुक्खाली में 2 मेगावाट सौर संयंत्र की स्थापना के लिए भुगतान किए गए परामर्श शुल्क (₹13.88 लाख) के रूप में है। दोनों परियोजनाएं 2018-19 से बंद पड़ी हैं, जिसके लिए यह राशि लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित की जानी चाहिए थी। इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त शीर्ष में ₹2.22 करोड़ अधिक दर्शाए गए एवं इसी अनुपात में कर पूर्व निवल अधिशेष में भी उतनी ही राशि अधिक दर्शाई गई। **2.** रेलवे की आय में ₹3.23 करोड़ (एचडीसी से संबंधित) की राशि सम्मिलित नहीं है, जो जनवरी 2021 से मार्च 2022 की अवधि के

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		दौरान दक्षिण-पूर्व रेलवे (दपूरे) पर खराब लाइन ढुलाई शुल्क के रूप में जारी किए गए बिलों से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2022 से जून 2022 की बाद की अवधि के लिए खराब लाइन वैगन ढुलाई शुल्क के रूप में ₹60.60 लाख की राशि हेतु दपूरे पर कोई बिल जारी नहीं किया गया था, हालांकि इसे दपूरे द्वारा प्रमाणित किया गया था। अतः उपर्युक्त आय का लेखांकन न किए जाने के परिणामस्वरूप विविध देनदार में 3.84 करोड़ की कमी एवं कर पूर्व उतना ही अधिशेष दिखाया गया। **3.** भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय (एमपीएसडब्ल्यू) ने (15 फरवरी 2022) सीआईडब्ल्यूटीसी को निर्देश दिया कि वह प्रमुख पत्तनों की सुलह एवं निपटान समिति द्वारा सुझाए गए ढांचे के अनुसार सभी परिसंपत्तियों, देयताओं, बैंक खातों, जमाओं एवं मध्यस्थता मामलों सहित न्यायालयीन मामलों को एसएमपी को अंतरण करके बंद करने का प्रस्ताव भेजे। इसके आधार पर, एसएमपी प्रबंधन ने (8 अगस्त 2022) मंत्रालय को एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा गया कि परिसंपत्तियों एवं देयताओं, बैंक खातों एवं मध्यस्थता मामलों सहित न्यायालयीन मामलों का अंतरण सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सीएजी द्वारा सीआईडब्ल्यूटीसी के लेखाओं की लेखापरीक्षा के अधीन होगा। इस प्रस्ताव को मंत्रालय ने 7 सितंबर 2022 को स्वीकृति दे दी। हालांकि, यह पाया गया कि बोर्ड/मंत्रालय के निर्देशों के उल्लंघन में, 30 मार्च 2023 तक सीआईडब्ल्यूटीसी की परिसंपत्तियों एवं देयताओं का अंतरण, सांविधिक लेखापरीक्षकों/सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने से पूर्व ही केवल सम्यक तत्परता प्रतिवेदन के आधार पर एसएमपी की लेखाओं में प्रभावी कर दिया गया। सीआईडब्ल्यूटीसी के लेखाओं की लेखापरीक्षा वर्ष 2021-22 तक की गई तथा इसके पश्चात सीआईडब्ल्यूटीसी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु कोई भी लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए। लेखाओं की **अनुसूची-5** से यह प्रकट होता है कि एसएमपी द्वारा ₹54.14 करोड़ की नकद एवं बैंक में जमा राशि सहित चालू परिसंपत्तियाँ तथा ₹10.33 करोड़ की देयताओं का अधिग्रहण किया, जिसमें ₹43.81 करोड़ की निवल राशि "सरकार को देय" एवं "सरकार से प्राप्य" के रूप में दर्शाई गई। वर्ष 2022-23 के लिए सीआईडब्ल्यूटीसी के लेखापरीक्षित लेखाओं के अभाव में, एसएमपी के

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
	`	लेखा बहीखातों में सम्मिलित सीआईडब्ल्यूटीसी की परिसंपत्तियों एवं देयताओं के आंकड़ों की सत्यता के साक्ष्य नहीं दिए जा सके। **2023-24** 1. एचडीसी, एसएमपीके ने (मार्च 2016 में), कलकत्ता हल्दिया पत्तन रोड कंपनी लिमिटेड (सीएचपीआरसीएल), जो एनएचएआई की एक एसपीवी और 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है, द्वारा रानीचक में रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) सह फ्लाईओवर के निर्माण के लिए, रानीचक में 27.491 एकड़ भूमि का अंतरण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को किया। एनएचएआई, पत्तन के न्यासी बोर्ड एवं सीएचपीआरसीएल के बीच हुए त्रिपक्षीय करार के अनुसार, भारत सरकार के मौजूदा भूमि नीति दिशानिर्देशों के अनुरूप अंतरित की गई भूमि का मूल्य ₹29.46 करोड़ निर्धारित किया गया था एवं सीएचआरपीसीएल को उक्त मूल्य के बराबर इक्विटी शेयर एचडीसी को आवंटित करने थे। हालांकि, अभी तक एचडीसी, एसएमपीके को सीएचपीआरसीएल से शेयर प्राप्त नहीं हुए हैं। भारत सरकार के एमओआरटीएच के पक्ष में भूमि का अंतरण एवं दाखिल खारिज पहले ही किया जा चुका है तथा उस भूमि पर परिसंपत्तियों का निर्माण भी किया जा चुका है। इसलिए, एसएमपीके का अब इस भूमि पर कोई नियंत्रण नहीं है। अतः, इसे अचल/पूंजीगत परिसंपत्तियों के अंतर्गत 'भूमि (स्वतंत्र स्वामित्व)' के रूप में दर्शाने के स्थान पर, उक्त 27.491 एकड़ भूमि की ऐतिहासिक लागत का आकलन करते हुए तथा लेखाओं पर टिप्पणी संख्या 27 के साथ, सागरमाला परियोजनाओं के अंतर्गत "सीएचपीआरसीएल के पास धारित भूमि" के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। 2. केडीएस में, विविध देनदारों में ₹1.77 करोड़ की राशि सम्मिलित है, जो दूसरे हुगली पुल के निर्माण के संबंध में हुगली नदी पुल आयुक्त से प्राप्त होने वाली राशि है। पुल का उद्घाटन अक्टूबर 1992 में हुआ था एवं तीन दशकों से अधिक समय तक बकाया राशि की वसूली नहीं हो पाई। इस परिप्रेक्ष्य में, ऐसे संदिग्ध देयों के विरुद्ध लेखाओं में उपयुक्त प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसके प्रावधान न करने के कारण विविध देनदारों का मूल्य ₹1.77 करोड़ अधिक दर्शाया गया, जिसके परिणामस्वरूप लाभ भी उसी अनुपात में अधिक दर्शाया गया।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		3. एसएमपी नदी खुदाई तथा जलमार्गों के अनुरक्षण पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा भारत सरकार से करती है तथा भारत सरकार उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति सीएजी द्वारा व्यय के प्रमाणीकरण के अधीन करती है। सीएजी ने वर्ष 1999-2000 से 2011-12 की अवधि के लिए नदी खुदाई तथा नदी अनुरक्षण से संबंधित दावों का प्रमाणीकरण करते समय योग ₹553.49 करोड़ की राशि को अमान्य कर दिया। हालांकि, एसएमपी ने अमान्य की गई ₹553.49 करोड़ की राशि को अपने लेखा-बही में लेनदार संदिग्ध खाता बनाकर अमान्य राशि को सरकार से प्राप्य (विविध देनदारों के अंतर्गत) के रूप में दर्ज किया। चूंकि यह राशि सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि इसे खुदाई व्यय की प्रतिपूर्ति के दिशानिर्देशों के अनुसार सीएजी द्वारा अमान्य कर दिया गया था, इसलिए इस राशि को प्राप्य के रूप में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए था। 4. अतः इस राशि को अविवेकपूर्ण रूप से प्राप्य के रूप में दर्ज किए जाने के कारण, चालू परिसंपत्तियाँ - विविध देनदार तथा चालू देयताएँ - विविध लेनदार, दोनों में ही ₹553.49 करोड़ अधिक दर्शाया गया हैं। 5. "मौजा शालुखाली एवं रूपनारायणचक स्थित हल्दिया डॉक-II में पत्तन सुविधाओं का विकास" के संबंध में, पत्तन ने 28.02.2020 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एवं सीसी) से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की, इस शर्त पर कि पत्तन को मंत्रालय के दिनांक 01.05.2018 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर) के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों पर खर्च करने के लिए ₹15.37 करोड़ की राशि आवंटित करनी चाहिए। शालुखाली, एचडीसी-II में तरल कार्गो हैंडलिंग जेट्टी (जेट्टी संख्या-4) के संबंध में रियायत का आवंटन 17.08.2022 को किया गया था। पर्यावरण स्वीकृति के अनुपालन में, परियोजना प्रवर्तक के रूप में पत्तन को ₹15.37 करोड़ की सीईआर निधि आवंटित करनी थी। समीक्षा करने पर यह पाया गया कि पत्तन द्वारा न तो ऐसी कोई निधि सृजित की गई एवं न ही सीईआर के अंतर्गत प्रस्तावित किसी भी गतिविधि पर कोई व्यय किया गया। इसके परिणामस्वरूप देयता को ₹15.37 करोड़ कम लेखांकित किया गया है तथा "वित्त एवं विविध व्यय" भी उतनी ही राशि से कम

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		दर्शाया गया है। परिणामतः लाभ उपर्युक्त सीमा तक अधिक दर्शाया गया है।
37.	**विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण**	**2022-23** **चालू देयताएँ** **भविष्य पेंशन एवं उपादान निधि (अनुसूची 2.4): ₹25.61 करोड़** एलआईसी द्वारा प्रस्तुत बीमांकिक मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार, एलआईसी को ₹6,010.91 करोड़ की आवश्यकता थी। हालांकि, वीपीए ने 31 मार्च 2023 तक उपरोक्त दायित्व को पूरा करने के लिए ₹5,575.75 करोड़ की राशि आवंटित की एवं इस राशि को पेंशन निधि न्यास एवं उपादान निधि न्यास में निवेश किया। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2023 तक पेंशन निधि न्यास एवं उपादान निधि न्यास में निवेश के लिए ₹435.16 करोड़ की कमी आई। फलस्वरूप चालू देयताएँ एवं प्रावधान ₹435.16 करोड़ की राशि कम दर्शाए गए हैं तथा लाभ भी उतनी ही राशि अधिक दर्शाया गया है। लेखा क्रमांक 11 के नोटों का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें बीमांकिक देयता, निर्मित/निर्माणाधीन प्रावधान एवं उस पर निधि की स्थिति का विस्तृत विवरण दिया गया है। लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2023 तक पेंशन निधि में किए गए निवेश के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रस्तुत ₹5,392.91 करोड़ की राशि के पुष्टिकरण प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया। वीपीए द्वारा प्रस्तुत पुष्टिकरण प्रमाणपत्रों की समीक्षा करते समय, लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹572.31 करोड़ की वार्षिकी में किए गए निवेश एवं एसबीआई एवं यूबीआई में जमा ₹2.59 करोड़ की शेष राशि के पुष्टिकरण प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। अतः, लेखापरीक्षा द्वारा 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पेंशन निधि न्यास में निवेश किए गए ₹574.90 करोड़ के निवेश की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी। **2023-24** **चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम**: **विविध देनदार (अनुसूची 2.3): ₹494.37 करोड़** 31 मार्च 2024 तक सकल विविध देनदारों की राशि ₹429.94 करोड़ थी, जिसमें ₹336.21 करोड़ (78.20 प्रतिशत) की राशि सम्मिलित थी, जिसकी वसूली पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित थी। हालांकि, वीपीए द्वारा अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रति 2013-14 से पूर्व किए गए ₹7.31 करोड़ के प्रावधान के अतिरिक्त कोई अन्य प्रावधान

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		नहीं किया गया है। वर्ष दर वर्ष आश्वासन दिए जाने के बावजूद, वीपीए द्वारा अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए कोई अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया गया। वीपीए के वार्षिक लेखों पर वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के लिए भी इसी तरह की टिप्पणियां जारी की गई थीं। हालांकि, वर्ष 2023-24 में भी कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। **चालू देयताएँ** **भविष्य निधि पेंशन एवं उपादान निधि (अनुसूची 2.4): ₹25.61 करोड़** बीमांकिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में मूल्यांकित राशि की तुलना में, पेंशन एवं उपादान के लिए वीपीए द्वारा मान्यता प्राप्त देयता क्रमशः ₹107.67 करोड़ एवं ₹74.30 करोड़ कम थी। इसके परिणामस्वरूप "वित्त एवं विविध व्यय" तथा "चालू देयताएँ एवं प्रावधान" ₹181.97 करोड़ की राशि से कम दर्शाए गए। फलस्वरूप, लाभ भी ₹181.97 करोड़ की राशि से अधिक दर्शाया गया है।
38.	**वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण**	**2022-23** **निवेश - दीर्घकालिक निवेश (अनुसूची** 4) **शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड** **इक्विटी योगदान - सेथुसमुद्रम कॉर्प लिमिटेड:** ₹50 **करोड़** सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसने 2007 से परिचालन बंद कर दिया एवं अब परिसमापन की प्रक्रिया में है। निवेशित राशि की संदिग्ध वसूली को देखते हुए निवेश में होने वाली हानि के लिए कंपनी में इक्विटी योगदान के रूप में ₹50 करोड़ की राशि का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। इसके परिणामस्वरूप 'निवेश' का मूल्य ₹50 करोड़ अधिक एवं 'प्रावधान' का मूल्य ₹50 करोड़ कम दर्शाया गया। इस प्रकार, वर्ष का लाभ भी इसी अनुपात में अधिक दर्शाया गया है। **2023-24** **अचल पूंजीगत परिसंपत्तियां - नेट ब्लॉक (अनुसूची - 3)** **घाट, सड़कें एवं सीमाएँ - नेट ब्लॉक - ₹244.46 करोड़** इसमें ₹56.75 करोड़ की राशि सम्मिलित है, जो वर्ष 2019 में तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		जमा कार्य के रूप में निष्पादित कोयला जेट्टी-I एवं II के उन्नयन तथा रेट्रोफिटिंग कार्यों के मूल्य से संबंधित है। चूँकि उक्त परिसंपत्तियाँ वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण की नहीं हैं, इसलिए इनका पूंजीकरण त्रुटिपूर्ण था, जिसके परिणामस्वरूप सकल अचल परिसंपत्तियों, संचित मूल्यह्रास एवं चालू वर्ष के मूल्यह्रास में क्रमशः ₹56.75 करोड़, ₹3.79 करोड़ एवं ₹0.76 करोड़ अधिक दर्शाए गए। फलस्वरूप, विविध देनदारों, सामान्य आरक्षित निधि एवं चालू वर्ष के लाभ में क्रमशः ₹56.75 करोड़, ₹3.79 करोड़ एवं ₹0.76 करोड़ कम दर्शाए गए। यह मुद्दा एसएआर 2021-22 एवं 2022-23 में उठाया गया एवं तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीएएनजीईडीसीओ) के साथ शीघ्र निपटान हेतु मामला उठाने का आश्वासन दिया गया था। तथापि, अब तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई पूर्ण नहीं की गई है।
X.	**विद्युत मंत्रालय**	
39.	**ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**	**2022-23** **संग्रह/पूंजी निधि** **ऊर्जा संरक्षण निधि (अनुसूची-1): ₹735.98 करोड़** **मानक एवं सूचक शुल्क (एस एंड एल): ₹568.21 करोड़** वर्ष 2022-23 के लिए मानक एवं सूचक शुल्क की अर्जित राशि ₹105.63 करोड़ थी, जिसमें से केवल ₹47.53 करोड़ की राशि नकद आधार पर स्वीकार की गई। इसके परिणामस्वरूप अनुसूची 1 के अंतर्गत मानक एवं सूचक शुल्क और 'वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि' (अनुसूची 11) दोनों में ₹58.10 करोड़ प्रत्येक कम दर्शाया गया है। इसके अलावा, 'वर्ष के दौरान प्राप्त शुल्क' में ₹49.94 करोड़ सम्मिलित हैं जो पिछले वर्षों से संबंधित हैं, और इसलिए, इसका अलग से खुलासा किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, मानक और सूचक योजना के अंतर्गत प्राप्त सूचक शुल्क सहित राजस्व की मान्यता के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 6 (अनुसूची 24) को भी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेखाओं एवं अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रारूप) नियम, 2007 के अनुरूप

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		प्रोद्धवन आधार का पालन करने के लिए संशोधित करने की आवश्यकता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किया जाना आवश्यक है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो और लेखांकन की प्रोद्धवन पद्धति पर आधारित हो। **चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची-11): ₹725.77 करोड़** **निर्धारित/स्थायी निधि (अनुसूची 3): ₹63.53 करोड़** चालू परिसंपत्तियों में ₹1.14 करोड़ मूल्य के विभिन्न जाँच परीक्षण उपकरण सम्मिलित हैं, जो (पुष्टि के बाद एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से स्क्रैप के रूप में निपटान के लिए थे और जिनका मूल्य 5 प्रतिशत की दर से, अर्थात ₹10.23 लाख था) विभिन्न परीक्षण प्रयोगशालाओं/तृतीय पक्षों के पास लंबे समय से, लगभग दस वर्षों से, बिना किसी पुष्टि के पड़े थे। इसके परिणामस्वरूप 'चालू परिसंपत्तियों' (अनुसूची-11) के साथ-साथ 'निर्धारित/स्थायी निधि' (अनुसूची 3) दोनों को ₹10.4 करोड़ प्रत्येक से अधिक दर्शाया गया। **आय और व्यय खाता** **स्थापना व्यय (अनुसूची-20): ₹13.79 करोड़** ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वार्षिक लेखा विवरण और अभिलेखों के प्रारूप) नियम, 2007 के अनुसार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, और लेखांकन की उपार्जन पद्धति पर तैयार किए जाने आवश्यक थे। हालाँकि, 'स्थापना व्यय' में स्थायी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते की उपार्जित राशि ₹59.14 लाख सम्मिलित नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप स्थापना व्यय (अनुसूची 20) और 'वर्तमान देयताएँ और प्रावधान' (अनुसूची-7) दोनों में ₹59.14 लाख प्रत्येक कम दर्शाया गया है। स्थायी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते नकद आधार पर बुक करने के संबंध में महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 1बी (अनुसूची 24) को भी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उपर्युक्त नियमों के अनुरूप संशोधित करने की आवश्यकता है।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (अनुसूची-21): ₹2.00 करोड़ प्रबंधन पत्र दिनांक 29.11.2021 और अर्द्धशासकीय दिनांक 01.11.2022 के अनुसार, प्रबंधन को स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय (सीईएम), एक उच्च-स्तरीय वैश्विक मंच, के संबंध में प्रोद्भवन आधार पर किए गए विभिन्न स्वैच्छिक अंशदान भुगतानों का सही लेखांकन सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया था। वर्ष 2022-23 के दौरान, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने मानक एवं सूचक योजना में सीईएम से संबंधित ₹3.92 करोड़ की राशि दर्ज की, जो एस एंड एल योजना से संबंधित नहीं है। इसका लेखा इस प्रकार किया जाना चाहिए था: • पूर्व अवधि व्यय के रूप में ₹14.86 लाख की राशि, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित है, • चालू वर्ष के व्यय के रूप में ₹3.55 करोड़, और • पूर्वदत्त व्यय के रूप में ₹22.15 लाख, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित है। इस प्रकार, 'अन्य प्रशासनिक व्यय आदि' (अनुसूची-21) के अंतर्गत 'पूर्व अवधि व्यय' और 'आईईए (सीईएम) में योगदान', तथा 'वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि' (अनुसूची 11) के अंतर्गत 'पूर्वदत्त व्यय' को क्रमशः ₹14.86 लाख, ₹3.55 करोड़ और ₹22.15 लाख कम दर्शाया गया है। इसके अलावा, एस एंड एल कार्यक्रम के प्रति गलत कटौती के कारण अनुसूची 3 में निर्धारित निधियों (अन्य) को भी ₹3.92 करोड़ कम दर्शाया गया है। **अन्य व्यय (परियोजना व्यय) (अनुसूची-21): ₹2.58 करोड़** वर्ष 2022-23 के लिए 22वीं और 23वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रमाणन परीक्षा के संबंध में ₹4.73 करोड़ (क्रमशः ₹2.49 करोड़ और ₹2.24 करोड़) व्यय हुए, जिनमें से केवल ₹2.57 करोड़ का ही वास्तविक रूप से नकद आधार पर लेखा-जोखा किया गया। इसके परिणामस्वरूप अन्य व्यय (परियोजना व्यय) (अनुसूची-21) और चालू देयताएँ एवं प्रावधान (अनुसूची 7) दोनों में ₹2.15 करोड़ प्रत्येक कम दर्शाया गया।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		2023-24 **तुलन पत्र** **संग्रह/पूंजीगत निधि और देयताएँ** **ऊर्जा संरक्षण निधि (अनुसूची-1): ₹855.23 करोड़** **मानक और सूचक शुल्क (एस एंड एल): ₹690.13 करोड़** ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 25(1) के अनुसार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेखों और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रारूप) नियम, 2007 के साथ पठित, जिसे केंद्र सरकार ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से 28 फरवरी 2007 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया था, लेखों को लेखांकन की उपार्जित पद्धति पर तैयार किया जाना आवश्यक है। वर्ष 2023-24 के लिए मानक और सूचक शुल्क की उपार्जित राशि ₹102.58 करोड़ थी, जिसमें से केवल ₹49.67 करोड़ की राशि नकद आधार पर स्वीकार की गई। इसके परिणामस्वरूप अनुसूची 1 के अंतर्गत 'मानक और लेबलिंग' शुल्क और 'चालू संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि' (अनुसूची 11) में से प्रत्येक में ₹52.92 करोड़ कम दर्शाए गए हैं। इसके अलावा, 473 पंजीकृत उत्पादों के उत्पादन आँकड़े ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके कारण एस एंड एल शुल्क का लेखा-जोखा लेखों में नहीं किया जा सका। इसके अलावा, 'वर्ष के दौरान प्राप्त शुल्क' में ₹42.75 करोड़ सम्मिलित हैं जो पिछले वर्षों से संबंधित हैं, और इसलिए, इसका अलग से खुलासा किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, मानक और सूचक योजना के अंतर्गत प्राप्त सूचक शुल्क सहित राजस्व की मान्यता के संबंध में महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 6 (अनुसूची 24) को भी उपार्जन आधार का पालन करने के लिए संशोधित करने की आवश्यकता है। **संग्रह/पूँजीगत निधि और देयताएँ** **वर्तमान देयताएँ और प्रावधान (अनुसूची** 7): ₹35.69 **करोड़** ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वार्षिक लेखा एवं अभिलेख विवरण प्रपत्र) नियम, 2007 के अनुसार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो,

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		और लेखांकन की उपार्जन पद्धति के अनुसार तैयार किए जाने आवश्यक थे। 'वर्तमान देयताओं और प्रावधानों' में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए विभिन्न विविध व्ययों से संबंधित ₹2.08 करोड़ के व्यय का प्रावधान सम्मिलित नहीं है, जो वर्ष के अंत में अदेय रह गया। इसके परिणामस्वरूप 'वर्तमान देयताओं और प्रावधानों' को कम दर्शाया गया है और 'पूँजीगत निधि/संग्रह निधि' को ₹2.08 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया है। **चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची-11): ₹799.73 करोड़** **निर्धारित/स्थायी निधि (अनुसूची 3): ₹5.57 करोड़** चालू परिसंपत्तियों में विभिन्न जाँच परीक्षण उपकरण (जो लंबे समय से विभिन्न परीक्षण प्रयोगशालाओं/तृतीय पक्षों के पास पड़े थे और एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से कबाड़ के रूप में निपटान के लिए थे) सम्मिलित हैं, जिनका बही मूल्य ₹74.72 लाख है। बल्कि, इनका लेखा उनके विक्रय योग्य मूल्य (अर्थात, ₹9.09 लाख) पर किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, 'चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि' (अनुसूची-11) के साथ-साथ 'निर्धारित/स्थायी निधि' (अनुसूची 3) दोनों में ₹65.63 लाख प्रत्येक का अधिक विवरण दिया गया। **आय और व्यय लेखा** **स्थापना व्यय (अनुसूची-20): ₹11.80 करोड़** ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वार्षिक लेखा एवं अभिलेख विवरण प्रपत्र) नियम, 2007 के अनुसार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, और लेखांकन की उपार्जन पद्धति के अनुसार तैयार किए जाने थे। हालाँकि, 'स्थापना व्यय' में स्थायी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की उपार्जित राशि, जो ₹49.07 लाख है, सम्मिलित नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप 'स्थापना व्यय' (अनुसूची 20) और 'वर्तमान देयताएँ और प्रावधान' (अनुसूची-7) में से प्रत्येक में ₹49.07 लाख कम दर्शाया गया है। स्थायी कर्मचारियों को नकद आधार पर वेतन और भत्ते की बुकिंग के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 1बी (अनुसूची 24) को भी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उपर्युक्त नियमों के अनुरूप संशोधित करने की आवश्यकता है।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		सामान्य **ऊर्जा संरक्षण निधि (अनुसूची-1): ₹855.23 करोड़** ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा-20 में केंद्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि (सीईसीएफ) की स्थापना का प्रावधान है और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्राप्त सभी अनुदानों, ऋणों, शुल्कों, अन्य राशियों को इस निधि में जमा करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा, केंद्र सरकार लेखा (प्राप्तियाँ और भुगतान) नियम, 1983 के नियम 6(1) और सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 7 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि सरकार द्वारा या उसकी ओर से देय राशि, जमा, प्रेषण या अन्य किसी रूप में प्राप्त सभी धनराशि को सरकारी खाते में सम्मिलित करने के लिए मान्यता प्राप्त बैंक में लाया जाएगा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विभिन्न शुल्क, फीस आदि एकत्र करता है, जो भारत सरकार की ओर से प्राप्त सार्वजनिक धन है, इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत परिभाषित अनुसार सार्वजनिक खाते का हिस्सा होना चाहिए था। तथापि, ऊर्जा संरक्षण निधि का परिचालन सार्वजनिक लेखों के माध्यम से नहीं किया जा रहा है तथा इसकी राशि बीईई द्वारा बैंक खातों में रखी जा रही है।
40.	**केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग**	**2022-23** **सामान्य** **आकस्मिक देयताएँ और लेखा टिप्पणियाँ (अनुसूची-23)** **पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ - नोट संख्या 2 (ख)** विश्व व्यापार केंद्र स्थित कार्यालय परिसर के आंतरिक कार्यों के संबंध में ₹26.25 करोड़ (17 नवंबर 2022 का समझौता) की सहमत राशि के प्रति 2022-23 के दौरान केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा पहले ही भुगतान किए जा चुके ₹7.87 करोड़ को सम्मिलित करने के कारण उपरोक्त राशि अधिक बताई गई है। **2023-24** **वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम (नोट 5)** केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने वसूली की अनिश्चितता के कारण स्थगित राजस्व से संबंधित ₹38.84 लाख की राशि का खुलासा किया है। हालाँकि, दो संस्थाओं से (2019-20 से 2022-23 की अवधि के लिए) वसूली योग्य ₹1.63 करोड़ की राशि, जिसे वसूली की अनिश्चितता

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		के कारण मान्यता नहीं दी गई है, को न तो उपरोक्त अनुसूची में सम्मिलित किया गया है और न ही कहीं और खुलासा किया गया है। इसलिए, यह खुलासा उस सीमा तक अपूर्ण है। वर्ष 2022-23 के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान भी इसी तरह का मुद्दा उठाया गया था। हालाँकि, कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
41.	**राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान**	**2023-24** **तुलन पत्र चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची 11): ₹80.65 करोड़** **B2 अग्रिम और नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य अन्य राशि क. पूंजी खाते पर: ₹12.94 करोड़** उपरोक्त में विभिन्न राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थानों में महत्वपूर्ण अवसंरचना के निर्माण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को प्रदान की गई पूंजी अग्रिम के रूप में ₹1.12 करोड़ की राशि सम्मिलित है, हालाँकि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 तक इसी राशि का उपयोग किया गया था। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान को इसे तुलन पत्र में पूंजीगत कार्य-प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत वर्गीकृत करना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत कार्य-प्रगति (अनुसूची 8) को कम दर्शाया गया है और 'चालू परिसंपत्तियों' के अंतर्गत 'पूंजीगत खाते में अग्रिम' को ₹1.12 करोड़ अधिक दर्शाया गया है। **आय और व्यय खाता व्यय** **स्थापना व्यय (अनुसूची 20) - ₹26.78 करोड़** उपरोक्त में राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्तिोत्तर चिकित्सा लाभ के अंतर्गत प्रस्तुत चिकित्सा बिलों से संबंधित ₹1.93 करोड़ की राशि सम्मिलित नहीं है। चूँकि चिकित्सा बिलों के अंतर्गत व्यय 2023-24 से संबंधित है, इसलिए इसे लेखा बहियों में संबंधित वर्तमान देयता के साथ 'स्थापना व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 'स्थापना व्यय' और 'वर्तमान देयताएँ' (अनुसूची 7) दोनों को ₹1.93 करोड़ प्रत्येक से कम दर्शाया गया है, और परिणामस्वरूप वर्ष के अधिशेष को भी उतनी ही राशि से अधिक दर्शाया गया है।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
42.	**संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)**	**2023-24** **तुलन पत्र** **संग्रह/पूंजी निधि और देयताएँ** **चालू देयताएँ और प्रावधान (अनुसूची-7): ₹15.21 करोड़** **आय और व्यय खाता** **शुल्क/अंशदान से आय (अनुसूची-14): ₹23.32 करोड़** **लाइसेंस शुल्क: ₹19.29 करोड़** उपरोक्त में 2024-25 (अग्रिम) से संबंधित ₹17.40 करोड़ और 2022-23 या उससे पहले के वर्षों (बकाया) से संबंधित ₹0.56 करोड़ सम्मिलित हैं। संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (लेखों और अभिलेखों का वार्षिक विवरण प्रपत्र) नियम, 2016 उपार्जन के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करने का प्रावधान करता है और केवल सरकारी अनुदान/सब्सिडी को ही प्राप्ति/नकद आधार पर हिसाब में लेने की अनुमति है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2023-24 के लिए लाइसेंस शुल्क से संयुक्त विद्युत नियामक आयोग द्वारा अर्जित आय ₹16.74 करोड़ थी, जबकि जेईआरसी ने इसे प्राप्ति के आधार पर ₹19.29 करोड़ दर्शाया है। यह जेईआरसी (लेखों एवं अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रारूप) नियम, 2016 का उल्लंघन है और इसके परिणामस्वरूप शुल्क/अंशदान से आय ₹2.55 करोड़ अधिक, अग्रिम राशि ₹17.40 करोड़ कम और पूर्व अवधि की आय ₹0.56 करोड़ कम दर्शाई गई है। इसके अलावा, लेखांकन नीति को भी तदनुसार संशोधित करने की आवश्यकता है। **सामान्य** संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (निधि का गठन एवं उपयोग, प्रारूप एवं बजट तैयार करने का समय) नियम, 2016 के अनुसार, भारत के लोक लेखा के अंतर्गत एक अ-व्यपगत एवं ब्याज रहित खाते के रूप में जेईआरसी निधि का सृजन अभी भी लंबित है। लेखापरीक्षा में यह मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, लेकिन अनुपालन कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। संयुक्त विद्युत नियामक आयोग सरकार की ओर से लाइसेंस शुल्क, याचिका शुल्क आदि एकत्र करता रहा है और इन्हें विद्युत मंत्रालय (एमओपी) को शीघ्रता से प्रेषित किया जाना आवश्यक है। संयुक्त विद्युत नियामक आयोग ने 2023-24 के दौरान शुल्क आदि के रूप में 24.58 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित की, इसके अतिरिक्त

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		01.04.2023 तक इस मद में 11.14 करोड़ रुपये का आदि शेष (एमओपी को प्रेषित किया जाना है)। हालाँकि, जेईआरसी ने 2023-24 के दौरान विद्युत मंत्रालय को केवल 22.29 करोड़ रुपये ही प्रेषित किए और मंत्रालय से पूर्व अनुमोदन के बिना 13.43 करोड़ रुपये रोक लिए।
XI.	**वस्त्र मंत्रालय**	
43.	**केंद्रीय रेशम बोर्ड**	**2023-24** **अनुसूची - 8 - अचल संपत्तियाँ** लेखों के नोट संख्या 9 में कहा गया है कि: *"लेखांकन नीतियों का निरंतर पालन किया जाता है। हालाँकि, पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, अचल संपतियों के लिए लेखांकन नीति को लेखांकन मानक (एएस)-12 के अनुसार पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया गया था, अर्थात, प्राप्त पूंजी अनुदान को परिसंपतियों के पूंजीकरण के समय परिसंपतियों के सकल मूल्य से घटाया जाता है (पिछले वर्षों में खरीदी/पूंजीकृत परिसंपतियों के साथ) ताकि परिसंपतियों का बही मूल्य निकाला जा सके।"* अचल संपत्तियों पर महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 1(ई) में कहा गया है कि: *"हालाँकि, प्राप्त पूंजी अनुदानों को परिसंपतियों के पूंजीकरण के समय परिसंपतियों के सकल मूल्य के 99.99 प्रतिशत से घटाया जाता है, जिसमें परिसंपतियों का आरंभिक मूल्य भी सम्मिलित है, ताकि लेखांकन मानक-12 में निर्दिष्ट पद्धति का पालन किया जा सके, अर्थात, प्राप्त पूंजी अनुदानों को परिसंपतियों के पूंजीकरण के समय परिसंपतियों के सकल मूल्य से घटाया जाता है, ताकि परिसंपतियों का बही मूल्य निकाला जा सके। तदनुसार, लेखांकन मानक-12 का अनुपालन करने के लिए परिसंपतियों को परिसंपति के नाममात्र मूल्य के 0.01 प्रतिशत पर दर्शाया जाता है।"* लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखांकन मानक 5 के पैरा 29 में कहा गया है कि "लेखांकन नीति में परिवर्तन केवल तभी किया जाना चाहिए जब किसी भिन्न लेखांकन नीति को अपनाना विधि द्वारा या किसी लेखांकन मानक के अनुपालन के लिए आवश्यक हो, या यदि यह माना जाता है कि परिवर्तन के परिणामस्वरूप उद्यम के वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति अधिक उपयुक्त होगी"। हालाँकि, अचल संपत्तियों के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान लेखांकन नीति में उपरोक्त परिवर्तन न तो किसी विधि द्वारा और न ही लेखा

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		मानक द्वारा आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा यह आश्वासन देने में असमर्थ है कि नीति में परिवर्तन केंद्रीय रेशम बोर्ड के मामले में अधिक उपयुक्त प्रस्तुति प्रदान करता है। इसके अलावा, लेखांकन मानक 5 के पैरा 32 में कहा गया है कि लेखांकन नीति में किसी भी ऐसे परिवर्तन का, जिसका भौतिक प्रभाव हो, खुलासा किया जाना चाहिए। ऐसे परिवर्तन का प्रभाव उस अवधि के वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाना चाहिए जिसमें ऐसा परिवर्तन किया गया हो। प्रबंधन ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में ऐसे परिवर्तन के प्रभाव का खुलासा नहीं किया। इसलिए, लेखापरीक्षा प्रबंधन द्वारा किए गए इस परिवर्तन के प्रभाव का पता लगाने और उसे मान्य करने की स्थिति में नहीं है। **अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम** **अनुसूचित बैंकों के पास बैंक शेष** **चालू खाते पर (अनुबंध V) - ₹81.35 करोड़** **जमा खाते पर - अन्य निधियां (अनुलग्नक XII) - ₹51.01 करोड़** **(ए)** सीएसबी परिपत्र दिनांक 4 अप्रैल 2022 के अनुसार, इकाइयों को सावधि जमा (एफडी), चालू और बचत खाते में शेष राशि के रूप में धनराशि रखने से मना किया गया है। इसके अलावा, जिन संस्थानों के पास परिक्रामी पूंजी (आरसी) राशि है, उन्हें भी उसी से बनाए गए सावधि जमा की पूरी राशि को अभ्यर्पित करना होगा और यदि परिक्रामी पूंजी की आवश्यकता हो तो नए सिरे से अनुमोदन के लिए एक पूर्ण प्रस्ताव भेजना होगा । उत्तर में, राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन (एनएसएसओ), बेंगलुरु ने भी केंद्रीय कार्यालय, केंद्रीय रेशम बोर्ड को सूचित किया (01 जुलाई 2022) कि उसे 16 रेशम कीट बीज उत्पादन केंद्रों (एसएसपीसी) के सुचारू रूप से संचालन के लिए ₹15 करोड़ की आवश्यकता है और जब भी आय ₹15 करोड़ से अधिक होगी, तो राशि केंद्रीय कार्यालय को भेज दी जाएगी। 31 मार्च 2024 तक जमा खाते में बैंक शेष - अन्य निधियां (अनुलग्नक XII) में ₹36.78 करोड़ की सावधि राशि (₹1.78 करोड़ ब्याज सहित) सम्मिलित है। सीएसबी केंद्रीय कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करते समय (16 सितंबर 2022), राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, बेंगलुरु ने आगामी वर्षों के लिए बढ़े हुए उत्पादन की प्रत्याशा में एसएसपीसी और बेसिक सीड फार्म (बीएसएफ) में अवसंरचना और सुविधाओं के निर्माण के लिए ₹35 करोड़ की मूल राशि का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया था (11 अगस्त 2022)।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		निर्माण के लिए स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं किया और निधि को सावधि जमा में रख दिया, जिसे 01 जनवरी 2025 तक नवीनीकृत किया गया और परिपक्वता पर, योग ₹39,90,83,171 की राशि 06 जनवरी 2025 को एमएसएसओ, बेंगलुरु द्वारा केंद्रीय कार्यालय को अभ्यर्पित की गई जो कि वस्त्र मंत्रालय को अभ्यर्पित करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, 31 मार्च 2024 तक, केंद्रीय रेशम बोर्ड के पास एनएसएसओ के परिक्रामी और कार्यशील पूंजी कोष के चालू खाते में ₹19.38 करोड़ का बैंक शेष है, जबकि वर्तमान स्वीकार्य सीमा ₹15.00 करोड़ है। इस प्रकार, सीएसबी परिपत्र (4 अप्रैल 2022) और एनएसएसओ, बेंगलुरु पुष्टिकरण (1 जुलाई 2022) के अनुसार, अतिरिक्त परिक्रामी निधि ₹4.38 करोड़ (अर्थात, ₹19.38 करोड़ - ₹15 करोड़) को अभ्यर्पित करना आवश्यक था। इस प्रकार, उपरोक्त के परिणामस्वरूप मंत्रालय को धनराशि अभ्यर्पित न करने के कारण वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों (संग्रह निधि) में ₹41.16 करोड़ (अर्थात, ₹36.78 करोड़ + ₹4.38 करोड़) प्रत्येक का अधिक विवरण दिया गया है। **(बी)** इसके अलावा, सावधि जमा (एफडी) पर अर्जित ब्याज, जो ₹2.13 करोड़ है (सावधि जमा पर अर्जित ब्याज ₹84.77 लाख और 31.03.2024 तक अर्जित ब्याज ₹1.29 करोड़) भी वस्त्र मंत्रालय को अभ्यर्पित किया जाना है। केंद्रीय रेशम बोर्ड ने अपनी बही लेखों में इस राशि को मंत्रालय को देय के रूप में दर्ज नहीं किया है। अप्रयुक्त अनुदान/सावधि जमा पर ब्याज का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप व्यय की तुलना में आय में ₹2.13 करोड़ की अधिकता दिखाई गई है और वर्तमान देनदारियों को भी उसी सीमा तक कम दिखाया गया है। **प्राप्ति और भुगतान खाता** केंद्रीय रेशम बोर्ड को वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) से तिमाही आधार पर अनुदान प्राप्त हो रहा है और सीएसबी की स्थापना के बाद से, वेतन भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष मार्च-फरवरी होता है। इसलिए, मार्च महीने के वेतन के भुगतान के लिए, सीएसबी अप्रैल महीने में वस्त्र मंत्रालय से प्राप्त होने वाले अनुदान पर निर्भर था। हालाँकि, वर्ष 2023-24 के दौरान, सीएसबी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत संशोधित अनुमानों (आरई) में मार्च महीने के वेतन भुगतान के लिए

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		बजट आवश्यकता को सम्मिलित किया। मार्च 2024 महीने का वेतन भुगतान अप्रैल 2024 के दौरान किया गया था। उपरोक्त के मद्देनजर, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में प्राप्ति पक्ष (₹182.05 करोड़) और भुगतान पक्ष (₹154.03 करोड़) में 'असंवितरित राशि' सम्मिलित है। मार्च 2024 के महीने के लिए कर्मचारियों के वेतन, पारिश्रमिक और पेंशन के प्रति देयता हेतु प्राप्तियों और भुगतान के बीच का अंतर ₹28.02 करोड़ (अर्थात, ₹182.05 करोड़ - ₹154.03 करोड़) वस्त्र मंत्रालय को अभ्यर्पित नहीं किया गया और 31 मार्च 2024 तक भुगतान पर अतिरिक्त प्राप्तियों के रूप में पड़ा रहा।
44.	**राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली**	**2022-23** **वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान (अनुसूची-7): ₹405.15 करोड़** **अन्य वर्तमान देनदारियाँ: ₹46.38 करोड़** उपरोक्त में बेंगलुरु स्थित स्थायी राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र के लिए विद्युत कार्यों, सेवाओं और अन्य संबद्ध कार्यों के निष्पादन हेतु मेसर्स नेयसर इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड को देय राशि के प्रति ₹2.90 करोड़ की देनदारी सम्मिलित नहीं है। उक्त राशि राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान और मेसर्स नेयसर इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड के बीच उपरोक्त कार्य के लिए अनुबंध से उत्पन्न विवादों और दावों पर निर्णय लेने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त (अगस्त 2002) एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पारित (जनवरी 2004) पुरस्कार के अनुसार देय थी। एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार को निफ्ट द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत चुनौती दी गई थी, लेकिन बेंगलुरु के प्रधान नगर सिविल और सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा इसे बरकरार रखा गया (जुलाई 2022)। इस प्रकार, राशि वर्ष 2022-23 के दौरान देय थी और इसलिए इसकी देयता को खातों में मान्यता दी जानी चाहिए थी। उपर्युक्त का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों को ₹2.90 करोड़ तक कम दर्शाया गया है तथा परिणामस्वरूप अधिशेष को भी उसी सीमा तक अधिक दर्शाया गया है। **परिसंपत्तियां** **अचल संपत्तियाँ (अनुसूची-8): ₹927.61 करोड़** उपरोक्त में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, शिलांग की केंद्र सरकार अनुदान (अनुसूची-8ए) से निर्मित अचल संपत्तियों के अंतर्गत

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		पूंजीगत कार्य-प्रगति (भवन) के रूप में दर्शाए गए ₹53.04 करोड़ सम्मिलित हैं। चूँकि भवन/कार्यों के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र अक्टूबर 2021 में जारी किया गया था और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, शिलांग तब से इसका उपयोग कर रहा है, इसलिए पूंजीगत कार्य-प्रगति के अंतर्गत दर्शाई गई ₹53.04 करोड़ की राशि को पूंजीकृत किया जाना चाहिए था और परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाया जाना चाहिए था। परिसंपत्तियों के अ-पूंजीकरण के परिणामस्वरूप, प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को ₹53.04 करोड़ अधिक और भवन को ₹51.78 करोड़ कम करके दिखाया गया है (अर्थात, वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए मूल्यह्रास के लिए ₹53.04 करोड़ - ₹1.26 करोड़) जिसके अनुरूप आरक्षित निधि और अधिशेष को अधिक करके दिखाया गया है और आस्थगित राजस्व आय और मूल्यह्रास को ₹1.26 करोड़ कम करके दिखाया गया है। **2023-24** **अचल संपत्तियां (अनुसूची-8): ₹978.35 करोड़** अपनी लेखांकन नीति संख्या 5 के अनुसार, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार, अचल संपत्तियों पर उनके उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता की अचल संपत्तियों में सात अस्थायी शेडों का लिखित मूल्य (डबल्यूडीवी) के रूप में ₹52.24 लाख सम्मिलित हैं, जिन्हें 2007 से 2021 की अवधि के दौरान ₹65.21 लाख की लागत से पूंजीकृत किया गया था। संस्थान इन अस्थायी शेड को भवन (60 वर्ष के उपयोगी जीवन के साथ) मानता रहा है और 1.58 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास वसूलता रहा है। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में ऐसे अस्थायी ढाँचों/शेड के लिए तीन वर्ष का उपयोगी जीवन निर्धारित किया गया है। इसलिए, अस्थायी शेड का मूल्यह्रास 31.67 प्रतिशत की दर से ₹61.95 लाख होना चाहिए था, जिससे शेष मूल्य ₹3.26 लाख (₹65.21 लाख का पाँच प्रतिशत) रह जाता। हालांकि, इन अस्थायी शेड को 31.03.2024 तक ₹52.24 लाख के लिखित मूल्य पर दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास को कम करके और अचल

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		संपत्तियों व अधिशेष को ₹48.98 लाख (₹52.24 लाख - ₹3.26 लाख) से अधिक करके दर्शाया गया है।
45.	**राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता**	**2022-23** **1. (क)** ₹72,73,32,595 की राशि का 'प्रगतिशील पूंजीगत कार्य' न्यूटाउन स्थित नए कार्यालय परिसर 'पटसन भवन' से संबंधित है। न्यूटाउन कोलकाता विकास प्राधिकरण (एनकेडीए) ने 13 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के पक्ष में एक अधिभोग प्रमाण पत्र प्रदान किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया कि 'यह प्रमाणित किया जाता है कि भवन अधिभोग के लिए उपयुक्त है' और निर्माता एनबीसीसी ने बाद में 17 जनवरी 2023 को एक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया। उपरोक्त के मद्देनजर, भवन का 2022-23 के दौरान पूंजीकरण हो जाना चाहिए था। **(ख)** इसके अलावा, प्रगतिशील पूंजीगत कार्य में एनबीसीसी को प्रतिधारण राशि (₹69.80 करोड़ का 5 प्रतिशत) के रूप में देय ₹3.49 करोड़ सम्मिलित नहीं हैं। यह देय हो गया है क्योंकि पटसन भवन का निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और एनबीसीसी द्वारा अधिभोग और पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। इस राशि को भी 2022-23 के दौरान पूंजीकृत किया जाना चाहिए था। **(ग)** वर्ष 2022-23 के लिए भवन निर्माण निगरानी व्यय (पटसन भवन के निर्माण से संबंधित) की ₹9.09 लाख राशि को पूंजीगत व्यय के बजाय अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची-21) के अंतर्गत राजस्व व्यय माना गया था। 2017-18 से 2021-22 तक इसी प्रकार का व्यय, जिसकी राशि ₹41.23 लाख थी, को प्रगतिशील पूंजीगत कार्य में दर्ज करने के बजाय आय-व्यय खाते में डाला गया था। इसे भी पटसन भवन के साथ पूंजीकृत किया जाना चाहिए था। उपरोक्त तीनों राशियों (₹72.73 करोड़, ₹3.49 करोड़ और ₹50.32 लाख) का पूंजीकरण न किए जाने के परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों को ₹76.72 करोड़ कम दर्शाया गया है, प्रगतिशील पूंजीगत कार्यों को ₹72.73 करोड़ अधिक दर्शाया गया है, चालू देनदारियों और प्रावधानों को ₹3.49 करोड़ कम दर्शाया गया है, वर्ष के घाटे को ₹9.09 लाख अधिक दर्शाया गया है और पटसन बोर्ड पटसन निधि को क्रमशः ₹41.23 लाख कम दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के लिए मूल्यह्रास और वर्ष के घाटे दोनों को ₹3.84 करोड़ कम दर्शाया गया है (अर्थात ₹76.72 करोड़ @10 प्रतिशत x 50 प्रतिशत)।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		2. अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची-21) में राष्ट्रीय पटसन बोर्ड द्वारा भुगतान किए गए पटसन आयुक्त कार्यालय के विधि व्यय के कारण ₹11.64 लाख की राशि सम्मिलित है। जूट आयुक्त कार्यालय के ऐसे व्यय का भुगतान बोर्ड की 9वीं बैठक (फरवरी 2015) में अनुमोदन के आधार पर 2014-15 से किया जा रहा है। 2022-23 तक इस मद में खर्च की गई योग राशि ₹1.34 करोड़ है। चूँकि जेसीओ एक अलग कानूनी इकाई है, इसलिए राष्ट्रीय पटसन बोर्ड पर इसके विधि व्यय को वहन करने की कोई बाध्यता नहीं है। इसके परिणामस्वरूप अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची-21) को ₹11.64 लाख और वर्ष 2022-23 के घाटे को भी इतनी ही राशि से अधिक दर्शाया गया है। **2023-24** **1.** चालू परिसंपत्ति ऋण और अग्रिम में एनबीसीसी को 'जमा कार्य' के आधार पर पटसन भवन के निर्माण के लिए क्रमशः 21.07.2022 और 03.10.2023 को भुगतान की गई ₹1.75 करोड़ और ₹2.50 करोड़ की दो राशियाँ सम्मिलित हैं। पटसन भवन का निर्माण सभी प्रकार से पूरा हो चुका है और इसे मार्च 2023 में 'उद्घाटन के लिए तैयार' घोषित किया गया था। इसके अलावा, सभी वैधानिक मंजूरियाँ मार्च 2023 के भीतर प्राप्त हो गई थीं। लेकिन ₹4.25 करोड़ की योग जमा राशि अभी भी पूंजीकृत होने के बजाय 'चालू परिसंपत्ति ऋण और अग्रिम' के अंतर्गत पड़ी हुई है। **2.** उपर्युक्त के परिणामस्वरूप 'सकल अचल परिसंपत्तियों' को कम करके और 'चालू परिसंपत्ति ऋण और अग्रिम' को ₹4.25 करोड़ प्रत्येक से अधिक करके दर्शाया गया। इसके अलावा, वर्ष के लिए मूल्यह्रास को ₹38.75 लाख[199] कम करके दिखाया गया है, जबकि 'वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय की अधिकता' को समान राशि से अधिक करके दिखाया गया है। चालू परिसंपत्ति ऋण और अग्रिम में एनबीसीसी को 'पटसन भवन के लिए डिज़ाइन, आंतरिक और फर्नीचर' कार्य के लिए भुगतान की गई ₹5.93 करोड़ की राशि सम्मिलित है। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड ने एनबीसीसी को उपरोक्त राशि 17.12.2020, 22.01.2022, 08.02.2023 और 30.03.2023 को चार लेन-देन में वितरित की थी।

[199] ₹1.75 करोड़ पर मूल्यह्रास (31.03.2023 से 31.03.2024 तक) = 2022-23 के लिए 5% और 2023-24 के लिए 10% = ₹26.25 लाख
₹2.50 करोड़ पर मूल्यह्रास (03.10.2023 से 31.03.2024 तक) = 2023-24 के लिए 5% = ₹12.50 लाख

क्र. सं.	सीएबी का नाम	लेखाओं पर टिप्पणियाँ
		पटसन भवन का निर्माण सभी प्रकार से पूरा हो चुका है और इसे मार्च 2023 में 'उद्घाटन के लिए तैयार' घोषित किया गया था। बाद में पटसन भवन का उद्घाटन 06.01.2024 को किया गया। पटसन भवन के हितधारक जनवरी 2024 और फरवरी 2024 में पटसन भवन में स्थानांतरित हो गए और फर्नीचर और उपकरण की सूची पर कब्जा कर लिया। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, परिस्थितियों के बावजूद, यह देखा गया है कि यह राशि 'फर्नीचर और उपकरण के अंतर्गत पूंजीकृत होने के बजाय 'चालू संपत्ति ऋण और अग्रिम' के अंतर्गत 'एनबीसीसी को अग्रिम' के रूप में पड़ी थी। उपरोक्त गैर-पूंजीकरण के परिणामस्वरूप सकल अचल संपत्तियों को ₹5.93 करोड़ कम और 'ऋण और अग्रिम' को उतनी ही राशि अधिक दर्शाया गया। इसके अलावा, मूल्यह्रास को ₹88.96[200] लाख कम दर्शाया गया है और व्यय पर आय की अधिकता को भी समान सीमा तक अधिक दर्शाया गया है।
46.	**वस्त्र समिति, मुंबई**	**2022-23** **सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान** केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखा के एकसमान प्रारूप में वित्तीय विवरणों के संकलन हेतु नोट्स और निर्देशों (अनुसूची 7) के अनुसार, कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय उपदान, कर्मचारियों की अधिवर्षिता और कर्मचारियों के संचित अवकाश नकदीकरण के लिए देयता का प्रावधान बीमांकिक आधार पर अर्जित किया जाना चाहिए और वर्ष के अंत तक प्रदान किया जाना चाहिए। हालाँकि, वस्त्र समिति ने कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित अपनी देनदारियों के लिए कोई बीमांकिक मूल्यांकन नहीं किया है और चालू देयताएँ और प्रावधान शीर्षक के अंतर्गत उपादान, अवकाश नकदीकरण और अधिवर्षिता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लेखा के एकसमान प्रारूप के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ। चूँकि प्रबंधन ने राशि की गणना नहीं की है, इसलिए प्रावधान के न होने का प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं है।

[200] *मूल्यह्रास @ 15%*

अनुलग्नक-VII

(पैरा 1.8 में संदर्भित)

केंद्रीय स्वायत्त निकाय जहां आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई

(वर्ष 2022-23 के दौरान)

क्रम संख्या.	स्वायत्त निकाय का नाम
I.	**नागर विमानन मंत्रालय**
1.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
II.	**कोयला मंत्रालय**
2.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद
III.	**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**
3.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
4.	स्पाइसेस बोर्ड
5.	टी बोर्ड इंडिया, कोलकाता
IV.	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**
6.	रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, चंडीगढ़
7.	रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, एनसीटी दिल्ली
V.	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय**
8.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
V.	**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय**
9.	कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता
10.	मुंबई पत्तन प्राधिकरण
11.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन
VI.	**विद्युत मंत्रालय**
12.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
13.	केंद्रीय विद्यूत विनियामक आयोग
14.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान

(वर्ष 2023-24 के दौरान)

क्रम संख्या.	स्वायत्त निकाय का नाम
I.	**नागर विमानन मंत्रालय**
1.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
II.	**कोयला मंत्रालय**
2.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद
III.	**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**
3.	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली (क्षेत्रीय कार्यालय)
4.	टी बोर्ड इंडिया, कोलकाता
IV.	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**
5.	रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, चंडीगढ़
6.	रियल एस्टेट सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, एनसीटी दिल्ली
V.	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय**
7.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
VI.	**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय**
8.	कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता
9.	पारादीप पत्तन प्राधिकरण, पारादीप
VII.	**विद्युत मंत्रालय**
10.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
11.	केंद्रीय विद्यूत विनियामक आयोग
12.	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)
13.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान

अनुलग्नक-VIII

(पैरा 1.8 में संदर्भित)

केंद्रीय स्वायत निकाय जहां अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया

(साल 2022-23 के दौरान)

क्रम संख्या.	स्वायत्त निकाय का नाम
I.	**नागर विमानन मंत्रालय**
1.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय
II.	**कोयला मंत्रालय**
2.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद
III.	**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**
3.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली (क्षेत्रीय कार्यालय)
4.	कॉफ़ी बोर्ड
5.	टी बोर्ड इंडिया, कोलकाता
6.	स्पाइसेस बोर्ड, कोच्चि
IV.	**कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय**
7.	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
V.	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**
8.	रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, चंडीगढ़
VI.	**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय**
9.	कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता
10.	नाविक भविष्य निधि संगठन
11.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता
12.	विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण, विशाखापत्तनम
VII.	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय**
13.	भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम
VIII.	**विद्युत मंत्रालय**
14.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान
IX.	**वस्त्र मंत्रालय**
15.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु

16.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (छः कैंपस- भोपाल, कोलकाता, पटना, पंचकूला, शिलांग और दमन)

(वर्ष 2023-24 के दौरान)

क्रम संख्या.	स्वायत्त निकाय का नाम
I.	**नागर विमानन मंत्रालय**
1.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
2.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय
II.	**कोयला मंत्रालय**
3.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद
III.	**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**
4.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली (क्षेत्रीय कार्यालय)
5.	कॉफ़ी बोर्ड
6.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, जोरहाट, असम
7.	टी बोर्ड इंडिया, कोलकाता
IV.	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**
8.	रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, चंडीगढ़
V.	**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय**
9.	मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण
10.	पारादीप पत्तन प्राधिकरण, पारादीप
11.	नाविक भविष्य निधि संगठन
12.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता
13.	विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण, विशाखापत्तनम
VI.	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय**
14.	भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम
VII.	**विद्युत मंत्रालय**
15.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
VIII.	**वस्त्र मंत्रालय**
16.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु
17.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का परिसर (भोपाल, पंचकूला, पटना और वाराणसी)

अनुलग्नक-IX

(पैरा 1.8 में संदर्भित)

केंद्रीय स्वायत निकाय जहां इनवेंटरी का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया

(वर्ष 2022-23 के दौरान)

क्रम संख्या.	स्वायत्त निकाय का नाम
I.	**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**
1.	स्पाइसेस बोर्ड, कोच्चि
2.	टी बोर्ड इंडिया, कोलकाता
II.	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय**
3.	भारतीय पैट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम
III.	**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय**
4.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता
5.	पारादीप पत्तन प्राधिकरण, पारादीप
6.	विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण, विशाखापत्तनम

(वर्ष 2023-24 के दौरान)

क्रम संख्या.	स्वायत्त निकाय का नाम
I.	**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**
1.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता
2.	टी बोर्ड इंडिया, कोलकाता
II.	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय**
3.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
III.	**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय**
4.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता
5.	पारादीप पत्तन प्राधिकरण, पारादीप
6.	विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण, विशाखापत्तनम

IV.	**विद्युत मंत्रालय**
7.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
8.	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)
V.	**वस्त्र मंत्रालय**
9.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु

अनुलग्नक-X

(पैरा 1.8 में संदर्भित)

केंद्रीय स्वायत निकाय जिन्होंने बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर उपादान और दूसरे सेवानिवृत्ति लाभों का लेखांकन नहीं किया

(2022-23 के दौरान)

क्रम संख्या.	स्वायत्त निकाय का नाम
I.	**नागर विमानन मंत्रालय**
1.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय
II.	**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**
2.	कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु
3.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश
4.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, जोरहाट, असम
5.	रबर बोर्ड, कोट्टायम
6.	स्पाइस बोर्ड, कोच्चि
III.	**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय**
7.	कयर बोर्ड, कोच्चि
8.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई
IV.	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय**
9.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
V.	**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय**
10.	चेन्नई पत्तन प्राधिकरण, चेन्नई
11.	कोचीन पत्तन प्राधिकरण, कोचीन
12.	मुंबई पत्तन प्राधिकरण
13.	मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन फंड ट्रस्ट
14.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन ट्रस्ट
V.	**वस्त्र मंत्रालय**
15.	केंद्रीय रेशम बोर्ड
16.	वस्त्र समिति

(2023-24 के दौरान)

क्रम संख्या.	स्वायत्त निकाय का नाम
I.	**नागर विमानन मंत्रालय**
1.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय
II.	**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**
2.	कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु
3.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, जोरहाट, असम
4.	रबर बोर्ड
III.	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**
5.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई
IV.	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय**
6.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
V.	**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय**
7.	कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड
8.	चेन्नई पत्तन प्राधिकरण, चेन्नई
9.	कोचीन पत्तन प्राधिकरण, कोचीन
10.	मुंबई पत्तन प्राधिकरण
11.	मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन फंड ट्रस्ट
12.	विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण, विशाखापत्तनम
VI.	**वस्त्र मंत्रालय**
13.	केंद्रीय रेशम बोर्ड

नोट: ऊपर दी गई सूची में वे स्वायत्त निकाय भी सम्मिलित हैं जिन्होंने बीमांकित मूल्यांकन पर तय देयता के मुकाबले कम देयता का प्रावधान किया है।

अनुलग्नक -XI

(पैरा 1.8 में संदर्भित)

केंद्रीय स्वायत्त निकाय जिन्होंने लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपने लेखाओं को संशोधित किया

(वर्ष 2022-23 के लिए)

क्रम सं	स्वायत्त निकाय का नाम
I.	**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**
1.	कॉफ़ी बोर्ड, बेंगलुरु
II.	**वित्तीय सेवाएँ विभाग**
2.	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
III.	**भारी उद्योग मंत्रालय**
3.	राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड
IV.	**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय**
4.	विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण, विशाखापत्तनम
IV.	**वस्त्र मंत्रालय**
5.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु

(वर्ष 2022-23 के लिए)

क्रम सं	स्वायत्त निकाय का नाम
I.	**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**
1.	कॉफ़ी बोर्ड, बेंगलुरु
2.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश
II.	**वित्तीय सेवाएँ विभाग**
3.	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
III.	**भारी उद्योग मंत्रालय**
4.	राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड
III.	**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय**
5.	विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण, विशाखापत्तनम
IV.	**वस्त्र मंत्रालय**
6.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु

अनुलग्नक -XII

(पैरा 1.9 में संदर्भित)

मार्च 2025 तक बकाया कृत्त कार्रवाई टिप्पणियों की स्थिति

क्रम सं	मंत्रालय/विभाग का नाम	प्रतिवेदन संख्या	बकाया एटीएन की स्थिति	
			एक बार भी प्राप्त नहीं एटीएन	विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन
1.	वाणिज्य एवं उद्योग	2021 का 16	-	1
2.	निगम मामले	2021 का 16	-	1
3.	आवास एवं शहरी मामले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	2021 का 17	-	1
		2020 का 3	-	2
		2021 का 16	-	3
		2023 का 1	-	2
4.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	2023 का 1	-	1
		2023 का 9	-	1
5.	खान	2023 का 1	-	2
6.	ऊर्जा	2020 का 3	-	1
7.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग	2020 का 10	-	1
		2021 का 16	-	1
8.	वस्त्र	2023 का 2	-	1
	योग		**-**	**18**

अनुलग्नक -XIII
(पैरा 2.2 में संदर्भित)
निजी पक्षों द्वारा प्राप्त भुगतानों का विवरण

क्रम संख्या	निधि प्राप्तकर्ता	बैंक भुगतान वाउचर संख्या	निधि हस्तांतरण की तारीख	निधि हस्तांतरण के लिए प्रयुक्त चेक संख्या	राशि (₹ करोड़)
1	वर्धमान एस्टेट्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	588 दिनांक 03.01.2019 (बीपीवी संख्या बदलकर 591 कर दी गई)	01.02.2019	762349 दिनांक 03.01.2019	4.15
2	वर्धमान एस्टेट्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	589 दिनांक 03.01.2019 (बीपीवी संख्या बदलकर 592 कर दी गई)	01.02.2019	762350 दिनांक 03.01.2019	2.00
3	जेष्ठा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	37 दिनांक 02.05.2019	07.05.2019	762759 दिनांक 02.05.2019	1.30
4	वर्धमान इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड		07.05.2019		1.40
5	वर्धमान इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	451 तथा 452	19.11.2019	917981 तथा 917982 दिनांक 07.09.2019	1.47
6	वर्धमान इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड		16.11.2019		1.47
7	श्री बालाजी इंटरप्राइजेज		21.11.2019		0.81
8	गणपति इंटरप्राइजेज		22.11.2019		0.59
9	एसके ट्रेडिंग कंपनी		16.11.2019 तथा 20.11.2019		1.46
10	श्याम इंटरप्राइजेज		20.11.2019 तथा 26.11.2019		1.46
11	श्री कान्हा एंटरप्राइजेज		21.11.2019		1.46
12	दीपक एंटरप्राइजेज		19.11.2019		0.45
13	एस एस इंडस्ट्रीज		19.11.2019		0.49
14	आर एस एंटरप्राइजेज		19.11.2019		0.49
15	पैरास्टिंकिंग प्राइवेट लिमिटेड		20.11.2019		0.85

क्रम संख्या	निधि प्राप्तकर्ता	बैंक भुगतान वाउचर संख्या	निधि हस्तांतरण की तारीख	निधि हस्तांतरण के लिए प्रयुक्त चेक संख्या	राशि (₹ करोड़)
16	मेसर्स अकीको शेरमन इन्फोटेक	219	28.08.2019 तथा 31.08.2019	918102, 918103 तथा 918104 दिनांक 07.08.2019	1.22
17	आरकेई एंड किंग ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड	307	27.09.2019	917919 दिनांक 24.09.2019	0.34
योग					**21.41**

अनुलग्नक -XIV
(पैरा 2.3 में संदर्भित)
बिजली शुल्क पर परिहार्य व्यय का विवरण

क्रम संख्या	स्पाइसेस पार्क	अवधि	योग भुगतान[201] की गई बिलिंग मांग (केवीए)	योग दर्ज मांग (केवीए)	उच्च अनुबंध मांग के निर्धारण के कारण परिहार्य व्यय (निश्चित शुल्क) (राशि ₹ में)	कम पीएफ के लिए जुर्माना (राशि ₹ में)	योग परिहार्य व्यय (राशि ₹ में)
					(ए)	**(बी)**	**(ए+बी)**
1.	शिवगंगा[202]	जनवरी 2017 से अगस्त 2023	14,400.00	1,661.64	34,89,408.00	4,67,517.00	39,56,925.00
2.	गुंटूर	जनवरी 2017 से मार्च 2024	21,730.00	4,352.98	66,44,522.69	-	66,44,522.69
3.	गुना	जनवरी 2017 से मार्च 2024	21,493.00	7,035.20	45,73,231.00	7,94,523.34	53,67,754.34
4.	छिंदवाड़ा[203]	जनवरी 2017 से मार्च 2022	7,826.00	1,343.00	24,06,000.00	3,96,701.84	28,02,701.84
5.	राय बरेली	मार्च 2017 से मार्च 2024	16,658.25	1,943.69	32,39,267.00	-	32,39,267.00
6.	जोधपुर	जनवरी 2017 से मार्च 2024	20,595.00	11,538.60	9,54,955.37	5,56,098.71	15,11,054.08
7.	कोटा	जनवरी 2017 से मार्च 2024	20,710.89	13,025.43	5,45,989.52	43,981.32	5,89,970.84
	योग		**1,23,413.14**	**40,900.54**	**353,588.58**	**22,58,822.21**	**2,41,12,195.79**

---

[201] अनुबंधित मांग के निर्दिष्ट प्रतिशत या माह के दौरान दर्ज की गई मांग के आधार पर, जो भी अधिक हो।

[202] लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद सितंबर 2023 में अनुबंध मांग को 200 केवीए से संशोधित कर 65 केवीए (एसईबी द्वारा निर्धारित न्यूनतम) कर दिया गया।

[203] अप्रैल 2022 से आगे, बिजली का शुल्क ऑपरेटर द्वारा वहन किया जाएगा। इसलिए, अप्रैल 2022 से मार्च 2024 तक की अवधि को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

अनुलग्नक -XV

(पैरा संख्या 3.4.4.2 देखें)

2018-19 से 2020-21 के दौरान सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए 34 निर्माण कार्यों का विवरण

क्रम सं	परियोजना का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति (एएएंडईएस) (₹ करोड़ में)
1.	एलएसएस की नई डी-शाखा और सीआरपीएफ के लिए आवास का निर्माण, संसद भवन एनेक्सी, संसद भवन परिसर, संसद मार्ग, दिल्ली	2.32
2.	आरएसएसडीयू/डीएल/2019/2- राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मान्य विश्वविद्यालय) 56-57, संस्थागत क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली में अतिरिक्त मंजिल का निर्माण	2.54
3.	केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण परिसर, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली में अतिरिक्त कार्यालय भवन का निर्माण।	2.78
4.	सेक्टर 16, रोहिणी, नई दिल्ली में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर	3.83
5.	आईटीबीपी छावला, नई दिल्ली में 22वीं बटालियन के लिए 01 नंबर 480 जवानों की बैरक (जी+4) मंजिला भवन और एसएचक्यू (दिल्ली) के लिए 1 नंबर 120 जवानों की बैरक (5वीं मंजिल) का निर्माण।	4.59
6.	विकासपुरी, नई दिल्ली में सीजीएचएस डिस्पेंसरी	5.71
7.	बीसीएस, सीआरपीएफ परिसर, बवाना, नई दिल्ली सीडी-06 में 180 जवानों की बैरक का निर्माण	8.92
8.	सीसीआई, विट्ठल भाई पटेल हाउस, नई दिल्ली में सर्विस यार्ड और खुले क्षेत्र का पुनर्विकास।	11.19
9.	शाहदरा, दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय के लिए 'ए' प्रकार के स्कूल भवन का निर्माण।	14.60
10.	साहित्य अकादमी, सेक्टर 11, द्वारका, नई दिल्ली के लिए कार्यालय भवन।	15.71
11.	आईआईटी दिल्ली में इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स	22.19
12.	प्रोबिन रोड, तिमारपुर, दिल्ली में 88 टाइप-III क्वार्टर	22.75
13.	आर्यभट्ट कॉलेज, साउथ कैंपस, नई दिल्ली में नए बहुमंजिला शैक्षणिक भवन का निर्माण	26.39
14.	पूसा, नई दिल्ली में कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के लिए नए कार्यालय भवन का निर्माण	28.16
15.	आईटीबीपी तिगरी, नई दिल्ली में 720 जवानों की बैरक	29.78
16.	राजपुर खुर्द परिसर, महरौली, नई दिल्ली में एनआईसीपीएम (आईसीएआर) भवन का निर्माण	32.39
17.	आईटीबीपी टिगरी, एमबी रोड, दिल्ली में 225 क्वार्टर	36.29

क्रम सं	परियोजना का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति (एएएंडईएस) (₹ करोड़ में)
18.	राष्ट्रपति संपदा, नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन, दिल्ली के पुनर्विकास योजना के अंतर्गत अनुसूची 'ए' के ब्लॉक संख्या 2 और 3 तथा अनुसूची 'बी' के ब्लॉक संख्या 12 में 48 प्रकार II क्वार्टर और 28 प्रकार T-III क्वार्टर का निर्माण, जिसमें पार्किंग हेतु बेसमेंट भी शामिल है।	39.17
19.	आईआईटी दिल्ली में 414 क्षमता वाला एकल बैठक वाला बालिका छात्रावास	39.26
20.	39वीं बटालियन, आईटीबीपी ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में 453 आवास।	68.62
21.	आईआईटी दिल्ली, हौज़ खास, दिल्ली में बालक छात्रावास 'ई'	84.34
22.	अफ्रीका एवेन्यू, सरोजिनी नगर बस डिपो के पास, नेताजी नगर, दिल्ली में स्टील संरचना वाले गैर-आवासीय भवन	89.53
23.	ईसीआई के लिए आईआईडीईएम परिसर, प्लॉट संख्या 1, सेक्टर-13, द्वारका, नई दिल्ली	121.18
24.	डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली में पॉकेट-1 में 120 जीपीआरए टाइप-VII फ्लैटों का निर्माण	197.33
25.	माननीय लोकसभा, नई दिल्ली के लिए 76 बहुमंजिला सांसद फ्लैटों का निर्माण, डॉ. बीडी मार्ग, दिल्ली	218.72
26.	मिंटो रोड, नई दिल्ली में भारत सरकार मुद्रणालय का पुनर्विकास	238.56
27.	घिटोरनी, नई दिल्ली में राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान (एनआईसीएफ) के लिए भौतिक अवसंरचना की स्थापना	248.20
28.	तीन मूर्ति एस्टेट, नई दिल्ली परिसर में 'भारत के प्रधानमंत्रियों' पर एक संग्रहालय की स्थापना	271.24
29.	लोधी रोड, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में अटल अक्षय ऊर्जा भवन।	271.90
30.	मोहम्मदपुर, नई दिल्ली में जनरल पूल आवासीय कॉलोनी का पुनर्विकास	362
31.	त्यागराज नगर, नई दिल्ली में जनरल पूल आवासीय कॉलोनी का पुनर्विकास	392
32.	अफ्रीका एवेन्यू और केजी मार्ग पर पूर्व-इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग करते हुए स्टील संरचना वाले गैर-आवासीय भवन	491.82
33.	नई दिल्ली के प्रगति मैदान से सटी भूमि पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए अतिरिक्त परिसर	884.30
34.	नई दिल्ली के मैदानगढ़ी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान (सीएपीएफआईएमएस) की स्थापना।	1,368.53

अनुलग्नक -XVI

(पैरा संख्या 3.4.4.2 देखें)

लेखापरीक्षा में चयनित नौ नमूना परियोजनाओं का विवरण

क्रमसंख्या	चयनित कार्यों का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति की तिथि (एए और ईएस)	एए और ईएस में उल्लिखित राशि (₹ करोड़ में)	निविदा लागत (₹ करोड़ में)	प्रारंभ की निर्धारित तिथि	पूरा होने की निर्धारित तिथि	05 मार्च 2022 तक कार्य पूर्ण होने की स्थिति	वास्तविक व्यय (5 मार्च 2022 तक) (₹ करोड़ में)
1.	आईआईटी दिल्ली, हौज खास, दिल्ली के छात्रावास क्षेत्र में लड़कों के छात्रावास 'ई' का निर्माण	08.05.2013	84.34	73.96	25.07.18	24.11.2019	कार्य प्रगति पर है	85.96
2.	39वीं बटालियन, आईटीबीपी, ग्रेटर नोएडा (यूपी) में आंतरिक डब्ल्यू/एस, एस/आई, विद्युत स्थापना आदि सहित 296 नग टाइप-II क्वार्टर ()-37 ब्लॉक, 128 नग टाइप-III क्वार्टर (16 ब्लॉक), 24 नग टाइप-IV क्वार्टर ब्लॉक, 4 नग टाइप-V क्वार्टर और 1 नग टाइप-VI क्वार्टर एकल मंजिला का निर्माण।	28.06.2016	68.62	54.68	07.10.16	06.06.2018	22.12.2020	81.39

क्रमसंख्या	चयनित कार्यों का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति की तिथि (एए और ईएस)	एए और ईएस में उल्लिखित राशि (₹ करोड़ में)	निविदा लागत (₹ करोड़ में)	प्रारंभ की निर्धारित तिथि	पूरा होने की निर्धारित तिथि	05 मार्च 2022 तक कार्य पूर्ण होने की स्थिति	वास्तविक व्यय (5 मार्च 2022 तक) (₹ करोड़ में)
3.	मैदानगढ़ी, नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान (सीएपीएफआईएमएस) का निर्माण।	22.10.2013	1,368.53	1090.03	13.04.17	22.06.2019	कार्य प्रगति पर है	873.82
4.	अटल अक्षय ऊर्जा भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली का निर्माण	14.10.2017	271.90	228.47	31.05.18	30.11.2019	कार्य प्रगति पर है	227.53
5.	आईटीबीपी छावला, नई दिल्ली में 22वीं बटालियन के लिए 01 नंबर 480 जवानों की बैरक भवन और एसएचक्यू (दिल्ली) के लिए 1 नंबर 120 जवानों की बैरक का निर्माण।	30.03.2017 (480 बैरक) 31.03.2017 (120 बैरक)	28.04	21.18	16.08.17	15.11.2018	06.08.2019	23.92
6.	22वीं बटालियन आईटीबीपी, तिगरी, नई दिल्ली में 225 क्वार्टरों का निर्माण	03.11.2016	36.29	27.24	11.08.17	10.11.2018	22.12.2020	37.19
7.	डॉ. बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली में लोक सभा सांसद के 76 बहुमंजिला फ्लैटों का निर्माण।	10.07.2017	218.72	150.92	21.08.18	20.06.2020	11.02.2021	172.84

क्रमसंख्या	चयनित कार्यों का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति की तिथि (एए और ईएस)	एए और ईएस में उल्लिखित राशि (₹ करोड़ में)	निविदा लागत (₹ करोड़ में)	प्रारंभ की निर्धारित तिथि	पूरा होने की निर्धारित तिथि	05 मार्च 2022 तक कार्य पूर्ण होने की स्थिति	वास्तविक व्यय (5 मार्च 2022 तक) (₹ करोड़ में)
8.	मोहम्मदपुर, नई दिल्ली में जनरल पूल आवासीय कॉलोनी का पुनर्विकास ईपीसी आधार पर 400 टाइप-**II** और 345 टाइप-**III** जनरल पूल आवासीय आवास (जीपीआरए) का निर्माण	22.07.2016	362	255.51	22.09.17	08.05.2022	कार्य प्रगति पर है	130.20
9.	भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) परिसर, प्लॉट संख्या-1, सेक्टर-13, द्वारका, नई दिल्ली।	26.05.2014	121.18	पूरे कार्य के लिए ₹85.16 करोड़। शेष कार्य के लिए ₹20.62 करोड़	14.01.16 07.11.18	13.04.2017 06.04.2019	कार्य प्रगति पर है	90.56
	कुल		**2,559.62**	**2,007.77**				**1,723.41**

अनुलग्नक -XVII

{पैरा संख्या 3.4.5.1(ii) देखें}

विचलित मदों का विवरण

क्रम संख्या	कार्य का नाम	विचलित मदों की संख्या	स्वीकार्य सीमा से परे विचलन की सीमा (प्रतिशत में)	परिहार्य व्यय[204] की कुल राशि (₹ करोड़ में)	मंत्रालय का उत्तर (जून 2024)	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
1	आईआईटी दिल्ली में लड़कों के छात्रावास का निर्माण.	59	1.76 से 10,938.46	7.19	सलाहकार द्वारा विस्तृत अनुमान तैयार किया गया और खुदाई के दौरान, उप-मृदा स्तर पर मिट्टी भरी हुई पाई गई। सलाहकार के परामर्श से संरचनात्मक डिजाइनर के साथ विस्तृत तकनीकी चर्चा के बाद, 6.0 मीटर गहरी राफ्ट नींव बनाने का निर्णय लिया गया, जो संरचना की सुरक्षा के लिए अपरिहार्य समाधान था। ई एंड एम मदों में विचलन, भवन को उचित रूप से कार्यात्मक बनाने के लिए अनुमानित मात्रा के संबंध में बिजली तारों, एचवीएसी पाइप और डिफ्यूज़र आदि की मात्रा में वृद्धि के कारण था।यह स्वीकार किया जाता है कि अनुमान तैयार करते समय	लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने कहा कि निष्पादन के समय ऐसे विचलनों से बचने के लिए, सीपीडब्ल्यूडी ने जीसीसी के खंड 12 में परिशोधन करके सुखण्डत्मक उपाय किए हैं, जिसके अंतर्गत संविदाकार द्वारा उद्धृत दरों पर विचलन सीमा को 100 प्रतिशत तक बढ़ा दिया

[204] वस्तु की प्रचलित बाजार दर और सहमति दर के बीच अंतर को वस्तु में स्वीकार्य सीमा से परे विचलन की मात्रा से गुणा किया जाता है।

					जीएफसी रेखाचित्रों के आधार पर उचित मूल्यांकन ऐसे विचलनों को कम कर सकता है और निष्पादन के समय ऐसे विचलनों से बचने के लिए, सीपीडब्ल्यूडी ने जीसीसी के खंड 12 में परिशोधन करके सुखण्डत्मक उपाय किए हैं, जिसके अंतर्गत संविदाकार द्वारा उद्धृत दरों पर विचलन सीमा को 100 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, मुख्य अभियंता/अधिशासकीय अभियंता स्तर पर विचलन की अधिक कठोर और गहन निगरानी के लिए परिपत्र जारी किए गए हैं। प्रमुख बुनियादी ढाँचा कार्यों के लिए ईपीसी अनुबंधों का कार्यान्वयन भी ऐसे विचलनों से बचने के लिए एक सुखण्डत्मक उपाय है। लेखापरीक्षा के निर्देश और सिफारिशें भविष्य के संदर्भ के लिए नोट की गई हैं.	गया है। इसके अलावा, मुख्य अभियंता/विशेषज्ञ स्तर पर विचलन की अधिक कठोर और गहन निगरानी के लिए परिपत्र जारी किए गए हैं। बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए ईपीसी अनुबंधों का कार्यान्वयन भी ऐसे विचलनों से बचने के लिए एक सुखण्डत्मक उपाय है। लेखापरीक्षा का मत है कि विचलन सीमा को बढ़ाने मात्र से बड़े विचलन नियमित हो जाएंगे। मंत्रालय/सीपीडब्ल्यूडी को आकलन की पद्धति में सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि बड़े विचलन की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त हो जाए।
2	आईटीबीपी छावला में **480 + 120** जवानों	43	0.9 से 5,379.91	0.81	आकलन के दौरान जलभराव की स्थिति का अनुमान नहीं लगाया जा सका क्योंकि आकलन के समय जलभराव नहीं देखा गया था। आईटीबीपी के दिनांक	इस उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखा जा सकता है कि विभाग ने

	के लिए बैरक का निर्माण।				08.08.2018 के पत्र के अनुसार बालकनी की रेलिंग की ऊंचाई 0.75 मीटर से बढ़ाकर 1.05 मीटर कर दी गई। भूतल की लिफ्ट लॉबी, कॉमन एरिया और टीवी रूम में ग्रेनाइट लगाया गया क्योंकि वीआईपी लोगों का आना-जाना आमतौर पर भूतल पर ही होता है। इस प्रकार, ये सभी चीजें भवन की कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक थीं। साथ ही, खण्ड 10 सीसी और 10सीए लागू होती हैं, जो सामग्री और श्रम की कीमतों में बदलाव के कारण संविदा में बदलाव का प्रावधान करती हैं। यदि इन्हें एनआईटी में शामिल किया जाता, तो खण्ड 10 सीसी और 10सीए के अनुसार उद्धृत दरों के अतिरिक्त मूल्य वृद्धि एजेंसी को देय होती।	स्वयं स्वीकार किया है कि ये सभी मदें भवन की कार्यात्मक आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक थीं, और इसलिए विस्तृत अनुमान तैयार करते समय इनका अनुमान लगाया जाना चाहिए था। इसके अलावा, विभाग का यह तर्क कि यदि वस्तुओं को एनआईटी में शामिल किया गया होता, तो खंड 10सीसी और 10सीए के अनुसार उद्धृत दरों के अतिरिक्त मूल्य वृद्धि एजेंसी को देय होती, भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि खंड 10सीसी और 10सीए मूल्य में वृद्धि/कमी से संबंधित हैं, जबकि लेखापरीक्षा अवलोकन निष्पादित मदों की मात्रा में विचलन पर आधारित है।

3.	नई दिल्ली के तिगरी स्थित आईटीबीपी की 22वीं बटालियन में 225 क्वार्टरों का निर्माण।	38	2.56 से 5,064	1.03	एनआईटी तैयार करते समय संरचनात्मक रेखाचित्र उपलब्ध नहीं थे। कार्य प्रारंभ में देरी से बचने के लिए सीमेंट और स्टील की मात्रा पूर्व अनुभव के आधार पर ली गई थी। परियोजना में देरी से बचने के लिए यह एक सामान्य प्रक्रिया है। साथ ही, इस संविदा में लागू खण्ड 10 सीए सीमेंट और स्टील की कीमतों में भिन्नता के कारण संविदा राशि में परिवर्तन का प्रावधान करती है। इस प्रकार, सीमा से अधिक सभी सामग्रियों का भुगतान बाजार दर पर किया गया है, उन पर 10 सीए का भुगतान नहीं किया गया है। यदि ये वस्तुएं सीमा के भीतर होतीं, तो उन पर भी 10 सीए का भुगतान करना पड़ता। इसके अलावा, खण्ड 10सीसी लागू होती है, जिसमें सामग्री और श्रम की कीमतों में बदलाव के कारण संविदा में परिवर्तन का प्रावधान है। यदि मदों को एनआईटी में लिया जाता, तो खण्ड 10सीसी के अनुसार मूल्य वृद्धि एजेंसी को उद्धृत दरों के अतिरिक्त देय होती। इस प्रकार का विचलन आवश्यक था और इससे बचा नहीं जा सकता था।	मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि लेखापरीक्षा में आपत्ति तय मात्रा से अधिक मदों की बढ़ी हुई मात्रा के निष्पादन पर है, जबकि उत्तर में खण्ड 10 सीए और 10सीसी का हवाला दिया गया है, जो सामग्रियों की कीमत में वृद्धि/कमी (मात्रा में नहीं) से संबंधित हैं। इसके अलावा, सभी आवश्यक मदों को उनकी सही मात्रा के साथ विस्तृत अनुमान में शामिल किया जाना चाहिए, चाहे मूल्य वृद्धि देय हो या नहीं।
4.	नई दिल्ली के डॉ. बी.डी. मार्ग पर लोकसभा	128	4 से 8,67,985	3.76	इस विशेष कार्य के लिए, कार्यस्थल पर एक नमूना फ्लैट का निर्माण किया गया था। स्वीकृत नमूना फ्लैट के आधार पर निर्माण में आवश्यक परिशोधन किए गए। मदें, मूल्य वृद्धि आदि। यह भी निवेदन किया	इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देते हुए मंत्रालय ने कहा कि ऑडिट के दिशा-निर्देश और सिफारिशें भविष्य के संदर्भ

	सांसदों के लिए 76 बहुमंजिला फ्लैटों का निर्माण।				जाता है कि सभी अतिरिक्त मदें संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अनुसार अपने वित्तीय अधिकार क्षेत्र के भीतर अनुमोदित हैं। जिन मदों में विचलन हुआ है, वे वास्तविक कार्य के अनुरूप हैं और संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार भुगतान किए गए हैं, इसलिए इन्हें अतिरिक्त व्यय नहीं माना जाना चाहिए। हाल ही में, सीपीडब्ल्यूडी ने परियोजनाओं के कार्यों में संविदात्मक विचलन/अतिरिक्त मदों को कम करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार परियोजना कार्य में अधिकतम विचलन/अतिरिक्त मद निविदा लागत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, सीपीडब्ल्यूडी ने संविदात्मक विचलन को सीमित करने के लिए मात्राओं के आकलन हेतु निविदा तैयार करने में बीआईएम मॉडल के उपयोग के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं। लेखापरीक्षा के निर्देशों और सिफारिशों को भविष्य के संदर्भ के लिए नोट कर लिया गया है।	के लिए नोट कर ली गई हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि सीपीडब्ल्यूडी ने हाल ही में परियोजना कार्यों में संविदात्मक विचलन/अतिरिक्त मदों को कम करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार किसी परियोजना कार्य में अधिकतम विचलन/अतिरिक्त मद निविदा लागत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। संविदात्मक विचलन को सीमित करने के लिए मात्राओं के आकलन हेतु निविदा तैयार करने में बीआईएम मॉडल के उपयोग के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
	कुल	**268**		**12.79**		

अनुलग्नक -XVIII

{पैरा संख्या 3.4.5.1 देखें (iii)}

अतिरिक्त मदों का विवरण

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अतिरिक्त मदों की संख्या	अतिरिक्त मदों की कुल राशि (₹ करोड़ में)	मंत्रालय का उत्तर (जून 2024)	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
1	आईआईटी दिल्ली में लड़कों के छात्रावास का निर्माण।	93	5.25	विस्तृत अनुमान तैयार करते समय भवन को पूर्णतः कार्यात्मक बनाने के लिए आवश्यक सभी मदों को ध्यान में रखा गया था। हालांकि, कार्य निष्पादन के दौरान, भवन की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त मदों की आवश्यकता महसूस हुई, जो अपरिहार्य था। निष्पादन के समय इन मदों का बाजार दर पर भुगतान करने से बचने के लिए, सीपीडब्ल्यूडी ने जीसीसी (दिसंबर 2023) के खंड 12 में परिशोधन करके सुखण्डत्मक उपाय किए हैं, जिसके अनुसार डीएसआर में उपलब्ध अतिरिक्त मदों का भुगतान भी संविदाकार द्वारा उद्धृत दर से ऊपर/नीचे प्रतिशत के हिसाब से समायोजित करके निर्धारित दरों पर	इस मुद्दे का औचित्य बताते हुए मंत्रालय ने कहा कि निष्पादन के समय ऐसी मदों के लिए बाजार दर पर भुगतान से बचने के लिए, सीपीडब्ल्यूडी ने जीसीसी के खंड 12 में परिशोधन करके सुखण्डत्मक उपाय किए हैं, जिसके अंतर्गत डीएसआर में उपलब्ध अतिरिक्त मदों का भुगतान भी संविदाकार द्वारा उद्धृत मूल्य से ऊपर/नीचे प्रतिशत के हिसाब से समायोजित निर्धारित दरों पर किया जाएगा। मंत्रालय ने आगे कहा कि लेखापरीक्षा के दिशा-निर्देश और सिफारिशें भविष्य के संदर्भ के लिए नोट कर ली गई हैं।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अतिरिक्त मदों की संख्या	अतिरिक्त मदों की कुल राशि (₹ करोड़ में)	मंत्रालय का उत्तर (जून 2024)	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
				किया जाएगा। लेखापरीक्षा के निर्देशों और अनुशंसाओं को भविष्य के संदर्भ के लिए नोट कर लिया गया है।	
2	नई दिल्ली के तिगरी स्थित आईटीबीपी की 22वीं बटालियन में 225 क्वार्टरों का निर्माण।	40	2.67	प्रारंभिक रेखाचित्रों के आधार पर प्रारंभिक और विस्तृत अनुमान तैयार किया गया और तदनुसार ग्राहक यानी आईटीबीपी से स्वीकृति प्राप्त की गई। कार्य विस्तृत वास्तु और संरचनात्मक रेखाचित्रों की आवश्यकताओं और वास्तविक स्थल की आवश्यकताओं के आधार पर निष्पादित किया गया। यदि मदों को एनआईटी में लिया गया होता, तो खंड 10सीसी और 10सीए के अनुसार मूल्य वृद्धि उद्धृत दरों के अतिरिक्त एजेंसी को देय होती।	इस उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि विस्तृत अनुमान के साथ विस्तृत वास्तु रेखाचित्र, प्रारंभिक संरचनात्मक योजनाएँ, प्रारंभिक लेआउट रेखाचित्र, कार्य के विभिन्न घटकों के विस्तृत रेखाचित्र और/या विनिर्देश, साथ ही संभावित निर्माण संबंधी विशेष कठिनाइयों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी भी होनी चाहिए। हालांकि, सीपीडब्ल्यूडी ने केवल प्रारंभिक रेखाचित्रों के आधार पर प्रारंभिक अनुमान सह विस्तृत अनुमान तैयार किया और अन्य अभिलेखों पर कार्य निष्पादन के समय विचार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सहमत मात्रा में अतिरिक्त मदें शामिल हो गईं।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अतिरिक्त मदों की संख्या	अतिरिक्त मदों की कुल राशि (₹ करोड़ में)	मंत्रालय का उत्तर (जून 2024)	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
					इसके अलावा, यह तर्क कि यदि मदों को एनआईटी में शामिल किया जाता, तो खंड 10सीसी और 10सीए के अनुसार उद्धृत दरों के अतिरिक्त मूल्य वृद्धि एजेंसी को देय होती, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि भवन की कार्यात्मक आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक मानी जाने वाली सभी मदों को विस्तृत अनुमान में शामिल किया जाना चाहिए, चाहे मूल्य वृद्धि देय हो या नहीं।
3	डॉ. बी.डी. मार्ग पर लोकसभा सांसदों के लिए 76 बहुमंजिला फ्लैटों का निर्माण।	44	20.26	कार्यस्थल पर एक नमूना फ्लैट बनाया गया था, जिसका उद्देश्य ग्राहक के सुझावों को शामिल करना था। स्वीकृत नमूना फ्लैट के आधार पर निर्माण में आवश्यक परिशोधन किए गए। यह भी निवेदन किया जाता है कि सभी अतिरिक्त मदें संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने वित्तीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नियमावली के अनुसार अनुमोदित हैं।	इस उत्तर में इस तथ्य का कोई जिक्र नहीं है कि सामान्य प्रकृति के कार्यों को अतिरिक्त मद के रूप में क्यों निष्पादित किया गया। हालांकि, इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देते हुए मंत्रालय ने कहा कि लेखापरीक्षा के दिशा-निर्देश और सिफारिशें भविष्य के संदर्भ के लिए नोट कर ली गई हैं।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अतिरिक्त मदों की संख्या	अतिरिक्त मदों की कुल राशि (₹ करोड़ में)	मंत्रालय का उत्तर (जून 2024)	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
				लेखापरीक्षा के निर्देशों और अनुशंसाओं को भविष्य के संदर्भ के लिए नोट कर लिया जाए।	
4	द्वारका में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईए म) का निर्माण कार्य।	74	3.31	कार्य निष्पादन के दौरान सामने आए अतिरिक्त मद वास्तविक आवश्यकता, ग्राहक द्वारा ड्राइंग और विशिष्टताओं में परिवर्तन आदि के कारण थे, जिनका निविदा के समय अनुमान नहीं लगाया गया था। कुछ अतिरिक्त मद जैसे 1. सिरेमिक स्टील हाई ग्लास राइटिंग पैड, 2. छत के लिए अंडर डेक इन्सुलेशन, 3. स्वचालित ग्लास स्लाइडिंग दरवाजे आदि 2017 में कार्य आवंटन के काफी बाद सामने आए। चूंकि ये अतिरिक्त मद निर्भर गतिविधियाँ थीं जिन्हें किसी अन्य संविदाकार को नियुक्त करके नहीं किया जा सकता था, इसलिए जीसीसी के खंड-12 के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त मदों के लिए बाजार दर का भुगतान किया गया।	मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि अतिरिक्त मदों के रूप में उल्लिखित कार्यों की प्रकृति को मुख्य करारनामे में शामिल किया जा सकता था और इस प्रकार इन मदों के लिए बाजार दर पर भुगतान से बचा जा सकता था।
	कुल	**251**	**31.49**		

अनुलग्नक -XIX

(पैरा संख्या 3.4.5.2 देखें)

तकनीकी प्रतिनिधियों का विवरण

क्रम संख्या	कार्य का नाम	कार्य प्रारंभ होने की तिथि से लेकर समापन की तिथि/लेखापरीक्षा की तिथि तक	आवश्यक तकनीकी प्रतिनिधियों की संख्या	तकनीकी प्रतिनिधि जिनके लिए योग्यता/ अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था या क्रम में नहीं था	प्रति माह वसूला जाने वाला जुर्माना (₹ में)	वसूल की जाने वाली कुल जुर्माना राशि (₹ में)	मंत्रालय का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी(एफ*सी)	एच	आई
1	सीजीओ कॉम्प्लेक्स में अटल अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण.	31.05.2018 to 18/04/2022 अर्थात 47 माह	26	26	12,50,000	5,87,50,000	तकनीकी प्रतिनिधियों की नियुक्ति से संबंधित प्रासंगिक अभिलेखों की फोटोकॉपी संलग्न है।	26 निर्दिष्ट व्यक्तियों में से केवल एक के अभिलेखों प्रस्तुत किये गये, और वह भी अधूरे थे।
2	द्वारका में भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन	07/11/2018, 07/03/2022 अर्थात 40 माह	04	04	85,000	34,00,000	सीपीडब्ल्यूडी या मंत्रालय द्वारा कोई	चूंकि तकनीकी प्रतिनिधियों का कोई विवरण

क्रम संख्या	कार्य का नाम	कार्य प्रारंभ होने की तिथि से लेकर समापन की तिथि/लेखापरीक्षा की तिथि तक	आवश्यक तकनीकी प्रतिनिधियों की संख्या	तकनीकी प्रतिनिधि जिनके लिए योग्यता/ अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था या क्रम में नहीं था	प्रति माह वसूला जाने वाला जुर्माना (₹ में)	वसूल की जाने वाली कुल जुर्माना राशि (₹ में)	मंत्रालय का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
ए	**बी**	**सी**	**डी**	**ई**	**एफ**	**जी(एफ*सी)**	**एच**	**आई**
	संस्थान (आईआईआईडीईएम) का निर्माण।						उत्तर नहीं दिया गया है।	प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए लेखापरीक्षा तैनात तकनीकी प्रतिनिधियों की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकी।
कुल						**6,21,50,000**		

अनुलग्नक XX
(पैरा 3.5.5 में संदर्भित)
लेखापरीक्षा नमूना

क्रम संख्या .	परियोजनाओं का नाम	परियोजनाओं का कोड	एएएंडईएस (₹ करोड़ में)	प्रारंभ होने की नियत तिथि	जुलाई 2022 तक पूर्ण होने की तिथि/पूर्णता का प्रतिशत
	पूर्ण परियोजनाएं				
1.	वसंत कुंज के सेक्टर-बी, पॉकेट-II में 160 श्रेणी II के चार मंजिला मकान और 160 स्कूटर गैरेज का निर्माण, आंतरिक विकास (एलआईजी पॉकेट) के अंतर्गत। उप-शीर्षक: वसंत कुंज के सेक्टर-बी, पॉकेट-II में 80 उच्च-स्तरीय श्रेणी II के मकान और 80 स्कूटर गैरेज का निर्माण, जिसमें मेसर्स श्री दुर्गा कंस्ट्रक्शन कंपनी के जोखिम और लागत पर आंतरिक विकास ग्रेड-I (शेष कार्य) भी शामिल है।	पी1	8.10	22 अप्रैल 2014	10 अप्रैल 2017
2.	मंगलापुरी, द्वारका (साइट संख्या IV) में डीडीए परियोजना कार्यालय के पीछे सुविधा भवन सहित 273 बहुमंजिला ईडब्ल्यूएस आवासों के एकीकृत परिसर का निर्माण। परियोजना डिज़ाइन और निर्माण के आधार पर। .	पी2	34.91	07 अगस्त 2015	05 अप्रैल 2021
3.	सी/ओ 362 (268 एमआईजी + 94 एलआईजी) बहुमंजिला और चार मंजिला मकान, बेसमेंट, आंतरिक और बाहरी विकास और आंतरिक विद्युतीकरण सहित, महरौली महिपालपुर रोड, नई दिल्ली पर वसंत कुंज में पूर्ण ।	पी3	83.52	20 मई 2010	18 दिसंबर 2020
4.	सी/ओ 352 बहुमंजिला दो बेडरूम अपार्टमेंट, विद्युतीकरण के साथ पॉकेट-3, सेक्टर-19बी, द्वारका, फेज़.II.	पी4	165.90	17 अप्रैल 2015	10 जुलाई 2019

5.	पॉकेट 9-बी, जसोला में 15715 वर्ग मीटर भूमि पर एचआईजी आवासों का निर्माण, जिसमें आंतरिक और बाह्य विद्युतीकरण, अग्निशमन, लिफ्ट और आंतरिक विकास कार्य (डिजाइन और निर्माण आधार) शामिल हैं।	पी5	174.46	22 नवंबर 2014	22 मई 2019
6.	सेक्टर-16बी, पॉकेट-II, द्वारका फेज-II में आंतरिक विकास और विद्युतीकरण सहित 346 (एम.एस.) एमआईजी आवासों का निर्माण।	पी6	188.00	17 जून 2016	26 दिसंबर 2020
7.	सुल्तानगढ़ी मक़बरे के पास महरौली महिपालपुर रोड पर वसंत कुंज में 852 उच्च-आय वर्गीय/मध्यम-आय वर्गीय/निम्न-आय वर्गीय आवासों का निर्माण। उप-शीर्षक: भाग-क: क्लस्टर-2: 223 आवासों (154 मध्यम आय वर्गीय और 69 लघु-आय वर्गीय) का निर्माण।	पी7	305.20	25 अक्टूबर 2009	16 मार्च 2021
	सुल्तानगढ़ी मक़बरे के पास महरौली महिपालपुर रोड पर वसंत कुंज में 852 एचआईजी/एमआईजी/एलआईजी मकानों का निर्माण। एसएच: भाग-ए: क्लस्टर-I, 207 एचआईजी मकानों का निर्माण।			3 जून 2010	31 जनवरी 2021
	सुल्तानगढ़ी मकबरे के पास महरौली महिपालपुर रोड पर वसंत कुंज में 852 उच्च-आयात/मध्यम-आयात/निम्न आयात आवासों का निर्माण। एसएच: भाग-बी: क्लस्टर-3: 213 आवासों का निर्माण (157 लघु-आयात और 57 निम्न आयात)			9 सितंबर 2010	31 जनवरी 2021
	सुल्तानगढ़ी मकबरे के पास महरौली महिपालपुर रोड पर वसंत कुंज में 852 उच्च-आयात/मध्यम-आयात/निम्न आयात आवासों का निर्माण। एसएच: भाग-बी: क्लस्टर-IV 209 उच्च-आयात आवासों का निर्माण।			30 मई 2010	31 जुलाई 2020
8.	नरेला के सेक्टर ए-1 से ए-4 के पॉकेट-1सी में डिजाइन और निर्मित आधार पर 2128 ईडब्ल्यूएस और 348 श्रेणी-II मकानों का निर्माण, आंतरिक विकास और विद्युतीकरण के अधीन।	पी8	311.91	03 जून 2014	25 जून 2020
9.	आंतरिक विकास और विद्युतीकरण सहित सेक्टर ए-1 से ए-4 नरेला में 2561 ईडब्ल्यूएस और 419 कैट-2 घरों को डिजाइन और पॉकेट 1बी में निर्मित किया गया है।	पी9	374.20	29 मार्च 2014	20 मई 2019

10.	सी/ओ 1696 ईडब्ल्यूएस और 280 कैट-II घरों को डिजाइन और पॉकेट 1ए, सेक्टर ए1 से ए4, नरेला आई/सी आंतरिक विकास और विद्युतीकरण में बनाया गया है।	पी10	389.20	29 मार्च 2014	16 मई 2019
11.	नरेला, रोहिणी दिल्ली (ए टर्नकी प्रोजेक्ट) में 24660 एल. आई. जी. और 4855 ई. डब्ल्यू. एस. घरों में प्रीफैब तकनीक (संरचनात्मक आर. सी. सी. सदस्य यानी कॉलम, बीम और स्लैब सभी पूर्व-निर्मित) का उपयोग करके। **समूह-I** **उप-शीर्ष:** सेक्टर जी-7 और जी-8 नरेला, सेक्टर 34 और 35 रोहिणी में 11,566 एल. आई. जी. और 2276 ई. डब्ल्यू. एस. घर *उपरोक्त उप-शीर्ष में से, स्थान की अनुपलब्धता के कारण निम्नलिखित फ्लैटों को वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया:* सी/ओ 2618 एल. आई. जी. और पी. के. टी-6 और 2638 एल. आई. जी. में 580 ई. डब्ल्यू. एस. घर, पी. के. टी-7 में 580 ई. डब्ल्यू. एस. घर और पॉकेट 6बी और 4बी रोहिणी सेक्टर 34 और 35 के बदले सेक्टर जी-7 और जी-8 में आंतरिक विकास और विद्युतीकरण	पी11	4128.95	03 मई 2013 27 अक्टूबर 2016	02 सितंबर 2017 30 सितंबर 2020
12.	नरेला और रोहिणी, दिल्ली में 24660 एल. आई. जी. और 4855 ई. डब्ल्यू. एस. घरों में प्रीफैब तकनीक (संरचनात्मक आर. सी. सी. सदस्य यानी कॉलम, बीम और स्लैब सभी पूर्व-निर्मित या दीवार और स्लैब सभी पूर्व-निर्मित) का उपयोग किया जाता है। (एक टर्नकी परियोजना)। **समूह-II** **उप-शीर्ष:** सी/ओ 13094 एल. आई. जी. और 2579 ई. डब्ल्यू. एस. घर आई/सी. आंतरिक विकास और सेक्टर जी-2 और जी-6, जी-3 और जी-4 नरेला में विद्युतीकरण *उपरोक्त उप-शीर्ष में से, निम्नलिखित फ्लैटों को स्थान की अनुपलब्धता के कारण वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया:*	पी 12	4322.52	03 मई 2013	22 सितंबर 2017

	सी/ओ 6511 एल. आई. जी. और 1420 ई. डब्ल्यू. एस. घर आई/सी. सेक्टर में आंतरिक विकास और विद्युतीकरण। जी-7 और जी-8 नरेला।			27 अक्तूबर 2016	12 नवंबर 2020
	योग		**10486.87**		
	चल रही परियोजनाएं				
1.	सी/ओ 1568 डीयू/600 कैट-III (312 डीयू के 2बीएचके + 288 डीयू के 1बीएचके) और 968 ईडब्ल्यूएस बहुमंजिला मिश्रित घर जिसमें पॉकेट-5, सेक्टर-14, द्वारका, पीएच-2 में आंतरिक विकास और विद्युतीकरण शामिल हैं	पी13	280.63	19 फरवरी 2016	79
2.	सी/ओ 325 दो बीएचके, 170 तीन बीएचके और 194 ईडब्ल्यूएस घर (डिजाइन और निर्मित मॉडल) पॉकेट-7 में चिह्नित, सेक्टर ए-1 से ए-4, नरेला	पी14	284.43	06 अगस्त 2015	89
3.	लोक नायकपुरम (बक्करवाला) में पॉकेट-ई में 821 बहुमंजिला घर (600 दो शयनकक्ष और 221 ईडब्ल्यूएस घर)	पी15	316.51	08 जुलाई 2016	98
4.	सी/ओ 420 दो बीएचके, 225 तीन बीएचके और 250 ईडब्ल्यूएस घर (डिजाइन और बिल्ड मॉडल) सेक्टर ए-1 से ए-4, नरेला में पॉकेट.-6 में निर्धारित किए गए हैं। (क) सी/ओ 225 तीन बीएचके और 250 ईडब्ल्यूएस घर (डिजाइन और बिल्ड मॉडल) पूरे पी. के. टी.-6 के लिए बाहरी विकास और बाहरी विद्युतीकरण, यूजीआर, एसटीपी, ईएसएस आदि सहित ए-1 से ए-4 नरेला सेक्टर में पी. के. टी.-6 में निर्धारित किए गए हैं। (ख) सी/ओ 420 सेक्टर ए-1 से ए4 नरेला में पॉकेट में दो बी. एच. के. घर (डिजाइन और बिल्ड मॉडल) निर्धारित किए गए हैं।	पी16	391.35	01 अगस्त 2015	78 84

				01 अगस्त 2015	
5.	सी/ओ 520 सेक्टर ए-1 से ए-4, नरेला में पॉकेट-14 में चिह्नित दो बी. एच. के., 250 तीन बी. एच. के. और 295 ई. डब्ल्यू. एस. घर (डिजाइन और निर्मित मॉडल)	पी17	441.93	06 अगस्त 2015	86
6.	नरेला में सेक्टर ए-1 से ए-4 में पॉकेट – 9 में चिह्नित 600 दो बीएचके, 250 तीन बीएचके और 320 ईडब्ल्यूएस मकान (डिजाइन और निर्मित मॉडल)	पी18	486.49	06 अगस्त 2015	83
7.	नरेला के सेक्टर ए-1 से ए-4 में पॉकेट – 4 में चिह्नित 500 दो बीएचके, 340 तीन बीएचके और 325 ईडब्ल्यूएस मकान (डिजाइन और निर्मित मॉडल)	पी19	509.29	22 जुलाई 2015	78
8.	सी/ओ 625 सेक्टर ए-1 से ए-4, नरेला में पॉकेट-3 में चिह्नित दो बीएचके, 350 तीन बीएचके और 376 ईडब्ल्यूएस घर (डिजाइन और निर्मित मॉडल)	पी20	592.30	22 जुलाई 2015	78
9.	सी/ओ 750 सेक्टर ए-1 से ए-4 नरेला में पॉकेट-13 में चिह्नित दो बीएचके, 325 तीन बीएचके और 412 ईडब्ल्यूएस घर (डिजाइन और निर्मित मॉडल)।	पी21	623.30	06 अगस्त 2015	75
10.	सी/ओ एच. आई. जी. (बहुमंजिला) घर, जिसमें सेक्टर-19 (बी), द्वारका, चरण-II (ए टर्नकी प्रोजेक्ट) में आंतरिक विकास और विद्युतीकरण शामिल है।	पी22	767.77	27 नवंबर 2014	79
11.	सी/ओ 1750 सेक्टर ए1 से ए4, नरेला में पॉकेट 11 में दो बीएचके, 900 तीन बीएचके और 1016 ईडब्ल्यूएस घर (डिजाइन और बिल्ड मॉडल) निर्धारित किए गए हैं।	पी23	1605.00	05 अगस्त 2015	59
	योग		**6,299.00**		

(स्त्रोत: डीडीए)

अनुलग्नक-XXI

(पैरा 3.5.5 में संदर्भित)

लेखापरीक्षा नमूना

निविदा राशि (करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजनाओं का कोड	ए. ए. और ई. एस. राशि (₹ करोड़ में)	निविदा राशि (₹ करोड़ में)	शुरू करने की निर्धारित तिथि	जुलाई 2022 तक पूरा होने की तिथि/पूरा होने का प्रतिशत।
1	15, 715 वर्ग मीटर भूमि में पॉकेट 9-बी, जसोला में सी/ओ एच. आई. जी. घर (डिजाइन और निर्मित आधार)	**पी5**	174.46	108.89	22 नवंबर 2014	22 मई 2019
2	नरेला, रोहिणी दिल्ली (ए टर्नकी प्रोजेक्ट) में 24660 एल. आई. जी. और 4855 ई. डब्ल्यू. एस. घरों में प्रीफैब तकनीक (संरचनात्मक आर. सी. सी. सदस्य यानी कॉलम, बीम और स्लैब सभी पूर्व-निर्मित) का उपयोग करके। **समूह-I** **उप-शीर्ष**: सेक्टर जी-7 और जी-8 नरेला, सेक्टर 34 और 35 रोहिणी में सी/ओ 11,566 एल. आई. जी. और 2276 ई. डब्ल्यू. एस. घर उपरोक्त उप-शीर्ष में से, स्थान की अनुपलब्धता के कारण निम्नलिखित फ्लैटों को वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया: सी/ओ 2618 एल. आई. जी. और पॉकेट-6 और 2638 एल. आई. जी. में 580 ई. डब्ल्यू. एस. घर, पॉकेट-7 में 580 ई. डब्ल्यू. एस. घर और पॉकेट 6बी और 4बी रोहिणी सेक्टर 34 और 35 के बदले सेक्टर जी-7 और जी-8 में आंतरिक विकास और विद्युतीकरण।	**पी11**	4128.95	1229.92	3 मई 2013	30 सितंबर 2010
	नरेला और रोहिणी, दिल्ली में 24660 एल. आई. जी. और 4855 ई. डब्ल्यू. एस. घरों में प्रीफैब तकनीक (संरचनात्मक आर. सी. सी. सदस्य यानी कॉलम, बीम और स्लैब सभी पूर्व-निर्मित या दीवार और स्लैब सभी	**पी 12**	4322.52		3 मई 2013	12 नवंबर 2020

3	पूर्व-निर्मित) का उपयोग किया जाता है। (एक टर्नकी परियोजना)। **समूह-2** **उप-शीर्षक:** सी/ओ 13094 एल. आई. जी. और 2579 ई. डब्ल्यू. एस. घर आई/सी. आंतरिक विकास और सेक्टर जी-2 और जी-6, जी-3 और जी-4 नरेला में विद्युतीकरण उपरोक्त उप-हेड में से, निम्नलिखित फ्लैटों को स्थान की अनुपलब्धता के कारण वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया: सी/ओ 6511 एल. आई. जी. और 1420 ई. डब्ल्यू. एस. घर आई/सी. सेक्टर जी-7 और जी-8 नरेला में आंतरिक विकास और विद्युतीकरण।			1394.36		
4	सी/ओ 500 सेक्टर ए-1 से ए-4, नरेला में पॉकेट-4 में चिह्नित दो बीएचके, 340 तीन बीएचके और 325 ईडब्ल्यूएस घर (डिजाइन और निर्मित मॉडल)	**पी19**	509.29	410.17	22 जुलाई 2015	78
5	सी/ओ 520 सेक्टर ए-1 से ए-4, नरेला में पॉकेट-14 में चिह्नित दो बी. एच. के., 250 तीन बी. एच. के. और 295 ई. डब्ल्यू. एस. घर (डिजाइन और निर्मित मॉडल)	**पी17**	441.93	358.10	06 अगस्त 2015	86
6	सी/ओ एच. आई. जी. (बहुमंजिला) घर, जिसमें सेक्टर-19 (बी), द्वारका में आंतरिक विकास और विद्युतीकरण शामिल है, चरण-II (एक महत्वपूर्ण परियोजना)	**पी22**	767.77	742.00	27 नवंबर 2014	79
	योग		**10,344.92**	**4,243.44**	..	

अनुलग्नक XXII
(पैरा 3.5.7-बी में संदर्भित)

कार्यों के निर्माण की प्रक्रिया

Sl. No	कार्य का नाम	परियोजनाओं का कोड	ए. एस. ए./ई. (₹ करोड़)	अनुमानित लागत (₹ करोड़	निविदा लागत (₹ करोड़)	शुरू होने की निर्धारित तिथि	निर्धारित समाप्ति की तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)
1.	आंतरिक और बाहरी विद्युतीकरण, अग्निशमन, लिफ्ट और आंतरिक विकास कार्यों (डिजाइन और निर्मित आधार) सहित 15715 वर्ग मीटर भूमि में पॉकेट 9-बी, जसोला में एच. आई. जी. घरों का निर्माण।	पी5	174.46	75.58	108.89	22 नवंबर 2014	16 अप्रैल 2018	22 मई 2019 (अस्थायी पूर्णता)	133.08
2.	नरेला, रोहिणी दिल्ली (एक टर्नकी प्रोजेक्ट) में 24660 एल. आई. जी. और 4855 ई. डब्ल्यू. एस. घरों में प्रीफैब तकनीक (संरचनात्मक आर. सी. सी. सदस्य यानी कॉलम, बीम और स्लैब सभी पूर्व-निर्मित) का उपयोग करके। समूह-I उप-शीर्ष: सेक्टर जी-7 और जी-8 नरेला, सेक्टर 34 और 35 रोहिणी में सी/ओ 11,566 एल. आई. जी. और 2276 ई. डब्ल्यू. एस. घर उपरोक्त उप-शीर्ष में से, स्थान की अनुपलब्धता के कारण निम्नलिखित फ्लैटों को वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया:	पी11	4128.95	959.23	1229.92	03 मई 2013 27 अक्टूबर 2016	02 मई 2016 --	02 सितंबर 2017 30 सितंबर 2020	2112.09

	सी/ओ 2618 एल. आई. जी. और पॉकेट-6 और 2638 एल. आई. जी. में 580 ई. डब्ल्यू. एस. घर, पी. के. टी-7 में 580 ई. डब्ल्यू. एस. घर और पॉकेट 6बी और 4बी रोहिणी सेक्टर 34 और 35 के बदले सेक्टर जी-7 और जी-8 में आंतरिक विकास और विद्युतीकरण								
3.	नरेला और रोहिणी, दिल्ली में 24660 एल. आई. जी. और 4855 ई. डब्ल्यू. एस. घरों में प्रीफैब तकनीक (संरचनात्मक आर. सी. सी. सदस्य यानी कॉलम, बीम और स्लैब सभी पूर्व-निर्मित या दीवार और स्लैब सभी पूर्व-निर्मित) का उपयोग किया जाता है। (एक टर्नकी परियोजना)।	पी 12	4322.52	1093	1394.36	03 मई 2013	02 मई 2016	22 सितंबर 2017	2343.03
	समूह-II उप-शीर्षः सी/ओ 13094 एल. आई. जी. और 2579 ई. डब्ल्यू. एस. घर आई/सी. आंतरिक विकास और सेक्टर जी-2 और जी-6, जी-3 और जी-4 नरेला में विद्युतीकरण उपरोक्त उप-शीर्ष में से, निम्नलिखित फ्लैटों को स्थान की अनुपलब्धता के कारण वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया: सी/ओ 6511 एल. आई. जी. और 1420 ई. डब्ल्यू. एस. घर आई/सी. सेक्टरजी-7 और जी-8 नरेला में आंतरिक विकास और विद्युतीकरण।					27 अक्टूबर 2016	--	12 नवंबर 2020	

4.	सी/ओ एच. आई. जी. (बहुमंजिला) घर, जिसमें सेक्टर-19 (बी), द्वारका, चरण-II (एक टर्नकी प्रोजेक्ट) में आंतरिक विकास और विद्युतीकरण शामिल है।	पी22	767.77	696	742	27 नवंबर 2014	26 नवंबर 2017	कार्य प्रगति पर है	605.00
5.	सी/ओ 520 सेक्टर ए-1 से ए-4, नरेला में पॉकेट-14 में चिह्नित दो बी. एच. के., 250 तीन बी. एच. के. और 295 ई. डब्ल्यू. एस. घर (डिजाइन और निर्मित मॉडल)	पी17	441.93	437.56	358.10	06 अगस्त 2015	05 अगस्त 2019	कार्य प्रगति पर है	454.16
6.	सी/ओ 500 दो बीएचके, 340 तीन बीएचके और 325 ईडब्ल्यूएस घर (डिजाइन और निर्मित मॉडल) पॉकेट-4 में, सेक्टर ए-1 से ए-4 में, नरेला एसएचः 1: 340 तीन बीएचके और 325 ईडब्ल्यूएस घर (डिजाइन और निर्मित मॉडल) पॉकेट-4 में, सेक्टर ए-1 से ए-4 में, नरेला एसएचः 2:500 दो बीएचके घर (डिजाइन और निर्मित मॉडल) पॉकेट-4 में, सेक्टर ए-1 से ए-4, नरेला में चिह्नित	पी19	509.29	439.93	410.17	22 जुलाई 2015	21 जुलाई 2019	कार्य प्रगति पर है	481.99
	योग		**10344.92**	**3701.3**	**4243.44**				**6129.35**

(स्त्रोत: डीडीए)

अनुलग्नक XXIII
(पैरा 3.5.7.8 (ii) में संदर्भित)
तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती न करना

क्र. सं.	कार्य का नाम	परियोजना का कोड	कार्य का नाम शुरू होने की तिथि, पूरा होने और काम की अवधि (महीनों में)	आवश्यक तकनीकी प्रतिनिधियों की संख्या	तकनीकी प्रतिनिधि जिनके लिए अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था या क्रम में नहीं था	प्रति माह वसूला जाने वाला जुर्माना (₹ में)	कुल जुर्माना वसूल किया जाना है (₹ में)	डीडीए का उत्तर	उत्तर पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियां (अक्टूबर 2024)
1.	नरेला और रोहिणी, दिल्ली में 24660 एल. आई. जी. और 4855 ई. डब्ल्यू. एस. घरों में प्रीफैब तकनीक (संरचनात्मक आर. सी. सी. सदस्य यानी कॉलम, बीम और स्लैब सभी पूर्व-निर्मित या दीवार और स्लैब सभी पूर्व-निर्मित) का	*पी 12*	03 मई 2013, 22 सितंबर 2017, (53 माह)	61	61	15,70,000	8,32,10,000	डी. डी. ए. ने प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2024) कि समझौते के अनुसार एजेंसी द्वारा साइट पर तैनात तकनीकी कर्मचारी और उनके आवश्यक प्रमाण पत्र	* किसी भी तकनीकी कर्मचारी का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न दस्तावेजों में नहीं मिला। * संलग्न दस्तावेजों में 30 तकनीकी कर्मचारियों के योग्यता प्रमाण पत्र नहीं पाए गए।

क्र. सं.	कार्य का नाम	परियोजना का कोड	कार्य का नाम शुरू होने की तिथि, पूरा होने और काम की अवधि (महीनों में)	आवश्यक तकनीकी प्रतिनिधियों की संख्या	तकनीकी प्रतिनिधि जिनके लिए अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था या क्रम में नहीं था	प्रति माह वसूला जाने वाला जुर्माना (₹ में)	कुल जुर्माना वसूल किया जाना है (₹ में)	डीडीए का उत्तर	उत्तर पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियां (अक्टूबर 2024)
	उपयोग किया जाता है। (एक टर्नकी परियोजना)। **समूह-II** **उप-शीर्ष:** सी/ओ 13094 एल. आई. जी. और 2579 ई. डब्ल्यू. एस. घर आई/सी. आंतरिक विकास और सेक्टर जी-2 और जी-6, जी-3 और जी-4 नरेला में विद्युतीकरण							संलग्न किए गए है।	

क्र. सं.	कार्य का नाम	परियोजना का कोड	कार्य का नाम शुरू होने की तिथि, पूरा होने और काम की अवधि (महीनों में)	आवश्यक तकनीकी प्रतिनिधियों की संख्या	तकनीकी प्रतिनिधि जिनके लिए अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था या क्रम में नहीं था	प्रति माह वसूला जाने वाला जुर्माना (₹ में)	कुल जुर्माना वसूल किया जाना है (₹ में)	डीडीए का उत्तर	उत्तर पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियां (अक्टूबर 2024)
	उपरोक्त उप-शीर्ष में से निम्नलिखित फ्लैटों को स्थान की अनुपलब्धता के कारण वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया : सी/ओ 6511 एल. आई. जी. और 1420 ई. डब्ल्यू. एस. घरों आई/सी. में आंतरिक विकास और विद्युतीकरण जी-7 और जी-8 नरेला में।								

क्र. सं.	कार्य का नाम	परियोजना का कोड	कार्य का नाम शुरू होने की तिथि, पूरा होने और काम की अवधि (महीनों में)	आवश्यक तकनीकी प्रतिनिधियों की संख्या	तकनीकी प्रतिनिधि जिनके लिए अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था या क्रम में नहीं था	प्रति माह वसूला जाने वाला जुर्माना (₹ में)	कुल जुर्माना वसूल किया जाना है (₹ में)	डीडीए का उत्तर	उत्तर पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियां (अक्टूबर 2024)
2.	सेक्टर 19 बी, द्वारका में आंतरिक विकास और विद्युतीकरण सहित एच. आई. जी. (बहुमंजिला) घरों का निर्माण, चरण-II (एक महत्वपूर्ण परियोजना)	पी22	27 नवंबर 2014, जारी, (74 माह)	63	61	18,60,000	13,28,40,000 (₹48 लाख की वसूली के समायोजन के बाद)		• **योग्यता प्रमाण पत्र:** 63 में से आठ तकनीकी कर्मचारियों के पास आवश्यक तकनीकी योग्यता नहीं थी। शेष 55 तकनीकी कर्मचारियों में से तीन का योग्यता प्रमाण पत्र रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं था। • **अनुभव प्रमाणपत्र:** शेष 55 में से 53 तकनीकी कर्मचारियों का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न दस्तावेजों में नहीं मिला।

क्र. सं.	कार्य का नाम	परियोजना का कोड	कार्य का नाम शुरू होने की तिथि, पूरा होने और काम की अवधि (महीनों में)	आवश्यक तकनीकी प्रतिनिधियों की संख्या	तकनीकी प्रतिनिधि जिनके लिए अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था या क्रम में नहीं था	प्रति माह वसूला जाने वाला जुर्माना (₹ में)	कुल जुर्माना वसूल किया जाना है (₹ में)	डीडीए का उत्तर	उत्तर पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियां (अक्टूबर 2024)
3.	नरेला, रोहिणी दिल्ली (ए टर्नकी प्रोजेक्ट) में 24660 एल. आई. जी. और 4855 ई. डब्ल्यू. एस. घरों में प्रीफैब तकनीक (संरचनात्मक आर. सी. सी. सदस्य यानी कॉलम, बीम और स्लैब सभी पूर्व-निर्मित) का उपयोग करके। **समूह-1** **उप-प्रमुखः** सेक्टर जी-7 और जी-8 नरेला, सेक्टर 34 और	***पी***1	03 मई 2013 to 02 सितंबर 2017, (52 माह)	61	61	15,70,000	8,16,40,000		योग्यता और अनुभव के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

क्र. सं.	कार्य का नाम	परियोजना का कोड	कार्य का नाम शुरू होने की तिथि, पूरा होने और काम की अवधि (महीनों में)	आवश्यक तकनीकी प्रतिनिधियों की संख्या	तकनीकी प्रतिनिधि जिनके लिए अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था या क्रम में नहीं था	प्रति माह वसूला जाने वाला जुर्माना (₹ में)	कुल जुर्माना वसूल किया जाना है (₹ में)	डीडीए का उत्तर	उत्तर पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियां (अक्टूबर 2024)
	35 रोहिणी में 11,566 एल. आई. जी. और 2276 ई. डब्ल्यू. एस. घर *उपरोक्त उप-शीर्ष में से, निम्नलिखित फ्लैटों को स्थान की अनुपलब्धता के कारण वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया :* सी/ओ 2618 एल. आई. जी. और पॉकेट-6 में 580 ई. डब्ल्यू. एस. घर और 2638 एल. आई. जी.,								

क्र. सं.	कार्य का नाम	परियोजना का कोड	कार्य का नाम शुरू होने की तिथि, पूरा होने और काम की अवधि (महीनों में)	आवश्यक तकनीकी प्रतिनिधियों की संख्या	तकनीकी प्रतिनिधि जिनके लिए अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था या क्रम में नहीं था	प्रति माह वसूला जाने वाला जुर्माना (₹ में)	कुल जुर्माना वसूल किया जाना है (₹ में)	डीडीए का उत्तर	उत्तर पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियां (अक्टूबर 2024)
	पॉकेट-7 में 580 ई. डब्ल्यू. एस. घर और आंतरिक विकास और पॉकेट 6बी और 4बी रोहिणी सेक्टर 34 और 35 के बदले सेक्टर जी-7 और जी-8 में विद्युतीकरण								
4.	आंतरिक और बाहरी विद्युतीकरण, अग्निशमन, लिफ्ट और आंतरिक विकास कार्यों (डिजाइन और निर्मित आधार) सहित 15715 वर्ग मीटर भूमि	पी5	17 अप्रैल 2015 to 22 मई 2019, (48 माह)	10	10	4,80,000	2,30,40,000		* 10 के स्थान पर आठ तकनीकी कर्मचारियों को तैनात किया गया, हालांकि, किसी भी तकनीकी कर्मचारी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

क्र. सं.	कार्य का नाम	परियोजना का कोड	कार्य का नाम शुरू होने की तिथि, पूरा होने और काम की अवधि (महीनों में)	आवश्यक तकनीकी प्रतिनिधियों की संख्या	तकनीकी प्रतिनिधि जिनके लिए अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था या क्रम में नहीं था	प्रति माह वसूला जाने वाला जुर्माना (₹ में)	कुल जुर्माना वसूल किया जाना है (₹ में)	डीडीए का उत्तर	उत्तर पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियां (अक्टूबर 2024)
	में पॉकेट 9बी, जसोला में एच. आई. जी. घरों का निर्माण								
5.	नरेला के सेक्टर ए1 से ए4 में पॉकेट-4 में 500 दो बीएचके, 340 तीन बीएचके और 325 ईडब्ल्यूएस घरों (डिजाइन और बिल्ड मॉडल) का निर्माण	पी19	22 जुलाई 2015, जारी, (90 माह)	32	32	10,80,000	9,72,00,000		* बत्तीस के स्थान पर तीस तकनीकी कर्मचारियों को तैनात करें, हालांकि, लेखापरीक्षा के लिए तकनीकी कर्मचारियों का कोई अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
6.	सेक्टर ए1 से ए4, नरेला में पॉकेट-14 में चिह्नित 520 दो बीएचके, 250 तीन	पी17	06 अगस्त 2015; जारी, (90 माह)	15	15	4,35,000	3,91,50,000		* अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। * 15 में से एक कर्मचारी के पास आवश्यक तकनीकी

क्र. सं.	कार्य का नाम	परियोजना का कोड	कार्य का नाम शुरू होने की तिथि, पूरा होने और काम की अवधि (महीनों में)	आवश्यक तकनीकी प्रतिनिधियों की संख्या	तकनीकी प्रतिनिधि जिनके लिए अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था या क्रम में नहीं था	प्रति माह वसूला जाने वाला जुर्माना (₹ में)	कुल जुर्माना वसूल किया जाना है (₹ में)	डीडीए का उत्तर	उत्तर पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियां (अक्टूबर 2024)
	बीएचके और 294 ईडब्ल्यूएस घरों (डिजाइन और निर्मित मॉडल) का निर्माण								योग्यता नहीं थी और एक कर्मचारी के लिए आवश्यक तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया * दो तकनीकी कर्मचारी योग्यता प्रमाण पत्र के अनुसार तैनाती के लिए पात्र नहीं थे।
योग							45,70,80,000		

अनुलग्नक XXIV
(3.5.7.8 (iii) में संदर्भित)
संयुक्त भौतिक सत्यापन में देखी गई कमियां

परियोजना	परियोजना का कोड	संयुक्त निरीक्षण के दौरान कमियां देखी गईं
पॉकेट-9बी, जसोला में एचआईजी फ्लैट बनाए गए (15/02/2023 को लेखापरीक्षा की गई)।	पी5	आवासीय क्षेत्र अतिक्रमण से घिरा हुआ था जिसमें स्थायी 4-5 मंजिला संरचनाएँ शामिल थीं। सोसायटी की चारदीवारी के अंदर का खुला क्षेत्र अस्वच्छ था और कचरे, मलबे आदि से भरा था। 6 मीटर चौड़ी हरित पट्टी नहीं दी गई। निम्नतल में विशेष रूप से स्थापित बिजली मीटरों के आधार के पास के स्थानों पर पानी जमा था। निम्नतल की छत से भी रिसाव दिखाई दे रहा था, उससे पानी टपक रहा था। **निम्नतल की छत में रिसाव** **6मी. की हरित पट्टी गायब/खराब रखरखाव वाले पेड़** एक ब्लॉक में लगी लिफ्ट बटन दबाने पर दूसरी साथ चल रही थी, यानी बटन दबाने पर एक के बजाय दोनों लिफ्ट तल पर आ रही थीं। एसटीपी भी लगाया गया, लेकिन वहां रहने वालों की संख्या कम होने की वजह से उसे चालू नहीं किया गया। कुछ जगहों पर मैनहोल/ जल भंडार ढके हुए नहीं थे।

परियोजना	परियोजना का कोड	संयुक्त निरीक्षण के दौरान कमियां देखी गईं
		लिफ्ट एक साथ चल रही है
नरेला, रोहिणी दिल्ली में प्रीफैब टेक्नोलॉजी (आरसीसी ढांचा सहायक यानी कॉलम, बीम और स्लैब सभी पूर्व-निर्मित) का प्रयोग करके 24660 एलआईजी और 4855 ईडब्ल्यूएस घरों का सी/ओ	पी11	हर ब्लॉक के ग्राउंड फ़्लोर पर रहने लायक कई खोखले यूनिट थे। डीडीए स्टाफ़ से बातचीत के दौरान पता चला कि इन्हें शॉपिंग क्षेत्र को आसान बनाने के लिए बनाया गया था। बाद में इसका प्रयोग कम्युनिटी/सुविधा के लिए किया जाएगा। पॉकेट IV/V के मीटर रूम में कई मीटर और वायरिंग नहीं मिली। जिस कमरे में मीटर लगे थे, उसमें एक मैनहोल भी देखा गया। यह मीटर लगाने के दिशानिर्देशों का उल्लंघन पाया गया। कई जगहों पर अग्निशामन जल पाइप भी नहीं मिला।

परियोजना	परियोजना का कोड	संयुक्त निरीक्षण के दौरान कमियां देखी गईं
(एक टर्नकी प्रोजेक्ट)। समूह-I उप-शीर्ष: सेक्टर जी-7 और जी-8 नरेला, सेक्टर 34 और 35 रोहिणी में 11,566 एलआईजी और 2276 ईडबल्यूएस घरों का ऊपर दिए गए उप-शीर्ष में से, स्थान न होने की वजह से नीचे दिए गए फ्लैट दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिए गए: पॉकेट-VI में 2618 एलआईजी और		खाली इकाई अग्निशामन जल पाइप नहीं मिला। मीटर कक्ष में मैनहोल हरे-भरे इलाके में बहुत कम पौधे/झाड़ियाँ मिलीं। ज़मीन पर घास भी अच्छी हालत में नहीं थी। हरित क्षेत्र का रखरखाव नहीं किया गया

परियोजना	परियोजना का कोड	संयुक्त निरीक्षण के दौरान कमियां देखी गईं
580 ईडबल्यूएस घर और पॉकेट-VII में 2638 एलआईजी, 580 ईडबल्यूएस घर, जिसमें पॉकेट 6बी और 4बी रोहिणी सेक्टर 34 और 35 की जगह सेक्टर जी-7 और जी-8 में आंतरिक विकास और विद्युतीकरण शामिल है।		
सेक्टर जी-2 और जी-6, जी-3 और जी-4 नरेला **(समूह-II)** में आंतरिक विकास और विद्युतीकरण सहित 13094 एलआईजी और	पी 12	वृक्षारोपण और भूनिर्माण का काम सहमति के अनुसार नहीं किया गया। हरे क्षेत्र में उपेक्षित पौधे/झाड़ियाँ आदि पाए गए। जमीन में घास भी अच्छी स्थिति में नहीं थी। प्रत्येक ब्लॉक के भूतल पर 320 रहने योग्य खोखली इकाइयाँ थीं। • जी2 और जी6 के पॉकेट VI और के XI के मीटर रूम में विद्युत तार नहीं पाए गए। जी2 जी6 सेक्टर के पॉकेट VI में परित्यक्त स्थल (अज्ञात स्थल)**।** आवासीय इकाई स्थल में अधिकांश स्वच्छता संबंधी वस्तुएँ नहीं पाई गईं।

परियोजना	परियोजना का कोड	संयुक्त निरीक्षण के दौरान कमियां देखी गईं
2579 ईडबल्यूएस घरों का निर्माण।		हरित क्षेत्र का रखरखाव नहीं किया गया 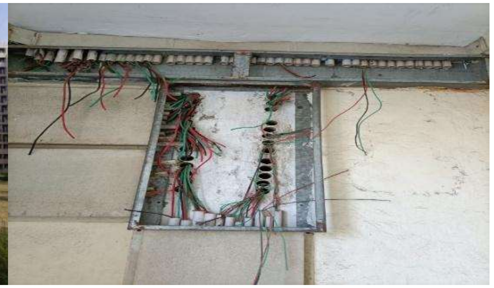 विद्युत तार नहीं पाए गए रहने योग्य खोखली इकाइयाँ

अनुलग्नक-XXV

(पैरा 4.1.4.4 में संदर्भित)

विवरण जो कयर बोर्ड की अनुसंधान परियोजनाओं को दर्शाता है जो परियोजना अवधि में पूरी नहीं हुई हैं, साथ ही लेखापरीक्षा टिप्पणी, प्रबंध और मंत्रालय के उत्तर और लेखापरीक्षा की आगे की टिप्पणी के साथ

क्र. सं.	परियोजना का नाम, श्रेणी और सहयोगी	परियोजना लागत (₹लाख में) और परियोजना अवधि	विभाग	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ (मार्च 2023)	प्रबंध (जनवरी 2024) और मंत्रालय का उत्तर (जुलाई 2024/जनवरी 2025)	आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1.	**समान मोटाई और कम बालों वाले महीन गुणवत्ता वाले धागे के कताई के लिए एक प्रक्रम/मशीनरी का विकास, वृद्धि (डॉ. एमजीआर विश्वविद्यालय, चेन्नई के साथ सहयोगात्मक परियोजना)**	299.00 (जून 2017 से मार्च 2021)	अभियांत्रिकी	लेखापरीक्षा में पाया गया कि मशीन द्वारा उत्पादित कयर धागे की गुणवत्ता सहयोगी के साथ हुए समझौता ज्ञापन में निर्दिष्ट गुणवत्ता के अनुरूप नहीं थी और उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती थी। मशीन के संचालन के दौरान धागा बार-बार टूटता था। धागे में रोएँ अधिक थे, मोटाई एक समान नहीं थी, मोड़ ढीले थे और दिखावट खराब थी।	प्रबंधन ने उत्तर दिया कि परियोजना को पूरा करने के लिए कताई मशीन में और सुधार तथा स्लिवरिंग मशीन के विकास की आवश्यकता है। मंत्रालय ने अपने उत्तर में प्रबंधन के विचारों का समर्थन किया।	परियोजना की अवधि पूरी होने के तीन साल बाद भी, बोर्ड उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली मशीन विकसित करने में असमर्थ रहा। इसलिए, उद्योग को परियोजना से कोई लाभ नहीं हुआ। कताई मशीन में और सुधार और स्लिवरिंग मशीन के विकास से अतिरिक्त व्यय होगा।
2	**कयर फाइबर के स्लिवरिंग के लिए पूर्व-**	15.66	अभियांत्रिकी	लेखापरीक्षा में पाया गया कि विकसित मशीन केवल एक प्रोटोटाइप थी तथा	मंत्रालय ने उत्तर दिया कि पीपीयू के निर्माण से भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका।	यह परियोजना प्रौद्योगिकी विकसित करने और उसे हस्तांतरित

क्र. सं.	परियोजना का नाम, श्रेणी और सहयोगी	परियोजना लागत (₹लाख में) और परियोजना अवधि	विभाग	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ (मार्च 2023)	प्रबंध (जनवरी 2024) और मंत्रालय का उत्तर (जुलाई 2024/जनवरी 2025)	आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
	प्रसंस्करण इकाई (पी. पी. यू.) की स्थापना (आंतरिक परियोजना)	(मार्च 2016 से जून 2018)		अंतिम मशीन के निर्माण के लिए अतिरिक्त अनुसंधान एवं विकास कार्य की आवश्यकता है।	इसलिए, सीसीआरआई में कताई मशीनों के लिए स्लिवर की आपूर्ति हेतु मशीन को सेंसर नियंत्रित पीपीयू में संशोधित किया गया।	करने के लिए शुरू की गई थी, न कि सीसीआरआई के आंतरिक उपयोग के लिए मशीन बनाने के लिए।
3.	**तेल रिसाव के आमेलन के लिए पूर्वोत्तर भारत के निर्देश में तेल उद्योग में कयर कणों के संभावित उपयोग का अध्ययन करके विनियोजन करना उत्पाद का निर्माण, वृद्धि** **(पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्थापित करना (एन. ई. आई. एस. टी.), जोरहाट के**	53.13 (जनवरी 2016 से जुलाई 2019)	अभियांत्रिकी	लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजना के अंतर्गत विकसित तेल अवशोषण मैट के नमूने ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) जैसी तेल अन्वेषण कंपनियों को क्षेत्र परीक्षण और उत्पादों के दीर्घकालिक सत्यापन के लिए प्रदान किए गए (फरवरी 2018) और उनके परिणाम लंबित थे।	प्रबंधन ने बताया कि एनईआईएसटी ने उत्पाद विकसित किया है और परियोजना के सत्यापन के लिए ओएनजीसी/ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ कार्रवाई शुरू कर दी है और सत्यापन प्रक्रियाधीन है। मंत्रालय ने अपने उत्तर में प्रबंधन के विचारों का समर्थन किया।	ओएनजीसी/ओआईएल को छः साल पहले क्षेत्रीय परीक्षण और सत्यापन के लिए नमूने दिए गए थे, लेकिन उनके परिणामों पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। परिणाम प्राप्त होने में विलंब होने के कारण परियोजना लंबे समय तक अधूरी रही।

क्र. सं.	परियोजना का नाम, श्रेणी और सहयोगी	परियोजना लागत (₹लाख में) और परियोजना अवधि	विभाग	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ (मार्च 2023)	प्रबंध (जनवरी 2024) और मंत्रालय का उत्तर (जुलाई 2024/जनवरी 2025)	आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
	साथ सहयोगात्मक परियोजना)					
4.	**कृषि/बागवानी के अंतिम उपयोग के लिए कयर पिथ आधारित सूत्रीकरण का विकास। (उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लिमिटेड (एफ़एसीटी), कोच्चि के साथ सहयोगात्मक परियोजना)**	38.18 (मार्च 2011 से शुरू हुआ लेकिन समाप्त नहीं हुआ - जनवरी 2024)	सूक्ष्म जीव विज्ञान	लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजना 11 वर्षों से भी अधिक समय से चल रही थी, जबकि परियोजना की अवधि चार वर्ष थी। सहयोगी के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, अनुसंधान के लिए आवंटित निधि से खरीदे गए उपकरण बोर्ड को वापस कर दिए जाने चाहिए। हालाँकि, यह पाया गया कि बोर्ड सहयोगी से ₹7 लाख की लागत वाले उपकरण वापस नहीं ले सका।	प्रबंधन ने बताया कि परियोजना अभी जारी है और परियोजना के अंतर्गत खरीदे गए उपकरण, परियोजना पूरी होने पर सीसीआरआई को वापस कर दिए जाएँगे। मंत्रालय ने बताया कि बोर्ड ने परियोजना पूरी करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी है। यह भी बताया गया कि उपकरण सीसीआरआई को वापस ले लिए जाएँगे और उपकरण वापस ले जाने का खर्च, एफएसीटी को जारी की जाने वाली शेष राशि से काट लिया जाएगा।	बोर्ड द्वारा उचित निगरानी/अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव में परियोजना के समापन में सात वर्ष का विलंब हुआ। इसके अलावा, बोर्ड उपकरण वापस पाने में भी विफल रहा।
5.	**कयर आधारित उत्पादों का उपयोग**	9.90	सूक्ष्म जीव विज्ञान	लेखापरीक्षा ने पाया कि आईआईएचआर द्वारा अंतिम रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत	प्रबंधन ने बताया कि परियोजना अभी भी जारी है।	बोर्ड द्वारा उचित निगरानी के अभाव के कारण परियोजना अपनी

क्र. सं.	परियोजना का नाम, श्रेणी और सहयोगी	परियोजना लागत (₹लाख में) और परियोजना अवधि	विभाग	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ (मार्च 2023)	प्रबंध (जनवरी 2024) और मंत्रालय का उत्तर (जुलाई 2024/जनवरी 2025)	आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
	करके ऊर्ध्वाधर भूदृश्यों के लिए माध्यम का मानकीकरण, पादप प्रजातियों का मूल्यांकन और पोषक तत्व मॉड्यूल। (भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर), बेंगलुरु के साथ सहयोगात्मक परियोजना)	(नवंबर 2019 से नवंबर 2020)		नहीं की गई है, हालाँकि परियोजना की अवधि नवंबर 2020 तक समाप्त हो गई।	मंत्रालय ने बताया कि बोर्ड ने परियोजना को पूरा करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी है और आईआईएचआर ने सितंबर 2023 के दौरान तकनीक का प्रदर्शन किया।	अवधि के भीतर पूरी नहीं हो पाई। इसके अलावा, आईआईएचआर द्वारा प्रदर्शित तकनीक की सफलता के बारे में उत्तर में कुछ नहीं कहा गया।
6.	**रेलवे में कुशनिंग के लिए अग्निरोधी रबरयुक्त कयर का विकास (अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन (आरडीएसओ),**	25.28 (फरवरी 2017 से अप्रैल 2020)	पॉलिमर प्रौद्योगिकी	लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना अग्निरोधी रबरयुक्त कयर का निर्माण नहीं कर सकी जो सभी आरडीएसओ मानकों का अनुपालन करता हो। इसलिए, परियोजना अधूरी रह गई, हालाँकि	प्रबंधन ने कहा कि सीसीआरआई आरडीएसओ द्वारा निर्दिष्ट सभी चार विशेषताओं को प्राप्त नहीं कर सका। मंत्रालय ने अपने उत्तर में प्रबंधन के विचारों का समर्थन किया।	परियोजना चार साल बाद भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। बाद में (दिसंबर 2020) इस परियोजना को आईआईटी मद्रास के साथ उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) में शामिल

क्र. सं.	परियोजना का नाम, श्रेणी और सहयोगी	परियोजना लागत (₹लाख में) और परियोजना अवधि	विभाग	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ (मार्च 2023)	प्रबंध (जनवरी 2024) और मंत्रालय का उत्तर (जुलाई 2024/जनवरी 2025)	आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
	रेल मंत्रालय के मानकों के अनुसार) **(आंतरिक परियोजना)**			इसकी अवधि अप्रैल 2020 को समाप्त हो चुकी थी।		किया गया, लेकिन बोर्ड तकनीक हासिल नहीं कर सका क्योंकि सीओई के काम की ठीक से निगरानी नहीं की गई, जैसा कि पैरा 6.4.2 में विस्तार से बताया गया है।
7.	**बेहतर स्पिननेबिलिटी के लिए कयर फाइबर के सतह संशोधन हेतु प्रक्रिया विकास (राष्ट्रीय अंतःविषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम (एनआईआईएसटी) के साथ सहयोगात्मक परियोजना)**	23.00 (अक्टूबर 2016 से अक्टूबर 2018)	पॉलिमर प्रौद्योगिकी	लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनआईआईएसटी, त्रिवेंद्रम (सहयोगी) के पास बल्क प्लाज्मा उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसलिए, परियोजना पूरी नहीं हो सकी। सहयोगी के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, अनुसंधान के लिए आवंटित निधि से खरीदे गए उपकरण बोर्ड को वापस कर दिए जाने चाहिए थे। हालाँकि, यह देखा गया कि बोर्ड सहयोगी से ₹4.81 लाख की लागत वाले उपकरण वसूल नहीं कर सका।	प्रबंधन ने बताया कि एनआईआईएसटी को प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर, गुजरात से सहायता नहीं मिल सकी। इसलिए, बड़े पैमाने पर प्लाज्मा उपचार और स्पिनेबिलिटी परीक्षण नहीं किया जा सका। यह भी बताया गया कि उपकरण वापस न किए जाने के कारण, परियोजना की अंतिम किस्त एनआईआईएसटी को जारी नहीं की गई।	बोर्ड ने बल्क प्लाज्मा उपचार के लिए बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना एनआईआईएसटी का चयन किया, जिसके परिणामस्वरूप छः साल बाद भी परियोजना पूरी नहीं हो पाई। इसके अलावा, बोर्ड उपकरण वापस पाने में भी विफल रहा।

क्र. सं.	परियोजना का नाम, श्रेणी और सहयोगी	परियोजना लागत (₹लाख में) और परियोजना अवधि	विभाग	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ (मार्च 2023)	प्रबंध (जनवरी 2024) और मंत्रालय का उत्तर (जुलाई 2024/जनवरी 2025)	आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
					मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर का समर्थन किया और आश्वासन दिया कि भविष्य में सहयोगियों की क्षमता का आकलन किया जाएगा। यह भी बताया गया कि उपकरण सीसीआरआई को वापस ले लिए जाएँगे और उपकरण को सीसीआरआई वापस ले जाने का खर्च एनआईआईएसटी को जारी की जाने वाली शेष राशि से काट लिया जाएगा।	
8.	**रेल और परिवहन अवसंरचना विकास में कयर जियोटेक्सटाइल और संबंधित परियोजनाओं का अनुप्रयोग। (ऑस्ट्रेलिया के वोलोंगोंग विश्वविद्यालय के साथ**	7.63 (फरवरी 2018 से अक्टूबर 2019)	पॉलिमर प्रौद्योगिकी	लेखापरीक्षा ने पाया कि कयर रेशों के क्षरण को पकड़ने और कयर जियो-टेक्सटाइल्स के लिए एक जैव-निम्नीकरणीय संरचनात्मक मॉडल के निर्माण हेतु प्रयोगशाला प्रयोग प्रगति पर हैं। हालाँकि, बोर्ड ने इन जाँचों के परिणाम एकत्र नहीं किए।	प्रबंधन ने उत्तर दिया कि परियोजना का निष्कर्ष अक्टूबर 2019 में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में दिया गया। मंत्रालय ने अपने उत्तर में प्रबंधन के विचारों का समर्थन किया।	परियोजना की अवधि पूरी होने के पांच वर्ष बाद भी जांच के परिणाम एकत्रित नहीं किए गए हैं और परियोजना अधूरी है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम, श्रेणी और सहयोगी	परियोजना लागत (₹लाख में) और परियोजना अवधि	विभाग	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ (मार्च 2023)	प्रबंध (जनवरी 2024) और मंत्रालय का उत्तर (जुलाई 2024/जनवरी 2025)	आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
	सहयोगात्मक परियोजना)					
9.	**आयुर्वेद, वस्त्र और कृषि में दक्षिण भारतीय कयर उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए क्राउडसोर्स्ड पूर्वानुमान विश्लेषणात्मक ढांचा (वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (वीआईटी), वेल्लोर के साथ सहयोगात्मक परियोजना)**	3.65 (फरवरी 2019 से अप्रैल 2021)	पॉलिमर प्रौद्योगिकी	लेखापरीक्षा में पाया गया कि वीआईटी (सहयोगी) ने श्रीलंका से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण नहीं किया। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लिए विश्लेषित आंकड़े अपर्याप्त थे।	प्रबंधन ने कहा कि चूंकि इसे सीमित संख्या में नमूनों का उपयोग करके बनाया था, इसलिए गुणवत्ता के अनुमान को गुणवत्ता मानचित्रण के लिए एकीकृत नहीं किया जा सका। मंत्रालय ने अपने उत्तर में प्रबंधन के विचारों का समर्थन किया और आश्वासन दिया कि भविष्य में केवल उन्हीं परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा जो ठोस परिणाम दे सकती हैं।	अपर्याप्त डेटा विश्लेषण के कारण परियोजना पूरी नहीं हो सकी। इसलिए सॉफ्टवेयर को बोर्ड की वेबसाइट के साथ एकीकृत नहीं किया गया।
	योग	**475.43**				

अनुलग्नक -XXVI

(पैरा 4.1.4.4 में संदर्भित)

कयर बोर्ड की उन अनुसंधान परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण जिनके परिणामों का व्यावसायीकरण नहीं किया जा सका अथवा उद्योग में उपयोग हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरित नहीं की जा सकी, साथ ही लेखापरीक्षा टिप्पणियां, प्रबंधन और मंत्रालय के उत्तर और लेखापरीक्षा की आगामी टिप्पणियां।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	लागत (₹ लाख में)	विभाग	लेखापरीक्षा अवलोकन (मार्च 2023)	प्रबंधन (जनवरी 2024) और मंत्रालय का उत्तर (जुलाई 2024/ जनवरी 2025)	आगामी लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1.	**अनुग्रह- तेजस पावर लूम (2 मीटर चौड़ाई) बड़ी मात्रा में कयर जियोटेक्सटाइल बुनाई हेतु। (संस्थानिक परियोजना)**	12.00	अभियांत्रिकी	लेखापरीक्षा में पाया गया कि मशीन का व्यवसायीकरण नहीं किया गया, यद्यपि मशीन का निर्माण कार्य दिसंबर 2019 तक पूरा हो गया था।	प्रबंधन ने प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण पर कोई उत्तर नहीं दिया। मंत्रालय ने उत्तर दिया कि मशीन का विकास पूरा हो चुका है और अब इसके आधिकारिक उद्घाटन की प्रतिक्षा है। उद्घाटन के पश्चात ही तकनीक का व्यावसायिक/ उद्योग को हस्तांतरण किया जाएगा।	मशीन के निर्माण के पाँच साल पश्चात भी इसके उद्घाटन में विलम्ब के कारण इसका व्यावसायीकरण नहीं हो पाया। अंततः परिणामस्वरूप, अनुसंधान का लाभ उद्योग को नहीं मिल पाया।
2.	**कयर धागे के बिना छः हेड वर्टिकल कयर यार्न स्पिनिंग मशीन (संस्थानिक परियोजना)**	5.00	अभियांत्रिकी	लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन मशीनों का अभी तक व्यवसायीकरण नहीं हुआ है।	प्रबंधन ने प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण पर कोई उत्तर नहीं दिया। मंत्रालय ने बताया कि सिंगल हेड वर्टिकल कयर यार्न स्पिनिंग मशीन को छः हेड वर्टिकल कयर यार्न स्पिनिंग मशीन के	समय पर उद्घाटन न होने के कारण प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण में विलम्ब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अनुसंधान का लाभ उद्योग को नहीं मिल सका।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	लागत (₹ *लाख में)*	विभाग	लेखापरीक्षा अवलोकन (मार्च 2023)	प्रबंधन (जनवरी 2024) और मंत्रालय का उत्तर (जुलाई 2024/ जनवरी 2025)	आगामी लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
3.	**घरेलू इकाइयों के लिए कयर धागे के बिना सिंगल हेड वर्टिकल कयर यार्न स्पिनिंग मशीन (संस्थानिक परियोजना)**	0.75	अभियांत्रिकी		विकास के लिए एक प्रोटोटाइप के रूप में विकसित किया गया था। उत्तर में यह भी बताया गया कि इन सभी मशीनों का विकास पूरा हो चुका है और अब इनके आधिकारिक उद्घाटन की प्रतिक्षा है। उद्घाटन के बाद ही तकनीक का व्यावसायिक/उद्योग को हस्तांतरण किया जाता है।	
4.	**दोहरीकरण और बॉबिन घुमावदार मशीन (संस्थानिक परियोजना)**	0.50	अभियांत्रिकी			
5.	**कयर जियोटेक्सटाइल बुनाई के लिए धातु हस्त करघे का सरलीकृत संस्करण। (संस्थानिक परियोजना)**	0.75	अभियांत्रिकी		प्रबंधन ने प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण पर कोई उत्तर नहीं दिया। मंत्रालय ने उत्तर दिया कि सीसीआरआई को इस प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए अन्वेषण प्राप्त हुआ है।	यह तथ्य है कि प्रौद्योगिकी उद्योग को हस्तांतरित नहीं की गई।
6.	**कयर रेशे का उपयोग करके राइजोबैक्टीरिया (पीजीपीआर) को**	22.15	सूक्ष्म जीव विज्ञान	लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनईआईएसटी ने व्यावसायिक पीजीपीआर संविन्यास के	**प्रबंधन ने प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण पर कोई उत्तर नहीं दिया।**	यद्यपि सीसीआरआई ने प्रौद्योगिकी का प्रसार किया, लेकिन वह उद्योग

क्रम सं.	परियोजना का नाम	लागत (*₹ लाख में*)	विभाग	लेखापरीक्षा अवलोकन (मार्च 2023)	प्रबंधन (जनवरी 2024) और मंत्रालय का उत्तर (जुलाई 2024/ जनवरी 2025)	आगामी लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
	बढ़ावा देने वाले व्यावसायिक जैव-सूत्रीकरण का विकास (सहयोगी पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआईएसटी) जोरहाट के साथ परियोजना)			उत्पादन हेतु तकनीक विकसित की और उसे व्यावसायीकरण हेतु सीसीआरआई को सौंप दिया (नवंबर 2018)। हालाँकि, बोर्ड ने छः साल बाद भी इसका व्यावसायीकरण नहीं किया है।	मंत्रालय ने उत्तर दिया कि सीसीआरआई ने वाणिज्यिक पीजीपीआर की प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए प्रदर्शन, सेमिनार और प्रदर्शनियों के माध्यम से कार्रवाई शुरू कर दी है ।	के लिए प्रौद्योगिकी का व्यावसायीकरण नहीं कर सका।
7.	**अपशिष्ट जल से प्रदूषक हटाने में एक अधिशोषक के रूप में कयर रेशे पर अध्ययन (अभियांत्रिकी महाविद्यालय (सीईटी), त्रिवेंद्रम के साथ सहयोगात्मक परियोजना)**	8.98	सूक्ष्म जीव विज्ञान	लेखापरीक्षा ने पाया कि समझौता ज्ञापन (मई 2016) के अनुसार, सीईटी, बोर्ड के सहयोग से, इस परियोजना के अंतर्गत विकसित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण की व्यवस्था करेगा। हालाँकि, अभी तक प्रौद्योगिकी हस्तांतरित नहीं की गई है।	प्रबंधन ने उत्तर दिया कि प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन उद्योग के समक्ष किया जा चुका है। मंत्रालय ने अपने उत्तर में प्रबंधन के विचारों का समर्थन किया तथा यह कहा कि प्रौद्योगिकी का विस्तार किया जा रहा है।	प्रौद्योगिकी का विकास प्रयोगशाला स्तर पर किया गया था, जबकि बोर्ड इसके व्यावसायीकरण को सुगम बनाने के लिए औद्योगिक स्तर तक प्रौद्योगिकी का विस्तार पूरा नहीं कर सका।
8.	**लचीले कंपोजिट का विकास**	34.94	पॉलिमर प्रौद्योगिकी	लेखापरीक्षा ने पाया कि इस परियोजना से चमड़े के सामान बनाने के लिए लचीले कंपोजिट	प्रबंधन ने प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण पर कोई उत्तर नहीं दिया।	उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार प्रौद्योगिकी में सुधार करने में बोर्ड की ओर से विलम्ब के कारण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	लागत (*₹ लाख में*)	विभाग	लेखापरीक्षा अवलोकन (मार्च 2023)	प्रबंधन (जनवरी 2024) और मंत्रालय का उत्तर (जुलाई 2024/ जनवरी 2025)	आगामी लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
	(सहयोगी पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआईएसटी) जोरहाट के साथ परियोजना)			विकसित किए जा सकते हैं। समझौता ज्ञापन (अप्रैल 2017) के अनुसार, एनईआईएसटी बोर्ड के सहयोग से इस परियोजना के अंतर्गत विकसित तकनीकों के हस्तांतरण की व्यवस्था करेगा। हालाँकि, इस तकनीक का अभी तक व्यावसायीकरण नहीं हुआ है।	मंत्रालय ने उत्तर दिया कि प्रौद्योगिकी का व्यवसायीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि उद्योग के लचीलेपन की मांग पूरी नहीं हो सकी।	प्रौद्योगिकी का व्यावसायीकरण नहीं हो पाया।
9.	**लिग्निन गोंद का विकास (संस्थानिक परियोजना)**	4.39	पॉलिमर प्रौद्योगिकी	लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने लिग्निन गोंद का विकास किया जबकि प्रौद्योगिकी का अनुकूलन पूर्ण नहीं था।	प्रबंधन ने उत्तर दिया कि कयर से लिग्निन निकालने तथा इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपयुक्त विधि विकसित की जानी है। मंत्रालय ने अपने उत्तर में प्रबंधन के विचारों का समर्थन किया।	प्रौद्योगिकी को औद्योगिक स्तर तक बढ़ाने के लिए विधि विकसित करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकी का व्यावसायीकरण नहीं हो पाया है।
10.	**उन्नत डिजाइन की कयर कताई मशीन का विकास (फेडरेशन ऑफ इंडियन कयर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन**	5.00	अभियांत्रिकी	लेखापरीक्षा में पाया गया कि मशीन का विकास एफआईसीईए की आवश्यकताओं के आधार पर किया गया था, जबकि मशीन के विकास से पहले बाज़ार में उसी तकनीक की उपलब्धता का	प्रबंधन ने उत्तर दिया कि सेंसर-नियंत्रित फीड मैकेनिज्म, एफआईसीईए के साथ परियोजना के अंतर्गत विकसित एक उन्नत सुविधा थी। इस मशीन के कोई खरीदार नहीं थे क्योंकि यह तकनीक पहले से ही बाजार में उपलब्ध थी। इसलिए , वर्तमान में, यह	यह परियोजना उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मशीन विकसित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी, न कि प्रशिक्षण उद्देश्यों या प्रशिक्षुओं के समक्ष प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	लागत (₹ *लाख में*)	विभाग	लेखापरीक्षा अवलोकन (मार्च 2023)	प्रबंधन (जनवरी 2024) और मंत्रालय का उत्तर (जुलाई 2024/ जनवरी 2025)	आगामी लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
	(एफआईसीईए) के साथ सहयोगात्मक परियोजना)			विश्लेषण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, परियोजनाओं के अंतर्गत विकसित मशीनों का व्यवसायीकरण नहीं हो सका।	मशीन छात्रों को प्रशिक्षण देने और ट्रेडों को तकनीक का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से, कयर बोर्ड के राष्ट्रीय कयर प्रशिक्षण एवं डिज़ाइन केंद्र (एनसीटीडीसी) में स्थापित की गई है। मंत्रालय ने अपने उत्तर में प्रबंधन के विचारों का समर्थन किया।	
11।	**नारियल रेशे से नैनो सेल्यूलोज और नैनो सेल्यूलोज-एरोजेल का उपयोग करके संश्लेषित सैनिटरी उत्पादों के अवशोषण और जैव-अपघटनशीलता गुणों पर तुलनात्मक अध्ययन (संस्थानिक परियोजना)**	29.14	सूक्ष्म जीव विज्ञान	लेखापरीक्षा में पाया गया कि संश्लेषण, लक्षण वर्णन, अवशोषण और जैवनिम्नीकरणीयता अध्ययन नैनो सेल्यूलोज़ के उत्पादन का अध्ययन रासायनिक विधियों का उपयोग करके पूरा किया गया, जिसके पश्चात लक्षण-निर्धारण संबंधी अध्ययन किए गए। हालाँकि, इस तकनीक का अभी तक व्यावसायीकरण नहीं हुआ था।	प्रबंधन ने उत्तर दिया कि परियोजना को उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तार्किक निष्कर्षों के साथ पूरा किया जा सकता है। मंत्रालय ने उत्तर दिया कि परियोजना उत्साहजनक परिणामों के साथ पूरी हुई है, जिसका उपयोग भविष्य में संदर्भ के लिए एक आदर्श के रूप में किया जा सकता है।	यद्यपि कार्य मई 2020 तक पूरा हो गया था, लेकिन बोर्ड उद्योग को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित नहीं कर सका।
12.	**कयर जियोटेक्सटाइल्स की**	29.70	पॉलिमर प्रौद्योगिकी	लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना कयर जियो-	प्रबंधन ने प्रौद्योगिकी के गैर-व्यावसायीकरण के संबंध में कोई टिप्पणी	बोर्ड कयर जियोटेक्सटाइल्स की आयु बढ़ाने के लिए इस पेटेंट तकनीक का

क्रम सं.	परियोजना का नाम	लागत (₹ *लाख में*)	विभाग	लेखापरीक्षा अवलोकन (मार्च 2023)	प्रबंधन (जनवरी 2024) और मंत्रालय का उत्तर (जुलाई 2024/ जनवरी 2025)	आगामी लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
	आयूकाल बढ़ाने के लिए प्रक्रिया विकास (राष्ट्रीय अंतःविषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, (एनआईआईएसटी), त्रिवेंद्रम के साथ सहयोगात्मक परियोजना)			टेक्सटाइल्स की आयूकाल बढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया विकसित कर सकती है। हालाँकि, इस तकनीक का अभी तक व्यावसायीकरण नहीं हुआ है। सहयोगियों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, अनुसंधान के लिए आवंटित धनराशि से खरीदे गए उपकरण बोर्ड को वापस कर दिए जाने चाहिए थे। हालाँकि, यह पाया गया कि बोर्ड एनआईआईएसटी से ₹ 15.65 लाख की लागत वाले उपकरण वापस नहीं ले सका।	नहीं की, लेकिन यह कहा कि चूंकि उपकरण वापस नहीं किया गया है, इसलिए परियोजना की अंतिम किस्त सहयोगी को जारी नहीं की गई। मंत्रालय ने उत्तर दिया कि एनआईआईएसटी ने तकनीक विकसित की है और एनआईआईएसटी तथा कयर बोर्ड के संयुक्त नाम से पेटेंट कराया है। यह भी बताया गया कि उपकरण सीसीआरआई से वापस ले लिए जाएँगे और उपकरण वापस सीसीआरआई ले जाने का व्यय एनआईआईएसटी को जारी की जाने वाली शेष राशि से काट लिया जाएगा।	व्यावसायीकरण नहीं कर सका। इसलिए, इस तकनीक का लाभ उद्योग को नहीं मिल सका और बोर्ड के उपकरण एनआईआईएसटी से वापस नहीं मिल पाए।
13.	**पॉली लैक्टिक एसिड कयर कंपोजिट से जैव प्लास्टिक**	10.58	पॉलिमर प्रौद्योगिकी	लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजना कयर प्रबलित प्लाय लैक्टिक एसिड कंपोजिट विकसित कर सकती है।	प्रबंधन ने प्रौद्योगिकी के गैर-व्यावसायीकरण के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन यह कहा कि चूंकि उपकरण वापस नहीं किए गए हैं, इसलिए परियोजना	बोर्ड पॉलीलैक्टिक एसिड कयर कंपोजिट के विकास के लिए तकनीक का व्यावसायीकरण नहीं कर सका। इसलिए, अनुसंधान का लाभ अभी तक उद्योग को हस्तांतरित नहीं

क्रम सं.	परियोजना का नाम	लागत (₹ *लाख में*)	विभाग	लेखापरीक्षा अवलोकन (मार्च 2023)	प्रबंधन (जनवरी 2024) और मंत्रालय का उत्तर (जुलाई 2024/ जनवरी 2025)	आगामी लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
	(राष्ट्रीय अंतःविषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, (एनआईआईएसटी) त्रिवेंद्रम के साथ सहयोगात्मक परियोजना)			सहयोगियों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, अनुसंधान के लिए आवंटित धनराशि से खरीदे गए उपकरण बोर्ड को वापस कर दिए जाने चाहिए थे। हालाँकि, यह देखा गया कि बोर्ड एनआईआईएसटी से ₹ 1.97 लाख की लागत वाले उपकरण वापस नहीं ले सका है।	की अंतिम किस्त सहयोगी को जारी नहीं की गई। मंत्रालय ने उत्तर दिया कि परियोजनाहै पॉली लैक्टिक एसिड कयर कम्पोजिट्स विकसित कर सकती है। यह भी कहा गया कि उपकरण सीसीआरआई से वापस ले लिए जाएंगे और उपकरण को सीसीआरआई में वापस ले जाने का व्यय एनआईआईएसटी को जारी की जाने वाली शेष राशि से काट लिया जाएगा।	किया जा सका है और उपकरण एनआईआईएसटी से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।
	योग	**163.88**				

अनुलग्नक - XXVII

(पैरा 5.1.8.4.2 में संदर्भित)

विभिन्न राज्यों में राशन कार्ड संख्या के मानदंड/स्वरूप

राज्य	राशन कार्ड के मानदंडों का विवरण
हरियाणा	066+ 9 अंक या 0 से 9 के बीच कोई भी 1 अंक जिसके बाद A से Z के बीच कोई भी 3 वर्ण और उसके बाद 0 से 9 के बीच कोई भी 4 अंक
अंडमान और निकोबार	353 से शुरू होता है, उसके बाद 0 से 9 के बीच कोई भी 3 अंक, उसके बाद 1,2,3 में से 1 अंक और उसके बाद 0 से 9 के बीच 5 अंक
छत्तीसगढ	0 से 9 तक शुरू होने वाली कोई भी संख्या, 14 बार या 22+10 अंक
गोवा	30 + 0 से 9 के बीच 19 अंक या 303 से शुरू + 0 से 9 के बीच 19 अंक
गुजरात	0 से 9 के बीच की कोई भी संख्या, 15 बार
हिमाचल प्रदेश	HP+13 अंक या 022+ 9 अंक
मध्य प्रदेश	0 से 9 के बीच कोई भी 8 अंक
मिजोरम	MZ से शुरू होकर 0 से 9 के बीच 9 अंक + A से Z या a से z के बीच कोई एक वर्ण + 0 से 9 के बीच 6 अंक
ओडिशा	0 से 9 से शुरू, 11 बार
पुदुचेरी	0 से 9 के बीच कोई भी 6 अंक
पंजाब	033 से शुरू + 9 अंक
तेलंगाना	36 से आरम्भ होता है + 0 से 9 के बीच 10 अंक
उत्तराखंड	A,B,S,F में से 1 अक्षर से आरम्भ होता है + 0 से 9 के बीच 9 अंक या 055+ 9 अंक
महाराष्ट्र	272+ 3 अंक या 272+ 4 अंक या 272+ 8 अंक या 272+ 9 अंक
राजस्थान	0 से आरम्भ होता है +11 अंक या 1 से आरम्भ होता है +11 अंक या 2 से आरम्भ होता है +11 अंक
अरुणाचल प्रदेश	121+9 अंक
केरल	323+10 अंक
आंध्र प्रदेश	A-Z,a-z,0-9 में से कोई भी 3 वर्ण या संख्या + 0-9 के बीच 7 अंक + A-Z,a-z,0-9 में से कोई भी 1 वर्ण या संख्या + 0 से 9 के बीच 4 अंक
कर्नाटक	(A से Z या 0 से 9) में से किसी भी 4 अक्षर या संख्या से शुरू + 8 अंक या (A से Z या 0 से 9) में से किसी भी 3 अक्षर या संख्या से शुरू + 8 अंक
बिहार	10 से शुरू + 0 से 9 के बीच 18 अंक या 10 से शुरू + 0 से 9 के बीच 22 अंक
जम्मू और कश्मीर	0 से 9 के बीच 6 अंक या A-Z से a-z के बीच 24 अक्षर या 011 से शुरू + 0 से 9 के बीच 9 अंक
पश्चिम बंगाल	AAY|SPHH|PHH|RKSY-I|RKSY-II + 10 अंक
उत्तर प्रदेश	1,2 के बीच एक अंक + 0 से 9 के बीच 3 अंक + 1,2,3,4 में से एक अंक + 0 से 9 के बीच 6 अंक या 1,2 के बीच एक अंक + 0 से 9 के बीच 3 अंक + 1,2,3,4 में से एक अंक + 0 से 9 के बीच 7 अंक या 1,2 के बीच एक अंक + 0 से 9 के बीच 3 अंक + 1,2,3,4 में से एक अंक + 0 से 9 के बीच 8 अंक या 1,2 के बीच एक अंक + 0 से 9 के बीच 3 अंक

राज्य	राशन कार्ड के मानदंडों का विवरण
	+ 1,2,3,4 में से एक अंक + 0 से 9 के बीच 9 अंक या 1,2 के बीच एक अंक + 0 से 9 के बीच 3 अंक + 1,2,3,4 में से एक अंक + 0 से 9 के बीच 10 अंक या 1,2 के बीच एक अंक + 0 से 9 के बीच 3 अंक + 1,2,3,4 में से एक अंक + 0 से 9 के बीच 11 अंक या 1,2 में से एक अंक + 0 से 9 के बीच 3 अंक + 1,2,3,4 में से एक अंक + 0 से 9 के बीच 12 अंक
असम	181 से आरम्भ होता है + 9 अंक
लद्दाख	373 से आरम्भ होता है + 9 अंक
चंडीगढ़	044 से आरम्भ होता है + 9 अंक
दादरा और नगर हवेली	262 से आरम्भ होता है + 9 अंक
दमन और दीव	252 से आरम्भ होता है + 9 अंक
लक्षद्वीप	313 से आरम्भ होता है + 9 अंक
मणिपुर	141 से आरम्भ होता है + 9 अंक
मेघालय	171 से आरम्भ होता है + 9 अंक
सिक्किम	111 से आरम्भ होता है + 9 अंक
त्रिपुरा	161 से आरम्भ होता है + 9 अंक
झारखंड	202 से आरम्भ होता है + 9 अंक
दिल्ली	077 से आरम्भ होता है + 9 अंक
तमिलनाडु	333 से आरम्भ होता है + 9 अंक

अनुलग्नक-XXVIII

(पैरा 6.1.1.4 में संदर्भित)

अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति की संरचना

1.	केंद्रीय वस्त्र मंत्री	अध्यक्ष
2.	सचिव, वस्त्र मंत्रालय	उपाध्यक्ष
3.	सचिव, व्यय विभाग	सदस्य
4.	सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग	सदस्य
5.	सचिव, वाणिज्य विभाग	सदस्य
6.	सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	सदस्य
7.	सचिव, भारी उद्योग विभाग	सदस्य
8.	सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	सदस्य
9.	भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर	सदस्य
10.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
11.	वस्त्र आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई	सदस्य
12.	जूट आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, कोलकाता	सदस्य
13.	विकास आयुक्त (हथकरघा), नई दिल्ली	सदस्य
14.	सलाहकार (वस्त्र प्रभारी), नीति आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
15.	सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु	सदस्य
16.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईडीबीआई	सदस्य
17.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी	सदस्य
18.	आईएफसीआई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य
19.	भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष	सदस्य
20.	अध्यक्ष, टैक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएमएमएआई), मुंबई	सदस्य
21.	अध्यक्ष, भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई), नई दिल्ली	सदस्य
22.	अध्यक्ष, भारतीय कला रेशम बुनाई उद्योग महासंघ, सूरत	सदस्य
23.	अध्यक्ष, भारतीय ऊनी मिल्स महासंघ (आईडब्ल्यूएमएफ), मुंबई	सदस्य
24.	अध्यक्ष, पावरलूम विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (पीडीईएक्ससीआईएल), मुंबई	सदस्य
25.	अध्यक्ष, भारतीय जूट मिल्स एसोसिएशन (आईजेएमए), कोलकाता	सदस्य
26.	अध्यक्ष, भारतीय वस्त्र निर्माता संघ, मुंबई	सदस्य
27.	अध्यक्ष, भारतीय तकनीकी वस्त्र संघ (आईटीटीए), मुंबई	सदस्य
28.	अध्यक्ष, दक्षिण भारत स्पिनर्स एसोसिएशन, कोयंबटूर	सदस्य
29.	अध्यक्ष, दक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन, कोयंबटूर	सदस्य
30.	अतिरिक्त/संयुक्त सचिव (एटीयूएफएस के प्रभारी)	सदस्य सचिव

अनुलग्नक- XXIX
(पैरा 6.1.1.4 में संदर्भित)

तकनीकी सलाहकार-सह-अनुवीक्षण समिति की संरचना

1.	वस्त्र आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई	अध्यक्ष
2.	निदेशक (एटीयूएफएस), वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
3.	जूट आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, कोलकाता	सदस्य
4.	औद्योगिक सलाहकार, भारी उद्योग विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
5.	अध्यक्ष, भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली	सदस्य
6.	अध्यक्ष, भारतीय ऊनी मिल्स महासंघ (आईडब्ल्यूएमएफ), मुंबई	सदस्य
7.	अध्यक्ष, भारतीय कला रेशम बुनाई उद्योग महासंघ (एफआईएएसडब्ल्यूआई), सूरत	सदस्य
8.	अध्यक्ष, भारतीय स्पिनर्स एसोसिएशन (आईएसए), मुंबई	सदस्य
9.	अध्यक्ष, दक्षिण भारत स्पिनर्स एसोसिएशन (एसआईएसपीए), कोयंबटूर	सदस्य
10.	अध्यक्ष, लुधियाना निटवियर क्लब, लुधियाना	सदस्य
11 I	अध्यक्ष, टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएमएमएआई), मुंबई	सदस्य
12.	अध्यक्ष, भारतीय जूट मिल्स एसोसिएशन (आईजेएमए), कोलकाता	सदस्य
13.	अध्यक्ष, भारतीय वस्त्र निर्माता संघ (सीएमएआई), मुंबई	सदस्य
14.	अध्यक्ष, विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (पीडीईएक्ससीआईएल), मुंबई	सदस्य
15.	अध्यक्ष, सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टीईएक्सपीआरओसीआईएल), मुंबई	सदस्य
16.	अध्यक्ष, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी), गुड़गांव	सदस्य
17.	अध्यक्ष, सिंथेटिक और रेयान वस्त्र संवर्धन परिषद, मुंबई	सदस्य
18.	प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, आईडीबीआई बैंक, मुंबई	सदस्य
19.	प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), लखनऊ	सदस्य
20.	अध्यक्ष, दक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन, कोयंबटूर	सदस्य
21.	अध्यक्ष, भारतीय तकनीकी वस्त्र संघ (आईटीटीए), मुंबई	सदस्य
22.	प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली	सदस्य
23.	प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई	सदस्य
24.	प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई	सदस्य
25.	प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई	सदस्य
26.	प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, एनसीडीसी, नई दिल्ली	सदस्य
27.	प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई	सदस्य
28.	प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, इंडियन ओवरसीज बैंक, मुंबई	सदस्य
29.	प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई	सदस्य
30.	प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली	सदस्य
31.	निदेशक, मुंबई वस्त्र संशोधन संस्था, मुंबई	सदस्य
32.	एटीयूएफएस के प्रभारी अपर/संयुक्त वस्त्र आयुक्त, वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई	सदस्य सचिव

अनुलग्नक-XXX

(पैरा 6.1.1.5 में संदर्भित)

योजना के अतर्गत सहायकी जारी करने की व्यवस्था

चरण 1: बैंक में आवेदन

- ऋण के लिए बैंक को आवेदन, आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से विवरण प्रस्तुत करना और वस्त्र आयुक्त द्वारा एटीयूएफएस संदर्भ संख्या तैयार करना
- बैंक सावधि ऋण स्वीकृत करता है और आवेदक तथा वस्त्र आयुक्त को सूचित करता है

चरण दो: यूआईडी निर्माण

- आवेदक फॉर्म-I में विवरण भरकर आई-टीयूएफएस का उपयोग करके बैंक को जमा करता है। बैंक जमा किए गए फॉर्म-I का सत्यापन करता है और फॉर्म-2 में ऋण विवरण भरकर वस्त्र आयुक्त को जमा करता है।
- वस्त्र आयुक्त फॉर्म 3 के अनुसार जांच करते हैं और आवेदन को स्वीकृति देते हैं तथा विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या तैयार करते हैं

चरण 3: मशीनरी की स्थापना

- आवेदक को सावधि ऋण की स्वीकृति की तिथि से दो वर्ष के भीतर क्रय की गई नई मशीनरी स्थापित करनी होगी।

चरण 4: जेआईटी द्वारा भौतिक सत्यापन

- आवेदक फॉर्म-4 भरकर दस्तावेजों के साथ वस्त्र आयुक्त को दावा प्रस्तुत करता है।
- संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) भौतिक सत्यापन करता है और फॉर्म-5 में जेआईटी रिपोर्ट अपलोड करता है। वस्त्र आयुक्त जेआईटी रिपोर्ट की जांच करते हैं और तदनुसार अनुमोदित सब्सिडी दावों के बिल मंत्रालय को भेजते हैं।

चरण 5: सब्सिडी जारी करना

- मंत्रालय वस्त्र आयुक्त द्वारा प्रस्तुत दावों पर कार्रवाई करता है और स्वीकृति पत्र जारी करता है तथा पीएओ को बिल प्रस्तुत करता है।
- पीएओ आवेदक के खाते में सब्सिडी जारी करता है

अनुलग्नक- XXXI

(पैरा 6.1.4.1 में संदर्भित)

योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों में किए गए प्रमुख पुनरीक्षण/संशोधन

क्रम सं.	पुनरीक्षण की तिथि (प्राधिकार)	मूल प्रावधान/ संशोधन का विषय	संशोधित प्रावधान
1.	05.10.2016 (आईएमएससी: प्रथम बैठक)	मशीनरी के लिए सावधि ऋण घटक को योग परियोजना लागत का न्यूनतम 50% रखा जाएगा।	मशीनरी के सावधि ऋण घटक को कुल मशीनरी लागत का न्यूनतम 50% रखा जाएगा।
2.	05.10.2016 (आईएमएससी: प्रथम बैठक)	एटीयूएफएस के अंतर्गत मशीनरी लागत के 20% मूल्य तक मशीनरी के साथ प्राप्त सहायक उपकरण/संलग्नक/नमूना मशीन/स्पेयर भी योग्य होंगे।	परियोजना के अंतर्गत क्रय की गई मशीनरी के लिए अन्य निर्माताओं से भी सहायक उपकरण /संलग्नक/ नमूना मशीन/स्पेयर क्रय की अनुमति दी गई, जो एटीयूएफएस के अंतर्गत योग्य मशीनरी लागत के 20% मूल्य तक होगी।
3.	22.10.2021 (आईएमएससी: पाँचवी बैठक)	एटीयूएफएस के अंतर्गत निर्माताओं के सहायक उपकरण/स्पेयर पार्ट्स/संलग्नकों की सूची में छूट	22.10.2021 से छूट दी गई और लागू की गई।
4.	22.10.2021 (आईएमएससी: पाँचवी बैठक)	एटीयूएफएस के अंतर्गत निर्माताओं के सहायक उपकरण/स्पेयर पार्ट्स/संलग्नकों की सूची में छूट	गैर-ओईएम से अनुमत सहायक उपकरण।
5.	23.03.2018 (आईएमएससी: दूसरी बैठक)	यूआईडी के अंतर्गत आने वाली मशीनों की स्थापना सावधि ऋण की स्वीकृति की तिथि से एक (1) वर्ष के भीतर की जाएगी। हालाँकि, इसे वस्त्र आयुक्त के अनुमोदन से मामला-दर-मामला आधार पर दो (2) वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा।	मशीनरी के लिए दिए गए ऑर्डर के दस्तावेजीय प्रमाण के आधार पर वस्त्र आयुक्त द्वारा एक वर्ष से अधिक की अवधि के विस्तार की अनुमति दी जाएगी।
6.	27.02.2019 (आईएमएससी: तीसरी बैठक)	29 फरवरी 2016 के दिशानिर्देश	2 अगस्त 2018 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए
7.	27.02.2019 (आईएमएससी: तीसरी बैठक)	निर्माताओं की सांकेतिक सूची टीएएमसी द्वारा अनुशंसित की जाएगी	सूचीबद्धता के लिए वस्त्र आयुक्त की भूमिका बहाल की गई।
8.	27.02.2019 (आईएमएससी: तीसरी बैठक)	स्टैंडअलोन कढ़ाई सम्मिलित नहीं है।	27.02.2019 से एटीयूएफएस के अंतर्गत स्टैंडअलोन कढ़ाई इकाइयों को सम्मिलित किया जाना

क्रम सं.	पुनरीक्षण की तिथि (प्राधिकार)	मूल प्रावधान/ संशोधन का विषय	संशोधित प्रावधान
9.	22.10.2021 (आईएमएससी: पाँचवी बैठक)	स्टैंडअलोन कढ़ाई मशीनों के लिए लागू तिथि	योजना की शुरुआत से ही एटीयूएफएस के अंतर्गत एकल कढ़ाई इकाइयों को सम्मिलित किया जाना
10.	24.10.2019 (आईएमएससी: चौथी बैठक)	दिशानिर्देशों के पैरा 10.5.2 (सब्सिडी जारी करने के संबंध में) को प्रतिस्थापित किया गया।	वस्त्र आयुक्त, चालान जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर, ₹5 करोड़ तक की सभी व्यक्तिगत मामलों में सीधे इकाई को योग्य सब्सिडी जारी करेंगे। ₹5 करोड़ से अधिक की अनुमेय सब्सिडी राशि वाले मामलों के चालान, वस्त्र आयुक्त द्वारा अनुमोदन के बाद, आईएफडब्ल्यू की सहमति प्राप्त करने और इकाई को जारी करने के लिए वस्त्र मंत्रालय को भेजे जाएँगे।
11.	24.10.2019 (आईएमएससी: चौथी बैठक)	सहायक उपकरण/ संलग्नक/ नमूना मशीन/स्पेयर निर्माताओं की सूची बनाना आवश्यक है।	सहायक उपकरण/ संलग्नक/ नमूना मशीन/ स्पेयर निर्माताओं (ओईएम) की सूची को छूट दी गई है।
12.	24.10.2019 (आईएमएससी: चौथी बैठक)	आरओ उसी दिन या अधिकतम अगले दिन संयुक्त निरीक्षण दल की रिपोर्ट आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर में जियो-टैग्ड और टाइम स्टैम्प्ड फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराएंगे।	29.02.2016 के एटीयूएफएस दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुरूप, आरओ को संयुक्त निरीक्षण की तिथि के बाद 2 कार्य दिवसों में आईटीयूएफएस में जेआईटी की रिपोर्ट अपलोड करनी होगी।
13.	22.10.2021 (आईएमएससी: पाँचवी बैठक)	सभी खंडों के लिए मशीनरी हेतु प्रौद्योगिकी के विनिर्देशन टीएएमसी द्वारा प्रतिवर्ष अग्रिम रूप से निर्धारित किए जाएंगे, जो वर्ष की पहली अप्रैल से प्रभावी होंगे।	सभी योग्य खंडों के लिए मशीनरी हेतु प्रौद्योगिकी के विनिर्देश, टीएएमसी द्वारा मशीनरी के लिए प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करने/ विचार करने के लिए वस्त्र आयुक्त कार्यालय में उद्योग/ इकाई/ एसोसिएशन से प्राप्त प्रथम अनुरोध की तिथि से प्रभावी होंगे।
14.	22.10.2021 (आईएमएससी: पाँचवी बैठक)	मशीन प्लेट पर निर्माता वर्ष अंकित करना आवश्यक है।	निर्माण वर्ष का पता मशीन पर अंकित क्रम संख्या या बार कोड से लगाया गया है।
15.	28.04.2022 (आईएमएससी: छठी बैठक)	एक ही मशीन के लिए अलग-अलग तिथियों वाले एकाधिक चालानों से संबंधित दावों की स्वीकार्यता, जहां कुछ चालान सावधि ऋण स्वीकृति तिथि से पहले के हों।	एक ही मशीन के लिए एक से अधिक बिलों के आधार पर की गई खरीद के मामले में, यदि सावधि ऋण स्वीकृति तिथि के बाद जारी किए गए बिलों का मूल्य योग्य मशीन की मूल लागत के 50% से अधिक है, तो

क्रम सं.	पुनरीक्षण की तिथि (प्राधिकार)	मूल प्रावधान/ संशोधन का विषय	संशोधित प्रावधान
			मशीन के संपूर्ण बिलों को योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए योग्य माना जाएगा।
16.	22.07.2022 (आईएमएससी: सातवीं बैठक)	सावधि ऋण की स्वीकृति की तिथि से पूर्व मशीन लागत में स्वयं के भाग की सीमा तक आवेदक द्वारा अग्रिम भुगतान के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देशों के पैरा 7.1 की प्रयोज्यता की तिथि।	दिनांक 02.08.2018 के संशोधित दिशानिर्देशों का पैरा 7.1 योजना के प्रारम्भ अर्थात 13.01.2016 से लागू होगा। मशीन को किसी विशेष सावधि ऋण के प्रति दृष्टि बंधित रखा जाना चाहिए।
17.	14.07.2023 (आईएमएससी: नौंवी बैठक)	'क्रय तिथि' की नई परिभाषा के लिए लागू तिथि	संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार क्रय तिथि की परिभाषा एटीयूएफएस की स्थापना के बाद से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी।
18.	14.07.2023 (आईएमएससी: नौंवी बैठक)	मामलों के निपटारे की समय-सीमा में परिवर्तन	संशोधन लागू किया गया और 20.12.2023 को सरकारी संकल्प जारी किया गया।
19.	14.07.2023 (आईएमएससी: नौंवी बैठक)	आवेदक उद्योग द्वारा प्रतिक्रिया /सूचना /दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा	संशोधन लागू किया गया और 20.12.2023 को सरकारी संकल्प जारी किया गया।

आईएमएससी: अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति

टीएएमसी: तकनीकी सलाहकार-सह-अनुवीक्षण समिति

अनुलग्नक-XXXII

(पैरा 6.1.4.5 में संदर्भित)

जेआईटी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात
वस्त्र आयुक्त/ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के प्रकार

क्रम सं.	उठाए गए प्रश्न	मामलों की संख्या	की ओर से त्रुटि
1.	जियोटैग फ़ोटो अपलोड नहीं किए गए	47	संयुक्त निरीक्षण दल
2.	वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की पुष्टि नहीं हुई	19	
3.	दस्तावेजों पर जेआईटी/जेआईटी के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए	24	
4.	नाम पट्ट, क्रम संख्या, मॉडल, निर्माण वर्ष, मशीन पहचान कोड आदि तस्वीरों पर स्पष्ट नहीं थे	22	
5.	मशीनरी विनिर्देश जेआईटी द्वारा प्रमाणित नहीं थे	44	
6.	जेआईटी रिपोर्ट में मशीन क्रम संख्या/निर्माण वर्ष/इनवॉइस संख्या आदि का गलत उल्लेख किया गया था	27	
7.	जेआईटी द्वारा पूर्ण जेआईटी दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए	46	
8.	प्रस्तुत किए गए जेआईटी दस्तावेज़ सुपाठ्य नहीं थे	24	
9.	चालान की सत्यापित प्रतियां आई-टीयूएफएस पोर्टल पर अपलोड नहीं की गईं	81	वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय
10.	रिपोर्टिंग प्रारूपों और परिशिष्ट की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति आई-टीयूएफएस पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई थी	48	
11।	निर्माताओं/एजेंटों को सूचीबद्ध नहीं किया गया	22	वस्त्र आयुक्त कार्यालय
12.	मशीनों पर मशीन पहचान कोड स्पष्ट/ उचित रूप से अंकित नहीं थे	19	लाभार्थी इकाइयाँ
13.	मशीन पर निर्माण वर्ष/ क्रम संख्या अंकित नहीं था	10	
14.	यूआईडी में उल्लिखित ऋण स्वीकृति तिथि/ राशि/ खाता संख्या स्वीकृति पत्र/ सावधि ऋण खाता विवरण से भिन्न थी	23	
15.	यूआईडी और स्वीकृति पत्र/बिजली बिल/लीज दस्तावेज/चालान आदि में पते में अंतर।	27	
16.	मशीन की क्रम संख्या इनवॉइस/ प्रोफार्मा इनवॉइस/ प्रेषण दस्तावेजों पर नहीं लिखा गया था	33	
17.	इनवॉइस में सहायक उपकरण/स्पेयर पार्ट्स सम्मिलित थे	37	

क्रम सं.	उठाए गए प्रश्न	मामलों की संख्या	की ओर से त्रुटि
18.	इकाई द्वारा यह वचनबद्धता/ घोषणा नहीं दी गई कि जिस इकाई के लिए सावधि ऋण लिया गया है , वह कम से कम सावधि ऋण की चुकौती अवधि के दौरान कार्य करेगी।	62	
19.	मशीन का नाम/ क्रम संख्या/निर्माण वर्ष इनवॉयस और नाम पट्ट की तस्वीरों से मेल नहीं खा रहा था	26	
20.	भुगतान विवरण बैंक विवरण/डेबिट सलाह से मेल नहीं खा रहे थे	24	
21.	क्रय की गई मशीन के संबंध में पूर्ण भुगतान नहीं किया गया	21	
22.	पूर्ण बैंक विवरण/डेबिट सलाह/भुगतान रसीद प्रस्तुत नहीं की गई	48	
23.	निर्माता/आपूर्तिकर्ता का नाम चालान और नाम पट्ट में भिन्न था	14	

अनुलग्नक-XXXIII

{पैरा 6.1.6.3 (i) में संदर्भित}

सावधि ऋण की स्वीकृति की तिथि से पहले यूआईडी जारी करने की तिथि सहित मामलों की सूची

क्रमांक	यूआईडी संख्या	ऋण स्वीकृत तिथि	यूआईडी जारी होने की तिथि	यूआईडी के अनुसार सब्सिडी मूल्य (₹)	कुल जारी सब्सिडी (₹)
1	एटीयूएफएस/2020-21/डब्ल्यू/000009	10-12-2020	03-04-2020	2,21,500	शून्य
2	एटीयूएफएस/2020-21/जी/001156	06-08-2021	19-03-2021	5,02,500	शून्य
3	एटीयूएफएस/2019-20/डब्ल्यू/000897	09-10-2019	05-09-2019	20,87,200	15,72,017
4	एटीयूएफएस/2019-20/जीटी/000222	16-11-2019	27-08-2019	5,66,15,683	शून्य
5	एटीयूएफएस/2018-19/जी/000373	07-08-2018	08-05-2018	3,30,000	शून्य
6	एटीयूएफएस/2019-20/पी/000728	15-10-2019	04-09-2019	1,35,000	शून्य
7	एटीयूएफएस/2017-18/डब्ल्यू/001978	03-08-2018	16-03-2018	13,25,424	शून्य
8	एटीयूएफएस/2021-22/जी/002089	09-07-2022	05-01-2022	15,56,236	15,56,236
9	एटीयूएफएस/2019-20/डब्ल्यू/001144	01-12-2019	07-09-2019	45,55,200	शून्य
10	एटीयूएफएस/2021-22/जी/000744	29-12-2021	28-07-2021	5,59,950	5,24,588
11	एटीयूएफएस/2021-22/ओ/000805	31-12-2021	02-08-2021	16,71,808	शून्य
12	एटीयूएफएस/2021-22/जी/000743	29-12-2021	28-07-2021	2,32,350	शून्य
13	एटीयूएफएस/2021-22/डब्ल्यू/002362	19-10-2022	18-01-2022	58,44,285	49,79,825
14	एटीयूएफएस/2018-19/डब्ल्यू/000108	03-08-2018	13-04-2018	6,52,630	शून्य
15	एटीयूएफएस/2018-19/डब्ल्यू/000553	03-08-2018	01-06-2018	17,59,130	2,36,500
16	एटीयूएफएस/2017-18/डब्ल्यू/001797	21-06-2021	12-02-2018	21,90,830	20,09,763
17	एटीयूएफएस/2021-22/ओ/000377	19-12-2021	07-06-2021	20,50,320	12,25,000
18	एटीयूएफएस/2021-22/डब्ल्यू/003504	07-07-2022	16-03-2022	41,50,980	35,89,379
19	एटीयूएफएस/2019-20/डब्ल्यू/002664	21-06-2021	24-01-2020	21,00,000	19,39,033
20	एटीयूएफएस/2021-22/डब्ल्यू/003709	27-10-2022	22-03-2022	26,44,200	25,34,203
21	एटीयूएफएस/2021-22/जी/003261	12-11-2022	07-03-2022	15,21,000	14,72,201
22	एटीयूएफएस/2019-20/डब्ल्यू/002641	20-07-2020	16-01-2020	29,46,300	26,84,036
23	एटीयूएफएस/2019-20/डब्ल्यू/002211	28-10-2019	21-10-2019	5,54,510	5,38,851
24	एटीयूएफएस/2021-22/जी/004264	31-05-2022	29-03-2022	15,19,200	शून्य
25	एटीयूएफएस/2021-22/ओ/003625	31-12-2022	19-03-2022	34,64,800	25,50,500
26	एटीयूएफएस/2019-20/डब्ल्यू/000365	06-09-2019	28-08-2019	1,15,300	शून्य
27	एटीयूएफएस/2021-22/डब्ल्यू/000713	31-12-2021	26-07-2021	1,36,44,000	80,22,042
28	एटीयूएफएस/2021-22/पी/003710	09-12-2022	22-03-2022	15,66,000	14,96,700
29	एटीयूएफएस/2019-20/डब्ल्यू/001589	19-09-2019	11-09-2019	23,60,000	22,24,536
30	एटीयूएफएस/2021-22/डब्ल्यू/000482	28-06-2021	21-06-2021	25,43,050	22,65,700
31	एटीयूएफएस/2021-22/डब्ल्यू/001293	16-10-2021	13-10-2021	22,30,000	18,81,320
32	एटीयूएफएस/2021-22/जी/004274	29-10-2022	29-03-2022	16,24,500	शून्य
33	एटीयूएफएस/2017-18/डब्ल्यू/002061	08-08-2018	21-03-2018	8,82,750	8,82,750
34	एटीयूएफएस/2017-18/जीटी/002005	16-08-2018	16-03-2018	51,37,352	शून्य

क्रमांक	यूआईडी संख्या	ऋण स्वीकृत तिथि	यूआईडी जारी होने की तिथि	यूआईडी के अनुसार सब्सिडी मूल्य (₹)	कुल जारी सब्सिडी (₹)
35	एटीयूएफएस/2021-22/डब्ल्यू/000035	23-12-2022	08-04-2021	4,40,220	4,11,673
36	एटीयूएफएस/2021-22/डब्ल्यू/000736	29-07-2021	28-07-2021	4,44,804	3,67,704
	योग			**13,21,79,012**	**4,49,64,557**

अनुलग्नक- XXXIV

{पैरा 6.1.6.3 (ii) में संदर्भित}

सावधि ऋण की स्वीकृति की तिथि से पूर्व जेआईटी अनुरोध की तिथि सहित मामलों की सूची

क्रमांक	यूआईडी संख्या	यूआईडी के अनुसार सब्सिडी मूल्य (₹)	ऋण स्वीकृत तिथि	जेआईटी अनुरोध तिथि	कुल जारी सब्सिडी (₹)
1	एटीयूएफएस/2020-21/डब्ल्यू/000009	2,21,500	10-12-2020	26-08-2020	शून्य
2	एटीयूएफएस/2020-21/जी/001156	5,02,500	06-08-2021	05-05-2021	शून्य
3	एटीयूएफएस/2019-20/डब्ल्यू/000897	20,87,200	09-10-2019	02-10-2019	15,72,017
4	एटीयूएफएस/2019-20/जीटी/000222	5,66,15,683	16-11-2019	13-11-2019	शून्य
5	एटीयूएफएस/2019-20/पी/000728	1,35,000	15-10-2019	11-10-2019	शून्य
6	एटीयूएफएस/2017-18/डब्ल्यू/001978	13,25,424	03-08-2018	12-07-2018	शून्य
7	एटीयूएफएस/2021-22/जी/002089	15,56,236	09-07-2022	08-01-2022	15,56,236
8	एटीयूएफएस/2021-22/जी/000743	2,32,350	29-12-2021	21-12-2021	शून्य
9	एटीयूएफएस/2021-22/डब्ल्यू/002362	58,44,285	19-10-2022	04-06-2022	49,79,825
10	एटीयूएफएस/2018-19/डब्ल्यू/000108	6,52,630	03-08-2018	27-07-2018	शून्य
11	एटीयूएफएस/2018-19/डब्ल्यू/000553	17,59,130	03-08-2018	11-07-2018	2,36,500
12	एटीयूएफएस/2017-18/डब्ल्यू/001797	21,90,830	21-06-2021	09-04-2018	20,09,763
13	एटीयूएफएस/2019-20/डब्ल्यू/002664	21,00,000	21-06-2021	23-06-2020	19,39,033
14	एटीयूएफएस/2021-22/ओ/003625	34,64,800	31-12-2022	28-06-2022	25,50,500
15	एटीयूएफएस/2021-22/डब्ल्यू/000713	1,36,44,000	31-12-2021	06-10-2021	80,22,042
16	एटीयूएफएस/2021-22/पी/003710	15,66,000	09-12-2022	14-10-2022	14,96,700
17	एटीयूएफएस/2019-20/डब्ल्यू/001589	23,60,000	19-09-2019	18-09-2019	22,24,536
18	एटीयूएफएस/2017-18/डब्ल्यू/002061	8,82,750	08-08-2018	25-07-2018	8,82,750
19	एटीयूएफएस/2021-22/डब्ल्यू/000035	4,40,220	23-12-2022	08-03-2022	4,11,673
	योग	**9,75,80,538**			**2,78,81,575**

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/hi/page-11-of-26